

भारतीय इतिहास का परिचय

लेखक

डॉ० राजबली पाण्डेय, एम. ए., बी. लिट्., बिहार

महामना मारुवीव प्रोफेसर तथा अध्वर्यु, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं
संस्कृति विभाग, माया तथा शोध संस्थान, बनारस विश्वविद्यालय

तथा

भूतपूर्व प्राचार्य, कॉलेज ऑफ़ इण्डोलॉजी,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

४२

श्री साधुनार्गी जैन श्रावक संघ
संघा शहर - भोनाघर

प्रकाशक : श्रीकल्याण विद्याभवन, वाराणसी

मुद्रक : विद्याविम्वस प्रेस, वाराणसी

संस्करण : द्वितीय, संवत् १०२० वि०

मूल्य : १०-००

● The Chowkhamba Vidya Bhawan
Chowk, Varanasi-1

(INDIA)

1968

Telephone : 3076

THE
VIDYABHAWAN RASHTRABHASHA GRANTHAMALA

58



BHARTIYA ITIHASA KA PARICHAYA
(INTRODUCTION TO INDIAN HISTORY)

BY

DR. RAJ BALI PANDEY,

M. A. D. Litt., Vidyaratna,

Mahatma Malaviya Professor and Head of the Department of
Ancient Indian History and Culture, Institute of Languages
and Research, University of Jabalpur, Jabalpur

and

Ex-Principal, College of Indology,
Banaras Hindu University, Varanasi.

THE
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN
VARANASI-1
1963

प्रस्तावना

‘भारतीय इतिहास का परिचय’ भारत के इतिहास का एक धारावाहिक संक्षिप्त और सरल विवरण है। इस छोटी सी पुस्तक में विस्तार के साथ, मूल धारा के अगल-बगल के विवरणों को, देना संभव नहीं था। इसलिये इसमें उन्हीं घटनाओं, विचार-धाराओं और व्यक्तियों का समावेश किया गया है, जिन्होंने भारतीय इतिहास को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया और उसके विकास में योग दिया है। यह चुनाव उपयोगिता और महत्त्व के आधार पर किया गया है। यह पुस्तक मुख्यतः माध्यमिक विद्यार्थियों और सामान्य पाठकों को ध्यान में रखकर लिखी गयी है। इसलिये ऐसी शैली और पद्धति को अपनाया गया है जिनके द्वारा इतिहास का क्रम और घटनाओं का महत्त्व सरलता से उनकी समझ में आ जाय।

इतिहास केवल घटनाओं और तिथियों का समूह मात्र नहीं है, किन्तु उनके पीछे से प्रवाहित होनेवाली किसी देश के जीवन की धारा है। इस धारा को पहचानना और उसकी अभिव्यक्ति करना ही इतिहासकार का काम है। किसी देश के इतिहास की आत्मा को पहचानने के लिये उसकी परम्परा और आतीय संस्कारों से परिचय आवश्यक है। यह देश के साहित्य की धनिष्ठ जानकारी के बिना संभव नहीं। इसके लिये देशीय अथवा राष्ट्रीय दृष्टि की भी अपेक्षा है। विदेशी दृष्टि और उसके अनुकरण पर किसी देश का वास्तविक इतिहास नहीं लिखा जा सकता। अभी तक भारतीय इतिहास पर विदेशी दृष्टि और पद्धति का बहुत गहरा आरोप है। सच्चे भारतीय इतिहास के प्रणयन के लिये इससे मुक्ति अनिवार्य है।

परन्तु राष्ट्रीय दृष्टि का यह अर्थ कदापि नहीं कि अपने देश की दुर्बलताओं पर पर्दा चाल दिया जाय और अपनी खेरी प्रशंसा की जाय । अपनी दुर्बलताओं को जानना, अपना आत्म-परीक्षण और उसके आधार पर अपने मावी पय के लिये सक्रिय राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा है । किन्तु दुर्बलताओं के साथ साथ अपने देश की जीवनी शक्ति का अनुसन्धान और उसके उद्बोधन उसकी और भी बड़ी सेवा है । भावना के क्षेत्र में इतिहास का यही महत्वपूर्ण कार्य है । यदि इस पुस्तक द्वारा इस दिशा में विद्यार्थियों और सामान्य विद्यार्थियों को बोझ भी खाम हुआ तो वह सफल समझी जावेगी ।

इस पुस्तक के प्रणयन में डॉ० विशुभानन्द पाठक तथा श्री कन्हैया-शरण पाण्डेय से समय-समय पर विशेष सहायता मिली, जिसके लिये मैं उनका आभारी हूँ । इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित करने के लिये श्रीलम्बा विद्यामण, धाराणसी का भी आभार मानता हूँ ।

काशी
गंगादशहरा, सं० २०२०

राजबली, पाण्डेय

विषय-सूची

पृ०

प्रस्तावना

१ अध्याय : देश और निवासी		१
१. देश का नाम		१
२. स्थिति, विस्तार और सीमा		१
३. प्राकृतिक व्यवस्था		२
४. निवासी		३
५. भारत की भौतिक एकता		७
२ अध्याय : भारत की आदिम सम्यता		६
१. पूर्ब पाषाण-काल		९
२. उत्तर पाषाण-काल		१०
३. वातुकाल		१२
४. सिन्धु-घाटी की सम्यता		१२
३ अध्याय : आर्यों का उदय : वैदिक सम्यता		१६
१. आर्यों की आदि भूमि और उनका विस्तार		१६
२. वैदिक सम्यता और संस्कृति		२१
४ अध्याय : उत्तर वैदिक सम्यता		२७
१. राजनीतिक जीवन में परिवर्तन		२७
२. सामाजिक जीवन		२८
३. धार्मिक जीवन		२९
४. साहित्य, विद्या और शिक्षा		३०
५ अध्याय : धार्मिक आन्दोलन: महाधीर और बुद्ध		३१
१. महाधीर और जैन धर्म		३१
२. बुद्ध और बौद्ध धर्म		३३
३. जैन, बौद्ध और वैदिक धर्म का परस्पर सम्बन्ध		३८
६ अध्याय : बुद्धकालीन राजनीति और समाज		४०
१. राजनीति		४०
२. सामाजिक व्यवस्था		४४

२१ अध्याय : दिल्ली सल्तनत का पतन	पृ०	
१. सैयद-वंश	१९९	१६६
२. सोदी-वंश	२०१	
३. बिस्मी सल्तनत का विघटन	२०६	
४. प्रांतीय मुस्लिम राज्यों की स्थापना	२०९	
२२ अध्याय : हिन्दू-राज्यों का संघर्ष और पुनरुत्थान		२१४
१. हिमाचल प्रदेश	२१५	
२. राजस्थान और विन्ध्य-मेखला	२१५	
३. विजयनगर का साम्राज्य	२१६	
२३ अध्याय : मध्यकालीन समाज और संस्कृति		२२२
१. राजनीति	२२२	
२. भारतीय समाज की रचना	२२४	
३. धार्मिक अवस्था	२२६	
४. मध्ययुग के सन्त और महारंभा	२२८	
५. भाषा और साहित्य	२३२	
६. कला	२३४	
७. धार्मिक अवस्था और जनजीवन	२३८	
२४ अध्याय : मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसे पर महारंभा		२४१
१. बाबर	२४२	
२. हुमायूँ	२४९	
२५ अध्याय : पठानराजि का पुनरावर्तन : सूर-वंश		२५१
१. शेर शाह	२५३	
२. शेर शाह के वंशज और सूर-वंश का पतन	२५८	
२६ अध्याय : मुगल-साम्राज्य का निर्माण और संगठन		२५६
१. मुगलों का पुनरावर्तन	२५९	
२. अकबर	२६०	
२७ अध्याय : मुगल-साम्राज्य का उत्कर्ष		२७१
१. जहाँगीर	२७२	
२. शाहजहाँ	२७४	
२८ अध्याय : मुगल-साम्राज्य की पराकाष्ठा और हास		२७८
१. औरंगजेब	२७८	

		५०
२. औरंगजेब के संस्रम और मुगल- साम्राज्य का पतन		२८१
३. नादिर शाह का आक्रमण		२८३
२९ अध्याय : राष्ट्रीय शक्तियों का उदय और मुगल-साम्राज्य से उनका संघर्ष		२८५
१. बार्दों का उदय		२८५
२. सतनामियों का बिद्रोह		२८६
३. सिक्खों की राजनीतिक शक्ति का विकास		२८६
४. राजस्थान में राजपूत-शक्ति का उदय		२८९
५. मराठा-शक्ति का उदय		२८९
३० अध्याय : उच्च मध्यकालीन सम्यता और संरूपति		२९७
१. राजनीति		२९७
२. समाज		२९९
३. धार्मिक जीवन		३००
४. भाषा और साहित्य		३०२
५. कला		३०३
६. धार्मिक जीवन		३०८
३१ अध्याय : आधुनिक युग का उदय : युरोपीय जातियों का आगमन : अंग्रेजी सत्ता का उदय		३११
१. पुर्तगाली		३१२
२. डच		३१४
३. अंग्रेज		३१४
४. फ्रांसीसी		३१५
५. अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध		३१६
६. अंग्रेजों की सफलता के कारण		३१७
३२ अध्याय : बंगाल की नवाबी का पतन और अंग्रेजी सत्ता की स्थापना		३१८
१. बंगाल की तत्कालीन स्थिति		३१८
२. सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से संघर्ष		३१९
३. सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की दूटनीति		३२०
४. प्लासी का युद्ध		३२१
५. नवाबों की दुर्दशा		३२३

		पृ०
	६. मीर कासिम	३२४
	७. झाड़व की सफाई	३२६
३३ अध्याय : अंग्रेजी सत्ता का विस्तार		३२८
	१. व्यवस्था से गठबन्धन	३२८
	२. खेसा युद्ध	३२९
	३. अंग्रेजों का मराठों से संघर्ष	३३०
	४. हैदरअली से संघर्ष	३३२
	५. बारेग हेस्टिग्स का भेदचिह्न और व्यवस्था की वेगनों के प्रति दुर्भावहार	३३३
	६. सार्ज कार्न बालिष्ठ	३३४
	७. सर जान खोर की नीति	३३६
३४ अध्याय : अंग्रेजी प्रभुता की स्थापना : भारतीय राज्यों का पतन		३३७
	१. स्थिति	३३७
	२. सहामक संधि की प्रथा	३३७
	३. बेसेजनों की मराठा नीति	३४१
	४. गोरकों से संघर्ष	३४८
	५. पिढारियों और पठानों का बर्तन.	३४९
३५ अध्याय : कम्पनी की सीमान्त नीति : स्वतंत्रों की सफाई और साम्राज्य का प्रकीर्ण		३५१
	१. भाषा	३५१
	२. सार्ज एमहर्स्ट और प्रथम बरमा-युद्ध	३५१
	३. द्वितीय बरमा युद्ध	३५२
	४. अफगानिस्तान पर सफाई	३५३
	५. सिन्ध की हड़य	३५६
	६. सिन्धु शक्ति का उदय और उससे अंग्रेजों का संघर्ष	३५७
	७. पंजाब की सफाई : पुनर्जागतिक का सिद्धान्त	३६२
	८. उमरौली का शासन-मुधार : साम्राज्य की पुष्टि	३६३
३६ अध्याय : कम्पनी के समय में शासन-व्यवस्था		३६४
	१. प्रशासन	३६४
	२. मात	३६६

३. म्याग	३६७
४. सामाजिक सुधार	३६८
५. शिक्षा	३६९
६. समाचार-पत्र	३७०

३७ अध्याय : राष्ट्रीय विप्लव ३७१

१. विप्लव के कारण	३७१
२. विप्लव की तैयारी	३७३
३. विप्लव की घटनायें	३७३
४. विप्लव की असफलता के कारण	३७७
५. विप्लव के परिणाम	३७८

३८ अध्याय : संविधानिक विकास ३८०

१. पास्यमिंट का अधिकार	३८०
२. इंडिया कौंसिल ऐक्ट (१८६१)	३८०
३. इण्डिया कौंसिल ऐक्ट (१८६२)	३८०
४. मार्ने-मिण्टो सुधार (१९०९)	३८१
५. माण्टेस्यू-बेन्सफोर्ड सुधार (१९१९)	३८२
६. संघ सासम-विधान (१९३५)	३८३
७. भारतीय स्वतंत्रता का विधान	३८६

३९ अध्याय : स्थानीय स्वराज्य का विकास ३८४

१. प्रारम्भिक	३९४
२. साई रिपन द्वारा विस्तार	३९४
३. १९१८ से १९३५ तक विकास	३९५
४. स्थानीय स्वराज्य की विविधता	३९५
५. कर्तव्य और अधिकार	३९६
६. ग्राम पंचायतें	३९७

४० अध्याय : शैक्षणिक और साहित्यिक प्रगति ३९९

१. शिक्षा-सम्बन्धी प्रगति	३९९
२. साहित्यिक परिचय	४०६
३. कलात्मक पुनर्जागरण	४१४

४१ अध्याय : सामाजिक और आर्थिक भ्रमस्था ४१८

१. सामाजिक प्रगति	४१८
-------------------	-----





१ अध्याय

देश और निवासी

१. देश का नाम

जिस देश में हम बसते हैं उसका पुराना नाम भारतवर्ष है। यह नाम पहले के कई कारण बतलाये जाते हैं। एक परम्परा के अनुसार पौरव-वंशी राजा दुष्यन्त और पाकुन्तला के पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम पर यह देश भारतवर्ष कहलाया। दूसरी पौराणिक कथाति और जैन साहित्य में यह पाया जाता है कि भगवान् ऋषभदेव के बड़े पुत्र महायोगी, सपत्नी और गुणवान् भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इन दोनों परम्पराओं में एक दोष जान पड़ता है। नगरों और प्रान्तों के नाम व्यक्तियों के ऊपर रखे पाये जाते हैं, परन्तु देशों के नाम प्रायः जातियों के नाम पर पड़ते रहे हैं। अधिक सच तो यह जान पड़ता है कि भरत के बंदाओं की प्राचीन भरत जाति ने ही यह नाम देश को दिया। राजनीति, धर्म, विद्या और संस्कृति में भरत जाति आर्यों में अग्रणी थी। उसके विस्तार और प्रभाव से सारा देश भारतवर्ष अथवा 'भरतों का देश' कहलाया। यहाँ तक कि देश की विद्या और कला का नाम भी भारतीय पड़ा। जब यूनानी इस देश के सम्पर्क में आये तब उन्होंने सिन्धु नदी के पास के प्रदेशों को इण्डिया नाम दिया, जिसका प्रयोग युरोपीय लोगों ने सारे देश के किये किया। भारतवर्ष में यह नाम प्रचलित न हो सका। ईरानियों ने सिन्धु के पास के प्रान्तों में बसनेवालों को हिन्दू और उनके देश को हिन्दुस्तान नाम दिया। पीछे ईरानी भाषा से प्रभावित और जातियों ने सारे देश को हिन्दुतान कहा। ये दोनों विदेशी नाम राजनीति के कारण चलते रहे, परन्तु देश के सामाजिक जीवन में भारतवर्ष नाम आज तक सर्वप्रिय रहा है और स्वतंत्र भारत ने विधानसभः अपना यही राष्ट्रीय नाम ग्रहण किया है।

२. स्थिति, विस्तार और सीमा

भारतवर्ष ० और ३० अक्षांश उत्तरी तथा ६२ और ९८ देशान्तर पूर्वी में स्थित है। यह दक्षिणी पक्षिया के बीच में समुद्र में घुसता हुआ थका गया है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में भारत महासागर और पश्चिम में

काठियावाड़ से लेकर आसाम तक फैला हुआ है। उसमें पड़े भूभाग पर फैलने के कारण, इसमें विविध प्रकार के जलधाम, वनस्पति, जीव-जन्तु और मानव आतिथी पायी जाती हैं। इस विविधता ने देश के जीवन और इतिहास को बहुत दूर तक प्रभावित किया है।

१. प्राकृतिक अवस्था

सोटे तीर पर भारतवर्ष को हम नीचे दिये भागों में बाँट सकते हैं—(१) हिमालय और उसका सिलसिला, (२) उत्तर भारत के मैदान, (३) सिन्धु और राजस्थान के मरुस्थल, (४) विन्ध्य-मेखला, (५) इण्डिया का पठार, (६) समुद्र-तट के तंग और उपजाऊ मैदान और (७) भारत महासागर और उसके द्वीप।

(१) हिमालय और उसकी शृंखला—देश के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक लगभग दो हजार मील ऊँचाई में हिमालय और उसका सिलसिला फैला हुआ है। इस ऊँचे पर्वत ने देश के सारे जीवन को प्रभावित किया है। यह उत्तर से आनेवाली ठंडी हवा को रोकता है और समुद्र से उठनेवाली मानसून को उत्तर आने से रोक करके देश में पानी भरसा कर उसको उपजाऊ बनाता है। इसकी हिमराशि से उत्तर भारत की बड़ी-बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जिन्होंने उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किया है और उनको उपजाऊ और धनी बनाया है। अपना ऊँचा शिर उठाये हिमालय उत्तर से संतरी का काम करता है। इसीलिए उत्तर से इस देश पर कोई बड़ा सैनिक आक्रमण नहीं हुआ है। हिमालय की कन्दराओं के एकान्त और प्राकृतिक सौम्य ने देश के साहित्यिक और सांस्कृतिक जीवन पर छाप डाली है। हिमालय की ऊँचाई के सामने मनुष्य का अहंकार झुक जाता है। यहाँ के चिन्तकों ने हिमालय की गुफाओं में बैठ कर जीवन की गम्भीर समस्याओं पर विचार किया है। पुराणों के इलायत और काण्डिदास के सिद्ध तथा पार्वती की विहार-भूमि को हिमालय ने ही बरामद किया था। आज भी एकान्त-प्रेमी और आत्म के खोजी लोग हिमालय से आकृष्ट होते हैं। पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर में हिमालय की ऊँचाई कम हो गयी है। पश्चिमोत्तर में नदियों ने उसके काट कर रास्ता बना लिया है। इन्हीं रास्तों से भारत का मध्य और पश्चिमी एशिया तथा यूरोप से सम्पर्क रहता था। पूर्वोत्तर में रास्ते कम हैं। फिर भी बहुत पुराने समय से पीछी किरात आतिथी धीरे-धीरे इधर से इस देश में आती रही हैं। इस तरह हिमालय ने बाहरी आक्रमण और प्रभाव से देश की रक्षा करके हुए भी इसको बाहरी सम्पर्क के लोभ से वंचित नहीं किया।

(२) उत्तर भारत के मैदान—हिमालय की तकहटी और विन्ध्याचल के बीच में उत्तर भारत के मैदान स्थित हैं। इनके तीन भाग किये जा सकते हैं—(फ) गंगा की घाटी, (ख) सिन्धु की घाटी और (ग) ब्रह्मपुत्र की घाटी। ये मैदान इन्हीं नदियों की देन हैं। ये इन्हीं की छापी मिट्टी से बने हैं, इन्हीं से सींचे जाते हैं और इन्हीं ने ही बहुत पुराने समय से इन मैदानों में आने-जाने के मार्गों को निर्धारित किया है। इन मैदानों में पहले-पहल समय जीवन का उदय हुआ। यहाँ के निवासियों ने न केवल अपनी आर्थिक उन्नति की, किन्तु छोड़े परिश्रम से अपनी जीविका कमाकर शेष समय में विज्ञान और साधना के द्वारा साहित्य, कला, धर्म, दर्शन और विज्ञान को भी जन्म दिया। परन्तु जहाँ उत्तर भारत के मैदानों का उपजाऊपन यहाँ की समृद्धि का कारण था वहाँ वह मध्य एशिया की सूखी और चर्वर घातियों को आक्रमण के लिये निमंत्रण भी देता था। इन मैदानों में कोई प्राकृतिक रुकावट न होने के कारण आक्रमणकारी आसानी से उत्तर भारत पर घाँस फैल जाते थे।

(३) सिन्ध और राजस्थान के मरुस्थल—सिन्धु की घाटी का निचला भाग प्रायः मरु है। बहुत पुराने समय में यह दरा-भरा प्रदेश था, परन्तु वर्षा की पेटियों के बहने और सिस्तान और ईरान के रेगिस्तानों के प्रभाव से यह क्रमशः मरुस्थल होता गया। राजस्थान का अधिकांश एक समय समुद्र था। उसके सूख जाने पर उसका पेटा रेगिस्तान के रूप में निकल आया। इन रेगिस्तानों ने योलान दर्रे से चढ़ाई करनेवाली जातियों को पूर्व की ओर बढ़ने से रोका और और दर्रे से आनेवाली जातियों को दो धाराओं में बाँट दिया। एक धारा दक्षिण-पूर्व में आकर सीधे पूर्व चली जाती थी और दूसरी सिन्धु के सहारे सिन्धु होते हुए मुरात्र और फिर दक्षिण में चली जाती थी। पाहरी आक्रमणों से बच कर मध्य-युग में कई राजवंशों ने राजस्थान में धरम ली और नये राजवंशों की स्थापना करके प्राचीन भारतीय जीवन और संस्कृति को रचा की।

(४) विन्ध्य-मेखला—भारत के बीचोबीच खंभात की खाड़ी से लेकर पंगाल की खाड़ी तक पहाड़ों का सिलसिला चला गया है। जिस तरह हिमालय भारत को एशिया के और देशों से अलग करता है उसी तरह, कम पैमाने पर, विन्ध्याचल दक्षिण भारत को उत्तर से विभक्त करता है। हिमालय की तरह यह भी पश्चिम और पूर्व की ओर झुक गया है। इन छोरों की ओर रास्ते पन गये हैं, जिससे होकर उत्तर-दक्षिण के बीच जाना-जाना और सम्पर्क उत्पन्न हुआ। इसके कारण उत्तर-दक्षिण में प्राकृतिक भेद होते हुए भी जीवन में समता और समन्वय स्थापित हुए। विन्ध्य के अंचलों में अमरकंटक, महा-

कान्तार और साइलण्ड के बंगाली भाग हैं जहाँ जंगली और जड़सम्प आतिथों बसती हैं, जो उत्तर और दक्षिण के सम्पर्क से धीरे-धीरे सम्प समाप्त में मिलती जाती हैं।

(५) दक्षिण का पठार—विश्व्याचक के दक्षिण और पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों के बीच दक्षिण का पठार स्थित है। इसमें छोटी-छोटी पहाड़ियों के होते हुए भी काफी समतल भूमि है जिसमें मनुष्य के बसने, बसेली करने तथा आने-जाने के लिए सुविधायें हैं। यहाँ की भूमि बालासुखी के उद्धार से निकली हुई राख और ढावा से बनी है और इसलिये उपजाऊ भी है। बहुत पुराने समय में यहाँ पर मनुष्यों के उपनिवेश बस गये थे और उत्तर भारत से आकर आर्यों ने अपने राज्य भी स्थापित कर किये थे।

(६) पश्चिमी और पूर्वी घाट—दक्षिण के पठार के पश्चिम और पूर्व में पहाड़ों की दो शृङ्खलाएँ उत्तर से दक्षिण की ओर खड़ी गयी हैं, जिनको अब पश्चिम और पूर्वी घाट कहते हैं। पहाड़ के ये दो सिरकसिसे मैसूर के दक्षिण में जाकर मिलते हैं, और इनकी संगम-भूमि को मलय पर्वत कहते हैं। इसके दक्षिण में सुदूर-दक्षिण के प्रदेश हैं, जिसमें त्रिबिड भयवा तामिलनाडु सबसे प्रसिद्ध है। दक्षिण की प्रायः सभी गदियों दक्षिण के पश्चिमी घाट से निकलती हैं, और पठार को सींचती हुई पूर्वी घाट को काटकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में मनुष्य को अपनी जीविका के विवाह के लिए कदा परिश्रम करना पड़ता है, इसलिये यहाँ मनुष्य का स्वभाव युद्ध-प्रिय है। यही कारण है कि बहुत प्राचीन काल में कई युद्धप्रिय राजवंश पश्चिमी घाट के प्रदेशों में उत्पन्न हुए। पश्चिमी घाट में अपनी पहाड़ी स्थिति और पर्वत-शृङ्खल के कारण बहुत दिनों तक विदेशी आक्रमणों को रोका। मुसलमानों और अंग्रेजों का आधिपत्य यहाँ सबसे पीछे स्थापित हुआ।

यहाँ तक सुदूर दक्षिण का प्रस है, प्रकृति ने इसे कई छोटे-छोटे भागों में बाँट दिया है। इसीलिये यहाँ विभिन्न प्रकार की आतिथों, भाषाएँ और रीति-रिवाज पाये जाते हैं। यही कारण है कि आतिथों का सबसे अधिक रूप इसी प्रदेश में मिलता है और भारतीय इतिहास में इस प्रदेश के छोटे-छोटे टुकड़े बराबर अलग रहने का प्रयास करते जाये हैं।

(७) समुद्र तट के तंग और उपजाऊ मैदान—पश्चिमी घाट और पश्चिमी सागर के बीच एक तंग समुद्र का किनारा उत्तर में कोकण में केन्द्र दक्षिण में केरल तक चला गया है। पश्चिम सागर से उठनेवाली मानसून यहाँ बहुत अधिक पानी बरसाती है, इसलिये यह किनारा उत्पन्न दरा-भरा है। यद्यपि इसमें अल्पे प्राकृतिक बन्दरगाह बहुत कम हैं, फिर भी यहाँ के समुद्र-

सटों के नगरों से पश्चिमी एशिया, अफ्रिका और भूमध्यसागरीय प्रदेशों से सम्पर्क होता रहा है। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का प्रदेश पश्चिमी समुद्र से अधिक चौड़ा और समतल है यहाँ पानी भी पर्याप्त बरसता है, इसलिये यह खेती और वसने के लिये उपयुक्त भी है। पुराने समय में उत्तर भारत से उड़ीसा होते हुए यहाँ आने का मार्ग था और कलिंग, आन्ध्र और द्रविड राज्य यहाँ स्थापित थे।


(८) लंका—यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से लंका भारत से आच्छन्न अलग है, फिर भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से यह भारत का ही एक अंग है। वास्तव में सुदूर-दक्षिण की भूमि समुद्र में घुसती हुई लंका तक चली जाती है, यद्यपि बीच में उसकी तरह मोची हो जाने के कारण एक उपला समुद्री भाग बीच में आ गया है। लंका और भारत के बीच में बराबर अनिष्ट सम्बन्ध रहा है। लंका की जातियाँ, यहाँ की भाषायें, सामाजिक रीति-रिवाज और धार्मिक विश्वास और संस्थाएँ भारत से मिलती-जुलती हैं।

(९) समुद्र—भारत का पश्चिमी भाग, दक्षिणी छोर और पूर्वी भाग भारत महासागर से घिरे हुए हैं। भारत महासागर भारत को न केवल दूसरे देशों से अलग करता है, परन्तु उसको एशिया, दक्षिणी पूर्वी युरोप, अफ्रिका, हिन्दचीन और पूर्वी द्वीप-समूह से मिलाता भी है। दक्षिणी एशिया के बीच में होने के कारण भारत इसी समुद्र के द्वारा व्यापार तथा राजनीतिक और सांस्कृतिक धाराओं का बहुत प्राचीन काळ से केन्द्र रहा है।

४. निवासी

(अ) प्रजातियाँ—विषाक देश होने के कारण भारतवर्ष कई भौगोलिक भागों में बँटा हुआ है, जो अलग-अलग में एक दूसरे से भिन्न हैं। इसी कारण बहुत पुराने समय में भारत में कई प्रजातीय भूमियाँ बन गयीं। भारत की सबसे पुरानी प्रजातीय भूमि उत्तर भारत में आर्यावर्त या, जहाँ पर आर्य प्रजाति का उद्भव और विकास हुआ। इसके उत्तर में हिमालय के उपरले भागों में किरात प्रजाति का मूल स्थान है। आर्यावर्त के दक्षिण विन्ध्य-मेखला में कई अंगली और पर्वतीय प्रजातियाँ बसती थी, जिनके मोटे तौर पर शबर-पुलिन्द कहा जा सकता है। विन्ध्य के दक्षिण में प्राचीन काल में कई प्रजातियाँ रहती थी, जिनके नाम पुराणों और महाकाव्यों में धानर, अश्व, राक्षस आदि पाए जाते हैं। इन प्रजातियों के साथ उत्तर भारत और विन्ध्य-मेखला में बहुत प्रजातियाँ आकर मिल गयीं। इन मिश्रित प्रजातियों का आपुनिक सामूहिक नाम द्रविड है। भारत की सभ्य प्रजातियों का विस्तार

मिश्रण, राजनीतिक युद्ध, उपनिवेश; व्यापार तथा सामाजिक और धार्मिक सम्पर्क से बराबर होता आया है, इसलिये यद्यपि मूल प्रजातीय भूमियों में मूल जातियों की प्रधानता है, फिर भी भारत की जातियों में परस्पर मिश्रण बहुत हुआ है। भारत की मूल प्रजातियों में कुछ बाहर के लोग भी आकर मिक गये, जिनमें ईरानी, यूसानी, सक्, कुषण, हूण, अरब, तुर्क और बहुत कम



संवर



पिरास (मिंगोट)



प्रस्त



प्रस्त

संख्या में युरोपीय प्रजातियाँ सम्मिलित हैं। अरबों के पहिले जो जातियाँ देश में बाहर से आयीं वे भारतीय समाज में पूर्णतया घुल-मिल गयीं। अरब और तुर्क, परबर्ती मुस्लिम जातियाँ धार्मिक और राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता से नहीं मिल सकीं, यद्यपि साथ चलने के कारण भारतीय समाज में प्रभावित हुई और भारतीय समाज पर इन्होंने भी अपना प्रभाव डाला। भारतीय इतिहास के निर्माण में इन सभी जातियों का हाथ है।

भारतीयों की धार्मिक भावनाओं भारत के सात कुलपर्वत, सात पवित्र पुरिषों तथा चारों घाम, सारे भारतवर्ष के ऊपर फैले हुए हैं। उदाहरण के लिए घामों में पश्चिकाश्रम हिमाचल के अंचल में, रामेश्वरम् भारत और छंका के बीच में, द्वारका पश्चिमी समुद्र तट पर और अगच्छापपुरी पूर्वी समुद्र-तट पर स्थित हैं। ये चारों घाम सभी भारतीयों के लिये समान रूप से पवित्र और दर्शनीय हैं। भारतभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया है—'जमनी जम्भभूमिश्च स्वर्गादपि शरीयसी।' विष्णुपुराण ने भारतभूमि की प्रशंसा इन शब्दों में है :

‘गायन्ति देवाः किल गीतकानि जम्मास्तु ये भारतभूमिभजो ।

स्वर्गापिर्वास्वर्गैस्तुभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥’

[देवता यह गान करते हैं कि भारत में रहनेवाले धर्म्य हैं। स्वर्ग तथा मोक्ष के कारणभूत इस भारत में, पुरुषों को देवत्व से पुनः मानव रूप में अवतारित होना पड़ता है।]

भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकता का भी अभाव नहीं रहा है। बहुत प्राचीनकाल से भारतीयों का यह राजनीतिक आदर्श रहा है कि सारा देश एकछत्र के आसन में रखा जाय। ब्राह्मण साहित्य में तथा पुराणों में कई एक ऋषिर्षी राजाओं और सम्राटों के वृत्तान्त पाये जाते हैं; जो सारे देश के ऊपर आधिपत्य स्थापित करके अक्षमेघ, राजसूय और बाजपेय आदि यज्ञ करते थे। ऋषिर्षी सतम्बरी ई० पू० के बाद भी मन्व, मौर्य, शुङ्ग, आश्व, गुप्त, और पुष्यभूति आदि यज्ञों ने भारत में बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित किये। मध्य और आधुनिक युग में भी प्रतिहार, गहरवार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और पाण्ड्यवंश के बहुत बड़े-बड़े राज्य स्थापित हुए।

भारतवर्ष में भौगोलिक और राजनीतिक एकता से कहीं अधिक गम्भीर और स्थायी सांस्कृतिक एकता है। भारत की सामाजिक व्यवस्था में वर्ण और जाति का आधार प्रायः सब स्थानों में पाया जाता है। सभी प्राणियों में कुछ स्थानीय भेद होते हुए भी सामाजिक रीति-रिवाज प्रायः एक तरह के मिलते हैं। धार्मिक जीवन और दार्शनिक विचारों में भी बहुत साम्य है। भाषा और साहित्य भारत को एक सूत्र में बाँधने के लिए बहुत बड़े साधन रहे हैं। संस्कृत, पाकि एवं प्राकृत सारे देश में लगभग समान रूप से भावर पाठी थीं। वेद, रामायण, महाभारत तथा दूसरे महाकाव्य, नाटक और कथासाहित्य सारे देश की समान रूप से सम्पत्ति हैं। साहित्य और कला के आदर्श भी प्रायः समान ही हैं। भवन निर्माण-कला, मूर्ति-कला, चित्रकला, संगीत और रंगमंच इन सभी में भारतवर्ष की भौतिक एकता स्पष्ट दिखायी पड़ती है।

२ अध्याय

भारत की आदिम सभ्यता

भारतवर्ष संसार के उन देशों में से है, जहाँ पर पहलेपहल मानव जातियों का उदय हुआ। ये मानव जातियाँ पहले पशुओं की तरह अपना जीवन बिताती थीं। उनको अच्छी तरह सम्य होने में बहुत लम्बा समय बीता। उनके विकास के कई काल थे। इन कालों का नाम मनुष्यों के भौतिक साधनों के ऊपर रखा गया है। जिस काल में जिस वस्तु के हथियार और औजार मनुष्य बनाता था, उन्हीं के आधार पर कालों का भी नामकरण किया गया है। मोटे तौर पर इन कालों को पूर्ण पाषाण-काल, उत्तर पाषाण-काल और धातु-काल कहा जा सकता है।

१. पूर्ण पाषाण-काल

पूर्ण पाषाण-काल में मनुष्य जंगली पशुओं के समान रहता था और उन्हीं के साथ संघर्ष में अपना जीवन बिताता था। उन पशुओं से अपनी रक्षा करने और कुछ सामान-पशुओं के सामान इकट्ठा करने तथा उनको सामे योग्य बनाने के लिए पत्थर के टुकड़ों को तोड़-फोड़कर मनुष्य ने कुल्हाड़ी, तीर, भाँसे तथा काटे, लोचने, फेंकने, छेद करने, छूटने और खींचने के बहुत से हथियार तथा औजार बनाये। इस काल के मनुष्यों को अपना घर बनाना नहीं आता था, इसलिये उन्हींमें गर्मी, सर्पों और ठण्डक से अपनी रक्षा करने के लिए पहाड़ों की गुफाओं और मटियों या झीलों के छोटे झुपेदारों में शरण ली।


मनुष्य जंगल के फल और मूछ इकट्ठा करके तथा जानवरों का शिकार करके अपना निर्वाह करता था। शायद आग का उपयोग उसे मालूम न था, इसलिये भोजन के सामान को वह कच्चा ही खा जाता था। असम्य होने से भी मनुष्य में कुछ सामाजिक भाव उत्पन्न होने लगे। वह छोटे-छोटे समूहों में रहता था और लज्जा उत्पन्न होने पर अपने गुहाओं को पत्तों और पेड़ों की छाल से बसने बन्दना शुरू किया। ऐसा जान पड़ता है कि यद्यपि मनुष्य भौतिक दृष्टियों से दरता अवस्था था, किन्तु उसमें धर्म की भावना उत्पन्न नहीं हुई थी। वह अपने मुँह को जंगलों या गुहों में बँसानों में छुँद देता था, जिनको जंगली जानवर खा जाते थे या वे अपने भाव सङ्गठन जाते थे।

२. उत्तर पाषाण-काल

पूर्व पाषाण-काल में बहुत लम्बा समय बिताने के बाद मनुष्य ने घीरे-भीरे अपनी स्मृति, अनुभव और परम्परा से काम उठाते हुए सम्य जीवन में प्रवेश किया और मानव विकास का उत्तर पाषाण-काल शुरू हुआ। यद्यपि इस युग में भी मनुष्य पत्थर के ही हथियारों और औजारों से काम लेता था, फिर भी पहले की अपेक्षा वे अधिक सुन्दर बनने लगे और उनकी संख्या और प्रकार



पाषाण-काल के हथियार और औजार



पाषाण कालीन हथियार

धातु कालीन हथियार

भी बढ़ गये। मनुष्य ने इसी युग में सम्पत्ता की सज्जत जीव शरी। उसने अपना घर भाप बनाया शुरू किया। महति की बनायी हुई कन्दराओं और क्लारों को तोड़कर अपने हाथ से उमने लकड़ी की छदियों, पूस और मिट्टी तथा पत्थर के टुकड़ों से शोषकियाँ बनायीं। मनुष्य के उद्योग-धर्मों में भी विकास हुआ। फल और मूछ इकट्ठा करने में सन्तुष्ट भं होकर उसने पहाडपाकन और

लेती करना भी शुरू किया। पशुओं को एक चार मार डालने के बड़े, मनुष्य ने उनको पालना, उनका दूध पीना और उनसे काम लेना सीखा। जंगल को कहीं-कहीं साफ करके उसने अपना पैदा करना भी प्रारम्भ किया। इन दोनों व्यवसायों के ललाचे बढ़े, पत्थरकट, कुम्हार, बुनकर, रंगरेज आदि के पेशे भी इसी समय शुरू हुए। जंगलों में किसकी गिरने या पेड़ की टहनियों की रगड़ के कारण आग लग जाने से मनुष्य को कभी-कभी मुना हुआ मांस मिल जाता था। उसको पके हुए भोजन का स्वाद लग गया और उसने भोजन पकाने की कला भी सीखी। पूर्व पाषाण-काल में पत्थे और काल से ही मनुष्य अपना शरीर इकट्ठा था, उत्तर पाषाण-काल में कपास का पता उसे लगा गया था और उसने कपास बुना, सूत काटना, और कपड़े धुना और रंगना भी सीख लिया। कपड़े धोके और दो-तीन टुकड़ों में ही पहिने जाते थे। बाल सँवारने और शरीर का शृंगार करना भी लोगों ने सीखा। पत्थर, कौड़ी, सीप, हड्डी, मृत्त आदि के बने हुए आभूषण भी लोग धारण करने लगे।

यहाँ मनुष्य ने अपने भौतिक जीवन में विकास किया, यहाँ सामाजिक और मानसिक जीवन में भी उन्नति हुई। भौगोलिक कारणों से मैदान, जंगल, मरु, पर्वत और समुद्र-तट पर अलग-अलग जातियों का संगठन हुआ। ये जातियाँ आपस में तो संगठित और एकत्र हो गईं, परन्तु रीति-रिवाज और रहन-सहन में दूसरी जातियों से भिन्न होती थीं। पशुपालन और लेती के धर्मों ने मनुष्य को बड़े-बड़े परिवारों में रहने को विवश किया। इससे पति, पत्नी, मातापिता, भाई-बहन आदि के सम्बन्ध भी स्थिर हुए। परिवार का सबसे योग्य और अनुभवी पुरुष परिवार का नेता होता था। कई परिवारों का एक मुखिया भी इसी युग में उत्पन्न हुआ, जिसने आगे चलकर धीरे-धीरे राजा का रूप धारण किया। ऐसा जान पड़ता है, कि इसी काल में धार्मिक भावना भी उत्पन्न हुई। मनुष्य अपनी उपमा से संसार के पदार्थों में एक जीवन्तशक्ति का अनुभव करता था, जिसको भूतयाव कहा जा सकता है। उसको ऐसा विश्वास हुआ कि शरीर के मरने, पर भी यह जीवन्त-शक्ति नष्ट नहीं होती, इसलिए उसने मरे हुए व्यक्तियों की समाधि और द्वाद-संस्कार करना भी शुरू किया। जीवन्त-शक्ति से संयुक्त पत्थर के टुकड़ों और लकड़ी के कुन्डों की पूजा भी प्रायः इसी समय प्रारम्भ हुई। जीवन में उन्नति के माप-साध मनुष्य ने पदार्थों और भावों को समझने के लिये भाषा का भी विकास किया। पत्ति, अर्थ और कष्टना के आधार पर दास्य, वासना और दास्य की रूपना होने लगी। इस तरह स्पष्ट मान्यता होता है कि जीवन के विभिन्न चरणों में

मनुष्यों ने उत्तर पाषाण-काल में काफी उन्नति कर ली थी और आगे की सभ्यता के लिये रास्ता साफ कर दिया था।

३. धातु-काल

उत्तर पाषाण-काल के आखिरी दिनों में ही मनुष्य का कुपु धातुओं से परिचय हो गया था। सबसे पहले उसे सोने का पता चला। सोने की चमक में एक बड़ा आकर्षण था। वह इसकी शोभ में इधर-उधर भटकता फिरता था। सोना केवल गहने बनाने के काम आता था, मूर्तिक जीवन के विस्तार में इससे कोई विशेष सहायता नहीं मिली। सोने के बाद उत्तर भारत में ताँब-काल और दक्षिण में लौह-काल शुरू हुआ। लौह का काल केवल सिन्ध में पाया जाता है। लौह के साथ साथ चाँदी का पता भी लगा गया था। धातुओं के आविष्कार ने मनुष्य की शक्ति और योग्यता को बढ़ाया। भूरे और कर्मशोर भीजारों और दधियारों के बड़े भव वह कड़े, पौने और स्थायी धातु के सामान बनाने लगा। एक और भी बात इसमें विलापी पड़ती है। यह उपयोगिता से ही समुद्र न रहकर सौम्य पर भी ध्यान देने लगा। इस समय के दधियारों की मुठ्ठियों पर स्वस्तिक (卐) और आस (+) बने मिलते हैं, जो सबसे पुराने धर्म और शोभा के प्रतीक हैं। इस समय के कवच के मनुने भी मिले हैं, जिनसे मान्य होता है, कि मनुष्य यंत्र-मंत्र, जादू-टोना से भी विश्वास रखता था। सब का संस्कार अक्सर बाहकिया से होता था, यद्यपि समाधि देने की प्रथा अब भी प्रचलित थी।

४. सिन्धु घाटी की प्राचीन सभ्यता

सिन्धु की मिचली घाटी में जहाँ पर आजकल दक्षिणी-पश्चिमी पंजाब और सिन्ध के अर्ध रेगिस्तानी मैदान हैं, यहाँ एक समय हरे-भरे खेत और घने नगर बसे हुए थे। हरप्पा, मोहेनजोदारो और उनके आसपास के लँडहरों के खनन से बहुत-सी वस्तुएँ इस काल की मिली हैं। इनके आधार पर हम प्राचीन सिन्धुघाटी की सभ्यता का चित्र खींच सकते हैं। यह सभ्यता काफी पुरानी है। इसका काल ई० पू० तीसरी और चौथी सहस्राब्दी माना गया है। इस बात पर बहुत मतभेद है कि इस सभ्यता के निर्माण करनेवाले कौन लोग थे। जो लोग यह मानते हैं कि भारतीय आर्य यादर से इस देश में आये थे, वे सिन्धु-घाटी की सभ्यता के निर्माताओं को द्रविड या सुमेरियन मानते हैं। परन्तु खनन से निकली हुई पूरी सामग्रियों को देखने से यह कहना कठिन हो जाता है कि यह वैदिक सभ्यता से भिन्न सभ्यता थी। बहुत समय तो यह मान पड़ता है कि इस सभ्यता के निर्माण करनेवाले आर्य अथवा आर्य-जसुर मिली हुई जाति के लोग थे।

(अ) नगर-रचना और मकान-निर्माण—हरप्पा और मोहनजोदड़ों के सभ्यताओं पर सब होनेवालों की दृष्टि को सब से पहले जो चीजें अपनी ओर आकृष्ट करती हैं, वे हैं इन स्थानों की नगर-रचना और मकान बनाने की कला। ये नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बनाये गये थे। यहाँ पर सबके सीधी और एक दूसरे को

समकोण पर काटती हुई आती हैं तथा उनके किनारे पंक्तियों में मकान बने हुए थे। मकान ईंट के बनते थे। उनकी नीचे काँची गहरी तथा चौड़ी और दीवारें मोटी बनी हुई हैं। बहुत से मकान दो-मंजिले बने थे। घरों की फर्श ईंट की बनी हुई थी और पक्की थी। इरेक मकान में सिक्की और दरवाजे छाने हुए थे। अक्सर प्रत्येक मकान में कुर्छा मिलता है और घर घर में स्नान-गृह, अभिकुण्ड, गन्दे तथा बरसात



सिन्धु घाटी की सभ्यता

के पानी निकालने के लिये मोरिचों और बूझा रखने के लिये स्थान बने हुए हैं। सिन्धु घाटी के रहनेवालों को मकानों में आराम, हवा के प्रवेश और सफाई का पूरा ध्यान था। हरप्पा और मोहनजोदड़ों के मकानों को चार मातों में बाँटा जा सकता है—(१) साधारण नागरिकों के रहने के मकान, (२) सार्वजनिक उपयोग के मकान, (३) सार्वजनिक स्नान के कुण्ड और (४) मन्दिर तथा धर्म-स्थान मोहनजोदड़ों में एक बहुत बड़ा स्नान-कुण्ड मिला है। यह चौकोर बना हुआ है और उसमें पीछे उतरने की सीढ़ियाँ हैं। इसके किनारे कमरे बने हुए थे, जो प्रायः कपड़े धुलने के काम में आते थे। कुछ विद्वानों का मत है कि यह कुण्ड मनोविनोद के लिये था, लेकिन बहुत से श्रेय यह मानते हैं, कि इसका उपयोग धार्मिक था, और पर्व के अवसरों पर लोग इसमें स्नान करते थे।

(आ) धार्मिक जीवन—सिन्धु घाटी की फलती-फूलती सभ्यता का धार्मिक आधार काफी पक्का था। इन नगरों के पीछे के मैदानों में खेती होती थी, लोग पशु-पालन करते थे, और कई तरह के उद्योग चले भी चलते थे।

सुदाई के बबसर पर गोहूँ और ली के नमूने कोयले के रूप में मिले हैं। फलों में खजूर, जो आम भी सिन्ध में पाया जाता है, यहाँ का मुख्य फल था। बहुत से जानवरों के अस्थिपंजर भी हड्डियों के टुकड़े सुदाई के समय मिले थे। इनसे मात्स्य होता है कि गाय, बैल, भैंस, भेड़, हाथी, ऊँट, जेबरा, सूअर, मुर्गावियाँ आदि पाले जाते थे। घोड़ों और कुत्तों की हड्डियाँ भी यहाँ पायी गयी हैं। हरिण और मेबले आदि बंगली जानवरों की हड्डियाँ भी सुदाई में मिली हैं। खेती और पशुपालन के साथ-साथ इनसे सम्बन्ध रखनेवाले कई एक व्यवसाय यहाँ उत्पन्न हो गये थे। कपास से कपड़ा बुनने का काम लोग अच्छी तरह जानते थे। लज्ज में कपड़े के टुकड़े भी कोयले की तरह में पाये गये थे। सिन्ध आज भी कपास के लिए भारत में प्रसिद्ध है। घास, पत्थर और लकड़ी के गहने भी बनाये जाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में लोग काफी गिणुग थे।

(इ) सामाजिक जीवन—इन नगरों के निर्माण से यह भी मात्स्य होता है, कि यहाँ के निवासी बुद्धनवारी और व्यापार का काम भी जानते थे। नगर-निर्माण, मकानों की बनावट और मिले हुए पदार्थों से यह मात्स्य होता है, कि इन नगरों में मध्यम श्रेणी के लोग बसते थे, जिनमें न कोई बहुत धनी और न कोई बहुत दरिद्र था। इनके जीवन में समता थी और सम्भवतः इनकी शासन-प्रणाली पंचायती थी। यहाँ के भोजन में अन्न, फल, मांस, जण्डे, दूध आदि मुख्य थे। कपड़े पहनने में काफ़ी सादगी थी। ऊपर के वर्ग में शाल और चादरें काम में आती थीं। नीचे के वर्ग के सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है। आम एवता है कि पोती से मिट्टी-तुल्य कोई पोशाक पहती थी। किराँ केवा सँवारती थी और पुरुष बाकी और सूँघ रकते थे। शृंगार के समय वर्पण काम में लाया जाता था। वर्पण प्रभु के ऊपर चमकती हुई पालिश करके बनाये जाते थे। जामूयन का शौक ली और पुरुष दोनों को था। ली और पुरुष दोनों ही हार, पान्च और अँगुठियाँ पहनते थे। किराँ के बिलेय गहनों में करघनी, कान की बाँधियाँ, कड़े और पायल मुख्य थे। सभोरंजन के कई एक साधन उपलब्ध थे। एवं और दासतों के समय लोग गाना-बजावा करते थे। जूभा और चौपड़ खेलने की प्रथा उस समय प्रचलित थी। स्तंभित में गाना और बजावा तथा नाच तीनों ही विकसित थे। सार्वजनिक मकानों के पंढर से यह मात्स्य होता है कि धार्मिक और सामाजिक अबसरों पर लोग इकट्ठे होकर आयुध मगाते थे।

(ई) कला—सिन्धु घाटी के पंढरों से यह मात्स्य होता है कि मकान बनाने में मजदूरी पर अधिक ध्यान था और सजावट पर कम। परन्तु भयम-

निर्माण और दूसरी कलाओं में यहाँ के निवासियों ने काफी उन्नति की थी। मूर्ति-कला के सबसे पुराने नमूने यहाँ पाये गये हैं। मानव और पशु-मूर्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पायी गयी हैं। इनमें से कुछ शरीर की गठन और सुन्दरता के अण्डे नमूने हैं। चित्र-कला के नमूने केवल मिट्टी के वर्तन पर बनी हुई चित्रकारियों में पाये जाते हैं। घास की बनी मर्तकी की एक मूर्ति मिट्टी है, जो भाचने और गाने के लिये तैयार-सी जान पड़ती है। संगीत-कला के विकास की यह शोचक है। अमृत में इन कलाओं के साथ लेखन-कला का भी आविष्कार सिन्धु के निवासियों ने किया था। छोटे-बोटे लेखों के नमूने मुद्रा, मुहर, तापीय, लक्ष्मी, बूझी, और वर्तनों पर पाये गये हैं। लेखन-कला चित्र-लिपि से ही धीरे-धीरे सिंघार-लिपि और घर्ण-भासा की ओर चलती हुई दिखाई देती है। यह कहना कठिन है, कि यह लिपि, वायें से वायें या वायें से वायें लिखी जाती थी। सिन्धु की लेखन-कला, सुमेर, एलम और मिश्र की लिपियों से मिलती-जुलती है।

(३) धार्मिक जीवन—धार्मिक जीवन पर प्रकाश-छालनेवाली कौई लिखित सामग्री-सिन्धु घाटी में नहीं पायी गयी है। फिर भी मिट्टी और पत्थर पर बनी हुई छोटी मूर्तियाँ और मुद्रा, मुहर और लक्षियों पर बने हुए चित्र के सहारे प्राचीन समय के धार्मिक जीवन का कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मूर्तियों में, लिपियों की मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिली हैं। इससे यह अनुमान किया जाता है कि मातृ-शक्ति अथवा देवी की पूजा सिन्धु-घाटी के निवासियों में प्रचलित थी। शिव की कल्पना मूर्ति और प्रतीक दोनों रूपों में की गयी थी। मूर्त रूप में पशुपति और योगी शिव की मूर्तियाँ पायी गयी हैं। अमूर्त रूप में किंग और योगि की पूजा होती थी। देवी और शिव के अतिरिक्त बृहस्पति, पशु-पूजा, सर्प-पूजा आदि भी लोगों में प्रचलित थी। जल की पवित्रता में यहाँ के निवासियों का विश्वास था और सम्भवतः क्षत्रिपूजा और यज्ञ आदि भी वे लोग करते थे। मृतक-संस्कार उच्च पापाण-काल से अपेक्षाकृत अधिक विकसित हो चुका था। दाय का संस्कार दो प्रकार से होता था—(१) मृतक के पूरे शरीर को घरती में गाड़ना और (२) शरीर को बछाना और बछाने के बाद हड्डियों के अवशेष को वर्तन में रखकर उसको समाधि देना। सिन्धु घाटी में दोनों प्रकार के नमूने पाये गये हैं।

३ अध्याय

आर्यों का उदय : वैदिक सभ्यता

१. आर्यों की आदि भूमि और उनका विस्तार

(१) आदि भूमि—इस बात पर इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है कि आर्यों की आदि भूमि कौन थी। भाषा-विज्ञान के आधार पर कुछ विद्वानों ने मध्य एशिया और कुछ ने युरोप के विभिन्न भागों को आर्यों की आदि भूमि माना है। वाल्ड-गंगावर तिलक ने ध्रुव-प्रवेष्टा में आर्यों का मूल स्थान सिद्ध करने की चेष्टा की। कई विद्वान् सुमेरिया को आर्यों की जन्मभूमि मानते हैं। भारतीय साहित्य और इतिहास में एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह कहा जा सके कि आर्य बाहर से इस देश में आये थे। भारत की परम्परा और साहित्य में तो यही बतलाया गया है कि आर्यावर्त अथवा उत्तर भारत ही आर्यों की आदि भूमि है। यहाँ पर आर्यों का उदय और यहीं से उनका सारे देश और बाहर के कुछ भूभागों पर विस्तार हुआ था। इस परम्परा के विरोध में कोई भी अकाव्य प्रमाण नहीं मिलता।

(२) विस्तार—पुराणों के ऐतिहासिक कथनों में आर्यों के उदय और उनके विस्तार का क्रमसा इतिहास पाया जाता है। आज से लगभग ६ हजार वर्ष पहले उत्तर भारत के मध्य में आर्यों की सक्ति और सभ्यता का उदय हुआ। उनके तीन मुख्य केन्द्र थे—(१) अयोध्या, (२) प्रतिष्ठान, (प्रयाग के पास हँसी) और (३) गया। भारतीय परम्परा के अनुसार मनु इस देश के प्रथम राजा थे, जो सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने ही पहले-पहल राज्य की स्थापना की और राज्य बढ़ाने और समाज-न्यायस्वा के नियम बनाये। मनु के बाद उनके पुत्रों और पंदासों ने मनु की राजधानी अयोध्या से भिन्न-भेद कर पास और दूर के कई राज्यों पर अधिकार किया। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु अयोध्या की गद्दी पर बैठे और उनसे ही मुख्य मान्य अथवा सूर्यवंश चला। मनु के दूसरे पुत्र नामानेन्द्रिय ने विदाहा (मुजफ्फरपुर जिले में बसाह) में एक राज्य की स्थापना की। उनके दूसरे पुत्र कारुप ने बिहार के दक्षिणी-पश्चिमी भाग पर अधिकार जमाया, ध्रुव ने पंजाब पर, नामाग ने यमुना के दक्षिणी तट पर, शार्याति ने आनर्त (बतरी गुजरात) और इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने विदेह (पूर्वांचल बिहार) में अपने राज्य

स्थापित किये। मनु के कुछ वंशज पश्चिमोत्तर-दरों को पार करके मध्य-एशिया के वेसों तक पहुँचे और कुछ दक्षिण में इण्डोकारण्य, उत्तरापथ और मेघ की तरफ चले गये।

भार्यो का दूसरा प्रसिद्ध वंश ऐल अथवा खम्बुवंश था। मनु की पुत्री इला से उत्पन्न पुरुरवा ने प्रतिष्ठान में ऐल वंश की स्थापना की। इस वंश को खम्बुवंश भी कहते हैं क्योंकि पुरुरवा के पिता सुय सोम (चन्द्र) के पुत्र थे। उसके वंश का विस्तार मानव-वंश से भी बहुत अधिक हुआ। पुरुरवा का बड़ा लड़का आयु उसके बाद प्रतिष्ठान के सिंहासन पर बैठा। उसके शेष पुत्रों में से क्षमावसु ने कान्यकुब्ज (कन्नौज) में एक नया राज्य स्थापित किया। उसके पौत्र खमरुद ने काशी में अपना राज्य बसाया। ऐल वंश में मनुष्य का पुत्र ययाति बहुत बड़ा विजेता और भारतीय इतिहास का पहला शक्रवर्ती राजा था। अपने विजय के बाद अपने साम्राज्य को उसने अपने पाँच पुत्रों में बाँट दिया। ययाति का सबसे छोटा पुत्र पुष्य प्रतिष्ठान की गद्दी पर बैठा। ययाति के पुत्र यदु ने अम्बल, वेतवा और केन की घाटियों में, तुर्वसु ने दक्षिण पूर्व में, मुष्टु ने परिषम में और अयु ने गंगा-यमुना के दो-भाष में अपना राज्य स्थापित किया। ययाति के इन वंशजों की चर्चा खरवेद में कई बार आयी है। भार्यो का तीसरा वंश सौद्युम्न वंश था, जो मानवों और ऐलों के मिश्रण से उत्पन्न हुआ था। इसकी राजधानी दक्षिण बिहार (गया में) थी। यहाँ गय नाम का प्रथम राजा हुआ। गय के भाई उत्कल ने उड़ीसा में एक नया राज्य बसाया। गय के दूसरे भाई हरिताम के बारे में कोई विशेष बात नखुम नहीं है।

भागो खरुद भार्यो ने बहुत से विजय किये और उपनिवेश बसाये। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु से चौसठवीं पीढ़ी में मान्धाता नाम के राजा हुए। वे बहुत यज्ञे विद्वान् थे। कहा जाता है कि 'सूर्य यहाँ से उदय होता है, और यहाँ वह अस्त होता है, वह मान्धाता का देश था।' मान्धाता ने गंगा-यमुना के दोभाष को जीता, और मध्य भारत को जीत कर वहाँ मान्धाता नाम की नगरी बसायी। मान्धाता न केवल बड़ा भारी विजेता था, किन्तु बहुत बड़ा विद्वान् भी था। वह खरवेद की कई शाखाओं का श्रुति अथवा रचयिता भी था। यज्ञाब, सीमान्त, काण्ड के आसपास के प्रदेश तथा मध्य एशिया में ययाति के वंशजों की शाखाएँ और उपशाखाएँ फैलती गयीं। भारत के दक्षिणी भाग में यदुवंश की शाखा इक्ष्व-वंश ने मध्य भारत और दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार किया और सुदूर दक्षिण के राज्यों को हराया। उसका पुत्र

उत्तर के सूर्यवंश से भी हुआ थीर। उसी सिलसिले में परशुराम भी दैह्यों का संचय भी। दैह्यों के उत्थान के कुछ दिनों बाद, मानव वंश में सगर नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। इन्होंने भी आर्यों की शक्ति और राज्य का बड़ा विस्तार किया। इनके समय में ऐल वंश की शक्ति कुछ दब गयी थी, लेकिन आगे चल कर ऐल वंश की शाका पौरव-वंश में, जिसका राज्य पाञ्चाल में था, दुष्यन्त का पुत्र भरत चक्रवर्ती हुआ। एक परम्परा के अनुसार यह भरत इतना बड़ा सम्राट् था कि इसी के नाम पर सारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।

भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध राजा मानव वंश में दशरथ के पुत्र राम हुए। राम के पहले इस वंश में रघु और दशरथ ने सूर्यवंश की शक्ति का विस्तार काफ़ी किया था। दशरथ के पुत्र राम जादस रजा हुए। ये भारतवर्ष में बिष्णु के अवतार और मर्यादा-पुरुषोत्तम माने जाते हैं। वादसीकि




धनुर्धर राम

रामायण, महाभारत और पुराणों के अनुसार इन्हीं के समय में उत्तर भारतवर्ष का दक्षिण-के साथ पूरा सम्पर्क हुआ। कहा जाता है कि अपनी विमाता कैकेयी के पक्षधर से इनका अपने राज्य से, वैशालिका हुआ। राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ गंगा की पार कर दक्षिण में जंगल की ओर चले गये। उनकी निपाट, शबर और दूसरी दक्षिण की जातियों से मैत्री हुई। घूमते हुए वे नासिक के पास पञ्चवटी में पहुँचे। राम के पहले ही उत्तर भारत से अजासय, मृग आदि अथि जाय सम्पत्ता के प्रचारक होकर दक्षिण और सुदूर दक्षिण में पहुँच चुके थे। जान पड़ता है कि दक्षिण के लोग जाय सम्पत्ता का स्वागत करते थे, परन्तु राक्षस इसके विरोध में थे। राम ने दक्षिण की बहुत-सी जातियों—वानर, अह आदि-से मैत्री

की और राक्षसों को दूरकर आर्य-संस्कृति का प्रचार लंका तक किया। राम के लंका से लौटने के बाद भरत ने अपने माता के हृदय के राजा की सहायता से सिन्धु, सोबीर आदि और पश्चिमोत्तर के गान्धार पर भी अधिकार जमाया। भरत के देहे लक्ष के नाम से लक्षशिला और पुष्कर के नाम से पुष्करावती नगरी बसायी गयी। शत्रुघ्न के लड़के शूरसेन ने मथुरा के आसपास के प्रदेश भी जीता जिसके कारण वह स्थान शूरसेन कहलाया। लक्ष्मण के पुत्र अंगद

ने धातुकुल के वस्ती मिथे में अंगवीया और सन्त्रफेतु मे गोरखपुर-वैशरिया में भारत के मंडू राष्ट्र की स्थापना करके अश्वकांता नगरी बसायी । राम के पुत्र कुल ने कुसावती (कुसीनगर) और छव ने बोका और पूर्व में सरावती नाम की नगरी स्थापित की ।

राम के पाद मानव वंश की शक्ति मन्व पवने लगी । उनके पीछे कई सौ वर्षों तक भारतीय इतिहास में पादवों और पीरवों की सत्ता प्रबल पनी रही ।



पादवों में अश्वक, इण्डि, भोज, कुकुर आदि शाखाएँ मधुरा से छेकर द्वारका तक फैली हुई थी । विद्वमे और दक्षिण में उनके राज्य स्थापित थे । पीरवों में पाशाळ का राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ । उत्तर पाशाळ में विशोवास, मिश्रायु, रघुवन और सुदास आदि प्रसिद्ध राजा हुए । सुदास के विजय और राज्य-विस्तार का बर्णन वैदिक साहित्य में भी मिलता है । सुदास ने पञ्जाब

भीर, पश्चिमोत्तर के प्रदेशों पर वहाँ की बहुत-सी आर्य और आर्योत्तर जातियों को हरा कर अपना आधिपत्य फैलाया। सुवास के कुङ्कुदी दिनों पश्चात् इस्तिमापुर, कुरुक्षेत्र और दिल्ली के आसपास में कौरव वंश की प्रधानता हुई। कुत की ५ वीं पीढ़ी में वसु नामक एक राजा हुआ। उसने विजय करके मास्य (अरुवत-भरतपुर) से लेकर मगध तक अपने राज्य का विस्तार किया और वह चक्रवर्ती सम्राट् भी कहलाया। इसी समय मास्य राज्यों में अम्बर, वृष्णि, सोम, कुकुर आदि ने राजतन्त्र को छोड़ कर गणतन्त्रों की स्थापना की और अपना एक संघ-राज्य बनाया। वृष्णिवंश में कृष्ण गणतन्त्रों के बहुत बड़े राज-मुख्य हुए और अपने समय की राजनीति, समाज और धर्म के ऊपर उन्होंने बहुत प्रभाव डाले। इसलिये मामक-वंशी राम की तरह भारतीय इतिहास में ये भी विष्णु के जगतार माने जाते हैं।



चक्रवर्ती कृष्ण

वैदिक काल के प्रायः अन्त में इस्तिमापुर के कौरव वंश में एक महामु घटना हुई जिसे महाभारत युद्ध कहते हैं। मसिद्ध राजा पाण्डु के पोते पत्तराह भीर पाण्डु थे। पत्तराह जन्म से अन्ध थे, इसलिये पाण्डु राज्य के अधिकारी हुए। पत्तराह

के लड़के कौरवों और पाण्डु के पुत्रों पाण्डवों में राज्य के लिये बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस समय के लगभग सभी भारतीय राज्यों में इस युद्ध में भाग लिया। भीष्म और विर्षसकारी युद्ध के बाद पाण्डवों की विजय हुई। पाण्डवों के सहायक कृष्ण थे। उन्हीं की सहायता और सहाद से पाण्डवों में ग्रेड पुषिष्ठिर की अल्पवृत्ता में एक सांख्यिक और सांख्यिक साम्राज्य की स्थापना हुई। महाभारत युद्ध लगभग १४०० ई० पू० में हुआ था। इसका कारण आर्य सत्ता और संस्कृति का फैलाव नहीं, किन्तु आर्यों का आपसी द्वेष और संघर्ष था। महाभारत भारतीय इतिहास में एक पुनरावृत्त पैदा करमेवाली घटना थी, इसके बाद एक नये युग का आरम्भ हुआ।

(३) आर्योत्तर जातियों से सम्बन्ध—उत्तर भारत अथवा आर्योत्तर

(३) आर्योत्तर जातियों से सम्बन्ध—उत्तर भारत अथवा आर्योत्तर

में आर्यों की शक्ति का विस्तार, वही सरस्वती से हुआ, परन्तु इसके बाहर आर्यों का सम्पर्क और संघर्ष कई जातियों से हुआ, जिनमें अशुर, दानव, दैत्य, सिंधात्र, दाव, किरात, घानर, ऋच, राक्षस आदि मुख्य थे। अशुर दानव और दैत्य पश्चिमोत्तर भारत की जातियाँ थीं, जो बहुत दिनों तक आर्यों के यशस्व को रोकती रहीं, परन्तु धीरे-धीरे उनसे युद्ध कर ईरान और पश्चिमी एशिया में जा पसी। दक्षिण और सुदूर दक्षिण से भी आर्यों का सम्पर्क हुआ। कुछ जातियों ने अपनी इच्छा से तथा कुछ ने दबाव से आर्य संस्कृति, भाषा और साहित्य को ग्रहण किया। प्रायः यह देखा जाता है कि इतिहास में विध्वंसी जातियाँ अपने से हारी हुई जातियों के साथ तीन प्रकार की नीतियों का व्यवहार करती हैं—(१)—हारी हुई जाति को विरुद्ध मर्द करना, (२)—हारी हुई जाति को दास बनाना और (३)—हारी हुई जाति को अपने से कुछ धरम रख कर और कुछ उपयोगताओं के साथ अपने समाज में मिला लेना। आधुनिक समय में यूरोप की गोरी जातियों ने अमेरिका, अफ्रिका, आस्ट्रेलिया आदि देशों में पहले दो प्रकार की नीतियों का व्यवहार किया है। भारत के प्राचीन आर्यों ने तीसरी नीति का व्यवहार किया। इसका फल यह हुआ कि भारतवर्ष में आर्यों की प्रभुता होने हुए भी यहाँ की राजनीति, समाज और संस्कृति के रूप में भारत की सभी प्रकार की जातियों का प्रभाव रहा और यहाँ के जीवन में उनकी देन है।

२. वैदिक सभ्यता और संस्कृति

आर्यों का पुराना राजनीतिक इतिहास बहुत कुछ पुराणों में पाया जाता है। परन्तु उनके सम्पूर्ण जीवन, सम्पत्ता और संस्कृति का विषय हमको प्रारम्भिक वैदिक साहित्य में मिलता है। वैदिक काल एक बहुत लम्बा काल था। इसलिये इसमें भारतीय जीवन के विकास की कई सीढ़ियाँ पायी जाती हैं।

(अ) आर्यों का राजनीतिक जीवन—आर्यों के राजनीतिक जीवन की सबसे पुरानी और छोटी इकाई परिवार या कुल था। इसके बाद गोत्र, जन, विदा आदि मंडलों से होते हुए राजनीतिक जीवन में राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण किया। वैदिक काल के राज्य कई प्रकार के होते थे। उनमें से कोई-कोई राज्य बहुत बड़े थे और उन्हें साम्राज्य कहा जा सकता है। छोटे राज्यों के अधिपति को राजा और बड़े राज्यों के अधिपति को सम्राट्, चक्रवर्ती अथवा सर्वभूमि कहा जाता था। अधिकांश राज्य एकतान्त्रिक और कुछ अराजक अथवा गणतन्त्री हुआ करते थे।

वैदिक काल की राजसंस्था का विकास युद्ध के वातावरण में हुआ। पहले एक जन या विसू के लोग इकट्ठे होकर राजा का चुनाव करते थे, आगे बढ़ कर धीरे-धीरे राजा का वह पैतृक हो गया। राजा के काम तीन तरह के होते थे। वह शांति के समय सेना का संगठन और युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करता था। दूसरे, शासन का संगठन और वसूलेख उसी को करना पड़ता था। तीसरे, राजा अपने राष्ट्र का सबसे बड़ा म्यावाधीन या और सभी आवश्यक कमियों का निर्णय करता था। राजा की सहायता के लिये समिति और समा नाम की दो सार्वजनिक संस्थाएँ होती थीं। समिति में प्रजा के सभी योग्य व्यक्ति इकट्ठे होते थे और राज्य के आवश्यक प्रश्नों पर विचार प्रकट करते थे; इसी में राजा का चुनाव भी होता था। समा समिति से छोटी संस्था थी, जिसमें घोड़े से जुने हुए राजा के सहायक बैठते थे। उनकी ही सहायता से राजा अपना प्रतिदिन का काम और कमियों का फैसला करता था। राज्य के कुछ कर्मचारियों का विकास भी इस युग में हो चुका था। सबसे पहले कर्मचारियों में पुरोहित का नाम आता है। सभी तरह के धार्मिक कार्यों का वह निरीक्षण करता था और शांति और युद्ध के समय राजा को उचित सलाह देता था। दूसरा प्रधान-कर्मचारी सेनामी कहलाता था, जो सेना का संचालन करता था। तीसरा, कर्मचारी ग्रामणी था, इसका काम सेना की टुकड़ियों का संगठन और देहात से भूमि-कर और दूसरे प्रकार के करों को इकट्ठा करना था।

(आ) सामाजिक जीवन—इस काल के समाज में आर्य और आर्यतर कई जातियों के लोग शामिल थे। मोटे तौर पर चार वर्गों में समाज बँटा हुआ था, जिनको वर्ण कहते थे। उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने इन वर्गों के विकास में योग दिया। समाज का जो अंग धार्मिक, बौद्धिक और शिक्षा सम्बन्धी काम करता था, उसको ब्राह्मण वर्ण का कहा जाता था। जो वर्ग युद्ध और शासन का काम करता था वह राजसूय (क्षत्रिय) कहलाता था। जीवन के आर्थिक साधनों से जिस वर्ग का सम्बन्ध था, उसको विश या वैश्य कहते थे। जो लोग केवल शारीरिक श्रम और दूसरों की सेवा करते थे, उनको दृष्ट कहते थे। इन चारों वर्गों के अतिरिक्त और भी बहुत से समाज में व्याप्यायिक और स्थानीय ब्रह्म थे। सभी वर्गों में परिवर्तन सम्भव था और एक ही परिवार में कई वर्गों के लोग साथ रहने थे।

समाज-संगठन की मूल इकाई परिवार था। वैदिक काल का परिवार विद्वत्-सत्तात्मक था, उसमें पति-पत्नी, उनके बच्चे, अविवाहित भाई और बहन,

पति के जीवित माता-पिता आदि सभी सम्मिलित होते थे। परिवार का नेता पिता होता था और परिवार के सभी सदस्य उसके अनुशासन में प्रेम के साथ रहते थे। इस समय विवाह-संस्था का पूरा विकास हो चुका था। वैदिक काल में विवाह के ऊपर वर्ण, जाति और गोत्र का कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं मिलता है। विवाह का अन्वयण अवश्य था। मातृ-पक्ष अथवा पितृ-पक्ष के निकट सम्बन्ध में विवाह करना मना था। विवाह के समय कन्या और वर दोनों ही वयस्क होते थे और एक-दूसरे के चुनाव में अपनी राय दे सकते थे। वर-कन्या का चुनाव उनके पुर्णों की देख-भाल किया जाता था। शारीरिक दोष के कारण दुबक और पुत्रियों को कभी-कभी आजीवन अविवाहित ही रह जाना पड़ता था। विवाह की विधि वैदिक कर्मकाण्ड के अनुसार होती थी। वृद्धे की प्रथा बहुत प्रचलित नहीं मामूली होती है, किन्तु कन्या को पुरस्कार और कभी-कभी उसके साथ वृद्धे भी मिलता था।

समाज में स्त्रियों का स्थान काफी ऊँचा था। कन्या के रूप में उसका आवरण होता था और उसकी शिक्षा का ध्यान रखा जाता था, यद्यपि उसके विवाह के दायित्व को समझ कर उसके जन्म के समय पिता गम्भीर अवश्य हो जाता था। श्री-पृथिवी के रूप में वर की स्वामिनी होती थी और वर के सभी सदस्यों, नौकरों, पशुओं आदि पर उसका पूरा आधिपत्य था। माता के रूप में श्री का काफी आदर होता था। यह बात ऋग्वेद में अदिति, पृथ्वी, वाक् और सरस्वती की कल्पना से स्पष्ट हो जाती है। श्री को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। वह सभा, समिति आदि में भाग लेती थी और कभी-कभी युद्ध में रथ का संचालन भी करती थी। वेदों में कहीं-कहीं स्त्रियों के प्रति स्पष्ट और निम्न भी है, किन्तु ये प्रायः निरास प्रेमियों और अपभ्रूतों के उद्गार हैं।

वैदिक काल की वेष-भूषा सीधी-सारी थी। अक्सर सीम तरह के कपड़े पहने जाते थे। एक अधोपक्ष, जो आङ्गुल की घोंती की तरह होता था और कमर में छटकता था। दूसरा उत्तरीय था, जो कि चादर की तरह ऊपर कंधे से जंटा जाता था। श्रियो कल्लुकी (चोटी) पहनती थीं और पुरण भी कभी-कभी बंडी की तरह का वस्त्र पहनते थे। कपड़े कपास और ऊन दोनों के बनते थे। किन्हीं-किन्हीं अवसरों में हरिण और दूसरे जानवरों की माल का उपयोग भी होता था। स्त्री और पुरण दोनों ही आभूषणों के शौकीन होते थे। इस समय के गहनों में कर्णपोषण (कर्णकूल), निष्कर्ष (हार), लारि (कंगन या कड़े), स्वमवच (घाती पर दृष्टिके वाका गहना),

मणिग्रीव (मोती का हार) आदि के नाम पाये जाते हैं । पाली के अक्षर की प्रथा भी श्री-पुश्य दोनों में प्रचलित थी ।

भोजन के पदार्थों में खेती, पशुपालन और शिकार आदि से मिले हुए पदार्थ पामिक थे । अन्न में धान, गोधूम, तिल, मसूर आदि के अन्तर्ग मिकते हैं । इसके अतिरिक्त शाक, फल, मूल भी लोग खाते थे । पशुओं से दूध, दही, घी और मांस मनुष्य ग्रहण करते थे । इन सामग्रियों से बहुत प्रकार के पकवान और भोजन बनते थे । वेद्य में पामी के अतिरिक्त दूध, सोमरस और सुरा का उपयोग भी होता था । सोमरस एक प्रकार की रसा के रस से तैयार होता था, जो प्रायः हिमालय में मिलती थी । इसको देवता, ऋषि और कवि प्रेरणा के लिये पान करते थे । सुरा का उपयोग सीमित था ।

वैदिक काल के लोग जीवन में पूरा रस लेते थे और यिनोद् के पूरे प्रेमी थे । उनके विमोद् के साधनों में युद्धवीर्य, रथवीर्य बहुत पुराने थे । वेदों में युद्ध की निम्ना की गई है, जिससे मान्य होता है कि लोग युद्ध खेलने के सौकीम थे । इस समय संगीत का भी विकास हो चुका था । नाच, गान और धार्यों के संकेत वैदिक साहित्य में प्रायः मिलते हैं । मेलों और त्योहारों के अवसर पर लोगों के लिये मन-बहलाव की बहुत सामग्री इकट्ठी होती थी ।

(६) धार्मिक जीवन—यह कहा जा चुका है, कि उत्तर पाषाण काल में धार्मिक चेतना का उदय हो चुका था, परन्तु उस समय लोग भूतवाद में विश्वास करते थे । वैदिक काल में धार्यों की धार्मिक चेतना और अधिक जागृत हुई । उसने प्रकृति की शक्तियों को सजग होकर और पूरी शक्ति कोल कर देखा । उन शक्तियों में से उसने अपनी उपयोगी शक्तियों को देवता के रूप में और अहितकारी शक्तियों को राक्षसों और पिशाचों के रूप में कल्पित किया । इस तरह सारा विश्व बहुत-सी देवी और आसुरी शक्तियों में बँट गया । परन्तु उस समय के चिन्तकों ने अनुभव किया कि वास्तव में ये बहुत-सी शक्तियाँ एक ही शक्ति के अनेक रूप हैं । ईश्वर की पहचान का उदय हुआ, जो कि सारे संसार का रखनेवाला और संभालन करनेवाला माना गया । वैदिक काल का चिन्तन एक ईश्वरवाद से भी भागे गया । उसने पुण्य-मूल में संधारवाद और आगे बढ़ कर अद्वैतवाद की व्यवस्था की । धार्मिक तत्त्व 'सत्' की श्रेष्ठ वैदिक ऋषियों ने की और घोषणा की, 'एक सत्त्वमा बहुधा ब्रह्मि' (एक ही वास्तविक सत्ता है, जिसे पिशाच कई नामों से पुकारते हैं) ।

यद्यपि वैदिक काल में एश्वरवाद और अद्वैतवाद की कल्पना हो चुकी थी, फिर भी सामान्य जनता व्यवहार में प्राकृतिक देवी-देवताओं की पूजा करती थी । वैदिक देव-अपण्डित बहुत बढ़ा था, इसमें तीन धरातक के देवता

सम्मिलित थे—(१) पृथ्वी पर के देवता, जिनमें पृथ्वी, अग्नि, सोम आदित्य, (२) अतिरिक्त के देवता, जिनमें इन्द्र, आदित्य, इन्द्र आदि सम्मिलित थे और (३) ध्योम (आकाश) के देवता, जिसमें वरुण, उषा आदि की गणना होती थी। इनके अतिरिक्त कई एक मानवमय देवता थे, जैसे हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विश्वकर्मा, विराट्पुरुष, भद्रा, वाक्, मरु (क्रोध) आदि।

वैदिक देवताओं और उनके उपासकों के बीच घना सम्बन्ध था। उपासक देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे और उसके बदले में उनसे जीवन के सुखों को पाने की आशा रखते थे। देवताओं को प्रसन्न करने का पहला साधन प्रार्थना अथवा मंत्रों का उच्चारण था। दूसरा साधन, भोजन की सामग्रियों तथा बलि का अर्पण करना था, जिसे यज्ञ कहते थे। लोगों का विश्वास था कि प्रार्थना और यज्ञ से देवता तृप्त होते हैं और सुखों की वर्षा करते हैं। इस समय न तो देवताओं की मूर्तियाँ थीं, और न मूर्तियों को स्थापित करने के लिये मन्दिर। मनुष्य और प्रकृति का सम्बन्ध इतना सीधा और तात्का था कि मूर्तियों की कोई आवश्यकता न थी। ऐसा जान पड़ता है, कि कुछ आर्षेतर जातियों में लिङ्गपूजा प्रचलित थी, जिसकी शृणा की दृष्टि से आर्य वेदों में पितरों को विशेष अवसरों पर निमन्त्रित और उनको भोज्य अर्पित किया जाता था। आर्यों में मृतक-किया विधि के साथ की जाती थी, विशेषकर घब की दाह-क्रिया होती थी और उसके बाद हड्डियों के अवशेष पुनः उस पर छोटी समाधि बनाई जाती थी। आर्य मरने के बाद जीवामा के पितृलोक जाने की कल्पना में विश्वास करते थे, जिसका वर्णन ऋग्वेद में पाया जाता है। स्वर्ग और नरक की कल्पना का उद्भव भी इस समय ही हुआ था। जीवन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण आशावादी था और धार्मिक जीवन के लिये पार्थिव सुखों का त्याग करना आवश्यक नहीं माना जाता था।

वैदिक धर्म में कुछ भक्ति के तत्व भी पाये जाते हैं। वैदिक आर्यों की एक शाखा यादवों में भक्ति-मार्ग का विकास हुआ, जो हिंसा प्रधान यज्ञ का विरोधी और अहिंसा तथा भक्ति का समर्थक था।

(३) आर्थिक जीवन—आर्यों के आर्थिक जीवन के आधार पशुपालन, श्रेणी और कई प्रकार के उद्योग-धन्धे थे। गोधन की बड़ी महत्ता थी और गाय आर्थिक जीवन की इकाई मानी जाती थी। गाय के अतिरिक्त बैल, घोड़े, खर, गधे आदि जानवरों का आर्य उपयोग करते थे और घोस होने के लिये काम में भी उनको लगाते थे। वैदिक काल में ऐती का विकास भी काफी हो चुका था। श्रेणी करने योग्य भूमि को उर्वरा या खेय कहते थे। छोटे-बड़े कई प्रकार के दल होते थे, जिनको दो या दो से अधिक पैलों की

मणिप्रीव (सोती का हार) आदि के नाम पाये जाते हैं । बाह्य के प्रकार की प्रथा भी खी-पुरम शौनों में प्रचलित थी ।

सौजन के पदार्थों में खेती, पशुपालन और शिकार आदि से, मिष्टे हुए पदार्थ शामिल थे । अन्न में धव, गोधूम, तिष्ठ, मधुर आदि के उल्लेख मिलते हैं । इसके अतिरिक्त साक, फल, मूक, भी लोग खाते थे । पशुओं से दूध, दही, घी और मांस मनुष्य ग्रहण करते थे । इन सामग्रियों से बहुत प्रकार के पकवान और भोजन बनते थे । येय में पानी के अतिरिक्त दूध, सोमरस और सुरा का उपयोग भी होता था । सोमरस एक प्रकार की रस्ता के रस से तैयार होता था, जो प्रायः हिमालय में मिलती थी । इसको देवता, ऋषि और कवि प्रेरणा के लिये पान करते थे । सुरा का उपयोग सीमित था ।

वैदिक काल के लोग जीवन में पूरा रस लेते थे और विनोद के पूरे प्रेमी थे । उनके विनोद के साधनों में युद्धवीद, रथवीद बहुत पुराने थे । वेदों में शुभा की निम्ना की गई है, जिससे मालूम होता है कि लोग शुभा खेलने के शौकीन थे । इस समय संगीत का भी विकास हो चुका था । नाच, गान और बाजों के संकेत वैदिक साहित्य में प्रायः मिलते हैं । मेढों और त्योहारों के अवसर पर लोगों के लिये मन-बहलाव की बहुत सामग्री इकट्ठी होती थी ।

(इ) धार्मिक जीवन—यह कहा जा चुका है, कि उत्तर पाषाण काल में धार्मिक चेतना का उदय हो चुका था, परन्तु उस समय लोग भूतवाद में विश्वास करते थे । वैदिक काल में भावों की धार्मिक चेतना और अधिक जागृत हुई । उसने प्रकृति की शक्तियों को सजग होकर और पूरी शक्ति लौक कर देखा । उन शक्तियों में से उसने अपनी उपकारी शक्तियों को देवता के रूप में और अहितकारी शक्तियों को राक्षसों और पिशाचों के रूप में कल्पित किया । इस तरह सारा विश्व बहुत-सी देवी और भ्रातुरी शक्तियों में बँट गया । परन्तु उम समय के चिन्तकों ने अनुमान किया कि वास्तव में वे बहुत-सी शक्तियाँ एक ही शक्ति के अनेक रूप हैं । ईश्वर की कल्पना का उदय हुआ, जो कि सारे संसार का रचनेवाला और संचालन करनेवाला माना गया । वैदिक काल का चिन्तन एक ईश्वरवाद से भी भागे गया । उसने पुरुष-सूक्त में सर्वेश्वरवाद और भागे बड़ कर अद्वैतवाद की कल्पना की । वास्तविक तत्त्व 'सत्य' की खोज वैदिक ऋषियों ने की और घोषणा की, 'एक सवित्रा बहुधा ब्रह्मि' (एक ही वास्तविक सच्चा है, जिसे विद्वान् कई नामों से पुकारते हैं) ।

यद्यपि वैदिक काल में एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद की कल्पना हो चुकी थी, फिर भी सामान्य जनता व्यवहार में प्राकृतिक देवी-देवताओं की पूजा करती थी । वैदिक देव-मण्डल बहुत बड़ा था, इसमें तीन परावर्त के देवता

सम्मिश्रित थे—(१) पृथ्वी-पर के देवता, जिनमें पृथ्वी, अग्नि, सोम आदिथे, (२) वायु-रिक्त के देवता, जिनमें इन्द्र, आदित्य, रुद्र आदि सम्मिश्रित थे और (३) इयोम (वाक्काश) के देवता, जिसमें बरुण, उषा आदि की गणना होती थी । इनके अतिरिक्त कई एक भावात्मक देवता थे, जैसे हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विश्वकर्मा, विराट्पुरुष, अग्ना, वाक्, मय्यु (क्रोध) आदि ।

वैदिक देवताओं और उनके उपासकों के बीच बना सम्बन्ध था । उपासक देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे और उसके बदले में उनसे जीवन के सुखों को पाने की आशा रखते थे । देवताओं को प्रसन्न करने का पहला साधन प्रार्थना अथवा मंत्रों का उच्चारण था । दूसरा साधन, भोजन की सामग्रियों तथा वस्त्रि का अर्पण करना था, जिसे यज्ञ कहते थे । लोगों का विश्वास था कि प्रार्थना और यज्ञ से देवता तृप्त होते हैं और सुखों की अर्पण करते हैं । इस समय न तो देवताओं की मूर्तियाँ थीं, और न मूर्तियों को स्थापित करने के लिये सन्धि । मनुष्य और प्रकृति का सम्बन्ध इतना सीधा और ताजा था कि मूर्तियों की कोई आवश्यकता न थी । ऐसा ज्ञान पक्का है, कि कुछ अपेक्षित आतियों में लिङ्गपूजा प्रचलित थी, जिसकी पूजा की दृष्टि से भार्य देवता थे । पितरों को विशेष अक्सरों पर निमन्त्रित और उनको भाद अर्पित किया जाता था । भायों में मृतक-क्रिया विधि के साथ की जाती थी, विशेषकर शव की दाह-क्रिया होती थी और उसके बाद हड्डियों के अवशेष चुनकर उस पर छोटी समाधि बनाई जाती थी । भाय मरने के बाद जीवात्मा के पितृलोक जाने की कल्पना में विश्वास करते थे, जिसका वर्णन ऋग्वेद में पाया जाता है । स्वर्ग और नरक की कल्पना का उद्भव भी इस समय हो चुका था । जीवन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण आशावादी था और धार्मिक जीवन के लिये पार्थिव सुखों का त्याग करना आवश्यक नहीं माना जाता था ।

वैदिक धर्म में कुछ भक्ति के तरव भी पाये जाते हैं । वैदिक भायों की एक साया पात्रों में भक्ति-मार्ग का विकास हुआ, जो हिंसा प्रधान यज्ञ का विरोधी और अहिंसा तथा भक्ति का समर्थक था ।

(ई) धार्मिक जीवन—भायों के धार्मिक जीवन के आधार पशुपाठन, श्रुती और कई प्रकार के उद्योग-धन्धे थे । गोधन की बड़ी महत्ता थी और गाय धार्मिक जीवन की इच्छाई मानी जाती थी । गाय के अतिरिक्त बैल, घोड़े, एकर, गधे आदि जानवरों का भाय उपयोग करते थे और बोल होने के लिये काम में भी उनको लगाते थे । वैदिक काल में चेती का विकास भी काफी हो चुका था । चेती करने योग्य भूमि को उर्वरा या चंग कहते थे । छोटे-बड़े कई प्रकार के हल होते थे, जिनको दो या दो से अधिक बैलों की

ओकिर्पो खींचती थीं। सुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई, रूवाई आदि खेती की सभी प्रक्रियाएँ आपों के मास्त्रस थीं। उपज बढ़ाने के लिये खेतों में खाद डाली जाती थी और कुम्हों, नहरों से सिंचाई होती थी। अनाजों में गेहूँ, जौ, ज्वार, मसूर, तिल, धान, आदि फी खेती होती थी। पशुपालन और खेती के साथ दूसरे और उद्योग-धन्धों का विकास भी हुआ था। बकई, सुहार, सुमार, चमार, तन्तुवाय (उस्तादा), बैद्य, पत्थरकट आदि कई प्रकार के पेशेवालों के नाम वेदों में पाये जाते हैं। स्थल और जल दोनों रास्तों से व्यापार होता था। सिन्धे का प्रचार बहुत अधिक नहीं था, फिर भी निष्क नाम का सोने का सिन्धा चलता था, जिसका उपयोग आभूषण के रूप में भी होता था। विजिसय में सामग्री का आदान-प्रदान होता था। ध्यास पर ध्यान देने की प्रथा चालू थी। ज्ञान बुकाना ध्येग अपना धर्म और कर्तव्य समझते थे। ऋग्वेद में पार्थिव जीवन के सम्बन्ध में उद्गार पाये जाते हैं, उससे मास्त्रस पकता है कि लोग धार्मिक दृष्टि से सुखी थे। इसका मुख्य कारण भारतीय भूमि का उपजाऊपन, आपों का परिश्रम और जनसङ्ख्या के भार का अभाव ही मास्त्रस पकता है।

४ अध्याय

उत्तर वैदिक सभ्यता

उत्तर वैदिक काल में भाषों के जीवन और सभ्यता के सम्बन्ध में जानकारी पिछले वैदिक साहित्य से मिलती है, जिसमें ब्राह्मण-ग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद्, सूत्रग्रन्थ आदि सामिल हैं। इन ग्रन्थों के देखने से मालूम होता है कि इस काल में भाषों के जीवन-काल में प्रारम्भिक वैदिक काल से बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका था और उनका जीवन धीरे-धीरे पेशीवा और शोषित हो रहा था। इस जीवन का वर्णन संक्षेप में नीचे किया जाता है।

१. राजनीतिक जीवन में परिवर्तन

इस समय भाषों प्रायः सारे भारतवर्ष में फैल गये थे और उनके राज्य स्थापित हो चुके थे। इस युग में छोटे-छोटे राज्यों के बड़े बड़े राज्यों का निर्माण शुरू हो चुका था और साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति साफ दिलायी पड़ती है। बहुत से चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन इस काल के साहित्य से मिलता है। चक्रवर्ती राजा विविधय करने के बाद अपना आधिपत्य समाने के किये अश्वमेध आदि यज्ञ करते थे। यह भी मालूम होता है, कि राजा धीरे-धीरे अपने हाथ में सैनिक सत्ता और राज्य के अधिकार लेता जा रहा था और पहले की समिति और सभा आदि सार्वजनिक संस्थाएँ अपनी शक्ति खो रही थीं। फिर भी राजा को राज्याभिषेक के समय सिद्धान्तकूप में अपने मन्त्रियों और प्रजा से राज्य का अधिकार प्राप्त करना होता था।

इस समय शासन-व्यवस्था का काफी विकास हुआ, और राज्य के मन्त्रियों में नीचे किये अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। -

(अ) पुरोहित—राज्य के धार्मिक कार्यों में राजा की सहायता करता था और शासन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसे सलाह देता था। यह आबकल के प्रधान-मन्त्री से मिलता-जुलता है।

(आ) राजन्य—राजवंश और अधिकारी-वर्ग का यह प्रतिनिधि था।

(इ) महिषी अथवा पटवानी—यह भी शासन में राजा का हाथ बँटाती थी और महत्वपूर्ण स्थान रखती थी।

(ई) धायाता—राजा की प्रिय रानी।

(उ) परिषृक्ति—राजा की परित्यक्त रानी।

(ऊ) सूत—धैराणिक पण्डित, जो धर्मशास्त्र का पूरा ज्ञान रखता था।

(ए) सेनानी—यह सेना का मुख्य अधिकारी तथा संचालक होता था।

जोड़ियाँ ली जाती थीं। जुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई, बँवाई आदि खेती की सभी प्रक्रियाएँ आर्यों को मास्त्रम थीं। उपज बढ़ाने के लिये खेतों में साह डाली जाती थी और फुलों, नहरों से सिंचाई होती थी। जनावरों में गेहूँ, गी, उबड़, मसूर, तिल, घान, आदि की खेती होती थी। पशुपालन भी खेती के साथ दूसरे भी उद्योग-धन्धों का विकास भी हुआ था। बकई, छुहार, मुनार, चमार, तन्तुबाय (सुहादा), वैद्य, परधरकट आदि कई प्रकार के पेशेवालों के नाम येशों में पाये जाते हैं। स्थल भीर जल दोनों रास्तों से व्यापार होता था। सिन्धे का प्रचार बहुत अधिक नहीं था, फिर भी निष्क नाम का सोने का सिक्का चलता था, जिसका उपयोग आभूषण के रूप में भी होता था। विभिन्न में सामग्री का आदान-प्रदान होता था। व्यापार पर शून देने की प्रथा चालू थी। शून सुकाना लोग अपना धर्म भीर कर्तव्य समझते थे। शूरवेद में पार्श्व जीवन के सम्बन्ध में उन्नत पाये जाते हैं, उससे मास्त्रम पढ़ता है कि लोग आर्थिक दृष्टि से सुखी थे। इसका मुख्य कारण भारतीय भूमि का उपजाऊपन, आर्यों का परिश्रम भीर जनसंख्या के भार का अभाव ही मास्त्रम पढ़ता है।

४ अध्याय

उत्तर वैदिक सभ्यता

उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन और सभ्यता के सम्बन्ध में जानकारी विद्वद्दे वैदिक साहित्य से मिलती है, जिसमें ब्राह्मण-ग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद्, सूत्रग्रन्थ आदि शामिल हैं। इन ग्रन्थों के देखने से मालूम होता है कि इस काल में आर्यों के जीवन-काल में प्रारम्भिक वैदिक काल से बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका था और उनका जीवन धीरे-धीरे पेचीदा और बोलिख हो रहा था। इस जीवन का वर्णन संक्षेप में नीचे किया जाता है।

१. राजनीतिक जीवन में परिवर्तन

इस समय आर्य प्रायः सारे भारतवर्ष में फैल गये थे और उनके राज्य स्थापित हो चुके थे। इस युग में छोटे-छोटे राज्यों के बड़े बड़े राज्यों का निर्माण शुरू हो चुका था और साम्राज्यवाद की प्रकृति साफ दिखायी पड़ती है। बहुत से शक्तिशाली राजाओं का वर्चस्व इस काल के साहित्य से मिलता है। शक्तिशाली राजा विजिजय करने के बाद अपना आधिपत्य बसाने के लिये अन्वेषण आदि पद्दत करते थे। यह भी मालूम होता है, कि राजा धीरे-धीरे अपने हाथ में सैनिक सत्ता और राज्य के अधिकार लेता जा रहा था और पड़ोस की समिति और समा आदि सार्वजनिक संस्थाएँ अपनी शक्ति खो रही थीं। फिर भी राजा को राज्याभिषेक के समय सिद्धांशरूप में अपने मन्त्रियों और प्रजा से राज्य का अधिकार प्राप्त करना होता था।

इस समय शासन-व्यवस्था का काफी विकास हुआ, और राज्य के मन्त्रियों में नीचे किये अधिकारियों का उद्घेक मिलता है।

(अ) पुरोहित—राज्यके धार्मिक कार्यों में राजा की सहायता करता था और शासन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसे सलाह देता था। यह भावकक के प्रधान-मन्त्री से मिलता-जुलता है।

(ब) राजन्य—राजवंश और अधिकारी-वर्ग का यह प्रतिनिधि था।

(द) महिषी अथवा पटरानी—यह भी शासन में राजा का हाथ बँटाती थी और महत्वपूर्ण स्थान रखती थी।

(ई) धायता—राजा की पिय रानी।

(उ) परियुक्ति—राजा की परित्यक्त रानी।

(क) सूत—पौराणिक पण्डित, जो धर्मशास्त्र का पूरा ज्ञान रखता था।

(प) सेवानी—यह सेवा का मुख्य अधिकारी तथा संचालक होता था।

रहनेवाली और सारे विश्व में व्याप्त सत्ता का नाम ब्रह्म था। उसी से विश्व का उद्भव, उसी में विश्व की रीति और उसी में विश्व का रूप होता है। मनुष्य का भावना स्वभावतः शुद्ध, शुद्ध और स्वतन्त्र होता है। परन्तु अज्ञान के कारण वह अपने स्वरूप को भूँटकर सांसारिक बन्धन में युक्त हो जाता है। अपने नैतिक आचरण और भाष्यारिक्त साधन से अपने स्वरूप को पहचानना और सांसारिक बन्धनों से मुक्ति जयवा मोक्ष प्राप्त करना उपनिषदों के अनुसार मनुष्य का परम पुरुषार्थ है।

४. साहित्य, विद्या और शिक्षा

उत्तर वैदिक काल तक वैदिक साहित्य का बड़ा विस्तार हो चुका था। ऋषियों के रूप में वेदों की रचना तो पहले ही हो चुकी थी, किन्तु इस समय उसका संकलन और संपादन हुआ और उन्हें संहिता का रूप मिला। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की कई संहिताएँ बनीं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक वेद के कई ब्राह्मण ग्रन्थ रचे गये, जिनमें ऐतरेय, घातपथ, गोपथ आदि ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं। इसी तरह प्रत्येक वेद के आरण्यक और उपनिषद् भी विकसित हुए। उपनिषदों में ईशा, केन, कठ, प्रस, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर आदि प्रसिद्ध हैं। वैदिक साहित्य प्रायः उपनिषदों के साथ समाप्त हो जाता है। किन्तु वैदिक साहित्य से ही सम्बद्ध वेदाङ्ग और सूत्रग्रन्थ हैं। वेदाङ्गों में शिष्या (शुद्ध-उच्चारण-शास्त्र), कल्प (कर्मकाण्ड), निरुक्त (शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र), व्याकरण (शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का शास्त्र), छन्द (पद्य-रचना), ज्योतिष शास्त्र (मन्त्रों और ग्रहों की जास और गणना का शास्त्र)। छान्दोग्य उपनिषद् में कई विद्याओं का नाम आता है, जिनमें चारों वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, पिप्प, राशि, वैश्व, मिथि, वाक्योपास्य, एकाग्र, ब्रह्मविद्या, मृतविद्या, मन्त्रविद्या, सर्पविद्या और देवजनविद्या का उल्लेख किया गया है।

इतने बड़े साहित्य और विस्तृत विद्या के संरक्षण, विकास और सम्मेलन के लिये इस काल के लोगों ने शिक्षा की भी व्यवस्था की थी। शिक्षा के लिये व्यक्तिगत गुरुओं के मकान, गुरुकुल और बस्ती से दूर आश्रम बने हुए थे। विद्यार्थियों को प्रारम्भिक-काल में इन्हीं केंद्रों में रहकर विद्याभ्यास करना पड़ता था। प्रारम्भिक-जीवन में सद्यस, नियम तथा सांसारिक और मानसिक शक्ति और परिवर्तता पर अधिक जोर दिया जाता था। शिक्षा का आदर्श सांसारिक उन्नति और परमार्थ की प्राप्ति था। गुरु और शिष्य का सम्बन्ध बहुत ही पवित्र और स्नेहपूर्ण था।

५ अध्याय

धार्मिक आन्दोलन : महावीर और बुद्ध

पहले पहले लिखा जा चुका है कि उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप कर्मकाण्ड-प्रधान था और वह अपने बाहरी विस्तार से बहुत ही बौद्धि, बटिख, बर्बादी और बुरकूद हो चुका था। इस प्रकार के धर्म से लोगों का मन ऊबता जा रहा था और बहुत से विन्तनशील लोगों ने उसका विरोध करना प्रारम्भ किया। वैदिक कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया में कई एक धार्मिक और दार्शनिक सम्प्रदायों का उदय हुआ, जिन्होंने वैदिक धर्म के निम्नलिखित अंगों का विरोध किया—

(१) वेदों का प्रमाण—पुराने वैदिक धर्म में सभी धार्मिक मामलों में वेद प्रमाण माना जाता था। मीमांसकों के अनुसार वेद में लिखा या उससे निर्विघ्न भावसे ही धर्म का आधार था। वेद के ऊपर इस अधिक विश्वास ने मनुष्य के बौद्धिक विकास को रोक दिया। सुधारक धर्मों ने वेद के इस प्रमाण का विरोध किया और उसके बड़े बुद्धि और मानवी अनुभव को अधिक महत्व दिया।


(२) ईश्वर तथा देवता में विश्वास—पुराने विश्वास के अनुसार ईश्वर संसार का कर्ता और देवता के रूप में उसकी विभिन्न शक्तियाँ मनुष्य के भाग्य का नियन्त्रण करने वाली थीं। इस पराबलम्बन से मनुष्य का व्यक्तित्व दब गया था। सुधारवादी धर्मों ने इस पराबलम्बन का विरोध किया और मायब को सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त करने की चेष्टा की।

(३) बाहरी क्रिया-कलाप—उत्तर वैदिक-काल में यज्ञों का बहुत बड़ा विस्तार हुआ, और मनुष्य विविध प्रकार के-यज्ञों को करके जीवन के साधनों और भाव्यों को प्राप्त करने की भासा करता था। नये धर्मों ने इस बात पर जोर दिया कि वैदिक कर्म-काण्ड विश्वासमूठक और जनाबरवक था। इसके बड़े इन्होंने जीवन का प्येय प्राप्त करने के लिये नैतिक आचरण पर विशेष बल दिया।

१. महावीर और जैनधर्म

(१) महावीर का जीवन-चरित्र—यैसे तो बहुत प्राचीन काल में जैन-धर्म का उदय हो चुका था और उसमें २३ जैन तीर्थंकर भी उत्पन्न हो चुके थे,

पत्र (दम्भिनदेई) में भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म के चौथे ही दिन बाहू उतकी माता का देहान्त हो गया और जबका कालम-पाकन उतकी विमाता और मीसी प्रजापती ने किया था। भगवान् बुद्ध के कङ्कपत्र का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन से ही कोमल स्वभाव के तथा चिन्तनशील थे। संसार के दुःखों को देखकर ब्रह्मा से उनका इच्छा मर जाता और वे सोचते थे कि संसार को दुःखों से कैसे छुड़ाया जाय। सिद्धार्थ के पिता उनके इस चिन्तनशील स्वभाव से घबराते थे कि कहीं उसका पुत्र संसार से बिरह होकर संन्यास न ग्रहण कर ले। दुर्योधन ने १२ वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह रामप्राम (गोरखपुर) के कोष्मि-गण की कन्या सुन्दरी राम-



भगवान् बुद्ध

कुमारी पद्मोदरा से कर दिया। सिद्धार्थ की जाँचों से संसार के दुःख जब भी शोकात् नहीं हुए थे, परन्तु पिता के सन्तोष के लिये लगभग १२ वर्ष तक उन्होंने गार्हपत्य-जीवन बिताया। संसार के सभी सुख उनके आसानी से प्राप्त थे, फिर भी जन्म, मरण और दुःखापा और रोग के द्रव्य उनके बिरह कर देते थे। जन्म में उन्हें बह मिश्रण करना पड़ा कि वे सांसारिक जीवन से निकल कर संसार को दुःख से मुक्त करने का उपाय ढूँढ़ निकालें। एक दिन रात को जपनी की पद्मोदरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ कर कपिलवस्तु से बाहर निकल गये। इस वदना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं।

सिद्धार्थ के साथ उनका घोड़ा कन्धक और सारथी छन्दक था। सिद्धार्थ ने रातोंरात शाक्य राज्य की सीमा पार की। उसके बाद सबेरा होते ही उन्होंने गोरक्षपुर जिले में बनोमा (आमी) नदी को पार किया और अपने घोड़े और सारथी को वापस भेज दिया। इसके पश्चात् सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से अपने शकसी बाळ काट बाळे और अपने कपड़े और धामूषण एक मिल्लारी को देकर स्वयं तपस्वी का भेष धारण किया। इसके बाद सिद्धार्थ ज्ञान और सत्य की खोज में घूमने लगे। एषदुत्त से पण्डितों, विद्वानों, साधु और संन्यासियों से उन्होंने भेंट की। परन्तु केवल साधु-ज्ञान और दार्शनिक वाद-विवाद से उनको पान्ति नहीं मिली। इसलिये उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया गया के पास-निरखना (फल्गु) नदी के किनारे उरुवेस नामक जंगल में इन्होंने तपस्या प्रारम्भ की। उनके साथ पौष और व्यक्तियों ने भी तपस्या शुरू की जो आगे चल कर भगवान् बुद्ध के पञ्चवर्गीय शिष्य कहलाये। सिद्धार्थ समझते थे कि तपस्या के द्वारा शरीर के रक्त-मांस को सुखा देने पर उनकी बुद्धि शुद्ध हो जायगी और सच्चा ज्ञान मिल जायगा। परन्तु ऐसा न हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि शरीर के दुर्बल हो जाने से उनकी बुद्धि भी दुर्बल हो रही थी। इसलिये उन्होंने शरीर को कष्ट देनेवाली तपस्या के मार्ग को छोड़ दिया। उनके शिष्यों ने व्यक्त से कहा, "गौतम-भोगवादी है, शरीर के आराम के लिये पय से अट हो गया है।" सिद्धार्थ ने इसकी चिन्ता न की और मध्यम-मार्ग का अवलम्बन लिया। एक दिन जब वे पीपल के पेड़ के नीचे प्यास में लीम थे, पिपाह करते-करते उन्हें सचे ज्ञान का प्रकाश मिला। उन्हें ऐसा भासित हुआ कि वे संसार की घोर मित्रा से जग उठे हैं। इस घटना को 'सम्बोधि' कहते हैं। इस समय सिद्धार्थ 'बुद्ध' (जागृत) पद को प्राप्त हुए।

पूर्ण ज्ञान मिल जाने के बाद बुद्ध के मन में यह संसर्ग चला कि उन्हें किसी पहाड़ की गुफा में बैठकर मिले हुए ज्ञान और पान्ति का उपभोग करना चाहिये। अथवा बुद्ध से पीड़ित संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहिये। अन्त में उन्होंने निश्चय किया कि "मैं स्वयं-बुद्ध और मुक्त हो गया हूँ, अब सारे संसार को जगार्जना और निर्वाण का मार्ग दिखाना है।" गया से चलकर भगवान् बुद्ध वाराणसी के पास सारनाथ में जाये, जिसका नाम उस समय ऋषिपत्तन या शृगदाव था। यहाँ पर भगवान् बुद्ध के पौषों साथी पहिले से जाये हुए थे। इन पौषों ने भगवान् बुद्ध को आते देखकर कहा, "यह बड़ी भोगवादी गौतम है। हम इसका आदर नहीं करेंगे।" परन्तु ऐसा

को वे सहन नहीं कर सके। उन्होंने बहुतकर अभिवादन किया और भगवान् बुद्ध के ये प्रथम पाँच शिष्य बने, 'को-पञ्चर्गीय' कहलाये। भगवान् बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले इन्हीं को उपदेश किया। इस घटना को 'धर्म-चक्र-प्रवर्तन' कहते हैं। भगवान् बुद्ध की कीर्ति बढ़ी, शीघ्रता से चारों तरफ फैलने लगी। काशी के सेठ का पुत्र महा अपने परिवार के साथ भगवान् बुद्ध का शिष्य हो गया। कुछ ही दिनों में इनके शिष्यों की संख्या साठ तक पहुँच गयी। भगवान् बुद्ध ने इसका एक सूत्र बनाया जो संसार के इतिहास का सर्वप्रथम प्रचारक सूत्र हुआ। उन्होंने इस सूत्र को सम्बोधित करते हुए कहा, "मिच्छो ! अथ तुम लोग छोडो, धूमो, ष्टोगों के हित के लिये, लोगों के कल्याण के लिये, देवों और मानवों के कल्याण के लिये, धूमो ! तुम लोगो में से कोई एक साथ दो न जावे। उस धर्म का प्रचार करो, जो आदिमंगल, मध्यमंगल, और अन्त मंगल है।" भगवान् बुद्ध ने अपने जीवन के शेष पैंतालीस वर्षों में उत्तर-भारतवर्ष में अंग, मगध से लेकर पश्चिम में अवध तक अपने धर्म का प्रचार किया। अस्सी वर्ष की अवस्था में राजगृह से चलकर भ्रमण करते हुए महा की दूसरी राजधानी पावा में आये। यहाँ पर उन्होंने मुख्य कुमार (स्वर्णकार) का मोक्ष स्वीकार किया। यहीं पर उन्हें अतिसार का रोग हुआ। पावा से पैदल चलकर एक दिन में यहाँ की मुख्य राजधानी कुशीनगर पहुँचे। कुशीनगर के पास शालवन उपवन में भगवान् बुद्ध का शरीर सुटा। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अपने शिष्यों आत्मन् आदि को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा, "संसार की सभी वस्तुएँ नाशवान हैं, साबधान होकर उनका सम्पादन करना चाहिये। यही तथागत की अन्तिम पाणी है।"

(२) बुद्ध के उपदेश और सिद्धान्त—भगवान् बुद्ध ने सबसे पहले धर्म-चक्र-प्रवर्तन के समय चार आर्य सत्यों (चत्वारि आर्य सत्यानि) का उपदेश किया। उनके अनुसार पहला आर्य सत्य बुद्ध है। उन्होंने कहा "सर्वं दुःखं पुनः" अर्थात् संसार में सभी दुःख ही दुःख है। अम्म, मरण, उरा और व्याधि से कोई भी प्राणी नहीं बच सकता। म्रिय का वियोग दुःख है, अमिय का संयोग दुःख है, आवि। भगवान् बुद्ध ने यह भी बतलाया कि इस दुःख का समुच्चय अथवा कारण भी है। दुःख का कारण पुनः अथवा वासना है। इस कारण का नाश किया जा सकता है, जिसको निरोध कहते हैं। इसी निरोध का दूसरा नाम निर्वाण भी है। निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग भी है, जिसे 'निरोध-गामिनी-प्रतिपद्' कहते हैं। इस मार्ग को अष्टांग-मार्ग कहा गया है। इसके आठ अंग इस प्रकार हैं—

(१) सम्यग्दृष्टि, (२) सम्यक् संकल्प, (३) सम्यक् वाक्, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यक् आजीव, (६) सम्यक् ध्यायाम, (७) सम्यक् स्मृति और (८) सम्यक् समाधि। अष्टाङ्ग-मार्ग को मुख्यतः मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भोग और शरीर को कुछ देनेवाली उपस्था का परित्याग करके शुद्ध आहार-विहार पर जोर दिया गया है। भगवान् ने सिद्धों और अपने अन्य अनुपायियों को दक्ष-शील का भी उपदेश किया, जिसमें (१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय (चोरी न करना), (४) अपरिमह, (५) ब्रह्मचर्य, (६) नृसंगान का त्याग, (७) सुगन्ध, माछा आदि का त्याग, (८) असमय में भोजन का त्याग, (९) कोमल शय्या का त्याग और (१०) कामिनी-काञ्चन के त्याग की गणना है। इसमें से प्रथम पाँच सभी के लिये और अन्तिम पाँच केवल सिद्धों के लिये थे।

भगवान् बुद्ध ने विशेष कर नैतिक आचरण का उपदेश किया। उन्होंने आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रश्नों को सहज नहीं दिया, क्योंकि उनके विचार में इनका सोचने से सीधा सम्बन्ध नहीं था। फिर भी इनके चर्चों के आधार पर बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों का पता लगता है। भगवान् बुद्ध वेदों के प्रमाण में विश्वास नहीं करते थे; उनके अनुसार बुद्धि ही ज्ञान का अन्तिम साधन है। वे ईश्वर के अस्तित्व में आस्था नहीं रखते थे और न तो उसे संसार का कर्ता धर्ता ही मानते थे। भगवान् बुद्ध अनात्मवादी थे। इनका कहना था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं; मनुष्य अपने अहंकार को ही आत्मा मानता है, जो कई संस्कारों से बना हुआ है। किन्तु ईश्वर और आत्मा में विश्वास न करते हुए भी वे पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धान्त को मानते थे। उनके अनुसार जीवन का अन्तिम लक्ष्य निर्वाण है जो सम्पूर्ण वास्तवों के चयन से प्राप्त होता है।

(१) बौद्ध धर्म का प्रचार—भगवान् बुद्ध द्वारा प्रचारित धर्म बड़ी तीव्रता से फैला। इसके कई कारण थे। मूल में बौद्ध धर्म बड़ा ही सरल, नैतिक और व्यावहारिक था। इसलिये जनता ने कर्मकाण्ड से ऊपर इसका सहर्ष स्वागत किया। तीव्र प्रचार का दूसरा कारण यह था कि बौद्ध धर्म का द्वार मानव मांस के लिये खुला था, उसमें नीच-ऊँच का क्या मतलब नहीं था। तीसरा कारण उनका निष्कलंक, पवित्र और उच्च चरित्र था। भगवान् बुद्ध का ऊँचा शरीर, गौरवर्ण, उन्नत मुखमण्डल, प्रसन्न मुद्रा और दया और करुणा से भरी हुई, उनकी मधुर वाणी लोगों पर जादू-सा प्रभाव डालती थी। भगवान् बुद्ध ने अपने उद्देश्य का साध्य अपनी जनता की पोखी को बनाया और ध्यान्त, उपमा तथा रूपक, कथा-कहानी के रूप में

अपने धर्म को लोगों के बीच तक पहुँचाया। भगवान् बुद्ध की संगठन-शक्ति और उस समय के शासकों के साथ उनकी मैत्री के सम्बन्ध से भी बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत सहायता थी।

३. जैन, बौद्ध और वैदिक धर्म का परस्पर-सम्बन्ध

जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही सुभारवादी थे, उन्होंने वैदिक कर्मकाण्ड और वैदिक धर्म-विज्ञान का विरोध किया। यज्ञों और विशेषकर पशु-याग के स्थान में इन दो सम्प्रदायों ने अहिंसा और सदाचार पर काफी जोर दिया। वेदों के प्रमाण को अस्वीकार करते हुए इन धर्मों में बुद्धि, न्याय और तर्क की उपयोगिता स्वीकार की। किन्तु ये सब होते हुए भी भारतवर्ष के बहुत से सामान्य सिद्धान्तों का इन धर्मों में परित्याग नहीं किया। जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष अथवा निर्वाण के सिद्धान्त को मानते थे। उपनिषदों में प्रतिपादित मित्र या पति-धर्म के आचार को मानते हुए दोनों ने उसका विस्तार किया। इन सामान्य सिद्धान्तों के अतिरिक्त जैन और बौद्ध धर्म में और भी समताएँ थीं। जैन धर्म के विरुद्ध थे—सम्पद्वर्जन, सम्पत्ज्ञान और सम्पत्चरित्र। बौद्धधर्म के विरुद्ध थे—सुख, संघ और धर्म। किन्तु इन समानताओं के होते हुए भी दोनों सम्प्रदायों में भी कुछ मौलिक अन्तर थे। इसलिये अलग-अलग धर्म के रूप में इनका संगठन भी हुआ। जैन धर्म ने सृष्टि-क्रम को समझते हुए ईश्वर की आवश्यकता नहीं समझी, किन्तु उसने आत्मा के अस्तित्वका विरोध नहीं किया। वैदिक दृष्टिकोण से जैन धर्म नास्तिक होते हुए भी आत्मवादी था। इसके विपरीत बौद्ध धर्म ने न केवल ईश्वर के अस्तित्व का निराकरण किया, अपितु आत्मा का अस्तित्व भी उसमें न माना। इसलिये वह अनीश्वरवादी एवं अमात्मवादी दोनों ही था। जैन और बौद्ध धर्म में दूसरा अन्तर आचारसम्बन्धी था।—जैन धर्म कठिन तपस्या, उपवास, व्रत, केश-शुद्धि, अन्तर्धान से प्राणत्याग आदि को ज्ञान और मोक्ष के लिये आवश्यक मानता है। इसके बदले बौद्ध धर्म पृथक् तपस्या और पृथक् अहिंसा को अनावश्यक समझता है। बौद्ध धर्म मध्यममार्गी है और उचित आहार-विहार को साधना में सहायक मानता है। जैन धर्म सामाजिक मामलों में वैदिक धर्म के बहुत निकट था। उसमें वर्ण, जाति आदि के आचार, प्रथा, धर्म आदि पर कोई आघात नहीं किया। इसलिये जैनियों और वैदिक धर्म में सामाजिक मेलभाव कम था। बौद्ध धर्म में भी शूल में कोई सामाजिक आन्दोलन नहीं था, किन्तु इसके विचार काफी प्रगतिकारी थे और इसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी पड़ता था। जतः बौद्ध धर्म जैनियों

की अपेक्षा वैदिक धर्म से कुछ अधिक दूर पड़ता था। आचार में तो वही चरित्र जैन और वैष्णव प्रायः समान हो गये।

यह ठीक है कि जैन और बौद्ध दोनों ही सुधारवादी थे, किन्तु वैदिक धर्म से मतभेद रहते हुए भी भारतीय संस्कृति की मूल परम्परा के ये समातीय थे। वेद और कर्मकाण्ड का विरोध भी इनका नया नहीं था। स्वयं उपनिषदों ने भी वेदों के प्रमाण और कर्मकाण्डों की आलोचना की है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में देवताओं की शक्ति में अविश्वास भी किया गया है। इस परम्परा-विरोधी तत्वों को जैन और बौद्ध धर्मों ने आगे बढ़ाया। यह कहते हुए भी जैन धर्म ने वैदिक आत्मवाद का आधा अंश स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म जनात्मवादी होते हुए भी भौतिकवादी (सकवादी) नहीं था। वह आत्मवाद के अधिक मित्र था। उपनिषदों में आत्मज्ञान और मोक्ष के लिये नैतिक आचरण आवश्यक बतलाया गया। जैन और बौद्ध धर्मों ने कर्मकाण्ड का विरोध करके नैतिक आचरण पर विशेष जोर दिया। पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, जगत् की चण-मंगुरता आदि बातों का उदय उपनिषदों में हो चुका था। जैन और बौद्ध धर्मों ने इन सिद्धान्तों का स्वागत किया। यति, मित्र और अन्न आचार भी उपनिषदों में पाया जाता है। ये आचार जैन और बौद्ध दोनों को मान्य थे। इसलिये भारतीय परम्परा का अध्ययन करने से यह साक्ष्य होता है कि एक ही भारतीय धर्म और संस्कृति की सरिता की तीम धाराएँ वैदिक, जैन और बौद्ध सम्प्रदायों के रूप में प्रवाहित हुईं।

६ अध्याय

बुद्धकालीन राजनीति और समाज

१ राजनीति

(१) सोलह महाजनपद—मगधाम् बुद्ध के पहले भारतवर्ष का उत्तरी भाग और वैश्यापथ का कुछ प्रदेश सोलह छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था, जिनको 'जनपद' कहते थे। प्राचीन राज्यों में 'जन' अथवा 'जाति' की प्रधानता



होती थी, इसलिये उन्हें जनीय अथवा जातीय पद्दा जा सकता है। जनपदों के समय में जातियों के रहने का स्थान महत्वपूर्ण हो गया। इसलिये जाति

के बड़े भूमि का संशोधन बना । महामारत-युद्ध के तीसरे वर्ष दिनों तक पांडवों का साम्राज्य बना रहा और और उनके जमीन राज्य भी जीवित रहे । परन्तु भीतर से विकेन्द्रीकरण की शक्ति बारी रही और कुछ ही शताब्दियों के बाद देश छोटे-छोटे जनपदों में बँट गया । और और और प्रणवों में इन जनपदों के नाम इस प्रकार हैं :—

(१) अंग, (२) मगध, (३) काशी, (४) कोसल, (५) वज्जि (परिषम-उत्तर बिहार), (६) मल्ल (आधुनिक बेरियार-भोरखपुर), (७) वल्ल (प्रयाग के आसपास), (८) वेदि (आधुनिक मुन्बेसखण्ड), (९) कुब (यमुना के तट पर दिल्ली के आसपास), (१०) प्राञ्जल (गंगा-यमुना का दो-आब), (११) मगध (जयपुर, सरतपुर, अलवर आदि), (१२) शूरसेन (मथुरा के आसपास का प्रदेश), (१३) अयम्पि (आधुनिक पश्चिमी मारवा), (१४) गणधार (अफगानिस्तान का पूर्वी भाग, सीमास्थ प्रदेश तथा पञ्जाब का पश्चिमोत्तर), (१५) कम्बोज (काश्मीर के पश्चिमोत्तर में), (१६) अरमक (गोवापरी का निचला तटवर्ती प्रदेश) ।

(१) गणराज्य—इस समय के जनपदों में दो तरह के राज्य थे—
(१) गणराज्य अथवा पंचायती राज्य और (२) एकतांत्रिक राज्य । बौद्ध-साहित्य के अनुसार, गणराज्य निम्नलिखित थे :—

१. शाक्य—इस राज्य के संस्थापक अयोध्या के सूर्यवंश की शाखा में थे । इनकी राजधानी कपिलवस्तु थी, जिसके स्थान पर आजकल बस्ती जिले के उत्तर में पाक की तराई में विकीराकोद नामक स्थान है । इसी के पास सुमिनी वन में भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था । भगवान् बुद्ध के पिता शक्योवन शाक्यों के गणमुख्य थे । उनके बाद उनके भाई महिय (अश्विण) गणमुख्य हुए ।

२. कोसलिय अथवा राम-जनपद—काशी के नागवंशी राजा राम और शाक्य-राजकुमारी के साथ उनके विवाह-सम्बन्ध से इस राज्य की स्थापना शाक्य जनपद के दक्षिण-पूर्व में हुई । इसकी राजधानी रामग्राम थी, जिसके स्थान पर आजकल रामगढ़ताक और उसके पास ही गोरखपुर का नगर है ।

३. मौर्य—कोसलियों की राजधानी रामग्राम के पूर्वोत्तर में उत्तर-पूर्व रेलवे पर कुसुमही नामक स्थान के पास, जहाँ आजकल राजधानी नामक गाँव के पास है, यहीं मौर्यों की राजधानी मयूरनगर अथवा पिप्पलीयन था । मौर्यों शाक्यों की ही एक शाखा में थे ।

४. कुशीनगर के मछु—प्राचीन काल में मछों के पूर्व में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश की शाखा में थे। आजकल ऐवरिया किले में कसबा के पास अनुसुवमा नामक गाँव बहाँ है, वहीं मछों की राजधानी कुशीनगर स्थित था।

५. पाघा के मछु—कुशीनगर से लगभग १२ मील दक्षिण-पूर्व में हैं, आजकल फाजिलनगर-सठियाँ है, वहीं मछों की दूसरी राजधानी पाघापुरी बसी थी।

६. मुलि—मुलियों का गणराज्य आधुनिक आरा और मुजफ्फुर जिलों के बीच में था। इनकी राजधानी अलकन्य वेतिवा के पूर्व में थी।

७. लिच्छवियों—लिच्छवि लोग अपने को सूर्यवंशी मानते थे। इनका राज्य मछों के पूर्व और गंगा के उत्तर में था। इनकी राजधानी वैशाखी मुजफ्फुर जिले में पसाइ नामक स्थान पर स्थित थी।

८. विवेह—वे लोग भी प्राचीन सूर्यवंश में थे। इनका राज्य भागलपुर-वर्मगा के प्रदेश के ऊपर था। इनकी राजधानी मिथिला या जमकपुर थी।

९. मग—आधुनिक मिर्जापुर जिले में इनका गणराज्य था। प्रायः वे भी कौशांबी के वत्स राजवंश के समान पौरवों की शाखा में थे। इनकी राजधानी सुसुमार (सुमार) थी।

१०. कोलाम—इनकी पहिचान कुछ कठिन है। इनका सम्बन्ध पाषाणों से था। सम्भवतः इनका राज्य कोशल के पश्चिम में था। इनकी राजधानी केसपुत्र थी।

(३) गणों का संघिधान और शासन-पद्धति—जैसा कि कहा गया है, गणराज्य पंचायती थे। इसका अर्थ यह है कि राज्य का अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर गण अथवा समूह के हाथ में होता था। गण के सभी व्यक्ति या उनके चुने हुए प्रतिनिधि गणों की महासभा या परिषद् का निर्माण करते थे। परिषद् के समापति का भी चुनाव होता था, जिसको राजा कहते थे। इस राजा के अतिरिक्त उपराजा, सेनापति और मंत्रागारिक आदि राज्य के बड़े अधिकारी भी चुने जाते थे। परिषद् के सदस्यों का पुरानी प्रथा के अनुसार राज्याभिषेक होता था और इनको भी राजा कहा जाता था। सभी सदस्यों का पक्ष परिषद् में समान होता था। कभी-कभी कई गणराज्य मिलकर एक संघराज्य भी बनाते थे, जिसका निर्माण प्रायः बाहरी आक्रमणों के समय हुआ करता था।

राज्य परिषद् की कार्यवाही आजकल की कोङ्ग्रेस और संसदों की कार्यवाही से मिलती-जुलती थी। परिषद् की बैठक के लिये एक भवन होता-

धा जिसको संस्थागार कहते थे। संस्थागार में सदस्यों के बैठने का स्थान निर्मित होता था, जिसको आसन कहा जाता था। आसन बतानेवाले का नाम आसन-प्रज्ञापक था। परिषद् की कार्यवाही शुरू करने के लिये कम से कम संख्या निर्मित थी, जिसको गण-पूर्ति कहते थे। जो व्यक्ति अपने वृत्त के सदस्यों को बुझाकर गण-पूर्ति करता था, उसको गणपूरक कहा जाता था। परिषद् में प्रस्ताव करने को प्रतिज्ञा, उसको नियमपूर्वक रखने को स्थापन और उसके पढ़ने को हस्ति कहते थे। प्रतिज्ञा के ऊपर वादविवाद भी होता था। इसके बाद मत लिया जाता था, जिसको छन्द (स्वतन्त्र विचार) कहते थे। अपना मत प्रकट करने के लिये प्रत्येक सदस्य को एक शलाका (तकती) दी जाती थी। मतों को इकट्ठा करने वाले को शलाका-ग्राहक कहा जाता था। परिषद् में विषय प्राया सर्वसम्मति से और कभी-कभी बहुमत से होता था। प्रतिज्ञा स्वीकृत हो जाने पर संघकर्म्म अथवा कर्म्म (पद) कहलाती थी। संस्थागार में विनय का पालन करना आवश्यक होता था। परिषद् का अपना कार्यालय और उसमें लेखक हुआ करते थे, जो कार्यवाही को लिखते और उसको सुरक्षित रखते थे।

(४) एकतामित्रक राज्य—इस समय उत्तर भारत में चार प्रसिद्ध एकतामित्रक राज्य थे, जिनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है—

१. कोसल—यह उत्तर भारत का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राज्य था। इस समय इसकी राजधानी धयोष्या न होकर और उत्तर में राप्ती नदी के किनारे ध्रावस्ती थी। इसका विस्तार दक्षिण में दूर तक था और उसने काशी को अपने अधीन कर लिया था। भगवान् बुद्ध का समकालीन राजा प्रसेनजित था, जिसकी पहन महाकोसला मगध के राजा बिम्बिसार से और उसकी सड़की धाजिरा बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु से प्याही गई। कोसल का मगध के साथ बराबर संघर्ष चलता रहा, जिससे इसकी शक्ति बर्धन होती गई।

२. मगध—भगवान् बुद्ध के चौथे ही दिन पहले हर्षद्वय अथवा नारायणश की स्थापना हुई। उनका समकालीन राजा बिम्बिसार था। यह बड़ा ही महत्वाकांक्षी एवं विजेता था। इसने बुद्ध करके जंग राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। वैशाली के लिच्छवियों और कोसल राज्य से बिबाह-सम्बन्ध करके इसने अपने प्रभाव को और बढ़ाया। इसका पुत्र अजातशत्रु इससे भी बड़ा विजेता हुआ। उसने गंगा के उत्तर बजिसंघ को बुद्ध करके अपने अधीन कर लिया और काशी को स्थायी रूप से कोसल से ले लिया। मगध-साम्राज्य के यहाँ विकास की नींव उसी ने डाली।

३. यत्सं—बासं की राजधानी कौशांबी थी, वहाँ आसकल इलाहाबाद से २५ मील दूर पश्चिमोत्तर में कोसम के खडहर हैं। मगधाद पुत्र का समकालीन राजा उद्यन था, जो प्राचीन पौरव वंश की छात्रा में था। इसका पुत्र अवन्ति के प्रद्योतवंशी राज्य चण्डप्रद्योत से चला था। -

४. अवन्ति—पश्चिमी माकवा में इस समय अवन्ति नाम का राज्य था। वहाँ का राजा चण्डप्रद्योत था। उसने मजुरा के आसपास के शूरसेन प्रान्त को जीत लिया, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और वृत्त से लड़ता रहा।

उपयुक्त चार राज्यों में मगध और अवन्ति अधिक शक्तिशाली थे। पहले पूर्व में मगध ने अपने आसपास के राज्यों की आत्मसात् करने एक बड़ा राज्य बनाया और पश्चिम में अवन्ति ने यही काम किया। अन्त में मगध और अवन्ति का मुकाबला हुआ। इस समय में मगध विजयी तथा साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ।

२. सामाजिक अवस्था

(१) सामाजिक संस्थाएँ—इस समय का भारतीय समाज विद्वान्त्व में वर्ण और जाति के रूप में अवलम्बित था। वैश और बौद्ध आदि सुधारक सम्प्रदायों ने सिर्फ वर्ण और जाति की दुराहियों की निम्ना की, परन्तु उनको कभी निर्मूल करने की चेष्टा न की। फिर भी उनकी आलोचना से समाज किसी अंश में प्रभावित अवश्य हुआ। किन्तु यह मानना पड़ेगा कि इन सम्प्रदायों में भी सामूहिक रूप से निम्न स्तर के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। इस समय भी हीनजाति और हीनशिल्प (निम्न स्तर के व्यवसाय) समाज के घोर पर पड़े हुए थे, जिनमें जाण्डाल, पुस्त, निवाह, श्रम आदि शामिल थे। परन्तु उच्च वर्गों में वर्ण और जाति का परिवर्तन अब भी सम्भव था। बहुत से लोग अपना पैतृक उद्योग धन्धा छोड़कर दूसरा व्यवसाय कर लेते थे।

—। जहाँ तक विवाह-संस्था का सम्बन्ध है, बौद्ध साहित्य में ब्राह्म, गार्धभ और स्वयंवर के ढंग के विवाहों का वर्णन मिलता है। अन्तर्वर्ग अथवा अन्तर्जातीय विवाहों के उल्लेख भी पाये जाते हैं। शाश्वत आदि किन्हीं-किन्हीं जातियों में सगोत्रीय विवाह भी होता था, यद्यपि दूसरी जातियों इसकी निन्दा करती थीं। कई जातियों में भगिनी विवाह की कथाएँ भी हैं, जो आदिम काल की सुषुष्ठी यादगार मान पड़ती हैं। यहू-विवाह के उल्लेख भी पाये जाते हैं, किन्तु इनकी संख्या कम थी। पति के मरने पर स्त्रियों का पुनर्विवाह सम्भव था। समाज में स्त्रियों का स्थान अब भी ऊँचा था। लड़कों की

तरह ही लक्ष्मियों के पालन-पोषण और शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जाता था। अपने साथी के चुनाव में कन्या और घर को स्वतन्त्रता भी और लक्ष्मियों स्वयंवर में अपने पति का चुनाव कर सकती थीं। भायकल के समान पर्वप्रथा भी थी। किराँ भूमि-पत्र सकती थी और मिश्रुणी अथवा परिष्कारिका होने का उनको अधिकार था। कुछ किराँ गणिका अथवा वेश्या का काम भी करती थीं।

(२) आर्थिक जीवन—इस समय आर्थिक जीवन का मुख्य आधार खेती थी। खेती की सुविधा के लिये देस के बहुसंख्यक लोग गाँवों में बसते थे। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे बस जाते थे, उनकी बस्ती को गाँव कहा जाता था। अक्सर गाँव से छोटे हुए आम के वगीचे हुआ करते थे, जिनकी ज़ाया में मनुष्य और जानवर आराम करते और सामाजिक या धार्मिक सभा, मेले और तमाशे आदि होते थे। गाँव के चारों ओर खेत फैले होते थे। उनके बीच में सिंचाई के लिये नालियाँ बनी होती थीं। खेतों के पार गाँव की सीमा पर शाक, बाँस, आम, महुआ और कई प्रकार के झाड़ों के उपवन या बंगाल होते थे, जिनसे लक्ष्मी खेने और पशु चराने का अधिकार गाँववालों को था।

खेतों के ऊपर किसानों का पूरा अधिकार था। किसानों से राज्य को केवल भूमि-कर मिलता था, जो उपज का केवल छठवाँ भाग होता था। इस समय समीहारी की प्रथा नहीं थी, इसलिये छोटे-छोटे किसानों की संख्या अधिक थी। धनी और गरीब के बीच कोई बड़ा भारी अन्तर नहीं था। गाँव का प्रबन्ध ग्राम-सभाएँ करती थीं, ग्राम-सभा का प्रमुख ग्राममोजक कहलाता था, जिसका चुनाव सभा द्वारा होता था। ग्राम की सुरक्षा और न्याय का भार सभा के हाथ में था। सिंचाई, रास्ते, धर्ममाला और सभाघर बनाने आदि बहुत से सार्वजनिक काम सभा के हाथ में होते थे। गाँव स्वावलम्बी होता था और अपने आप एक छोटा सा प्रजातन्त्र था।

खेती और पशुपालन के साथ-साथ और बहुत से उद्योग-धन्धे प्रचलित थे और उनका काफी विकास हो चुका था। बौद्ध ग्रन्थों में अक्सर जठारह शिल्पों का उल्लेख मिलता है, जिनमें बड़ई, सुहार, सुमार, रथकार, चमार, कुम्हार, माली, चिथकार, सेली, तम्बुबाय, (जुहाहा), रंगरेज, औदरी, दार्पीदांत-धिसरी, दृष्ट्याई, सूफकार (रसोइया) आदि के व्यवसाय शामिल थे। इन व्यवसायों में से अधिकांश समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजित थे, जिनके अपने नियम और उपनियम बने थे। उद्योग-धन्धों के साथ व्यापार भी होता था। मारतवर्ष के भीतर आने-जाने के मार्ग काफी चालू थे और

७ अध्याय

मगध साम्राज्य का उदय और विदेशी आक्रमण

१. मगध साम्राज्य का उदय और विकास

जनपदों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि छठवीं शती ईसा पूर्व में मगध-राज्य अपना विस्तार कर रहा था। इस राज्य के विस्तार में दो तीसरे राजवंशों में विशेष योग दिया। पहला राजवंश हर्यक-वंश था, जिसका संस्थापन विम्बिसार ने किया था। विम्बिसार के समय में मगध-राज्य में अंग का राज्य मिला लिया गया और उसने अपने विवाह-सम्बन्ध और राजनैतिक सम्पर्क से अपनी शक्ति का काफी विस्तार किया। उसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु उससे भी अधिक महारवाकोंची और महान् विजयी था। उसने उत्तर बिहार में यज्जि-गणसंघ को हराकर अपना राज्य दिमाक्ष्य तक फैलाया, कोसल राज्य से काशी स्थायी रूप से प्राप्त किया और अपना आतंक उत्तर भारत के पूर्वी भाग तक जल्दी तरह स्थापित कर दिया। इसी के समय में पाटलिपुत्र नामक नगर को सैनिक और राजनैतिक महत्व मिला, जो आगे चलकर मगध की राजधानी बना। अजातशत्रु मगवान् बुद्ध का समकाहीन था। मगवान् बुद्ध के निर्वाण के बाद उसके समय में बौद्धधर्म की पहली सभा हुई। हर्यक-वंश में अजातशत्रु के बाद उदायी, अनुचन्द्र, मुण्ड, मगादशक, आदि कई राजा हुए। परन्तु पहलु और राजाओं की दुर्बलताओं के कारण यह वंश पीण होता गया और शिशुनाग नामक काशी के शासक ने हर्यक-वंश के अन्तिम राजा को हटाकर मगध में शिशुनाग-वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपने विजयों से कोसल, बल और अवन्ति को अपने राज्य में मिला लिया और इस समय लगभग सारे उत्तर भारतवर्ष में मगध राज्य की सत्ता कम गई। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र अशोक (कालाशोक) राजा हुआ। उसने राजगृह को छोड़कर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनायी। उसी के समय में बौद्धधर्म की दूसरी सभा हुई, जिसमें घोरयाद् और महासाधिक दो सम्प्रदायों का जन्म हुआ। कालाशोक के पीछे अत्रसेन घोरवर्षण, मंगुर, सबंश, जालिक, उमंस, सजप, कोरम्य, नन्दिवर्षण और पञ्चमक राजा हुए। इनमें से अन्तिमवर्षण सबसे योग्य था, किन्तु साथ ही साथ

वह विद्यासी भी था। उसकी शूद्रा की से उत्पन्न महापद्मनन्द ने सिधुनाग पंश का जन्म किया और मगध में मन्व्यंश की स्थापना की।

महापद्म नन्द कास्तव में मगध-साम्राज्य के निर्माताओं में से था, जिनमें मौर्यों के पहले मगध-साम्राज्य का विस्तार और उसको बढ़ा किया। वह बहुत बड़ा सैनिक नेता, विजयी और अर्थसंचयी था, परन्तु वह क्षमप्रिय नहीं था। इसके कई कारण थे, एक तो शूद्रा से उसका जन्म उच्च वर्ग के लोगों को असम्भव न था। दूसरे वह असुर विजयी था और वही कठोरता के साथ उसने विजय-धर्मों का शासन किया था। तीसरे, वह बहुत बड़ा श्रेणी था तथा प्रजा से कई प्रकार से धन का लोपण करता था। इस वंश में सब मिटाकर नव राजा हुए, जिनमें महापद्म मन्व्य और उसके आठ छोटे नामिक, थे। महापद्म मन्व्य का सबसे छोटा पुत्र धर्ममन्व्य इस वंश का अन्तिम राजा था। इसको मारकर मौर्यवंश का राजकुमार चन्द्रगुप्त मगध का सम्राट हुआ।

२. ईरानी आक्रमण

पद्यपि उत्तर-भारत के पूर्वी भाग में मगध साम्राज्य का उदय हो रहा था और मगध की शक्ति बड़ी विस्तार और उसकी सेना बड़ी प्रयत्न थी; परन्तु ऐसा मान पड़ता है कि मगध से पश्चिमोत्तर भारत को अपने साम्राज्य में मिलावने की कभी पूरी कोशिश न की। इसका फल यह हुआ कि उत्तरापथ अथवा भारत का पश्चिमोत्तर भाग कई छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। इसमें से कुछ राज्य गणतान्त्रिक और कुछ प्रकृतान्त्रिक थे। ये राज्य आपस में प्रायः लड़ते रहते थे। इससे उत्तरापथ राज्यनैतिक और सैनिक दृष्टि से कमजोर हो गया था और विदेशी आक्रमण को निमग्नण दे रहा था।

जिस समय भारत में मगध साम्राज्य का उदय हो रहा था, उसी समय फारस में बड़ी बड़ी ईसा पूर्व में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यह साम्राज्य पश्चिम और पूर्व दोनों ओर अपना विस्तार कर रहा था। फारस के राजा कुरुप ने लगभग ५५० ई०-५०० ई० में मकदान के रास्ते से भारत पर आक्रमण किया। पहले आक्रमण में भारतीयों से वह सुरी तरह हारा और केवल अपने साथ साथियों के साथ पलायन कर भागा। दूसरे आक्रमण में उसे अधिक सफलता मिली और उसने काबुल घाटी पर अपना अधिकार जमा लिया। ईरान के दूसरे राजा दारु ने ५१९ ई०-५०० के लगभग भारत पर आक्रमण किया। उसने गान्धार, कश्मीर पश्चिमी पंजाब और सिन्ध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। किन्तु ऐसा मान पड़ता है कि ईरानी राजाओं ने भारत पर कभी सीधे, राज्य नहीं किया, वे वार्षिक कर और सैनिक

सहायता से ही सम्पुष्ट थे। ईरान के साथ राजनीतिक सम्पर्क का एक यह हुआ कि पश्चिमोत्तर भारत में कुछ ईरानी सत्त्व भाग मिटा। यहाँ की भाषा लिपि और धर्मशास्त्रों के ऊपर भी ईरानी प्रभाव पड़ा।

३. यूनानी आक्रमण

जिस तरह सातवीं और आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर-भारत में कई एक गण-राज्य हुए, जिन्होंने धर्म, राजनीति और कला में अपनी वेग-छोड़ी, उसी तरह सातवीं और आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में भी कई गण-राज्य थे, जिन्होंने यूनानी सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया और उनको उच्चतम शिखर पर पहुँचाया। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में विद्यासिद्धा, परस्पर युद्ध और स्थायीपता के कारण गण-राज्यों का हास प्रारम्भ हुआ। इसी समय मेसिडोनिया में एक नयी राजनैतिक शक्ति का उदय हुआ। यहाँ के राजा फिलिप ने यूनान के गणराज्यों का विनाश करके सारे यूनान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। फिलिप का पुत्र सिकन्दर महान् उससे भी अधिक महारत्नाकारी था। संसार के विद्वेषियों में उसका प्रमुख स्थान है। उसने यूनान के तंग समुद्र और पहाड़ियों को पार कर पश्चिमी एशिया पर आक्रमण किया। सबसे पहले उसने अपने ही भारत से पश्चिम ईरानी साम्राज्य का विनाश किया और बिजय के ऊपर बिजय करता हुआ मध्य एशिया पहुँचा, जहाँ बैक्ट्रिया नामक यूनानी उपनिवेश की स्थापना हुई। यहीं सिकन्दर ने अपने भारतीय आक्रमण की योजना बनायी।



सिकन्दर

३२० ई० पू० में एक विशाल यवन-शक्त सेना के साथ सिकन्दर ने भारत की ओर प्रस्थान किया। पहले उसने हिन्दुकुश और खैबर दर्रे के बीच के राज्यों को अपने अधीन किया। इसके बाद काबुल की घाटी से होकर उसने भारत पर आक्रमण किया। काबुल घाटी के कई भारतीय राज्यों ने बड़ी वीरता से सिकन्दर का विरोध किया, किन्तु परस्पर विद्वेष के कारण तत्काल के राजा आर्मि ने देश के साथ विश्रामघात किया और भारत का द्वार विदेशी आक्रमणकारी के लिये खोल कर उसका स्वागत किया। तत्काल में आर्मि ने सिकन्दर की बहुत आयमगत की। आर्मि की सहायता से

सिकन्दर ने पूर्व में शेरम की ओर प्रस्थान किया। शेरम के पूर्व में पुर्ब नामक राजा राज्य करता था। इसका राज्य बड़ा और समृद्ध था तथा इसके पास एक विशाल सेना थी। तक्षशिला के राजा से इसकी शत्रुता थी। यही कारण था, कि भाम्मि ने सिकन्दर का स्वागत किया, और उसको पुर्ब के विरोध में बढ़ा लाया। शेरम के पूर्व में पुर्ब की सेना बड़ी हुई थी और यूनानी सेनाओं को शेरम पार करने से रोके हुए थी। यूनानी वर्णनों से मात्स्य होता है कि सिकन्दर ने एक रात को सर्पिली-यानी के समय शेरम बड़ी को ऊपर आकर पार किया। शेरम के पूर्वी किनारे पर यूनानी और पुर्ब की सेना का मुकाबला हुआ। बड़ी घमासान लड़ाई हुई और दिन के पूर्वाह्न में भारतीय सेना प्रथम क्षान पड़ती थी। किन्तु पुर्ब से उस समय बर्षा हो गयी थी, जिससे पुर्ब के धनुर्धारी सैनिक अपने धनुष को जमीन पर जमा नहीं पाते थे। दूसरे, वज्रधारी यूनानी घुड़सवार भारतीय हाथियों पर ज़ोरों से प्रहार कर रहे थे। थोड़ा ही देर बहुत से हाथी अपने ही दल को रौंघने लगे। दिन के तीसरे पहर भारतीय सेनाओं के पैर जलने लगे। पुर्ब थोड़ा हुआ। उसका महावत उसको हाथी पर चढ़ाकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वह पकड़कर सिकन्दर के सामने लाया गया। सिकन्दर ने पूछा 'तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाये ? पुर्ब ने गर्व के साथ उत्तर दिया, 'जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है'। सिकन्दर भारत में बीते हुए प्रायः १० वर्षों पर स्वयं ही शासन नहीं कर सकता था। इसलिये उसने पुर्ब को उसका राज्य छोड़ दिया और उसे पश्चिमी पंजाब का प्रभु (प्रायः शासक) बनाया। अब सिकन्दर के दो भारतीय सहायक मित्र बने—बागसी और पुर्ब। इनको साथ लेकर सिकन्दर और भागे पूर्व की तरफ बढ़ा। कुछ जगह कई गणतन्त्रीय जातियों से उसका घोर युद्ध हुआ, परन्तु पूर्वी पंजाब के छोटे-छोटे राज्य उसके सामने बराबरी होते गये। सिकन्दर प्यास के पश्चिमी किनारे पहुँचा और वहाँ अपना बेरा बाँध दिया। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते यूनानी सैनिकों का साहस बैठ गया और उन्होंने सिकन्दर के बहुत-समझाने के बाद भी भागे बढ़ने से इनकार कर दिया। इससे सिकन्दर को विवश होकर वापस लौटना पड़ा और सारे भारत को जीतने का उसका स्वप्न पूरा न हो सका।

सिकन्दर के वापस लौट जाने के कई कारण थे। एक तो उसके सैनिक कई वर्षों से विदेश में युद्ध कर रहे थे और उनके कई साथी पंजाब की भयंकर लड़ाइयों में काम ला चुके थे। दूसरे, यूनानी सेना व्योम-व्योम जगती बढ़ती जाती थी, उसे रसद कम पहुँचती थी और उसके पीछे का रास्ता अपरिचित

भीर सत्तरमात्र होता जाता था। पंजाब की कड़ी गर्मी, औंधी भीर, बरसात ने सैनिकों को अस्वस्थ और बिकल बना दिया था। किन्तु इन कारणों के साथ-साथ एक और प्रपल्ल कारण था, जिससे सिकन्दर को ब्यास नदी के पूर्व बढ़ने का साहस न हुआ। सतलज के उस पार मगध का विशाल साम्राज्य था, जिसके पास बहुत बड़ी सेना थीर अपार आर्थिक साधन था। मगध की सैनिक तैयारी का समाचार यूनानियों को पंजाब में मिल चुका था। इतने बड़े साम्राज्य का मुकाबला करने के लिये और अपनी जान बचाने में शत्रु के लिये यूनानी तैयार न थे।

सिकन्दर ब्यास नदी के पश्चिम से सीधे हेरैक के किनारे पहुँचा और वहाँ से यूनान लौट जाने के लिये नदी के रास्ते प्रस्थान किया। इस रास्ते में भी उसको कई एकताम्रिक और गणताम्रिक राज्यों का सामना करना पड़ा था। सिकन्दर का सबसे भोर सामना मालव और क्षुद्रक राज्यों ने किया। युद्ध में सिकन्दर धायक होकर मरते-मरते बचा। मालव और क्षुद्रक वीर होते हुए भी एक न हो सके, इसलिये वे यूनानी सेनाओं से पराजित हुये। दक्षिण-पश्चिम पंजाब और सिन्ध के राज्यों को हराया और पार करता हुआ सिकन्दर सिन्ध के मुदाने तक पहुँचा। यहाँ पर उसने अपनी सेना के दो टुकड़े किये। एक टुकड़ा बहाज द्वारा पश्चिम-सागर होता हुआ बेबिलॉन की तरफ बढ़ा। बेबिलॉन पहुँचकर सिकन्दर ने विभ्राम करने की सोची। यहीं पर अधिक अन्न और असंयम के कारण उसे मर हो गया। अधिक मदिरा पीने से उसका उबर पड़ता गया और ईसा से ३२३ ई० पू० में उसका देहान्त हो गया।

सिकन्दर के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिये सीमांत और पंजाब के अधिकांश पर यूनानी आधिपत्य स्थापित हो गया। इसके साथ यूनानियों की छाब्तियाँ और एक दो नगर भी बस गये। यूनानी बंग की प्राम्तीय शासन-प्रणाली भी राज्यों के अधीन चली गयी। परन्तु सिकन्दर के मरने के बाद कोई ऐसी यूनानी सत्ता नहीं थी, जो भारत में यूनानी राज्य को सहायता दे। चन्द्रगुप्त और चाणक्य ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों के विरुद्ध एक बिराट् संगठन के अन्तर्गत विद्रोह का स्रष्टा पड़ा किया और पूर्ण रूप से यूनानियों को भारत के बाहर धकेल दिया।

सिकन्दर के आक्रमण के फलस्वरूप भारत पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव नहीं पड़ा। एक तो सिकन्दर के १९ महीने भारत में केवल युद्ध में बीते और यूनानी सैनिक भारतीयों के साथ कोई सामाजिक सम्पर्क स्थापित न कर सके।

दूसरे भारतीय सम्मता श्रीधी चातुर्वर्षी ईसा पूर्व स पहले ही प्रौढ़ हो चुकी थी, और उसे यूनान के सैनिकों से, और यूनानी छात्रियों से कुछ सीखना न था। भारत में साम्राज्यवाद का आदर्श भी यूनानियों के यहाँ आने से पहले प्रचलित था। सिधुनाग और महापद्मम् इसके ठाँवे उदाहरण थे। परन्तु ऐसा मान पड़ता है, कि यूनानी आक्रमण ने यह स्पष्ट कर दिया कि पश्चिमोत्तर भारत का कई छोटे-छोटे राज्यों में बँटा रहना एक बड़ा भारी सैनिक और राजनीतिक सफल था। यह पाठ चन्द्रगुप्त और चाणक्य के मन पर अंकित हो गया था, इससे चन्द्रगुप्त के समय सारा उत्तरापथ मगध साम्राज्य में मिला लिया गया।


—

८ अध्याय

मौर्य साम्राज्य

१. चन्द्रगुप्त

(१) स्थापना और विस्तार—सिकन्दर के आक्रमण से मगध साम्राज्य को कोई हानि नहीं पहुँची, परन्तु मगध-साम्राज्य के भीतर दूसरे प्रकार की उपद्रव-पुपल बरक रही थी। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है,



मन्त्रों का शासन लोकप्रिय नहीं था, मन्त्रों का सबसे बड़ा विरोधी तक्षशिला का आचार्य चाणक्य और मौर्यगण का रामकुमार चन्द्रगुप्त था। इन दोनों ने मिल कर मन्त्रों के राज्य की सीमा भीतर से हटा दी। बौद्ध साहित्य के अनुसार चाणक्य ने विजय पर्यन्त के आस-पास एक बड़ी सेना इकट्ठी की और चन्द्रगुप्त को लेकर मगध पर आक्रमण किया। पहले आक्रमण में चाणक्य

और चन्द्रगुप्त को हार खानी पड़ी और वे उत्तरापथ की ओर चले गये, जहाँ सिकन्दर पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर रहा था। चन्द्रगुप्त ने इस बात की कोशिश की, कि सिकन्दर को यह मन्वों के विरोध में मगध पर चढ़ा लावे। परन्तु चन्द्रगुप्त और सिकन्दर की बनी नहीं, इसके बाद चन्द्रगुप्त और चाणक्य ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी सत्ता के विरोध में आन्दोलन सदा किया और सिकन्दर की मृत्यु के बाद थोड़े ही दिनों के भीतर पश्चिमोत्तर भारत पर अपना सिक्का जमा किया। पञ्जाब में संगठित विशाक सेना के साथ चन्द्रगुप्त ने चाणक्य की मन्त्रणा से मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया। बड़े भयंकर युद्ध के बाद मन्धवंश का नाश हुआ और चन्द्रगुप्त मौर्य परद्रि-गुप्त के सिंहासन पर बैठा। यहाँ से उसने पहले सुराह से लेकर आसाम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस बात के भी प्रमाण पाये जाते हैं कि उसने विन्ध्य के दक्षिणी प्रदेशों पर भी आक्रमण किया और उसकी विजयी सेना तामिल प्रदेश तक पहुँच गई थी। ३०५ ई० पू० में सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकस निकैर ने सिकन्दर द्वारा भारत में जीते हुये प्रदेशों को वापस लाने के किये भारत पर आक्रमण किया। इस समय राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से भारत की स्थिति प्रबल थी। चन्द्रगुप्त ने सिन्धु के उस पार यूनानी सेना का मुकाबला किया और बुद्ध में सेल्यूकस को हराया। सेल्यूकस सम्यि करने को विवश हुआ। इस सम्यि के अनुसार सिन्धु और हिन्दुकुश के बीच के सारे यूनानी प्रदेशों को उसने चन्द्रगुप्त की सौंप दिया और मैत्री को दृढ़ करने के लिये अपनी लड़की का विवाह भी चन्द्रगुप्त के साथ कर दिया। इस प्रकार चन्द्रगुप्त मौर्य ने एक विशाक साम्राज्य का निर्माण किया जो आसाम से हिन्दुकुश तक और तामिल प्रदेश से हिमालय तक फैला हुआ था। भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक काल में इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार किसी सत्ता ने नहीं किया।

(२) शासन-प्रयन्ध—चन्द्रगुप्त मौर्य केवल विजेता ही नहीं किन्तु एक योग्य शासक भी था। चाणक्य की सहायता से उसने संगठित शासन-पद्धति का विकास किया। इस शासन का वर्णन चाणक्य के अर्घ्यशास्त्र और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के इंडिका नामक ग्रन्थ में पाया जाता है।

मौर्य-साम्राज्य एकतान्त्रिक था और उसका सारा अधिकार/नियन्त्रण-शासक के हाथ में केन्द्रित था, फिर भी राजशक्ति के ऊपर कई वैधानिक, सामाजिक और धार्मिक प्रतिबन्ध लगे हुए थे। राजा को मन्त्रि-परिन्द रखनी पड़ती थी, और उसकी सलाह और सहायता से राज्य का शासन करना होता था। राजा स्वयं कानून नहीं बना सकता था, उसे

कानून समाज में प्रबलित थे, जग्ही का प्रयोग बहू करता था, यद्यपि अश्वघुत ने अपनी आत्माओं में भी कमी-कमी सामन में काम दिया। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति के कर्तव्य थे उनका पालन राजा को करना पड़ता था। धर्म और नीति का धर्म के ऊपर प्रभाव था और प्रजा के हित में बहू अपना हित और प्रजा के सुख में अपना सुख मानता था। सारा केन्द्रीय सामन अठारह विभागों में बँटा हुआ था। प्रत्येक विभाग एक मंत्री के अधीन होता था। नीचे दिये मंत्रियों का उल्लेख अर्धशाब्द में पाया जाता है :

- (१) प्रधान मंत्री अथवा पुरोहित
- (२) समाह्वता (माल-मंत्री)
- (३) मन्त्रिपाल (कोषाध्यक्ष)
- (४) सेनापति
- (५) पुत्रराज
- (६) प्रदीक्षा (वाणिक-शास्त्रज्ञी श्याव-मंत्री)
- (७) श्यावशक्ति (श्याव, उत्तराधिकार आदि शास्त्रज्ञी श्याव-मंत्री)
- (८) नायक (सेनानायक)
- (९) कर्मोन्निह (उद्योग-मंत्री)
- (१०) मन्त्रि-दीक्षु का अध्यक्ष
- (११) इन्द्रपाल (राजा के लिये इन्द्र-मंत्री)
- (१२) अन्तपाल (राजा की रक्षा करने वाला)
- (१३) दूर्वापाल (दूर-जगह-मंत्री)
- (१४) रथ (राजधानी के आगम का अध्यक्ष)
- (१५) उत्तरपाल (राजकीय वाणिक-व्यव का अध्यक्ष)
- (१६) शौकतिक (राजधानी की रक्षा करने वाला)
- (१७) अन्तर्पालिक (राजधानी की रक्षा करने वाला)
- (१८) अन्तर्पालिक (राजधानी की रक्षा करने वाला)

राज्य की सुरक्षा के लिये अश्वघुत का विचार था कि राज्य बहू धर्मों अथवा धर्मों में बँटा हुआ था। राजा राजा अथवा दूर-जगह का, जिसके अन्तर्गत और राजके अन्तर्गत के होते रहते हैं।

राजा राजा अश्वघुत का, जिसके अन्तर्गत राजा और राजा के राज राज के अन्तर्गत रहते हैं। राजा राजा अश्वघुत का, जिसके अन्तर्गत राजा और राजा के राज राज के अन्तर्गत रहते हैं। राजा राजा अश्वघुत का, जिसके अन्तर्गत राजा और राजा के राज राज के अन्तर्गत रहते हैं।

और चन्द्रगुप्त को हार ज्ञानी पड़ी और वे उचरापथ की ओर चले गये, जहाँ सिकन्दर पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर रहा था। चन्द्रगुप्त ने इस बात की कोशिश की, कि सिकन्दर को यह नन्दों के विरोध में मगध पर चढ़ा लावे। परन्तु चन्द्रगुप्त और सिकन्दर की घनी नहीं, इसके बाद चन्द्रगुप्त और चाणक्य ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी सत्ता के विरोध में आन्दोलन सजा किया और सिकन्दर की मृत्यु के बाद थोड़े ही दिनों के भीतर पश्चिमोत्तर भारत पर अपना सिक्का जमा किया। पञ्जाब में संगठित विशाल सेना के साथ चन्द्रगुप्त ने चाणक्य की मन्त्रणा से मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया। बड़े मयंकुर युद्ध के बाद नन्दवंश का नाश हुआ और चन्द्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठा। यहाँ से उसने पहले सुराङ्ग से केकर आसाम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस बात के भी प्रमाण पाये जाते हैं कि उसने हिन्द्य के दक्षिणी प्रदेशों पर भी आक्रमण किया और उसकी विजयी सेना तामिल प्रदेश तक पहुँच गई थी। ३०५ ई० पू० में सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने सिकन्दर द्वारा भारत में जीते हुए प्रदेशों को वापस लाने के लिये भारत पर आक्रमण किया। इस समय राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से भारत की स्थिति प्रबल थी। चन्द्रगुप्त ने सिन्धु के उस पार यूनानी सेना का मुकाबला किया और युद्ध में सेल्यूकस को हराया। सेल्यूकस सन्धि करने को विवश हुआ। इस सन्धि के अनुसार सिन्धु और हिन्दुकुश के बीच के सारे यूनानी प्रदेशों को उसने चन्द्रगुप्त को सौंप दिया और मैत्री को दृढ़ करने के लिये अपनी लड़की का विवाह भी चन्द्रगुप्त के साथ कर दिया। इस प्रकार चन्द्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो आसाम से हिन्दुकुश तक और तामिल प्रदेश से हिमालय तक फैला हुआ था। भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक काल में इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार किसी सत्ता ने नहीं किया।

(२) शासन-प्रणाली—चन्द्रगुप्त मौर्य केवल कब्रिस्तान ही नहीं किन्तु एक योग्य शासक भी था। चाणक्य की सहायता से उसने संगठित शासन-प्रणालि का विकास किया। इस शासन का वर्णन चाणक्य के अर्थशास्त्र और यूनानी राजदूत मेगास्थनीस के इंडिका नामक ग्रन्थ में पाया जाता है।

मौर्य-साम्राज्य एकतान्त्रिक था और उसका सारा अधिकार निश्चयतः राजा के हाथ में केन्द्रित था, फिर भी राजशक्ति के ऊपर कई वैधानिक, सामाजिक और धार्मिक प्रतिबन्ध लगे हुए थे। राजा को मन्त्रि-परिषद् रत्ननी पड़ती थी, और उसकी सलाह और सहायता से राज्य का संचालन करना होता था। राजा स्वयं कानून नहीं बना सकता था, उसे

कानून समाज में प्रचलित थे, उन्हीं का प्रयोग वह करता था, यद्यपि चन्द्रगुप्त ने अपनी आज्ञाओं से भी कभी-कभी सामन्य में काम किया। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जो पवित्र के कर्तव्य थे उनका पालन राजा को करना पड़ता था। धर्म और नीति का उभरे ऊपर प्रभाव था और प्रजा के हित में वह अपना हित और प्रजा के सुख में अपना सुख मानता था। गारा वैश्वीय सामन्य अग्ररत विभागों में बँटा हुआ था। प्रत्येक विभाग एक मंत्री के अधीन होता था। नीचे लिखे मंत्रियों का उल्लेख अर्धशाब्द में पाया जाता है :

- (१) प्रधान मंत्री अथवा पुरोहित
- (२) गमाहर्षा (मातृ-मंत्री)
- (३) सकिपाला (कोषाध्यक्ष)
- (४) मेनापति
- (५) पुत्रराज
- (६) प्रदेहा (सामन्य-सम्बन्धी न्याय-मंत्री)
- (७) न्यायदाहिक (स्वाम्य, उत्तराधिकार आदि सम्बन्धी न्याय-मंत्री)
- (८) नापक (मेनानापक)
- (९) कर्माधिक (उद्योग-मंत्री)
- (१०) मनि-परिचर का अध्यक्ष
- (११) सुदरान (सेवा के लिये राज-मंत्री)
- (१२) अगस्त (सीमा की रक्षा करने वाला)
- (१३) दुर्गस्य (गृह-न्याय-मंत्री)
- (१४) वैर (राजद्वारी के सामन्य का अध्यक्ष)
- (१५) अनासना (राजकीय अनासना-कार का अध्यक्ष)
- (१६) दीवसिक (राजद्वारा की रक्षा करने वाला)
- (१७) अगस्तिक (राजद्वारिक की रक्षा करने वाला)
- (१८) अगस्तिक (अंततः-विभाग का मंत्री)

सामन्य की सुविधा के लिये चन्द्रगुप्त का विद्वान् सामन्य बड़े बड़े अदालत इन्हीं में बँटा हुआ था। उसके अलावा अनासना-कार, विद्वान् अदालत और उसके अगस्तिक के अदालत इन्हीं में थे।

इसका अलावा अगस्तिक का, जिसमें अंततः अगस्तिक अदालत और अगस्तिक के अलावा अदालत इन्हीं में थे। अंततः अगस्तिक अदालत का, जिसमें अगस्तिक अदालत अदालत इन्हीं में थे। अंततः अगस्तिक अदालत का, जिसमें अगस्तिक अदालत अदालत इन्हीं में थे।

राज्य की ओर से होता था। यातायात की व्यवस्था थी। नदियों और सड़कों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना सुरक्षित था। जनता के स्वास्थ्य और सफाई का भी प्रबन्ध था। राज्य में अनेक प्रकार के रोगों की चिकित्सा करने के लिये चिकित्सक बन चुके थे। सिन्ध में सरकार पूरी सहायता करती थी। वाक्स्मिक रोग—महामारी, बिसूचिका आदि, सूखा, बाढ़, अग्नि, दुर्भिक्ष आदि से प्रजा की रक्षा करने का भार सरकार के ऊपर था।

चन्द्रगुप्त के शासन का जो वर्णन मिलता है, उससे यह कहा जा सकता है, कि वह बहुत ही सुव्यवस्थित और सुसंगठित था। इस शासन की तुलना किसी भी सम्यक्ष देश के शासन से की जा सकती है। प्रसिद्ध इतिहासकार पी० ए० स्मिथ ने लिखा है, कि चन्द्रगुप्त का शासन अक्षर के शासन से कई उच्च कोटि का था।

२. विन्धुसार

जैन परम्परा के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अन्तिम काल में जैनधर्म का उपासक हो गया था और जैनधर्म के साधु भद्रबाहु के साथ मैसूर में अरण्य-वेष्टगोला नामक स्थान पर तपस्या करने के लिये चला गया। वर्ष ३०५-२९७ में जनपद करके उसने अपने शरीर का त्याग किया। उसके बाद उसका छद्मका विन्धुसार मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पिता की दिक-जयी नीति का अयकम्बन किया। पौद्ग साहित्य में लिखा है कि चाणक्य विन्धुसार के समय में भी मगध साम्राज्य का मंत्री था। उसकी प्रेरणा से विन्धुसार ने भारत के बचे हुए सौराष्ट्र राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया और मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। इस बात की पुष्टि यूनानी लेखकों द्वारा भी होती है। विन्धुसार ने चन्द्रगुप्त की विदेशी नीति को भी जारी रखा। वह भारत के भीतर आक्रमण की नीति और पश्चिमोत्तर में पड़ोस के यूनानी राज्यों के साथ मित्रता का सम्बन्ध रखता था। विन्धुसार बड़ा ही विवेकालु और योग्य दासक था, परन्तु चन्द्रगुप्त और अशोक के बीच में आने से उसका व्यक्तित्व प्रमिट हो गया।

३. अशोक

(१) राज्य-प्राप्ति और विजय

विन्धुसार के कई पुत्रों में अशोक सबसे योग्य और प्रतिभाशाली था। पौद्ग साहित्य से ऐसा ज्ञात होता है, कि विन्धुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिये उसके पुत्रों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में बहुत से भाई मारे गये

और बम्ब में अशोक पारलिपुत्र के सिंहासन पर २७२ ई० पू० के उपासक बने। प्रारम्भ में उसने भी बिन्दुसार की तरह अश्वमेध की नीति का अनुसरण किया। उसने कारमीर और कटिग को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। कटिग का युद्ध उसके शासनकाल के आठवें वर्ष में हुआ। यह बड़ा प्रयात्नक युद्ध था, जिसमें बहुत बड़ा विप्लव हुआ। इसकी दृग्गत अशोक बहुत ही दुःखी और प्रभावित हुआ और बौद्ध-धर्म के प्रभाव के कारण उसने वैदिक और राजनीतिक विग्रहों को छोड़कर धर्म-विग्रह और लोहमेधा की नीति का अवलम्बन किया।

(२) शासन-प्रबन्ध : सुधार

अशोक को उत्तराधिकारी में एक बहुत बड़ा साम्राज्य और सुसंगठित शासन मिला था, परन्तु उसने अपने पारमिक विभागों और वैदिक विभागों के अनुसार शासन की नीति और कार्यक्रम में बहुत सा परिवर्तन किया। उसने घोषणा की कि 'मेरे राज्य में सभी मनुष्य मेरी समता हैं, उन्मा कि मैं चाहता हूँ, कि मेरी समता को लोक में सुख और परलोक में परमार्थ की प्राप्ति हो, उन्मी प्रकार मैं अपनी प्रजा के लिये भी संकल्प-व्यामना करता हूँ।' इसमें सम्यक् नहीं कि अशोक ने अपने शासन में आदर्शवादिका और लोकहित को उच्च स्थान दिया। अशोक ने अपने शासन में निम्नलिखित सुधार किये:

(१) उसने धर्म-विभाग की स्थापना की, जिसमें धर्म-प्रवक्तव्यकारि धर्मोपदेशियों की नियुक्ति की, जो प्रजा के पारमिक और वैदिक कल्याण की संरक्षण करते थे।

(२) उसने इतिवेद्यों (गृहमा देवे पाले) और हीना करके अपने अधिकारियों की नियुक्ति की जो प्रजा के पारमिक और वैदिक कल्याण की संरक्षण करते थे।

(३) राजधानी के सामाजिक जीवन में भी बहुत से परिवर्तन हुए। ऐसे समाज और समाज जिसमें शान्ति, शान्ति, भाव, शान्ति, का ही ही हुआ था, का, का ही ही हिरे लगे और उनके स्थापन का लक्ष्य और धर्म-व्यवस्था की स्थापना की गयी।

(४) प्राणि-जात के सुख को उपासक में लगे का बहुत से अर्थानों का अनुभव करके का दिया गया और कई प्रकार के जीव-जाती का स्थापन किये गये।

(५) बहुतों और बहुतों के स्थापन और स्थापन के लिये बहुतों के लिये स्थापन किये गये और स्थापन के लिये स्थापन किये गये।

(६) कई ही अर्थानों का ही स्थापन के लिये स्थापन किये गये।

राज्य की ओर से होता था। पातायात की व्यवस्था थी। नदियों और सड़कों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जामा सुरक्षित था। जनता के स्वास्थ्य और सफाई का भी प्रबन्ध था। राज्य में अनेक प्रकार के रोगों की चिकित्सा करने के लिये चिकित्साशाल्य बने हुए थे। सिन्हा में सरकार पूरी सहायता करती थी। आकस्मिक रोग—महामारी, विस्फिक्ता आदि, सूखा, बाढ़, अग्नि, दुर्भिक्ष आदि से प्रजा की रक्षा करने का भार सरकार के ऊपर था।

चन्द्रगुप्त के शासन का जो वर्णन मिलता है, उससे यह कहा जा सकता है, कि वह बहुत ही सुव्यवस्थित और सुसंगठित था। इस शासन की तुलना किसी भी सम्य देश के शासन से की जा सकती है। प्रसिद्ध इतिहासकार बी० ए० स्मिथ ने लिखा है, कि चन्द्रगुप्त का शासन अकबर के शासन से कहीं उच्च कोटि का था।

२. विन्धुसार

जैन परम्परा के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अन्तिम काल में जैनधर्म का उपासक हो गया था और जैनाचार्य मन्वाद्यु के साथ मैसूर में अवन-बेहगोला नामक स्थान पर तपस्या करने के लिये चला गया। वहीं ई० पू० २९७ में अन्तर्धान करके उसने अपने शरीर का त्याग किया। उसके बाद उसका छत्रका विन्धुसार मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पिता की विविध-जयी नीति का अवलम्बन किया। बीद साहित्य में लिखा है कि चाणक्य विन्धुसार के समय में भी मगध साम्राज्य का मंत्री था। उसकी प्रेरणा से विन्धुसार ने भारत के बड़े बड़े सोलह राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया और मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। इस बात की पुष्टि यूनानी लेखकों द्वारा भी होती है। विन्धुसार ने चन्द्रगुप्त की विदेशी नीति को भी जारी रखा। वह भारत के भीतर आक्रमण की नीति और पश्चिमोत्तर में पड़ोस के यूनानी राज्यों के साथ मित्रता का सम्बन्ध रखता था। विन्धुसार बहुत ही विवेका और योग्य सासक था, परन्तु चन्द्रगुप्त और अशोक के बीच में आने से उसका व्यक्तित्व धूमिल हो गया।

३. अशोक

(१) राज्य-प्राप्ति और विजय

विन्धुसार के कई पुत्रों में अशोक सबसे योग्य और प्रतिभाशाली था। बीद साहित्य से ऐसा ज्ञान होता है, कि विन्धुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिये उसके पुत्रों में कुछ झुंझा। जम युद्ध में बहुत से भाई मारे गये

और अन्त में अशोक पाटलिपुत्र के सिंहासन पर २७२ ई० पू० के लगभग बैठा। प्रारम्भ में उसने भी बिन्दुसार की तरह चन्द्रगुप्त की नीति का अनुसरण किया। उसने कारमीर और कलिंग को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। कलिंग का युद्ध उसके शासनकाल के आठवें वर्ष में हुआ। यह बड़ा भयानक युद्ध था, जिसमें बहुत बड़ा विध्वंस हुआ। इसकी वृत्तकार अशोक बहुत ही दुःखी और प्रभावित हुआ और बौद्ध-धर्म के प्रभाव के कारण उसने सैनिक और राजनीतिक विजयों को छोड़कर धर्म-विजय और लोकसेवा की नीति का अवलम्बन किया।

(२) शासन-प्रबन्ध : सुधार

अशोक को उत्तराधिकारी में एक बहुत बड़ा साम्राज्य और सुसंगठित शासन मिला था, परन्तु उसने अपने धार्मिक विश्वासों और नैतिक विचारों के अनुसार शासन की नीति और कार्यक्रम में बहुत सा परिवर्तन किया। उसने घोषणा की कि 'मेरे राज्य में सभी मनुष्य मेरी सम्ताम हैं, जैसा कि मैं चाहता हूँ, कि मेरी सम्ताम को लोक में सुख और परलोक में परमार्थ की प्राप्ति हो, उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा के किये भी मंगल-कामना करता हूँ।' इसमें सम्देह नहीं कि अशोक ने अपने शासन में आदर्शवादिता और लोकहित को उच्च स्थान दिया। अशोक ने अपने शासन में निम्नलिखित सुधार किये:

(१) उसने धर्म-विभाग की स्थापना की, जिसमें धर्म-महामात्य आदि धर्मोपकारियों की नियुक्ति की, जो प्रजा के धार्मिक और नैतिक कल्याण की व्यवस्था करते थे।

(२) उसने प्रतिबेदकों (सूचना देने वाले) और शीरा करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जो जनता की स्थिति का निरीक्षण कर मराट्ट को उनकी सूचना देते थे।

(३) राजधानी के सामाजिक जीवन में भी बहुत से परिवर्तन हुए। ऐसे समाज और उरस्य जिनमें मांस, शराब, माद्य, गान, का शीर दुर्गा करता था, बन्द कर दिये गये और उनके स्थान पर सम्मंग और धर्म-यात्रा की व्यवस्था की गयी।

(४) प्राणि-मात्र के मृत्यु को स्थान में रम्ब कर बहुत से जलपत्तों पर पशुबन्ध बन्द कर दिया गया और कई प्रकार के जीवधारी जलज्य घोषित किये गये।

(५) पशुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिये बहुत से चिकित्सालय खोले गये और जोगधियों को उत्पन्न करने के लिये उद्यान लगाये गये।

(६) कई श्रम अवसरों पर कैदगानों से कैदी छोड़े जाने थे।

राज्य की ओर से होता था। पातायास की समस्या थी। नदियों और सड़कों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना सुरक्षित था। जनता के स्वास्थ्य और सफाई का भी प्रबन्ध था। राज्य में अनेक प्रकार के रोगों की चिकित्सा करने के लिये चिकित्सालय बने हुए थे। पिछा में सरकार पूरी सहायता करती थी। आकस्मिक रोग—महामारी, विस्फिका आदि, सूखा, बाढ़, भूकंप, दुर्भिक्ष आदि से प्रजा की रक्षा करने का भार सरकार के ऊपर था।

चन्द्रगुप्त के शासन का जो वर्णन मिलता है, उससे यह कहा जा सकता है, कि वह बहुत ही सुस्थिर और सुसंगठित था। इस शासन की तुलना किसी भी सम्य देश के शासन से की जा सकती है। प्रसिद्ध इतिहासकार बी० ए० स्मिथ ने लिखा है, कि चन्द्रगुप्त का शासन अकबर के शासन से कहीं उच्च छोटी का था।

२. विन्धुसार

जैन परम्परा के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अन्तिम काळ में जैनधर्म का उपासक हो गया था और जैनधर्मग्रन्थों के साथ मैसूर में अशोक-वेङ्गोळा नामक स्थान पर तपस्या करने के लिये चला गया। वहाँ ई० पू० २९७ में अज्ञान करके उसने अपने शरीर का त्याग किया। उसके बाद उसका छद्मका विन्धुसार मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पिता की विविध-नीति का अवलम्बन किया। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि साम्राज्य विन्धुसार के समय में भी मगध साम्राज्य का मंत्री था। उसकी प्रेरणा से विन्धुसार ने भारत के बड़े बड़े सोलह राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला किया और मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। इस बात की पुष्टि यूनानी लेखकों द्वारा भी होती है। विन्धुसार ने चन्द्रगुप्त की विदेशी नीति को भी जारी रखा। वह भारत के भीतर आक्रमण की नीति और पश्चिमोत्तर में पड़ोस के यूनानी राज्यों के साथ मित्रता का सम्बन्ध रखता था। विन्धुसार बड़ा ही विवेकी और योग्य शासक था, परन्तु चन्द्रगुप्त और अशोक के बीच में जाने से उसका व्यक्तित्व धूमिल हो गया।

३. अशोक

(१) राज्य-शांति और विजय

विन्धुसार के कई पुत्रों में अशोक सबसे योग्य और प्रतिभावाली था। बौद्ध साहित्य के लेखकों का मत होता है, कि विन्धुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिये उनके पुत्रों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में बहुत से भाई मारे गये

और जन्त में अशोक पाटलिपुत्र के सिंहासन पर २७२ ई० पू० के लगभग बैठा। प्रारम्भ में उसने भी बिन्दुसार की तरह चन्द्रगुप्त की नीति का अनुसरण किया। उसने कारमीर और कर्दिया को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। कर्दिया का युद्ध उसके शासनकाल के आठवें वर्ष में हुआ। यह बड़ा भयानक युद्ध था, जिसमें बहुत बड़ा विध्वंस हुआ। इसको देखकर अशोक बहुत ही दुःखी और प्रभावित हुआ और बौद्ध-धर्म के प्रभाव के कारण उसने सैनिक और राजनीतिक विजयों को छोड़कर धर्म-विजय और लोकसेवा की नीति का अवलम्बन किया।

(२) शासन-प्रबन्ध : सुधार

अशोक को उत्तराधिकारी में एक बहुत बड़ा साम्राज्य और सुसंगठित शासन मिला था, परन्तु उसने अपने धार्मिक विश्वासों और नैतिक विचारों के अनुसार शासन की नीति और कार्यक्रम में बहुत सा परिवर्तन किया। उसने घोषणा की कि 'मेरे राज्य में सभी मनुष्य मेरी समताम हैं, जैसा कि मैं चाहता हूँ, कि मेरी समताम को लोक में सुख और परलोक में परमार्थ की प्राप्ति हो, उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा के लिये भी मंगल-कामना करता हूँ।' इसमें सन्देह नहीं कि अशोक ने अपने शासन में आदर्शवादिता और लोकहित को उच्च स्थान दिया। अशोक ने अपने शासन में निम्नलिखित सुधार किये:

(१) उसने धर्म-विभाग की स्थापना की, जिसमें धर्म-महामात्य आदि यमोधिकारियों की नियुक्ति की, जो प्रजा के धार्मिक और नैतिक कल्याण की व्यवस्था करते थे।

(२) उसने प्रतिवेदकों (सूचना देने वाले) और दौरा करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जो जनता की स्थिति का निरीक्षण कर मन्त्र को उसकी सूचना देते थे।

(३) राजधानी के सामाजिक जीवन में भी बहुत से परिवर्तन हुए। ऐसे समाज और उत्सव जिनमें मांस, शराब, नाच, गान, का दौरा हुआ करता था, बन्द कर दिये गये और उनके स्थान पर सासंग और धर्म-यात्रा की व्यवस्था की गयी।

(४) प्राणि-मात्र के मृत्यु को स्थान में रद्द कर बहुत से भयमरों पर पशुवध-बन्द कर दिया गया और कई प्रकार के जीवधारी अक्षय्य घोषित किये गये।

(५) पशुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिये बहुत से पिबि-प्यालय खोले गये और भोजनियों को उत्पन्न करने के लिये उद्यान लगाये गये।

(६) कई शम भयमरों पर कैदगानों से कैदी जोड़े जाते थे।

‘हे।’ सिकन्दर, सीडर, काम्स्टेप्राइन, नेपोकियन और अकबर आदि की तुलना में अपने नैतिक आदर्शों के कारण अशोक बहुत ऊँचा उभरता है।

४. अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य का पतन

अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के साफ छवण दिखाई पड़े लगे। एक-दो को छोड़कर उसके उत्तराधिकारी बिकासी और दुर्बल थे। मौर्य वंश के अन्तिम दिनों में, मध्य-पश्चिम में भारत पर आक्रमण होने शुरू हो गये। ऐसा जान पड़ता है, कि मध्य और पश्चिमी पश्चिम की कड़ाह् आतियों पर अशोक की धर्मनीति का ‘कम से कम राजनीतिक मामलों में’ स्थायी प्रभाव पड़ा और उन्होंने जवसर पाठे ही भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिये। मौर्य वंश का अन्तिम शासक बृहद्रथ था, जो बिकासी और अपने कर्तव्यों के पालन करने में असमर्थ था। इस परिस्थिति में उसके सेनापति पुष्यमित्र गुंग ने १८५ ई० पू० के लगभग उसका बध करके गुंग-वंश की स्थापना की।

मौर्य-साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। पहले कारण का उल्लेख किया जा चुका है। वह था अशोक के उत्तराधिकारियों का दुर्बल और बिकासी होना। दूसरा कारण था मध्य पश्चिम से विदेशी आतियों का आक्रमण। तीसरा कारण था विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति और फलस्वरूप मगध साम्राज्य के दूरस्थ प्रांतों का स्वतंत्र होने की चेष्टा करना और एक-एक करके मगध साम्राज्य से निकल कर अलग हो जाना। इन कारणों के अतिरिक्त एक और भी कारण था। बौद्ध और जैन धार्मिक सम्प्रदाय प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुये थे और बौद्ध-धर्म का चरमोत्कर्ष अशोक के समय में हुआ जान पड़ता है। अशोक ने अपनी धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था में बहुत से ऐसे काम किये, जो उस समय के परम्परावादी पुराने विचार के लोगों को असह्य थे। इसलिये समाज के एक बहुत बड़े भाग में अशोक की नीति के विरोध में प्रतिक्रिया होती रही। लक्ष्यवाते हुये मौर्य साम्राज्य के पतन में यह धार्मिक और सामाजिक प्रतिक्रिया भी सहायक हुई।

५. मौर्यकालीन समाज और संस्कृति

(१) समाज

मौर्यों का समय भारत में समाज और संस्कृति की क्या अवस्था थी, इसका पता ज्ञानबन्ध के अर्थशास्त्र, अशोक के धर्मशेख और मेगास्थनीज के विवरण से लगता है। ज्ञानबन्ध के अनुसार इस समय का समाज ब्राह्मण, पशुपति, वैश्य और शूद्र चार वर्गों में बँटा हुआ था। अशोक अपने काल में

कहीं भी वर्णों का उल्लेख नहीं करता, किन्तु उसके धर्म-लेखों में कई एक ऐसे शब्द पाये जाते हैं, जिनसे मासूम होता है, कि चारों वर्ण उस समय स्थित थे, यद्यपि बौद्ध धर्म से प्रभावित लोग वर्णभ्रष्टाचार को विशेष मद्दह नहीं देते थे। मेगस्थनीज़ ने भारत की सात जातियों का उल्लेख किया है, जिनमें (१) वास्तविक, (२) किसान, (३) ग्वाले, (४) कारीगर, (५) सैनिक, (६) निरीक्षक और (७) अमात्य (सरकारी कर्मचारी) समिलित हैं। ऐसा जान पड़ता है, कि मेगस्थनीज़ ने वर्णों, जातियों और सरकारी वर्णों के बीच पृथक् कर दिया है। समाज में ऊँच-नीच का भाव वर्धमान था, इसलिये अशोक बार-बार नीचों और मजदूरों के साथ उचित व्यवहार करने का उल्लेख करता है। स्त्रियों को समाज में स्वतन्त्रता थी, फिर भी उनकी रुढ़िवादिता, रीति-रिवाज से प्रेम और अनावश्यक कर्मकाण्ड में भासक्ति की ओर अशोक प्रवृत्त करता है। राजघरानों और धनी-सामी परिवारों में स्त्रियों के अयरोघन (बन्धु अन्तःपुर) होते थे। इससे मासूम पड़ता है कि ऐसे परिवारों में स्त्रियों के ऊपर प्रतिबन्ध था और कम से कम अर्द्ध पर्दा-प्रथा उस समय भी विद्यमान थी।

अर्घ्यशास्त्र में अष्ट प्रकार के दियार्हों का उल्लेख मिलता है—(१) ग्राह्य, (२) ग्राह्यापत्य, (३) आर्ष, (४) दैव, (५) भासुर, (६) गाम्पर्व, (७) राष्ट्रम, और (८) पैशाच। ग्राह्य और बौद्ध साहित्य दोनों में ही अन्तर्जातीय और कहीं-कहीं सगोत्र और सपिण्ड विवाह के उदाहरण भी पाये जाते हैं। समूह परिवारों में बहुविवाह की प्रथा थी। अर्घ्यशास्त्र में वाणव्य छिप्रता है, 'यदुत सी स्त्रियों को क्याहना चाहिये; स्त्रियों पुत्र उत्पन्न करने के लिये हैं।' पुत्र और स्त्री दोनों को पुनर्विवाह करने का अधिकार अर्घ्यशास्त्र में दिया गया है। किन्हीं-किन्हीं परिस्थितियों में विवाह-विष्येन्द भी सम्भव था।

(२) भोजन और पेय

मौर्य शासन-काल में समाज समृद्ध और सुखी था, इसलिये उस समय के लोग खाने पीने में शौकीन थे और कई प्रकार के भोजन तैयार किये जाते थे। खाने के पदार्थों में अन्न, फल, दूध और मांस शामिल थे। समाज का बहुत बड़ा भाग मांस खाता था। नगरों में तैयार भोजन बेचने वाली दूकानों में पका हुआ मांस, चावल, दाल-रोटी आदि की दूकानों का उल्लेख मिलता है। पीने की चीजों में कई प्रकार की मदिरा का वर्णन मिलता है, जो जली और दूध के सिवाय मुख्य पेय थी। भोजन करने के लिये अशोक मेगस्थनीज़ लिखता है, 'जब भारतीय खाने बैठते हैं, तो दूध पीते हैं।'

सचशिका, रामगृह, पाटलिपुत्र आदि कई एक शिवा के केन्द्र देश में विद्यमान थे, जहाँ विभिन्न शास्त्रों की उन्नति और पढ़ाई होती थी।

(७) कला

कला की दृष्टि से भी मौर्यकाल बहुत प्रसिद्ध है। देश में शांति और सुख्यवस्था के कारण कला को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। भवन-निर्माण कला के ऊपर अर्थशास्त्र और मेगस्थनीस के विवरण से क्राफ्टी प्रकार पढ़ता है।



सारनाथ का अशोक स्तम्भ
(सिंह-शीर्ष)



स्तीरियानगहन गढ़ का अशोक
सिंहरत्नम्भ

मेगस्थनीस के अनुसार पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़ा राजमार्ग और सभा-सम्बन्धिता और सभामण्डपके स्तम्भों पर सुन्दर मूर्तियाँ बनी हुई थीं। मेगस्थनीस

के विचार में मौर्य राजप्रासाद ईरान की राजधानी सूसा के राजमहलों से अधिक मजबूत था। अशोक से भी बहुत से राजप्रासाद, चैत्य, स्तूप, स्तम्भ और गुफा-मन्दिरों का निर्माण कराया। भारत के पुराने गुह-निर्माण में छकड़ी का अधिक प्रयोग होता था। मौर्यों के समय में ईंट और पत्थर का भी प्रयोग होने लगा। मूर्तिकला में पत्थरों और देवताओं की मूर्तियों छकड़ी की और कभी-कभी पत्थरों की बनती थीं, किन्तु इस काल की मूर्तिकला में अशोक के स्तम्भों का बहुत ऊँचा स्थान है। उसके सभी स्तम्भ सुनार के पत्थर और एक दिक्काल्प के बने हैं, सिनकी औसत ऊँचाई लगभग १० फीट है। इन स्तम्भों की चमकती हुई पालिश इंसकों को आज भी आश्चर्य में डाल देती है। स्तम्भों के शीर्ष में कई धार्मिक चिह्न बने हुए हैं, जैसे चक्र, पद्म, पत्नी, छता, पुष्प आदि। इन मूर्तियों में प्राकृतिक अनुकूलता और उनकी लचीलता प्रशंसनीय है। सारमाथ का अशोकस्तम्भ इस काल की मूर्तिकला का सबसे बड़ा उदाहरण है। नाटकों के अभिनय के लिये इस युग में प्रेक्षागृह और रंगमंच बने हुए थे। अर्यशास्त्र में इनके बहुत से उल्लेख पाये जाते हैं। भास के नाटकों से भी इस बात का पता चलता है, कि इस समय रंग-मंच का काफी विकास हो गया था। इस काल के प्रेक्षागृह का एक नमूना सरगुजा राज्य की रामगढ़-पहाड़ियों के एक गुहामंदिर में पाया जाता है।

तक्षशिला, राजगृह, पाटलिपुत्र आदि कई एक शिक्षा के केन्द्र देश में विद्यमान थे, जहाँ विभिन्न शास्त्रों की उन्नति और पढ़ाई होती थी।

(७) कला

कला की दृष्टि से भी मौर्यकाल बहुत प्रसिद्ध है। देश में शान्ति और सुखवस्था के कारण कला को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। भवन-निर्माण कला के ऊपर अर्चशास्त्र और मेगस्थनीज़ के विवरण से काफी प्रकाश पड़ता है।



सारनाथ का अशोक स्तम्भ
(सिंह-शीर्ष)



शौरियाभद्रक गढ़ का अशोक
सिंहस्तम्भ

मेगस्थनीज़ के अनुसार पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़ा राजमहल और साम्राज्य का और साम्राज्य के स्तम्भों पर सुन्दर मूर्तियाँ पनी हुई थीं। मेगस्थनीज़

के विचार में मौर्य राजप्रासाद ईरान की राजधानी सूसा के राजमहलों से अधिक मह्य था। अशोक ने भी बहुत से राजप्रासाद, चैत्य, स्तूप, स्तम्भ और गुफा-मन्दिरों का निर्माण कराया। भारत के पुराने गृह-निर्माण में लकड़ी का अधिक प्रयोग होता था। मौर्यों के समय में ईंट और पत्थर का भी प्रयोग होने लगा। मूर्तिकला में पत्थरों और देवताओं की मूर्तियाँ लकड़ी की और कभी-कभी पत्थरों की बनती थीं, किन्तु इस काल की मूर्तिकला में अशोक के स्तम्भों का बहुत ऊँचा स्थान है। उसके सभी स्तम्भ बुनार के बलुभा पत्थर और एक शिलासण्ड के बने हैं, जिनकी औसत ऊँचाई लगभग ४० फीट है। इन स्तम्भों की चमकती हुई पालिश वर्षों को आज भी जाद्वर्य में डाल देती है। स्तम्भों के शीर्ष में कई धार्मिक चिह्न बने हुए हैं, जैसे चक्र, पशु, पत्नी, छता, पुण्य आदि। इन मूर्तियों में प्राकृतिक अनुस्पता और उनकी लचीलता प्रशंसनीय है। सारनाथ का अशोकस्तम्भ इस काल की, मूर्तिकला का सबसे बड़ा उदाहरण है। नाटकों के अभिनय के लिये इस युग में मेघागृह और रंगशाळाएँ बनी हुई थीं। अर्यशास्त्र में इनके बहुत से उल्लेख पाये जाते हैं। नास के नाटकों से भी इस बात का पता लगता है, कि इस समय रंगशाळा का काफी विकास हो गया था। इस काल के मेघागृह का एक नमूना सरगुजा राज्य की रामगढ़-पहाड़ियों के एक गुहामण्डल में पाया जाता है।



९ अध्याय

वैदिक प्रतिस्ठधारणा

ईसा पूर्व छठी शती में बौद्ध और वीद्व दो सुचारवादी सम्प्रदायों का जन्म हुआ। इन सम्प्रदायों के प्रभाव से साधारण प्रजा का एक बहुत बड़ा अंश और बहुत से राजवंश भी वैदिक धर्म और उसके कर्मकाण्ड, जांचार और नीति से उदासीन हो गये। कुछ छेगों ने तो परम्परागत वैदिक धर्म का उपहास और विरोध भी किया। संयोग से मौर्य साम्राज्य के अन्तिम काल में चाक्री-यूनाणियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ भाग पर अपना अधिकार भी जमा लिया। इन विदेशी आक्रमणकारियों के ऊपर बौद्ध और वीद्व साम्प्रदायी नीति का कोई प्रभाव नहीं था। मौर्य-वंश के सुर्वल और विछासी अन्तिम दासक वेस की रक्षा करने में असमर्थ थे। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय और परम्परावादी राजवंशों का उदय होना स्वाभाविक था, जिनमें शुंग, कान्व और शाम्भ मुनय थे। इन राजवंशों ने वैदिक धर्म के पुनरुद्धार, समाज के पुनर्संरुद्धन और विदेशियों से देश की राजनीति और संस्कृति को बचाने की पूरी चेष्टा की।

२. शुङ्ग-वंश

इस वंश का प्रवर्तक पुष्यमित्र शुंग था, जो भारद्वाज गोत्र के मार्षीन ग्राहणवंश में उत्पन्न हुआ था। ऐसा जान पड़ता है, कि शुंग-वंशीय ग्राहण मौर्यों के पुरोहित थे, जो अस्तोक के बाद अपना शास्त्र छोड़कर लक्ष प्रदण कर लिये थे। पुष्यमित्र योग्य सेजानी था। उमने मौर्य-वंश के अन्तिम राजा बृहद्रथ को भी प्रतिज्ञा सुर्वल (मज्ज-पाठन में असमर्थ) था, सिंहासन से उतारकर शुंग वंश की स्थापना की। इसने पपनों की चढ़ती हुई शक्ति को पश्चिमी पंजाब में रोका। साथ ही साथ कदाचिाते हुए मगध साम्राज्य के बड़े भाग पर अपना अधिकार जमाकर उसको बट होने से बचा लिया। इस राजनीतिक सफलता के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसको बौद्ध और वीद्व धर्मावलम्बी राजवंशों ने छोड़ दिया था। पुष्यमित्र वैदिक धर्म का भी बहुत बड़ा समर्थक था। उमने वैदिक यज्ञों का फिर से अनुष्ठान कराया और वैदिक कर्मकाण्डों को फिर से जीवित किया। संस्कृत भाषा और साहित्य को जो छठी शती ईसा पूर्व से लेकर छमरी शती ईसा पूर्व के मारम्भ

सक शम्भुप्रिय से संबंधित थे, प्रभय दिया। इसी काल में मनुस्मृति जैसा धर्मशास्त्र, पातञ्जल महाभाष्य, भास के नाटक और महाभारत तथा रामायण के कई एक अंश लिखे गये। पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्यिक संगठन पर भी जोर दिया। सुधारवादी धर्मों के प्रचार से बर्ण और आश्रम की व्यवस्थापन हीची पड़ गयी थी। समाज में अपरिपक्व संभ्यास और उसके फलस्वरूप प्रशासन भी फ़ैल रहे थे। इसलिये मनु आदि स्मृतिकारों ने इस बात का बहुत आग्रह किया कि मनुष्य को क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करना चाहिये।

बौद्ध साहित्य के ग्रन्थ दिव्यावदान में पुष्यमित्र के बारे में यह कहा गया है कि वह बौद्ध-धर्म का बहुत बड़ा प्रोत्साहक था, और उसने इस बात की घोषणा की कि जो कोई एक भ्रमण अथवा मित्र का सिर उसको काट कर देगा उसके बन्धु में एक सौ बीनार (सोने का सिक्का) यह पुरस्कार में देगा। किन्तु संदर्भ से यह मानस पक्ता है, कि पुष्यमित्र ने केवल पंचाल के बौद्ध-मठों का ही इतना प्रोत्साहन किया। उत्तर-पूर्व मध्यभारत में बौद्ध-धर्म उसके समय में सुरक्षित रहा। इससे साफ़ प्रकट है कि पुष्यमित्र ने पंचाल के उन्हीं मठों का पिनारा किया जिन्होंने यूनानी आक्रमणकारियों का साथ दिया था।

पुष्यमित्र के उत्तराधिकारियों में अग्निमित्र, वसुमित्र, भागवत अथवा भागभद्र आदि का उल्लेख किया जा सकता है। भागभद्र के समय तक शुंगवंश शक्तिशाली था और उसकी राजसभा में लक्षिका के यूनानी राजा अस्तिकित का राजदूत हेडिपटोर विदिशा में आया था और वहीं पर उसने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर गुरुद्वय की स्थापना की थी। यह गुरुद्वय ऐसनगर (विदिशा) में आज भी खड़ा है। शुंगवंश का अन्तिम राजा देवभूति, मौर्यवंश के अन्तिम राजा बृहद्रथ के समान ही बुरा और विद्याहीन था। इसलिये उसके जमात्य वासुदेव काण्व ने एक दासी की लड़की के द्वारा उसका वध करा दिया। इस तरह शुंग-वंश का अन्त भी हुआ ही रहा।



२. काण्व वंश

वासुदेव, जिसने देवभूति का वध कराया था, काण्व वंश का था। लगभग ३३ ई० पू० में इसने अपने राजवंश की स्थापना की। इस वंश में राजनीतिक शक्ति प्रकट नहीं थी। किन्तु जिस वैदिक प्रतिसुधारणा को शुंगों ने प्रारम्भ किया था, उसको काण्वों ने भी जारी रखा। इनके समय की और कोई विशेष

घटना माहस नहीं। वासुदेव के बाद भूमिमित्र, नारायण और सुसर्मा नाम के राजा हुए। सुसर्मा की भी यही गति हुई, जो देवमूर्ति की हुई थी। इसके मंत्री आग्नेय शिशुक भयवा सिन्धुक ने उसका बच करके लगभग २९ ई० पू० में आग्नेय-वंश की स्थापना की।

३. आग्नेय वंश

आग्नेय वंश महान् दक्षिणायनी हुआ और इस वंश के राजाओं ने भारत के बहुत बड़े भाग पर बहुत दिनों तक शासन किया। शृंगों और कान्धों के समान यह वंश भी माहस था, यद्यपि इसमें माग और द्रविड रक्त का काफी मिश्रण हो चुका था। आग्नेयों की राजधानी प्रतिष्ठान, गोदावरी के किनारे, दक्षिण में थी। इस तरह आग्नेयों के समय में भारत की साम्राज्यवादी शक्ति का केन्द्र दक्षिण में खड़ा गया।

आग्नेय वंश के संस्थापक शिशुक भयवा सिन्धुक का उल्लेख किया जा चुका है। उसके बाद उसका भाई कृष्ण गङ्गा पर बैठे, जिसका अभिलेख पश्चिमी घाट की गुफा में मिला है। कृष्ण के पीछे उसका महीजा और शिशुक का पुत्र शातकर्णी राजा हुआ। वास्तव में यह बहुत दक्षिणायनी और विजयी था और उसने दक्षिण, मध्य भारत और उत्तर-भारत के कुछ भाग पर अपना अधिकार स्थापित किया। कलिंग का राजा पारबेल इसका समकालीन था। वह अति मतापी होते हुए भी आग्नेयों की शक्ति को खीन न कर सका। शातकर्णी के बाद शकों के आक्रमणों से आग्नेयों का चतुर्दश समय के दिनें मग्न पड़ गया, परन्तु दाल साकिवाहन और गौतमीपुत्र शातकर्णी आदि आग्नेय राजाओं ने शकों की सत्ता उखाड़ फेंकी और आग्नेय साम्राज्य का विस्तार किया। इनमें गौतमीपुत्र विभिक्षययी था। "इसके बादमें (दक्षिणों तथा बोरों) ने तीन समुद्रों का जल पिपा। उसका राज्य गोदावरी के निचले काटे में छेकर सुराष्ट्र, अपराम्भ (वर्णई का उत्तरी भाग), अनूप (नीसाइ जिहा), विदर्भ (परार), आहर (पूर्वी मालवा), अपरिष्ठ (पश्चिमी मालवा) के उपर फैला हुआ था।" वह मामिक के शिलालेख में शकों का उल्लेख करने वाला और दक्षिणों के वर्ण का मर्दन करने वाला कहा गया है। उसकी उपमा 'अपर परशुराम' से दी गयी है।

गौतमी पुत्र शातकर्णी के बाद दक्षिणायनी के एक प्रमर्षी ने आग्नेय साम्राज्य पर चढ़ाई करके उसको पुर्णतः बर्णित किया। फिर भी वासिष्ठी पुत्र पुत्रुमायी और वज्रधी शातकर्णी आदि इस वंश के राजाओं ने दक्षिणायन में अपना साम्राज्य सुरक्षित रखा। किन्तु धीरे धीरे आग्नेय वंश दुर्बल ही होता गया। इस वंश के

अंतिम राजा विजय, चन्द्र भी और चतुर्थ पुलुमावी थे। ये नाम मात्र के राजा थे। शकों से बराबर युद्ध और घुराप्ड में जाभीरों की नयी शक्ति के उदय से आम्न्र वंश चीण होता गया। सुदूर दक्षिण में इन्बाकु वंशीय तथा पञ्च राजा आम्न्र साम्राज्य से बाहर निकले गये। पुराणों के अनुसार आम्न्र वंश का अन्त गुप्त-वंशियों ने लगभग २३५ ईस्वी में किया।

४. गणतंत्री राज्य और जातियों

जिस समय मौर्य वंश को अन्त हुआ और उसके स्थान में मगध साम्राज्य के ऊपर शुंग, काण्व और आम्न्र राज्य कर रहे थे, वही समय पूर्वी पंजाब, राजस्थान और मध्यभारत में कई गणराज्यों और जातियों ने, जो पुरानियों के आक्रमण और मौर्य साम्राज्य की सैनिक शक्ति से दब गयी थीं, अपनी स्वतंत्र पुनः स्थापित की। इनमें माछव, वीधेय, मद्र, शिबि, आर्जुनायन, उत्सवसंकेत शुभ्र, वृष्णि, महाराज जनपद औदुम्बर आदि का उल्लेख किया जा सकता है। गणराज्यों में वीधेय और माछव सर्वप्रमुख थे। शकों के प्रथम आक्रमण (७०-५० ई० पू०) के समय इन गणतंत्री राज्यों ने उनका घोर विरोध किया। माछवों की गर्वमिश्र शाका में माछवगण मुख्य विक्रमादित्य उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने ५० ई० पू० में शकों को परास्त करके सम्राट का प्रवर्तन किया। यह घटना भारतीय इतिहास में क्रान्तिकारी थी, और उसकी यादगार आज भी धमर है। परम्परा के अनुसार महाकवि काकिल्वास विक्रमादित्य के समकालीन थे; जिन्होंने बहुत ही उच्चकोटि के काव्यों और नाटकों की रचना की।

५. कर्डिंग का चेदि-वंश

जिस समय आम्न्रवंशीय राजा मगध साम्राज्य के संधहर पर दक्षिण में एक नये साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे, उसी समय कर्डिंग में एक दूसरी शक्ति का उदय हुआ। कर्डिंग के चेदिवंश में महामेघवाहन कारबेल नामक राजा उत्पन्न हुआ जो आम्न्रवंशी शातकर्णी प्रथम का समकालीन था। कारबेल जैन धर्म का मानने वाला था, परन्तु उस समय के युगधर्म ने राजनीति में परम्परागत शक्तिविजय की नीति प्रवृत्त करने के लिये उसको विचलित किया। अपने शासन के तैरद वर्षों में पूर्व-दक्षिण भारत पर उसने अपना राज्य स्थापित किया और दक्षिणापय तथा उत्तर भारत के बड़े भाग पर उसने अपना आधिपत्य जमा किया। किन्तु उसका यह आधिपत्य स्थायी न था। यह प्रवृत्त उसका ही तरह भारत के राजनैतिक आकाश में आया और फिर बिलीन हो गया। उसके उत्तराधिकारियों के बारे में हमारी कुछ भी जानकारी नहीं है।

१० अध्याय

विदेशी आक्रमण

भारतवर्ष, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया की राजनैतिक परिस्थितियों का उनके पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रभाव पड़ता रहा है। छठी, सातवीं ई० पू० से लेकर दसवीं सातवीं ई० पू० के प्रारम्भ तक जब कि भारत में, मागवंश, नन्दवंश और मौर्यवंश के प्रतापी और घलघाली राजा शासन कर रहे थे, पश्चिमोत्तर से कोई स्थायी आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। ईरानी और यूनानी आक्रमणकारियों ने केवल पश्चिमोत्तर भारत के घोर को स्पर्श किया। वे बहुत दक्षिण ही देश के बाहर निकल दिये गये। परन्तु मौर्यवंश के अन्तिम राजाओं के समय में भारत की राजनैतिक अवस्था ढीली-ढाली। देश में विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति फैल रही थी, मगध साम्राज्य के दूर-दूर के प्रांत उससे अलग हो रहे थे और मौर्यवंश के अन्तिम शासक विदरते हुए साम्राज्य को सहायकों में असमर्थ थे। साथ ही साथ जैन और बौद्धधर्म आदि सुधारवादी आन्दोलनों ने वहाँ देश में शक्ति, त्याग और तपस्या का उपदेश किया, यहाँ सैनिक और राजनैतिक जीवन से उदासीनता भी उत्पन्न कर दी। इस वृत्ता में साधारण प्रजा में राजनीति और संगठन की ओर से मानसिक उदासीनता और दुर्बलता थी। जब देश की ऐसी अवस्था हो रही थी तब मध्य एशिया से कई विदेशी जातियों ने इस पर चढ़ाई की। इन जातियों का दुंग, कान्व, आग्य, चेदि आदि राजवंश तथा राजस्थान और मध्यभारत की गणतंत्री जातियों ने विरोध भी किया, किन्तु आन्तरिक दुर्बलता के कारण ये विदेशी पूर्ण रूप से नहीं रोके जा सके और बचपि उनके घोर भारतीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी देश के कुछ भाग पर उनका अधिकार हो गया।

१. पाठवी-यवन

सेलेसियस में ३२३ ई० पू० के लगभग निकन्द्र की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य कई भागों में बँट गया। उसका पश्चिमी साम्राज्य सेल्यूकस निकेटर के हाथ में आया। ३५० ई० पू० के लगभग पार्थिया और पैक्टिया (यादव) दोनों सेल्यूकस के बंताओं के हाथ में निकल गये और यहाँ पर एक स्वतन्त्र यूनानी राज्य की स्थापना हुई। फिर यहाँ से बाल्ही यवनों ने

फिर भारतवर्ष पर चढ़ाई की योजना बनायी और सिकन्दर द्वारा जीते हुए प्रदेशों को अपने अधीन करने का युवा प्रयास किया। बाक्री पवनों के आक्रमण सिकन्दर के आक्रमणों से अधिक व्यापक और प्रभावशाली थे। ...

लगभग २०० ई० पू० वैक्ट्रिया में यूथिडेमस नाम का राजा था। उसका पुत्र डिमिट्रियस बड़ा महत्वाकांक्षी और कुशल सैनिक नेता था। पूरे मौर्य साम्राज्य को जीत लेने की योजना उसने तैयार की और १८९ ई० पू० के लगभग अपने दो प्रधान सेनानायकों मिनांडर (मिन्ड) और अपोलोडोटस के साथ उसने भारत पर चढ़ाई की। यूनानी सेना बहुत ही शीघ्र उत्तर भारत में मिनांडर के नेतृत्व में स्पारकोट, मथुरा, पाण्डल, साकेत (बयोध्या) होते हुए पाटलिपुत्र तक पहुँच गयी। दूसरी ओर अपोलोडोटस के नेतृत्व में यूनानी सेना सिन्धु के किनारे-किनारे सिन्धु और अवन्ति होकर मध्यमिका (मेवाड़ में) तक पहुँची। परन्तु भारतीयों के सीमाव्यय से पवनों में चोर युद्ध हुआ और शृंगों के विरोध से वे उत्तर और मध्य भारत में छहर न सके। फिर भी पश्चिमोत्तर भारत में उनके पाँव जमे रहे और वहाँ पर उन्होंने शासन किया।

पश्चिमोत्तर भारत में मिले यूनानी सिद्धों से बहुत से यूनानी राजाओं के नाम पाये जाते हैं। किन्तु भारतीय दृष्टि से दो राजाओं का उल्लेख किया जा सकता है। यूथिडेमस के वंशजों और सम्बन्धियों में केवल मिनांडर भारतीय साहित्य में स्थान पा सका। उसकी राजधानी शाकल (स्पारकोट) थी। वह योग्य सेनानायक और शासक था, किन्तु भारत में उसकी प्रसिद्धि उसके बौद्ध धर्म के अपनाने के कारण हुई। बौद्ध ग्रन्थ मिलिन्दपञ्चो (मिलिन्द-प्रश्न) के अनुसार मिनांडर ने बौद्ध सन्त मागसेन के प्रभाव से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और स्वामी परम्परा के अनुसार उसने बहू-पद भी प्राप्त किया। मिनांडर के सिद्धों पर धर्मचक्र और त्रिमिह (धार्मिक) उपाधि भी पायी जाती है। दूसरा यूनानी राजा यूमेन्दाइडीज के वंश का अन्तसिकित (पण्डित्याकिकितस) था। इसकी राजधानी लक्षिका थी। शृंगवंशीय राजाओं से इसका मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था। शृंग राजा मागवत (भागवत) के समय में अन्तसिकित का राजदूत हेल्मियोदोर शृंगों की पश्चिमी राजधानी विदिशा में लाया था। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसने विदिशा में विष्णु की पूजा के लिये गण्डवज्र की स्थापना की। यूनानियों में अन्तसिकित का नाम हीमस हुआ, जिसके समय में उनकी शक्ति बहुत क्षीण हो गयी थी। उसकी सत्ता का अन्त करके कुपनों ने भारत में अपने राज्य की स्थापना की।

१० अध्याय

विदेशी आक्रमण

भारतवर्ष, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया की राजनैतिक परिस्थितियों का उनके पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रभाव पड़ता रहा है। छठी शती ई० पू० से लेकर दूसरी शती ई० पू० के मध्य तक जब कि भारत में नागवंश, मगधवंश और मौर्यवंश के प्रतापी और बलशाली राजा शासन कर रहे थे, पश्चिमोत्तर से कोई स्थायी आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। ईरानी और यूनानी आक्रमणकारियों ने केवल पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र को स्पर्श किया। ये बहुत क्षीण ही देश के बाहर निकाल दिये गये। परन्तु मौर्यवंश के अन्तिम राजाओं के समय में भारत की राजनैतिक अवस्था उर्बाओक थी। देश में विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति फैल रही थी, मगध साम्राज्य के दूर-दूर के प्रांत्य अबसे अलग हो रहे थे और मौर्यवंश के अन्तिम शासक विचरते हुए साम्राज्य को सम्हालने में असमर्थ थे। साथ ही साथ जैन और बौद्धधर्म आदि सुधारवादी आन्दोलनों ने जहाँ देश में शांति, त्याग और तपस्वा का उपदेश किया, वहाँ सैनिक और राजनैतिक जीवन से उदासीनता भी उत्पन्न कर दी। इस दृष्टा में साधारण प्रजा में राजनीति और संगठन की ओर से मानसिक उदासीनता और दुर्बलता थी। जब देश की ऐसी अवस्था हो रही थी तब मध्य एशिया से कई विदेशी जातियों ने इस पर चढ़ाई की। इन जातियों का शुंग, कण्व, आग्ग, चेदि आदि राजवंश तथा राजस्थान और मध्यभारत की गणतन्त्री जातियों ने विरोध भी किया। किन्तु आन्तरिक दुर्बलता के कारण ये विदेशी पूर्ण रूप से नहीं रोके जा सके और यद्यपि उनको घेर भारतीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी देश के कुछ भाग पर उनका अधिकार हो गया।

२. घासनी-यवन

बेबिलॉन में ३२३ ई० पू० के लगभग सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कई भागों में बँट गया। उसका पश्चिमी साम्राज्य सेल्यूकस निकेटर के हाथ में आया। २५० ई० पू० के लगभग पार्थिया और पैक्ट्रिया (घासनी) दोनों सेल्यूकस के बंशजों के हाथ में निकल गये और यहाँ पर एक स्वतन्त्र यूनानी राज्य की स्थापना हुई। फिर यहाँ से बाकत्री यवनों ने

फिर भारतवर्ष पर चढ़ाई की योजना बनायी और सिकन्दर द्वारा जीते हुए प्रदेशों को अपने अधीन करने का पुनः प्रयास किया। बाक्री यवनों के आक्रमण सिकन्दर के आक्रमणों से अधिक व्यापक और प्रभावशाली थे।

५०० ई० पू० वैब्रिया में यूथिडेमस नाम का राजा था। उसका पुत्र डिमिट्रियस बड़ा महत्वाकांक्षी और कुशल सैनिक नेता था। पूरे मौर्य साम्राज्य को जीत लेने की योजना उसने तैयार की और १८३ ई० पू० के लगभग अपने दो प्रधान सेनानायकों मिनांडर (मिन्डु) और अर्पसोबोटस के साथ उसने भारत पर चढ़ाई की। यूनानी सेना बहुत ही शीघ्र उत्तर भारत में मिनांडर के नेतृत्व में स्पालकोट, मथुरा, पाञ्चाल, साकेत (अयोध्या) होते हुए पाटलिपुत्र तक पहुँच गयी। दूसरी ओर अर्पसोबोटस के नेतृत्व में यूनानी सेना सिन्धु के किनारे-किनारे सिन्धु और अश्विनी होकर मध्यमिका (मेवाड़ में) तक पहुँची। परन्तु भारतीयों के सीमावर्ष से यवनों में घोर युद्ध हुआ और शृंगों के विरोध से वे उत्तर और मध्य भारत में ठहर न सके। फिर भी पश्चिमोत्तर भारत में उनके पाँच जने रहे और वहाँ पर उन्होंने शासन किया।

पश्चिमोत्तर भारत में मिले यूनानी सिक्कों से बहुत से यूनानी राजाओं के नाम पाये जाते हैं। किन्तु भारतीय दृष्टि से दो राजाओं का उल्लेख किया जा सकता है। यूथिडेमस के बंशजों और सम्बन्धियों में केवल मिनांडर भारतीय साहित्य में स्थान पा सका। उसकी राजधानी शाकल (स्पालकोट) थी। वह योग्य सेनानायक और शासक था, किन्तु भारत में उसकी प्रसिद्धि उसके बौद्ध धर्म के अपमान के कारण हुई। बौद्ध ग्रन्थ मिलिन्दपञ्चो (मिन्डु-प्रश्न) के अनुसार मिनांडर ने बौद्ध सम्य सागसेन के प्रभाव से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और स्वामी परम्परा के अनुसार उसने अहंत्-पद भी प्राप्त किया। मिनांडर के सिक्कों पर धर्मचक्र और प्रसिद्ध (धार्मिक) उपाधि भी पायी जाती है। दूसरा यूनानी राजा यूक्रेटाइडस के बंध का अन्तस्त्रिकित्त (पण्डित्वाकृषित्त) था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। शृंगबन्धीय राजाओं से इसका मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था। शृंग राजा भागवत (भागवत) के समय में अन्तस्त्रिकित्त का राजदूत देकिमोदोर शृंगों की पश्चिमी राजधानी विदिशा में आया था। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसने विदिशा में विष्णु की पूजा के लिये गुरुद्वारा की स्थापना की। यूनानियों में अश्विनी राजा हरमिबस हुआ, जिसके समय में उनकी शक्ति बहुत क्षीण हो गयी थी। उसकी सचा का अन्त करके कुपुर्षों ने भारत में अपने राज्य की स्थापना की।

२. शक

इस युग में उत्तरी और मध्य एशिया में घुड़ सवार बर्बर जातियों का परस्पर संघर्ष और आवागमन हो रहा था। इस प्रक्रिया ने भारतीय इतिहास को भी प्रभावित किया। लगभग १६५ ई० पू० चीन की पश्चिमोत्तर सीमा पर यूह-ची नाम की एक बर्बर जाति रहती थी। चीन के राजाओं से इनके हुकों की एक दूसरी जाति ने यूह-ची पर आक्रमण किया। हुकों से डारकर यूह-ची जाति ने दक्षिण-पश्चिम की ओर प्रस्थान किया और वह सरखरिया के उत्तर में बसनेवाली शक जाति से जाकर उभरा गयी। शकों को विफल होकर दक्षिण किसकना पड़ा। शकों की संख्या और वेग के सामने बैक्ट्रिया का पीनकाय यूनानी राज्य न ठहर सका और वह सदा के लिये नष्ट हो गया, परन्तु पार्थिया के राजाओं ने कुछ समय के लिये शकों को हिन्दुकुश से दक्षिण बढ़ने से रोक दिया। यह वर्ष भी ई० पू० पहली शती में हुए गया।

पहली शती ई० पू० में शक हिन्दुकुश को पार कर दक्षिण में आ गये थे, लेकिन इसी बीच में पार्थिया के राजा द्वितीय सिम्रवात ने अपनी शक्ति सम्राट्सी और शकों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसी के आधिपत्य से दूधकर सिस्तान (शकस्थान बख्शियस्तान का दक्षिणी भाग) से शकों ने चोलन कर के रास्ते से भारत पर आक्रमण किया। शकों के इस प्रथम आक्रमण की कहानी चीनों के प्रमुख कालकाचार्य-कथा में भी हुई है। यह आक्रमण लगभग ७० ई० पू० में हुआ। शकों ने उज्जयिनी के माकव गर्दमिहों को मगाकर वहाँ अपनी सत्ता स्थापित की, परन्तु शकों को स्थायी सफलता नहीं मिली। ५७ ई० पू० में मालव गणमुख्य विक्रमादित्य ने गणतन्त्रों की सहायता से शकों को अशक्ति, सुराह और सिन्धु से बाहर निकाल दिया, पर ऐसा मान्य होता है कि शकों की एक शाखा सिन्धु के किनारे-किनारे पश्चिमोत्तर भारत में पहुँच गयी, जिसका संघर्ष यूनानी और पार्थियन (पहलव) राजाओं से हुआ।

७८ ई० के लगभग शकों ने दुबारा भारत पर आक्रमण किया और इस समय अशक्ति के माकवों के पूर्व उनके सामने सदा के लिये उभर गये। इनके फलस्वरूप शकों ने लगभग ३०० वर्ष तक अशक्ति और उसके आसपास के प्रदेशों पर राज्य किया। भारत में शक सत्ता के चार केन्द्र थे— (१) मध्यभारत में उज्जयिनी, (२) महाराष्ट्र, (३) लक्ष्मिष्ठा और (४) मथुरा। इनमें उज्जयिनी के शक महाजनपद सबसे प्रसिद्ध हुये। इनमें क्षत्रवामन सबसे प्रसिद्ध और विजयी था। शकों का राजस्थान और मध्य-भारत की जातियों तथा आश्रितों से बराबर संघर्ष होता रहा। मथुरा और

तक्षशिला के शाकवंश कुपणों के आक्रमण से और महाराष्ट्र का शाकवंश आग्नों के विस्तार से नष्ट हो गया। परन्तु उज्जयिनी का शाकवंश चौथी शताब्दी के अन्त तक बना रहा और उस समय गुप्त साम्राज्य के फैलाव से नष्ट हुआ।

३. पल्लव

शाकों और पल्लवों का इतिहास भारतवर्ष में उलझा हुआ है। एक जाति स्वयं पल्लव देश से होकर सफरपान और भारतवर्ष में आयी, इसलिये उसकी भाषा और राजनीति पर पल्लवों की छाप थी। यूनानी और शाक जाति की हुंरकता से पल्लवों ने छाम उठाया और दक्षिणी अफगानिस्तान (कन्धार के आसपास) और पश्चिमोत्तर भारत पर उन्होंने कुछ समय के लिये अपना अधिकार बना लिया। पल्लव शासकों में दो उल्लेखनीय हैं। पहला शासक यनान (योनोनीज) था, जिसने कन्धार के आसपास के प्रदेशों पर अपना आधिपत्य जमाया। यहाँ से धीरे-धीरे पल्लवों का राज्य उत्तर में तक्षशिला तक पहुँच गया। पहली शताब्दी के प्रारम्भ में तक्षशिला के पल्लव वंश में शुवर्फर्न नाम का राजा हुआ। ईसाई परम्परा के अनुसार शुवर्फर्न सम्पूर्ण भारत का राजा था और उसके समय में ईसाई संत टामस भारत में आये थे। इस परम्परा का पूर्ण विवरण के योग्य नहीं। यह सम्भव है, कि कुछ ईसाई प्रचारक उसके समय में भारत में आये हों। पल्लव राजाओं के सिक्कों पर 'धर्मिय' (धार्मिक) उपाधि और प्राकृत भाषा मिलती है। सम्भवतः इन राजाओं ने भारतीय धर्म और भाषा को स्वीकार किया था।

४. कुपण

पूद-ची जाति का उल्लेख शाकों के सम्बन्ध में किया जा चुका है। यह जाति चीन की पश्चिमोत्तर सीमा से चरकर मध्य एशिया पहुँची और वहाँ से बढ़कर बैक्ट्रिया में एक सत्ता और यूनानियों के अवशेष का अन्त किया। यहाँ आने के पहले पूद-ची जाति विहङ्गल बर्बर थी। बैक्ट्रिया और पार्थिया से उसने सम्पत्ता का पाठ पढ़ा। बैक्ट्रिया में कुछ समय रहकर उसने अपनी शक्ति का संगठन और मध्य एशिया में अपने राज्य का विस्तार किया। इस जाति की पाँच शाखाएँ थीं, जिनमें से एक का नाम कुपण था।

पहली शती के प्रारम्भ में बढ़ती हुई जन-संख्या, चीन और पार्थिया के दबाव और सैनिक महत्वाकांक्षा के कारण कुपणों के नेता कुजुल कदफिस ने हिन्दुकुश को पार किया और काबुल की घाटी में शासन करनेवाले अन्तिम

था। विद्याल कुपण साम्राज्य का संगठन होस और स्थायी ब था; वह शासक की व्यक्तिगत योग्यता और सैनिक बल पर अवलम्बित था। कनिष्क के उत्तराधिकारी बिलासिता के कारण दुर्बल होते गये जो इतने बड़े साम्राज्य को सम्हालने में असमर्थ थे। इसी समय पार्थिया में सुखानी शक्ति का उदय हुआ, जिसने कई बार आक्रमण करके कुपणों की शक्ति को पीप कर दिया। इस परिस्थिति से भारत की राष्ट्रीय शक्तियों ने भी काम उठाया, पंजाब और राजस्थान की यौधेय, कुषिन्दू आदि जातियों ने, तथा मजुरा और मध्यभारत के सागवंशी राजपरामों ने उत्तर भारत में कुपण-साम्राज्य का अन्त किया।

११ अध्याय

सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघर्ष और समन्वय

[२०० ई० पू०—२५० ई० पू०]

भारत में जैन और बौद्ध आदि सुधारवादी सम्प्रदायों के उदय तथा पवन, एक, पक्ष, रूप आदि बाहरी जातियों के आ जाने से—कई प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएँ उठ खड़ी हुईं। इन समस्याओं के हल करने में दो प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं—(१) संघर्ष और (२) समन्वय। पहले पदछ दो विचारधाराओं और जातियों के मिलने से संघर्ष स्वाभाविक था। परन्तु साथ रहते रहते एक दूसरे को समझने, परस्पर-समझौता करने, आदान-प्रदान और समन्वय की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। कहीं तो यह समन्वय पूरा हुआ, किन्तु बहुत से स्थलों पर यह अधूरा और दूषित भी था।

१. समाज

वैदिक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार समाज वर्ण और आश्रम के ऊपर अवलम्बित था। धीरे-धीरे वर्ण अम्मगत हो गया था और उसके साथ बहुत से ब्रह्मण स्वार्थ छूट गये थे। जैन और बौद्ध सम्प्रदायों ने इस स्थिति को चुनौती दी, साथ ही साथ उन्होंने आश्रम व्यवस्था की कड़ाई को भी ढीका किया। परन्तु जहाँ सामाजिक गति के लिये यह चुनौती आवश्यक थी, वहाँ एक दूसरे घोर पर पहुँच कर इसने सामाजिक अव्यवस्था भी उत्पन्न कर दी। इसी का फल था कि शुद्ध, काश्च और आश्रमों के समय में वर्ण और आश्रम की दुबारा परिभाषा और संगठन करने की आवश्यकता हुई। मनु और याज्ञवल्क्य स्मृतियों में यह प्रयत्न साफ दिखाई पड़ता है। परम्परा विरोधी गणजातियों तथा समूहों को समाज से अलग करना असम्भव था। इसी प्रकार बाहर से आनेवाली जातियों को भी, जो राजनैतिक दृष्टि से सख्त और प्रभावशाली थीं, समाज से अलग नहीं रखा जा सकता था। इसलिये धर्मशास्त्रकारों ने गण जातियों और विदेशी आक्रमणकारियों को अशुभ माना परन्तु उनके साथ (पतिव) सम्बन्ध से सम्मिश्रित किया। इसी तरह बहुत सी हीन और नीच जातियाँ जैन और बौद्ध प्रभाव से समाज के भीतर आ गयीं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार चार ही वर्ण हो सकते थे। इन जातियों को समाज में कुछ अनुविधाओं के साथ रखने के लिये वर्णसंकर का सिद्धान्त

निकाशा गया। यद्यपि इस प्रकार के प्रयत्न से पूरा सामाजिक समन्वय नहीं हुआ, फिर भी एक संयुक्त समाज की रचना खबरप हो गयी और विखाक हिन्दू समाज के अन्तर्गत सभी सम्प्रदाय और जातियाँ सम्मिलित हुईं।


२. धर्म

धार्मिक समन्वय का भी इस समय प्रयास किया गया। वैदिक कर्मकाण्ड और सामान्य धार्मिक विश्वास में देवताओं की प्रधानता थी, जिनकी उपासना और पूजा कई प्रकार से की जाती थी। उनका स्थान अंशकात् अपना दिव्य-लोक था, यद्यपि भक्तों और पुजारियों के शब्द 'जम तक पहुँच सकते थे। सुधारवादी जैन बौद्ध सम्प्रदायों ने देवताओं के स्थानों में मानव की प्रधानता स्थापित की, यद्यपि देवताओं से उनका विश्वास नहीं हटा; देवता भी मानव की अधीनता में पृथ्वी पर उतार दिये गये। जहाँ पुराने वैदिक विश्वासों के अनुसार देवताओं ने मनुष्य के व्यक्तित्व को उँचा रखा था, वहाँ सुधारवादी मानववाद ने मनुष्य को बिल्कुल पार्थिव बनाकर छोड़ दिया। इस नये विश्वास के अनुसार मनुष्य की भावना, उद्वास, दिव्यत्व और परलोक और परमार्थ के लिये पूरा अवकाश नहीं मिलता था। दूसरी सती हुईी रूप से इस परिस्थिति को समझाने के लिये एक नया प्रयत्न दिखाई पड़ता है। दिव्य और मानव दोनों का निराकरण नहीं किया जा सकता था, इसलिये पृथ्वी पर मानव के बीच दिव्य को उतारने अपना मानव के दैवीकरण का प्रयत्न किया गया। वैदिक-मार्गियों ने ईश्वर और देवताओं के धरती पर अवतार के सिद्धान्त को अपनाया। बुद्ध और तीर्थंकरों के ऐश्वर्य और दिव्यत्व को जैन और बौद्धों ने स्वीकार किया। इसी प्रयत्न के फलस्वरूप वैदिक सम्प्रदाय में शैव्य और भागवत भक्तिमार्गों का विस्तार हुआ और जैन तथा बौद्ध सम्प्रदाय में महायान और दूसरे भक्ति मार्गी सम्प्रदायों का जन्म। पूजा-पद्धति में वैदिक यज्ञ और दृष्ट बुद्धिवादी शिस्तन सिद्धि पद्धति बनी। जन्म-मरण चक्र के स्थान में मन्दिर, जैत्य, मूर्ति, अर्चन, समर्पण आदि प्रयाय प्रचलित होने लगीं।

३. कला

नयी धार्मिक धाराओं ने कलाओं को भी प्रभावित किया। पूजा-पद्धति के समन्वय में मन्दिर, जैत्य और मूर्ति का उदय हुआ। वास्तव में यही कला की अभिव्यक्ति के मुख्य आधार थे। इस काल के बहुत से स्थापत्य

के नमूने पश्चिमी घाट के गुहा-चैत्यों और सौंबी तथा भरहुत के स्तूपों में पाये जाते हैं। इन चैत्यों में अनेक प्रकार के पशु-पक्षी तथा मानव मूर्तियाँ अंकित



सौंबी का स्तूप



तोरण

हैं। पश्चिमोत्तर भारत में भी भारतीय और यूनानी शैली के स्थापत्य के कांकर मिले हैं। इस युग की सबसे प्रधान कला की शैली गान्धार-शैली थी। इसका उद्भव लघुशिला, पुष्करावती, काण्डुल तथा उसके आसपास के प्रदेशों में हुआ। पहले-पहल स्वतन्त्र और पूर्ण बुद्ध-प्रतिमा का निर्माण गान्धार में ही हुआ। इस बुद्ध-प्रतिमा का सैद्धांतिक आधार भारतीय था, किन्तु शरीर-संगठन और लक्षण-कला यूनानी थी। पूर्व और पश्चिम का यह सम्मिश्रण स्थानाधिक था। गान्धार में भारतीय, मध्य एशियायी, यूनानी, पार्वियन तथा रूमी सभ्यताओं का संगम हुआ। यह बिल्कुल स्थानाधिक था कि ये संस्कृतियों एक दूसरे को न्यूनाधिक मात्रा में प्रभावित करतीं।

४. भाषा और साहित्य

छठी शती ई० पू० तक साहित्य का माध्यम संस्कृत भाषा थी, परन्तु जैन और बौद्ध आम्बोधनों के कारण जनता में प्रचार का माध्यम पासी और प्राकृत बन गयीं, जो पीछे साहित्यिक रचनाओं के लिये भी काम में लायी जाने लगीं। अशोक और बहुत से विदेशी राजवंशों के द्वारा प्राकृत को राज्याध्यक्ष भी मिला। इन्हीं के समय से इस स्थिति में परिवर्तन शुरू हुआ और संस्कृत भाषा को फिर प्रोत्साहन और सम्पादन मिलने लगा। उच्चयिनी के एक राजाओं आदि ने भी संस्कृत को अपनाया। यहाँ तक कि बहुत से बौद्ध और जैन लेखकों ने भी संस्कृत में साहित्यिक रचना आरम्भ की। इसका कारण यह था कि प्राकृत की अपेक्षा संस्कृत में अधिक पुरुस्पता और व्यापकता थी, इसलिये विचार और प्रचार के माध्यम के रूप में बड़े पैमाने पर यह अधिक उपयोगी सिद्ध हुई।

५. यूनानी प्रभाव की समस्या

पहले बहुत से युरोपीय इतिहासकारों का मत था, कि सिकन्दर के युद्ध की सारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति यूनानी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थी। पीछे के अनुसन्धानों ने इस मत को असिद्ध कर दिया है, परन्तु यह स्वीकार किया गया है, कि भारतीय जीवन के कुछ अंगों पर जोड़ा बहुत यूनानी प्रभाव पड़ा। यूनानी संस्कारों में जोड़े और पश्चिमोत्तर भारत में अपनी फीकी आवृत्तियों में सीमित और भारतीयों से बचना परतन्त्र करते थे। भारतीयों का दृष्टि-कोण भी उनके प्रति क्षमता न था। वे उनको बर्बर विजेता और बृहत् सैनिक मानते थे। बहुत आगे चरकर दोनों में जोड़ा बहुत आदान-प्रदान और सम्मिश्रण हुआ। भारतीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पर यूनानियों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बदले भारतीयों ने

उसको पहले प्रायः चरित्र और नामो चलकर चरित्र मानकर समाज में मिला लिया। धर्म और दर्शन में भी यूनानियों की कोई देन नहीं दिखायी पड़ती। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् शेपर का यह मत कि रामायण और महाभारत होमर के इलियड और ओडेसी के अनुकरण पर लिखे गये थे, बिल्कुल गलत है। पात्रों के चुनाव, साहित्यिक आदर्श और कला के सिद्धान्तों में रामायण और महाभारत दोनों ही अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं। यद्यपि यूनानी भाषा, यूनानी छात्रानियों में प्रचलित और यूनानी सिद्धों के ऊपर लिखी जाती थी, परन्तु भारतीय भाषाओं पर उसका प्रभाव नगण्य था। भारत में लिखी हुई कोई यूनानी पुस्तक या अभिलेख नहीं मिला है। यूनानियों के शासन-काल से काफी आगे चलकर अग्रत्यक्त रूप से यूनानी प्रभाव भारतीय सिद्धों, भूतिका और गणित तथा ज्योतिष पर श्रुमाधिक मात्रा में दिखायी पड़ता है। भारत पर यूनानी प्रभाव इतना कम पड़ा, इसका एक कारण है। यूनानियों ने एशिया और यूरोप की चर्चर जातियों को, जिनकी अपनी कोई संस्कृत और सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, पूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसके विपरीत भारतीय राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक विश्वास और संस्कारों, साहित्य, दर्शन, कला आदि काफी विकसित हो चुकी थीं, इसलिये यूनान से भारत को बहुत कम सीखाया। इसके अतिरिक्त भारतीयों ने जो यूनानी छत्र ग्रहण किया, उसको इतना आत्मसात् कर लिया कि उनके आत्म पहचानना भी कठिन है।

१२ अध्याय

राष्ट्रीय पुनरुत्थान : गुप्त-साम्राज्य

लगभग २०० ई० पू० से लेकर २५० ई० पू० तक पश्चिमोत्तर भारत, सिन्ध और पश्चिमी आख्या पर विदेशी आक्रमण होते रहे और विदेशियों ने अपना आधिपत्य कई स्थानों पर जमा रखा। यद्यपि शुङ्ग, कान्व, शान्ग और गणतन्त्रीय जातियों ने उनका प्रोत्तरोध किया और कड़ते-कड़ते उनकी शक्ति को चीन कर दिया, फिर भी विदेशी सत्ता सम्पूर्ण नष्ट नहीं हुई। २५० ई० के लगभग जब पश्चिम से सस्सानी तथाक के कारण और आन्तरिक दुर्बलता के कारण कुषण-साम्राज्य दुर्बल हो गया, तब भारतीय राष्ट्रीय शक्तियों को भी उत्थान का अच्छा सुयोग मिला। राजनैतिक उत्थान के साथ-साथ सांस्कृतिक उत्थान भी इस समय से प्रारम्भ हुआ और सामाजिक और धार्मिक जीवन में एक नवीन समन्वय का प्रयास भी किया गया।

१. गण आरिक्तों, नागवंश और बाकाटक

जिन शक्तियों ने भारतीय राष्ट्र के पुनरुत्थान में पहला कदम बढ़ाया वे थीं—पूर्वी पंजाब, मध्यभारत और राजस्थान की गणजातियाँ, मध्यभारत और विन्ध्यप्रदेश के नागवंश तथा वेदि और बिहर्म (वरार) के बाकाटक। चौधेय, कुणिन्द, माकव, मद्रक, आर्जुनायन आदि गणजातियों ने पूर्वी पंजाब और राजस्थान से कुषण सत्ता को नष्ट किया। नागवंश की तीन शाखाएँ थीं, जिन्होंने मजुरा, पद्मावती, (मध्यभारत में) और काम्बिपुरी (मिरजापुर जिले में) अधिकार जमाया और कुषण-साम्राज्य के पूर्वी भाग को अतिसाह कर दिया। इस तरह प्रायः सारे उत्तर भारत से विदेशी सत्ता नष्ट हो गयी। जो काम नागवंशियों ने प्रारम्भ किया था, उसके बाकाटकों ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने उज्जयिनी के क्षत्रियों पर कई बार आक्रमण किया और उनकी सत्ता को कमजोर कर दिया। इसके अतिरिक्त बाकाटकों ने इक्ष्वाकु भारत में एक नया साम्राज्य स्थापित किया और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में भी काफ़ी योग दिया।

२. गुप्त-वंश

राष्ट्रीय प्रयत्नों की पूरी सफलता गुप्तों के समय में मिली, जिनके पक्ष की स्थापना चौथी शताब्दी के प्रारम्भ हुई। गुप्त लोग मूलतः कर्ण के रहने वाले

और किस वर्ण के थे, इस सम्बन्ध में इतिहासकारों में काफी मतभेद है। दक्षिण और मध्यभारत में आर्यों के समकालीन क्षेत्रों में गुप्त साम्राज्य कई व्यक्तियों के उद्देश्य पाये जाते हैं और पुराणों के अनुसार आर्यों की सेवा में गुप्त-वंश या और इसी ने आर्यों का ध्वस्त किया। डॉ० कारीप्रसाद जायसवाल इनको मूलतः पंचाय के जाट मानते थे, जो वहाँ से चकर उतर भारत में काफी सक्रियता से और सुसंस्कृत हो गये। गुप्त राजाओं ने अपने वर्ण के सम्बन्ध में कहीं भी उद्देश्य नहीं किया है। बहुत पीछे के मध्यप्रदेश के कुछ गुप्तवंशी शासक अपने को चन्द्रवंशी कहते थे। इसमें संदेह नहीं, कि गुप्त सम्राटों का विवाह सम्बन्ध ब्राह्मण तथा क्षत्रिय राजवंशों के साथ या और अपने समय में वे क्षत्रिय ही माने जाते थे।

(१) गुप्त-राज्य की स्थापना और विकास

गुप्तवंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका राज्य प्रयाग और अयोध्या के बीच में था। ऐसा मान्य होता है कि आर्यों तथा कुर्णों के अधीन यह सामन्त राजा था। यह बात उसकी 'महाराज' उपाधि से प्रकट होती है। श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच के सम्बन्ध में कुछ भी मालूम नहीं है। सम्भवतः उसके समय में कोई महत्व की घटना नहीं हुई। इस वंश का तीसरा राजा चन्द्रगुप्त प्रथम काफी प्रभावशाली और प्रसिद्ध हुआ और वास्तव में उसीने स्वतंत्र गुप्त राजवंश की स्थापना की। 'कौमुदी महोत्सव' नामक नाटक के अनुसार पाटलिपुत्र के कोटकुल के राजा समुद्रयमन ने चन्द्रगुप्त को गोद लिया था, किन्तु गोद लेने के बाद उसको स्वयं कल्याणधर्मन नाम का पुत्र हुआ। इस कारण से चन्द्रगुप्त और समुद्रयमन में राज्य के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में वैमनस्य उत्पन्न हुआ। चन्द्रगुप्त पड़ा नीतिज्ञ था। उसने कोटकुल के पड़ोसी और राजकुलद्विषों की रामकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया और उनकी सहायता से पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। इस घटना का परिणाम यह हुआ कि कोलक, वत्स और मगध गुप्तों के आधिपत्य में आ गये। सम्भवतः इसी घटना के उपरान्त में चन्द्रगुप्त ने गुप्त सम्राट का प्रवर्तन किया। किन्तु कुछ समय के लिये चन्द्रगुप्त की स्थिति फिर खूब खराब हो गयी। स्थानीय विरोध और पड़ोस के कारण पाटलिपुत्र छोड़कर उसे फिर प्रयाग जापस आना पड़ा।

(२) समुद्रगुप्त

परि चन्द्रगुप्त ने गुप्त-राज्य की स्थापना और प्रारम्भिक विकास किया, तो समुद्रगुप्त ने विशाल गुप्त-साम्राज्य का निर्माण किया। वह चन्द्रगुप्त का

पुत्र शिखरि राजकुमारी कुमारदेवी से उत्पन्न हुआ था। समुद्रगुप्त ने फिर पाटलिपुत्र वासस लेने और विग्विजय करने का निश्चय किया। इस प्रयास में शिखरियों का सहयोग उसको प्राप्त था। समुद्रगुप्त के सामने प्राचीन चक्रवर्ती राजाओं का आवर्त था। उसने विशाल सेना का संगठन करके भारत के बहुत बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया।

(क) विग्विजय

समुद्रगुप्त के विग्विजय को कई भागों में बाँटा जा सकता है। पहले उसने पाटलिपुत्र को जीतकर मगध पर अपना आधिपत्य समाया। पाटलिपुत्र के कोटकुल का सम्बन्ध मयुरा और पद्यावती के नागवंशों से भी था, इसलिये समुद्रगुप्त को नागवंशियों से भी युद्ध करना पड़ा और कोशाची के पश्चिम युद्ध में उनको हराया। यह आर्यावर्त का प्रथम युद्ध था। इसके बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ पर आक्रमण किया। उल्हास होते हुये दक्षिण-कोसल, पूर्वी तट के राज्य और पञ्चवंस को जीतते हुए वह दक्षिणी समुद्र तट तक पहुँचा। यहाँ से पश्चिमोत्तर मुड़कर मलाबार, महाराष्ट्र, मुराष्ट्र होते हुए वह फिर पाटलिपुत्र वापस आया। इस दक्षिणापथ के विजय में उसने राजवंशों और राज्यों का उपदेह नहीं किया, परन्तु उनसे अपनी अधीनता स्वीकार कराके तथा उनसे उपहार आदि लेकर समृद्ध हुआ। इस बीच में उत्तर भारत में नागवंशियों ने वाकटकों की सहायता से फिर बिम्बव किया। इसलिये समुद्रगुप्त को आर्यावर्त में द्वितीय युद्ध भी करना पड़ा। उसने उत्तर भारत के सभी राज्यों का बिम्बव करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके उपरान्त उसने बिम्बवपर्वत और धारलण्ड के जरसी (बंगाली) राज्यों से अपना आधिपत्य स्वीकार कराया। फिर उसने पूर्व, उत्तर और पश्चिमोत्तर के सीमांत राज्यों की ओर ध्यान दिया। पूर्व में समतट, उवाक, कामरूप आदि राज्य, उत्तर में मेवाड़ कच्छपुर और पश्चिम में माळव, मद्र, अर्जुनायन, बौधेय, आमीर, समकामीक, काक, लरपरिक आदि गणजातियों ने समुद्रगुप्त के आधिपत्य को स्वीकार किया। परन्तु समुद्रगुप्त इतने विजय से ही समृद्ध न था। उसने सिंहल और भारत महासागर के अन्य द्वीप-समूहों और पश्चिमोत्तर भारत के वाक, कुपन आदि से भी अपना आधिपत्य स्वीकार कराया। इस महान् विजय के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और वितरण के लिये लक्ष्मण चौकी के सिक्के चलावाये।

(ख) व्यक्तिगत गुण

समुद्रगुप्त केवल सैनिक और राजनीतिक विद्वेता ही नहीं, किन्तु स्वयं विद्वान्, कवि और संगीतज्ञ भी थे और दूसरे विद्वानों और कलाकारों का आदर

करता था। उसकी प्रयाग प्रशस्ति में यह लिखा हुआ है कि उसने सभी शास्त्रों का अध्ययन तथा कई सुन्दर काव्यों की रचना की थी। वाद्य और संगीत में भारव और तुम्बक आदि को भी लक्षित करता था। उसके एक प्रकार के सिक्कों पर अपनी गोद में धीना किये हुए समुद्रगुप्त की मूर्ति अंकित है। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में वह परम्परागत मर्यादा की रक्षा करनेवाला स्वयं शास्त्रीय मार्ग से चलनेवाला, रूपय, वीन, धनाथ और आतुर जनों का उद्धार करनेवाला था। उसके जीवन का परम कर्तव्य लोक-संग्रह था। राक्षस की मूर्ति से अंकित उसकी मुद्रा से मालूम होता है कि समुद्रगुप्त विष्णु का भक्त था। किन्तु यौद्ध आदि दूसरे सम्प्रदायों को भी वह बहुत आदर की दृष्टि से देखता था। लगभग ३७५ ई० में एक छन्दे और पक्षरबी जीवन के बाद समुद्रगुप्त का देहान्त हुआ।

(३) रामगुप्त

(क) शक-आक्रमण और उसकी कायरता

गुप्तवंशी अभिलेखों से रामगुप्त का पता नहीं लगा था, परन्तु जैन लेखक रामचन्द्र और गुणचन्द्र के भाव्य-वर्णन से विद्यालक्ष्मिलिखित वैश्विचन्द्रगुप्तम् नामक एक नाटक का पता लगा। इससे मालूम होता है कि समुद्रगुप्त का जेठा पुत्र रामगुप्त था। इसके समय में पश्चिमोत्तर के शकों ने गुप्त-साम्राज्य पर आक्रमण किया। रामगुप्त स्वभाव से कायर था, इसलिये शकों के नेता की माँग पर अपने राज्य की रक्षा करने के लिये अपनी रानी भुवदेवी को देना उसने स्वीकार किया। यह बात उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त द्वितीय को सख्त नहीं हुई और उसने उपदेश में जाकर एक राजा को मारा और गुप्त-साम्राज्य की रक्षा की। नाटक में आगे कहा गया है कि धीरे-धीरे चन्द्रगुप्त और भुवदेवी में प्रेम-सम्बन्ध हो गया और रामगुप्त चन्द्रगुप्त के पङ्कज से मारा गया। रामगुप्त के कोई पुत्र न था, इसलिये चन्द्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। रामगुप्त का शासन-काल बहुत ही छोटा था।

(४) द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य

(क) विग्विजय

चन्द्रगुप्त लक्ष्मण से ही साहसी और पराक्रमी था। पचसि समुद्रगुप्त ने भारत के बहुत बड़े भाग पर अपना आधिपत्य जमा किया था फिर भी सारा भारत उसके अधीन था। गुप्त-साम्राज्य के परम राजा शक जमी उज्जयिनी और पश्चिमोत्तर भारत में बने हुये थे। चन्द्रगुप्त गुप्त-साम्राज्य

आधिपत्य से भारतीय शासन की प्रतिभा कुछ मन्द पड़ गयी थी, इसलिये राष्ट्रीय उत्थान के साथ प्राचीन शासन-प्रणाली का भी उत्थान गुप्तों ने किया। साथ ही साथ शासन के विकास में उनकी अपनी देन भी थी।

(क) साम्राज्य का स्वरूप

गुप्तों का साम्राज्य बहुत बड़ा था, किन्तु वह उतना केन्द्रित और गठित नहीं था, जितना मौर्य-साम्राज्य। मगध और उसके आसपास के प्रदेशों पर गुप्त सीधे शासन करते थे, किन्तु साम्राज्य के और भागों में बहुत से सांख्यिक राजा थे, जो गुप्त-सम्राटों का आधिपत्य मानते और उनको बाँटिक कर और उपहार आदि भेजते थे। इस तरह साम्राज्य का स्वरूप बहुत कुछ सांख्यिक अथवा साँभिक था।

(ख) केन्द्रिय शासन

गुप्तों की शासन-प्रणाली पृकृतान्त्रिक थी। राजा राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था और उसके हाथ में राज्य की अन्तिम सत्ता होती थी। राज्य का अधिकार पिता से पुत्र को मिलता था किन्तु उपेक्षाधिकार की प्रथा अटक न थी; प्रायः योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी का चुनाव होता था। गुप्त सम्राट् परमेश्वर, महाराजाधिराज, परममहारक, सम्राट्, एकाधिराज, चक्रवर्ती, परम देवत आदि राजनैतिक उपाधियाँ धारण करते थे और साथ ही साथ पराक्रमी, विक्रमादित्य, महेंद्रादित्य, प्रकाशादित्य, याकादित्य आदि उनके बिरुद थे। शासन की सुविधा के लिये राजा की एक मंत्रिपरिषद् होती थी। मंत्रियों में साम्प्रि-विग्रहिक (परराज् मंत्री), अक्षयकाधिकृत (राज्यकीय कागज-पत्र के अध्यक्ष), सेनापति, महाबलाधिकृत आदि के उल्लेख पाये जाते हैं। मंत्रियों का पद भी राजा के समान प्रायः पदक होता था। केन्द्रीय शासन कई विभागों में बँटा था। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था, जो अमात्य, कुमारामात्य, पुत्रराज्य कुमारामात्य आदि कहलाता था।

(ग) प्रान्तीय तथा स्थानीय शासन

विशाख गुप्त-साम्राज्य कई प्रान्तों अथवा प्रदेशों में बँटा हुआ था, जिनको देश अथवा मुक्ति कहते थे। प्रान्तों के शासक भोगिक, भोगपति, गोसा, उपरिक्त महाराज अथवा स्थानिक कहलाते थे। प्रान्तों से छोटी इकाइयाँ प्रदेश और विषय कहलाती थीं। विषय प्रायः बिल्के के बराबर होता था। विषय के अधिकारी को विषयपति कहते थे। शासन की सबसे

छोटी इकाई प्राप्त था। इसके अधिकारी को ग्रामिक, महत्तर अथवा मौखिक कहा जाता था। नगर-शासन भी सरकारी व्यवस्था में संगठित था। उसका प्रबन्ध करने के लिये एक परिषद् होती थी जिसके निम्नलिखित सदस्य होते थे—(१) नगर भेष्टिन (नगर का सबसे बड़ा भेष्ट) (२) सार्यवाह (व्यापारियों का प्रमुख), (३) प्रथम कुलिक (प्रमुख कारीगर), (४) प्रथम कायस्थ (मुख्य लेखक), (५) पुस्तपाल (भूमि सम्बन्धी काम-पत्र का संरक्षक)। इसी प्रकार गाँव का प्रबन्ध करने के लिये भी एक ग्राम-परिषद् होती थी, जो स्थानीय शासन की व्यवस्था करती थी।

(घ) मुख्य विभाग

शासन के कई विभाग थे। इनमें से राजस्व अथवा माछ का विभाग प्रमुख विभागों में से था। गुप्त-साम्राज्य में भूमि का नियमित माप होता था, उपजाऊपन के आधार पर जनता वर्गीकरण किया जाता था और खेतों की सीमा, स्वामी आदि का पूरा विवरण रखा जाता था। भूमिकर को उद्भंग कहते थे, जो उपज का लगभग १/३ भाग होता था। इसके अतिरिक्त दूसरे भी कर थे, जिनको उपरिकर (अतिरिक्त कर), हिरण्य (सोने आदि खनिज पदार्थों पर), चाटमट-प्रवेश (सैनिक और पुलिस सम्बन्धी) आदि कहते थे। सरकार को न्यायालयों से शुल्क, अर्घ्यदण्ड, मासिक राजाओं से कर और उपहार आदि मिलते थे। सरकारी खेन-खेन और व्यापार में मुबर्ज दीनार आदि सिक्कों का व्यवहार होता था। चीनी यात्री फाह्यान के अनुसार साम्राज्य क्रय-विक्रय में कौशियों की काम में आती थीं। दूसरा शासन का विभाग न्याय-विभाग था। गुप्त-काल में लिखी हुई स्मृतियों से मालूम होता है, कि इस समय चार प्रकार के न्यायालय होते थे—(१) कुळ, (२) भेष्टि, (३) गण और (४) राजकीय न्यायालय। तीन प्रकार के न्यायालय जानगी और जनता के थे। केवल चौथे प्रकार का न्यायालय सरकारी होता था। जानगी न्यायालयों की अपील सरकारी न्यायालय में होती थी और अन्तिम न्याय राजा के हाथों में होता था। फाह्यान के यात्राविवरण से मालूम होता है कि गुप्त-काल में अपराध कम होते थे और दण्ड साम्राज्य दिया जाता था। प्राणदण्ड और शारीरिक दण्ड की प्रथा वहीं के बराबर थी। अपराध की गम्भीरता और क्षुत्ता के आधार पर प्राण अर्घ्यदण्ड अधिक या कम दिया जाता था। राज्य के विद्भ पद्धत करने पर दाहिना हाथ काट लिया जाता था। गुप्तों के समय में न्याय-व्यवस्था अच्छी थी और जनता नियमों का पालन करती थी। गुप्त-शासन में कई लोकोपकारी विभाग भी शामिल थे। उन्होंने

देश के एक भाग से दूसरे भाग में आने-जाने के लिए सबके बचपानी। मिथाई की व्यवस्था भी सरकार आदरपकृतानुसार करती थी। स्थान-स्थान पर विक्रिसालय और औपघाट्य घने हुए थे। विद्या और सिद्धा के प्रचार के लिए अध्यापकों को वृत्तियों और भूमिदान मिलते थे। बहुत सी धर्मशास्त्रियों और पाश्चात्यायों वनी हुई थी। सार्वजनिक दान की व्यवस्था भी सरकार की ओर से थी।

विशाल गुप्त-साम्राज्य की स्थिति और रक्षा के लिए सेना का समुचित संगठन था। गुप्त सम्राटों के सेना में बुरग, स्कन्धावार, सन्नागर तथा चतुरगिणी सेना के बहुत से उल्लेख पाये जाते हैं। गुप्तों के पास एक विशाल सेना थी, जो परम्परागत शैली से संगठित थी। सेना का मुख्य अधिकारी साम्बि-विमदिक था। उसके अधीन महासेनापति, महादण्डनायक, बकाधिकृत, रजसाब्दागारिक, मटाक्षपति आदि दूसरे अधिकारी भी थे। सेना के मुख्य कार्यालय को वकाधिकरण कहा जाता था। देश की भीतरी रक्षा के लिए रक्षा-विभाग भयबा पुष्टिस-विभाग की भी व्यवस्था थी। इस विभाग के मुख्य अधिकारी को दण्ड-पाशाधिकारी कहते थे। उसके अधीन चौरौदरगिक (चौर पकड़ने वाला) दण्डिक (छाड़ी धारण करनेवाला), दण्डपाशिक (छाड़ी और रस्सी धारण करनेवाला) होता था। अपराधियों का पता लगाने वाले गुप्तचर भी होते थे। चीनी यात्री फाह्यान ने लिखा है कि देश में काफी शांति और सुव्यवस्था थी और चोर डाकुओं का बरा भी भय नहीं था।

(७) समाज और संस्कृति

गुप्त-काल का सबसे बड़ा महत्त्व सांस्कृतिक समाज के विकास और संगठन तथा सांस्कृतिक चरित्र के कारण है। विशाल साम्राज्य, सुव्यवस्थित शासनव्यवस्था, शासकों की मानकारी और उदारता आदि के कारण भारतीयों को इस काल में अपनी अभिव्यक्ति का पूरा-पूरा अवसर मिला और जीवन के सभी क्षेत्रों में एक नये जीवध की शक्ति इस समय दिग्वाई पड़ती है।

(क) सामाजिक व्यवस्था

गुप्त-काल के पहले जैन और बौद्ध आदि सुधारवादी आन्दोलनों के विरुद्ध वैदिक प्रतिक्रिया हो चुकी थी। इस बीच में भूजान्ती, शक, पल्लव, कुषाण आदि कई नई जातियाँ भारतवर्ष में बाहर से आईं और इनका अधिकतर भाग यहीं पस गया। इसलिये एक नये सामाजिक संगठन की

आवरणकता हुई। इस काल तक जैमिपों और वीरों द्वारा वर्णाश्रम व्यवस्था की उधेड़ा और विरोध हीसे बढ़ गये थे और विदेशी जातिपों घिरे-घिरे भारतीय होती जा रही थी। इस परिस्थिति में गुप्त-काल के धर्मशास्त्रकारों ने एक बार फिर धर्म और आश्रम की उदार व्याख्या की और सभी प्रकार के लोग कर्म के आधार पर अपने धर्म का चुनाव कर सकते थे। अन्तर्गत जाति और उसके विशेषाधिकारों का कहीं उल्लेख नहीं पाया जाता। ब्राह्मण, पतिव्रत, वैश्य और शूद्र वर्णों के कर्तव्यों का इस काल की स्मृतियों में पूरा वर्णन मिलता है। आश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख पाया जाता है। वर्णों में परस्पर परिवर्तन और सम्पर्क सम्भव था, किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि पाण्ड्या, खण्डव और मीन वृत्तिवादी, कुम्भ घुमककक और जंगली जातिपों अब भी सभ्य समाज की सीमा के बाहर थीं, और उनका सामाजिककरण नहीं हुआ था। फाह्यान के अनुसार पाण्ड्या, नगर या गाँव के बाहर रहते थे और जब वे नगर या सहर में आते थे, तो रुकड़ी पत्राकर उनके अपने आने की घोषणा करनी पड़ती थी, जिससे दूसरे लोग उनसे भटना हट जायें।

गुप्तकालीन अभिलेखों और साहित्य में प्रायः राजवंश के विवाह-सम्बन्ध के वर्णन मिलते हैं। उनसे मात्स्य होता है कि कम से कम ऊपर के वर्णों का आपस में अन्तर्जातीय विवाह होता था। उदाहरण के लिये गुप्तों का विवाह-सम्बन्ध नागवंशी क्षत्रियों और ब्राह्मण शाकाटकों से हुआ था। राजवंशों और धनी वर्णों में बहु-विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। उच्च वर्णों में भी विधवा-विवाह सम्भव था। गुप्त साम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने स्वयं अपनी विधवा मातंग भुवदेवी से विवाह किया था। समाज में स्त्रियों का स्थान ऊँचा था। गुप्तों की वंशावलि में पिता के साम-माता का उल्लेख अक्सर पाया जाता है। प्रभावतीगुप्ता बैसी योग्य रानियाँ बड़े-बड़े राज्यों का संचालन करती थीं। इन दृष्टान्तों से यह कहा जा सकता है, कि सामंजस्य प्रथा में भी ये प्रथाएँ जारी थीं।

बुद्ध और आभूषण के सम्बन्ध में बहुत से उल्लेख इस काल के साहित्य और अभिलेखों में पाये जाते हैं। मूर्तियों और सिद्धों के ऊपर भी बुद्ध और आभूषण बने हुए मिलते हैं। बच्चों में शिरोभेदन, अंगरक्षा और कम्पुकी, घोती और पाजामे आदि मिलते हैं। आभूषणों में कुम्हल, कर्णपूल, कण्ठहार, करघनी, बिजापठ, कंकण, आदि अनेक प्रकार के और बहुत सुन्दर बने हुए मूर्तियों पर अंकित हैं। सिक्कों पर बनी हुई आकृतियों से मात्स्य होता है, कि भारतीय देश के ऊपर बाहर से आनेवाली जातिपों का प्रभाव पड़ा था। भोजन तथा आनन्दन में सामान्य जनता के ऊपर जैन और बौद्ध धर्म

के प्रभाव स्पष्ट थे। काश्मीर के अनुसार चाण्डालों के अतिरिक्त और छोटे मांस, मछली, छहसुन, प्याज आदि नहीं पाते थे। शराब आदि भावक वस्तुओं का सेवन भी वर्जित था। सामान्य जनता में शिष्टाचार, शान्ति, अतिथि-सत्कार सेवा आदि के भाव काफी मात्रा में पाये जाते थे। —

(ख) धार्मिक जीवन

गुप्त-काल के धार्मिक जीवन में मुख्य तीन प्रवृत्तियाँ दिखायी देती हैं। पहली प्रवृत्ति पुनरुत्थान की थी। राष्ट्रीय भावना से प्रेरणा पाकर भारतीय जातों, जाकाटकों और गुप्त सम्राटों ने वैदिक धर्म और कर्मकाण्ड का पुनरुत्थान किया। परन्तु धीरे-धीरे यह अनुभव होने लगा था, कि वैदिक धर्म अपने पुराने रूप में पुनरुत्थानित नहीं किया जा सकता था; इसलिये वैदिक देवताओं में से कुछ, विष्णु, शक्ति आदि ने महा, विष्णु, शिव, सूर्य आदि मानव रूप धारी देवताओं का नाम स्वीकार किया और ब्रह्म-याग आदि के स्थानों पर भक्ति मार्ग का उदय हुआ।— इसके फलस्वरूप वैष्णव, शैव, पाकत, महा, सौर आदि कई एक भक्तिमार्गी सम्प्रदाय उत्पन्न हुये। उपर्युक्त देवताओं के साथ उनकी देवियों की भी कल्पना की गयी। मन्दिरों और मूर्तियों की स्थापना हुई। तीर्थयात्रा, धार्मिक और स्वस्तिक पूजापाठ, लोकप्रकारी दाक-पुण्य आदि लोगों में अधिक प्रचलित हुये। इससे यह मान्य होता है कि आधुनिक हिन्दू धर्म की आधार-शिक्षा गुप्त-काल में अच्छी तरह से रूढ़ की गयी थी। इस नये संस्कार और विकास ने दूसरे धार्मिक सम्प्रदायों के साथ समन्वय करने का रास्ता सरल बना दिया।

बौद्ध-धर्म के माननेवालों की संख्या समाज में अब भी काफी थी, किन्तु अपने नये विकासों के कारण यह अब संस्कृत वैदिक धर्म के निकट धीरे-धीरे आ रहा था। गुप्त-काल के पहले ही इसमें महायान का उदय हो गया था। बुद्ध के ऊपर ईश्वरत्व का आरोप बोधिसत्व और अवलोकितेश्वरों की कल्पना और चीजों की नयी पूजा-पद्धति ब्राह्मण-धर्म से इस समय बहुत दूर न थी। भक्ति-मार्ग ने तो दोनों सम्प्रदायों को आपस में बहुत मिलाया। इस समन्वय में ब्राह्मण-धर्म बौद्ध-धर्म से धीरे-धीरे ऊपर आ रहा था। उत्कीर्ण लोगों और काश्मीर के याया-विचरण से यह साफ मान्य होता है, कि नया वैदिक धर्म अपने पुराने रूप में परिवर्तन कर, बहुत से बौद्ध प्रथाओं को अपनाकर तथा समन्वय और समझौते की नीति से बहुसंख्यक जनता को अपने दायरे के भीतर ला रहा था। जो प्रवृत्तियाँ बौद्ध-धर्म में काम कर रही थी, प्रायः उन्हीं का प्रभाव जैन-धर्म के ऊपर था। जैन-धर्म भी तपोनिष्ठ-आचार के स्थान में साधारण

जनता की मूर्तियों को पूरा करने के लिये भक्तिमार्गी होता जा रहा था और मन्दिर, मूर्ति-पूजा, भर्त्ता, यम्यना आदि की उसमें भी प्रधानता हो रही थी। इससे भक्तिमार्गी ब्राह्मण-धर्म और भक्ति-मार्गी जैन-धर्म में बहुत कम अन्तर होता गया। जैन-धर्म एक ओर तो अपने कठोर आचार के कारण अधिकांश जनता को अपनी ओर लींच नहीं सकता था, दूसरी ओर बहुत सी आचारहीन विदेशी शाक्तियों के आक्रमण से अपने को बचाने के लिये उत्तर भारत से दक्षिण की ओर खिसक रहा था। यही कारण है कि गुप्त-काल में उत्तर भारत में जैन-धर्म के माननेवालों की संख्या बहुत कम हो रही थी।

गुप्त सभ्रात्यों में अस्तित्व कुछ को छोड़कर सेप सभी वैष्णव अथवा शैव सम्प्रदाय के मानने वाले थे, परन्तु धार्मिक मामलों में वे बहुत उदार थे और दूसरे धर्मों को आदर की दृष्टि से देखते थे। प्रजा में सभी को धार्मिक विश्वास और पूजा-यज्ञति की स्वतन्त्रता थी। सरकारी प्रभय और दान सपके लिये मुक्त था। परम भागवत चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति अमरकावर्ष घोड़ था। इस काल के उत्कीर्ण लेखों में परस्पर सहिष्णुता, उदारता और सहयोग के बहुत से उल्लेख मिलते हैं। फाझान के अनुसार भारत में किसी प्रकार का धार्मिक भ्रष्टाचार नहीं था और राजवंश की उदार धार्मिक नीति का प्रभाव भी पाकन करती थी।

(ग) भाषा और साहित्य



इस काल में संस्कृत भाषा और साहित्य को, जो इसके पहले सुधारपायी आन्दोलनों और विदेशी शासन के कारण राज्याध्यय से वंचित था, विशेष प्रोत्साहन मिला। इस समय के उत्कीर्ण लेख बहुत ही सुन्दर और काव्यमय भाषा में लिखे हुये हैं। सिद्धों तक के ऊपर भी अन्वेषण लेख मिलते हैं। जैन और बौद्ध-धर्म के माननेवालों ने भी संस्कृत के कालित्य और प्रभाव को देखकर उसको अपने धर्म और साहित्य का माध्यम चनाया था। संस्कृत साहित्य की इस काल में बहुमुली उन्नति हुई। बहुत से लेखक महाकवि कालिदास को इसी काल में रकते हैं, जो सम्दिग्ध है, परन्तु कालिदास के बिना भी इस काल में कई कवियों और लेखकों की गणना की जा सकती है। इनमें मातृगुप्त (कामरौर का राजा और कवि), महम्मेश (हयग्रीववध का रचयिता) शूद्रक (युष्मकटिक नाटक का लेखक), विशालदत्त (सुवारा-चस और देवी चन्द्रगुप्तम् नाटक का लेखक), सुयन्तु (वासवदत्ता का लेखक) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। काण्पालंकार के लेखक भामह भी इसी समय हुए थे। वर्तमान साक्ष के लेखकों में ईश्वरकृष्ण, विद्वाग, वास्तपन, प्रद्यस्त-

पाद, पावर स्वामी आदि भी इसी युग में उत्पन्न हुए थे। गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में आर्चमह, ब्रह्मगुप्त, विष्णुसर्मा आदि प्रसिद्ध विद्वान् थे। राजनीति में कामन्दक नीतिसार, स्मृतियों में नारद स्मृति, पाराशर स्मृति आदि इसी समय लिखी गयी थीं। पुराणों और महाकाव्यों के अन्तिस संस्करण इसी समय में तैयार हुए थे। बौद्ध लेखकों में आचार्य मैत्रेय, अर्थात्, कमुषण्डु, कुमारजीव, परमार्थ चन्द्रकीर्ति, चन्द्रमणि, धर्मपाठ आदि प्रसिद्ध थे। जैन विद्वानों और लेखकों में जिन चन्द्रमणि, सिद्धसेन, देवजन्मिन् आदि उल्लेखनीय हैं। इस तरह शुद्ध साहित्य, धर्म, दर्शन, राजनीति आदि साहित्य के सभी क्षेत्रों में इस काल की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं।

(घ) कला

गुप्त-काल में कला का पूरा भारतीयकरण हुआ और गाण्धार और मथुरा शैली पर जो विदेशी प्रभाव थे, वे पूरे भारतीय कर किये गये। सौन्दर्य और भावामिष्यक्ति में भी भारतीय कला इस समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची। इस काल में जो कला का उत्कर्ष मिश्रित हुआ उसने सारे भारतवर्ष और बृहत्तर भारतवर्ष को प्रभावित किया। गुर्जरात्त में विदेशी आक्रमणों के कारण इस काल के कला के बहुत कम भग्ने उत्तर भारत में पाये जाते हैं। हिन्दु कला की जो सामग्री इस समय उपलब्ध है, वह अपनी कल्पना, धाकार, धर्तकार और रचना में बहुत ही उच्च कोटि की है। सारनाथ में धामेज स्तूप, जम्बूता, इक्षोरा और धाम के कतिपय गुहा-विहार इस काल में बनाये गये थे। चैत्यों में इक्षोरा का विश्वकर्मा चैत्य अपने ढंग की एक अद्भुत रचना है। इस काल के मन्दिरों में देहोळ के तुर्गा व काल काँ मन्दिर, देवगढ़ का प्रसावतार मंदिर, भीटार गाँव (काणपुर के पास) का मन्दिर, बोधगया का महाबोधि मन्दिर तथा कुशीनगर के महापरिनिर्वाण स्तूप और चैत्य गुप्त-काल की सुन्दर कृतियाँ हैं। इस समय के स्तम्भों में दिल्ली के पास मिहरीछी का चौह-स्तम्भ एक अद्भुत स्मारक है। यह शताब्दियों से सुषे स्थान में रहने पर भी धूप और वर्षा से प्रभावित नहीं हुआ है। स्थापत्य-कला की तरह मूर्ति-कला भी गुप्त-काल में उन्नत और विकसित हुई। इस समय की मूर्तियों में कल्पना, भाव-व्यञ्जना और शारीरिक, यथन विशुद्ध भारतीय ढंग की और बहुत ही सुन्दर है। उनमें भर्तृहरि प्रमाण्डक होने पर, केशों का प्रसाधन, हाथों की सुग्रा, आसन आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ब्राह्मण देवताओं में विष्णु, शिव, पार्वती ब्रह्मा आदि और बौद्धों में बुद्ध, बोधिसत्व, महाबोधिवर आदि की मूर्तियाँ पायी जाती हैं। शैलियों में तीर्थ-

करों—विशेषतः पाँच प्रमुख तीर्थकरों (भाविनाथ, ज्योतिषनाथ, शान्तिनाथ, पाषाणनाथ और महावीर) की मूर्तियाँ मिलती हैं। इस काल की मूर्तियों में सबसे उत्तम नमूना है सारनाथ में मिली हुई अशोक-प्रबन्धन-मुद्रा में भगवान् बुद्ध की मूर्ति का, जो अपने सौन्दर्य, गाम्भीर्य और भाव व्यञ्जना के लिये संसार में प्रसिद्ध है। चित्र-कला के नमूने बहुत कम मिले हैं। जसस्ता और



गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्ति इलोरा में कुछ उदाहरण मिले हैं, जो गुहाचैत्यों की शीशरों और छतों पर रंग-बिरंग के रेखाचित्रों से सुशोभित हैं। इनमें कटा, फूज, जानघरों और मनुष्यों की आकृतियाँ बहुत ही वास्तविक, सजीव और प्रभाव उत्पन्न करने वाली हैं। संगीत-कला को भी इस युग में प्रभय मिला। सम्राट् समुद्रगुप्त स्वयं संगीत-कला में निपुण था, वह अपने कीर्णा शैली के सिद्धों पर कीर्णा बजाता हुआ अंकित किया गया है। इस काल के साहित्य में संगीत के बहुत

मिहरीली छोह स्तम्भ


से चपलेक पाये जाते हैं । बहुसंख्य नाटकोंकी रचना से यह भी ज्ञात होता है कि इस समय का रंगमंच भी विकसित था । सिक्का धनाने की कला



अन्नस्ता का एक चित्र



यसोबरा भीर राहुल (अन्नस्ता)



अन्नस्ता का एक चित्र

भी इस समय उन्नति पर थी । गुप्तों के सिद्धे इस यात के सजीव प्रमाण हैं । बीमार, सुयर्ण और कार्यापण नाम के सिद्धे उल्लेख आते थे । इन सिद्धों पर बहुत सुन्दर आकृतियाँ भी कुम्भोदय संस्कृत के लेख हैं ।



चन्द्रगुप्त का सिक्का



अश्वमेध सिक्का (गुप्तकालीन)



चन्द्रगुप्त का शतवध्वज सिक्का



समुद्रगुप्त का सिक्का



कुमारगुप्त का सिक्का

(क) आर्थिक जीवन

गुप्तकालीन सुन्दर शासन-व्यवस्था में जीवन के आर्थिक साधनों का भी विकास हुआ। कृषि, उद्योग-धंधे और व्यापार सभी उन्नत और समृद्ध थे। इस काल के व्यवसायी और व्यापारी अपनी अपनी श्रेणियों, मिश्रणों और गणों में संगठित थे। वे बैंक का भी काम करते थे। अपने पास

सार्वजनिक भित्तियाँ भी रखते थे और व्याज पर छुण भी देते थे। मन्सूर से मिछे हुए एक स्तम्भ छेक से माख्म होता है कि वहाँ पर तन्नुबायो (सुलहो) की एक झेणी थी, जिसने एक भग्म सूर्य-मन्दिर की स्थापना की थी। इस छेक से तत्कालीन आर्थिक जीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। गुप्त-साम्राज्य पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों के स्पर्श करता था, इसलिये स्थल और जल व्यापार दोनों ही अच्छी तरह चलते थे। रोम के सोने के सिक्के चीमार इस समय काफी संख्या में भारत में आ रहे थे। चीन से रेशमी वस्त्र आता था। भारत के बने हुये कपड़े, मसाजे, बहुमुख्य रत्न, जवाहर, आभूषण आदि बाहर विदेशों में जाते थे। विभिन्नय के लिए कई तरह के सिक्के आख्म थे। सोने के सिक्कों में सुवर्ण तथा चीमार और चाँदी के सिक्कों में कार्पापण चलता था। साधारण व्यवहार में ताँबे का सिक्का तथा कीचियाँ भी काम में आती थीं।

(घ) भारतीय उपनिवेश

वैसे तो भारत का सम्बन्ध अपने पड़ोसी देशों से पहिले से ही था और अशोक और कनिष्क के समय में मध्य पश्चिमा में बहुत से भारतीय व्यापारिक और सांस्कृतिक उपनिवेश स्थापित किये गये थे, किन्तु गुप्त-काल में इस प्रवृत्ति को और भी प्रोत्साहन मिला। ३५१ और ५७१ ई० के भीतर कम से कम दस प्रचारक जत्थे भारत से चीन भेजे गये। प्रसिद्ध चीन विद्वान् कुमारजीव इन्हीं जत्थों में से एक जत्थे का नेता था। हिन्दू-चीन, सुमात्रा, जावा, बाळी, जोर्जियो आदि पूर्वी द्वीप समूहों में भी भारतीय व्यापारी और संस्कृति के प्रचारक पहुँचते थे। प्सिया के पश्चिमी देशों से भी भारत का व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध था। राजनीति, धर्म और व्यापार के मिछसिले में विशेषकर हिन्दू-चीन और पूर्वी द्वीप समूहों के प्रदेशों में बहुत से भारतीय राजवस्त्र, व्यापारी और प्रयासी स्थायी रूप से बस गये। व भारतीय संस्कृति और व्यापार के प्रसार में सहायक सिद्ध हुये।

१३ अध्याय

पुष्यभूति-वंश : कान्यकुब्ज साम्राज्य

लगभग ५०० ई० से गुप्त-साम्राज्य का हास प्रारम्भ हुआ। इसके बाद भारतवर्ष के कई राजनीतिक टुकड़े हो गये। विभिन्न प्रान्तों में जो राजवंश स्थापित हुये उनमें (उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में) आधिपत्य स्थापित करने के लिये काफ़ी होश थी। अन्त में उत्तर भारत में पुष्यभूति-वंश और दक्षिण में चालुक्य-वंश आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुये। इसका फल यह हुआ कि कई शाताब्दियों के लिये उत्तर और दक्षिण दो स्वतंत्र राजनीतिक क्षेत्रों में बँट गये।

१. हूणों का आक्रमण

५०० ई० के लगभग हूणों ने पुनः भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करनेवाले हूण श्वेत हूण कहलाते हैं। ये मूल में चीन के पश्चिमोत्तर भाग में रहते थे। चीनी साम्राज्य के दबाव से धीरे-धीरे वे मध्यपश्चिमा में पहुँचे। यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण इनका विस्तार प्रारम्भ हुआ। इनकी दो मुख्य शाखाएँ थीं। इनमें से एक शाखा ने पश्चिम की ओर यूराक पर्वत को पार कर अफ्रीका-यात्री की तरह लगभग आधे यूरोप पर अपना अधिकार जमा किया। परन्तु संगठन का अभाव होने के कारण हूण यूरोप में स्थायी रूप से शासन न कर सके। १८-२० वर्ष के भीतर ही उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गयी। दूसरी शाखा पहले सासानीयों के दबाव से मध्य पश्चिमा में रुकी रही। किन्तु सासानी शक्ति के हास के बाद हिन्दुकुश को पार कर वह भारत की ओर मुड़ी। उसके पहले आक्रमणों को कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के समय में उसके पुत्र स्कन्दगुप्त ने विफल कर दिया था, किन्तु ५०० ई० के लगभग अपने सेनापति तोरमाण की अध्यक्षता में हूणों ने फिर भारत पर बड़े बेग से आक्रमण किया। इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गयी थी, इसलिये तोरमाण सीमांश, पंजाब तथा राजस्थान के ऊपरी भाग को जीतता हुआ मध्यभारत तक पहुँच गया। हूण मध्यभारत में बहुत दिनों तक ब ठहर सके। ५१० ई० में भानुगुप्त वालादित्य ने मालवा के राजा यशोधर्मन की सहायता से हूणों को मध्यभारत से निकाल दिया। इसके बाद तोरमाण का पुत्र मिहिरकुट पंजाब, काश्मीर और सीमांश में कुछ समय तक शासन करता रहा। वह शैव धर्म का माननेवाला और

बीरों का कहर शायु था। यही कठोरता के साथ उसने शासन किया। ५१८ ई० के लगभग यशोधर्मन् ने उसको हराकर कश्मीर और पंजाब से भी बाहर निकाल दिया। वास्तव में हुणों की शक्ति-वैभवी-संख्या, कठोरता और आक्रमण के वेग में थी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उनमें राजनीतिक संगठन शक्ति का अभाव था; इसीलिए वे भारत में भी नहीं ठहर सके।

२. प्रान्तीय शक्तियाँ

हुण गुप्त-साम्राज्य के स्वाम पर अपना रोगी राज्य स्थापित न कर सके परन्तु उनके घड़े से गुप्त साम्राज्य तितर-बितर हो गया और उसके स्थान पर कई छोटे-बोटे राज्य स्थापित हो गये। मासधा में भौतिकर (सूर्य या चन्द्र) वंश का राजा यशोधर्मन् धीरे-धीरे समय के लिये बड़ा प्रतापी हुआ और उसकी सेनायें राजस्थान से लेकर मध्यप्रदेश तक और हिमालय से लेकर उड़ीसा में महेन्द्र पर्वत तक पहुँच गयीं। हुणों की शक्ति को नष्ट करने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। गुजरात में घलमी-वंश की स्थापना हुई। सिन्धु में पंक शूद्र-वंश की स्थापना हुई जो लगभग अल्प आक्रमण तक पला रहा। पूर्वोत्तर भारत में शौह का राज्य था, जिसमें पुण्ड्रवर्धन, कणसुवर्ण, समतट और ताजलिखि शामिल थे। मगध में गुप्तों के बंसजों ने एक परवर्ती गुप्तवंश की स्थापना की, जिसमें कुमारगुप्त, दामोदरगुप्त, महामेनगुप्त, माधवगुप्त, भाद्रि प्रसिद्ध राजा हुये। दक्षिणापय में भी कई राज्य स्थापित हुये। आन्ध्र बंस में विष्णु कुण्डिन और वनकटक के राज्य बने, जो धीरे-धीरे पड़कों के अधीन हो गये। सुदूर दक्षिण में पल्लव, चोल और कदम्ब भाद्रि अपना शक्ति बढ़ा रहे थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पुलकेशिन् प्रथम ने चालुक्य-वंश की नींव डाली।

इन सभी प्रान्तीय राज्यों में काव्यकुम्भ का मीथरि-वंश और स्थानीय (यामेसर) का पुष्पभूति-वंश सबसे प्रसिद्ध वंश हुये। मीथरि-वंश की राजधानी कन्नौज (काव्यकुम्भ) थी और इस वंश के राजा ईशानवर्मन् ने आर्यों को जीता, जातकों को परास्त किया और गौड़ों को उनकी सीमा के भीतर घेर रखा। इस वंश का पदसे पुष्पभूति-वंश से विरोध था। पीछे विवाह-सम्बन्ध हुआ और दोनों बंस एक में मिल गये।

३. पुष्पभूति वंश

(१) उदय और विकास

छठी शताब्दी के शुरू में जब कि हुणों-आक्रमण के कारण गुप्त-साम्राज्य टूट रहा था, पूर्वी पंजाब में पुष्पभूति वंश की स्थापना हुई। इसकी राजधानी

स्थाप्येवीश्वरं अथवा धानेश्वर थी। इसके संस्थापक, पुण्यमूर्ति के बारे में बहुत कम मालूम है। हर्षवर्धन से केवल यही मालूम होता है कि वह शिव का जन्मस्थ भक्त था। उसके बाद मरुवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम और आदित्यवर्धन इस वंश के राजा हुये, जिन्होंने अपनी शक्ति का योद्धा-बहुत विस्तार किया; परन्तु वास्तव में पुण्यमूर्ति-वंश की स्वतंत्र और व्यापक शक्ति की स्थापना करनेवाला आदित्यवर्धन का पुत्र प्रभाकरवर्धन था। याम ने उसकी विधिवत्पुत्र का वर्णन हर्षवर्धन में इस प्रकार किया है :—'प्रभाकरवर्धनं हृणकूपी हरिण के लिये सिंह, सिन्धुराज के कियुज्वर, गान्धार-राज, रूपी-हामी के लिये घातक महामारी, गुर्जर देश की निजा की भंग करनेवाला, छाये की पट्टों को रोकने वाला और मोरुवदेशरूपी लता की शोभा को मष्ट करनेवाला परशु था।' प्रभाकरवर्धन ने विधिवत्पुत्र के बाद महाराजधिराज, परममहारक और प्रतापशील की उपाधि धारण की। उसके जनन्तर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन द्वितीय सिंहासन पर बैठा। यह बौद्धधर्म का माननेवाला और स्वभाव का सीधा और कोमल था। प्रभाकरवर्धन के मरने के बाद ही-सोह के राजा क्षासक ने उसके वामाद् काम्यकुञ्ज के राजा प्रहर्षवर्धन पर आक्रमण करके उसे मारा डाला। राज्यवर्धन ने काम्यकुञ्ज की रक्षा तो की किन्तु लक्ष्मी के बहुरंग से वह मारा डाला गया।

(२) हर्षवर्धन : साम्राज्य-स्थापना

(क) राज्यारोहण

राज्यवर्धन के बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन धानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। उसके सामने कई कठिन समस्याएँ थीं। वह प्रतिभावाद् और शक्ति-साही शासक था। समस्याओं के हल करने में वह सफल हुआ और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने की।

उसके सामने पहली समस्या अपनी बहन राज्येयी को दूँडना था, जिसने काम्यकुञ्ज पर क्षासक के आक्रमण के समय भागकर विन्ध्यपर्वत के बंगलों में शरण ली थी। हर्षवर्धन राज्येयी को लेकर कश्मीर वापस आया। जब समस्या



हर्षवर्धन यह थी कि काम्यकुञ्ज के सिंहासन पर कौन बैठे? हर्षवर्धन ने बुद्धिसानी से काम किया और काम्यकुञ्ज के मंत्रियों की राय से धानेश्वर और काम्यकुञ्ज

के साम्राज्य को मिटाकर साम्राज्य के साथ संयुक्त शासन स्थापित किया और कर्षीय को अपनी राजधानी बनाया। इस घटना ने उसकी शक्ति को सुरक्षित कई गुना बढ़ा दिया और उसने विजय करने का निर्णय किया।

(ख) विजय

हर्ष ने सबसे पहले अपने बंस के शत्रु गीह के राजा सत्ताक पर आक्रमण किया। उसने प्रतिज्ञा की: 'मैं पिता के शरण-रथ का स्पर्श करके जपन जाता हूँ कि यदि मैं कुछ दिनों के भीतर ही पृथ्वी को गीहों से रहित न कर दूँ और समस्त उन्नत राजाओं के पैरों की बेदियों की श्रमकार से पृथ्वी को प्रतिष्ठापित न कर दूँ, तो मैं बहती हुई अग्नि में अपने को, पतंग की भाँति भस्म कर दूँगा।' इस विजय-के प्रयाण का समाचार पाठे ही प्राम्प्योतिव (आसाम) के राजा मास्करवर्म ने, जो सत्ताक का पड़ोसी और शत्रु था, हर्षवर्ष-का आधिपत्य स्वीकार कर दिया। सत्ताक को पूरी तरह से हर्ष द्वारा न सका, परन्तु उसने उत्तर बंगाल पर अपना राज्य स्थापित कर उसको दक्षिणी-पूर्व बंगाल में सीमित कर दिया। इसके बाद हर्ष ने मालवा को अच्छी तरह से जीता। लगभग ६ वर्ष तक हर्ष की विजयी सेना उत्तर भारतवर्ष में घूमती रही और चीनी यात्री हुएन-संग के अनुसार उसने पाँच गीहों (उत्तर भारत) पर अधिकार कर लिया। सारे उत्तर भारत को अपने अधिकार में करने के बाद हर्ष ने दक्षिण भारत पर अधिकार करना चाहा। इस समय दक्षिण में चालुक्य-वंशी राजा पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था। दोनों की सेनायें नर्मदा के किनारे मिलीं। बड़ा घोर युद्ध हुआ। हर्ष की सेना परास्त और पराजित हुई और उसे हताश होकर वापस लौटना पड़ा। युद्ध के फलस्वरूप उत्तर और दक्षिण की प्राकृतिक सीमाएँ एक स्थायी सीमा बन गयीं। कुछ लेखकों के अनुसार सम्भवतः इस घटना के बाद हर्ष ने फिर दक्षिणापय पर आक्रमण किया और उसकी सेना कुम्भलग (उत्तर कर्नाटक) और काशी तक पहुँच गयी थी। अपने विजय-के द्वारा हर्ष ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जो मोटे तौर पर उत्तर में कारमीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में नर्मदा और महेंद्र पर्वत (बर्मा) तक और पश्चिम में सुराष्ट्र से लेकर पूर्व में प्राम्प्योतिव (आसाम) तक फैला था। सारा आर्वाचन उसके अधीन था और वह सकल-उत्तरापथनाथ (सारे उत्तर भारतवर्ष-का स्वामी) कहलाता था।

(ग) शासन-प्रबन्ध

हर्ष की शासन-पद्धति गुप्तों की शासन-पद्धति से निकली-शुद्धी थी। हर्ष ने उसमें आवश्यकतानुसार योधा-बहुत परिवर्तन किया। उसके अन्तर्गत भी राज्य पक्ताभिन्नक था और उसकी पूरी सत्ता राजा के हाथ में थी; परन्तु जिस तरह अशोक ने धर्म से प्रेरित होकर अपने शासन को आदर्शवादी बनाने का प्रयत्न किया उसी प्रकार हर्ष भी परममाहेश्वर (शिव का भक्त) होने के कारण 'सब जीवों पर अनुकम्पा करने वाला', और पीछे पीछे प्रभाव में आने से बुद्ध के समान 'सर्वभूतों के हित में रत' रहता था। वह दिन-रात शासन के कार्य में लगा रहता था। उसकी राजनीतिक उपाधियाँ भी

सुदृढं चानुस्यूतं चैव महाराजस्य

स्वहस्तो मम महाराजाधिराजप्रीहर्षस्य

महाराज हर्षवर्धन का हस्ताक्षर

परममहारक, महाराजाधिराज, पृकाधिराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परम-हैतव्य आदि थीं। वह शासन के सैनिक, न्याय और व्यवस्था-सम्बन्धी सभी विभागों की देखरेख स्वयं करता था। परसात के मौसम को छोड़कर वह अपने राज्य में प्रजा की स्थिति समझने के लिये दूरे पर भी जाया करता था। हर्ष का केन्द्रीय शासन कई विभागों में बँटा हुआ था जिनका संचालन अण्डियों या मंत्रियों द्वारा होता था। राजा के व्यक्तिगत अधिकारियों में प्रतिहार, विनयासुर, स्वपति, प्रतिनर्तक, वृतक, और खेकक आदि शामिल थे। मन्त्रि-परिषद् भी राजा के कार्य में उसकी सहायता करती थी। मंत्रियों में पुरोहित, प्रधानमंत्री, साम्प्रविग्रहिक, अक्षयवलाधिकृत और सेनापति आदि का उल्लेख मिलता है।

हर्ष का साम्राज्य भी गुप्त-साम्राज्य की तरह कई इकाइयों में बँटा हुआ था। सारे राज्य को राष्ट्र, देश वा मण्डल कहते थे। राष्ट्र कई प्रान्तों में बँटा था जो भुक्ति कहलाते थे। भुक्ति विषयों में, विषय पठकों में और पठक गाँवों में विभक्त थे। प्रान्तों के अधिकारी उपरिक्त महाराज, गोष्ठा भोगपति, राजस्थानीय, राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रपति कहलाते थे। विषय के अधिकारी को विषयपति कहते थे। इन अधिकारियों की नियुक्ति सम्राट् स्वयं ही करता था। हर्ष के समय में भारत-शासन के सम्बन्ध में कोई आणकारी

नहीं है, किन्तु ग्राम के अधिकारियों की लम्बी सूची मिलती है जो बेदाती लोगों का शासन करते थे।

शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग राज्यस्य भयवा मालु धर। सरकारी भाग के साधन उद्ग (भूमि-कर), उपरिकर (व्यतिरिक्त-कर), धाम्य, हिरण्य आदि थे। कर मगध और सामान दोनों रूपों में चुकाया जाता था। जो लोग यह नहीं कर सकते थे, वे शारीरिक श्रम करके सरकारी कर चुकाते थे। सरकारी न्यायालयों से भी आमदनी होती थी। कर सम्बन्धी सरकार की नीति उदार थी। इसके कर प्रजा पर लगाये जाते थे। कर की दर मूमि की उपज का १/१२ के लगभग थी। सरकार खेती योग्य सारी भूमि का माप कराती थी और उपज के अनुसार कर निश्चित करती थी। सेतों की सीमा और उनके स्वामियों का नाम सरकारी कागज-पत्र पर किये जाते थे। सरकार की ओर से सिंघाई का भी प्रबन्ध था। राज्य का भाग और व्यय किस प्रकार निश्चित होता था, इसका अनुमान हुयेम-संग के वर्णन से लगा सकता है। 'राज्य की भूमि के चार भाग थे। एक भाग धार्मिक कामों और सरकारी कार्यों में खर्च होता था, दूसरा भाग सार्वजनिक अधिकारियों के ऊपर, तीसरा भाग विद्वानों को पुरस्कार और बुद्धिपूर्ण होने में और चौथा दात-गुण्य आदि में।' दर्प के समय में शासन-प्रबन्ध अक्षय होने के कारण न्याय की व्यवस्था भी अच्छी थी। हुयेमसंग लिखता है। 'शासन सिंघाई से होने के कारण प्रजा का भावनी सम्बन्ध अच्छा और अपराधी-वर्ग बहुत छोटा है।' किन्तु फिर भी अपराधी होते थे और उनके लिये दण्ड भी दिये जाते थे। राज्य के प्रति मोह करने के लिये प्राचीनन कारावास का दण्ड मिलता था। सामाजिक नीति के विरुद्ध अपराधों के लिये अंग-भग, वैसनिकाशा अथवा बन्वास का दण्ड दिया जाता था। सामान्य अपराधों में अर्थदण्ड पर्याप्त समझा जाता था। पीछेवारी के अपराधों के लिये दण्ड कठोर था और कारावास में कैदियों के साथ कड़ाई की जाती थी। न्यायालय में न्याय मीमांसा-शास्त्र के आधार पर होता था। अभियोक्तों में सच और झूठ का निर्णय करने के लिये अग्नि, जल, तुला और विष आदि का प्रयोग भी होता था। दर्प लोकोपकारी कार्यों पर भी पूरा खर्च देता था। उसने बहुत से मन्दिरों, चैत्यों, विहारों और स्तूपों का निर्माण कराया। राज्यों के बचाने और उनकी सुरक्षा का अथवा प्रबन्ध था। शिक्षा के ऊपर भी सरकारी भाग का एक बहुत बड़ा भाग खर्च होता था। सरकार की ओर से दान-गुण्य आदि का भी प्रबन्ध था। दर्प विपुल धनराशि धार्मिक और सामाजिक हित में खर्च करता था। - १

हर्ष के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें ६ लाख सैनिक थे। इसके अतिरिक्त शीघ्ररथकता पक्षों पर अस्वार्थी सैनिक भी बुला किये जाते थे। हर्ष की सेना में पैदल, अश्वारोही और हाथी मुख्य थे। नी-सेना भी नदियों में और समुद्री तट पर काम करती थी। ऐसा जान पड़ता है कि हर्ष के समय से युद्ध में रथ का प्रयोग उठ गया था। साहित्यिक ग्रन्थों में स्कन्धावार (फौजी छावनी) और सखागारों का वर्णन भी मिलता है। सेना का मुख्य अधिकारी महासन्धि-विप्रहाभिहृत था। उसके अधीन महाबलाभिहृत, बलाधिहृत, सेनापति, बृहद्धार, मटाक्षपति, कटुक, पाति आदि अधिकारी थे। आरक्षा जयवा पुच्छिस्त-विभाग भी अच्छी तरह संगठित था, जिसमें प्रायः वही अधिकारी थे, जो गुप्तकाल में पाये जाते हैं। रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री, याम-वेदियों का पञ्चसमिकता है, किन्तु ये सब होते हुए भी मितमी शान्ति और सुम्पनस्था गुप्तों के समय में थी उतनी हर्ष के समय में नहीं। चीनी-यात्री हुएन-संग का सामान कई बार रास्ते में छुट गया था, जब कि फाह्यान निर्दिष्ट गुप्तकाल में देश के एक भाग से दूसरे भाग में दूम चुकाया।

४. समाज और संस्कृति

(२) सामाजिक व्यवस्था : गुप्तों के समय में वर्ण और आर्य्यम के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था की गयी थी, वह इस समय में भी चल रही थी। साम्यलिखित हर्षचरित में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के बंधुत्व से उल्लेख पाये जाते हैं। हुएन-संग लिखता है : 'परम्परागत जातिभेद से समाज में चार वर्ग हैं। चारों जातियों में धर्म-जुष्टान करने से पवित्रता है। समाज में ब्राह्मणों का सबसे अधिक सादर धार और हुएन-संग के अनुसार यह देश ब्राह्मण-वेश कहलाता था। ब्राह्मणों की उपाधियाँ 'दाम्नी' और 'मह' थीं। हुएन-संग क्षत्रियों की भी प्रशंसा करता है; क्षत्रिय, वर्मा, सेन; महु आदि कहलाते थे। समाज में वैश्यों का वर्ग भी प्रभाव-शाली और धनी-वर्ग था। शूद्रों की कई जातियाँ थीं। अल्पज जातियों में चाण्डाल, श्वपच, कसाई, मसुवा, जसलाव आदि शामिल थे, जो जब भी समाज के दूर पर रहते थे। वैवाहिक-सम्बन्ध अक्सर अपने अपने वर्ग और जाति में होते थे, परन्तु अन्तर्जातीय विवाह जब भी सम्भव थे। विवाह गोप्य और पिच्छ से बाहर होता था। समाज में पुत्रविवाह की प्रथा भी थी। हुएन-संग लिखता है कि रिश्रयो कमी भी जयपना पुत्रविवाह नहीं करती थीं, किन्तु यह बात ऊँचे वर्गों पर ही लागू थी। सती की प्रथा समाज में जारी थी। हर्ष की माता स्वयं ही सती हुई थी और उसकी बहिन सती होये

से उसके द्वारा माछ-याक बचायी गयी। लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध माता-पिता करते थे। साहित्य, संगीत और कला-की शिक्षा उन्हें दी जाती थी। आत्रकक की जैसी पर्दे की प्रथा उस समय नहीं थी। रामवन्दी परिवार में वैष्णव शासन में भाग लेती थी। समाज में अन्न-मी खियों का स्थान ऊँचा था। सामान्य जनता का जीवन सादा होता था, -परन्तु राज-समाजों और नगरों में काफी विकसिता थी।

(२) धार्मिक जीवन

यह लिखा जा चुका है कि गुप्त-काल में अबसंस्कृत वैदिक, बौद्ध और जैन सम्प्रदाय वर्तमान थे। इनमें एक नयी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही थी और धीरे-धीरे ये सम्प्रदायों और उप-सम्प्रदायों में बँटते जा रहे थे। इन सम्प्रदायों की पूजा-प्रवृत्ति भी धीरे-धीरे कठिण होती जा रही थी। धार्मिक विद्यासौं के नाम पर अन्धविश्वास भी बढ़ रहा था और बहुत से अस्पृह और गुप्त व्यवहार धर्म के भीतर घुस गये थे। धार्मिक सम्प्रदायों में परस्पर उदारता थी, किन्तु कहीं कहीं कटुता के उदाहरण भी पाये जाते हैं। धर्म के समय का सबसे व्यापक धर्म वैदिक अथवा ब्राह्मण-धर्म था, जो धीरे-धीरे अपनी समन्वय और उदारता की कति से और सम्प्रदायों को अपने में मिलाता जा रहा था। इस धर्म के भी कई एक सम्प्रदाय थे, जिनमें वैष्णव, शाक्त, शैव, और सौर आदि प्रधान थे। बाण ने कई एक विभिन्न उप-सम्प्रदायों का वर्णन धर्मचरित में किया है। मन्दिरों में अनेक देवताओं की पूजा होती थी। प्रायः धर्म का पौराणिक स्वरूप साफ होता जा रहा था और उसमें तान्त्रिक और नाममार्गी तत्व घुसते जा रहे थे, किन्तु इस समय भी भारतीय जनता वैदिक धर्म को बिल्कुल नहीं भूल गयी थी। समाज में मीमांसक वे और हनन, यज्ञ, संस्कार, पंच महायज्ञ आदि कर्मकाण्ड भी लोग करते थे। ब्राह्मण-धर्म के समान बौद्ध-धर्म भी हीनयान और महायान दो मुख्य सम्प्रदायों और अठारह उप-सम्प्रदायों में बँटा हुआ था। जिस प्रकार वैदिक धर्म में भक्ति मार्ग और पौराणिक धर्म धीरे-धीरे बढ़ रहा था, उसी तरह बौद्ध-धर्म में भी महायान का रूप विकसित जा रहा था और उसमें मन्त्रयान अथवा वज्रयान घुस रहा था। ऐसा मान्य होता है कि बौद्ध धर्म का धीरे-धीरे हास हो रहा था। दुषेन-संग ने उत्तर भारत में बहुत से स्तूपों और विहारों को टूटी-फूटी अवस्था में देखा। बौद्ध-धर्म के केन्द्र धीरे-धीरे पूर्व की ओर तिसकते जा रहे थे। जैन-धर्म भी जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, शक्ति की ओर प्रवृत्त हो रहा था और उत्तर भारत में उसके मानने वालों की संख्या कम थी। फिर

भी जैन-धर्म अपनी सजीव था। चीनी यात्री हुएन-संग श्वेताम्बर सम्प्रदाय का वर्णन करता है। हर्षचरित में बाण ने जपणकों तथा विशाकरमित्र के आक्रम में जैन भिक्षुओं का वर्णन किया है। दक्षिण भारत में जैन-धर्म को काफी प्रतिष्ठा प्राप्त थी और हुएन-संग ने काछी में बहुत से जैन मन्दिर देखे थे। यह धर्म भी दिगम्बर और श्वेताम्बर दो सम्प्रदायों के अतिरिक्त कई उप-सम्प्रदायों में बँटा था। सुव्यव दोनों सम्प्रदायों में कोई क्रांतिकारी अन्तर नहीं था। दिगम्बर यह मानते थे कि स्त्रियाँ मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि उनके जीवन में सम्पूर्ण त्याग सम्भव नहीं। दोनों की पूजा-पद्धति में यह भेद था कि दिगम्बर श्वेताम्बरों की भाँति पूजा में बख, गन्ध और पुष्प का प्रयोग नहीं करते थे।

(३) विद्या, कला और शिक्षा

सातवीं शती के प्रारम्भ में जब कि हर्ष भारत में शासन कर रहा था, भारतवर्ष अपने ज्ञान, विद्या और कला के लिये जब भी संसार में प्रसिद्ध था। बाहर से बहुत से लोग अपनी ज्ञान की प्यास बुझाने के लिये भारतीय विद्यालयों और महाविहारों में आते थे। ब्राह्मण, भाष्यार्थ, उपाध्याय और गुरु प्राचीन प्रथा के अनुसार अपने बरों, गुरुकुलों, जाधमों और मठों में अनेक विद्यार्थी को नियुक्त शिक्षा देते थे। हुएन-संग ने पश्चिम में गान्धार से लेकर पूर्व में बंगाल और सुदूर दक्षिण तक बहुत से बौद्ध विहारों और संघारामों को देखा जो विद्या और शिक्षा के बहुत धरे कन्द्र थे। इस काल के पाल्प-कर्म में प्राचीन साहित्य और शास्त्रों के साथ साथ काव्य, नाटक, आख्यायिका कथा, वर्णन, धर्म-विज्ञान, गणित, ज्योतिष आदि भी सम्मिश्रित थे। ऐसा जान पड़ता है कि कुछ विज्ञान और आयुर्वेद आदि के अध्ययन पर उस समय ध्यान कम हो गया था। इस काल में कई एक अच्छे लेखक, नाटककार और विद्वान् हुए। हर्ष स्वयं एक सकल लेखक और विद्वान् का आभयदाता था। उसके लिये प्रम्बों में रचावही, प्रियदर्शिका, नागानन्द नामक नाटक प्रसिद्ध हैं। उसकी राजसभा में बाण, मयूर, हरिदत्त, जयसेन, मातङ्ग दिवाकर आदि प्रसिद्ध कवि और लेखक सम्मानित थे। बाण के प्रम्बों में हर्षचरित और काह्नवरी धम्मर रचनावर्ण हैं। हर्ष के आसपास के युग में भारवि, कुमारदास, कम्भी, बसुबन्धु, रविहींसि, भूपण, महेंद्र वर्मा, कुमारिल, ज्योतकर, बामन, ब्रह्मगुप्त आदि प्रसिद्ध लेखक और विद्वान् उत्पन्न हुए।

इस काल की कला में भी गुप्त-काल की प्रवृत्तियाँ काम कर रही थीं। मर्मनिर्माण-कला और मूर्तिकला के बहुत सुन्दर नमूने इस काल में मिलते

हैं। मध्यप्रदेश के रायपुर जिले में सिरपुर का। कश्मिर-मन्दिर और साहाबाद में मसुजा के पास मुण्डेश्वरी का मन्दिर हर्ष के समय के बने हुये हैं। हिन्दू-बौद्ध और जैन सभी सम्प्रदाय की मूर्तियाँ अधिक संख्या में पायी जाती हैं। अजन्ता के कुछ चित्र इसी समय के बने हुये हैं। बाण और हर्ष के प्रश्यों में संगीत, शिल्प, बस, शृंगार, भावपूर्ण, प्रसाधन आदि के बहुत से उल्लेख पाये जाते हैं।

नालन्दा महाविहार

इस काल के शिक्षा-केन्द्रों में नालन्दा का महाविहार सबसे बड़ा और प्रसिद्ध था। पटना जिले में राजगृह से ८ मील की दूरी पर आजकल के पद्मगाँव नामक गाँव के पास यह स्थित था। यहाँ पर १ विद्यालयों के विस्तार लक्ष्ये भवन बने हुये थे। इस महाविहार के एक भाग में रत्नसागर, रत्नवधि, रत्नरत्नक नामक पुस्तकालय के तीन भवन बने हुये थे। विद्यार्थियों के भोजन के लिये निरग्रह भोजनालय चले थे। पर्यटकों के बने हुये रास्ते, कुएँ, और अल बक्षियों विहार में पायी जाती थीं। विहार के चारों ओर ईंट की पक्की दीवार तथा उसमें कई दरवाजे बने हुये थे। महाविहार का मध्य बलाने के लिये दो सी गार्डों की आसानी इसमें लगी हुई थी। महाविहार में दस हजार विद्यार्थी और लगभग एक हजार अध्यापक थे। यहाँ के पाठ्यक्रम में ज्योतिष-विद्या (व्याकरण), हेतु विद्या (न्याय व्यवसाय तक), अज्याय, योग, तन्त्र, चिकित्सा, शिल्प, रसायन आदि शामिल थे। महाविहार के मुख्य कर्मचारियों में द्वार-पण्डित (प्रवेश करनेवाले अधिकारी), धर्मकोष (आधुनिक चांसलर), कर्मदान (प्रो-चांसलर), स्वधिर (कुलपति, या इस चांसलर) मुख्य थे। हुयेव-संग ने इस महाविहार में काफी दिनों तक अध्यापन किया, और उसकी काफी प्रशंसा की है।

हर्ष का अन्त

एक छन्दे और सफल शासन के बाद ६४६ ई० में हर्ष का देहान्त हुआ। हर्ष का कोई पुत्र न था, इसलिए काम्यकुम्भ का उत्तराधिकार बड़ा पेशीदा हो गया। ऐसा जान पड़ता है कि अधिक धार्मिक आयोजन और दान की बहुलता के कारण हर्ष का शासन अपने अन्तिम काल में सुबल पड़ गया था। उसके मरने के बाद उसके मन्त्री अश्लोक अथवा अर्जुन ने काम्यकुम्भ के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। काम्यकुम्भ की प्रजा इस बात को नहीं चाहती थी। अश्लोक ने चीनी दूत-मण्डक को बहुत संग किया।

इस कारण से चीनी वृत्त-मण्डल के नेता चैत्र-हूयेन-से ने नेपाल की ओर विजय की सहायता से अरुणाचल की ओर बढ़ करके चीन सम्राट के पास भेज दिया। लगभग ५० वर्ष तक कान्यकुब्ज का भाग्य अस्थिर और अन्धकार में था। इसके बाद मौर्यवंश का पशोवर्मन् यहाँ का शासक हुआ। हर्ष के साथ ही भारतीय इतिहास का गौरवमय युग समाप्त हो गया। देश की एकता घात-द्वियों के किये नष्ट हो गयी। विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियाँ भाग उठीं और सारा देश छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया।



१४ अध्याय

पूर्व मध्यकालीन प्रान्तीय राज्य : देश का विभाजन

यह बात पहले किसी या कुछी है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में बड़े पैमाने पर साम्राज्यवाद का युग समाप्त हो गया। प्राचीन भारत में एक मिश्रित राजनीतिक वादशा या कि सम्पूर्ण देश को अथवा कम से कम इसके बहुत बड़े भाग को एकपुत्र के नीचे साम्रि और सुम्पवस्था के लिये कामा चाहिये। जिस काल में यह वादशा पूरा होता था उसमें भारत की सर्वतोमुखी उन्नति होती थी। हर्ष के बाद यह राजनीतिक वादशा हीना हो गया। भारत के प्रत्येक प्रांत में छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना हुई। उनमें सार्वदेशिक होने की शक्ति नहीं थी। स्थायीता और बंस की उनमें प्रचामता थी। वे अक्सर आपस में लड़ा करते थे। देश की यह सबसे बड़ी दुर्बलता थी और जब इस काल के उत्तरार्द्ध में विदेशियों के आक्रमण हुये तो प्रान्तीय राज्य उनके सामने देश की रक्षा करने में असफल सिद्ध हुये।

१. उत्तर भारत के राज्य

(१) पश्चिमोत्तर

(क) सिन्ध

उत्तर भारत के पश्चिमोत्तर में कई छोटे छोटे राज्य थे। सिन्ध में एक शुद्ध-वंश का राज्य था जिसकी राजधानी पकोर थी। हर्ष के बाद चार पीढ़ियों तक इस वंश का शासन रहा। उस वंश का अन्तिम राजा साहसी था। उसके मंत्री घनवामक माहल ने शुद्ध-वंश का नाश कर राज्य अपने हाथ में कर लिया। उसी वंश का पुत्र दाहिर था, जिसके समय में सिन्ध पर अरबों का आक्रमण ७१२ ई० में हुआ और सिन्ध अरबों के हाथ में चला गया।

(ख) पंजाब और कश्मीर

सिन्ध के ऊपर पंजाब और कायुल में शाही-वंश के राज्य थे। शाही सम्भवतः कुषाणों के वंशज थे जो पूर्वतः भारतीय हो गये थे और जो चण्डिय वर्ण में गिने जाते थे। इनका उत्तराधिकारी माहल शाहीवंश हुआ। इनकी दो राजधानियाँ थीं, एक काबुल और दूसरी पंजाब में भटिन्डा। उस वंश के राजाओं ने अरबों को उत्तर भारत में बढ़ने से रोका। परन्तु जब गजनी के तुर्कों ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, तो वे न टकर सके। शाही वंश के अन्तिम राजा जयपाल और आनन्दपाल

ने हिन्दू राज्यों का एक संघ भी तुर्कों का सामना करने के लिये बनाया, परन्तु यह संघ स्थायी न बन सका और शाही वंश का अन्त हो गया।

(ग) काश्मीर

पंजाब के उत्तर में काश्मीर का राज्य था। अपने भौगोलिक कारणों से यह राज्य भारतवर्ष की प्रमुख राजनीतिक धाराओं से अलग रहा। प्राचीन काल में यहाँ गोनन्द-वंश का राज्य था। सातवीं शती के बाद यहाँ कर्कोटक अथवा नागवंश की स्थापना हुई। इस वंश में ललितादित्य मुखापीड (७१३ से ७९० ई०) नाम का बड़ा प्रतापी और विजयी राजा हुआ। इसके दिग्विजयों का वर्णन राजतरंगिणी में किया हुआ है। यह कभी-कभी के राजा यशोधर्मन् का समकालीन था और उसको युद्ध में हराया था। इस वंश के राजा साहिर्य और कला के बहुत बड़े आश्रयदाता थे। कर्कोटक वंश के बाद काश्मीर में उत्पल-वंश की स्थापना हुई। इस वंश के समय में काश्मीर का अधिकार उत्तरी पंजाब, कांगड़ा आदि के प्रांतों पर हो गया। ९३९ ई० में उत्पल-वंश का अन्त हुआ। और यहाँ के शासकों ने प्रभाकर-वंश के पुत्र यशस्कर को राजा बनाया। इस समय से काश्मीर की शक्ति खीण होती गई। फिर धर्मगुप्त नामक मंत्री ने काश्मीर पर अधिकार कर लिया। इसी के वंश में विद्या नाम की प्रसिद्ध रानी हुई, जिसका अन्त सासन काल ९५३ से १००० ई० तक अस्थाचार और भ्रष्टाचार से पूर्ण था। उसके भतीजे संग्राम के समय में मेहमूद गजनवी ने काश्मीर पर आक्रमण किया, किन्तु विफल होकर उसे वापस छोटना पड़ा। ग्यारहवीं शती के बाद का इतिहास विकासिता, अस्थाचार, शोषण आदि का इतिहास है। १३३९ ई० में शमसुद्दीन नामक एक तथमुस्लिम ने संग्राम के वंश का अन्त किया और काश्मीर में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई।

(घ) नेपाल

काश्मीर के पूर्व में नेपाल का राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तर में हिमालय के अञ्चल में लगभग ५०० मील अन्त फैला था। यद्यपि यहाँ की प्रजा में किरात एक का काफी मिश्रण है, जो भती और दसवीं शती के बाद यहाँ आया, नेपाल का भारत के साथ भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध बहुत घना रहा है। मौर्य अस्तोका के समय नेपाल महासाम्राज्य में सम्मिलित था। गुप्तों और पुष्यभूतियों के समय में भी नेपाल भारतीय साम्राज्य में ही शामिल था। हर्षवर्धन के बाद नेपाल में किराती वंश की पुनः स्थापना हुई, जो पहले भी नेपाल में शासन कर चुका था।

१४ अध्याय

पूर्व मध्यकालीन प्रान्तीय राज्य : देश का विभाजन

यह बात पहले सिन्धी या चुकी है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में बड़े पैमाने पर साम्राज्यवाद का युग समाप्त हो गया। प्राचीन भारत में एक निश्चित राजनीतिक आदर्श था कि सम्पूर्ण देश को अथवा कम से कम इसके बहुत बड़े भाग को एकत्रण के नीचे लायित और सुव्यवस्था के लिये छाना चाहिये। जिस काल में यह आदर्श पूरा होता था उसमें भारत की सर्वसोमुची उन्नति होती थी। हर्ष के बाद यह राजनीतिक आदर्श ढीला हो गया। भारत के प्रत्येक प्रान्त में छोटे-बड़े राज्यों की स्थापना हुई। उनमें सार्वभौमिक होने की शक्ति नहीं थी। स्थानीयता और बंध की उनमें प्रधानता थी। वे अक्सर आपस में कड़ा करते थे। देश की यह सबसे बड़ी दुर्बलता थी और जब इस काल के उत्तरार्द्ध में विदेशियों के आक्रमण हुये तो प्रान्तीय राज्य उनके सामने देश की रक्षा करने में असफल सिद्ध हुये।

१. उत्तर भारत के राज्य

(१) पश्चिमोत्तर

(क) सिन्ध

उत्तर भारत के पश्चिमोत्तर में कई छोटे छोटे राज्य थे। सिन्ध में एक शुद्ध-वंश का राज्य था जिसकी राजधानी पकोर थी। हर्ष के बाद चार पीढ़ियों तक इस वंश का शासन रहा। उस वंश का अन्तिम राजा साइसी था। उसके मंत्री सख नामक माहण ने शुद्ध-वंश का नाश कर राज्य अपने हाथ में कर लिया। उसी जब का पुत्र दाहिर था, जिसके समय में सिन्ध पर अरबों का आक्रमण ७१२ ई० में हुआ और सिन्ध अरबों के हाथ में चका गया।

(ख) पंजाब और काबुल

सिन्ध के ऊपर पंजाब और काबुल में शाही-वंश के राज्य थे। शाही सम्बन्धत कुषाणों के वंशज थे जो पूर्णतः भारतीय हो गये थे और जो अधिप वर्ण में गिने जाते थे। इनका उत्तराधिकारी माहण शाहीवंश हुआ। इनकी दो राजधानियाँ थीं, एक काबुल और दूसरी पंजाब में भटिन्डा। उस वंश के राजाओं ने अरबों को उत्तर भारत में बढ़ने से रोका। परन्तु जब गजनी के तुर्कों ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, तो वे न टहर सके। शाही वंश के अन्तिम राजा जयपाल और आनन्दपाल

ने हिन्दू राज्यों का एक संघ भी मुकों का सामना करने के लिये बनाया, परन्तु यह संघ स्थायी न बन सका और शाही वंश का अन्त हो गया।

(ग) काश्मीर

पंजाब के उत्तर में काश्मीर का राज्य था। अपने भौगोलिक कारणों से यह राज्य भारतवर्ष की प्रमुख राजनीतिक धाराओं से अलग रहा। प्राचीन काल में यहाँ गौतम-वंश का राज्य था। सातवीं शती के बाद यहाँ कर्फोटक अथवा नागवंश की स्थापना हुई। इस वंश में लखितादित्य मुक्तपीठ (७२४ से ७९० ई०) नाम का बड़ा प्रतापी और बिजयी राजा हुआ। इसके विम्वर्यों का बर्णन राजतरंगिणी में दिया हुआ है। वह कन्नौज के राजा पशोबर्मन् का समकालीन था और उसके युद्ध में हराया था। इस वंश के राजा साहित्य और कला के बहुत बड़े आश्रयदाता थे। कर्फोटक वंश के बाद काश्मीर में उत्पल-वंश की स्थापना हुई। इस वंश के समय में काश्मीर का अधिकार उत्तरी पंजाब, कांगड़ा आदि के प्रान्तों पर हो गया। ९३९ ई० में उत्पल-वंश का अन्त हुआ। और यहाँ के प्राज्ञों ने प्रयागर-वंश के पुत्र यशस्कर को राजा बनाया। इस समय से काश्मीर की शक्ति लीज होती गई। फिर पर्वगुप्त नामक मंत्री ने काश्मीर पर अधिकार कर लिया। इसी के वंश में दिहा नाम की प्रसिद्ध रानी हुई, जिसका छम्बा शासन काल ९५३ से १००० ई० तक अत्याचार और भ्रष्टाचार से पूर्ण था। उसके भतीजे संग्राम के समय में मेहमूद गजनवी ने काश्मीर पर आक्रमण किया, किन्तु विफल होकर उसे वापस लौटना पड़ा। ग्यारहवीं शती के बाद का इतिहास विलासिता, अत्याचार, शोषण आदि का इतिहास है। १३३९ ई० में शमसुद्दीन यामक एक तबनुस्त्रिम ने संग्राम के वंश का अन्त किया और काश्मीर में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई।

(घ) नेपाल

काश्मीर के पूर्व में नेपाल का राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तर में हिमालय के अक्षांश में लगभग ५०० मील ऊँचा फैला था। यद्यपि यहाँ की प्रजा में किरात रक्त का काफी मिश्रण है, जो नवीं और दशवीं शती के बाद यहाँ आया, नेपाल का भारत के साथ भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध बहुत घना रहा है। मौर्य अशोक के समय नेपाल मगध साम्राज्य में सम्मिलित था। गुप्तों और पुष्यभूतियों के समय में भी नेपाल भारतीय साम्राज्य में ही शामिल था। हर्षवर्धन के बाद नेपाल में लिच्छवी वंश की पुनः स्थापना हुई, जो पहले भी नेपाल में शासन कर चुका था।

८७९-८० में नेपाल में एक नये सम्राट का प्रवर्तन हुआ। यारहवीं शती के मध्य में तिरहुत के कर्नाट वंश के राजा नान्यदेव ने नेपाल पर अपना आधिपत्य जमाया। मुस्लिम आक्रमणकारी नेपाल पर अपना आधिपत्य नहीं स्थापित कर सके। १७६८ ई० के लगभग वर्तमान राजवंश की स्थापना नेपाल में हुई।

(२) मध्यदेश

(क) मौखरि-वंश

उत्तर भारत के मध्य में हर्षवर्धन के बाद मौखरि वंश का कान्यकुब्ज में पुनरावर्तन हुआ। यद्यपि सातवीं शताब्दी में इस वंश के इतिहास में कोई बड़ी घटना नहीं हुई किन्तु आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यशोधर्मन् नाम का इस वंश में एक बड़ा विजयी और प्रतापी राजा हुआ। गौडवहो नामक प्राकृत काव्य से मालूम होता है कि उसने मगध, बंग, मध्य, महाराष्ट्र, पुराष्ट्र, मरु, पंजाब और हिमालय प्रदेश के ऊपर द्विविजय की थी। किन्तु उसकी विजय स्थायी न थी। यशोधर्मन् के समय साहित्य और कला को प्रभय मिला। उसकी राजसभा में उत्तर रामचरित, महावीरचरित और माकलीमाधव के लेखक भवभूति तथा गौडवहो के रचयिता वाणभट्टराज आदि महाकवि रहते थे। यशोधर्मन् को काश्मीर के राजा छडितादित्य मुक्तपीड ने हराया। इसके बाद मौखरि-वंश का इतिहास अन्धकार में विधीन हो गया।

(ख) आयुध-वंश

यशोधर्मन् के कुछ ही दिनों बाद आयुध-नामान्त तीन राजा—यज्ञायुध, इन्द्रायुध और चक्रायुध—हुये। इस समय उत्तर भारत पर आधिपत्य जमाने के लिये भवभूति के प्रतिहारों, बंगाल के पाकों और महाराष्ट्र के राष्ट्रकुटों में युद्ध हुआ। अन्त में ८१६ ई० के लगभग प्रतिहार राजा द्वितीय नागभट्ट ने चक्रायुध को परास्त कर कान्यकुब्ज पर अपना अधिकार जमा दिया। इस समय से लेकर बारहवीं शताब्दी के अन्त तक कान्यकुब्ज भयया कर्षीज उत्तर भारतवर्ष की प्रमुख राजधानी बना रहा।

(ग) प्रतिहार-वंश

प्रतिहार-वंश का उदय पहले पहले गुर्जरवा भयवा दक्षिण-पश्चिम राज-पूताना में पट्टी शती के मध्य में हुआ। पीरे-पीरे इस वंश ने भवभूति और उत्तरी गुजरात के ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया। भारतीय इति-हास में इस वंश की सबसे बड़ी वैन यह थी कि इसने अरबों को पूर्व में जाने

केका और उनके सिन्ध के भीतर सीमित रखा। अन्त में से राष्ट्रपति और
 ३ से संबंध करते हुए इस बंध ने काम्यकुम्भ पर अपना आधिपत्य जमा
 ॥ काम्यकुम्भ के प्रतिहार-साम्राज्य का संस्थापक द्वितीय मागमद्र बंधा
 णी था। आग्नि, सिन्धु, विदर्भ और कर्किंग आदि प्रान्तों पर उसका
 िक जा गया। उसने जानत (उत्तरी काठियावाड़), मालवा, मंस्य
 षोत्तर राजस्थान), किरात (हिमालय प्रदेश) और वस (प्रयाग के पास
 ताम्बी) के ऊपर भी विजय प्राप्त की। इसका पुत्र राममद्र पुर्वक राजा
 किन्तु राममद्र का पुत्र मिहिर-भोज आदिवराह भारतीय इतिहास का
 बहुत ही प्रसिद्ध विजेता हुआ। उसका राज्य हिमालय से लेकर मसवा
 और सुराह से लेकर पश्चिमी बिहार तक फैला हुआ था। उसने राष्ट्रपतियों
 भरवों को दबा रखा। मिहिरभोज का पुत्र महेंद्रपाल भी वहा ही
 केलाही और कवियों और लेखकों का आश्रयदाता था। उसकी राजसभा
 प्रसिद्ध कवि, नाटककार और रीतिशास्त्र के लेखक भी राजशेखर रहते थे,
 न्होंने काम्य-मीमांसा, कर्पूर-मञ्जरी, बाल-रामायण और बाल-भारत आदि
 यों की रचना की थी। महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी महीपाल भी सफल
 र सकिताही सासक था। इसके बाद प्रतिहारों की शक्ति आन्तरिक और
 ३री कारणों से धीरे-धीरे क्षीण होने लगी और दूर-दूर के प्रान्त प्रतिहार-
 साम्य के बाहर निकल गये। दसवीं शती के अन्त में प्रतिहार राजा
 त्रपाल काम्यकुम्भ की गद्दी पर बैठे। गजनी के तुर्कों के विरुद्ध शाही
 षाओं ने जो संघ बनाया था, उसमें राज्यपाल ने भी भाग लिया था, किन्तु
 ३ के साथ वह भी पराजित हुआ। १०१८ ई० में महमूद गजनवी ने
 गज होते हुए काम्यकुम्भ पर आक्रमण किया। राज्यपाल विरुद्ध, आत्म-
 षासहीन और असावधान शासक था। डरकर उसने महमूद की अधीनता
 ोकार कर ली। इससे अप्रसन्न होकर जेनाक-भुक्ति के चन्देल राजा गण्ड
 कनीस पर चढ़ाई की और उसके पुत्रराज विद्याधर ने राज्यपाल को मारकर
 ३के पुत्र त्रिलोचन पाल को राजगद्दी पर बैठाया। यह समाचार पाकर
 ३मूद गजनी ने दुबारा कनीस पर चढ़ाई की। त्रिलोचनपाल जान डेरकर
 णा और १०२० ई० तक जीता रहा। इस बंध का अन्तिम राजा यक्षपाल
 ०३६ ई० तक वर्तमान था। इसके बाद प्रतिहारों के सम्बन्ध में विशेष
 ३ मन्त्र नहीं।

घ) राष्ट्रवादा-बंध

प्रतिहार-बंध का अन्त होने के बाद लगभग एक शती तक उत्तर
 ारतवर्ष में अराजकता बनी रही। इसी समय उत्तरप्रदेश के मिरजापुर जिले

में काम्बित के आसपास गहड़वाल वंश का उदय हुआ। गहड़वाल लोग प्राचीन चन्द्रवंशियों की सम्तान थे। इनकी पहली राजधानी बाराणसी थी। इस वंश के राजा चन्द्रदेव ने पश्चिम की ओर अपने राज्य का विस्तार करते हुये १०५० ई० में कन्नौज पर अधिकार कर लिया और तुर्कों के विरुद्ध काशी, कोशल, कान्यकुब्ज और इन्द्रप्रस्थ की रक्षा की। चन्द्रदेव के पुत्र मदनपाल का शासन-काल दुर्बल था। परन्तु उसका पुत्र गोविन्दचन्द्र बड़ा वीर और प्रतापी हुआ। उसकी रानी कुमारदेवी के सारमाय में मिले हुये उत्कीर्ण छेद से मालूम होता है कि उसने अपने राज्य का विस्तार काफी किया। उसने भी उत्तर भारत की रक्षा तुर्कों के विरुद्ध की और उनको पश्चिमी पंजाब में घेर रखा। गोविन्दचन्द्र क्षामि, स्वयं विद्वान् और कवियों तथा लेखकों का आदर करने वाला था। उसका पुत्र विजयचन्द्र भी वीर और यत्नशील हुआ। विजयचन्द्र का पुत्र जयचन्द्र ११०० ई० में गरी पर बैठा। यह पदाक्षिपी, वैष्णव धर्म का मानने वाला वीर क्षामि था। उसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, जिसके सहारे विभिन्नय करके उसने राजसूय यज्ञ भी किया। जयचन्द्र भी कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसकी राज्यसभा में श्रीहर्ष नामक महाकवि रहता था, जिसने नैषध-चरित और लण्डन-ग्रन्थ-काव्य आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना। तुर्गम से जब कि तुर्क पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर रहे थे, गहड़वालों और जतमेर के चौहानों में शयुगा हो गयी। ११९३ में जब शाहाबुद्दीन गोरी ने चौहानों पर आक्रमण किया, तब जयचन्द्र ने शैब के साथ धात करके तुर्कों का साथ दिया। तुर्क इसके लिये लुत्तम न हुये। ११९४ में शाहाबुद्दीन गोरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। जयचन्द्र युद्ध में हारा और तुर्कों ने कन्नौज और बाराणसी को लूटा और ध्वस्त किया। इसके बाद गहड़वाल-वंश टिमटिमाता सा रद, किन्तु १२२५ ई० में इल्तुतमिश ने फिर आक्रमण कर गहड़वाल-वंश का अन्त कर दिया।

(ख) चाहमान-वंश

हर्ष के साम्राज्य के विनाश पर राजस्थान में शाफरमरी के नामपाय चाहमान (चौहान) वंश का उदय हुआ। यह वंश मूर्खवंशी था जो लाने चलकर अग्निकुशीय भी कहलाया। चौहानों ने राजस्थान के अधिकांश, पूर्वी पंजाब और दिल्ली के आसपास के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर दिया। ११५३ से ११६३ तक इस वंश का वीर और महारथी राजा विग्रहराज (बीसलदेव) हुआ, जिसने दिल्ली से लाने बहर दिमाछय की गहड़ी तक अपना राज्य बढ़ाया। यह कवि और लेखक भी था। इसने दरकेलि-नारक

और उसके राजकवि सोमदेव ने छलित-विग्रहराम नामक नाटक की रचना की जिनके अंश आज भी अजमेर में 'बाई दिन का झोंपड़ा' नामक मसखिर में कठो हुये पत्थरों पर अंकित हैं। इस वंश का अन्तिम राजा और भारत का अन्तिम महान् हिन्दू राजा पृथ्वीराज चौहान था। वह बड़ा वीर तथा

बिजेता था। उसके सम्बन्ध में वीरता और प्रेम की बहुत सी रोमांचकारी कहानियाँ प्रचलित हैं। उसके राजकवि चन्द्रधरदायी ने पृथ्वीराज-रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य और जयानक ने पृथ्वी-राज-विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। ११९१ ई० में शाहाजुहीन गोरी ने चौहानों के साम्राज्य पर चढ़ाई की। तुर्कों और भारतीय सेनाओं तलावड़ी के मैदान में एक दूसरे से मिलीं। शाही राजाओं की तरह पृथ्वीराज ने भी हिन्दू राजाओं का एक



पृथ्वीराज चौहान

विशाल संघ बनाया और तुर्कों को इस चढ़ाई में हरा दिया। परन्तु अपनी कड़ाहियों और राजस-दिवाहों से पृथ्वीराज ने, बहुत से राज्यों को विशेषकर काव्यकुम्भ के गहड़वालों को अपना शत्रु बना लिया। तुर्कों ने इस परिस्थिति से छान उठया। ११९३ ई० में शाहाजुहीन गोरी ने फिर पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। इस बार का हिन्दू-संघ टुकड़ा था। पृथ्वीराज युद्ध में हारा और मारा गया। तुर्कों ने जजमेर और विज्जी पर अपना आधिपत्य जमा लिया। कुछ दिनों तक तुर्कों के अधीन पृथ्वीराज के पुत्र शोचिन्दराज ने अजमेर में शासन किया। परन्तु पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने उसको हटाकर चौहानों की स्वतन्त्रता की घोषणा की। इसका समाचार पाकर शाहाजुहीन के सेनापति कुतुबुद्दीन ने अजमेर पर चढ़ाई की और चौहानों की सत्ता नष्ट कर दी।

(च) चन्देल-वंश

गहड़वालों के राज्य के दक्षिण में वहीं आजकल गुन्नेलखण्ड है, वहीं पर वहीं शाही के शुरू में चन्द्रघण्टी चन्देलों की शक्ति का उदय हुआ। पहले चन्देल राजा काव्यकुम्भ के प्रतिहारों के अधीन थे। परन्तु धीरे-धीरे

वे स्वतन्त्र हो गये। चम्बेहों की रामधानी जर्जरवाह (लखराहो) थी। वहाँ के राजा यशोवर्मन् ने चेदि, मालवा, महाकोशल आदि प्रदेशों पर आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार किया। यशोवर्मन् का पुत्र घंग (६५०-१००२) यदा विशयी और प्रतापी था। उसने खालिपर और बमारस के भास-पल्ल के प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लिया। जब पंजाब के दाही राजाओं ने तुकों के विरुद्ध हिन्दू राजाओं का संघ बनाया तो उसमें घंग भी सम्मिलित था। घंग का पुत्र गंड भी सक्तिवादी राजा हुआ। १००८ ई० में उसने महमूद गजनी के अधीन जयपाल प्रतिहार पर आक्रमण कर उसको मरवा डाला। इसका फल यह हुआ कि महमूद ने चम्बेहों पर भी आक्रमण किया, परन्तु उनको जीतने में असफल होकर वापस चला गया। इसके बाद चम्बेहों में कीर्तिवर्मा नाम का पक्ष्मी धीर बिजयी राजा हुआ जो विद्या और कला का भाग्यदाता भी था। उसके सम-पण्डित हम्मसिन्ध ने प्रशोधनन्दोदय नामक नाटक लिखा। १२०३ ई० में गहड़वालों की सक्ति के पल्ल हो जाने के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने चम्बेहों के गढ़ कालभर पर आक्रमण किया सब चम्बेह राजा परमर्षि ने उसका विरोध किया, परन्तु युद्ध में हार गया। इसके अनन्तर चम्बेहों का ब्रौह्म-सा राज्य दक्षिणी सुन्दीलसण्ड में भङ्गुर के समय तक बचा रहा।

(छ) कलाञ्जुरि-वंश

सुन्दीलसण्ड के दक्षिण में जबलपुर के आसपास कलाञ्जुरि अथवा चेदि-वंश का राज्य था, जिनकी रामधानी जिपुरी थी। इस वंश में फोकल्ल देय तवमी क्षत्री के अन्त में राजा हुआ जिसने अपनी विभवों और पैदाहिक सम्बन्धों से अपने राज्य का विस्तार किया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा गाङ्गेयदेय था, जिसने दक्षिण-पश्चिम में कर्नाटक में लेकर उत्तर-पूर्व में तिर-हुस तक दिम्बिजय की और इसके उपसभ्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके बाद परमारों, चम्बेहों और चानुफ्यों के राजाओं ने कलञ्जुरियों की सक्ति क्षीण होती गई और पारहवीं क्षत्री में इस वंश का अन्त हो गया।

(ज) परमार-वंश

जब प्रतिहारों का आधिपत्य मालवा में समाप्त हो गया तब क्षत्री क्षत्री के शुरु में वहाँ परमारों की सक्ति का उदय हुआ। भादू वर्तन के आसपास के प्रदेशों में त्रिन चार चंप्रिय राजवंशों ने तुकों से अपने देश और धर्म की रक्षा करने की अग्नि के समुदा शपथ ली थी, उनमें एक परमार-वंश

भी था। परमारों की शक्ति और राज्य को बढ़ानेवाला इस वंश में धाकपति मुज नाम का राजा हुआ। उसने चेदि, छाट (गुजरात) कर्नाटक, चोल, केरळ आदि राज्यों पर आक्रमण किया और राष्ट्रकूट राजाओं के समान श्री-वह्म और जमीप्रबर्ष की उपाधियाँ धारण कीं। मेघतुङ्ग के प्रसिद्ध काव्य प्रथम्य-चिन्तामणि के अनुसार उसने कन्न्याणी के चालुक्यों को कई बार हराया। परन्तु अन्तिम बार उन्हीं के साथ युद्ध करते समय बन्दी हुआ और भागने का प्रयत्न करता हुआ मारा गया। मुज विजेता होने के अतिरिक्त स्वयं बड़ा विद्वान् और विद्वानों का आश्रयदाता था। मुज के बाद उसका छोटा भाई सिन्पुराज गरी पर बैठा, जिसका युद्ध राजस्थान के हुए राज्य, दक्षिण कोसल, छाट और दूसरे पड़ोसी राज्यों से चलता रहा। सिन्पुराज का पुत्र भोज (१०१८-१०६०) परमार-वंश का लोक-प्रसिद्ध राजा हुआ। गरी पर बैठते ही अपने चाचा मुज की सत्यु का बदला लेने के लिये उसने कन्न्याणी के चालुक्यों को हराया। इसके पश्चात् चेदि के राजा गाङ्गोय देव को हराकर कान्यकुम्भ, घाराणसी और पश्चिमी विहार तक उसने विजय प्राप्त की। जब तुर्कों का आक्रमण सुराष्ट्र और गुजरात पर हो रहा था, तब भोज ने भारतीय शक्तियों की सहायता की और तुर्कों को वहीं से भगाया। परन्तु उस समय की प्रथा के अनुसार भोज ने अपने युद्धों से पड़ोसी राजाओं को अपना शत्रु बना लिया। इसका फल यह हुआ कि गुजरात के चालुक्यों और चेदियों ने मिलकर भोज की राजधानी घारा पर अकस्मात् आक्रमण किया और भोज इस युद्ध में मारा गया। भोज भारतीय इतिहास और साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। उसकी शासन व्यवस्था, उसका आदर्श न्याय, उसका पाण्डित्य और विद्या और कला को उसका प्रोत्साहन देना सभी भारतीय साहित्य में बर्णित हैं। भोज की उपाधि कविराज भी। उसने साहित्य, व्याकरण, धर्म, दर्शन, गणित, वैद्यक, वास्तुकला, कोस, नाट्यशास्त्र, रीतिशास्त्र आदि सभी विषयों पर ग्रन्थ लिखे हैं। उसने बहुत से भवनों, राजप्रसादों और विद्यालयों का निर्माण कराया। उसका बनवाया हुआ भोज-सागर तालाब शक्तियों तक, माछवा की सिंचाई और सौम्य का साधन बना रहा, जिसको पन्द्रहवीं शती में मांडू के शाह हुसेन ने मूर्खता से तुष्टाकर सुखा डाला। भोज के बाद परमारों की शक्ति क्षीण होने लगी। १३०५ ई० में अफगानिस्तान के सेनापति पमुकमुक ने परमारों के राज्य का अन्त कर दिया।

(इ) चालुक्य-सोलंकी

परमारों के राज्य के पश्चिम-दक्षिण में गुजरात के चालुक्य अपना

सोलंकी वंश का राज्य था। इस वंश का पहला प्रसिद्ध राजा मूलराज था, जिसने अपने मामा चापोटक-वंशी राजा को लगभग ९७१ ई० में मारकर गुजरात को अपने अधीन कर लिया। उसका पुत्र राजस्वाम के चौहानों और परमारों से होता रहा। मूलराज दीव धर्म का मानने वाला था। उसने बहुत से मन्दिरोँ का निर्माण कराया और विद्वानों को वृत्तिवाँ दी। इस वंश का चूमरा प्रसिद्ध राजा प्रथम भीम हुआ जिसके समय में महमूद गजनवी ने सुराष्ट्र पर आक्रमण किया। भीम अपने राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रहा, किन्तु महमूद के लौट जाने पर उसने अपनी शक्ति का पुनरुद्धार कर लिया। इस वंश में आगे चलकर कर्ज, जयसिंह और कुमारपाल आदि प्रसिद्ध राजा हुए। कुमारपाल (११७७-११७८) बड़ा महारवाकाँची और विजयी था। यह विद्या और कला का भी आभयदाता था। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध जैन विद्वान् हेमचन्द्रस्वरि रहते थे, जिन्होंने धर्म, दर्शन, व्याकरण आदि विषयों पर अनेक ग्रन्थों की रचना की। उसने सोमनाथ के मन्दिर का जीर्णोद्धार भी कराया। उत्कीर्ण शैलों में बह शैब कदा गया है यद्यपि जैन शैलियों ने उसके जैन करके लिखा है। हममें सम्येह नहीं कि उसके ऊपर जैनधर्म का गहरा प्रभाव था और उसने अपने राज्य में जीव-हिंसा करना निषिद्ध कर दिया था। कुमारपाल के बाद गुजरात के चालुक्यों का हास फिर से प्रारम्भ हो गया। तेरहवीं शती के अन्त में अछाठहीन प्रिन्सों के सेमानायक उलुग खान ने गुजरात पर आक्रमण कर चालुक्य वंश का अन्त कर दिया।

(३) पूर्वोत्तर

(क) बंगाल

भारतपर्यं के पूर्वोत्तर में पूर्व मध्यकाल में कई प्रांतीय राज्य थे। बंगाल में भास्वी शती के प्रारम्भ में गोपाल नामक एक सकल सेनानी ने पालवंश की स्थापना की। उसका पुत्र धर्मपाल बड़ा विजयी और धार्मिक था। उसने मालवा के प्रतिहारों और मदाराष्ट्र के राष्ट्रपुत्रों के विरुद्ध उत्तर-भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न किया और कल्पवृक्ष के राजा अक्षयमुख को अपना आश्रित बनाकर रखा। वह बौद्धधर्म का माननेवाला था और उसने बंगाल और बिहार में बहुत से चैत्यों और विहारों की स्थापना की। भागलपुर जिले में गंगा के किनारे विक्रमशिला नामक मदाविहार का निर्माण उसीने कराया था। धर्मपाल के बाद देवपाल राजा हुआ। उसने प्रतिहारों की बढ़ती हुई शक्ति को पूर्व में बढ़ने ही रोकना। वह बड़ा विजयी था और अन्त में प्रथम, सुमात्रा, जावा आदि पूर्वी देशों से अपना राजनीतिक

सम्बन्ध भी बनाये रखा। वह धर्मपाल के समान बीरधर्म का समर्थक था। उसने बिधा और कला को बढ़ा प्रोत्साहन दिया। वैशपाल का पुत्र नारायणपाल सैव धर्म का अनुयायी था। बीच में प्रतिहारों के आक्रमण और किरात जाति के कम्बोजों के उपद्रव से पाछों की शक्ति बंगाल में कमजोर होने लगी। पाळ-वंश के अन्तिम राजाओं में रामपाल सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध हुआ। इसके समा-कवि सन्ध्याकर मन्वी ने अपने रामचरित नामक ग्रन्थ में इसका इतिहास लिखा है। इसने पाछों की शक्ति को पुनरुत्थीवित किया, परन्तु पाळ शक्ति स्थायी न हो सकी। पूर्व से सेनों और पश्चिम से गहड़पाछों के आक्रमणों से, पाळवंश ख़तम ही गया। तेरहवीं सती के अन्त में तुर्कों के आक्रमण से इस वंश का विनाश हुआ।

सेन-वंश

बंगाल के पूर्व में ग्यारहवीं सती के अन्त में कर्णाटदेशीय सेन-वंश की स्थापना हुई। इस वंश की स्थापना करनेवाला सामन्तदेव भवना सामन्तसेन था। सामन्तसेन और उसका पुत्र हेमन्तसेन दोनों ही माण्ड-लिक राजा थे। हेमन्तसेन का पुत्र विजयसेन शक्तिशाली राजा हुआ, और उसने पाछों को हरा कर बंगाल के बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार कर लिया। उसकी राजधानी पूर्वी बंगाल में विक्रमपुर थी। विजयसेन का पुत्र घल्लासेन दूसरा प्रसिद्ध राजा हुआ। उसका शासन-काल ब्राह्मण-धर्म के प्रचार, धार्मिक व्यवस्था के सुधार, ऊँची जातियों में कुटीनता और सैव सम्प्रदाय के प्रचार के लिये प्रसिद्ध है। घल्लासेन स्वयं विद्वान् था और उसने दानसागर और अद्भुतसागर नामक ग्रन्थों की रचना की थी। घल्लासेन के पश्चात् उसका पुत्र लक्ष्मणसेन इस वंश का राजा हुआ। उसने अपने सम्बन्ध-काल के प्रारम्भ में आसाम और कर्लिंग पर आक्रमण किया और इसके उप-रुप्य में प्रयाग और काशी में अयस्तम्भों की स्थापना की। उसने विक्रमपुर के स्थान में कचमणावती (गीढ़) को अपनी राजधानी बनाया। अपने पिता के समान वह भी विद्वान् था और कवियों और लेखकों का आदर करता था। उसकी राजसमा में गीसगोविन्द के रचयिता जयदेव और पद्यन-वृत्त के लेखक योगिक नामक कवि रहते थे। कचमणसेन के बाद सेन-वंश का दास क्षीप्रता से होने लगा। ११९९ ई० में कुतुबुद्दीन के सेनानायक मुहम्मद बिन यफ़यार ने बंगाल पर आक्रमण किया और भाषसेन को हराकर बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया।

(ख) उड़ीसा

बंगाल के दक्षिण-पश्चिम में उड़ीसा और कर्लिंग के छोटे-छोटे राज्य थे। आठवीं शती के शुरू में कर्लिंग में गंग-वंश की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी कर्लिंगपरम थी। इस वंश का संबंध आसाम, बंगाल और पूर्वी आनुच्यों से होता रहा। बंगाल के राजा विजयसेन के साथ गंग-वंशीय राजाओं का मित्रता का सम्बन्ध था। स्थानीय परम्परा के अनुसार गंग-वंशी राजा अश्वमेध वर्मन् ने पुरी के प्रसिद्ध विष्णु मन्दिर का निर्माण कराया था। कर्लिंग के ऊपर तेरहवीं शती में तुर्कों के आक्रमण शुरू हो गये। परन्तु इसका पतन सोलहवीं शती में हुआ।

छात्रमग आठवीं शती के प्रारम्भ में ही उड़ीसा में कोसरी-वंश की स्थापना हुई। इसकी राजधानी मुबनेश्वर थी। इस वंश के राजाओं का भी आसाम और बंगाल के साथ युद्ध होता रहा। वर्म और कला के चैत्र में इस वंश की काफ़ी अच्छी देन है। इस वंश के राजाओं ने मुबनेश्वर में बहुत अच्छे मन्दिरों का निर्माण कराया जो अपनी कला और सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध राजा लिंगराज ने ग्यारहवीं शती में एक विद्यालय मन्दिर बनवाया जो आज भी उसके नाम से प्रसिद्ध है। तेरहवीं शती में उड़ीसा, तुर्कों के अधिकार में चला गया।

(ग) आसाम

बंगाल के पूर्वोत्तर में प्राचीन कामरूप (आसाम) का राज्य था, जिसकी राजधानी गौहाटी के पास प्राम्प्योलिपपुर थी। यहाँ का राजा भास्करवर्मन् हर्ष का समकालीन था। उसके बाद शालस्तम्भ नामक व्यक्ति ने एक नये राजवंश की स्थापना की जो मवीं शती तक चलता रहा। पड़ोसी बंगाल के पाठ राजाओं से कामरूप का संबंध चलता रहा। बारहवीं शती के बीच में कुमारपाल ने अपने मन्त्री वैद्यदेव को आसाम का मन्त्री बनाया। बंगाल में तुर्कों की शक्ति स्थापित होने के बाद भी आसाम स्वतन्त्र बना रहा और तुर्कों को कई बार मुँह की रानी पड़ी। तेरहवीं शती के प्रारम्भ में अहोम नामक दामबंशी जाति का आधिपत्य आसाम में स्थापित हुआ, जो उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ तक बना रहा। अहोम जाति के नाम पर ही ह्य प्राप्त का नाम आसाम पड़ा।

२. दक्षिण भारत

जिस प्रकार उत्तर भारत में गुप्त और गुप्पभूति-आघ्राण के पतन के बाद छोटे-छोटे प्रांतीय राज्यों की स्थापना हुई उसी तरह दक्षिण भारत में भी

जाग्रों और वाकारकों के साम्राज्य के अन्त होने पर छोटे-छोटे राज्य उत्पन्न हो गये। इनमें से कई एक शक्तिशाली राज्य थे, परन्तु वे भी स्थायी रूप से सम्पूर्ण दक्षिण को एक राजनीतिक सूत्र में न बाँध सके।

(१) चातापी के चालुक्य

महाराष्ट्र के दक्षिण और कर्नाटक में पाँचवीं सती के अन्त में चालुक्य-वंश की स्थापना हुई थी। चालुक्य उत्तर भारत के सूर्यवंशी साहसी क्षत्रिय थे, जो घेरि घेरि राजस्थान, मालवा और गुजराज होते हुए कर्नाटक पहुँचे थे। इस वंश का पहला राजा जयसिंह था, जिसने अपने पड़ोसी राष्ट्रकुटों और कवम्बों को इबाकर एक छोटे राज्य की स्थापना की। उसके बाद रमराज, प्रथम पुलकेशिन् और कीर्ति-धर्मा तथा कीर्तिधर्मा का भाई मंगलेश आदि कई राजा हुए जिन्होंने दक्षिण के बहुत बड़े भाग पर चालुक्यों की सत्ता फैलायी। प्रथम पुलकेशिन् ने चातापी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिमान और प्रतापी राजा द्वितीय पुलकेशिन् था। उसने ६०८ ई० में सिंहासन पर बैठकर पृथ्वीबल्लभ-सत्याभय की उपाधि धारण की। उसने लगातार अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध करके सम्पूर्ण दक्षिण के ऊपर अपना आधिपत्य जमा किया। इसी समय उत्तर भारतवर्ष में हर्षवर्धन भी अपने साम्राज्य की स्थापना कर रहा था। इन दोनों महारजाकाँची विजेताओं में संघर्ष होना स्वाभाविक था। दोनों की सेनायें नर्मदा के किनारे एक दूसरे से मिलीं। अन्त में विजया होकर हर्षवर्धन को हताश वापस जाना पड़ा। इसके बाद पुलकेशिन् ने परमेश्वर और दक्षिणापरोश्वर की उपाधियाँ धारण कीं। पुलकेशिन् का शौर्य-सम्बन्ध फारस आदि पश्चिमा के पश्चिमी देशों से भी था। चीनी यात्री ह्युयेन-संग पुलकेशिन् की राजसभा में गया था, जो पुलकेशिन् के प्रति प्रजाभक्ति और महाराष्ट्रियों के सीधे, स्वामिनामी और कठोर स्वभाव का उल्लेख करता है। चालुक्य-वंश के प्रारम्भिक राजा वैदिक धर्म के सामनेवाले थे। परन्तु पुलकेशिन् के ऊपर जैनधर्म का प्रभाव पड़ा था। वह विद्या और कला का आश्रयदाता था। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध लेखक और कवि रयिकीर्ति रहता था। उसके समय के बहुत से मन्दिर, चैत्य और चित्रकला के नमूने पाये जाते हैं। पुलकेशिन् के बाद इस वंश में कई राजा हुये, जिनके समय में चालुक्यों का राज्य दुर्बल होता गया।

(२) राष्ट्रकुट

चातापी के चालुक्य-साम्राज्य के स्थान पर दक्षिण में राष्ट्रकुटों के राज्य की स्थापना आठवीं सती के मध्य में हुई। इस राज्य का संस्थापक

दम्बिदुर्ग था। उसने चालुक्य राजा द्वितीय कीर्तिवर्मा से दातापी नगरी चीन की और दक्षिण के कई राजाओं को हराकर बहुत बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद उसका काका प्रथम कृष्ण राजा हुआ, जिसने चालुक्यों की बची हुई शक्ति को और सुदूर दक्षिण के कई राजाओं को हराया। उसने प्रसिद्ध ऐसोरा के प्रसिद्ध कैलास मन्दिर का निर्माण कराया, जो भारतीय स्थापत्य का एक अद्भुत उदाहरण है। कृष्ण के बाद गोविन्द और उसके बाद छुद्र धारावर्ष राजा हुआ। छुद्र बहुत बड़ा विजेता था। उसने काञ्ची के पल्लवों को हराया और इसके बाद उत्तर भारत को जीतने की योजना बनायी। माछ्या के प्रतिहारों को हराती हुई इमकी सेना उत्तर में हिमालय तक पहुँच गयी। यद्यपि छुद्र उत्तर भारत में अपना स्थायी राज्य नहीं स्थापित कर सका, फिर भी राष्ट्रकुटों का आतंक सारे भारतवर्ष पर छा गया। छुद्र के बाद तृतीय गोविन्द और उसके बाद प्रथम अमोघवर्ष ८१७ ई० के लगभग सिंहासन पर बैठा। वह भी बड़ा विजेता था। उसने मयूरक्षण्ड को छोड़कर मान्यखेट (दक्षिण हैदराबाद में) को अपनी राजधानी बनाया। वह बड़ा शही और जैनधर्म का अनुयायी था। आचार्य जिनसेन उसके गुरु थे। अरब पात्री मुस्लिमान ने संसार के चार बड़े राजाओं में अमोघवर्ष की गणना की थी। अमोघवर्ष के पचास कई एक राजा इस वंश में हुये, जिनमें तृतीय इन्द्र सप्तसे प्रसिद्ध था। उसने उत्तर के प्रतिहार साम्राज्य और सुदूर दक्षिण के कई राज्यों पर आक्रमण किया और ९२८ ई० में चोलों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। यह जैन धर्म का माननेवाला था। उसके बाद राष्ट्रकुटों की शक्ति चीन होती गयी और दक्षिणी शक्ती के अन्तिम पाद में उसका अन्त हो गया। राष्ट्रकुटों की विदेशी नीति उल्लेखनीय है। वह अपने पड़ोसी राज्यों से लगातार लड़ते रहे। उत्तर भारत के गुर्जरप्रतिहारों ने उनकी विशेष शत्रुता थी और उनपर दबाव डालने के लिये उन्होंने सिन्ध के अरबों से मित्रता का सम्बन्ध बनाये रखा, जो राष्ट्रीय दृष्टि से घातक था। राष्ट्रकुटों ने अपने राज्य में अरबों को व्यापार करने, मसजिद बनाने और अपना कानून व्यवहार में लाने की स्वतन्त्रता दी थी। इमका मुसलमानों ने अनुचित लाभ उठाया। विदेशी नीति में राष्ट्रकुटों की अनुरक्षिता स्पष्ट है।

(३) कल्याणी के चालुक्य

राष्ट्रकुटों के पतन के बाद फिर चालुक्य-शक्ति का पुनरुत्थार हुआ और

१. बम्बई का शहीद, चीन का कृष्ण और कर्णाट (बम्बई का राष्ट्रकुट)

दशवीं शती के अन्त में द्वितीय सैलप ने कल्याणी (हैदराबाद) में अपने राज्य की स्थापना की। गुजरात को छोड़कर खनामग सारे प्राचीन चातुर्व्य राज के ऊपर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। मालवा के परमारों से उसके कई युद्ध हुये, अन्तिम युद्ध में उसने मालवा के राजा मुजुग को बंदी बनाया और भागने का प्रयत्न करते समय उसको मरवा डाला। चातुर्व्यों का सुदूर दक्षिण और उत्तर भारत के और राज्यों से युद्ध होता रहा। इस वंश में सत्याभय, पंचम विक्रमादित्य, द्वितीय जयसिंह, जगदेवमल्ल, सोमेश्वर, आहयमल्ल, सोमेश्वर मुघनैकमल्ल तथा छठवाँ विक्रमादित्य, विक्रमांक धिमुघन मल्ल आदि कई राजा हुये। विक्रमादित्य १००६ ई० में सिंहासन पर बैठा और चालुक्य विक्रम सम्यत् का प्रवर्तन किया। वह बिद्या और कला को प्रोत्साहन देता था। उसकी राजसभा में विक्रमांक देव चरित का किलने वाला कान्मीरी पंडित विश्वहण और चानुर्व्य सृष्टि की टीका, मिठाचरा के लेखक बिज्जामेश्वर रहते थे। उसके शासन काल में बहुत से मन्तों और देवाल्यों का निर्माण भी हुआ। विक्रमादित्य के बाद चातुर्व्यों का फिर पतन प्रारम्भ हुआ और बारहवीं शती के अन्त में देवगिरि के यादवों ने उसको समाप्त कर दिया।

(४) यादव

चातुर्व्यों और राष्ट्रकूटों का राजनीतिक उत्तराधिकार देवगिरि के यादवों ने ग्रहण किया। यादव शक्ति की स्थापना करनेवाला चतुर्थ मिहम था। उसने चातुर्व्यों की शक्ति का नाश करके देवगिरि को अपनी राजधानी बनाया और महाराष्ट्राधिपति की उपाधि धारण की। कृष्णा के दक्षिण में उसे सफलता नहीं मिली और वह होयसाल राजा प्रथम धीर बल्लाहा के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। मिहम के पुत्र जैत्रपाल ने पूर्व में सैलंगाना के ऊपर यादवों की सत्ता स्थापित की। जैत्रपाल का पुत्र सिंहम (१२१०-१२४०) इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। उसने शिलाहारों को हराया, होयसाल राज्य के उत्तरी भाग को अपने राज्य में मिलाया और उत्तर भारत के परमारों, चेदियों और गुजरात के चघेलों को कई बार परास्त किया। वह बिद्या और कला का भी प्रेमी था। सिंहम का बेटा कृष्ण भी अपने पिता के समान बिद्या और कला का प्रेमी और प्रसिद्ध बिजेता था। कृष्ण का भाई महादेव उसके बाद गद्दी पर बैठा। उसने शिलाहारों से कोंकण घुम किया और अकालीय यामी रुद्रान्या को अपनी सेना भेजकर मयमीत किया। उसकी राजसभा में चतुर्वर्ग-चिन्तामणि के रचयिता हेमाद्रि, गीता के

वृत्तिदुर्ग या। उसने चालुक्य राजा त्रितीय कीर्तिवर्मा से वाठापी नगरी चीन की ओर दक्षिण के कई राजाओं को हराकर बहुत बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद उसका काका प्रथम कृष्ण राजा हुआ, जिसने चालुक्यों की बची हुई शक्ति को भीर सुवूर दक्षिण के कई राजाओं को हराया। उसने प्रसिद्ध पैलेरा के प्रसिद्ध कैलास मन्दिर का निर्माण कराया, जो भारतीय स्थापत्य का एक अद्भुत उदाहरण है। कृष्ण के बाद गोविन्द भीर उसके बाद ध्रुव धाराधर्य राजा हुआ। ध्रुव बहुत बड़ा बिजेता था। उसने काश्मीर के पञ्चों को हराया और इसके बाद उत्तर भारत की जीतने की योजना बनायी। माकवा के प्रतिहारों को हराती हुई इसकी सेना उत्तर में हिमालय तक पहुँच गयी। यद्यपि ध्रुव उत्तर भारत में अपना स्थायी राज्य नहीं स्थापित कर सका, फिर भी राष्ट्रकुटों का भारतक सारे भारतवर्ष पर पड़ा गया। ध्रुव के बाद तृतीय गोविन्द और उसके बाद प्रथम अमोघधर्य ८१४ ई० के लगभग सिंहासन पर बैठे। वह भी बड़ा बिजेता था। उसने मयूरक्षण्ड को छोड़कर मान्यखेट (दक्षिण द्विदराबाद में) को अपनी राजधानी बनाया। वह बड़ा दानी और जैसधर्म का अनुयायी था। आचार्य जिमसेन उसके गुरु थे। भरव पापी सुसेमान ने संसार के चार बड़े राजाओं में अमोघधर्य की गणना की थी। अमोघधर्य के पश्चात् कई एक राजा इस वंश में हुए, जिनमें सृतीय इन्द्र सबसे प्रसिद्ध था। उसने उत्तर के प्रतिहार साम्राज्य और सुवूर दक्षिण के कई राज्यों पर आक्रमण किया और ९४८ ई० में चोळों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। वह जैसधर्म का माननेवाला था। उसके बाद राष्ट्रकुटों की शक्ति चीन होती गयी और दसवीं शती के अन्तिम पाद में उसका अन्त हो गया। राष्ट्रकुटों की विदेशी नीति उल्लेखनीय है। वह अपने पड़ोसी राज्यों से लगातार लड़ते रहे। उत्तर भारत के गुर्जरप्रतिहारों से उनकी विधेय शत्रुता थी और उनपर बराबर आक्रमण के लिये उन्होंने सिन्ध के अरबों से मित्रता का सम्बन्ध बनाये रखा, जो राष्ट्रीय दृष्टि से घातक था। राष्ट्रकुटों ने अपने राज्य में अरबों को स्थापित करने, मसजिद बनाने और अपना कानून व्यवहार में लाने की स्पष्टमन्त्रता भी थी। इन्का मुसलमानों ने अनुचित लाभ उठाया। विदेशी नीति में राष्ट्रकुटों की अपूरवर्षिता स्पष्ट है।

(३) फरियाणी के चालुक्य

राष्ट्रकुटों के पतन के बाद फिर चालुक्य-शक्ति का पुनरुत्थार हुआ और

१. बम्बई का अमीर, चीन का सम्राट और बखार (पहलाय राष्ट्रकुट)

दशवीं शती के अन्त में द्वितीय तैकप ने कल्याणी (हैदराबाद) में अपने राज्य की स्थापना की। गुजरात को छोड़कर लगभग सारे प्राचीन चालुक्य राज के ऊपर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। मालवा के परमारों से उसके कई युद्ध हुए, अन्तिम युद्ध में उसने मालवा के राजा मुज को बन्दी बनाया और भागने का प्रयत्न करते समय उसको मरवा डाला। चालुक्यों का सुदूर दक्षिण और उत्तर भारत के और राज्यों से युद्ध होता रहा। इस वंश में सत्याश्रय, पंचम विक्रमादित्य, द्वितीय अयसिंह, जगदेवमल्ल, सोमेश्वर, माहवमल्ल, सोमेश्वर मुयनैकमल्ल तथा छठवाँ विक्रमादित्य, विक्रमांक त्रिभुवन मल्ल आदि कई राजा हुए। विक्रमादित्य १००६ ई० में सिंहासन पर बैठा और चालुक्य विक्रम खम्बडू का प्रवर्धन किया। वह विद्या और कला को प्रोत्साहन देता था। उसकी राजसभा में विक्रमांक देव चरित का लिखने वाला कारमीरी पण्डित लिखण और याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका, मिताचरा के लेखक विज्ञानेश्वर रहते थे। उसके शासन काल में बहुत से भवनों और देवाल्यों का निर्माण भी हुआ। विक्रमादित्य के बाद चालुक्यों का फिर पतन प्रारम्भ हुआ और बारहवीं शती के अन्त में देवगिरि के यादवों ने उसको समाप्त कर दिया।

(४) यादव

चालुक्यों और राष्ट्रकूटों का राजनीतिक उत्तराधिकार देवगिरि के यादवों ने ग्रहण किया। यादव शक्ति की स्थापना करनेवाला चतुर्थ मिहिर था। उसने चालुक्यों की शक्ति का नाश करके देवगिरि को अपनी राजधानी बनाया और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कृष्णा के दक्षिण में उसे सफलता नहीं मिली थीर वह होयसाळ राजा प्रथम धीर वल्लाह के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। मिहिर के पुत्र जैत्रपाल ने पूर्व में तैलंगाणा के ऊपर यादवों की सत्ता स्थापित की। जैत्रपाल का पुत्र सिहण (१११०-१२७०) इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। उसने शिवाहारों को हराया, होयसाळ राज्य के उत्तरी भाग को अपने राज्य में मिलाया और उत्तर भारत के परमारों, वेदियों और गुजरात के बघेलों को कई बार परास्त किया। वह विद्या और कला का भी प्रेमी था। सिहण का बेटा कृष्ण भी अपने पिता के समान विद्या और कला का प्रेमी और प्रसिद्ध विद्वेता था। कृष्ण का भाई महादेव उसके बाद गद्दी पर बैठा। उसने शिवाहारों से कोंकण क्षेत्र किया और काकतीय राजा रुद्राम्या को अपनी सेना भेजकर भयभीत किया। उसकी राजसभा में चतुर्वर्ग-चिन्तामणि के रचयिता हेमाद्रि, गीता के

प्रसिद्ध टीकाकार मराठी संत ज्ञानेश्वर और मुग्धबोध-व्याकरण के लिखने वाले चोपदेश रहते थे। महादेव ने मन्दिर-निर्माण की एक नयी शैली का प्रवर्तन और मोड़ी-छिपि का सुधार किया। इस वंश के राजा रामचन्द्र के समय (१२९४ ई०) में सबसे पहले दक्षिण भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। अछावहीन खिलजी ने अपने चाचा अछावहीन खिलजी के श्रेष्ठ से मचने का बहाना लेकर वैशगिरि में सरण ली और उषार, मिरिचस्त और असाधघाम रामचन्द्र पर उसके पुर्ण के भीतर ही अकरमाव आक्रमण कर दिया। उस समय मादव सेना रामचन्द्र के पुत्र शंकरदेव के साथ दक्षिण गयी हुई थी। रामचन्द्र को विवश होकर अछावहीन से सन्धि करनी पड़ी और बहुत बड़ा उपहार उसको देना पड़ा। इसके बाद पादवों की शक्ति चीण पड़ने लगी। चौदहवीं शती के मध्य में तुर्कों ने मादव-शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर दिया।

(५) होयसाल

पादवों के दक्षिण में चम्पू की एक शाखा होयसाल-वंशने द्वारसमुद्रमें एक नये राज्य की स्थापना की। पहले यह वंश कांची के चोलों और कन्न्याची के चालुक्यों के अधीन था। इस वंश के राजा विष्णुवर्धन ने अपनी शक्ति और सीमा का विस्तार किया और अपनी पुरानी राजधानी बैलपुर (वैल्ल) को छोड़कर द्वारसमुद्र (हळेविड) को अपनी राजधानी बनायी। विष्णुवर्धन पहले जैन-धर्म का मागने वाला था, पीछे अपने मंत्री और आचार्य रामानुज के प्रभाव से वैष्णव धर्म का अनुयायी हो गया। उसने कई मन्दिर राजमन्नों और देवालयों का निर्माण कराया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिमान राजा प्रथम धीरयल्लाल (११०२-१११५) हुआ, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त की। उसने चालुक्यों और वैशगिरि के पादवों से युद्ध करके अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसके पीछे होयसालों की शक्ति पड़ोसी राज्यों के संघर्ष के कारण धीरे धीरे चीण होने लगी। १३२० ई० में अछावहीन खिलजी के सेनापति मल्लिक जाह्नूर ने द्वारसमुद्र पर चढ़ाई की। इसके बाद कुछ समय तक होयसाल वंश स्थानीय सामन्तों के रूप में बना रहा।

होयसालों के पड़ोस में घनघांसी का कदम्ब-वंश, तलकाठ का गोंग-वंश, कौकण का शिलाहार-वंश और चारंगल का फाकतीय-वंश स्थापित थे, जिनकी शक्ति स्थानीय थी और वे बराबर चालुक्यों, पादवों तथा होयसालों के आक्रमणों के शिकार बनते रहे। इनमें चारंगल का फाकतीय-वंश पीछे तक बना रहा। इस वंश के शुरू के राजाओं में प्रोत्तयज, उद्र, और

महादेव, के नाम लिपि जा सकते हैं। महादेव का पुत्र गणपति ११२९ में रासा हुआ और अपने चासठ वर्ष के राज्यकाल में उसने चोल, कर्नाट, पाण्ड्य, कर्णाट, लाट और बलनाड्ड पर सफल आक्रमण किया। उसके बाद उसकी पुत्री रुद्राम्बा सिंहासन पर बैठी और उसने बड़ी बुद्धिमानी और योग्यता से अपने राज्य का शासन किया। रुद्राम्बा के बाद उसका पोता प्रतापरुद्र शासक हुआ। मलिक काफूर ने उसको हराकर अपने अधीन किया। इस वंश का अन्त १४२४ ई० में बहमनी सुल्तान अहमदशाह के द्वारा हुआ।


३. सुदूर दक्षिण के राज्य

बहुत प्राचीन काल से सुदूर दक्षिण में चोल, पाण्ड्य, केरळपुत्र, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णि (कंका) आदि राज्य थे। चाम्रों, चालुक्यों और राष्ट्रकुटों के समय में ये राज्य प्रायः उनके अधीन और कभी-कभी स्वतंत्र रहे। चालुक्य साम्राज्य के पतन के बाद सुदूर दक्षिण में भी विदेशीकरण की प्रवृत्ति प्रबल हो गयी और यहाँ भी छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना हुई।

(१) पल्लव

सुदूर दक्षिण का पहला प्रसिद्ध राजवंश पल्लवों का था। पल्लव छेत्र दक्षिण के वाकाटकों की एक शाखा थे। आर्य साम्राज्य के पतन पर उत्तर के वाकाटकों के समान इन्होंने भी सुदूर दक्षिण में एक राज्य की स्थापना की। इनकी एक राजधानी घान्यकट और दूसरी कांची थी। इस वंश का संस्थापक वप्पदेव था। उसके पुत्र शिवस्कन्द्यवर्मन् धर्म महाराज ने उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ अपने राज्य का विस्तार किया और उसके उपरक्ष्य में भरबनेष, बामपेय आदि राज्यों का भी अधिपतन किया। इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध राजा विष्णुगोप था जिसने समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार किया था। ऋषी दासी के बाद से इस वंश का विकास क्षीणता से हुआ। इस वंश के राजा सिद्ध-विष्णु ने चोल, पाण्ड्य, कर्णभ्र, सिंहल और मल्लनाड्ड के राजाओं को परास्त किया। सिद्धविष्णु के बाद महेंद्रवर्मन्, पुलकेशिध्व द्वितीय का समकालीन था। उसके साथ महेंद्रवर्मन् का दक्षिणापय में अधिपत्य के लिपि युद्ध हुआ। यद्यपि युद्ध में पल्लवों के हाथ से वेङ्गी का राज्य निकल गया फिर भी दक्षिण प्रदेश में उनकी शक्ति बनी रही और चोल आदि राज्यों को उन्होंने दबा रखा। महेंद्रवर्मन् पहले जैनधर्म का अनुयायी था पीछे तिरुजान सम-पन्दुर के प्रभाव से सैव-धर्म को मानने लगा। धार्मिक मामलों में वह उदार था ॥ सैव-मन्त्रियों के साथ उसने दूसरे सम्प्रदायों के देवताओं के मन्दिर भी

वनपाये । सुदूर दक्षिण में चट्टानों को काटकर मन्दिर-निर्माण की कला का यह जन्मदाता समझा जाता है । यह विद्या और कला का भ्रमजदाता था । उसने महाविजय नामक एक प्रहसन किया जिसमें कापाठिक, पाण्डपठ, बीर



पञ्च मन्दिर (माम्बपुर-मद्रास)

विष्णु आदि के ऋषाचार आदि का उपहास पाया जाता है । महेश्वरवर्मन् का पुत्र नरसिंहवर्मन् बड़ा विजयी और पक्षस्वी हुआ । युद्ध में उसने पुस्तकेशिन् द्वितीय को हराया और उसकी सेनायें चालुक्यों की राजधानी वातापी (वादापी) तक पहुँच गयीं । नरसिंहवर्मन् का आधिपत्य पूरे सुदूर दक्षिण, कर्णा और उसके आसपास के द्वीपों पर स्थापित हो गया । इसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में वातापी-कोण्ड और महामञ्ज की उपधि धारण की । महामञ्जपुर में माम्ब नगर की स्थापना करके उसको बहुत से मन्दिरों से सुसज्जित किया । नरसिंहवर्मन् के बाद कई एक राजा इस वंश में हुये । चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, पाण्ड्यों और चोळों के संघर्ष के कारण यह वंश दुर्बल होता गया । चौथे राजा प्रथम आदित्य ने अन्तिम पञ्च राजा अपराजितवर्मन् को हराया और नवमीं शती के अन्त में पञ्च शक्ति का अन्त किया ।

(२) चोळ

पश्चिमों के बाद सुदूर दक्षिण में पूर्व मध्यकाल में चोळ-वंश की शक्ति प्रबल हुई । चोळवंश सुदूर दक्षिण का एक बहुत प्राचीन राजवंश था । चोळ-

वंश के राजा अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते थे। नहीं क्षत्री के अन्त में चोड़ राजा प्रथम आदिस्थ ने परछबों की शक्ति का अन्त किया और उसने गंग-वंश की राजधानी लखनऊ को भी जीता। वह शैव मत का अनुयायी और बहुत से मन्दिरों का निर्माता था। सुदूर दक्षिण में चोड़ आधिपत्य की स्थापना करने वाला प्रथम पराम्पक हुआ, जिसने ९००-९२६ ई० तक शासन किया। उसके समय चोड़ों की सेना पाण्ड्य राज्य में होती हुई लंका तक पहुँची। इसके बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रकूटों के आक्रमण से चोड़ों की शक्ति मन्द पड़ गयी। परन्तु प्रथम राजराज (९८५-१०१४) ने चोड़ों की शक्ति का उद्धार किया। उसकी विशाल और विजयी सेना दक्षिण में लंका से लेकर उत्तर में कर्णाटक तक पहुँची। उसके पास एक वल्लभाळी जहाजी बेड़ा भी था, जिसकी सहायता से उसने छकदिब, मारुदिब और पूर्वी द्वीपसमूहों तक चढ़ाई की। राजराज की गजना भारत के प्रसिद्ध विजेताओं में की जा सकती है। वह योग्य शासक और साहित्य तथा कला को प्रभय देने वाला था। राजराज का पुत्र प्रथम राजेन्द्र अपने पिता से भी बढ़कर विजयी और योग्य शासक सिद्ध हुआ। सम्पूर्ण इण्डोचिनापथ को आक्रान्त करने के बाद उसकी सेना कर्णाटक, उड़ीसा, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक पहुँची। अपनी इस विजय के अवसर पर उसने गंगईकोण्ड की उपाधि धारण की और एक नगर बसाया जिसका नाम गंगईकोण्ड-बोलापुरम् रखा। उसका जहाजी बेड़ा अण्डमान, निकोबार, चर्म, मलाया, सुमात्रा, आबा और दूसरे पूर्वी द्वीप समूह के द्वीपों तक पहुँचा। प्रथम राजेन्द्र के समय में भारतीय व्यापार, उप-विदेश और संस्कृति के प्रसार को बड़ा प्रोत्साहन मिला। राजेन्द्र के बाद राजाधिराज, धीरराजेन्द्र, अधिराजेन्द्र आदि कई राजा हुए। अधिराजेन्द्र कट्टर शैव था। कांची के वैष्णव आचार्य रामानुज का उसने बड़ा विरोध किया और उन्हें कांची से निकाल दिया। उसके बाद चोड़ राज्यों की शक्ति चीज होने लगी और चोड़-साम्राज्य से दूर के प्रांत अलग हो गये। १११०-११ ई० में मुलिक कानून के आक्रमण के समय इसका अन्तिम पतन हुआ।

चोड़-वंश अपने अच्छे शासन-प्रबन्ध, कला-प्रेम और धार्मिक कार्यों के लिए भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। चोड़ों का राज्य अच्छी तरह से संगठित था और उन्होंने एक छोस शासन-व्यवस्था का विकास किया था। और राज्यों की तरह उनका राज्य भी एकताधिक था। राजा राज्य का स्वामी था। उसके हाथ में राज्य की रक्षा, न्याय और शासन का पूरा अधिकार था। राजा की सहायता के लिये मंत्री और अमात्य भी नियुक्त थे। केन्द्रीय शासन कई विभागों में बँटा था। प्रत्येक विभाग की व्यवस्था एक अल्पक द्वारा होती थी।

सम्पूर्ण चोल राज्य को "राज्यम्" अथवा "राष्ट्रम्" कहते थे, जो पत्तन की सुविधा के लिए कई प्रान्तों में बँटा था। प्रान्त को "मण्डलम्" और उनके उपविभागों को "कोट्टम्" (कमिरमरी) और नाडु (मिछा) कहते थे। इन नाडु के भीतर कुर्म (ग्राम समूह) और एक कुर्म के अन्तर्गत बहुत से ग्राम होते थे। मण्डल, नाडु, नगर और ग्राम अपना स्थानीय शासन स्थापित करते थे। उनकी अपनी-अपनी समार्यें होती थीं। समार्यों के अतिरिक्त प्रत्येक उद्योग-धन्धे और व्यापार की श्रेणियों अथवा "पूग" इन्हीं के ओ अपने शासन के लिए अपने नियम स्वयं बनाते थे, और उनसे चालित होते थे।

गाँव का स्थानीय शासन सुदूर दक्षिण में भारतवर्ष के सभी जगहों से अधिक सगठित और विकसित था। ग्राम-सभा के सदस्यों का विचित्र निर्वाचन होता था। ग्राम-सभा निम्नलिखित समितियों में बँटी हुई थी— (१) सामान्य प्रबन्ध-समिति, (२) धपवन-समिति, (३) सिचाई-समिति, (४) कृषि-समिति, (५) खेसा-बोसा समिति, (६) सिचा-समिति, (७) भूमि-प्रबन्ध-समिति, (८) मार्ग-समिति, (९) न्याय-समिति, (१०) वैवाहिक-समिति। ग्राम-सभा को गाँव के शासन का पूरा अधिकार प्राप्त था। भूमि बढ़ी बसूल करती थी और उसके पास नियुक्त और घरोहर रखी जाती थी। स्थानीय न्याय, सिचा, यातायात, सिचाई, मनोविमोह आदि का सारा प्रबन्ध समिति के हाथ में था। किन्तु ग्राम-सभा का निरीक्षण समकालीन या सरकारी निरीक्षकों द्वारा होता था।

चोल राज्य के आय के मुख्य साधन भूमि, उद्योग-धन्धे और व्यापार थे। भूमि का नियमित माप होता था। सरकार को उपज का दसवाँ भाग मिलता था, जो नकद अथवा अनाज के रूप में बसूल होता था। सरकारी क्षेत्र को खाम, सिचाई, जुगी और न्यायालयों से भी आय होती थी। अधीन और माण्डलिक राजाओं से वार्षिक कर और उपहार मिलते थे। चोल राज्य में कान्तु नामक सोने का सिक्का चलता था, जो ११६ जीस के परापर था। चाँदी के सिक्के का प्रचार नहीं था। छोटे-छोटे लघु विद्यय के किये कौड़ियों का व्यवहार होता था। चोल राजाओं ने स्थानीय हफक और न्यायों को सैनिक शिक्षा देकर और उत्तर भारत से अग्रिम सैनिकों को बुलाकर एक विशाल सैनिक संगठन किया। चोल राज्य में एक ही अठ-सेना दलों ही प्रचल थीं। सेना कई ब्राह्मणों (कडगम कडक) में बँटी हुई थी। सेनापतियों को महाधिराज कहा जाता था, जिनमें शाब्द अधिकार प्राप्त थे। उनके अतिरिक्त ही सेना के अन्य अधिकारी होते थे।

चोल शासन-काल में साहित्य और कला को काफी प्रोत्साहन मिला। संस्कृत और तामिल दोनों भाषाओं में उत्तम कोटि के ग्रन्थ लिखे गये। यह काल विद्यालय और मध्य राजप्रशासकों, वैद्यालयों और धातु तथा पत्थर की बनी हुई अनेक सुन्दर मूर्तियों के किये प्रसिद्ध है। वैद्यालयों में पर्वत के समान ऊँचे



संकीर मन्दिर

बिमान और विस्तृत आँगन उनकी सुष्प विशेषतायें हैं। दक्षिण चीनी के मन्दिरों में गोपुरम् की प्रधानता भी चोलों के समय में ही हुई। चोल राजाओं ने सुन्दर और सिंघाई के किये उपयोगी शीशों का निर्माण भी कराया। अधिकांश चोल राजा शैव धर्म के मानने वाले थे। कुछ को छोड़कर धार्मिक मामलों में सभी उदार थे। चोल राज्य में वैष्णव, बौद्ध, जैन आदि दूसरे सम्प्रदायों को भी राज्य की ओर से सहायता प्राप्त होती थी। इस उदारता का अपवाद प्रथम कुळोत्तुंग था, जिसने वैष्णव आचार्य रामानुज को अपने यहाँ से निकाल दिया था। परन्तु उसके पुत्र विक्रम ने रामानुज को वापस बुलाकर अपने पिता के किये प्रायश्चित कर लिया। इस समय सुदूर दक्षिण में बौद्ध यज्ञ आदि का महत्व घटता जा रहा था। उसके स्थान में मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, दान, व्रत, उपवास आदि का प्रचार जनता में बढ़ रहा था।

(३) पाण्ड्य

चोल राज्य के दक्षिण पश्चिम में मद्रुरा का पाण्ड्य-वंश था। यह वंश भी बहुत पुराना था। मध्ययुग में पञ्चव, चोल और चेदि राज्यों से इसका बराबर संघर्ष चलता रहा। कभी-कभी इसका आधिपत्य सुदूर दक्षिण में बढ़ जाता था और लंका भी इसके अधीन हो जाता था, परन्तु इसको बरबर चाण्ड्य, पल्लव और चोल राज्यों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। चोलों

विस्तृत सम्मूहक माने जाने लगे और जाति की भावना ने वर्ण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। वर्णों और जातियों के स्थानीय, साम्प्रदायिक, पञ्चास्यिक आदि कई भेद उपभेद बढ़ते गये। इस तरह सारा समाज छोटी-छोटी इकाइयों में बँट गया। भोजन, विवाह, रीतिरिवाज, पूजा-पद्धति आदि के भेद इन इकाइयों में बढ़ते जा रहे थे। यद्यपि इस युग में भी भारतीयों में विभिन्न जातियों के आचार और वेषाचार के प्रति उदारता और आदर-भाव था, फिर भी सामाजिक संगठन की दृष्टि से भारतीय समाज की यह एक बहुत बड़ी दुर्बलता थी। इससे भारतीय समाज झीला बना रहा और किसी भी संगठित समाज का सामना करने में वह असमर्थ था। इस प्रकार के सामाजिक संगठन का यह भी परिणाम हुआ कि समाज में संकीर्णता, घर्जनशीलता और ऊँच-नीच का भाव भी बढ़ने लगा। बहुत-सी जातियाँ और समूह जो धीरे-धीरे समाज में मिलते जा रहे थे, वे जातीय आचार और कठोरता के कारण समाज के बाहर बाँधाल, अपत्य और अतिरिक्त के नाम से छोड़ दिये गये और उनका समाजीकरण रुक गया। परन्तु इन दोषों के होते हुए भी समाज में अभी तक कृषीलापन बना हुआ था। समान वर्ण में विवाह अच्छा समझा जाता था, फिर भी अन्तर्बर्ण, अन्तर्जातीय और अन्तर्धार्मिक विवाह अभी सम्भव थे। ब्राह्मण कवि राजशेखर ने चौदान-वंश की चतुरिय राजकुमारी अश्वन्तिसुन्दरी से विवाह किया था। कान्यकुब्ज गहलवाल राजा गोविन्दचन्द्र का विवाह चौद राजकुमारी कुमारदेवी के साथ सम्पन्न हुआ था। चतुरियों में स्वयंवर की प्रथा अब भी प्रचलित थी। छोटी कश्तियों के विवाह के कुछ उदाहरण पाये जाते हैं, किन्तु अधिकांश विवाह धन्यस्क घर-कन्या के होते थे। ज्ञान-पान में भी जैन और वैष्णव आचारों के कारण लूतघात बढ़ती जा रही थी, किन्तु जब वर्ण और जातियों में सहभोज प्रचलित था। समाज में छियों का स्थान अब भी जादर का था। माता-पिता कन्या के पालन-पोषण और शिक्षा का उचित प्रबन्ध करते थे। उदाहरणार्थ मण्डन मिश्र की स्त्री भारती बड़ी विदुषी थी और उसने मण्डन मिश्र और संकराचार्य के साक्षात् में मण्यस्य का काम किया था। अश्वन्तिसुन्दरी अपने पति राजशेखर के समान ही सुन्दर कविता करती थी। भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती ने गणित-शास्त्र में प्रवीणता प्राप्त की थी। पत्नी और माता के रूप में भी स्त्री सम्मान की पात्री थी। राजवंशों की छियाँ राज्य के शासन में भाग लेती थीं। कारमीर की रानी दिहा और पारंगल के काफ़तीय बंस की रानी रुद्राम्या का नाम इस संबंध में उल्लेखनीय है। छियों में अभी तक पर्दाप्रथा ने प्रवेश नहीं किया था।

ऊँची आतियों में विद्यया-विद्याइ निपिद था, यद्यपि छोटी आतियों में इसका चलन था। सतीप्रथा का काफी चलन था। कुछ स्त्रियाँ वैश्या का काम करती थीं। सुदूर दक्षिण में वैद्यवासी-प्रथा का उदय भी इसी समय में हुआ।

३. धार्मिक जीवन

धार्मिक जीवन में गुप्त-काल में जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई थीं, वे इस युग के प्रारम्भ तक बनी रहीं। ब्राह्मण-धर्म अपने गये सुधारों और संस्कारों के कारण अधिक व्यापक और लोकप्रिय बन रहा था और धीरे-धीरे दूसरे सम्प्रदायों को अपने में मिला रहा था। इस काल के शुरू में कुमारिल और शंकराचार्य जैसे सुधारक ब्राह्मण-धर्म में हुये। कुमारिल ने वैदिक कर्मकाण्ड के पुनरुत्थान पर अधिक जोर दिया। युग-प्रवृत्ति के प्रतिच्छेद होने के कारण कर्मकाण्ड और मीमांसा धर्म पूर्णरूप से प्रचलित नहीं हुये, यद्यपि कुमारिक के प्रयत्न से नयी प्रवृत्तियों के साथ-साथ वे जीते रहे। शंकराचार्य अपने प्रयत्न में अधिक सफल हुये। उन्होंने अपने समय के समाज को अद्वैत वैदान्त का एक बहुत ही ऊँचा तथ्यज्ञान दिया। इसके साथ ही साथ बौद्ध और जैन दर्शन तथा धर्म के बहुत से सिद्धान्तों को अपनाकर सामान्य जनता के लिए सम्प्रदाय रूप से उनको बनाबरयक बना दिया, यद्यपि इसके लिए पुरातनवाधियों ने उनको प्रच्छेद बौद्ध कहकर अपमानित भी किया। इसी युग में भगवान् बुद्ध ब्राह्मण-धर्म के दश अवतारों में सम्मिलित कर लिये गये। इन सब सुधारों का परिणाम यह हुआ कि इस नयी मैत्री और समन्वय की नीति ने ब्राह्मण-धर्म को समाज का सबसे व्यापक धर्म बना दिया।


परन्तु इस युग में धार्मिक-जीवन में कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ भी उत्पन्न हुई जो समाज के लिये कल्याणकारी नहीं थीं। राजनीति और समाज के विभाजन की तरह इस समय धर्म भी कई सम्प्रदायों और उप-सम्प्रदायों में बँट गया। भक्तिमार्गी वैष्णव, शैव, शाक्त, ब्राह्म, सौर, गौणपरय आदि बहुत से सम्प्रदाय और उनके उप-सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये। आश्रम-काल और गुप्त-काल के सरक भक्तिमार्ग के स्थान पर पूजा-वाह सम्बन्धी बहुत से पाहा-दम्पर और भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गये। वैष्णवों में गोपीकीला और अन्तरंग-समाज का उदय हुआ। शैव सम्प्रदाय में पाशुपत, कापाळिक और अघोरपन्थ का जन्म हुआ। इसी तरह शाक्त-सम्प्रदाय में आमन्द-भैरवी, भैरवी-चक्र, सिद्धि-मार्ग इत्यादि कई एक गुप्त, अरुणीक और अनैतिक पन्थों की उत्पत्ति हुई। इस काल के ब्राह्मण धर्म का रूप धीरे-धीरे ताम्ब्रिक हो रहा था,

रामचोखर, वैशम्पय, विश्वहण, कथहण, अथर्वेय, महानारायण, कृष्णमित्र, मोक्ष विग्रहराज, माघ, श्रीहर्ष आदि का उल्लेख किया जा सकता है। भवभूति के नाटक माण्डवीमाधव, महावीर-चरित और उदर-रामचरित, कालिदास के नाटकों से उदर ले सकते हैं। राजचोखर के माण्डव काव्य कर्पूर-मञ्जरी और विश्वनाथ मञ्जिका बहुत उच्च कोटि के हैं। उसका काव्य मीमांसा नामक रीतिशास्त्र का ग्रन्थ भी महत्वपूर्ण है। श्रीहर्ष का जैयमचरित नामक महाकाव्य अपने पाण्डित्य के लिये संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। बंगाली कवि जयदेव की कोमलकण्ठपदावली और गीत-गोविन्द आज भी लोकप्रिय है। वर्तमान के क्षेत्र में चन्द्र, रामानुज, मन्व, धर्मकीर्ति, रामचरित आदि के ग्रन्थ बहुत ही महत्व के हैं। व्याकरण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, षण्ड-मीमांसा, गणित, संगीत आदि विषयों में भी बहुत से ग्रन्थों की रचना हुई। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी ध्यान देने से स्पष्ट मालूम होता है कि इस युग की रचनाओं में वह सरलता, सुन्दरता और मौलिकता नहीं पायी जाती, जो गुप्तकालीन और उसके पूर्व के साहित्य में मिलती है। काव्य के क्षेत्र में सहजसौन्दर्य के बड़े जनावरणक-असंकार बढ़ने लगे और सरल वर्णन और व्यञ्जना के स्थान में कष्ट कथपना का आधिपत्य हो गया। दार्शनिक क्षेत्र में उपनिषदों, गीता, प्रारम्भिक पाणिग्रन्थ और प्राकृतिक ज्ञानों की सभी अनुभूति और सरलता का स्थान दुष्क लर्क और बितरबाबाद ने ले लिया। राजनीति और धर्मशास्त्र में इस युग में कोई मौलिक रचना नहीं हुई। इस काल के लेखकों में भारमविरबास, दूरवर्धिता और मौलिक रचनात्मक शक्ति का अभाव था। वे केवल अतीत का अनुकरण करते रहे। उनमें से अधिकांश ने भाष्य और टीकाएँ लिखीं और बहुतों ने केवल संग्रह और निबन्ध। परन्तु पुरानी सैली की सिखा समाज में अब भी काफी प्रचलित थी। देश के सिवा भारती में बीर बिहार, मन्धिर, मद्र, भाद्रम और गुडकुल जैसे हुए थे। बड़े पुस्तकालय भी वर्तमान थे। पण्डितों और विद्वानों का आवरण में रामवंश एक दूसरे की प्रतियोगिता करते थे, फिर भी ये सारे प्रपन्न संरचनात्मक थे, रचनात्मक नहीं। इसलिये नयी परिस्थितियों और समस्याओं के हल करने की समाज में बौद्धिक तैयारी नहीं थी।

५. कला

पूर्व मध्यकाल के राजवंशों ने ललित कलाओं को काफी प्रोत्साहन दिया। स्थापत्य (अवन-निर्माण), मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला, रंग-मंच और दूररी उपयोगी कलाएँ इस युग में बहुत उच्च पैमाने पर चकती-चकती रहीं। यद्यपि इस काल की कला में गुप्त-काल की सरलता, सर्वांगता और मौलिक कथपना नहीं


पायी जाती, तथापि छाटिख और शृंगार की कमी इसमें नहीं थी। बुर्जाय से अरबों और तुर्कों के आक्रमणों ने इस युग की कला के बहुत से उत्कृष्ट नमूनों को मष्ट कर दिया, फिर भी कुछ उनके उदाहरण बचे हुए हैं। स्थापत्य में राज-प्रासाद और देवाल्लयों के नमूने मिले हैं। मन्दिर अथवा देवाल्लय बनाने की चीन शैलियाँ इस युग में आरंभ थीं। उत्तर भारत में नागर शैली का चलन था जिसके अनुसार मन्दिरों के ऊँचे-ऊँचे शिखर बनते थे। दक्षिण भारत में बेसर-शैली के नमूने बीजापुर, इडोरा और उसके आसपास के प्रदेशों में



भाहू (विडवादा) का सूर्य-मन्दिर

मिलते हैं। सुदूर दक्षिण में द्रविड शैली प्रचलित थी, जिसके अनुसार मन्दिरों के ऊपर विशाल विमान, अथवा शिखर बनाये जाते थे। मन्दिरों में अलंकार और सजावट अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गयी थी, इससे कला बहुत बोलिख और कृत्रिम हो गयी। उत्तर भारत के मन्दिरों के नमूने गुम्बेदकण्ठ में देवगढ़ और खजुराहो, उड़ीसा में भुवनेश्वर, भाहू पर्वत और विडवादा के मन्दिरों,


ग्वाल्मीर, उदयपुर और बेराइस्माइलपुरों के पास काफिरकोट के मन्दिर, कारभीर के मार्तण्ड मन्दिर, चावा के योरोपुर और कम्बोडिया के बंगकोर-वाठ में पाये जाते हैं। दक्षिण भारत में इकोरा का कैलास-मन्दिर, वेसर-का एक अद्भुत उदाहरण है। इबिड सीली के मन्दिर संजीर, कांची, मपुरा, मामलपुरम् आदि स्थानों में पाये जाते हैं। मन्दिरों के कुछ निम्नलिखित धंग



समुराहो का मन्दिर (कंदर्पो महादेव)

होते थे। सबसे पीछे गर्भगृह पमता था, जिसमें मूर्ति की स्थापना होती थी। उसके आगे अन्तराल (गर्भगृह और मण्डप के बीच का भाग) था। मन्दिर का तीसरा भाग मण्डप अन्तराल के आगे होता था। इसमें दशक और पापी बैठते थे और कीर्तन, नृत्य आदि हुआ करते थे। मन्दिर का चौथा और

सबसे भगला भाग तोरण कहलाता था। यह मण्डप के भागे का अलंकृत द्वार था। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणापथ होता था। प्रविष्ट प्रदेश के मन्दिरों के चारों ओर बहुत विस्तृत प्राकार अथवा चहारदीवारी बनी होती थी। इसके द्वार पर गोपुरम् होता था, जो स्वयं मन्दिर के आकार का समता था। इस काल के मन्दिरों पर अपार सम्पत्ति बनाने में सर्भ की गयी थी और उनके साथ धर्मदाय में लगी हुयी थी।



कैलास मन्दिर (इलोरा)

धार्मिक सम्प्रदायों और उप-सम्प्रदायों के बढ़ने से मध्यकालीन युग का वैभवंशक भी विशाल हो गया और अनेक देवी-देवताओं, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सरा, नाग, पशुपती आदि की मूर्तियाँ बनने लगीं। ब्राह्मण-देवताओं में विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, ब्रह्मा, रागेश आदि की मूर्तियाँ पायी जाती हैं। बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध, अवलोकितेश्वर आदि की मूर्तियाँ और जैनियों में जैन

तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनती थीं। प्रविष्ट देश में मन्दिरों में देवता के अतिरिक्त मन्दिर-निर्माण-कर्ताओं की मूर्तियाँ भी प्रतिष्ठित होती थीं। मूर्तियाँ बक्सर पत्थर की और कुछ कौंसे, छौंसे और सोने की भी बनायी जाती थीं। इस काल की बहुत सी मूर्तियाँ कला की दृष्टि से बहुत ही उत्तम श्रेति की हैं, किन्तु इस युग की मूर्तियों के अनुसार अत्यधिक अलंकारों और सजावटों से वशी हुई हैं। चित्रकला के नमूने बहुत कम पाये जाते हैं। बजंता, इलोरा आदि के गुहा-मन्दिरों और इसी प्रकार वनवान मकिक, मीरान, लंका आदि के सम्बद्धों में चित्रकला के कुछ नमूने मिलते हैं। इन चित्रों की कला के मर्मज्ञों ने बड़ी ही प्रशंसा की है। इस युग के साहित्य में रंग-मंच, संगीत, नृत्य, नाट्य और उपयोगी कलाओं के बहुत से उद्योग पाये जाते हैं।

६. संस्कृति का वृद्धतर भारत में विस्तार

पूर्व मध्ययुग में व्यापार की कठोरता, ज्ञान-दान में अत्यधिक शुद्धि का भाव और निरामिपता तथा सूतदात और उच्चनीच के भावों के कारण बहुत से धर्मशास्त्रों ने देश के बाहर जाना और समुद्र-यात्रा को कल्पितार्थ्य बनाना शुरू कर दिया। किन्तु ऐसा ज्ञान पंक्तों है, कि इस युग के प्रारम्भ में यह निषेध पूरे नहीं माने जाते थे। भारत के कई प्रांतों और विशेषकर पूर्व, दक्षिण और सुपूर् दक्षिण के लोग अब भी विजय, व्यापार और संस्कृति के प्रसार के लिये बाहर जाया करते थे। पश्चिमी और मध्य-एशिया में जाता इस्लाम के प्रचार के कारण कम हो गया, किन्तु बर्मा, हिन्दुचीन, सुमात्रा, जावा और पूर्वी द्वीपसमूहों में भारतीय अब भी पहुँचते थे। इस तरह वृद्धतर भारत के निर्माण में इस युग की भी भूमि है। इस काल के अपनिवेशों में चम्पा, फूमान और श्रीविजय की गणना की जा सकती है। चम्पा में उसकी राजधानी धमरावती के अतिरिक्त और कई नगर थे, जिनमें वहाँ के हिन्दू राजाओं ने बहुत से मन्दिर और चैत्यों का निर्माण कराया था। कम्पुच में नहीं सती के अन्त में राजा पशोवर्मा ने पशोघरपुर नाम की राजधानी बसायी, जिसके पास जंगकोर-नाम के विशाल मन्दिर का निर्माण हुआ था। फूमान के सम्बन्ध में एक चीनी यात्री लिखता है—“एक हजार से अधिक ब्राह्मण (भारतवासी) भारत से वहाँ आकर बसते हैं, लोग उनके सिद्धान्तों को मानते हैं और विवाहों में उनके अपनी कम्पा देते हैं। वे दिन-रात अपने धार्मिक प्रार्थों का अध्ययन करते हैं।” श्रीमेन्द्र नामक राजवंश के द्वारा श्रीविजय साम्राज्य सुमात्रा में स्थापित हुआ और धीरे-धीरे मलय,

सिंह, बाबा के कुछ भाग, चोर्नियो, चाडी, सिलेवीज़, फिडीपाइन्स और फारमोसा के कुछ बंस पर फैल गया ।

सैल्युस-बंस के राजाओं ने बहुत समय तक उत्तर से मंगोलों और पश्चिम से अरबों के बड़ाव को रोका । इसी तरह मर्वी और तेरहवीं शती के बीच में बाबा, चाडी, चोर्नियो, श्याम और बर्मा में भारतीयों के उपनिवेश समृद्ध अवस्था में थे । जब भारत में तुर्कों के आक्रमण शुरू हुए और मुस्लिम-सत्ता की स्थापना हो गयी, तब भारतीय उपनिवेशों का सम्बन्ध मातृ-भूमि से ब्रूट आगे के कारण उनकी शक्ति छीन हो गयी । धरि-धरि मंगोलों और अरबों ने उनपर अपना आधिपत्य जमा लिया ।



सेनायें हारकर बापिस चली गयीं। इसके बाद हज्जाज ने अपने भतीजे और वामाद इमादुद्दीन मुहम्मद-बिन-कासिम को ७१२ ई० में एक बड़ी सेना के साथ सिन्ध पर आक्रमण करने को भेजा। वह ईरान होता हुआ मकरान के रास्ते से सिन्ध पहुँचा। उसने पहले देबल पर आक्रमण किया। इस समय सिन्ध की राजा दयनीय थी। सिन्ध की बौद्ध राजा जाट और मेड़ नामकी जातियाँ वहाँ के राजा दाहिर से भ्रमसन्न थीं। कहा तो यह जाता है कि सिन्ध के बौद्धों ने अल हज्जाज के पास अपना दूत भेजा और अरब आक्रमण के समय उन्होंने अरबों की सहायता की। दाहिर पश्चिमी सिन्ध से भागकर पूर्व में आ गया। देबल के ऊपर अरबों का अधिकार हो गया। वहाँ का मन्दिर तोड़ा और छूटा गया। ७०० बौद्ध मिक्षुगिरियों बची बनायी गयीं। सत्तरह वर्षों से ऊपर की अवस्था वाले पुरुष, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार करनेसे इनकार किया, मार डाले गये, बाकी गुलाम बनाये गये। टूटे मन्दिरों के स्थान पर मसजिदें खड़ी की गयीं। इसके बाद मुहम्मद-बिन-कासिम ने सिन्धु नदी पार कर पूर्वी सिन्ध पर आक्रमण किया। इस पार दाहिर सेना किये रणभूमि में लड़ा था। मुहम्मद-बिन-कासिम ने एक जाट मुलिया की सहायता से सिन्धु की पार किया। दाहिर कब्रता हुआ रावार के पास रणभूमि में मारा गया। उसकी रानी सेना लेकर पहले कई दिनों तक कूदती रही; अन्त में हार कर अपनी सहेलियों के साथ औहद कर लिया। इसके बाद मुहम्मद-बिन-कासिम ने मेरुम और सहवान नामक उत्तरी सिन्ध के नगरों पर आक्रमण किया। वहाँ की बौद्ध जनता ने आत्म-समर्पण कर दिया, किन्तु ब्राह्मणवाद में दाहिर के पुत्र अर्यासिंह ने इसका घोर विरोध किया। अपने सेनापति के विश्वास-घात से वह पराजित हुआ। इससे जमी बढकर मुहम्मद ने सिन्ध की राजधानी अछेर (रोरी के पास) और मुस्तान को ७१९ ई० में जीता। इस प्रकार दक्षिण-पश्चिम पंजाब और सारे सिन्ध पर अरबों का राज्य स्थापित हो गया।

४. सिन्ध में अरब शासन

सिन्ध को जीतने के बाद अरबों ने अपनी शासन-व्यवस्था स्थापित की। सिन्ध के ऊपर खलीफा का प्रतिनिधि शासन करता था। उसका काम था, सिन्ध के विभिन्न भागों के शासन में एकता स्थापित करना। उनके भीषे कई एक शासक थे, जो अक्सर सैनिक जागीरदार हुआ करते थे। इनका काम था अरब सत्ता कायम रखना, सेना का संगठन करना, प्रायों में कर वसूल करना और जावरपकता पड़ने पर खलीफा के प्रतिनिधि की सैनिक सहायता करना। स्थानीय प्रयत्न विरोध कर माछ का विभाग सिन्धी लोगों

के हाथ में था। अरबों के शासन में सरकारी आय के कई साधन थे। इनमें खर का माछ, गैर-मुस्लिम प्रजा पर धार्मिक कर (जमिया), मूसिकर (उपज का १५ भाग) आदि मुख्य थे। इनके अतिरिक्त और भी कई बड़े-बड़े कर लगाये जाते थे। क्रय-विक्रय पर लुहरी और आयात और निर्यात पर भी कर लगता था। अरबों में बिलसिता बढ़ने के साथ-साथ करों की संख्या बढ़ती जाती थी। सरकारी आय का बहुत बड़ा भाग देश के बाहर लकीफा और मुस्लिम अधिकारियों के सम्बन्धियों के पास जाता था। इससे सिन्ध-प्रान्त का शोषण हो रहा था। सिन्ध में अरबी न्याय का आधार धार्मिक था। न्याय करने के लिये मुसलमान फज्जी नियुक्त थे, जो कुरान और हदीस के अनुसार मुकदमों का निर्णय करते थे। इसके कारण गैरमुस्लिम प्रजा के साथ पूरा न्याय नहीं हो पाता था। हिन्दुओं में सम्पत्ति, उत्तराधिकार और दायभाग (पैतृक सम्पत्ति का बँटवारा) के मुकदमों का फैसला उनकी अपनी पंचायतें करती थीं, जिनको सरकार मान लेती थी। चोरी आदि अपराधों के लिये दण्ड बहुत कठोर थे। चोरों के बाह-बन्धे बला दिये जाते थे। अरबी शासन में सेना दो प्रकार की थी, एक तो प्रांतीय शासक की स्थायी सेना और दूसरी सरदारों की, जो युद्ध के समय जुटा ली जाती थी। कुछ सैनिकों को सरकारी लजामे से घेतम मिलता था और कुछ को बच्चे में भूमि मिळी हुई थी। इसके सिवा खर का १५ भाग सिपाहियों में ही बाँटा जाता था। अरबी सेना में युद्धसवारों की प्रधानता थी। अरब अघातही, अरबी की विजय में एक मुख्य कारण थे। अरब सेना का दूसरा मुख्य अंग रजत-सवार थे। सेना में पैदल सिपाही भी होते थे। रसद बोलने के लिये रजत, खच्चरों से काम लिया जाता था। युद्ध के हथियारों में भाका, धनुष-बाण और पत्थर फेंकनेवाले वंश काम में लाये जाते थे।

५. सिन्ध में अरबों की धार्मिक नीति

सिन्ध में अरब शासन धर्मतान्त्रिक था। उसके अनुसार सारी प्रजा दो जातों में बँटी थी—(१) मुसलमान, और (२) ज़िम्मी। मुसलमानों के साथ एक प्रकार का व्यवहार होता था और ज़िम्मियों के साथ दूसरे प्रकार का। अरब लोग सिन्ध में जेद्दाही होकर आये थे। मशिकर और मूसि तीबना, मुसलमान बनाना, काफ़िरों का बध करना, दास बनाना, काफ़िरों की सम्पत्ति छूटना आदि इनके मुख्य कार्य थे। परन्तु अरब जेद्दाही-विश्वेता और अरब शासक में अन्तर था। सिन्ध में अरब शासकों ने यद् अनुभव किया, कि सारी जनता धर्म-प्रचार के मास पर मारी नहीं जा सकती। इस सम्बन्ध-

मुहम्मद-बिन-कासिम ने जब हज्जाब को खो पत्र लिखा था, वह पठनीय है—
 “क्योंकि हिन्दुओं ने शास्त्रसमर्पण और सखीफा को कर देना स्वीकार कर
 लिया है, अब उनसे अधिक की आज्ञा नहीं करना चाहिये। वे अब हमारे
 संरक्षण में आ गये हैं, उनके जीवन और सम्पत्ति पर हाथ नहीं डठाना
 चाहिये। अपने देवताओं की पूजा करने की आज्ञा उनको दी, आनी चाहिये।
 अपने धर्म का पाठन करने से उनको वंचित नहीं होना चाहिये। अपने
 घरों में किस प्रकार वे चाहें उनको रहने देना चाहिये।” वास्तव में सिन्ध-
 विजय के बाद मुस्लिम नीति में एक विशेष परिवर्तन हुआ। अन्य देशों
 में सारी जगता को मुसलमान बनाकर अरबों ने अपनी समस्या दृष्ट कर ली
 थी, लेकिन भारत में उन्हें समझौते की नीति का अङ्गगम्य करना पड़ा।
 फिर भी मुसलमान और ज़िम्मी का मौखिक भेद तो था ही। हिन्दुओं को
 जीवन के सभी क्षेत्रों में उपेक्षा और अपमान का सामना करना पड़ता
 था। उनके ऊपर बहुत से सामाजिक और धार्मिक प्रतिबन्ध लगे हुए थे।

६. अरबों की असफलता

जो योजना और भाषा लेकर अरब सेना सिन्ध के विजय पर हुई थी,
 वह पूरी नहीं हुई। जिस विजयिनी सेना ने सारे पश्चिमी एशिया, उत्तरी
 अफ्रीका, स्पेन, फारस, अफगानिस्तान आदि मध्य एशिया के देशों को
 ५०-६० वर्ष के भीतर जीत लिया था, उसका बड़ा हिस्सा सिन्ध में आकर रुक
 गया। अरब इस्लाम का झन्डा सिन्ध से आगे नहीं ले जा सके और यह
 काम तुर्कों को ६००-७०० वर्ष पीछे पूरा करना पड़ा। अरबों की असफलता
 के कई कारण थे। पहला कारण राजनीतिक था। यद्यपि सिन्ध का लश्कर-बंरा
 अधिपति और बुद्धि होने के कारण अरबों से डार गया, फिर भी सिन्ध के
 उत्तर में पंजाब का छाही-बंरा, पूर्व में गुर्जर-प्रतिहार और इण्डिया में चालुक्यों
 और राष्ट्रकूटों के राज्य इतने प्रबल थे कि उनके द्वारा अरबों के लिए
 बिडबुड सम्भव नहीं था। अरबों की आन्तरिक कमजोरियाँ भी थीं।
 उमैय्याद और जय्यासी बंसों में सिन्ध के लिए लड़ाई शुरू हो गयी।
 इसलिये सखीफा न तो सिन्ध पर जल्दी तरह नियंत्रण रख सकते थे और न
 युद्ध के दिने पूरी सहायता भेज सकते थे। सिन्ध में कम जाने के बाद अरब
 छोड़ जापस में भी रुकने लगे और युद्ध दिनों के बाद सखीफा से रबतम्प
 होकर उन्होंने सिन्ध को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दिया। असफलता का दूसरा
 कारण भौगोलिक था। अरबों ने गलत रास्ते से भारत पर आक्रमण किया।

सिन्ध स्वयं एक रेगिस्तानी प्रान्त था और उसके पूर्व में धर और राजस्थान के रेगिस्तान थे, जिनमें से होकर पूर्व की ओर बढ़ना बड़ा कठिन था। सिन्ध इतना गरीब देश था कि सिन्ध-विजय अरबों को छामकर नहीं जान पड़ती थी। असफलता का हीसरा कारण इस समय इस्लाम के स्वरूप में परिवर्तन था। पगदाद के अरबासी खलीफ़ाओं ने इस्लाम में आरामतख़्ती और विद्यासिता का वातावरण पैदा कर दिया। पुरानी कट्टरता और अरबी छावणी का स्थान भोग-विकास और जीवन को कोमल बनाने वाले साहित्य, कला और दर्शन आदि ने ले लिया। इससे अरबों में इस्लाम के प्रचार का उत्साह और उसके लिये कष्ट सहने की शक्ति दोनों ही कम हो गये। भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति भी इस्लाम के प्रतिकूल थी। "भारत में एक ज़बरवस्त पुरोहित वर्ग था, जिसका सरकार से घनिष्ठ सम्पर्क और जनता पर गंभीर प्रभाव था। भारतीय धर्म सामाजिक प्रथाओं और कानूनों में भोतभोत था, इसलिये जनता पर उसका प्रभाव बढक था।" इसका फल यह हुआ कि भारतीयों में बहुत थोड़े से लोग दबाव में आकर मुसलमान हुये।

७. परस्पर सांस्कृतिक प्रभाव

अरबों की सिन्ध-विजय का हिन्दुओं की राजनीति, समाज, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला और आचार-विचार पर कोई प्रभाव न पड़ा। इसका कारण यह था कि जो अरब सिन्ध में बसे उनकी संख्या भारतीय समाज में दाक में नमक के बराबर भी न थी। दूसरे अरबों में अपिकीश सैनिक थे, जो इस्लाम के नाम पर छद्म तो सकते थे लेकिन इस्लाम के लक्ष्य और उच्च सिद्धान्तों का प्रचार नहीं कर सकते थे। अरब-संस्कृति में भी उस समय थोड़ी कविता के अतिरिक्त और कोई चीज़ नहीं थी। भारतीय संस्कृति और सम्पत्ता पहले से निकसित और मीढ़ थी, जिस पर इस्लाम प्रहार तो कर सकता था, लेकिन यह बढ नहीं सकती थी; साथ ही साथ उसमें दूसरों को प्रभावित करने की संक्रामक-शक्ति थी। परामित होकर भी भारत ने इस्लाम को प्रभावित किया और सड़ के माछ और कर के साथ भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य वस्तुयें बसरा, पगदाद और इमिरक तक पहुँची और वहाँ से होकर अरबों द्वारा युरोप तक पहुँचाई गयीं। अरब के खलीफ़ाओं ने दूसरे देशों के सम्पर्क में आकर इस्लाम के बीदिक और सांस्कृतिक दायरे को बढाने की कोशिश की। राजस्व विभाग और स्थानीय शासन में भारतीयों ने अरबों को बहुत कुछ सिखाया। भवन-निर्माण-कला में अरब बिल्कुल कसबे थे; सुन्दर और बड़ी मसजिद बनाना उन्होंने भारतीयों से सीखा। खलीफ़ा-

संस्कार (७५३-७७२ ई० तक) और सल्तनत दारुम-शरीफ के समय में सैकड़ों अरब विद्वान् यिद्दा, कला और साहित्य सीखने के लिए भारत में गये और बहुत से भारतीय विद्वान् बगदाद बुलाये गये। हजारों की संख्या में संस्कृत में लिखे हुए साहित्य, वर्णन, गणित, ज्योतिष, वैद्यक, शल्य (चीर-फाड़), रसायन, भूगोल, भूगर्भ आदि विषयों के ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया। अरबों ने भारतीय संस्कृत और वंशमूलक को सीखा; अरबी संस्कृत भी हिम्बसा कहलाते हैं। इस ऐतिहासिक भारा के प्यान में रक्तते हुये प्रसिद्ध इतिहासकार हीयल ने लिखा है—“यह यूनान नहीं भारत था, जिसने इसका नाम को उसके क्षेत्र में बिचा ही, उसके वर्णन और रहस्यवादी धर्म को आकार-प्रकार दिया और उसके साहित्य, कला और स्थापत्य पर अपनी गहरी छाप लगायी।”



१७ अध्याय

भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना :

भारतीय पराजय के कारण

१. तुर्क आक्रमण : सीमान्त पर तुर्कों का अधिकार

(१) तुर्क-शक्ति का उदय

पिछले अध्याय में यह दिखा आ चुका है कि आठवीं शती के शुरू में अरब लोग सिन्ध में आकर रुक गये और इस्लाम भारत में उसके आगे न बढ़ सका। इसके लगभग ३०० वर्ष बाद तुर्कों ने इस्लाम की शक्ति को भारत में आगे बढ़ाया। तुर्क उन जातियों के वंशज थे, जिनको पुराने समय में शक, कुपण, हूण आदि कहा जाता था। स्वभाव से ही तुर्क लोग लड़ाकू, हठेरे और निर्दय थे। ये लोग पहले बौद्ध और जैन-धर्म के माननेवाले थे। मध्य-एशिया पर अरबों का आधिपत्य हो जाने के बाद तुर्क मुसलमान बना लिये गये। इस्लाम ने इनको नया धर्म दिया, किन्तु इनका स्वभाव वही बढ़का। इस्लाम के जिहादी जोश ने इनके लड़ाकूपन और लोभ को और अधिक बढ़ा दिया। अरबी इस्लाम ने पहले तुर्कों को शपना, परन्तु तुर्कों ने धीरे-धीरे इस्लाम पर अपना राजनीतिक अधिकार कर लिया। ८०१ ई० के बाद अरबों की सैनिक शक्ति क्षिण हो गयी और इस्लाम की लठवार तुर्कों के हाथ में आ गयी। अरबी शती में तुर्क एक प्रबल शक्ति बन गये। तुर्कों की घमांग्यता और जोश ने इस्लाम को पूर्व के उन देशों तक पहुँचाया, जहाँ से अरब टकराकर फौट आये थे। भारत में जिस काम को अरबों ने अधूरा छोड़ा था, तुर्कों ने उसे आगे बढ़ाया।

(२) गजनी में तुर्क-सत्ता

९३३-ई० में तुर्क सरदार अल्लतगिन ने गजनी में एक स्वतन्त्र तुर्क राज्य की स्थापना की। थोड़े ही दिनों में यह राज्य एक बड़े साम्राज्य का केन्द्र बन गया, जो सिन्ध से समरकन्द और बगदाद से लाहौर तक फैला हुआ था। अल्लतगिन के बाद जिन विजेताओं ने शुरू में तुर्क-साम्राज्य का विस्तार किया, उनमें सुबुक्तगिन और महमूद का स्थान बहुत ऊँचा है। सुबुक्तगिन ने पहले उत्तर-पूर्व की ओर बढ़कर काबुल और पंजाब के हिन्दू

शाही-वंश को हराया और उसको कर देने के लिए विवश किया। तुर्कों के पड़ाव में यह सन्धि केवल एक पड़ाव थी।

(३) भारत पर महमूद के आक्रमण

मुसुल्मानों के उत्तराधिकारी महमूद ने भीर भागे चढ़कर तुर्कों की शक्ति को भारत में फैलाया। महमूद उत्साह और शक्ति का पुतला था। इस्लाम के लिए जहाद तो एक बढ़ाना माय था। तुर्क खूद भीर विघ्नस के किये स्वासे रहते थे। महमूद के नेतृत्व में भारत को खूदने और विघ्नस करने का उमको मुनइला अबसर मिळ गया। महमूद ने शाही-वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण किया और उसको हरा दिया। जयपाल नारमगलाहि से अपने बेटे जामन्पाल को राज्य स्वीप कर चिता पर चीते जी जळ गया। महमूद ने जहाँ एक ओर पंजाब के हिन्दू शाहियों को हराया, वहाँ उसने सिन्ध की अरब सत्ता को समाप्त कर बहाँ भी तुर्कों का आधिपत्य स्थापित किया। सिन्ध और सीमान्त पर अपना पूरा अधिकार जमाकर उसने शाही राजा जामन्पाल पर आक्रमण किया। पूर्वी पंजाब में जामन्पाल ने एक बड़े हिन्दू सैनिक-संघ के साथ महमूद का मुकाबला किया। परन्तु हिन्दू राजाओं की संगठन शक्ति तो भीतर से लोखली हो चुकी थी, इसलिये उन्हें हार जानी पड़ी। इस युद्ध में हिन्दुओं की हार के मुख्य कारण गलत रणनीति, हाथियों का उपयोग, बहुपत्नी सेना, पौरव नेतृत्व का अभाव और परस्पर विश्वास की कमी थी। जामन्पाल को विपस होकर सन्धि करनी पड़ी। इससे उत्साहित होकर महमूद ने उधरी-भारत, सिन्ध और सुराद्र में चढ़कर वेस को खूद तथा मन्दिरों और मठों या विघ्नस किया। कन्नौज, मथुरा और सोमनाथ की लूट बहुत प्रसिद्ध है। महमूद ने १०२३ ई० में सोमनाथ के ऊपर आक्रमण किया। सोमनाथ के मन्दिर में १० हजार गौं की आब लगी थी, इनके अतिरिक्त चढ़ाया बहुत आता था। मन्दिर के घंटे में २०० मन सोने की जंजीर लगी थी और १ हजार पुजारी थे और ५०० नर्तकियाँ नित्य गाबती थीं। मूर्ति में चद्रमुख्य पातुपें और रत्न लगी थे। शुम्भक के सहारे मूर्ति अघर में लटकती थी। महमूद जब मन्दिर में घुसा तो पुजारियों ने प्रार्थना की, कि यह मूर्ति के चढ़के चद्रुत-सा घन जेहर लौट जाय। महमूद ने उत्तर दिया—“मैं मूर्ति-भंजक हूँ, मूर्ति केबनेबाला नहीं।” उसने अपनी गदा से मूर्ति के चढ़के कर दिये जो गजनी, पगदाद और मका की ममत्रियों की मीदियों में लगाये गये, जिन पर चढ़कर मुसलमान नमाज पढ़ने जाते थे। मन्दिर का

दरबारा चम्बल का बना या, वह राजनी भेज दिया गया। महमूद के आक्रमणों का राजनीतिक फल यह हुआ कि महमूद के अन्तिम समय तक सम्पूर्ण सिन्ध, सीमास्त और प्रायः सारे पंजाब पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गयी। लाहौर में एक यामिनी-वंश की स्थापना हुई और भारत का पश्चिमोत्तर सीमास्त हिन्दू शक्तियों के हाथ से निकल गया। भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के लिये रास्ता साफ हो गया।

(४) महमूद का व्यक्तित्व

महमूद के कार्यों पर दो दृष्टियों से विचार हो सकता है। भारतीयों की दृष्टि में महमूद एक बड़ा विजेता और सैनिक नेता था, परन्तु साथ ही लुटेरा, विध्वंसक तथा मानवता और सम्पत्ता का शत्रु था। अपने सहस्रमियों की दृष्टि में महमूद अपने इस्लाम की शान और उसका प्रचारक तथा योग्य सैनिक नेता था। सब बात तो यह है कि उस समय का इस्लाम साम्प्रदायिकता से ऊपर न उठ सका था। इसलिये महमूद जैसा योग्य मुसलमान गैर-मुसलमानों के साथ सम्पत्ता का व्यवहार नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त महमूद के ऊपर राजनीतिक और आर्थिक छोर का गहरा रंग था। इसलिये उसके जीवन में कुछ धार्मिक भावना की प्रधानता नहीं थी। स्वयं महमूद का समकालीन अरब लेखक अल-बेस्नी ने लिखा है : "हिन्दुओं के विजये सम्बन्धों में मुसलमानों के प्रति उनकी खोर घृणा क्षिपी हुई है। यही कारण है कि उनका ज्ञान-विज्ञान हमारे जीते हुये देशों से बहुत दूर चला गया है... 'जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँच सकते।' आधुनिक मुसलमान लेखक डा० हबीब ने महमूद के बारे में लिखा है 'गजनवी की सेना से भारतीय मंदिरों का जो खोर विध्वंस हुआ उसको किसी ईमानदार इतिहासकार को क्षिपाना नहीं चाहिये और अपने धर्म से परिचित कोई भी मुसलमान उसका समर्थन नहीं करेगा।' इसमें सन्देह नहीं, कि महमूद अपने समय का अहितीय सेनानाथक और विजेता था, उसमें व्यक्तिगत वीरता और सौर्भ, कर्पूरता, सावधानी, कष्ट-सहन की उमता एक बड़ी मात्रा में थी। सेना-संगठन, सेना-संचालन और व्यूह-रचना में वह अनुपम था। किन्तु शासन-व्यवस्था की उसमें कमी थी। जितने देशों को उसने जीता, उनमें वह शासित और सुव्यवस्था स्थापित नहीं कर सका। महमूद अपने डंग का कब्जा और बिधा का प्रेमी भी था। भारत में लूटी हुई अपार सम्पत्ति और वस्त्री किये हुये सिन्धियों के द्वारा उसने गजनी को बहुत-सी मसजिदों, राजमन्वनों और उपवनों से सुशोभित किया। उसके दरबार में बहुत से विद्वान, कवि और

खेत्तक रहते थे। अरबी खेत्तक अछयेकनी का उल्लेख किया जा चुका है। यह भारत में थापा या भीर व्यापक निरीक्षण के बाद 'तहकीके हिन्द' नामक ग्रन्थ लिखा। दूसरा प्रसिद्ध कवि छिरदीसी या, जिसने महान् ग्रन्थ 'शाहनामा' की रचना की थी।

(५) यामिनी वंश का पतन

महमूद के मरने के बाद गजनी को शक्ति कमजोर पड़ने लगी और धीरे-धीरे काहीर का यामिनी-वंश भी दुर्बल हो गया। जैसा कि पहले किला जा चुका है, महमूद के साम्राज्य का संगठन उसकी व्यक्तिगत योग्यता, सेना और पटुबल के ऊपर अवलम्बित था। उसके कमजोर उत्तराधिकारी उसके विशाल साम्राज्य के संहारने में असमर्थ थे। दूसरे महमूद के साम्राज्य में जितनी आविर्भूत थी, उनमें कोई आदर्श और स्वार्थ की एकता न थी। महमूद के मरने के बाद वे सभा स्वतन्त्र होने लगीं। छत्र में आवी हुयी अपार सम्पत्ति, सियों और गुलामों ने न केवल यामिनी-वंश में विभासिता उत्पन्न कर दी, किन्तु उन्होंने गजनी-प्रदेश की सारी जनता के चरित्र और बल को क्षीण कर दिया। इसी बीच शोर में एक नयी शक्ति का जन्म हुआ, जिसने सङ्कलनाते हुये यामिनी-वंश का अन्त कर दिया।

२. अफगान आक्रमण : दिल्ली में मुस्लिम राज्य

(१) शोर में अफगान-शक्ति का उदय

इसमें कोई सन्देह नहीं कि गजनी के तुर्कों ने पश्चिमोत्तर भारत पर अपना अधिकार जमा कर और काहीर को अपना व्यापार बजार बनाकर आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया था। परन्तु महमूद के बाद यामिनी-वंश में ऐसा कोई शक्तिमान शासक नहीं हुआ, जो काहीर से आगे बढ़कर रयायी रूप से मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित करता। इस काम को शोर के अफगानों ने किया। अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग में शोर नाम का एक प्रदेश था। खीरोजकोह इसकी राजधानी थी। यहाँ के रहने वालों को शोरी कहते थे। जाति से वे लोग अफगान-हिन्दू थे। इन्हीं से अधिकांश महमूद गजनी के समय में मुसलमान हो गये। गजनी के तुर्कों ने शोरियों पर बड़ा आघात किया। जब गजनी की शक्ति कमजोर पड़ी, तब अला-उद्दीन शोरी ने गजनी पर आक्रमण किया, शहर को लूटा, आदिमियों का वध किया और पूरे नगर में आग लगा दी। अपने भाइयों की सङ्घु का बदला लेने के लिए उसने गजनी के सभी मयनों, विद्यालयों, अजादखानों

को नष्ट किया। यहाँ तक कि महमूद के वंशजों की समाधिवाँ खुदावाकर उनकी हड्डियों को कुत्तों के सामने फेंकवा दिया। इस विध्वंस के बाद अलाउद्दीन ने जहाँसोत्र (संसार को जलानेवाला) की उपाधि धारण की।

(२) भारत पर शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण

भारतीय इतिहास की दृष्टि से शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी के भारत के ऊपर आक्रमण अधिक महत्व के हैं। गसनी पर अपना अधिकार जमाने के बाद उसने अपनी दृष्टि भारत के ऊपर डाली। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करनेवाला वास्तव में वही था। अरबों और तुर्कों ने केवल रास्ता दिखाया था; साम्राज्य बनाने की उनके सामने कोई साफ योजना नहीं थी; तुर्क और विध्वंस से उन्होंने सम्तोष कर लिया था। शहाबुद्दीन का उद्देश्य भारत में राज्य स्थापित करना था। उसने उस काम को पूरा किया, जिसको मुहम्मद-बिन-कासिम और महमूद गजनवी पूरा न कर सके थे।

(क) मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान

जिस समय मुहम्मद गोरी भारत की ओर बढ़ा, सिन्ध, मुल्तान और पंजाब तुर्कों के अधिकार में थे। ११७५ ई० में उसके हमले शुरू हुए और ५-६ वर्षों के भीतर उसने इन प्रांतों के ऊपर अपना पूरा अधिकार जमा किया। इसके बाद उसने उत्तर-भारत को जीतने की तैयारी की। ११९१ ई० में वह आगे बढ़ा, परन्तु जब उसके बिर और छद्माहू राजपूतों से सामना करना था। इसमें उसको कड़े प्रतिरोध का मुकाबला करना पड़ा। मुहम्मद गोरी ने पहले मर्हटा और सरहिन्द को जीता। यह समाचार पाते ही अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान पूर्वी पंजाब में पहुँचा। उसने भी हिन्दू राजाओं का एक बड़ा सैनिक संघ बनाया। तलावड़ी के मैदान में गोरी और पृथ्वीराज की सेना का सामना हुआ। राजपूतों ने बड़े जोरों से गोरी की सेनाओं पर आक्रमण करके उसे तितर-बितर कर दिया। मुहम्मद गोरी युद्ध में घायल होकर गिरमा ही चाहता था, कि उसके तुर्क भंगरचक ने उसको बचा लिया और उसे युद्ध से बाहर निकाल के गया। ऐसा जान पड़ता है, कि हिन्दुओं ने तुर्कों की इस हार का पूरा लाभ नहीं उठाया, और उनके पश्चिमोत्तर सीमान्त पर छोड़ दिया। मुहम्मद गोरी हारकर बैठने वाला नहीं था। दो वर्षों के बाद ११९३ ई० में अपनी हार का बदला लेने के लिये वह भारत पर फिर बढ़ आया। तलावड़ी के मैदान में फिर राजपूत और अफगान सेनाएँ एक दूसरे से मिलीं। गढ़बालों और चौहानों की आपस की छद्माहूँ से राजपूत-संघ काफी कमजोर पड़ गया था। अबकी शहाबुद्दीन

गोरी युद्ध में विजयी हुआ। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार पूर्वीराज्य भागने के प्रयत्न में पकड़ा गया "भीर दोगल में भेज दिया गया।" वास्तव में तलाबड़ी का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध था। इसने भारत पर मुसलमानों की अन्तिम विजय निश्चित कर दी। इस गहरी हार के बाद राजपूत राजा फिर एकत्र होकर मुसलमानों का सामना न कर सके और मुस्लिम सेनायों जीत के बाद शीत करतीं गयीं।

(ख) दिल्ली और अजमेर-विजय

मुहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ, कोयल और दिल्ली को जीता और दिल्ली को मुस्लिम सत्ता की राजधानी बनाया। गोरी ने ऐबक को भारत के जीते हुए प्रांतों का शासक नियुक्त किया। ऐबक ने यही निर्णयता के साथ मगरी को खड़ा, कल्लेभाम कराया और उनका विप्लव किया। अजमेर पहुँचकर उसने बहुत से मन्दिरों को गिराया, और उनके स्थान पर मसजिदें बनवायीं। बिग्रहराज चौहान द्वारा पकड़ाये हुए मुम्बई संस्कृत महाविद्यालय को तोड़-फोड़कर "बाई विम का शौपवा" नामक मसजिद बनवाई गयी। अभी अजमेर जैसे दूर के प्रांत में मुसलमानों के लिये सीधा शासन करना सम्भव नहीं था, इसलिए चार्जिक कर देने की शर्त पर पूर्वीराज के लड़के गोविन्दराज को अजमेर का शासक बनाया गया।

(ग) कन्नौज-विजय

११९४ ई० में मुहम्मद गोरी ने बुधारा उत्तर-भारत पर आक्रमण किया। अबकी बार यह हिन्दू-संघ से अलग रहने वाले भीर देश के साथ विधासपात करने वाले कन्नौज के राजा जयचन्द पर चढ़ गया। भयंकर युद्ध हुआ। लड़ाई करते समय जयचन्द की आँख में बाण लगा और वह अपने हाथी से नीचे गिर गया। उसे मरा हुआ समझ कर उसकी सेना भाग गयी। नगर खूब गया, मन्दिर तोड़े गये और दूसरे विप्लव के कार्य हुए। जयचन्द को शशांगोद का फल मिला और कन्नौज में उसके बंश का अन्त हो गया। कन्नौज के पतन के बाद गोरी की सेनाओं ने बनारस और दूसरे तीर्थ स्थानों को भी जप्त किया।

(घ) उत्तर-भारत के अन्य राज्यों पर विजय

मुहम्मद गोरी के सेनापतियों ने आसपास के भीर राज्यों को हराया। ऐबक ने अजमेर में चौहान-वंश का अन्त किया। इसके बाद उसने कर्जौर जीतकर ११९५ ई० में चन्देलों को हराया। ११९५ और ११९७ के बीच

ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया, याना को जीता और ग्वाळियर को अपने राज्य में मिला लिया। ११९७ में ऐबक की सेनाओं ने लडाकू मेडु-जाति का वध किया, किन्तु इन लडाइयों और विजयों में सबसे प्रसिद्ध विहार और बंगाल की विजय थी। ११९७ ई० में इफ्फाददीन मुहम्मद-बिन-बल्बान-सिकंदरी ने बंगाल पर आक्रमण किया। यह वडा वीर और सफल सेनानायक था। उसने पहले विहार के पाछ-वंश का वध किया और विहारों, विचारणों और मठों को बरबाद और बहुत बड़ी संपत्ता में बौद्ध मठों को लुभार के घाट उतारा। विहार के ऊपर विजय से प्रोत्साहित होकर उसने बंगाल-विजय की योजना बनायी। बंगाल में इस समय कखन सेन के कुर्बल वंशों का राज्य था, जो बिलासिता, धार्मिक अन्धविश्वास और गलत साधुता के कारण सैनिक दृष्टि से अयोग्य हो गये थे। १२०२ ई० में इफ्फाददीन ने बड़ी सेना के साथ एकाएक बंगाल पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया।

(३) मुहम्मद गोरी का व्यक्तित्व

मुहम्मद गोरी में व्यक्तिगत वीरता और योग्यता उतनी न थी, कितनी महमूद गजनवी में। फिर भी जित्त नये देशों को जीतने, लड़ने और इस्लाम के मान पर विध्वंस करने की छालसा उसमें महमूद से कम न थी। इसके सिवाय एक बात में वह महमूद से भी आगे था। वह केवल सफल सेनानायक, लुटेरा और विध्वंसक ही नहीं था, किन्तु उसके सामने विजय और राज्य-स्थापन की मिश्रित योजना भी थी। इसका फल यह हुआ कि वह महमूद की तरह कश्मीर को लूट कर वापस नहीं गया, किन्तु दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर इक मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में की। इस विधा में वह महमूद से बहुत अधिक सफल रहा। हिन्दुस्तान में उसकी विजय महमूद की विजय से अधिक व्यापक और स्थायी थी। यह उसकी नीति का फल था कि ११९३ से लेकर १२५७ के भारतीय विद्रोह तक दिल्ली के सिंहासन पर बराबर मुसलमान शासक रहे।

३. भारतीय पराजय के कारण

(१) महस्य का प्रश्न

हम यह देखते आये हैं कि किस तरह अरब, तुर्क और अफगान आक्रमण-कारियों के सामने भारत के प्रांतीय राज्य एक के बाद दूसरे पराजित होते गये। यही घटना आगे के चार-पाँच सौ वर्षों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों

गोरी युद्ध में विजयी हुआ। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज भागने के प्रयत्न में पकड़ा गया "और दोज़ख में भेज दिया गया।" शासक में लकावड़ी का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध था। इसने भारत पर मुसलमानों की अन्तिम विजय सिद्धित कर दी। इस गहरी हार के बाद राजपूत राजा फिर एकत्र होकर मुसलमानों का सामना न कर सके और मुस्लिम सेनाओं की शक्ति के बाद जीत करती गयीं।

(ख) दिल्ली और अजमेर-विजय

मुहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ, कोयल और दिल्ली को जीता और दिल्ली को मुस्लिम सत्ता की राजधानी बनाया। गोरी ने ऐबक को भारत के जीते हुये प्रान्तों का शासक नियुक्त किया। ऐबक ने बड़ी निर्दयता के साथ मगरों को छुड़ा, कस्बेभंग कराया और उनका विप्लव किया। अजमेर पहुँचकर उसने बहुत से मन्दिरों को गिराया, और उनके स्थान पर मस्जिदें बनवायीं। विग्रहराज चौहान द्वारा बनवाये हुये मुम्बई संस्कृत महाविद्यालय को तोड़-फोड़कर "बाई दिन का हीपका" नामक मस्जिद बनवाई गयी। अभी अजमेर जैसे दूर के प्रान्त में मुसलमानों के लिये सीधा शासन करना सम्भव नहीं था, इसलिये वार्षिक कर देने की शर्त पर पृथ्वीराज के लड़के गोविन्दराज को अजमेर का शासक बनाया गया।

(ग) कन्नौज-विजय

११९३ ई० में मुहम्मद गोरी ने सुबारा उत्तर-भारत पर आक्रमण किया। अबकी बार वह हिन्दू-संघ से अलग रहने वाले और देश के साथ विघासवाद करने वाले कन्नौज के राजा जयचन्द पर चढ़ गया। अर्धकर युद्ध हुआ। लड़ाई करते समय जयचन्द की भौल में घाव लगा और वह अपने हाथी से नीचे गिर गया। उसे मरा हुआ समझ कर उसकी सेवा मत्ता गयी। मगर छुड़ा गया, मन्दिर तोड़े गये और दूसरे विप्लव के कार्य हुए। जयचन्द को देवाद्रोह का फल मिला और कन्नौज में इसके बरा का अन्त हो गया। कन्नौज के पतन के बाद गोरी की सेनाओं ने बनारस और दूसरे तीर्थ स्थानों को भी भ्रष्ट किया।

(घ) उत्तर-भारत के अन्य राज्यों पर विजय

मुहम्मद गोरी के सेनानायकों ने आसपास के और राज्यों को हराया। ऐबक ने अजमेर में चौहान-वंश का अन्त किया। इसके बाद उसने कर्णाल क्षेत्र जीतकर ११९५ ई० में खम्बोली को हराया। ११९५ और ११९७ के बीच

ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया, ययाना को बीता और ग्वालियर को अपने राज्य में मिला लिया। ११९० में ऐबक की सेनाओं ने लडाकू मेदु-जाति का वध किया, किन्तु इन लडाकूओं और विजयों में सबसे प्रसिद्ध बिहार और बंगाल की विजय थी। ११९० ई० में इक्यादहीन मुहम्मद-विन-बक्यार-सिलखी ने बंगाल पर आक्रमण किया। वह यथा वीर और सफल सेनानायक था। उसने पहले बिहार के पाण्डु-वंश का वध किया और बिहारों, विद्यालयों और मठों को जलाया और बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध मिक्षुओं को ललवार के घाट उतारा। बिहार के ऊपर विजय से प्रोत्साहित होकर उसने बंगाल-विजय की योजना बनायी। बंगाल में इस समय लक्ष्मण सेन के दुर्बल वंशजों का राज्य था, जो विकासिता, धार्मिक अन्धविश्वास और गलत साधुता के कारण सैनिक दृष्टि से अयोग्य हो गये थे। १२०२ ई० में इक्यादहीन ने बड़ी सेना के साथ पृकापक बंगाल पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया।

(३) मुहम्मद ग़ोरी का व्यक्तित्व

मुहम्मद ग़ोरी में व्यक्तिगत धीरता और योग्यता उतनी न थी, जितनी महमूद गजनवी में। फिर भी नित नये देशों को जीतने, छुट्टे और इस्लाम के नाम पर विध्वंस करने की लाकडा उसमें महमूद से कम न थी। इसके सिवाय एक बात में वह महमूद से भी आगे था। वह केवल सफल सेनानायक, हुरेरा और विध्वंसक ही नहीं था, किन्तु उसके सामने विजय और राज्य-स्थापन की निश्चित योजना भी थी। इसका फल यह हुआ कि वह महमूद की तरह कसौज को छुट्ट कर वापस नहीं गया, किन्तु दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर वह मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में की। इस विधा में वह महमूद से बहुत अधिक सफल रहा। हिन्दुस्तान में उसकी विजय महमूद की विजय से अधिक व्यापक और स्थायी थी। यह उसकी नीति का फल था कि ११९३ से लेकर १८५० के भारतीय विद्रोह तक दिल्ली के सिंहासन पर बराबर मुसलमान शासक रहे।

३. भारतीय पराजय के कारण

(१) महत्त्व का प्रश्न

इस यह कहते जाये हैं कि किस तरह जब, तुर्क और अफगान आक्रमण-कारियों के सामने भारत के प्राचीन राज्य एक के बाद दूसरे पराजित होते गये। यही प्रश्न अगले बार-पाँच सौ वर्षों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों

के सामने भारत में घटी। भारत के ऊपर पहले भी विदेशी आक्रमण हुये थे। ईरानी, यवन, शक, कुयन और हूण आदि जातियों ने छठवीं शती ई० पू० से लेकर पाँचवीं शती ई० पू० तक कई अवसरों पर भारत के ऊपर आक्रमण किया। परन्तु प्रत्येक अवसर पर भारत शीघ्र ही सम्हलकर स्वतंत्र होता गया और उसके बाद भारतीय इतिहास के कई उज्ज्वल युगों का निर्माण हुआ, किन्तु मध्यकालीन आक्रमणों के बाद बहुत लम्बे समय तक भारत ऐसा न कर सका। इस घटना को समझना और इसके कारणों को ईद निकालना ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व का है।

(२) तथा-कथित कारण

भारतीय पराजय के कारणों में कुछ इतिहासकारों ने शारीरिक और सैनिक कारणों को मुख्य स्वाम दिया है। उनका कहना है कि-उन्हे देशों से आने के कारण मुसलमान शरीर में हिन्दुओं से अधिक बड़े-कड़े और बलवान थे, दूसरे मुसलमानों की मुकसवार-सेना, उनका सैन्य-संगठन, आक्रमण करने का ढंग, युद्ध में ब्यूह-रचना और इधियाँ का प्रयोग हिन्दुओं से अच्छा था। इन कारणों के साथ साथ, धार्मिक जोश और विदेश में जाकर विजय के लिये सारी शक्ति लगा देने की भावना भी कुछ योग्य जोड़ देते हैं। इन कारणों को भ्रष्टता ठीक मानते हुये भी यह कहना पड़ता है, कि ये मौलिक कारण न थे। हिन्दुओं ने कई भौकों पर मुसलमानों को शारीरिक बल और बीरता में हराया, आगे चलेकर मराठों, जाटों और सिक्कों ने मुस्लिम-प्रदेशों पर आक्रमण भी किया। सेना और लड़-नाक के प्रयोग में भी हिन्दु और मुसलमानों में विशेष कोई अन्तर नहीं था। देश और धर्म पर बहिदान होनेवाले हिन्दुओं की भी कमी नहीं थी। भारत के पतन के कारण इनसे भी अधिक गम्भीर थे। इन कारणों का सविष्ठ विवेचन नीचे किया जाता है।

(३) वास्तविक कारण

(क) राजनीतिक

भारतीय राज्यों के पतन का पहला मुख्य कारण राजनीतिक था। मुस्लिम आक्रमण के पहले सारा देश छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गया था। भारतीय इतिहास में अक्सर यह देखा गया है, कि जब भारत में बड़े साम्राज्य पने और उनकी केन्द्रीय शक्ति सबल रही तब विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ, परन्तु केन्द्रीय शक्ति के अभाव और दुर्बलता के समय उन्होंने भारत पर सफल आक्रमण किया। भारत में जो

छोटे-छोटे प्रान्तीय और वंशगत राज्य थे, ये न्यतिग्रन्त स्वार्थ के कारण आपस में लड़ा करते थे। उनमें एकता नहीं थी। कभी-कभी वे संघ भी घमाते थे परन्तु वे हड़ और स्थायी नहीं हो पाते थे। वंशगत राज्यों के सामने से देश की राजनीतिक एकता और उसकी रक्षा का प्रश्न भोसल हो गया। एक-एक करके वे आक्रमणकारियों से लड़ते और हार जाते। भारतीय राज्य इतने दृप-सम्पूक हो गये थे, कि न तो सीमान्त-नीति का उनको ज्ञान था और न परराष्ट्र नीति का। पड़ोस के विदेशी देशों में क्या घटनाएँ हो रही थीं और भारत पर उनके क्या परिणाम हो सकते थे, इसकी कल्पना भी इस युग के भारतीय राजा नहीं कर सकते थे। उनका न तो विदेशी राज्यों के साथ नियमित दौत्य-सम्बन्ध था और न सीमा की रक्षा के लिए सुसंगठित सेना ही उनके पास थी।

भारत की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हो गया था। एकतामिथुन और निरंकुश राज्यों की स्थापना के बाद राजशासन में और देश के राजनीतिक भविष्य में प्रजा का हाथ और दिक्कतस्यी नहीं होती थी। इसलिये जब देश के ऊपर बाहिरी सेना का आक्रमण होता था, तो सारी प्रजा उसके विरोध में नहीं लड़ी होती थी। राज्य के परिवर्तन से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यदि कोई विदेशी राजा आ गया, तो वे उसको उसी प्रकार कर देते थे, जिस प्रकार पुराने राजा करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना के स्थान पर राजमर्दि और आशा-कारिता की भावनाओं ने प्रजा के हृदय पर स्थाप कर दिया। विदेशी सत्ता भारत में कबसे समय तक क्यों टिक सके इसका रहस्य यही है।

(क.) सैनिक

मुसलमानों के सामने भारतीय हार का दूसरा कारण सैनिक था। प्रान्तीय राजाओं की सेनाओं का बहुत बड़ा भाग उनके सामन्तों और सरदारों के पास से आता था; राजा के पास अपनी स्थायी सेना कम होती थी। इस प्रकार से हकूदी सेना में सबसे बड़ा दोष यह था कि नियमपूर्वक इसकी शिक्षा नहीं होती थी और न तो एक नेतृत्व में इसको लड़ने का अभ्यास होता था। कभी-कभी तो सेनानायक के चुनाव में ही झगड़ा हो जाता था। सैनिक संघों के बनने में भी सबसे बड़ी कठिनाई यही थी। इस काल की सेना में एक मौलिक दोष यह भी था कि वह केवल राजा के लिये लड़ती थी, देश या राष्ट्र के लिये नहीं। इसलिये युद्ध में राजा के मारे जाने अथवा भाग जाने पर सेना तुरन्त ही तितर-बितर हो जाया करती थी।

भारतीय सेना में हाथियों का उपयोग भी कई पार घातक हुआ। सिक्खों के समय से लेकर इस समय तक भारतीयों ने हाथियों के सम्बन्ध में अपने अनुभवों से काम नहीं उठाया। मुसलमानों की घुबसवार-सेना भारत की बहुसंख्यक पैदल सेना से अधिक उपयोगी थी। उसमें गति, तेजी और विष्वंसक शक्ति अधिक थी। अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग में मुसलमान और हिन्दुओं में कोई विशेष अन्तर नहीं था, परन्तु चीम की सीमा के पास से आने के कारण तुर्कों में कुछ आग्नेय (भाग से चलने वाले) अस्त्र, प्रयोग में आने शुरू हो गये थे, जब कि धार्मिक कारणों से भारत में आग्नेय हथियारों का प्रयोग बन्द हो चुका था।

(ग) सामाजिक

राजनीतिक और सैनिक कारणों से अधिक गम्भीर और भौतिक कारण हिन्दुओं की हार के सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक थे, जिन्होंने भारतीय जीवन को भीतर से खोलका बना दिया था। समाज कई जातियों और उप-जातियों में बँटता गया। उसकी एकता और शक्ति खींच हो गयी। नयी जाति-व्यवस्था के राजनीतिक और सैनिक दुष्परिणाम भी हुए। राजा प्रायः क्षत्रिय वर्ग या जाति का होता था और सैनिक भी प्रायः क्षत्रिय होते थे। अमता के मन में धीरे-धीरे यह बात बैठ गयी कि देश की रक्षा का भार केवल राजा और उसकी सेना पर है, देश की जनता पर नहीं। लोगों ने यह भी समझ रखा था कि रक्षण करना और खजाना केवल क्षत्रिय जाति का काम है। प्राचीन काल में जब वर्ण-परिवर्तन सम्भव था और अन्तर्जातीय विवाह होते थे तब इस भावना को स्थान नहीं मिलता था। मध्यकाल की सामन्त-प्रथा और राजाओं के वंशागत स्वार्थ ने इस भावना को बँध दिया।

(घ) धार्मिक

धर्म ने भी देश और जातियों को एक सूत्र में बाँधने के बड़े-बड़े इनाम अर्ज-अर्जना सम्प्रदायों में बाँट दिया। वैदिक, बौद्ध और जैन सभी धर्मों में सम्प्रदाय, उप-सम्प्रदाय, शाखा और उपशाखा के बढ़ाने में होड़-सी लगी हुई थी। सभी धार्मिक सम्प्रदायों में भक्ति-मार्ग और गुहा व्यवस्था काम-मार्ग की प्रधानता थी। भक्ति-मार्ग ईश्वर, बुद्ध या तीर्थंकर पर अनन्य भक्ति और पूर्ण आत्मसमर्पण, संसार से बैराग्य और परलोक में विश्वास और उसके सहस्र पर भरोसा था। साथ ही साथ भक्ति-मार्ग ने जीवन की आवश्यक कठोर भावनाओं—क्रोध, अन्याय तथा अत्याचार के प्रति असहिष्णुता और

धृष्ट्या आदि—को इबाकर केवल कोमल भावों—भहिंसा, कठ्ठना, दया, मैत्री, प्रेम आदि—को प्रोत्साहन दिया। इसके सिवाय सामे-पीने, आचार, अतिशुद्धि और सुतद्गत के नियमों के कारण जीवन सुई-सुई-सा हो गया। धर्म के नाम पर कई अंधविश्वास भी जनता में प्रचलित हो गये, जैसे कटियुग की हीमता और माग्यवाद में विश्वास, ज्योतिष में अटूट आस्था, ब्राह्मण और गाय की शारीरिक रक्षा का महत्त्व आदि। कई पुर्यों में ऐसा हुआ कि मुसलमान गाय की पॉत के पीछे से या उसकी पूँज को हाँडे से लगाकर छड़ते थे और हिन्दू गाय की पवित्रता का ध्यान रखकर उनपर आक्रमण नहीं कर सकते थे। गुह्य-समाज और वाम-मार्ग से जनता में भ्रष्टाचार और अज्ञान बढ़ते जा रहे थे।

(ख) बौद्धिक जड़ता

भारत में बौद्धिक जड़ता ने भी अपना घर कर लिया था। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, कि इस युग के खेसकों में आत्मविश्वास का अभाव और दूरदर्शिता की कमी थी। वे जब अतीत के सुवर्ण युगों का केवल स्वप्न देख सकते थे। प्रायः टीका, भाष्य, संग्रह और निबन्ध लिखकर वे समतोप कर लिया करते थे। इसलिये मुस्लिम आक्रमण से उत्पन्न मची स्थिति को समझने और उसका हल निकालने में वे असमर्थ थे। ७०० ई० से लेकर १२०० ई० तक की भारत की पूकाकी स्थिति ने भी भारतीयों को कूप-मग्न कर बना दिया। साध-साध जनमें अमिमान, आलस्य और असाधधानी भी आने लगी। वे समझने लगे कि भारत सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से अजेय है। इस कारण से न तो बाहर से बौध्य-भ्रम्यन्ध, न सीमा की रक्षा का प्रयत्न और न सेना का समुचित प्रबन्ध ही था। एक विचित्र असाधधानी और अत्यन्त अंधविश्वास ने बुद्धि, विवेक और क्रियाशक्ति को रूँक दिया था। अलबेरुनी ने, जो मानव जीवन का सूक्ष्म निरीक्षक था, हिन्दुओं की इस मनोवृत्ति की सिकायत की है।

भारतीय राज्यों के पतन के मौलिक कारणों के किचने का यह मतलब नहीं कि जिन गुणों की हिन्दुओं में कमी थी, वे सब गुण मुसलमानों में मौजूद थे। इसका अर्थ केवल यह है, कि देश के ऊपर आक्रमण और कमी-कमी मानवता के ऊपर बहुतेवाले आँधी-पानी को रोकने वाले जो गुण आवश्यक हैं, उनका हिन्दुओं में अभाव हो गया था। इसलिये पुरानी और मौद सम्पदा तथा लम्बे-चौड़े देश के साधन होते हुए भी वे विदेशियों से देश की रक्षा न कर सके थे।

१८ अध्याय


दिल्ली सल्तनत का संगठन और विकास

१. शास-वंश

मुहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की, परन्तु उसने भारत पर सीधा शासन नहीं किया। उसके सेनापति और प्रतिनिधि भारत में शासन करते रहे। उसके सेनापतियों में सबसे योग्य और प्रसिद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक था। इमने भारत में सततमत्त के संगठन और विकास में काफी भाग लिया था। वह एक शास था। इसलिये जिस राज-वंश की उसने स्थापना की वह शास-वंश कहलाता था।

(१) कुतुबुद्दीन

कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुस्लिम होने पर गोरी और गजनी की सजा से स्वतन्त्र दिल्ली में एक स्वाधीन सल्तनत की स्थापना की। उसने इसी नीति



कुतुबमीनार

का भारत में व्यवहार किया, जिस को उसके स्वामी मुहम्मद गोरी या उसके

पहले मुहम्मद गजनवी या मुहम्मद बिन-कासिम ने बरती थी। विघ्नसं, युद्ध, छद्म, दास बनाना, धर्म परिवर्तन-मन्दिरो को तोड़ना और उनकी सामग्री से मसजिदें बनवाना आदि काम तो मुस्लिम शासकों के नियमित कार्यक्रम में थे। परन्तु इन कामों को कुतुब ने विज्रता और शेहादी के रूप में किया था। शासक रूप से उसने अपने राज्य का संगठन और शासन-व्यवस्था भी की। मुसलमान खेजकों के अनुसार उसने न्याय के रास्ते से शासन किया। उसकी प्रजा सुखी थी। चोर और डाकुओं को उसने दबाया। हिन्दुओं के साथ उसने कृपापूर्वक बर्ताव किया। परन्तु शास्त्र में उस न्याय की एक सीमा भी थी। जब काफ़िरो के गाँवों में गुलामी का तौक पड़ जाता और वे अजिया (धार्मिक कर) देने को तैयार होते थे तब उनके साथ घेड़-घाड़ कम की जाती थी। शासन का स्वरूप सैनिक और धार्मिक था। जिसका उद्देश्य राज्य का विस्तार और इस्लाम का प्रचार था। मुसलमान और किन्नी का भेद साफ था। शासन में प्रवाहित का अभी कोई ध्यान न था। व्यक्तिगत जीवन में कुतुब धीर, न्यायप्रिय और दानी था। दानी होने के कारण उसको 'कासवकश' की उपाधि मिली थी। वह अपने धर्म का प्रचारक और इमारतों का निर्माता था। दिल्ली और अजमेर में उसने पक्की-बक्की मसजिदें बनवायीं। उसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था जो उसके समय में पूरी न हो सकी। १२१० ई० में चौगाम खेकते समय काहीर में उसका वैधान्त हो गया।

(२) इस्तुतमिषा

कुतुबुद्दीन के मरने के बाद तुर्की अमीरों ने उसके छद्मके आरामसाह को गरी पर बैठाया, किन्तु वह वास्तव में आरामतकब, भाकसी और निकम्मा था। इसलिये यहाँ के शासक इस्तुतमिषा ने जो कुतुब का गुलाम रह चुका था, आराम साह को गरी से हटाया और स्वयं गरी पर बैठ गया। गरी पर बैठने के समय इस्तुतमिषा के सामने चार समस्याएँ थीं :—(१) राज्य का संगठन, (२) मुस्लिम अमीरों और प्रांतीय शासकों को दबाना, (३) हिन्दू राजाओं और सामन्तों का दमन और (४) पश्चिमोत्तर सीमाओं की रक्षा। सुल्तान ने पहले सेना का संगठन किया, फिर माछ के विभाग का सुधार कर उसमें भारत में नये हंग के सिक्के चलाये। अभी तक हिन्दू सिक्कों के अनुकरण पर ही मुस्लिम सिक्के चलते थे। उनके एक ओर बैल और दूसरी ओर घुबसवार की मूर्ति होती थी; स्केल धरपी और नागरी दोनों ही अक्षरों में होता था। इस्तुतमिषा ने इसके बदले खौदी का टंका नाम का

बड़ा सिद्धा चलाया जो लौक में छात्रमग १७५ प्रेम होता था और जिसके ऊपर केवल अरबी अक्षरों में ही लेख होता था। मुस्लिम संसार के ऊपर इस्लामिस्त के शासन की बकूदी धाक जम गयी। बगदाद के खलीफा ने १२९४ ई० में उसके शासन को नियन्त्रित स्वीकार किया, और उससे सम्मान और उपाधियाँ दीं।

मुस्लिम सरदारों और अमीरों को दवाकर उसने अपनी स्थिति को बढ़ कर दिया और प्रान्तीय मुस्लिम शासकों पर उसका शोष जम गया। इसके बाद उसने हिन्दू राजाओं और सामन्तों को दवाया। हिन्दू राजे, सैनिक और सामन्त कुतुब के मरने पर उत्पन्न हुई स्थिति से काम उठाना चाहते थे और कई स्थानों पर उन्होंने विद्रोह किया। इस्लामिस्त ने उनका दमन करने के लिए कश्मीर का किका फिर से जीता। अजमेर के सामन्तों को हराया। पंजाब के अक्षर भी सुवतानों के लिये एक कठिन समस्या थे। उन्होंने तुर्क-राज्य के खिलाफ कई बार विद्रोह किया और मंगोलों के आक्रमण के समय उनका साथ देकर बिहारी की सत्तमता के लिये बहुत बड़ा संकट उपस्थित कर दिया। अक्षरों को दवाने के लिये मुस्ताव को कई बार पंजाब आना पड़ा, लेकिन उन्हें न दबा सका। इसके बाद रामस्थान में रणघम्मौर के आसपास रामपूतों के विद्रोह को भी उसने दबाया; परन्तु इस्लामिस्त की सफलता स्थायी न थी। उसको दमन-नीति से छोड़े दिव के लिये सफलता मिल गयी।

सीमान्त की रक्षा के लिये भी इस्लामिस्त ने प्रयत्न किया। भारतीय इतिहास में पश्चिमोत्तर सीमा की रक्षा का प्रस चरावर महारणपूर्ण रहा है। सीमान्त के लिये दो प्रकार के संकट उपस्थित थे :—(१) सीमान्त की जाधियों के उपद्रव और (२) बाहर से विदेशियों के आक्रमण। इस्लामिस्त के समय में पंजाब में अक्षरों के उपद्रव का दखेला किया था चुका है। उसके समय में बाहरी अतरा या पश्चिमोत्तर से मुगलों के आक्रमण का। जिस तरह पाँचवीं शती में हूण, सातवीं में अरब और नवमी तथा दसवीं में तुर्क संसार को जीतने के लिये निकले थे, उसी प्रकार तेरहवीं शती में मंगोल आति ने भी विश्व विजय के लिये प्रस्थान किया। मंगोलों के नेता खगिजखान ने बारहवीं शती में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो पूर्व में प्रस्थान्त महासागर से लेकर पश्चिम में कैस्पियन सागर तक फैला था। मंगोल अभी तक बीड़ थे, मुसलमान नहीं हुये थे। तुर्किस्तान में जो मुस्लिम राज्य स्थापित हुये थे, उनको मंगोलों ने मट किया और उसके बाद खंगेजखान ने अफगानिस्तान को भी तुर्कों से जीत लिया। भारत के ऊपर

मंगोल आक्रमण इसी प्रवाह की एक कहर थी। मंगोल मध्य-एशिया और अफगानिस्तान जीतने के बाद उत्तर-भारत के रास्ते बंगाल की खाड़ी में होकर हिन्दू-चीन में पहुँचना चाहते थे। चंगेजखान सिन्धु नदी के किनारे तक पहुँचा, किन्तु सिन्धु-पंजाब का गर्म जलवायु उसके किये बिल्कुल ही अनुकूल न था, अतः वापस चला गया। इस प्रकार संयोग से भारत एक महा संकट से बच गया। इल्तुतमिश ने पंजाब और सिन्ध के अप्रिय और कमजोर शासक कुवाचा को हटाकर उन प्रांतों पर अपना पूरा अधिकार कर लिया।

ऊपर लिखी हुई समस्याओं के हल के साथ-साथ इल्तुतमिश ने भारत में मुस्लिम सत्ता का विस्तार भी किया। उसने धीरे-धीरे अपनी सैनिक शक्ति और युद्ध-कौशल के द्वारा उत्तर-भारत के उस भाग पर अपनी सत्ता स्थापित की, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली की सल्तनत के अधीन था। परन्तु इतने से ही उसे सन्तोष न था। इससे उसने पचासी राज्यों पर भी आक्रमण किया। उसने रणथम्बीर को फिर से जीता और ग्वाल्थियर को पूर्णतः दिल्ली सल्तनत के अधीन बनाया। १२३४-३५ में उसने अछिनर के चंदेक राजा लोकबर्मन् पर आक्रमण कर उसके राज्य को अपनी तरह से लूटा। यहाँ से भागे बहकर मेलासा (प्राचीन विदिशा) को जीतते हुए उज्जैन पर आक्रमण किया। प्रसिद्ध महाकाळ-मन्दिर को उसने तोड़ा और कहते हैं कि शिवकिंग और राजा विक्रमादित्य की प्रतिमा को बह अपने साथ दिल्ली के गया। माण्डोगड़ को भी इसी सिलसिले में उसने जीता। मालवा के बाद उसने गुजरात पर चढ़ाई की। बीच में उसे मेवाड़ के गहलोतों से लड़ना पड़ा। युद्ध में इल्तुतमिश हार गया और गुजरात न पहुँच सका।

इल्तुतमिश साहित्य और कला का आशयदाता था। जहाँ तक हिन्दू-कला—स्थापत्य और मूर्तिकला—का सम्बन्ध है, उसने उसके साथ बड़ी व्यवहार किया, जो उसके पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों ने किया था। परन्तु मुस्लिम साहित्य, विद्या और कला के लिए उसके हृदय में अनुराग था। उसके दरबार में केंद्रक, कवि, विद्वान और सूफियों का आदर होता था। उसको इमारतों के बनाने का बड़ा शौक था। उसने ऐबक द्वारा अर्ध-निर्मित कुतुबमीनार को पूरा किया और आमा-मसजिद का विस्तार पूरा कर दिया।

युद्ध और शासन के कठिन परिश्रम और तुर्क अमीरों के पड़पंज से इल्तुतमिश काफी परेशान था और १२३६ ई० में बीमारी के कारण उसका पेटान्त हो गया। उसके मरने के बाद दिल्ली की सल्तनत कमजोर पड़ गयी।

जियाउद्दीन बरनी ने उस अवस्था का वर्णन किया है : "समसुद्दीन की मृत्यु के बाद तीस वर्ष में उसके छद्मों की अयोध्या और उनकी धरती हुई सक्ति ने लोगों के मन में एक प्रकार की चपलता, अज्ञान और दुराग्रह उत्पन्न कर दिया। सरकार का भय जो अपने शासन का व्यापार और राज्य की शान और सक्ति का जोष है, सभी मनुष्यों के हृदय से जाता रहा और बेस की वृत्ता शोचनीय हो गयी।"

(३) रजिया सुल्ताना

इस्तुतमिशा का बड़ा छद्मका महमूद को बंगाल का गवर्नर था, उसके क्षीयन काल में ही मर गया। उसके दूसरे छद्मके विछासी और निकम्मे थे, इसलिये उसने अपने राज्य की अधिकारिणी रजिया को चुना। परन्तु रजिया के योग्य होते हुये भी वह उस युग के अनुकूल नहीं थी। एक मुसलमान इतिहासकार लिखता है : "शासक के सभी गुण रजिया में वर्तमान थे; परन्तु उसका जन्म पुरुष भोगि में नहीं हुआ था, इसलिये पुरुषों की दृष्टि में उसके सभी गुण बेकार थे, ईश्वर उस पर क्या करे।" तुर्की जमीरों ने रजिया के उत्तराधिकार का विरोध किया और इस्तुतमिशा के छोटे छद्मके समुद्दीन को गद्दी पर बैठाया; परन्तु समुद्दीन बड़ा जल्पाचारी और अग्रिम था। उसके विरुद्ध भी विद्रोह हुआ और जमीरों के एक एक की सहायता से रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। परन्तु सघतनत के बज़ीर सुनैबी ने जमीरों का संघ बनाकर रजिया का फिर विरोध किया। रजिया ने इस समय अपनी योग्यता का परिचय दिया। उसने पुरुष का बेश बनाया और अस्त्र-सस्त्र चारण किया। घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व किया। अपनी सैनिक योग्यता और भेद-नीति से विद्रोह को दबा दिया। कुछ दिनों तक रजिया ने सफलता के साथ शासन किया, किन्तु रजिया का शासन उस समय के जमीरों और सरदारों के लिये असह्य था। रजिया को उसके सखी स्वभाव में भी फोला दिया। एक पृथ्वीसीनिषा-निवासी दक्षी सैनिक याफूत उसका प्येह-प्राण ही गया और उसको सुल्ताना ने जमीर जालोर (अस्तबक का अन्तर्ग) बना दिया। फिर क्या था ! रजिया के खिलाफ विद्रोह की भाग फिर बढ़क उठी। भटिंडा के सूबेदार अल्तूनिया ने युद्ध में पाकृत को मारकर रजिया को कैद कर लिया; परन्तु रजिया ने अपने सीम्पुर्ण और चतुराई से। अल्तूनिया को अपने बन्ध में कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। दोनों ने मिलकर दिल्ली पर आक्रमण किया। रजिया अपनी भाक और लोगों के हृदयों में अपना भाव को चुकी थी। जमीरों की सहायता से इस्तुतमिशा के तीसरे पुत्र

सूबेदारों पर नियंत्रण रखा और हिन्दुओं के विद्रोह को दबाया। कुछ समय के लिये हिन्दी मुसलमान अमीरों के पक्षकों से बलवन के हाथ से सख्तमत की सक्ति बाहर निकल गयी थी। बलवन ने नासिरुद्दीन के पास अपना प्रतिनिधि भेजा और कहलाया—“हम सुस्तान के विरुद्ध नहीं किन्तु आपके काफ़िर हिन्दी अमीर रैहान के खिलाफ हैं। यदि सुस्तान उसके खिलाफ कर किसी तुर्क को खज़ीर बनायें तो हम उसके साथ हैं।” सुस्तान में फिर तुर्क भावना जागृत हो गयी और उसने बलवन को अपना खज़ीर बनाया।

उस समय की राजनीति और लम्बे अनुभव के बाद १२९९ ई० में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलवन दिल्ली का सुस्तान हुआ। राज्य की उर्ध्वाधोल स्थिति में शासन करने के लिये जो गुण होना चाहिये वे सब गुण उसमें मौजूद थे। बलवन के सामने भी प्रायः वे ही समस्याएँ रहीं जो उसके पहले के सुस्तानों के समय से चली आ रही थी—(१) राज्य का पुनर्संगठन, (२) मुस्लिम अमीरों और सर्दारों का नियंत्रण, (३) हिन्दुओं का दमन और (४) मंगोलों से सीमान्त की रक्षा। पहले के सुस्तानों की अपेक्षा इन समस्याओं का हल बलवन ने अधिक सफलता के साथ किया।

(क) शासन का संगठन

गद्दी पर बैठने के बाद पहले उसने राज्य-शासन का संगठन किया। बलवन का केन्द्रीय शासन एकतात्मिक और बिल्कुल निरंकुश था। राज्य की सारी सक्ति बलवन के हाथ में थी। चासीस तुर्की अमीरों का गुद भी उसके ऊपर दबाव डालने में असमर्थ था। बलवन अथक परिश्रमी और कठोर शासक था। उसने सख्तमत को कई सूबों में बाँटा। सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पश्चिमी सूबों के ऊपर अपने लड़कों को शासक बनाया। सूबेदारों को बलवन ने पूरी स्वतन्त्रता नहीं दी। उनके धारण्यक कार्यों में मुस्तान की सलाह और अनुमति लेनी पड़ती थी। बलवन ने न्याय-विभाग का भी फिर से संगठन किया। उसके समय में न्याय का आधार मुस्लिम कानून था। बड़े-बड़े पदों पर काबू नियुक्त थे। हीजानी के मुकदमों में हिन्दु-प्रधानों और मुसलमानों शरीयत के अनुसार निर्णय होता था, किन्तु खैरदारी के मुकदमों में सफ़ेक ऊपर कुतान के नियम एक समान लागू होते थे। धर्म-तान्त्रिक राज्य होने से हिन्दुओं के साथ पूरा न्याय होना सम्भव नहीं था। परन्तु इस क्षेत्र को छोड़कर बलवन ने न्याय करने में पक्षपातहीनता और कठोरता का व्यवहार किया। माल के विभाग में बलवन ने धरनों का ही अनुकरण किया। अजिया (पश्चिम-कर), अिराज (भूमि-कर) और

बहराम ने उन दोनों को युद्ध में हराया। १२४० ई० में रजिया और उसका प्रेमी अल्तुनिया दोनों अपने ही सैनिकों द्वारा मारे गये।

(४) इल्तुतमिश के पिछले वंशज

वास्तव में इस समय चालीस तुर्की अमीरों का गुट दिल्ली की सल्तनत का संचालन कर रहा था। रजिया के बाद उस गुट ने बहराम और इल्तुतमिश के दूसरे वंशजों को बारी-बारी से अपने सुविधानुसार दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। इसी गुट की इच्छा से नासिरुद्दीन महमूद १२४९ ई० में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और १२६६ ई० तक राज्य करता रहा। इल्तुतमिश के वंशजों के पिछले इतिहास को देखते हुये यह आश्चर्यजनक मात्स्य पड़ता है। इसका रहस्य यह था कि नासिरुद्दीन स्वभाव का दुर्बल और अमीरों की नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, इसलिये उनकी कृपा से नाममात्र के किये इतने कम्बे काक तक यह सुल्तान बना रहा। सच बात तो यह है कि राज्य की बागडोर उसके प्रधान बजीर और अमीरों के प्रतिनिधि यल्लवन के हाथ में थी। मुस्लिम लेखकों ने नासिरुद्दीन के चरित्र और प्रभाव की बड़ी प्रशंसा की है। इतना तो ठीक मात्स्य होता है कि उस समय के सुल्तानों की अपेक्षा नासिरुद्दीन में संपन्न, सादगी, धार्मिकता, किष्कियतकारी और परिश्रम करने का श्रद्धा अभ्यास था। नासिरुद्दीन में एक बुद्धिमान्नी भी थी। परिस्थिति और अपनी कमजोरी को समझते हुये उसने सारा राज्य का भार बलबन के ऊपर छोड़ दिया, जो भीतरी उपद्रव और बाहरी आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करता रहा। नासिरुद्दीन ने अपने मरने के पहले बलबन को अपना उत्तराधिकारी निश्चित कर दिया था। इल्तुतमिश के दुर्बल वंशजों के बाद फिर एक योग्य गुलाम दिल्ली की गद्दी पर बैठा।

(५) यल्लवन

बलबन तुर्कों के इश्वारी फिरके में पैदा हुआ था। उसका पिता तुर्किस्तान में १० हजार घरानों का खान था। कब्रकपन में ही वह मंगोखों द्वारा लड़ाई में कैद हुआ और गुलाम बनाया गया। भूमते-फिरते यह दिल्ली पहुँचा और इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। अपनी प्रतिभा और योग्यता से वह धीरे-धीरे उन्नति करता गया और ४० गुलामों के गुट में शामिल हो गया। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, नासिरुद्दीन के समय में भी वास्तविक शासन यल्लवन के हाथ में था। सल्तनत की जो समस्याएँ इल्तुतमिश के समय में थीं, वे ही नासिरुद्दीन के शासन-काल में भी थीं। बलबन ने मंगोखों के आक्रमणों से भारत को बचाया, मुस्लिम अमीरों और

सूबेदारों पर नियंत्रण रखा और हिन्दुओं के विरोध को दबाया। कुछ समय के लिये हिन्दी मुसलमान अमीरों के पक्षों से बलबन के हाथ से सख्तमत की शक्ति याहर निकल गयी थी। बलबन ने नासिरुद्दीन के पास अपना प्रतिनिधि भेजा और कहलाया—“हम सुल्तान के विरुद्ध नहीं किन्तु आपके काफिर हिन्दी अमीर रैहान के खिलाफ हैं। यदि सुल्तान उसके खिलाफ कर किसी तुर्क को खीर बमाये तो हम उनके साथ हैं।” सुल्तान में फिर तुर्क भावना जागृत हो गयी और उसने बलबन को अपना खीर बनाया।

उस समय की राजनीति और उम्मे अजुभव के बाद १२६९ ई० में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान हुआ। राज्य की डीमादोछ स्थिति में शासन करने के लिये जो गुण होना चाहिये वे सब गुण उसमें मौजूद थे। बलबन के सामने भी प्रायः वे ही समस्याएँ रहीं जो उसके पहले के सुल्तानों के समय से चली आ रही थी—(१) राज्य का पुनर्संगठन, (२) मुस्लिम अमीरों और सदाँरों का नियंत्रण, (३) हिन्दुओं का धमक और (४) मंगोलों से सीमान्त की रक्षा। पहले के सुल्तानों की अपेक्षा इन समस्याओं का हल बलबन ने अधिक सफलता के साथ किया।

(क) शासन का संगठन

गद्दी पर बैठने के बाद पहले उसने राज्य-शासन का संगठन किया। बलबन का केन्द्रीय शासन एकतात्मिक और बिल्कुल निरंकुश था। राज्य की सारी शक्ति बलबन के हाथ में थी। चाहीस तुर्की अमीरों का गुद भी उसके ऊपर बनाव डालने में असमर्थ था। बलबन अथक परिश्रमी और कठोर शासक था। उसने सख्तमत को कई सुवों में बाँटा। सैनिक दृष्टि से महात्पूर्ण पश्चिमी सुवों के ऊपर अपने खजनों को सासक बनाया। सूबेदारों को बलबन ने पूरी स्वतन्त्रता नहीं दी। उनके आचरणक कर्मों में सुल्तान की सलाह और अनुमति लेनी पड़ती थी। बलबन ने न्याय-विभाग का भी फिर से संगठन किया। उसके समय में, न्याय का आधार मुस्लिम कानून था। बड़े-बड़े पदों पर कानूनी नियुक्त थे। दीवानी के मुकदमों में हिन्दु प्रथाओं और मुसलमान शरीयत के अनुसार निर्णय होता था, किन्तु खीरदारी के मुकदमों में सबके ऊपर कुरान के नियम एक समान लागू होते थे। धर्म-सात्मिक रहस्य होने से हिन्दुओं के साथ पूरा न्याय होना सम्भव नहीं था; परन्तु इस मेद को खोजकर बलबन ने न्याय करने में पक्षपातहीनता और कठोरता का व्यवहार किया। माक के विभाग में बलबन ने अरबों का ही अनुकरण किया। अजिया (धार्मिक-कर), शिराज (भूमि-कर) और

सूबेदारों पर नियंत्रण रखा और हिन्दुओं के विद्रोह को दबाया। कुछ समय के लिये हिन्दी मुसलमान अमीरों के पक्षधरों से बलबन के हाथ से सत्तनत की शक्ति बाहर निकल गयी थी। बलबन ने नासिद्दीन के पास अपना प्रतिनिधि भेजा और कहलाया—“हम सुस्तान के विद्रोह नहीं किन्तु जाने काफिर हिन्दी अमीर रैहाम के लिकाफ हैं। यदि सुस्तान उसको निकाल कर किसी तुर्क को खगीर बनाएँ तो हम उसके साथ हैं।” सुस्तान में फिर तुर्क भावना सागृत हो गयी और उसने बलबन को खपना खबीर बनाया।

उस समय की राजनीति और लम्बे अनुभव के बाद १२९६ ई० में नासिद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुस्तान हुआ। राज्य की खम्बाबोख स्थिति में शासन करने के लिये जो गुण होना चाहिये वे सब गुण उसमें मौजूद थे। बलबन के सामने भी प्रायः वे ही समस्याएँ रहीं जो उसके पहले के सुस्तानों के समय से खली आ रही थी—(१) राज्य का पुनर्संगठन, (२) मुस्लिम अमीरों और सरदारों का नियंत्रण, (३) हिन्दुओं का इमाम खीर (४) मंगोलों से सीमान्त की रक्षा। पहले के सुस्तानों की अपेक्षा इन समस्याओं का हक बलबन ने अधिक सफकता के साथ किया।

(क) शासन का संगठन

गरी पर बैठने के बाद पहले उसने राज्य-शासन का संगठन किया। बलबन का केन्द्रीय शासन प्रकृतान्त्रिक और विखरुल निरंकुश था। राज्य की सारी शक्ति बलबन के हाथ में थी। खालीस तुर्की अमीरों का गुद भी उसके ऊपर खबाब डालने में खसमर्ष था। बलबन खपक परिधमी और कठोर धामक था। उसने सत्तनत को कई खूबों में खँटा। सैनिक इतिसे महार-पूर्ण पक्षिमी खूबों के ऊपर अपने लखकों को शासक बनाया। सूबेदारों को बलबन ने पूरी स्वतन्त्रता नहीं खी। उनके खपरखक कार्यों में सुस्तान की सलाह और अनुमति खेनी पखती थी। बलबन ने न्याय-विभाग का भी फिर से संगठन किया। उसके समय में न्याय का आधार मुस्लिम कानून था। खड़े-खड़े पदों पर कामी नियुक्त थे। दीवानी के मुकदमों में हिन्दु-प्रधानों और मुसलमान शरीफत के अनुसार निर्णय होता था, किन्तु खीजदारी के मुकदमों में सबके ऊपर कुराम के नियम एक समान लागू होते थे। धर्म-तामिक राज्य होने से हिन्दुओं के साथ पूरा न्याय होना सम्भव नहीं था, परन्तु इस भेद को खोखकर बलबन ने न्याय करने में पखपातहीनता और कठोरता का ख्यखार किया। मारु के विभाग में, बलबन ने खरबों का ही अनुकरण किया। खत्रिया (धार्मिक-कर), खिराज (भूमि-कर) और

उदात्त आदि सरकारी भाग के मुख्य साधन थे ! इसके सिवाय व्यापार, कृष्य-विक्रय आदि पर और भी बहुत से फुटकर कर लगे हुये थे । बलबन ने नये ढंग के सिक्के चलाये । जागीरदारी की प्रथा पूर्ववत् थी । छुट और लक्ष्मी राज्यों से सरकारी खजाने को आमदनी होती थी । परन्तु और किसी विभाग में बलबन हिन्दुओं का विश्वास नहीं करता था, फिर भी माल-विभाग में उसने बहुत से हिन्दू कर्मचारियों को रखा । बलबन इस बात को समझता - था कि पशुबल के जाघार पर शासन करने के लिये एक बड़ी और सुसंगठित सेना की आवश्यकता है । शुद्धसवार और पैदल सेना में ऐसे योग्य और अनुभवी मस्त्रियों को नियुक्त किया जो बहुत चतुर, साहसी और विश्वासपात्र थे । बहुत से बड़े जागीरदार और सैनिक जो काम के लिये अयोग्य थे, सेना से निकाल दिये गये । अन्न-सख्न बनाने के लिये कारखाने खोले गये । पुराने किल्लों की मरम्मत हुई और आवश्यक होने पर नये किले बनवाये गये । बलबन के पहिले जख, जफगान और तुकों ने देश की चोर और डाकुओं से आन्तरिक रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया था । इस ओर सबसे पहले बलबन ने ही ध्यान दिया था । उसने बहुत से जंगलों को साफ कराया । स्थान-स्थान पर घाने और चौकियाँ स्थापित कीं और उनमें रक्षक नियुक्त किये । पुछिस का एक गुप्तखर-विभाग भी था । गुप्तखर सारे राज्य में फँसे हुये थे, जो विशेषकर राजनीतिक अपराधों का पता लगाते थे । फिर भी इससे साधारण जनता को लाभ हुआ । बहुत से राजनीतिक डाकु, जो न केवल सरकार को परन्तु प्रजा को भी खडते थे, मार डाले गये ।

(ख) मुस्लिम अमीरों और सरदारों का दमन

शासन के संगठन के बाद बलबन ने मुस्लिम अमीरों और सरदारों के दबाने का काम किया । मुस्लिम अमीरों और सरदारों का एक गुट बन गया था । यह गुट सक्तमत के लिये एक समस्या था । सुल्तान के उत्तराधिकार और शासन में यह सदैव हस्तक्षेप करता था । इस स्थिति को बलबन सहन नहीं कर सकता था । उसने अमीरों के इस गुट को तोड़ने का निश्चय किया और उनके ऊपर बड़े-बड़े प्रतिबन्ध लगाये । शराब पीना, शुभा श्रेष्ठता और दूसरी सामाजिक कुद्रीतियों को अमीरों में प्रचलित थी, उनको बन्द किया । दरबार का ऐसा बड़ा नियम बनाया कि सुल्तान से कोई भी अस्मिष्ट बर्ताव न कर सकता था । सभी को शान्ति और गम्भीरता से बैठना पड़ता था । वह न तो किसी के साथ मजाक करता था और न हँसता ही था । इसलिये उसके दरबार में भी कोई मजाक या हँसी नहीं कर

सकता था। छोटे-छोटे नियमों के संग पर भी वह भूमियों को बड़ा बृष्ट देता था। उसने चाहीस तुर्की भूमियों को धीरे-धीरे मरवा कर अपने राज्य का कर्जा साफ कर दिया।

उसके समय में बंगाल के सूबेदार सादारतों और गुजरिद्वारों ने पश्चिमोत्तर से मंगोलों के आक्रमण से डर उठाकर दिल्ली की सत्तमत्त से बगावत की और मुकताम को कर देना बन्द कर दिया। बलबन ने इस बिद्रोह को बड़ी कठोरता के साथ दबाया और अपने लड़के गुजरातों को बंगाल का सूबेदार बनाया।

(ग) हिन्दुओं का दमन

सत्तमत्त के बमाने में हिन्दू बार-बार बिद्रोह करते थे। मेवात के राजपूतों ने अपना आतंक फैला रखा था। पेशावे और कच्छ के हिन्दू हमीदारों ने भी बगावत की। पंजाब के दरबारों के अपद्रव भी भी बृष्ट रहे थे। बलबन ने जिस कठोरता और बर्बरता के साथ मुस्लिम बिद्रोहों को दबाया था, उससे अधिक बर्बरता और भयंकरता के साथ हिन्दू बिद्रोहियों का दमन किया। मुकताम की हिन्दुओं के प्रति सामान्य नीति अत्यन्त कठोर और अविश्वासपूर्ण थी। हिन्दू सभी प्रकार से अपमानित और दूषित थे। लेकिन मुकताम को किसी की भावना से कोई मतलब नहीं था, वह तो अपना छोटा मनबाना चाहता था।

(घ) सीमान्त की रक्षा

मंगोलों से सीमान्त की रक्षा का प्रश्न भी बलबन के लिये बड़े महत्त्व का था। उसने अपने अनुभव और शक्ति को इधर भी लगाया और सीमान्त की रक्षा का उचित प्रबन्ध भी किया। पहले उसने सीमान्त के घरों की पूरी किलेबन्दी की, जिससे कोई शत्रु उभसे होकर भारत में न प्रुस सके। दूसरे उसने सीमान्त की पदाधिकारियों के समानान्तर फौजी द्वाबनियों स्थापित कीं। तीसरे उसने फौज का नये सिरे से पुनर्संगठन किया और खुने हुये द्वाबनियों को सीमान्त की रक्षा के लिये नियुक्त किया। चौथे पंजाब में हथियार बनाने के कारखाने खोले गये। पाँचवें बलबन ने अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों को पंजाब और सीमान्त का सूबेदार बनाया। बलबन के समय में मंगोल अपने आक्रमणों में कई बार पराजित हो चुके थे, पर फिर भी वे शाप नहीं थे। १२५० ई० में उन्होंने फिर बड़े जोर से सीमांत पर आक्रमण किया। बलबन के लड़के साहजादा मुहम्मद ने बड़ी योग्यता के साथ उनका मुकाबला करके उनको पीछे भगा दिया; परन्तु इसी युद्ध में वह मारा भी गया। इस घटना से बलबन को बड़ा धक्का लगा और इज्जत तथा हुम्मी मुकताम की १२६१ ई० में शून्य हो गयी।

(४) बलबन का चरित्र

गुलाम-वंश के शासकों में बलबन सबसे योग्य और बड़ा था। उसमें शासन की प्रतिभा और सैनिक संगठन तथा सेना-संचालन की उच्च कोटि की क्षमता थी। उसको अपने खानदान का बड़ा गर्व था और मुक़तम की मर्यादा का वह बहुत ख्याल रखता था। वरवार की शान-शीकत पर वह बहुत अर्च करता था। उसका राजनीतिक जीवन बड़ा कठोर था, परन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में कोमलता थी। विलासिता उससे कोसों दूर थी। उसने छुद् सराव पीना बन्द कर दिया और दूसरों के ऊपर भी प्रतिबन्ध लगाया। उसमें विद्या-प्रेम और उदारता भी थी। फिर भी राजनीतिक और धार्मिक विचारों में अपने समय और वातावरण के ऊपर नहीं था। वह पशुबल और इमन में विश्वास रखता था और दूसरों के सुख-दुःख और धार्मिक भावनाओं की उसे चिन्ता नहीं थी। राजनीति में वह किसी का विश्वास नहीं कर सका। उसके दिव्ये हिन्दू और मुसलमान दोनों से ही भय था। बलबन का व्यक्तिगत साम्राज्य-निर्माण और सम्य शासन के दिव्ये नहीं, किन्तु राज्य के पुनर्संगठन और कठोर शासन के दिव्ये प्रसिद्द है।

(६) बलबन के वंशज और वास वंश का अंत

बलबन के मरने के बाद गुलाम-वंश की अवस्था फिर दुःखीय हो गयी। उसका लड़का हुगरा खॉ बड़ा भाऊसी और विलासी निकला। इसलिये मुक़तम ने अपने प्रिय पुत्र मुहम्मद के लड़के कैकुत्सुद को अपना उत्तराधिकारी बनाया, किन्तु बलबन के मरने पर दिल्ली के अमीरों ने उत्तराधिकार के प्रश्न में फिर से हस्तक्षेप किया और हुगराखॉ के अमुमवहीन और भाबालिग लड़के कैकुत्सुद को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। कैकुत्सुद विकास और व्यक्तिगत में गोले खगाने लगा। इससे सारा शासन-प्रबंध धीरे-धीरे अमीरों के हाथ में चला गया। साथ ही साथ कैकुत्सुद अत्याचारी भी था और अमीरों तथा सरदारों का अपमान भी करता था। इसी समय दिल्ली में तुर्की और खिलजी दो दल बन गये, जो आपस में झगड़ने लगे। खलालुद्दीन फीरोज़ खिलजी, जो खिलजी दल का नेता था, बड़ा शक्तिशाली हो गया। उसने अपने एक सैनिक के द्वारा सराव के नशे में नूर कैकुत्सुद को मरवा डाला और उसकी लाश को बिना किसी धार्मिक क्रिया के पत्थरों में फेंकवा दिया। इस तरह गुलाम-वंश का अन्त बड़ा दुःखान्त रहा। इसके बाद खलालुद्दीन ने १२९० ई० में एक नये राजवंश की स्थापना की।

१९ अध्याय

भारत में मुस्लिम साम्राज्य

खिलजी वंश

जब तक उत्तर-भारत में सिन्ध, मुल्तान, पंजाब, उधरप्रदेश, बिहार, बंगाल, अजमेर तथा ग्वाल्दियर के ऊपर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो चुकी थी। कान्हीर और राजस्थान का अधिकांश, मालवा, कुम्हेंदलख, गुजरात और आसाम मुस्लिम राज्य के बाहर थे। बिम्ब्याचक के दक्षिण का भारत मुसलमानों से अभी अछूता था। इस्तुतमिष और बलबन योग्य सासक होते हुए भी मुस्लिम साम्राज्य का निर्माण न कर सके। उनका अधिकांश समय और शक्ति आसन के संगठन और सफलता की रक्षा में व्यर्थ हुई। खिलजी-वंश की स्थापना के बाद मुसलमानों ने उत्तर-भारत के वचे हुए प्रांतों में से बहूतों को जीता और मुस्लिम सेना हिन्द्य पर्वत को पार करके सुदूर दक्षिण में द्वारसमुद्र तक पहुँची। इस तरह उत्तर-भारत का सीमित मुस्लिम राज्य एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ।

१. अलालुद्दीन खिलजी

विष्णु की गद्दी पर बैठने के समय अलालुद्दीन खिलजी की अवस्था ७० वर्ष की थी। वह शरीर से कमजोर और रचनाय का कोमल और उदार था। वास्तव में पशुपल और कठोरता के वातावरण में पालन करने के लिये उसमें योग्यता नहीं थी। इसकी कमी वह दूसरे उपायों से पूरी करता था। अमीरों, वरवारियों और कर्मचारियों को संतुष्ट रखने के लिये उसपर बधाधियों और पुरस्कारों की बर्षा करता था। परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य में भीतरी उपद्रव बहुत बढ़ गये। जिस तरह सुल्तान का आन्तरिक शासन कमजोर था, वैसी ही उसकी सैनिक नीति भी असफल थी। उसने कई एक कदाहियों भी छड़ीं, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। वह अपनी कमजोरी को धर्मिकता से ढँकना चाहता था। यह कहता था—“काफिरों के दिलों से मुसलमानों की जान अधिक मूल्यवान है।” उसके समय में जब मंगोलों का आक्रमण हुआ, तो मंगोल-बुरी तरह से हारे और उनका नेता उलुगर्खा अपने साथियों के साथ मुसलमान हो गया। उलुगर्खा मंगोलों का बंशज था। इसलिये अलालुद्दीन ने अपनी कड़की का विवाद उनके साथ कर दिया और

सेना में उसके ऊँचा पद दिया। इसका फल यह हुआ कि मंगोलों के कारण दिल्ली के पड़ोस में बराबर पहलूयन्त्र होता रहा। अलाउद्दीन की बुर्बुल नीति का एक परिणाम यह भी हुआ कि उसके सूबेदार स्वतन्त्र होने की चेष्टा करने लगे। अलाउद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कबा-मामिकपुर का सूबेदार था। १२९१ ई० में उसने विद्रोह किया और अपने सूबे का स्वतंत्र मुक्तान बन बैठा। उसने अपने नाम का सुतवा पढ़वाया और मुगीसुदीन की उपाधि धारण की। इस तरह से और भी कई उपद्रव उसके राज्य में हुए।

२. अलाउद्दीन

(१) सुल्तान होने के पहले : देवगिरि पर आक्रमण

अलाउद्दीन स्वभाव का जितना बुर्बुल और सैनिक जीवन से जितना घबराने वाला था, उसका भतीजा अलाउद्दीन उतना ही साहसी, महत्वाकांक्षी और क्रोधर था। उसके मस्तिष्क में खम्भी विजय यात्राओं का नकशा तैयार था। जब वह कबा-मामिकपुर का सूबेदार था, तभी उसने मेरुसा पर आक्रमण किया और वहाँ से बहुत-सा लूट का माल लेकर दिल्ली आया। शासक में अलाउद्दीन की बीस वधिण पर लगी हुयी थी। उसने देखा किया था कि हिन्दू राजे अपनी रचा के सम्बन्ध में बहुत असावधान और एक दूसरे से अलग-अलग हैं और उनके बीच में जाकर उनको इराना किलना आसान है।



अलाउद्दीन खिलजी

अलाउद्दीन ने पहले यादवों की राजधानी देवगिरि पर आक्रमण करने का निश्चय किया। ८००० जुने हुये मुहसवारों को लेकर उसने वधिण की ओर यात्रा की और दो मास के भीतर पल्लिपुर पहुँच गया। इस घटना से हिन्दू राजाओं की अपूरवर्षिता का पता चलता है। इतनी छम्भी यात्रा में अलाउद्दीन आगे बढ़ने से रोका जा सकता था; परन्तु मानो रास्ते के समी राजे और उनके सामन्त सो रहे थे और उनके माबी पतन ने उनके ऊपर जालू डाल दिया था। अलाउद्दीन ने यह प्रसिद्ध कर दिया था कि उसका जन्मा उससे बहुत मारतम है, और वह स्वयं वधिण में मौफरी की शोज में जा रहा है। अब कि युद्ध के बादक मध्य भारत से वधिण की ओर उमक

भारत में मुस्लिम साम्राज्य

खिलजी वंश

अभी तक उत्तर-भारत में सिन्ध, मुल्तान, पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, अजमेर तथा ग्वाल्दियर के ऊपर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो चुकी थी। काश्मीर और राजस्थान का अधिकांश, मालवा, कुम्हलखण्ड, गुजरात और भासाम मुस्लिम राज्य के बाहर थे। विन्प्याबल के दक्षिण का भारत मुसलमानों से अभी अछूता था। इस्तुतमिश और यलबन योग्य शासक होते हुए भी मुस्लिम साम्राज्य का निर्माण न कर सके। उनका अधिकांश समय और शक्ति शासन के संगठन और सस्कृत की रक्षा में खर्च हुई। खिलजी-वंश की स्थापना के बाद मुसलमानों ने उत्तर-भारत के बचे हुए प्रायों में से बहुतों को जीता और मुस्लिम सेना विजय पर्वत को पार करके सुदूर दक्षिण में द्वारसमुद्र तक पहुँची। इस तरह उत्तर-भारत का सीमित मुस्लिम राज्य एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ।

१. जलालुद्दीन खिलजी

दिल्ली की गद्दी पर बैठने के समय जलालुद्दीन खिलजी की उम्र ७० वर्ष की थी। वह शरीर से कमजोर और स्वभाव का क्रोध और उदार था। वास्तव में पशुपल और कठोरता के वातावरण में धामन करने के लिये उसमें योग्यता नहीं थी। इसकी कमी वह दूसरे उपायों से पूरी करता था। अमीरों, दरबारियों और कर्मचारियों को संतुष्ट रखने के लिये उनपर उपायियों और पुरस्कारों की वर्षा करता था। परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य में भीतरी अपद्रव बहुत बढ़ गये। जिस तरह मुल्तान का आन्तरिक शासन कमजोर था, वैसी ही उसकी सैनिक नीति भी असफल थी। उसने कई एक सङ्घर्षों में लड़ी, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। वह अपनी कमजोरी को धार्मिकता से छँकना चाहता था। वह कहता था—“काफ़िरो के क़िठों से मुसलमानों की जान अधिक मूल्यवान है।” उसके समय में जब मंगोलों का आक्रमण हुआ, तो मंगोल-पुरी तरह से हारे और उनका नेता उसुगान अपने साथियों के साथ मुसलमान हो गया। उसुगान मंगोलों का बंधक था। इसलिये जलालुद्दीन ने अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया और

सेमा में उसको ऊँचा पद दिया। इसका फल यह हुआ कि मंगोलों के कारण दिल्ली के पड़ोस में बराबर पड़पम्प होता रहा। अलाउद्दीन की दुर्बल नीति का एक परिणाम यह भी हुआ कि उसके सूवेदार स्वतन्त्र होने की चेष्टा करने लगे। अलाउद्दीन का मतीजा अलाउद्दीन खिल्जी कबा-मानिकपुर का सूवेदार था। १२९१ ई० में उसने विद्रोह किया और अपने सूबे का स्वतंत्र सुल्तान बन बैठा। उसने अपने माम का छुटका पड़वाया और मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की। इस तरह से और भी कई उपद्रव उसके राज्य में हुए।

२. अलाउद्दीन

(१) सुल्तान होने के पहले : देवगिरि पर आक्रमण

अलाउद्दीन स्वभाव का कितना दुर्बल और सैनिक जीवन से कितना पचरामे वाला था, उसका मतीजा अलाउद्दीन उठना ही साइसी, महारवाकापी और कठोर था। उसके मस्तिष्क में लम्बी विजय यात्राओं का नकशा तैयार था। जब वह कबा-मानिकपुर का सूवेदार था, तभी उसने मेरुता पर आक्रमण किया और वहाँ से बहुत-सा लूट का माक लेकर दिल्ली आया। वास्तव में अलाउद्दीन की भाल दक्षिण पर लगी हुयी थी। उसने देस किया था कि हिन्दू राजे अपनी रजा के सम्बन्ध में बहुत असावधान और एक दूसरे से अलग-अलग हैं और उनके बीच में जाकर उनको हरामा कितना आसान है।



अलाउद्दीन खिल्जी

अलाउद्दीन ने पहले यादवों की राजधानी देवगिरि पर आक्रमण करने का निश्चय किया। ८००० जुने हुये तुइसबारों को लेकर उसने दक्षिण की ओर यात्रा की और दो मास के भीतर पठिचपुर पहुँच गया। इस घटना से हिन्दू राजाओं की अदूरदर्शिता का पता चलता है। इतनी लम्बी यात्रा में अलाउद्दीन आगे बढ़ने से रोका जा सकता था; परन्तु मानो रास्ते के सभी राजे और उनके सामन्त सो रहे थे और उनके भावी पतन ने उनके ऊपर जादू डाल दिया था। अलाउद्दीन ने यह प्रसिद्ध कर दिया था कि उसका जचा उससे बहुत नाराज है, और वह स्वयं दक्षिण में नौकरी की फोज में जा रहा है। अब कि पुइ के यादव मध्य भारत से दक्षिण की ओर उमड़

रहे थे, देवगिरि के भादव राजा रामचन्द्र की सेना उसकी रूढ़ी तथा छत्रके के भादव तीर्थयात्रा करने बाहर गयी थी। जो थोड़ी सेना किले में थी, उसके लेकर रामचन्द्र ने अलाउद्दीन का सामना किया। किन्तु हारकर किले में शरण ली। अलाउद्दीन ने यह भी प्रसिद्ध करा दिया कि उसका पचा दिव्ही से २० हजार सवारों के साथ आ रहा है। यह सुनकर रामचन्द्र का साहस छूट गया और उसने समिध की प्रार्थना की। ५० मन सोबा, ७ मन मोती, ५७ द्राघी और कई हजार घोड़े—जससे—अलाउद्दीन को दिये। इस बीच में पाकरदेव चौदा हुआ सेना के साथ देवगिरि पहुँचा और कौटले हुए अलाउद्दीन ने इस बार भी पादशों की सेना को हरा दिया। देवगिरि के किले में खाने-पीने का पूरा सामान नहीं था, इसलिये रामचन्द्र ने फिर निवृत्त होकर समिध की प्रार्थना की। अलाउद्दीन ने निम्नलिखित शर्तों पर सधि की—(१) भादव राजा द्वारा दिव्ही सत्तमत की अधीनता स्वीकार करना, (२) पृथ्वीपुर प्रान्त की पूरी जामदनी वार्षिक कर के रूप में देना और (३) ६०० मन सोना, ७ मन मोती, १ मन बहुसूक्ष्म रत्न, १००० मन चाँदी तथा अन्य सामान अलग से देना। अलाउद्दीन छुट्ट की अपार सम्पत्ति लेकर वापस आया।

(२) राज्य प्राप्ति : अलालुद्दीन का घघ

अलाउद्दीन केवल देवगिरि की छुट्ट से ही मन्मुद न था, उसके मन में तो दिव्ही के सुखतान होने की महत्वाकांक्षा और मार रही थी। कदा-भानिक-पुर पहुँच कर उसने अपने बड़े पचा सुखतान अलालुद्दीन को भादव देवे के लिये अपने यहाँ बुलाया। सुखतान ने अपने विजयी भतीजे को आशीर्वाद देने के लिये कड़ा की तरफ प्रस्थान किया। जब वह बड़े प्रेम से अलाउद्दीन को गले लगा रहा था, पहले से तैयार एक सैनिक ने उसका गला काटकर अलाउद्दीन के सामने रक्त दिया। अपने ऊपर उदार और कृपालु सम्पत्ती का घोड़े से इस प्रकार घघ करना संसार की भीषतम हत्याओं में से है। परन्तु तुर्क राजनीति का नैतिक धरातल इनका पीचा था कि इस तरह की हत्यायें उस समय की साधारण बात हो गयी थीं। इस घटना के बाद अलाउद्दीन दिव्ही की ओर चला और अपने सगे-सम्बन्धियों को लक्ष्य कर उसने राजधानी में अपना राधाभिषेक कराया।

(३) अलाउद्दीन के सामने समस्यायें

गरी पर बैठने के समय अलाउद्दीन के सामने कई समस्यायें थीं। इनमें से चार मुख्य थीं—(१) विदेशी आक्रमण से सत्तमत की रक्षा (२)

आन्तरिक विद्रोहों का दमन, (३) राज्य-विस्तार और (४) शासन-प्रबन्ध । उसने इन समस्याओं का हक चुकने-नीति के द्वारा किया अर्थात् उसने पशुवक और कठोर दमन से काम लिया ।

(क) मंगोल-आक्रमण

मंगोल कई बार हारकर भारत से छोट चुके थे, परन्तु उनकी लूट की प्यास अभी तक नहीं बुझ सकी थी । १२९८ ई० में ट्रांसोक्सियाना के मंगोल शासक अमीर दौलद ने सिन्ध, मुल्तान और पंजाब को जीतना चाहा और उसकी सेनायें आरुन्धर तक पहुँच गयीं । अलाउद्दीन के योग्य सेनापति उलुगखान ने उनको हराया और वे 'सैतान के भयानक लड़के' वापस चले गये । दूसरे वर्ष फिर मंगोलों ने साब्दीखानों की अभ्यङ्गता में भारत पर आक्रमण किया । अब की बार अलाउद्दीन के दूसरे सेनापति लफरखान ने उनको तुरी तरह हराया । बीस हजार मंगोल जंजीरों में बकब कर बिछी दिये गये और अलाउद्दीन की आज्ञा से हाथियों द्वारा रीव कर मार डाले गये । इस तरह कई बार मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया । १३०७ ई० में मंगोलों ने इफ्खाल मन्दा के सेनापतित्व में भारत पर चढ़ाई की । गान्धी मखिक तुगलक ने उनको वही कठोरता से हराया । इफ्खाल मन्दा और उसके साथी मार डाले गये और मंगोलों पर घोर अत्याचार किये गये । उसका परिणाम यह हुआ कि अलाउद्दीन के शासन-काल में मंगोलों को फिर भारत पर आक्रमण करने का साहस न हुआ । परन्तु अलाउद्दीन समझता था कि सिर्फ कठोर नीति से मंगोल रोके नहीं जा सकते थे, इसलिये उसने बलबल की सीमान्त नीति का व्यवसायन किया और उसके अपूर्ण कार्यों को पूरा किया । सीमान्त और पंजाब के पुराने किलों की मरम्मत कराई गयी और उनमें काफी सामान और सेनायें रक्षीं गयीं । सबके भी टीक की गयीं, तिनमें से होकर सामान और सेनायें आसानी से सीमा पर पहुँच सकें । हथियार और लड़ाई का सामान तैयार करने के लिये बहुत से कारखाने खोले गये । सेना की संख्या भी बढ़ापी गयी ।

(ख) आन्तरिक उपद्रवों का दमन

सीमान्त की रक्षा के साथ-साथ आन्तरिक विद्रोहों का दमन भी अलाउद्दीन ने किया । राज्य के भीतर मुस्लिम विद्रोह और हिन्दू विद्रोह दोनों से मुश्तान को बचता था । इस समय सबतनत को सबसे अधिक खतरा मुसकमान अमीरों की ओर से ही था । १२९९-१३०३ ई० के बीच

जब अछाउद्दीन रणथम्भौर का घेरा कर रहा था, दिल्ली के, अमीरों और जनता ने हाजी मौला के नेतृत्व में विद्रोह किया और इबतुलमिदा के एक वंशज को गद्दी पर बैठा कर उसको साहंसाह की उपाधि दी। उस विद्रोह को दबाने में सुस्तान को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन्तु अन्त में वह विजयी हुआ। आसोर के पास मय-मुस्लिमों ने विद्रोह किया। वे बड़ी निर्धयता से दबा दिये गये। बहामूँ और अक्षय में अछाउद्दीन के भाग्ये-उमर और मंगूखा ने गगाबत की। अछाउद्दीन ने उनको पकड़ कर उनही अन्ति निकलता हूँ। सबसे अधिक कड़ाई अछाउद्दीन ने अपने भतीजे आफत खाँ के दबाने में की। इन विद्रोहों और उपद्रवों के कारण जानने के लिए अछाउद्दीन ने अपने वजीरों और विश्वासपात्र सरदारों से सलाहें लीं। अछाउद्दीन ने निम्नलिखित कारणों का पता लगाया—(१) राज्य के कामों में सुस्तान की असाधधानी और उदासीनता, (२) संगठित गुप्तचर विभाग का अभाव, (३) दरबार में शराब का वीर, और बातचीत में संयम का अभाव, (४) मस्जिदों, अमीरों और सरदारों में विवाह सम्बन्ध का होना (५) जनता में और विशेषकर हिन्दुओं में धर्म का होना। अछाउद्दीन ने विद्रोह के कारणों को दूर करने का निश्चय किया। पहले उसने व्यक्तिगत जीवन में सुधार किया। उसने शराब पीना बन्द कर दिया।

शराब के कीमती बर्तनों को गूढ़वा कर फेंक दिया। अपने दरबारियों पर भी शराब पीने पर रोक लगा दी। दरबार के नियमों में उसने बलघम की नीति का अनुसरण किया। गुप्तचर विभाग का फिर से संगठन किया। मस्जिदों और सरदारों के सामाजिक व्यवहार और विवाहों आदि सम्बन्धों पर प्रतिबन्ध लगाये गये। सुस्तान की काजा के बिना वे न तो आपस में विवाह ही कर सकते थे और न प्रीतिभोज। जनता से धन शोषण की नीति अछाउद्दीन को राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से प्रिय थी। उसने जनता को इतना दरिद्र बना दिया कि वह सर-मर्दी उदा सकती थी। विशेष कर हिन्दुओं को दरिद्र बनाकर दबाये रक्तमा उसकी निश्चित नीति थी।

(ग) राज्य-विस्तार

मुस्लिम साम्राज्य के निर्माण, विस्तार और संगठन का सधमे अधिक श्रेय अछाउद्दीन को है। अछाउद्दीन योग्य नैतिक नेता था। उसके मरिण्ड में दो विशाल योजनाएँ थीं—(१) पैगम्बर मुहम्मद की तरह से एक नये धर्म का प्रवर्तन और (२) महान् सिक्न्दर की भाँति एक विश्वपारी साम्राज्य का निर्माण करना। जब इन योजनाओं को उसने काजी अलाउद्दीन-

मुल्क के सामने रखा तो काजी ने बड़ा उचित और स्पष्ट परामर्श दिया। धर्म का प्रवर्धन केवल ईश्वरीय प्रेरणा से होता है और उसको केवल पैगम्बर ही कर सकते हैं; किसी शासक या सुल्तान को इस का स्वप्न नहीं देखना चाहिये। विश्व-विजय के सम्बन्ध में उसने सलाह दी कि सारे संसार को जीतने की असम्भव योजना को छोड़कर अखाउद्दीन को पहले पूरे हिन्दुस्तान को जीतना चाहिये। काजी की ये बातें अखाउद्दीन के मन में बैठ गयीं और पूरी तैयारी के साथ सारे भारत के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न उसने प्रारम्भ किया।

उत्तर भारत में कई ऐसे प्रान्त थे जिन पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार नहीं हो पाया था। अखाउद्दीन ने पहले उन्हीं के जीतने का आयोजन किया। उसके सेनापति उलुगखान और नसरतखान ने १२९९ ई० में गुजरात और कन्नडात पर आक्रमण किया और बम्बेराजा कर्ण को हरा कर उन पर अधिकार कर लिया। गुजरात की सुर्त में सबसे बहुमुख्य चीज थी मलिक काफूर नामक एक हिजरा हिन्दू गुलाम, जो अपनी सुन्दरता के कारण सुल्तान के लिए एक हजार दीनार में खरीदा गया। यह हिजरा सयाना होने पर अखाउद्दीन का सेनापति हुआ और उसकी तरफ से दक्षिण और सुदूर दक्षिण पर विजय प्राप्त किया। गुजरात जीतने के बाद सुल्तान का ध्यान राजस्थान की तरफ गया। रणथम्भौर के प्रसिद्ध किले से उठकर कई बार तुर्क लौट आये थे। १३०१ ई० में अखाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति उलुगखान और नसरतखान ने इस किले का घेरा किया। उनको सफलता न मिलती हुई देखकर अखाउद्दीन स्वयं सेना लेकर वहाँ पहुँचा। घोर युद्ध के बाद अखाउद्दीन को सफलता मिली।

रणथम्भौर की जीत से प्रोत्साहित होकर अखाउद्दीन ने १३०३ ई० में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ का किला राजपूताने में सबसे प्रसिद्ध और दृढ़ था। अभी तक किसी मुसलमान आक्रमणकारी ने उस पर चढ़ाई करने का साहस नहीं किया था। इस आक्रमण की रोमांचकारी कहानी फिरिश्ता ने लिखी है और मलिक मुहम्मद जायसी ने भी इस पर एक काव्य की रचना की। यह कहानी अतिरंजित होते हुए भी विस्फुलक काव्यमय नहीं मालूम पड़ती। राणा रतनसिंह की रानी पद्मिनी सारे देश में अपने रूप के लिए प्रसिद्ध थी। अखाउद्दीन राज्य के लोभ, साहसिक कामों में रुचि और पद्मिनी के रूप के आकर्षण से चित्तौड़ पर चढ़ गया। अखाउद्दीन ने राजा से कहा कि यदि यह शीशे में भी पद्मिनी का मुख

उसे देखने दे, तो यह चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करेगा। राजा ने अपनी सरलता और उदारता के कारण यह बात मान ली। अछाउहीन अकेले ही गढ़ में बुरा किया गया। शीघ्र में पश्चिमी का मुँह दैतने के बाद जब अछाउहीन लौट रहा था, तब राजा रतनसिंह उसे पहुँचाने उसके सिविर तक गया। अछाउहीन ने बोले से उसको घन्टी बना लिया और चित्तौड़ में यह कहला भेजा कि जब तक पश्चिमी उसके पास नहीं भेजी जायेगी, वह राजा को नहीं छोड़ेगा। पश्चिमी ने यह साहस और पुष्टिमानी से काम लिया। उसने अछाउहीन के पास यह समाचार भेजा कि ८०० दासियों के साथ मैं पालकी में आ रही हूँ। प्रत्येक पालकी में एक और राजपूत बैठा था, और होनेवाले भी वीर राजपूत सिपाही थे। अछाउहीन के शिविर में पहुँचकर पश्चिमी ने एक दम से राजा रतनसिंह वाले कैम्प पर छापा मारा और उन्हें कैद से बुरा किया। इसके बाद तुकों और राजपूतों में घोर युद्ध हुआ। अन्त में राजपूत हार गये और लगभग ३० हजार सैनिक मारे गये। रानी पश्चिमी ने अपनी मान-रक्षा के लिए अपनी सखियों के साथ अलखी हुई धिता में जलकर जौहर किया। अछाउहीन ने गढ़ में प्रवेश किया किन्तु पश्चिमी की राक्ष के सिवाय और कुछ हाथ न आया। अछाउहीन ने अपने बेटे सिद्धलाल को चित्तौड़ का शासक बनाया। राजपूतों के दबाव के कारण १३११ ई० में सिद्धलाल को चित्तौड़ छोड़ना पड़ा और अछाउहीन ने चित्तौड़ को मालदेव नामक सोनगरा सरदार को दे दिया, जिसको हराकर राजा हम्मीर ने अछाउहीन के जीवन काक में ही उससे जीत लिया। चित्तौड़ विजय के दो वर्ष बाद १३०५ ई० में अछाउहीन ने मालवा की ओर प्रस्थान किया। धीरे-धीरे उज्जैन, धारा, मण्डबगढ़ और चन्देरी के राज्य दिल्ली की सखतनत में मिला किये गये। इस समय राजस्थान के कुछ भागों को छोड़कर प्रायः सारे उत्तर-भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गयी।

उत्तर-भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के बाद अछाउहीन के किये यह बिल्कुल स्वाभाविक ही था कि वह विन्ध्याचल को पार कर दक्षिण पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करे। १३०६ ई० में अछाउहीन ने देवगिरि पर फिर आक्रमण किया। गुजरात के सूबेदार अष्टपर्णी और मलिक कपूर देवगिरि पर विजय करने के किये भेजे गये। मलिक कपूर ने देवगिरि के राजा रामचन्द्र को पकड़कर दिल्ली भेज दिया और पल्लिणपुर के कपर एक मुस्लिम सूबेदार नियुक्त किया। आश्चर्य की बात महत्त्व होती है कि अछाउहीन ने रामचन्द्र के साथ उदारता का बर्ताव दिया और उगरो रायरायान

की उपाधि देकर देवगिरि वापिस भेज दिया। संगमबता अछाउरीन भी दक्षिण भारत पर सीमा शासन नहीं करना चाहता था और दक्षिण के सीतमे में रामचन्द्र को सहायक बनाना चाहता था। १३०९ ई० में मलिक काफूर देवगिरि से आग्र्य की राजधानी धारंगल की ओर बढ़ा। यहाँ पर काकतीय राजा प्रतापरुद्रदेव शासन करता था। देवगिरि के पतन के बाद दक्षिण में हिन्दू शक्ति की रीढ़ टूट गयी थी। इस परिस्थिति में दक्षिण के छोटे-छोटे राजा मलिक काफूर का सामना करने में असमर्थ थे। छन्दे घेरे के बाद प्रतापरुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया और सन्धि की प्रार्थना की। मलिक काफूर हजारों ऊँटों के ऊपर छद्म का माछ छन्दे हुए दिल्ली वापिस आया। देवगिरि के पाद्यों और द्वारसमुद्र के होयसालों में शत्रुता थी। अपनी पराजय के बाद देवगिरि के पाद्यों ने काफूर को द्वारसमुद्र पर आक्रमण करने को प्रोत्साहित किया। बारंगल की विजय ने उसे और भी उत्तेजित किया। १३१० ई० में द्वारसमुद्र को मलिक काफूर ने जीत लिया। इसके बाद मलिक काफूर पाण्ड्यराज की ओर बढ़ा। पाण्ड्य राजा कुकुत्थर के दो लड़के सुन्दर पाण्ड्य और धीर पाण्ड्य आपस में उत्तराधिकार के लिये लड़ रहे थे। मलिक काफूर के लिए यह पदा सुन्दर अबसर था। सुन्दर पाण्ड्य की सहायता करने के वहामे से उसने पाण्ड्य-राज्य की राजधानी मयुरा पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया। इसके बाद काफूर ने कारोमंडल और मद्रास को जीता। वह रामेश्वर के मन्दिर तक पहुँचा और यहाँ भी छद्म मचायी। सारा दक्षिण और सुदूर-दक्षिण जीतने के बाद अब अछाउरीन को देवगिरि के पाद्यों की सहायता की जरूरत नहीं थी, इसलिये उसने चौथी बार १३१२ ई० में देवगिरि पर आक्रमण करने के लिये मलिक काफूर को फिर भेजा। शंकरदेव युद्ध में सारा गया और पाद्यों का राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इन विजयों के फलस्वरूप उत्तर में राजस्थान के कुछ भाग, कारमीर और आसाम को छोड़कर प्रायः सारे उत्तर-भारत और दक्षिण और सुदूर-दक्षिण के अधिकांश पर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया।

(ग) शासन-प्रबन्ध

मुस्लिम साम्राज्य के निर्माण के साथ-साथ अछाउरीन ने शासन-प्रबन्ध की ओर भी समुचित ध्यान दिया। वह बिल्कुल निरंकुश और एकताधिक शासक था। अपने शासन-प्रबन्ध में वह बाहरी हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकता था। राजनैतिक मामलों में अपने ऊपर कुरान और खलीफा का नियंत्रण

भी उसको पसंद नहीं था। उसका कहना था—“कानून सुस्तान की इच्छा पर अवलम्बित है। पैगम्बर की इच्छा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है...। मैं नहीं जानता कि यह शरीयत के अनुसार है या नहीं। मैं जिस चीज को राज्य के लिये हितकर अथवा परिस्थिति के अनुकूल समझता हूँ उसको करता हूँ। कयामत के दिन क्या होगा, मुझको मालूम नहीं।” इससे एक बात प्रकट होती है कि जब मुस्लिम शासकों के पैर भारत में दृढ़ हो गए और खिलाफत की दक्षि-धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगी, तब ये धीरे-धीरे खिलाफत से अपने को स्वतंत्र करने लगे और भारत में नयी परिस्थिति के अनुसार उन्होंने शासन की व्यवस्था की।

राज्य का प्रमुख अधिकारी सुस्तान था। वह सिद्दायत और स्पबदार में बहुत कुछ निरंकुश था; परन्तु काब्रियों और बज्जियों से सलाह करता था और कभी-कभी वह उनकी बातें मानता भी था। सुस्तान का मुख्य काम था सेना का संगठन और निरीक्षण तथा विशेष युद्धों में उसका संवाहक, अधिकारियों की नियुक्ति और खमाने की वेस-नेर तथा सैनिक और राजनैतिक अपराधियों से छिपे दण्ड देना। केन्द्रीय शासन का संगठन किस प्रकार हुआ था, इसके बारे में विशेष मालूम नहीं। परन्तु शासन कई भागों में बँटा हुआ था और उनके अध्यापकों की सहायता से सारा केन्द्रीय शासन संवाहित होता था। मोटे तौर पर साम्राज्य दो भागों में बँटा हुआ था—(१) वह भाग जिस पर सुस्तान सीधे शासन करता था। (२) वह भाग जहाँ स्थानीय राजे अर्थात् फरके घोष दिये गए थे और जिनसे साम्राज्य को कर और उपहार मिलते थे। साम्राज्य का पहला भाग कई सूबों में बँटा हुआ था जिनके ऊपर स्पेदार सुस्तान की ओर से शासन करते थे।

अछाउद्दीन सैनिक बल में विश्वास करता था और सैनिक-दक्षि के दृढ़ करने के लिए उसने किये प्रयत्न। छद्दार्द के हथियार और सामान बनवाने के लिये कारखाने लोहे और स्थायी सेना की संख्या बढ़ा दी। यत्न की तरह उसने भी सेना का सुधार किया और उसने योग्य सैनिकों और अधिकारियों की नियुक्ति की। परन्तु इतनी यही और योग्य सेना के निर्पाट के लिये बहुत धन की आवश्यकता थी। न तो सरकारी खजाने से इतना धन प्राप्त किया जा सकता था और न करों के बोझ से देशी दुई प्रजा पर नये कर लगाये जा सकते थे। इसलिए अछाउद्दीन ने जीवन के लिए आवश्यक सामग्रियों के ऊपर सरकार का नियंत्रण रखा और उनका मुख्य इतना धन दिया कि कम बेतन देकर भी सैनिक और दूसरे कर्मचारी आराम से रहे पा सकें।

एक सैनिक का वार्षिक वेतन २३४ टंका (१ टंका = लगभग १ रुपया) था ।
खाने के सामानों का मुख्य निम्न प्रकार था —

सामान	तौल	मूल्य
(१) गोई	१ मन	७॥ बीतल (१ बीतल =
(२) चना	१ मन	५ बीतल एक पैसा)
(३) जौ	१ मन	४ बीतल
(४) चावल	१ मन	५ बीतल
(५) उर्द	१ मन	५ बीतल
(६) घी	२॥ सेर	१ बीतल
(७) गुड़	१ सेर	१३ बीतल
(८) चीनी	१ सेर	११३ बीतल
(९) नमक	२॥ मन	५ बीतल

सेना के साथ-साथ जाम्तरिक रक्षा के लिये पुलिस-विभाग का संगठन भी किया गया था । इसमें भी अछाठहीन ने बख्तखान का ही अनुकरण किया । अछाठहीन के शासन में गुप्तचर-विभाग पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि यह सम्बेह, दमन, और कठोरता पर अवलम्बित था ।

राज्य के आय का मुख्य साधन भूमि-कर था जिसको खिराज कहते थे । किसान प्रायः हिन्दू थे, इसलिये उनको खाने के लिये भूमि-कर बढ़ाकर उपज का ५० प्रतिशत कर दिया गया । आय का दूसरा बड़ा साधन खजिया (पारमिक कर) था । लूट और सम्पत्ति की जप्तरी से भी सरकारी खजाने में काफी धन आता था । अधीन राज्यों से वार्षिक कर मिलता था । व्यापार और क्रय-विक्रय के ऊपर कर से काफी आमदनी होती थी । कर बढ़ी कच्चाई के साथ बसूद होता था अछाठहीन की वार्षिक नीति और योजना युद्ध के बाधावरण से प्रभावित थी । बहुत बड़ी सेना रक्षना उसके लिये जरूरी था, इसलिये उसने यनावरी डंग से सामानों का मुख्य घटा दिया । इस योजना में न तो प्रसाहित की भावना थी और न दूरदर्शिता । इसमें शासन की सुविधा का ही अधिक ध्यान था । सारा नियंत्रण-विभाग खीयाने रियासत और शाहनाय मंडी नामक अधिकारियों के हाथ में था । उनके कार्यालय में व्यापार के लिये अनुमति पत्र देने का रजिस्टर होता था । प्रत्येक व्यापारी को अपनी रजिस्ट्री कराना और आज्ञापत्र लेना आवश्यक होता था । राज्य की ओर से सामान खरीदने के लिये पेशगी मिलती थी । अनाज सरकारी मंडियों में इकट्ठा होता था । कोई किसान १० मन से अधिक अनाज अपने पास नहीं

रत सकता था। सभी सामानों का मूल्य मिश्रित था। कुछ सामानों का मूल्य सेना-विभाग के साथ दिया जा चुका है। साग, फल, सेल, मिट्टई और विमाती के सामानों के भाव भी बँधे थे। जानवरों और दास-दासियों के मूल्य भी सरकार की ओर से तय थे। नियंत्रण के नियम बंधे लगे थे और उनके उल्लंघन करने पर बड़ा कठोर दण्ड दिया जाता था, जिससे होवाने रियासत और शाहनाय मंडी भी नहीं बच सकते थे।

पहले के सुल्तानों के समान अलाउद्दीन की न्याय-व्यवस्था भी कुरान और शरीयत पर अवलम्बित थी और न्याय काजियों द्वारा होता था। अलाउद्दीन केवल राजनैतिक मामलों में अपना बिसेपाधिकार चाहता था। कामू कठोर थे, जो हिन्दू और मुसलमान सब पर बड़ाई से लागू किये जाते थे। शासन में निर्माण-विभाग का संगठन भी किया गया था। इन्म विभाग की अल्पसंख्यता में सिरी और दाहपुर आदि नगर बसाये गये, फुतबी इमारतों की मरम्मत की गयी और नयी इमारतें बनायी गयी। हुनुबनीबार के अनुकरण पर अलाउद्दीन ने एक मीनार बनवाना आरम्भ किया, जो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है।

अलाउद्दीन पहले निरक्षर था। पीछे उसने कुछ फारसी सीख ली और उसमें विद्याप्रेम भी उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वह विद्वानों, संतों और कलाविदों का आदर करता था। संगीत को भी उसके दरबार में प्रभय मिला। अमीर सुसरो और शियाउद्दीन बरमी जैसे प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार उसके दरबार में रहते थे। शेर मिर्जासुद्दीन भीलिया और सेल दकुनुद्दीन जैसे संतों का भी वह आदर करता था। ऐसे लोगों का पालन-पोषण करने के लिए वृत्ति, पेंसन, पुरस्कार आदि के लिये एक सरकारी विभाग बना हुआ था।

(४) अलाउद्दीन का खरिज और अन्त

खरिज की दृष्टि से अलाउद्दीन को भारतीय इतिहास में बहुत नीचा स्थान मिल सकता है। अरबबर जैसे अनपढ़ व्यक्तियों में जो स्वामाधिक प्रतिभा, समझदारी, ज्ञान-विश्वास आदि गुण पाये जाते हैं, अलाउद्दीन में उनका अभाव पाया जाता है। उसमें शूरता और बीरता अवरण थी, किन्तु वह बड़ा कठोर और निर्मम था। स्वभाव से वह श्रेणी, अनसरकारी, पूर्ण, विरहासपाठी और अत्यन्त धूर था। शासन में उसका मुख्य उद्देश्य प्रजाशासन और प्रजासंजम नहीं किन्तु उसका अर्थना म्यार्म था। उसकी सफलता के लिये बहुत कुछ उस समय की परिस्थिति सहायक सिद्ध हुई। अलाउद्दीन के अंत

की ही उसे उसके कर्मों और नीति का फल मिलने लगा। भीतरी पड़पंटों और बिगोहों से उसका शासन खोखला हो गया—“लक्ष्मी अपने स्वभाव के अनुरूप खंचल सिद्ध हुई; भाग्य ने उसका विनाश करने के लिये अपनी सख्त-वार खींची। एक समय का शक्तिशाली सम्राट अपने ही सामने अपने जीवन-कार्य को नष्ट होते देखकर खोच से अपना मांस अपने पाँतों काटता था।” युद्धों में वह रोगी हो गया था, उसकी विन्ताओं ने उसकी मूर्खता को और भी निकट लुहा लिया। १३१६ ई० में उसका वैधान्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उसके पिय गुलाम मलिक काफूर ने ही उसको बिय-दे-दिया था।

३. अलाउद्दीन के वंशज : खिजली वंश का अंत

अलाउद्दीन के मरने के साथ ही दिल्ली में फिर अराजकता फैल गयी। अलाउद्दीन के समय में ही मलिक काफूर बड़ा प्रभावशाली हो गया था। स्वयं सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षा से उसने अलाउद्दीन के सारे परिवार को नष्ट करमा प्रारम्भ किया, परन्तु अलाउद्दीन के लड़कों में मुबारक अपनी बालाकी से बच गया। ३५ दिन के शासन के बाद मलिक काफूर उसके द्वारा मारा गया। परन्तु मुबारक भी अपने राज्य को सम्हाल न सका। वह अपनी प्रारम्भिक सफलता के बाद बिल्कुल बिलासी और अपने पिय दिवंगे गुलाम खुसरू के हाथ की कठपुतली बन गया। खुसरू भी मलिक काफूर के समान महत्वाकांक्षी निकला। उसने मुबारक को मारकर अपने को सुल्तान घोषित किया और नासिदद्दीन खुसरू शाह की उपाधि धारण की। सुल्तान होने पर उसकी हिन्दू भावना जागृत हुई और उसने मुसलमानों पर अत्याचार किया। इससे मुसलमान मलिक, सर्दार और सूबेदार बहुत क्रुद्ध हुए। पंजाब के सूबेदार गाजी मलिक तुगलक ने दिल्ली पर आक्रमण कर खुसरू को मार डाला और स्वयं सुल्तान बन बैठा। भारतीय इतिहास में यही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

२० अध्याय

तुर्क-साम्राज्य की चरमसीमा और उसका हास

तुगलक-वंश

१. गयासुद्दीन तुगलक

गयासुद्दीन तुगलक का पिता करीना तुर्क था, जो पंजाब में आकर बस गया था और एक जाट स्त्री से विवाह कर लिया था। गयासुद्दीन इसी स्त्री से पैदा हुआ था। इसलिये उसके स्वभाव में अपनी माँ की नम्रता और कोमलता और पिता की शक्ति और साहस दोनों प्रकार के गुण वर्तमान थे। परन्तु उसके शरीर में आधा हिन्दू रक्त होते हुए भी तुर्की राज की प्रति यकी भक्ति थी। जब मल-मुस्लिम सलिक काफूर और सुसरो से दिल्ली सल्तनत को खतरा उत्पन्न हुआ, तब गाजी-तुगलक (जो भागे चलेकर गयासुद्दीन-तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ) ने सुसरो काह को मारकर दिल्ली के तुर्क साम्राज्य का पुनरुद्धार किया। गयासुद्दीन के मामले दो समस्याएँ थीं—(१) लक्ष्यवशते हुए तुर्क-साम्राज्य की रक्षा और (२) शासन सुधार द्वारा राज्य में शांति स्थापित करना। बड़ी सावधानी और रक्षता के साथ गयासुद्दीन ने इनका सामना किया। उसने मरमी और उदारता की नीति से सब अधिकारियों, जमीनों और सदाँरों को गुण कर दिया।

गयासुद्दीन ने आन्तरिक असन्तोष को शत्रुओं और उदारता से शांत किया। परन्तु दूर के प्रायों में दिल्ली सल्तनत के प्रति जो विद्रोह पड़े हुए थे, उनको उसने सैनिक बल के द्वारा दबाया। उसने तिलंगाना और बंगाल के विद्रोहों को रक्षता से दमन किया। गयासुद्दीन ने अपनी मरम नीति के द्वारा शासन का संगठन भी किया "न तो मरकरी विधान में कोई रचनात्मक परिवर्तन हुआ और न कोई नवी योजना चलायी गयी, जैसी कि उसके प्रतिभावाली युव के समय जारी की गयी थी। किन्तु उसका शासन ग्याय और उदारता के सिद्धान्त पर अवलम्बित था और अपने विषयों के हानु करने में बड़ जवता की प्रतीति करने की भावना से प्रेरित था।" अपने छोटे से शासन-काल में उसने दिल्ली साम्राज्य के रूप

बड़ी गहरी कलंक-कालिमा को दूर करने के लिये काफी प्रयत्न किया। उसे शासन और युद्ध दोनों में ही सफलता मिली। परन्तु अन्त में उसका ही प्रिय और सगा सम्बन्धी उसकी मृत्यु का कारण बना। जब वह बंगाल से विजयी होकर मन् १३२७ ई० में दिल्ली आया तब उसके लड़के जुमाशाँ (मुहम्मद तुगलक) ने उसके स्वागत के लिये भूमधाम से तैयारी की। अपने पिता का अभिनन्दन करने के लिये उसने एक बारादरी बनवायी। जब स्वागत के उत्सव में सभी अतिथि भोजन कर रहे थे, सब बारादरी की छत मुस्ताम और उसके एक छोटे लड़के के ऊपर गिर पड़ी और दोनों की हससे तुरन्त मृत्यु हो गयी। इसमें जुमाशाँ का पड़पन्थ था। यही जुमाशाँ मुहम्मद तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा।

२. मुहम्मद तुगलक

(१) राज्यारोहण और व्यक्तित्व

विराजती मुहम्मद तुगलक १३२५ ई० में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसके कुछ संबंधियों ने उसके उत्तराधिकार का विरोध किया। उनमें सागर का सुबेदार गुर्खास मुख्तार था। वह जीते जी एकदम मुहम्मद तुगलक के सामने छाया गया। मुहम्मद ने उसकी आल खिचवा ली और उसका मौत एकदम उसकी बीबी और बच्चों को जाने के लिये भेजा। इन घटनाओं से मुहम्मद के राज्य-कोम, अभीरता और कुशल का पता लगाता है। किन्तु मुहम्मद का व्यक्तित्व और भी अधिक पेशी था, जो इतिहासकारों के लिये अब भी एक पहेली बना हुआ है। एक ओर उसमें मस्तिष्क और हृदय के उंचे गुण थे, दूसरी ओर उसके स्वभाव में पागल उदान, व्यवहार-हीनता, अभीरता, क्रूरता और क्रूरता थी। इस कारण से कुछ विद्वान् उसको 'विरोधी गुणों की गठरी' कहते हैं, और कुछ लोग उसकी तुलना इंग्लैण्ड के राजा प्रथम जेम्स से करते हैं, जो "अपने समय के ईसाई सगत का सबसे बुद्धिमान मूर्ख था।" इसमें सन्देह नहीं कि अब तक दिही की गद्दी पर अितने सुसंस्कृत शासक बैठे थे, उनमें मुहम्मद तुगलक सबसे अधिक विद्वान् था। वह अपने युग के सभी सामाजिक शास्त्रों, साहित्य और कला में निपुण था। फारसी काव्य का वह गम्भीर ज्ञेयक, शैली पर उसका पूर्ण अधिकार और भाषण-कला में वह बड़ा कुशल था। साथ ही दर्शन, तर्क, स्मृति, गणित और विज्ञान का ज्ञाता भी। निबन्ध-रचना और सुलेख में उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी। बरनी के अनुसार मुहम्मद "वृष्टि का वास्तविक भावार्थ था, जिसकी घोषणा पर अस्तु और अफलातून भी

आभ्यर्षकत्व हो पाते।" यह उद्धार दानी भी था, जिसके दरवाजे पर मित्तारियों और पाचकों की भीड़ लगी रहती थी। अपने व्यक्तिगत जीवन में यह सच्चा सुसलमान था और कुरामत्तरीक की शिष्याओं का पालन करता था। यह मुघारवादी था और हिन्दुओं के साथ सहनशीलता का व्यवहार करता था। उसके जीवन की विचित्र पहेली को इम्नबतुला ने नीचे लिखे शब्दों में प्रस्तुत किया है। "मुहम्मद ऐसा व्यक्ति है, जो सबसे बढ़कर दान देना और रक्त बहाना पसन्द करता है। उसके दरवाजे पर दरिद्र धनी और धनी दरिद्र होते हुये खड़े जाते हैं। प्रिय से प्रिय व्यक्ति उसके हाथों सुख्यु दण्ड पाते हैं। उसके उद्धार और बीरोपित काम तथा उसकी कठोर और हिंसात्मक कृतियाँ लोगों में काफ़ी बदनाम हैं।"

(२) योजनायें

ऐसे उच्छेद हुये स्वभाव को खेकर तुगलक ने अपना शासन शुरू किया। उसके मस्तिष्क में बहुत से स्वप्न, योजनायें और मुघार भरे हुए थे। वह प्रायः किसी से परामर्श नहीं करता था और यदि किसी से परामर्श किया भी, तो भी अपने मन की करता था। अपने विचारों और विचारों का उसे बड़ा धुरामह था। अपने साम्राज्य की शान बढ़ाने के लिए भीरु स्वयं उसका पक्ष पाने के लिये उसने कई योजनायें चलाई, जिनके मर्मकर कुम्परिषाम हुये। इनका विवरण नीचे दिया जाता है :

(क) दो-आब में फर-धृष्टि

गयासुद्दीन ने अपनी क्रियायतकारी और उद्धार आर्थिक व्यवस्था में किसानों के ऊपर से करों का भार घटाकर भी सरकारी खजाने की रक्षा सुधार की थी। मुहम्मद तुगलक मस्तिष्कों और सर्दारों को उपहार, पुरस्कार, दान आदि देकर जनको प्रसन्न करना चाहता था। दरबार की सजायद और धान-शौकत के लिये भी उसे बहुत धन चाहिये था। इसके अतिरिक्त अपनी दूसरी योजनाओं की पूर्ति के लिये भी उसे बहुत धन की आवश्यकता थी। फर बढ़ाने के अतिरिक्त उसके पास दूसरा कोई उपाय न था। गंगा-यमुना दो-आब पर भूमि-कर बेहिताय बढ़ा दिया और साथ ही बहुत से पुत्रहर कर भी लगाये। इन करों से पूर मिलना असम्भव था। इन आर्थिक व्यवस्था का परिणाम घुरा हुआ और प्रजा तबाह हो गयी। कुर्मांग्यपत्र कर उस समय लगाये गये जब कि दो-आब में अकाल पड़ा हुआ था। लोगों की कठिनाई हमसे और बढ़ गयी। बहुत देर बाद मुहम्मद ने हुये खोदने और किरानों को तकली देने की व्यवस्था की। परन्तु जनता इसमें स्वयं न

उद्य संघी और बहुत से लोग भूख की क्वाळा में खल मरे। सुल्तान ने अक्समय में कर बढ़ाने और वही बेर से सहायता पहुँचाने दोनों में गहती की।

(ख) राजधानी-परिवर्तन

सुल्तान की दूसरी योजना राजधानी बदलने की थी। उसने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद (देवगिरि) छे जाने की घोषणा की। दौलताबाद के पक्ष में सुल्तान को कई बातें दिलायी पड़ती थीं। एक तो दौलताबाद सुन्दर नगर था। दूसरे दौलताबाद का किला दुर्गम और अमेद्य था। वह एक ऊँची पहाड़ी के ऊपर स्थित था, जिसके किनारों को घिसबाकर सुल्तान ने इतना बिकना करवा दिया था, कि उसपर साँप भी रेंग कर नहीं चल सकता था। दौलताबाद की स्थिति भी केन्द्रीय थी, जहाँ से साम्राज्य के सभी सूबे लगभग समान दूरी पर थे। विशेषकर दक्षिण-दिग्ग्य के बाद देवगिरि का महत्व बढ़ गया था। मंगोलों के आक्रमणों से भी वह सुरक्षित था। परन्तु इन सुविधाओं को देखने में ही सुल्तान मूगोल और गणित से प्रभावित था; भारत की वास्तविक सैनिक और राजनैतिक स्थिति और इतिहास पर उसने पूरा ध्यान नहीं दिया। दिल्ली सल्तनत की स्थिति और रक्षा के लिये दो बातें आवश्यक थीं—(१) बाहरी आक्रमणों से पश्चिमोत्तर सीमान्त की रक्षा और (२) उत्तर भारत के मैदान पर पूरा और दृढ़ अधिकार। ये दोनों काम जितनी आसानी के साथ दिल्ली से हो सकते थे, उतनी सरलता के साथ देवगिरि से कभी नहीं। दिल्ली स्वयं भारत की रक्षा-पंक्ति के एक दरवाजे पर स्थित है। इसको अधिकार में रखते हुए भारत की रक्षा और उस पर शासन ठीक तरह से हो सकता था। यहाँ से दूर के प्रायों के उपद्रव को शान्त करना भी असम्भव नहीं था। "अपनी योजना के पक्ष और विपक्ष की बातों पर बिना विचार किये ही सुल्तान ने दिल्ली को गट कर दिया, जो पिछले लगभग २०० वर्षों से फूलीफूटी थी और बगदाद और काहिरा का मुकाबिला करती थी। दिल्ली सहर निर्जन और धीराम कर दिया गया। एक दिल्ली और कुत्ता भी वहाँ ग रह गया। निवासियों के हुंड अपने परिवार के साथ दुःखी हृदय से विवश होकर दिल्ली छोड़कर चले। बहुत से रास्ते में ही मर गये और जो दौलताबाद पहुँचे भी, वे रास्ते के कष्ट को सहन नहीं कर सके और कराहते हुए मीत की ओर जाने लगे। काफिरों के मुक्क दौलताबाद के चारों तरफ मुसलमानों की कर्में फैल गयीं। सुल्तान प्रवासियों के साथ बड़ा उदार था। रास्ते और दौलताबाद में उनके लिये अच्छा प्रपन्थ भी था, परन्तु वे स्वभाव के कोमल थे; अतः प्रवास सहन नहीं कर सकते थे।

आश्चर्यचकित हो जाते।" वह उदार दासी भी था, जिसके दरवाजे पर भिकारियों और पाचकों की भीड़ लगी रहती थी। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह सच्चा मुसलमान था और कुरानशाहीफ की सिखाओं का पालन करता था। वह सुभारवादी था और हिन्दुओं के साथ सहनशीलता का व्यवहार करता था। उसके जीवन की विचित्र पहेली को इस्लामवाद ने नीचे लिखे शब्दों में प्रस्तुत किया है। "मुहम्मद ऐसा व्यक्ति है, जो सबसे पहले दान देना और रक्त बहाना पसन्द करता है। उसके दरवाजे पर दरिद्र धनी और धनी दरिद्र होते हुए ऐसे जाते हैं। प्रिय से प्रिय व्यक्ति उसके हाथों मृत्यु दण्ड पाते हैं। उसके उदार और धीरोचित क्रम तथा उसकी कठोर और हिसारमक कृतियों लोगों में काफी बदनाम हैं।"

(२) योजनार्ये

ऐसे उच्छेद हुए स्वभाव को लेकर तुगलक ने अपना शासन शुरू किया। उसके मस्तिष्क में बहुत से स्वप्न, योजनार्ये और सुभार भरे हुए थे। वह प्रायः किसी से परामर्श नहीं करता था और यदि किसी से परामर्श किया भी, तो भी अपने मन की करता था। अपने विचारों और विश्वासों का उसे बड़ा कुराम्रद था। अपने साम्राज्य की शान बढाने के लिये और स्वयं उसका यश पाने के लिये उसने कई योजनार्ये चलायीं, जिनके भयंकर दुष्परिणाम हुए। उनका विवरण नीचे दिया जाता है :

(क) दो-आब में फर-शुद्धि

गयासुद्दीन ने अपनी किरायतगारी और उदार धार्मिक व्यवस्था से किसानों के ऊपर से करों का भार घटाकर भी सरकारी खजाने की दशा सुधार ली थी। मुहम्मद तुगलक मस्जिदों और सर्दारों को उपहार, पुरस्कार, दान आदि देकर उनको प्रसन्न करना चाहता था। दरबार की सजाय और साम शौकत के लिये भी उसे बहुत धन चाहिये था। इसके अतिरिक्त अपनी दूसरी योजनार्ये की पूर्ति के लिये भी उसे बहुत धन की आवश्यकता थी। कर बढाने के अतिरिक्त उसके पास दूसरा कोई उपाय न था। संग-वसुमा दो-आब पर भूमि-कर बेहिसाब बढा दिया और साथ ही बहुत से फुटकर कर भी लगाये। इन करों से खूद मिटना असम्भव था। इस धार्मिक व्यवस्था का परिणाम घुरा हुआ और प्रजा तबाह हो गयी। पुर्नागपत्र कर उस समय समाप्त गये जब कि दो-आब में बकायत पढा हुआ था। लोगों की कठिनाई इससे और बढ गयी। बहुत देर बाद मुस्तान ने कुम्में खोदने और किसानों को लकाबी देने की व्यवस्था की। परन्तु जनता इससे लाभ न

उठा सकी और बहुत से लोग भूख की ज्वाला में जल मरे। सुल्तान ने अक्सर में कर बढ़ाये और बड़ी देर से सहायता पहुँचाने दोनों में गश्ती की।

(ख) राजधानी-परिवर्तन

सुल्तान की दूसरी योजना राजधानी बदलने की थी। उसने सख्तनत की राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद (देवगिरि) ले जाने की घोषणा की। दौलताबाद के पक्ष में सुल्तान को कई बातें दिखायी पड़ती थी। एक ठो दौलताबाद सुन्दर नगर था। दूसरे दौलताबाद का किला दुर्गम और अमेद्य था। वह एक ऊँची पहाड़ी के ऊपर स्थित था, जिसके किनारों को भिसंवाकर सुल्तान ने इतना चिकना करवा दिया था, कि उसपर साँप भी रेंग कर नहीं चढ़ सकता था। दौलताबाद की स्थिति भी केन्द्रीय थी, जहाँ से साम्राज्य के सभी सूबे स्वभाव समान दूरी पर थे। विशेषकर दक्षिण-दिग्घ के बाद देवगिरि का महत्व बढ़ गया था। मंगोलों के आक्रमणों से भी वह सुरक्षित था। परन्तु इन सुविधाओं को देखने में भी सुल्तान भूगोल और गणित से प्रभावित था; भारत की वास्तविक सैमिक और राजनैतिक स्थिति और इतिहास पर उसने पूरा ध्यान नहीं दिया। दिल्ली सल्तनत की स्थिति और रक्षा के लिये दो बातें आवश्यक थीं—(१) बाहरी आक्रमणों से पश्चिमोत्तर सीमाओं की रक्षा और (२) उत्तर भारत के मैदान पर पूरा और दृढ़ अधिकार। ये दोनों काम जितनी आसानी के साथ दिल्ली से हो सकते थे, उतनी सरलता के साथ देवगिरि से कमी नहीं। दिल्ली स्वयं भारत की रक्षा-पंक्ति के एक इरवाजे पर स्थित है। इसको अधिकार में रखते हुए भारत की रक्षा और उस पर शासन ठीक तरह से हो सकता था। यहाँ से दूर के प्रान्तों के उपद्रव को शासित करना भी असम्भव नहीं था। "अपनी योजना के पक्ष और विपक्ष की बातों पर बिना विचार किये ही सुल्तान ने दिल्ली को गध कर दिया, जो पन्द्रहें शताब्दी १०० वर्षों से पृथ्वीकली थी और मगदाद और काहिरा का मुकाबिला करती थी। दिल्ली बाहर निर्जन और लीरान कर दिया गया। एक दिल्ली और गुला भी वहाँ न रह गया। निवागियों के छुंड अपने परिवार के साथ मुगली दृष्टि से निवृत्त होकर दिल्ली छोड़कर चले। बहुत से रास्ते में ही मर गये और जो दौलताबाद पहुँचे भी, वे रास्ते के कष्ट को सहन नहीं कर सके और कराहते हुए मौत की ओर जाने लगे। फकिरों के मुहक दौलताबाद के चारों तरफ मुसलमानों की कर्म फैल गयीं। सुल्तान प्रवागियों के साथ बड़ा उदार था। रास्ते और दौलताबाद में उनके लिये अस्पता प्रवण्य भी था, परन्तु वे स्वभाव के कोमल थे; अतः प्रवास सहन नहीं कर

उस मूर्तिपूजक देश में वे नष्ट होने लगे और घोड़े से बच रहे, जो लौटकर फिर अपने देश (विह्वी) में आये।" वास्तव में रामधामी का बढ़कना सुवतान की पधभट शक्ति का एक बहुत बड़ा स्मारक था। इसमें पकी शक्ति, साधन और समय का नाश हुआ और फिर विह्वी को बसाने और समझाने में कई वर्ष लग गये।

(ग) मंगोल-आक्रमण को रोकने का नया ढंग

मुहम्मद तुगलक की फिरोजशाही और कुघासन से पश्चिमोत्तर का सीमांत फिर एक बार सतरे में पड़ गया। मंगोलों के आक्रमण शुरू हो गये। वे समगान, सुवतान और पंजाब को रींते हुये विह्वी के पड़ोस तक पहुँच गये। उनका सामना करने के लिये सुवतान बरा भी तैयार न था, क्योंकि देवगिरि जाने और वहाँ से वापस आने में उसकी शक्ति बहुत बिलर गयी थी। बड़बन और अछाठहीन ने अपने सैनिक बल से मंगोलों को हराया था। मुहम्मद ने उसकी छट की प्यास को बहुत सा घूस बँकर बुझाना चाहा। उसकी बुद्धि में यह बात नहीं आयी कि यह घूस देने की बुराई नीति मंगोलों की मूल को और जगा देगी। मुहम्मद का ध्यान अपनी नीति की कमजोरी पर नहीं उसकी मधीनता पर था।

(घ) संकेत-मुद्रा का प्रचार

सुवतान की बहुत सी योजनाओं ने सरकारी खजाना खाली कर दिया। अब प्रश्न यह था कि सरकार की आर्थिक अबस्था कैसे सुधारी जाय ? अछाठहीन ने सामान और उसके मूल्य पर निबंधन करके अपना लक्ष्य पूरा किया था। मुहम्मद के उपजाऊ विभाग में एक नयी योजना पनपी। उसने ताँबे की संकेत-मुद्रा का प्रचार किया। इसका मतलब यह था कि ताँबे पर चाँदी और सोने के सिक्कों के मूल्य बंकित होंगे और सरकारी भाजा से ऊँचे मूल्य पर ताँबे के सिक्कों को स्वीकार करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से टकसाल और सिक्कों के चलन पर सरकारी निबंधन नहीं था। इसका फल यह हुआ कि हरेक सुदार की दुकान टकसाल बन गयी। कानों और करोड़ों सिक्के ताँबे के बन गये। सरकार के पास जो चाँदी और सोना था, वह दूसरों के पास पहुँच गया और उसके बदले में सारा ताँबा सरकारी खजाने में भर गया। कई इतिहासकारों ने मुहम्मद तुगलक की संकेत-मुद्रा की अर्थसाध के सिद्धान्त पर प्रशंसा की है और उस समय के लोगों की निम्ना की है जो उसका महत्व नहीं समझ सकते थे। परन्तु सवाक तो यह है कि उस समय की परिस्थिति में ताँबे की संकेत-मुद्रा बढावा ठीक था अथवा नहीं ? वास्तव में

संकेत मुद्रा चलाकर मुहम्मद ने बहुत बड़ी भूख की। इस मूर्खता के होते हुये भी मुहम्मद तुगलक मुद्राकला का बहुत बड़ा सुधारक था। उसके पहले दिल्ली के सुल्तानों के सिक्के मढ़े और कलाहीन होते थे। मुहम्मद ने कई प्रकार के और सुन्दर सिक्कों को चलावाया। प्रसिद्ध मुद्रा-शास्त्री दोमस और ब्राउन ने उसे 'मुद्रा-शास्त्र का रामा' कहा है।

(५) विजय-योजना

मुहम्मद तुगलक के मन में संसार को जीतने का स्वप्न खोर मार रहा था। उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी सिकन्दर का अनुकरण करने का विचार किया था, परन्तु वह मनस्वी होते हुये भी चतुर था। इसलिये अपने कामों की सलाह से उसने वह विचार छोड़ दिया। मुहम्मद तुगलक को सलाह देने का किसी को साहस नहीं होता था। अपनी विरय-विजय की योजना में मुहम्मद ने पहले सुरासाग और फिर चीन पर आक्रमण करने का आयोजन किया। एक बहुत बड़ी सेना विजय करने के लिये भेजी गयी जो रास्ते की कठिनाइयों से बहुत कुब्र नष्ट हो गयी। वास्तव में जब सारे देश में असन्तोष और विद्रोह की आग भड़क रही थी, तो सारे संसार को जीतने का स्वप्न मूर्खता के सिवाय और क्या हो सकता है ? कुछ इतिहासकारों ने फिरिखा द्वारा वर्णित चीन-विजय का दूसरा अर्थ लगाया है। उनके अनुसार मुहम्मद ने किसी हिमालय के प्रान्त पर आक्रमण किया था। परन्तु हिमालय जीतना भी कम दुस्साहस का काम नहीं था और उस समय की परिस्थिति में अग्यावहारिक था।

मुहम्मद तुगलक की योजनाओं की असफलता के कई कारण थे। बहुत कुब्र उसका व्यक्तित्व इसके लिये जिम्मेदार था। उसमें कई एक भारी दुर्गुण थे, जो योजना और शासन के विरुद्ध पड़ते थे। एक तो वह कोरा कायर्वादी था। परिस्थिति और वातावरण का विचार किये बिना ही बड़ी-बड़ी योजनाओं को चलाता था। दूसरे, उसका स्वभाव बहुत ही अहंकारी था और चाहता था कि उसकी सभी बातें मान ली जायें। तीसरे, उसमें धीरज का अभाव था। दूसरों को अपनी बात समझने का अवसर नहीं देता था। चौथे, विद्वान होते हुये भी उसमें विवेक का अभाव और कुचर्चों में आसक्ति थी। किसी परम पर वह निपच होकर विचार नहीं कर सकता था। पाँचवें, दिल्ली के सुल्तानों के लिये सुलतन तुगलकमिजादी और श्रेष्ठ की भाषा उसमें बहुत थी। गयासुद्दीन ने मुहम्मद तुगलक के लिये बहुत अच्छी बपीती

झोषी थी। सुघरा शासन और प्रायः शान्त साम्राज्य उसको मिटा था। अपने स्वभाव और व्यक्तित्व के कारण न केवल उसने अपने जीवन को असफल बनाया, परन्तु सारी प्रजा को भी दुःखी बना डाला। उसके शासन-काल का इतिहास एक कठण-कहानी है।

(३) शासन-सुधार

मुहम्मद ने अपने शासन में सुधार और परिवर्तन काने का प्रयत्न किया। उसके समय का शासन इस्लामी धर्म और मुस्लिमों से बहुत ही प्रभावित था। मुसलमानों और मुस्लिमों की परवाह किये बिना उसने शासन को उनके प्रभाव से मुक्त करने की चेष्टा की। इन बातों से मुहम्मद मुगलक की उदारता और पक्षपातहीनता का कुछ संकेत मिलता है। हिन्दुओं की धार्मिक भायनाओं का ध्यान उसने शासन में रखा, सरकारी नौकरियों में उनको स्थान दिया और कुछ ऊँचे पदों पर भी उनको रखा। हिन्दुओं में प्रचलित सती प्रथा को भी इसने रोक्य। राजस्वान के राजाओं से उसने वैद-काय न की। इस नीति से उस समय मुसलमान उससे असन्तुष्ट हो गये। अभी तक न्याय विभाग काबियों और मुस्लिमों के हाथों में था। किन्तु मुहम्मद ने अपील की अदालत का प्रथम न्यायाधीश अपने को बनाया। मुक्तान न्याय की व्यवस्था में बड़ी दिलचस्पी लेता था। सरकारी नौकरियों में कर्मचारियों की नियुक्तियों में बह योग्यता का विशेष न्याय करता था। यदि किसी पद के लिए कोई योग्य हिन्दुस्तानी नहीं मिलता था तो वह बिदेसियों की भी नियुक्ति योग्यता के आधार पर करता था। परन्तु शासन के ये सुधार उमकी योसनाओं के सामने फीके पड़ गये और अमता उमका पूरा काम न सठा सकी।

(४) योजनाओं का परिणाम

मुहम्मद की योजनाओं का परिणाम यह हुआ कि सारे देश में असन्तोष और संप्रभुय हुए हो गये। सिन्ध में लुटेरों ने उपद्रव मचा रखा था। मुहम्मद सेना लेकर वहाँ पहुँचा। बहुतों को मार डाला और शेष को इस्लाम ग्रहण करने को विवश किया। इस समय सिन्ध का प्रान्त सरतगत के बाहर आने से बच गया। सुदूर दक्षिण में संगठित हिन्दू विद्रोह हुआ। १३४६ ई० में इरसमुद्र के होयसालों के पतन के बाद विजयनगर में एक हिन्दू शक्ति का उदय हुआ, जिसने आसपास के सारे प्रान्तों पर अपना अधिकार मना लिया। धीरे-धीरे दीछयाबाद और गुजरात भी दिव्ही सत्तनव के हाथ से निकल गये। दक्षिण में १३४० ई० में हसमार्गु ने यदमन

राज्य की स्थापना की। इन उपद्रवों के सम्बन्ध में मुहम्मद तुगलक को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। १३५१ ई० में वह सिन्ध में बीमार पड़ा और थकित और चिन्तित अवस्था में अपने बिसरे हुए साम्राज्य को छोड़कर इस संसार से चला गया।

३. फिरोज तुगलक

मुहम्मद तुगलक निस्सन्तान मरा था। अपने मरने के पहिले अपने चार राजा के लड़के फीरोज को, जो एक राजपूत की से उत्पन्न हुआ था, अपना उत्तराधिकारी चुना था। फिरोज स्वभाव से धार्मिक और राज्य के प्रति उदासीन था। वह पड़्यों से डरता था, परन्तु सर्दारों और सेना के दबाव का देने पर फिरोज ने सुल्तान बनना स्वीकार कर लिया।

(१) समस्यायें

फिरोज के सामने तीन मुख्य समस्यायें थीं—(क) स्वतन्त्र हुये प्रान्तों को फिर से जीतने का प्रयत्न करना और नये विद्रोहों को दबाना। (ख) मुहम्मद तुगलक के शासन से पीड़ित प्रजा को सुख पहुँचाना और (ग) शासन-व्यवस्था का संगठन करना।

(क) स्वतन्त्र प्रान्तों को वश में करने का प्रयत्न

मुहम्मद तुगलक के समय में जो प्रान्त स्वतन्त्र हो गये थे, उनके बारे में फिरोज ने सन्तोष कर लिया। उसमें न तो लड़ाई के लिये इच्छा थी और न चाक़ी ही। इस दिशा में उसने बलबन की नीति का अनुकरण किया और अपने बचे हुये राज्य को दृढ़ करने की कोसिस की। परन्तु जहाँ पुख करना अत्यन्त आवश्यक हो गया वहाँ पर उसने अपने सैनिक कर्तव्य का पालन भी किया। फिरोज को सबसे पहले बंगाल पर आक्रमण करना पड़ा। वहाँ के सूबेदार इकियास शाह ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर ली थी। फिरोज बड़ी सैपारी के साथ तिरहुत होते हुये बंगाल पहुँचा और विद्रोह को शान्त कर दिया। बंगाल के ऊपर सैनिक विजय के बाद फिरोज की राजनैतिक और धार्मिक महत्त्वाकांक्षा कुछ बढ़ी। बंगाल से लौटती बार उड़ीसा में जामनगर के राजा पर उसने चढ़ाई की। उसने भगवान् पुरी के मन्दिर और मूर्ति को तोबा और मूर्ति के टुकड़े की समुद्र में बहा दिया। राजा ने हार मानकर समिध कर ली। उड़ीसा के अन्य राजाओं और जमीन्दारों को जीतवा हुआ फीरोज दिल्ली वापिस आया।

इसके बाद फ़ीरोज़ ने काँगड़ा की घाटी में मगरकोट और सिन्ध में विज्रोहों को क्षान्त किया और दिल्ली सल्तनत की शक्ति समाप्त की।

(ख) पीड़ित प्रजा को सुख पहुँचाना

मुहम्मद तुगलक की पोज़नाओं और क्रूरता से बहुत लोगों को डर हुआ था। फ़ीरोज़ अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार यह समझता था कि हम सबका पाप मुहम्मद को छोगा और वह उसकी पृथ्वी के पाप से मुक्त करना चाहता था। इसलिये जिस किसी की सम्पत्ति नष्ट हुई हो, या और कोई मुक़साम हुआ हो, या कोई ग़िरफ़्तार मार खाया गया हो, फ़ीरोज़ ने सब की क्षतिपूर्ति की और उनसे इसके प्रमाणपत्र लिये। इस प्रकार सब प्रमाण-पत्र इकट्ठे कर मुहम्मद की कब्र में गाड़ दिये गये, जिससे क़यामत के दिन मुहम्मद तुगलक को पना मिल सके। इसके सिवाय प्रजा के ऊपर तकाबी के ख़ाण का जो भार बढ़ रहा था, उसको फ़ीरोज़ ने माफ़ कर दिया।

(ग) शासन-व्यवस्था

फ़ीरोज़ में बल्लभ की हक़ीक़त, अछाउद्दीन की शक्ति और मुहम्मद तुगलक की प्रतिभा नहीं थी। उसकी संकीर्ण धार्मिक-नीति ने उसकी शासन-व्यवस्था का महत्व सारी ख़तरा के लिये कम कर दिया था। फिर भी यह बात माननी पड़ेगी कि फ़ीरोज़ उन इस्लाम-सुन्नतों में से है, जिन्होंने प्रजा की भलाई की दृष्टि से शासन किया था। शासन के अनेक आदर्श के साथ फ़ीरोज़ में उसके लिये रुचि और समता भी थी।

फ़ीरोज़ तुगलक के समय में भी केन्द्रीय शासन एकतामित्रिक और मिरक़ुश था। मुहम्मद तुगलक ने उसको कुछ धर्मनिरपेक्ष बयानों का प्रचार किया था। फ़ीरोज़ ने फिर उसको धर्म-त्यागिण बना दिया क्योंकि शासन के ऊपर फ़ुराक, असीबत और मुज़ाबों का प्रभाव बढ़ गया। परन्तु इसके साथ ही साथ शासन में एक तरह की आदर्शवादिता और सादगी भी आ गयी। फ़ीरोज़ ने प्रांतीय शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। अछाउद्दीन और मुहम्मद तुगलक के समय में सूबेदार की नियुक्ति सुस्तान करता था और उनके सरकारी ख़जाने से मिश्रित बेतन मिलता था। फ़ीरोज़ तुगलक ने इस प्रथा को अलग कर फिर जागीरदारी-प्रथा चलायी। जागीरदारों के साथ-साथ अस्थायी सैनिक अधिकारियों के लिये जागीरें दी गयीं। साम्राज्य के ऊपर इसका प्रभाव बुरा पड़ा। मूमि और सेना दोनों जागीरदारों के हाथों में होने से उनकी शक्ति बढ़ गयी और वे स्वतन्त्र होने

की चेष्टा करने लगे। माल-विभाग में भी फिरोज ने सुधार किया। "फिरोज ने वैगम्बर के नियमों को अपना पथ-प्रदर्शक बनाया" उनके प्रतिद्वन्द्व जो कर थे, उनको बन्द कर दिया। उचित सरकारी करों के सिवाय प्रजा से और फुटकर कर वसूल नहीं होते थे।" कुरान के अनुसार बिराज, जकात, ग्राम और खजिया चार प्रकार के कर वसूल होते थे। फिरोज इन नियमों का इतना पावम्ब था, कि वह नहरों द्वारा सिंचाई कर कर लेने को भी तैयार न था, पर उबनाभों के व्यवस्था देने पर उसने सिंचाई कर स्वीकार किया। मुहम्मद तुगलक के समय के २१ सरकारी कर बन्द कर दिये गये। मुसलमान सैनिकों की छुट्टी का ३५ सरकार लेती थी और १५ उनको मिलता था, फिरोज ने कुरान के अनुसार यह अनुपात उल्टा दिया। खेती और किसानों का फिरोज बहुत प्यार रखता था। खेती की उन्नति के किये उसने नहरों बनवाई और इसके ऊपर बहुत कम कर वसूल किया। न्याय-विभाग का संगठन भी इस्लामी नियमों के अनुसार किया गया। अदालतों में सुफ़ी कानून की व्यवस्था करता था और काजी निर्णय सुनाता था। इस न्याय-विभाग में मुस्लिम और गैर-मुस्लिम का भेद था, किन्तु फिरोज ने न्याय के लिये सबसे बड़ा काम यह किया कि उसने दण्ड की कठोरता को कम किया और न्याय के नाम पर जो अमानुषिक पातनायें थीं जाती थीं, उनको उसने बन्द कर दिया। फज़लते-फिरोज़ी के अनुसार "हाथ, पैर, कान और नाक का काटना, अँसों का निकालना, गरम और पियला हुआ रोगा गले से उतारना, हाथ और पैर की अँगुलियों को मुँगरी से तोड़ना, बीजित पुरुष के भाग में जलाना, हाथ, पैर और छाती में कोहे के सीकड़े धुसेटना, भाइयों को धारे से चीरना आदि कई प्रकार की सजायें प्रचलित थीं... किन्तु महान् और दयालु ईश्वर ने मुझको बनाया। मैं उसका शासक, मुसलमानों की अवैध हरिया और उनके ऊपर-वा किसी भी मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार की पातना को रोकने का प्रयत्न करता हुआ उसकी दया की याचना और आशा करता हूँ।"

अकालीन के समय में जो सैनिक-सुधार किये गये थे उनको फिरोज ने फिर उल्टा दिया। सैनिक संगठन का आधार जागीरदारी प्रथा थी। जागीरदार सेनायें रखते थे और युद्ध के समय सुल्तान की सैनिक सहायता करते थे। सैनिकों को जागीर के साथ भत्ता भी मिलता था। सरकारी सेना में लगभग ८० या ९० हजार सुबखार थे और जागीरदारों की सेना में लगभग २ लाख। सैनिकों को अच्छे-अच्छे घोड़े रखने होते थे और उनकी परीक्षा तथा रजिस्ट्री करानी पड़ती थी। सिपाहियों के साथ उदारता का व्यवहार होता था।

परम्पु फिरोज की उदारता के कारण सेना में बहुत से बड़े और अयोध्व सैनिक चुन गये, जिससे सेना कमजोर पड़ गयी।

फिरोज तुगलक स्वयं बड़ा भारी विद्वान् न था और न मुहम्मद तुगलक के समान उसमें साहित्यिक प्रतिभा ही थी। फिर भी वह विद्या का प्रेमी था और उसके प्रचार के लिये उसने व्यवस्था की। अपने खांगूरी महल में वह विद्वानों को भिक्षुग्रहण देकर बुलाता था और उनका उचित भाव्य करता था। दोनों और विद्वानों को सरकार की ओर से वृत्तियाँ मिलती थीं। उसके दरबार में विद्यावरनी और समसे-सिराज, अफी, आदि प्रसिद्ध लेखक रहते थे। धर्म-विज्ञान और कानून पर उसके समय में कई एक ग्रन्थ लिखे गये। संस्कृत के बहुत से ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद कराया गया। सरकार की ओर से बहुत से मठों से लोके गये। पुरानी इमारतों और स्मारकों की रक्षा का फिरोज को बड़ा ध्यान था और इसके लिये उसने एक विभाग कोट रखा था। अशोक के दो पत्थर के स्तम्भों को टोपरा और मोरठ से उठाकर फिरोज ने उनको दिल्ली में लजा किया। उनमें से एक आज भी फिरोज कोटला में लजा है। उसको नगर घसाने और इमारतों निर्माण करने का भी बड़ा शौक था। फिरोजाबाद, फतवाबाद, बीनपुर, हिसार, फिरोजपुर आदि कई नगर बसाये। फिरोज ने ४ मसजिदें, ३० राजमहल, २०० सरायें, ५ बड़े अलासप, ५ औषधालय, १०० मकबरे, १० स्नानघर, १० स्मारक-स्तम्भ और १०० पुलों का निर्माण कराया। फिरोज ने भवनों की सुन्दरता पर भी काफी ध्यान दिया। उसके समय में कई एक महल और सड़कें भी बनानी गयीं। एक महल समुद्रा नदी से निकलकर हिसार फिरोजा तक जाती थी और पूर्वी पंजाब को सींचती थी। उसने कई रानीयें भी बजावाये। स्वास्थ्य और औषध-विभाग पर सरकार लक्ष्य करती थी। हिकमत और तिम्य (वैद्यक और जालुसेवशास्त्र) में सुबतान की विशेष रुचि थी। उसने दिल्ली में वादलसफा की स्थापना की थी और हमरे नगरों में भी सरकार की ओर से वादलसफा लुके थे, जहाँ रोगियों को मुफ्त दवा और भोजन मिलता था। गरीबों और बेकारों की सहायता के लिये दान-विभाग खुला हुआ था, जिसके मुख्य कार्यालय को दीयाने खैरात कहते थे। गरीब मुसलमानों की लड़कियों के विवाहों में सरकार की ओर से सहायता मिलती थी।

गुलामों को अपने संरक्षण में रखने और उनके भरण-पोषण में फिरोज की बड़ी रुचि थी। वह गुलामी-प्रथा को इस्लाम प्रचार का एक साधन भी मानता था, क्योंकि गुलाम विभिन्न रूप से सुसज्जमान हो जाते थे। गुलामों

की संख्या बढ़ते-बढ़ते एक लाख अस्सी हजार हो गयी। उनकी देखरेख के लिये एक स्वतंत्र विभाग बोलना पड़ा। सरकार के ऊपर यह एक बहुत बड़ा बोझ था। राजधानी में विकासिता और व्यभिचार फैलाने का यह एक प्रमुख साधन हो गया और राजनीतिक पद्धत का बहुत बड़ा अड़्डा।

(२) फिरोज की धार्मिक नीति

यदि फिरोज तुगलक की सारी प्रथा सुन्नी मुसलमान होती तो वह एक आदर्श शासक माना जाता। परन्तु उसके धार्मिक विश्वास ने उसकी शासन-पद्धति को प्रभावित के लिये संकीर्ण बना दिया। वह न केवल हिन्दुओं के लिये अनुदार था, परन्तु गैर-सुन्नी मुसलमानों के साथ भी। उसने स्वयं लिखा है 'साधारणतः हिन्दुओं के ऊपर क्रोध दण्ड को मीने मना किया, परन्तु उनके मन्दिरों और मूर्तियों को मीने तोड़ा और उनके स्थान पर अपनी मसजिदें स्थापित कीं।' मने मन्दिरों का धनागः उसने बन्द कर दिया। ब्राह्मण सभी तरह भजिया कर से मुक्त थे, परन्तु फिरोज ने उनके ऊपर भी जजिया कर लगाया। एक ब्राह्मण को उसने इसलिये जीवित बलबा दिया, कि उसने तुले आम अपने विश्वास के अनुसार पूजा करने का अपराध किया था। शिष्या मुसलमानों के साथ बह अपने बर्ताव का इस प्रकार बर्णन करता है। 'मीने उन सभी को पकड़ा और उनपर गुमराही का दोष लगाया। जो बहुत उस्ताही थे उनको मीने प्राणदण्ड दिया। मीने उनकी किताबों को आम जनता के बीच जका दिया और ईश्वर की रूपा से इस सम्प्रदाय का प्रभाव दब गया।' सच बात तो यह है, कि मुस्लिम जगत में अभी तक धार्मिक उदारता का पुग बहुत दूर था और फिरोज तुगलक इसका अपवाद नहीं था।

(३) फिरोज के अंतिम दिन और तुर्यस वंशज

फिरोज के अंतिम दिन बहुत ही दुःखमय थे। एक तो वह युवा हो बला था। दूसरे, उसके परिवार में उत्तराधिकार के लिये पटपत्र चल रहे थे। उसने अपने पोते तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी चुना। सन् १३५५ ई० में ८० वर्ष का बूढ़ा और जर्जर फिरोज इस संसार से चल बसा। इसके बाद उसके वंश की बही दसा हुई, जो पलयन के बाद गुलाम-वंश और अलाउद्दीन के बाद फिरोजी-वंश की हुई थी। फिरोज के दुर्बल उत्तराधिकारी जमीरों और सफरों के हाथों में खिलीने थे। फतह ज्ञा, अलबकर, मुहम्मद आदि कई सामक गरी पर बैठे। मुहम्मद का लड़का इमार्तु सिकन्दरशाह

परन्तु फिरोज की उदारता के कारण सेना में बहुत से दूरे और अपोग्य सैनिक घुस गये, जिससे सेना कमजोर पड़ गयी।

फिरोज तुगलक स्वयं बड़ा भारी विद्वान् न था और न मुहम्मद तुगलक के समान उसमें साहित्यिक प्रतिभा ही थी। फिर भी वह विद्या का प्रेमी था और उसके प्रचार के लिये उसने व्यवस्था की। अपने खंगूरी महल में वह विद्वानों को निर्मग्नण देकर बुलाता था और उनका उचित आदर करता था। होखों और विद्वानों को सरकार की ओर से वृत्तियाँ मिलती थीं। उसके दरबार में शिवाचरमी और समरो-सिराज, अफी, भादि प्रसिद्ध लेखक रहते थे। धर्म-विशाम और कामून पर उसके समय में कई एक ग्रन्थ लिखे गये। संस्कृत के बहुत से ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद कराया गया। सरकार की ओर से बहुत से मद्रसे खोले गये। पुरानी इमारतों और स्मारकों की रक्षा का फिरोज को बड़ा ध्यान था और इसके लिये उसने एक विभाग खोल रखा था। असोक के दो पत्थर के स्तम्भों को टोपरा और मेरठ से उद्यकर फिरोज ने उनको दिल्ली में खड़ा किया। उनमें से एक ब्राह्म भी फिरोज कोटला में खड़ा है। उसको नगर बसाने और इमारतों निर्माण करने का भी बड़ा शौक था। फिरोजाबाद, फतवाबाद, मौनपुर, हिसार, फिरोजपुर आदि कई नगर बसाये। फिरोज ने ४ मसजिदें, ६० राजमहल, २०० सरायें, ५ बड़े बछाहाय, ५ लीपचालय, १०० मकदरे, १० खानाबहार, १० स्मारक-स्तम्भ और १०० पुखों का निर्माण कराया। फिरोज ने भवनों की सुन्दरता पर भी काफी ध्यान दिया। उसके समय में कई एक नहरें और सड़कें भी बनायी गयीं। एक नहर यमुना नदी से निकलकर हिसार फिरोजा तक जाती थी और पूर्वी पंजाब को सींचती थी। उसने कई बगीचे भी खगवाये। स्वास्थ्य और औषध-विभाग पर सरकार खर्च करती थी। हिकमत और तिम्ब (बैद्यक और आयुर्वेदशास्त्र) में मुस्तान की विशेष रुचि थी। उसने दिल्ली में हायड्रोग्राफी की स्थापना की थी और दूसरे नगरों में भी सरकार की ओर से हाफाखाने खुले थे, जहाँ रीगियों को मुफ्त दवा और भोजन मिलता था। गरीबों और बेकारों की सहायता के लिये दान-विभाग खुला हुआ था, जिसके मुख्य कार्यालय को खीयाने खौरात कहते थे। गरीब मुसलमानों की लकड़ियों के विवाहों में सरकार की ओर से सहायता मिलती थी।

गुलामों को अपने संरक्षण में रखने और उनके भरण-पोषण में फिरोज की बड़ी रुचि थी। वह गुलामी-ग्रथा को इस्लाम प्रचार का एक साधन भी मानता था, क्योंकि गुलाम विभिन्न रूप से मुसलमान हो जाते थे। गुलामों

की संख्या बढ़ते-बढ़ते एक लाख अस्सी हजार हो गयी। उनकी बेचरोस के लिये एक स्वतंत्र विभाग खोलना पड़ा। सरकार के ऊपर यह एक बहुत बड़ा बोझ था। राजधानी में बिठासिता और ब्यभिचार फैलाने का यह एक प्रमुख साधन हो गया और राजनीतिक पद्धतंत्र का बहुत बड़ा अड़बा।

(२) फिरोज की धार्मिक नीति

यदि फिरोज तुगलक की सारी प्रजा सुधी मुसलमान होती तो वह एक आदर्श शासक माना जाता। परन्तु उसके धार्मिक विश्वास ने उसकी शासन-पद्धति को प्रमांदिष्ट के लिये संकीर्ण बना दिया। वह न केवल हिन्दुओं के लिये अनुदार था, परन्तु गैर-सुधी मुसलमानों के साथ भी। उसने स्वयं लिखा है 'साधारणतः हिन्दुओं के ऊपर कठोर दण्ड को मैंने मना किया, परन्तु उनके मन्विरों और मूर्तियों को मैंने तोड़ा और उनके स्थान पर अपनी मसजिदें स्थापित कीं।' नये मन्विरों का बनाना उसने यन्द् कर दिया। ब्राह्मण अभी तक जजिया कर से मुक्त थे; परन्तु फिरोज ने उनके ऊपर भी जजिया कर लगाया। एक ब्राह्मण को उसने इसलिये भीक्षित करवा दिया, कि उसने धुले आम अपने विश्वास के अनुसार पूजा करने का अपराध किया था। शिया मुसलमानों के साथ वह अपने वर्चस्व का इस प्रकार वर्णन करता है। 'मैंने उन सभी को पकड़ा और उनपर गुमराही का शोष लगाया। जो बहुत उत्साही थे उनके मैंने प्राणदण्ड दिया। मैंने उनकी किताबों को आम जनता के बीच उतका दिया और ईश्वर की कृपा से इस सम्रदाय का प्रभाव दब गया।' सब यात तो यह है, कि मुस्लिम जगत् में अभी तक धार्मिक उदारता का पुग बहुत दूर था और फिरोज तुगलक इसका अपवाद नहीं था।

(३) फिरोज के अन्तिम दिन और दुर्गल वंशज

फिरोज के अन्तिम दिन बहुत ही दुःसमय थे। एक तो वह पड़ा हो चला था। दूसरे, उसके परिवार में उत्तराधिकार के लिये पद्धतंत्र चल रहे थे। उसने अपने पोते तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी चुना। सन् १३८८ ई० में ८० वर्ष का बूढ़ा और चर्जर फिरोज इस संसार से चले पला। इसके बाद उसके वंश की वही दशा हुई, जो बलघन के बाद गुलाम-वंश और अलाउद्दीन के बाद तिलकी-वंश की हुई थी। फिरोज के दुर्गल उत्तराधिकारी अमीरों और सन्तों के हाथों में मिलीये थे। फतह खां, अबूएकर, मुहम्मद आदि कई शासक गद्दी पर बैठे। मुहम्मद का लड़का हुमायूँ सिकन्दरशाह

की उपाधि धारण कर गयी पर बैठे, किन्तु छह हफ्ते के बाद ही मार डाला गया। उसके बाद मुहम्मद का छोटा बच्चा महमूद गरी पर बैठा। इस समय तक दिल्ली की सशक्तता बहुत ही कमजोर हो गयी थी। जीरपुर, मालवा, गुजरात आदि सूबे स्वतंत्र हो गये। ऐसी परिस्थिति में १३९८ ई० में भारत के ऊपर तैमूर का आक्रमण हुआ।

४. तैमूर का आक्रमण

तैमूर एक तुर्क-वंश में उत्पन्न हुआ था। यद्यपि वह एक पाँच से लंबा था, परन्तु लड़कपन से ही उसके स्वभाव में अद्भुत सैनिक प्रतिभा और भयंकर क्रोधरता थी। उसकी गणना संसार के सैनिक विजेताओं में की जाती है। अपनी योग्यता से वह समरकन्द का खमीर हो गया और ३३ वर्ष की अवस्था में तुर्कों की चगताई-शाखा का बेतुख प्रहण किया। उसने बहुत जल्दी फारस, ईराक और पश्चिमी एशिया के देशों को रौंद डाला और अफगानिस्तान पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब उसके पड़ाव का सीधा रास्ता भारत की ओर संकेत कर रहा था।

(१) आक्रमण का कारण

भारतवर्ष बराबर मध्य-एशिया के भूखे और सुमरकन्द सुदूरों को अपनी ओर खींचता रहा है। भारत की सट्ट का आक्रमण तैमूर के लिये काफ़ी था। भारत के ऊपर चढ़ाई करने के सम्बन्ध में वह क्लिष्टता है—'हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करने में मेरा उद्देश्य है—काफ़िरों के विरुद्ध आक्रमण करना, पैगम्बर की आज्ञा के अनुसार उनको सन्धे धर्म में दीक्षित करना, मूर्ति पूजा और कुम्ह की अपवित्रता से देश को परित्र करना और मन्दिरों तथा मूर्तियों को तोड़ना, जिससे हम गाज़ी, मुजाहिद और ईश्वर के सामने धर्म के शीर्षक और प्रधारक बन सकें।' दिल्ली के सुल्तान हिन्दुस्तान के कुम्ह को दूर करने में असमर्थ थे, इसलिये तैमूर ने सुल्तान और हिन्दुओं दोनों को दण्ड देना आवश्यक समझा। उसके कामों को देखने से साफ़ हो जायगा, कि उसके उद्देश्यों में लोभ और धर्मान्धता मुख्य थे। वास्तव में दिल्ली सल्तनत की कमजोरी ने उसको इस देश में बुलाया। धर्म का प्रचार तो एक बहाना मात्र था।

तैमूर ने पहले सीमांत और पश्चिमी पंजाब पर आक्रमण करके मुसाफिर फाजुली को यहाँ का शासक बनाया; परन्तु यहाँ की जनता ने विद्रोह करके उसको मार डाला। इस समाचार को सुनकर वह हिन्दुस्तान पर इस प्रकार दृष्ट पड़ा जैसे भेड़िया भेड़ों पर। वह अरक, सुल्तान, दीपावपुर,

भरने, सरसुती होता हुआ दिल्ली के पबोस में पहुँच गया। रास्ते में उसने अशिकाब, मर-हत्या, अराबकता, अकाल और बीमारी का भीषण द्रव्य उपस्थित किया। दिल्ली पहुँचते-पहुँचते उसके पास एक लाख से अधिक बन्दी इकट्ठे हो गये, जिनको अपने-अमीरों की राय से उसने मरवा-झाका। अब तैमूर दिल्ली के पास पहुँच गया, तब सुल्तान महमूद और उसके सेनापति मल्लू इकबाल ने तैमूर से कबाई की तैयारी की, परन्तु उनके सिपाही इस तरह भागे जैसे सिंह के सामने से हिरण। तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया। 'यह ईश्वर की इच्छा थी, कि इस नगर को मष्ट किया जाय और इसके निवासियों को इन्ध दिया जाय...शुक्रवार की सारी रात लूट और अशिकाब जारी रहा...सारा राममहल मष्ट किया गया। मारे हुये हिन्दुओं के सिरों के सज्जन बनाये गये और उनके शरीर शिकारी जानवरों और बिरियों के छिमे फेंक दिये गये। जो हिन्दू पशु से बचे, वे बन्दी बनाये गये। कई हजार कारीगरों का अपहरण किया गया और तैमूर ने उनको अमीरों में बाँट दिया। पत्थर के काम करनेवाले कारीगरों को विजेता तैमूर ने समरकन्द में एक बिसाल मसजिद बनाने के छिये सुरक्षित रखा।' दिल्ली में तैमूर के नाम से खुशता पड़ा गया। दिल्ली के आसपास के प्रदेशों को उसने लूटा और बर्बाद किया। उत्तरी हिन्दुस्तान के बहुत बड़े भाग को मष्ट-मष्ट करने के बाद तैमूर ने सुल्तान के सूबेदार सिद्ध-साँको सुल्तान, बीपालपुर और लाहौर के सुबों का आगीरदार बनाया और स्वयं अपनी राजधानी समरकन्द को छोड़ गया।

(२) आक्रमण का परिणाम

दिल्ली की सक्षमता में जो अराबकता और बिज्रोह फैल रहे थे, उनको तैमूर के आक्रमण ने और बढ़ा दिया और सुल्तान की रही सही शक्ति और धादर भी जाता रहा। सक्षमता के टुकड़े-टुकड़े होने शुरू हो गये। तैमूर का आक्रमण वास्तव में एक भयंकर बीबी प्रकोप था। इसकी बख्शेता और दरदता से न केवल सक्षमता की कमर टूट गयी किन्तु प्रजा की भी पड़ी लबाही हुई। देश में अकाल और रोग फैल गये। मनुष्य और जानवर मरने लगे। खेती, उद्योग-धन्धे और व्यापार चौपट हो गये। सारी प्रजा अराबकता, रोग और भूत से ब्रुत थी। तैमूर के छोड़ जाने पर १३९९ ई० में सुहम्मद के बबरे भाई नुसरत शाह ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया, परन्तु इकबाल साँ ने फिर महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया। इस तरह अमीरों और सदरों के हाथों में दिल्ली की सक्षमता लिखबाब बन गयी।

१४१२ ई० में महमूद का देहान्त हो गया और इसके साथ ही भारत में तुर्कों का साम्राज्य भी नष्ट हो गया। दिल्ली के अमीरों और सरदारों ने दौलत खान को अपना नेता चुना। दिल्ली की स्थिति से छाम उठाकर मुल्तान का सूबेदार और खैरपुर का प्रतिनिधि खिज़्र खान दिल्ली पहुँचा। १४१४ ई० में दौलत खान को हराकर दिल्ली में उसने एक नये राजवंश की स्थापना की।



२१ अध्याय

दिल्ली सल्तनत का पतन

तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली की सल्तनत अपने पहले के रूप की चापमात्र थी। सल्तनत का बिखरना तो मुहम्मद तुगलक के अन्तिम दिनों में ही शुरू हो गया था। फिरोज तुगलक अपनी कमजोर नीति के कारण विभिन्न प्रांतों को फिर दिल्ली साम्राज्य में न मिला सका। उसके उत्तराधिकारी भीर भी कमजोर हुये और उनके समय में दिल्ली सल्तनत के तूरों के सूबे उससे बाहर निकल गये। तैमूर के आक्रमण ने विप्लव की जिया को और पूरा कर दिया। दिल्ली सल्तनत के रहे-सहे प्रांत भी स्वतंत्र हो गये। जिस समय मुवतान का सूबेदार खिज़्र खाँ दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उस समय दिल्ली सल्तनत का अधिकार केवल दिल्ली की आसपास की भूमि पर था। दिल्ली सल्तनत का उखार करना सरल काम न था। सैयद-वंश में इसके लिये विचकूल शक्ति न थी। खोदी-वंश कुछ अधिक शक्तिमान् था, परन्तु उसे बहुत थोड़ी सफलता मिली। सम १४१४ ई० से लेकर १५२६ ई० तक सल्तनत केवल दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेशों में ही टिमटिमाती रही। १५२६ ई० में जब भारत के ऊपर मुगल आक्रमण हुआ, तब वह उसका सामना न कर सकी और उसका अन्त हो गया।

१. सैयद-वंश

(१) खिज़्र खाँ

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, वह १४१४ ई० में दौकत खाँ को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और तथाकथित सैयद-वंश की स्थापना की। वास्तव में खिज़्र खाँ सैयद नहीं था। भारत में मुस्लिम सत्ता के प्रति गिरती हुई भ्रजा को फिर जगाने के लिये उसने अपने बंस को सैयद-वंश घोषित किया। वह अपनी कमजोरियों को समझता था और इन्हिलिये वह अपने को तैमूर का प्रतिनिधि कहता था। उसके सामने दो समस्याएँ थी—(१) यमुना-गंगा के दोआब में हिन्दू वर्गीयारों के विद्रोह को दपाना और (२) दिल्ली के आसपास के प्रांतों पर सल्तनत के छद्मकाले हुये आधिपत्य को

फिर से कायम करना। उसने पहले दहेलखण्ड, कम्प्ले, शालिपर, कन्नौज, इटावा, बियाना आदि पर अपनी सत्ता जमा ली। दिल्ली के आसपास मेवातियों ने बार-बार विद्रोह किया और पश्चिमोत्तर सीमा पर घबलरों के आक्रमण और लूट-पाट शुरू हो गये थे। अपने शासन के सात वर्षों में उसने इन विद्रोहों को दबाया। १४९१ ई० में बहामनीयार पदा भीर फिर न उठ सका। स्वभाव से लिख्त खाँ दयालु शासक था। उसने कभी भी अनाधरयक रक्षपाल नहीं किया, और न तो बड़का छेने के किये अथवा आतंक फैलाने के किये किसी पर अत्याचार किया। किन्तु उसके समय में राजनीतिक परिस्थिति इतनी डार्वोडोल थी कि न तो बहामनीयार से निकले हुये माम्तों को वापिस ले सका और न शासन में ही किसी भी प्रकार का सुधार कर सका।

(२) सुधारक शाह

१४९१ में बह गरी पर बैठ। सुधारक ने सवारों को अपने पद में करने के किये उनको जागीरें दीं; परन्तु प्रसन्न करने की नीति उस समय सफल नहीं हो सकती थी। उसके समय में भी जो-आस में विद्रोह हुये और पञ्जाब और सरहिन्द में अशांति मची रही। उपद्रवों को शांत करने के बाद सुधारक ने अपने शासन में सुधार करने का प्रयास किया। कई अमीर सरदार उसके विरुद्ध पक्षबंध करने लगे। एक दिन सुखतान अथ सुधारकावाद का गिरीफन कर रहा था, उसके वजीर सुझार ने उसका काम तमाम कर दिया।

(३) सुधारक के संशय

सुधारक के बाद सैयद-वंश के शासक विरुद्ध अवोय्य और निकम्मे थे। उनके समय में दिल्ली की सत्तजन भीर भी सुर्बल और जीण होती गयी। साथ ही माम्तों में विद्रोह और उपद्रव शुरू हो गये और सूयेशर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। ऐसी परिस्थिति में अन्तिम सैयद सुखतान अल्लाउद्दीन शाह शाह गरी पर बैठा। वह बहुत ही विष्ठासी तथा आलसी था। शासन की कठिनाइयों से वह बड़ा पचराता था। दिल्ली की इसा पक्षबंधों के कारण पेशीही होती जा रही थी। १४४० ई० में उसने लाहीर और सरहिन्द के अफगान सूयेशर सहजंज लोदी को मुलवाया और दिल्ली के शासन का भार उसे सौंपकर अपनी निजी जागीर बहापूर् में जा गया। धीरे-धीरे उसका मम्पह और पाक दिवली से विरुद्ध उठ गयी। १५४८ ई० में बहलोळ ने आकमशाह का नाम मुलतामी गुनपे से निकाल दिया और अपने को स्वतंत्र सुखतान घोषित किया।

२. लोदी-वंश

(१) बहलोल-लोदी

समस्याएँ—बिना समय बहलोल दिल्ली का सुल्तान हुआ उस समय सल्तनत की अवस्था बड़ी शोचनीय थी। उसके सामने कई समस्याएँ लगी थीं—

(क) अफगान सरदारों को सन्तुष्ट रखना और अपने विरोधी अमीरों का दमन करना। (ख) दो-आब और आसपास के प्रदेशों में सल्तनत की उन्नति हुई घाक को जमाना। (ग) स्वतंत्र हुए प्रायों को फिर से जीतना। (घ) दिल्ली सल्तनत के लिये अपने प्रतिद्वन्द्वी जौनपुर के शर्की सुल्तानों के साथ युद्ध।

अफगान सरदार आपसी समता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बड़े प्रेमी थे। वे इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि उन्हीं में से कोई एक सुल्तान बन जाय। सरदारों को सैनिक बल से बचाना सम्भव नहीं था, इसलिये बहलोल ने उनके साथ नरमी और शिष्टाचार की नीति का अवलम्बन किया। 'सामाजिक समाजों में वह कमी राजसिंहासन पर नहीं बैठता था और मैं अपने आने के समय अमीरों तथा सरदारों को खड़ा होने देता था।... सरदारों के साथ वह भाई-भारे का बर्ताव करता था।' बहलोल को सबसे अधिक ज़रूरत अपने बर्बर कमांडरुमुल्क से था। पहले झट्टी मछली से बहलोल ने उसका विश्वास प्राप्त किया, फिर अचानक पाकर उसे गिरफ्तार किया तथा जेल में डाल दिया। इस तरह सुल्तान ने अपने विरोधियों को एक-एक करके मरद किया।

दो-आब और आसपास के प्रदेशों में अपनी घाक जमाने में बहलोल को सफलता मिली। उसकी सैनिक शक्ति सैन्य सुल्तानों से कहीं अधिक थी। पिछले कई शासन-कालों से यह प्रदेश दिल्ली के अधीन होते-हुए भी उपद्रवों के घर बन गये थे। इन प्रदेशों के घास्त हो जाने से तुर्क-शासन में बहलोल को काफी सुविधा हुई। पश्चिमोत्तर प्रायत पर उसने विशेष ध्यान रखा। स्वयं उसकी शक्ति का आधार उधर ही था। पादरी आक्रमणों से सल्तनत की वसा के लिये भी सीमान्त को अपने अधिकार में रखना आवश्यक था। वह न केवल पंजाब और सीमान्त को अधीन करने में सफल हुआ किन्तु म्वाकिवर, मेवात तथा सिन्ध को भी अपने अधिकार में कर दिया। इससे बहलोल की घाक जम गयी।

जौनपुर के साथ युद्ध के दो मुख्य कारण थे—(१) वहाँ का सुल्तान

महमूदशाह अख्तियार सैयद सुल्तान अलौतद्दीन आकमशाह का बाम्बाद था। वह समझता था, कि दिल्ली की गद्दी पर उसका दावा है। (२) जो अक़्बिमान राज्यों की प्रतियोगिता थी, जो एक दूसरे के अस्तित्व को सहन नहीं कर सकते थे। महमूद ने अपनी स्त्री की प्रेरणा से दिल्ली पर चढ़ाई की; परन्तु कुछ जमीनों के बीच-बचाव करने से दोनों पक्षों में सन्धि हो गयी। जब महमूद के कुछ दिनों के बाद हुसैनशाह जौनपुर की गद्दी पर बैठा तो, जौनपुर और दिल्ली का सम्बन्ध बहुत जराब हो गया। बर्मासाग लड़ाई हुई, परन्तु अन्त में हुसैनशाह हार गया। बहलोल जौनपुर पहुँचा। उसने हुसैन को जौनपुर से निकाल दिया और अपने लड़के बाराक को जौनपुर का शासक बनाया। इस प्रकार पश्चिम में पंजाब से लेकर जौनपुर और उत्तर में सरहिन्द से लेकर ग्वालिपर तक बहलोल ने सशतमत्त का आधिपत्य फिर स्थापित कर लिया। १४६८ ई० में वह उजर से बीमार पड़ गया और जंगलों में उसका वेदान्त हो गया।

२. सिफन्दर लोदी

(अ) प्रारम्भिक जीवन और राज्यारोहण

बहलोल लोदी की एक सुनार आठि की स्त्री से सिफन्दर पैदा हुआ था। उसके बचपन का नाम निजामुद्दीन लोदी था। शुरू से ही वह बड़ा योग्य तथा बलशाली मास्त्रम पड़ता था। उत्तराधिकार के लिये जो लड़ाई हुई, उसमें उसने बाराकशाह को हरा दिया। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर उसने सिफन्दर की अर्पाधि धारण की।

सिफन्दर ने सबसे पहले राज्य के संरक्षण तथा पुनरुत्थान पर ध्यान दिया। पहले अपने भाई बाराक से उसे निपटना पड़ा। बाराक सिफन्दर से असन्तुष्ट था और जौनपुर में उसने सुल्तान की अर्पाधि धारण की। लड़ाई में बाराक हारा। सिफन्दर ने उसको एक बार जमा किया। बुबारा उसने जब फिर विद्रोह किया तो उसको हराकर सिफन्दरला ने जमाखला सारंगरानी को जौनपुर का सूबेदार बनाया। बंगाल के मुस्लिम सूबेदार से भी सिफन्दर की लड़ाई हुई और सन्धि की शर्तों के अनुसार बिहार का बहुत बड़ा भाग दिल्ली सशतमत्त में मिला लिया गया। सिफन्दर आसपास के राजपूत राज्यों में से धौलपुर, नरवर और चन्देरी को दराने और उनसे वार्षिक कर वसूल करने में सफल हुआ। परन्तु रजपूतों और ग्वालिपर के विरुद्ध उसे सफलता नहीं मिली। ग्वालिपर का राजा मानसिंह

इस समय बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसी के साथ युद्ध की तैयारी में १५१० ई० में सिकन्दर बीमार पड़ा और मर गया।

अफगान अमीरों तथा सरदारों के साथ बहुछोटा ने नरमी का व्यवहार किया था। किन्तु सिकन्दर ने उनके साथ कड़ाई की। निरीक्षण करने पर उसे मालूम हुआ कि अफगान आगीरदारों ने वर्षों का कर सरकारी खजाने में जमा नहीं किया था। सिकन्दर ने उनसे घकाया कर वसूल करने का प्रयत्न किया। अफगान सरदार इससे बहुत ही अप्रसन्न हुये और मुहम्मद के विरुद्ध पक्षबन्ध करने लगे। सिकन्दर ने बड़ी सावधानी तथा सतर्की से इन पक्षपंथी को रूखाया। इसके बाद उसने कब्रहार, हदाबा, कोयल, सम्भल, मियामा, आदि स्थानों में हिन्दू राजाओं तथा अफगान आगीरदारों का वसन किया। इस सिलसिले में सिकन्दर ने अनुभव किया कि इन प्रायों को बस में रखने के लिये दिल्ली के इतिहास में भी सल्तनत का एक केन्द्र होना चाहिये। इस विचार से उसने १५०३ ई० में पमुना के किनारे आगरा नामक नगर बसाया और अपनी फौजी छावनी स्थापित की।

दिल्ली के अन्तिम मुहम्मदों में शासन की दृष्टि से सिकन्दर सबसे अधिक योग्य था। शासन के दौरे और नीति में उसने कोई मौखिक परिवर्तन नहीं किया, किन्तु समय की बिगड़ी हुई परिस्थिति में राज्य-प्रबन्ध को केन्द्रित करने और अपने अधिकार को ठे जाने में वह सफल रहा। आगीरदारी-प्रथा को उसने तोड़ा नहीं, परन्तु उसने आगीरदारों पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखा। उनके हिसाब-किताब की जाँच-पड़ताल की, तथा उनसे नियमित कर वसूल किया। उसके करमान सल्तनत के सभी भागों में समय-समय पर पहुँचाते थे, जिनसे प्रजा के ऊपर राज्य का आतंक तथा घबराहट बर्दाश्त हो जाती थी, जिनसे प्रजा के ऊपर राज्य का आतंक तथा घबराहट बर्दाश्त हो जाती थी। सूबेदारों तथा आगीरदारों की सेना से भी सम्पर्क रखता था। सरकार की आर्थिक अवस्था पर उसका विशेष ध्यान था। उसने आप-भ्यम की जाँच कराई। हिसाब-किताब के मामले में किसी के साथ वह रियायत नहीं करता था। गरीब किसानों तथा गरीब व्यापारियों की रक्षा का भी प्रबन्ध किया और जनता के ऊपर से सरकारी जुँगी उठा दी। सिकन्दर की न्याय-व्यवस्था में काफी कड़ाई थी। प्रजा के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिये पुलिस-विभाग का भी संगठन किया तथा अपराधों का पता लगाने के लिये गुप्तचरों की नियुक्तियाँ कीं। मुहम्मद प्रतिवर्ष गरीबों और अशक्त लोगों की एक सूची तैयार करता था और वर्ष में १ माह के लिये उनकी जीविका का प्रबन्ध करता था। पत्नों के बबस्तर पर कैदियों को बह जेठ से छोड़ देता था।

किसी की आगीर बिना किसी विचार के नहीं घुमी जाती थी और न तो किसी प्रचलित प्रथा का ही भंग होता था।

(भा) धार्मिक अनुदारता

सिकन्दर यद्यपि एक योग्य शासक था, परन्तु उसकी धार्मिक-नीति अनुदार, संकीर्ण और पक्षपातपूर्ण थी। फिरोज-तुगलक की तरह बड़ भी हिन्दू माता से उत्पन्न हुआ था, परन्तु अपने नये धर्म के प्रति बहुत उत्साही होने के कारण उसने हिन्दुओं के साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया। उसने राम्य की धर्मसांघिक नीति का फिरोज से भी अधिक बढ़ता के साथ पालन किया। मथुरा, पौलपुर, नागौर आदि स्थानों में उसने मन्दिरों और मूर्तियों आदि का विध्वंस किया। उसके समय में मन्दिर बनाने का कड़ा निषेध था। हिन्दू अपने बहुत से पवित्र घाटों पर नहीं नहाते थे। हिन्दुओं को दाढ़ी और मूँछ बनाने की मनाही थी। अनुदारता में यह औरंगजेब से भी आगे था। बंगाल के एक ब्राह्मण ने खुसे आम इस बात को कहा कि इस्लाम तथा हिन्दूधर्म दोनों ही सच्चे धर्म हैं और वास्तव में वे दो मार्ग हैं, जिनके द्वारा ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है। इसपर कहर मुसलमान बहुत अप्रसन्न हुए। सिकन्दर ने बंगाल के सूबेदार को आज्ञा दी कि अपराधी को सबर अदम्यत दिखली में भेज दे। सिकन्दर ने क्रात्रियों व मुस्ताभों से पूछा कि ब्राह्मण को ऐसा प्रचार करने का अधिकार है या नहीं? उन्होंने उत्तर दिया कि जब ब्राह्मण ने इस्लाम की सच्चाई को मान लिया है, तो उसे या तो इस्लाम स्वीकार करना चाहिये या मृत्यु। सिकन्दर को यह निर्णय पसन्द आया और उसने ब्राह्मण को मृत्युदण्ड दिया, क्योंकि उसने अपने धर्म को छोड़ने से इनकार कर दिया था।

(३) इब्राहीम लोदी

(अ) स्वभाव और असफलता

१५१० ई० में सिकन्दर के मरने के बाद उसका सड़का इब्राहीम गरी पर बैठा। उसके गरी पर बैठने के साथ ही सशतनत में विद्रोह आरम्भ हो गये। सिकन्दर न अपनी सैनिक शक्ति और कठोरता के द्वारा विद्रोही शक्तियों को दबा गया था। इब्राहीम योग्यता और चरित्र में अपने पिता से बहुत निचली श्रेणी का था। उसने अपने पगण्डी, बिड़पिड़े और ट्टी स्वभाव के कारण अपने स्वाभिमान और रक्तधताप्राप्त भमीरों और सदाँरों को असन्तुष्ट कर दिया। सशतनत के बहुसंघर्षक विद्वानी हिन्दू सिकन्दर की धर्माश्रयता से अप्रसन्न थे

और अपने पवित्र धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं पर बर्खास्त करनेवाले विदेशी शासन को दृष्टि से देखते थे। वे अक्सर की ठाक में बैठे थे। सल्तनत के नागीरदारों और जमीन्दारों में भी सल्तनत की अवहेलना का भाव बढ़ता जा रहा था। इम्राहीम के सामने समस्या फटित थी। उसके पास इसका हक नहीं था, क्योंकि न तो वह काफी शक्तिमान था, न उदार और न नीति-निपुण ही। इसलिये इम्राहीम के समय में कबलवासी हुई सल्तनत एक ही विदेशी आक्रमण के सामने गिर गयी।

(भा) शासन-व्यवस्था

इम्राहीम राज्य की एकता और संगठन को समझा न सका, फिर भी वह प्रजा की भलाई पर ध्यान देता था। उसके समय में खेती की अवस्था बहुत अच्छी थी। अनाज बहुत होता था और बहुत सस्ता मिलता था। सरकार अनाज के रूप में ही मूमि-कर बसूल करती थी और सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी अनाज के रूप में दिया जाता था। कोई भी अच्छा कर्मचारी ५ टंकर मासिक पर मिल सकता था। अनाज की सस्ती केवल प्रजा-हित की दृष्टि से ही नहीं किन्तु शासन की सुविधा की दृष्टि से भी थी। शासन के किसी और क्षेत्र में सुधार अथवा परिवर्तन नहीं हुआ।

(इ) सरदारों में असन्तोष

खोदी-वंश के अफगान सरदार इम्राहीम से बहुत असन्तुष्ट थे। उन्होंने पहलंज करके इम्राहीम के भाई जलाल को अपनी ओर मिटा दिया। वह काठपी का सूबेदार था और अफगान सरदारों की सहायता से उसने जौनपुर पर अधिकार कर लिया और मुस्तान होने का दावा किया। इम्राहीम ने उसको दबाया और उसका बध कर दिया। इम्राहीम ने अपने पिता की नीति का अनुसरण करते हुये अफगान सूबेदारों और अमीरों के साथ असामयिक और अनुचित कड़ाई का व्यवहार किया। इन सरदारों में से दूरियादों के लड़के महमूदशाह ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और मुहम्मदशाह के नाम से सिक्के भी चलाये। पंजाब के सूबेदार दौलत खाँ के साथ इम्राहीम का दुर्व्यवहार घातक सिद्ध हुआ। इम्राहीम ने दौलतखाँ को अपने दरबार में बुलाया। अपने अपमान की भावना-से उसने अपने पुत्र दिवावरखाने को दिल्ली भेजा।— जिसके साथ इम्राहीम ने बड़ा दुर्व्यवहार किया। इम्राहीम के शासन में दौलतखाँ को अपने सम्मान और सुरक्षा का भरोसा न रहा। उसने अपने लड़के दिवावरखाने को काबुल के मुगल शासक बाबर के पास भारत

पर आक्रमण करने के लिये विमंत्रण भेजा, जो उत्सुकता से ऐसे अवसर की बात सो रहा था।

(ई) मुगल-आक्रमण

१५१९ ई० में दिल्ली के ऊपर बाबर का आक्रमण हुआ। इसके सामने बिलहरी और कमजोर दिल्ली की सशक्त ठहर न सकी। इमाहीम युद्ध में मारा गया और उसके बंश का अन्त हो गया।

३. दिल्ली सल्तनत का विघटन : उसके कारण

दिल्ली सल्तनत के ह्रास और पतन के कई कारण थे। एक कारण आन्तरिक था, जो सल्तनत के स्वरूप और रचना में ही वर्तमान था और उसके रहते हुये सल्तनत कभी स्थायी नहीं हो सकती थी। दूसरा कारण तात्कालिक था जो उस समय की परिस्थिति से उत्पन्न हुआ था।

(१) दिल्ली सल्तनत का सैनिक स्वरूप

दिल्ली सल्तनत का स्वरूप सैनिक था। सेवा के बल पर यह स्थापित हुई थी, और अन्त तक उसी पर अवलम्बित थी। सुबतानों का एकमात्र उद्देश्य था, किसी भी प्रकार से भारतवर्ष पर अपना अधिकार जमाना और कठोर से कठोर साधनों के द्वारा प्रजा को दया रक्षना। यह ठीक है कि मध्यकाल में शासन-प्रणाली में प्रजा का ह्रास नहीं होता था, फिर भी कोई योग्य और दूरदर्शी शासक जनमत और जनता की सदासुभूति की अवहेलना नहीं कर सकता था। एक ही सुबतानों को छोड़कर किसी में भी प्रजा हित की ओर ध्यान नहीं दिया। प्रजा सल्तनत को भातंक, भय और पूजा के साथ देखती रही और उसके अन्त की कामना करती थी।

(२) विदेशीयता

सल्तनत का विदेशी बाना भी उसके विनाश का कारण हुआ। सुबतानों ने भारतीयों के आदर्शों, विचारों और भावनाओं से कभी भी सदासुभूति न लिया। जो कोई शासक या द्याप में आकर मुसलमान हो जाता था, उसी के साथ मुस्लिम शासक अपना सम्बन्ध रखते थे। परन्तु बहुमतवक हिन्दू जनता के साथ उनकी कोई आत्मीयता न थी; यहाँ तक कि हिन्दी-मुसलमानों और बाहरी-मुसलमानों में भी भेदभाव था। ऐसी परिस्थिति में सल्तनत की जब भारत-भूमि में दूर तक नहीं जा सकती थी।

(३) विधर्मीयता

दिल्ली के सुल्तान भारतीय धर्म से भिन्न धर्म को मानते थे। उनका राज्य भी धर्मताम्रिक था। वे अरब में विकसित इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार भारतीय प्रजा पर शासन करते थे। मुस्लिम और गैर-मुस्लिम का भेद भी बड़ा था, और इसके कारण सामान्य प्रजा के साथ न्याय नहीं हो सकता था। दिल्ली के सुल्तानों ने अपने धर्म इस्लाम को भारतीय प्रजा पर छावने की भी कोशिश की और धर्म-प्रचार के नाम पर बड़े-बड़े अत्याचार हुए। इस प्रकार से अपमानित और पीड़ित प्रजा से सल्तनत सहयोग और सहायता की आशा कैसे कर सकती थी ?

(४) ढीला संगठन और विकेन्द्रीकरण

सल्तनत का ढीला संगठन और विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति भी उसके पतन में सहायक सिद्ध हुई। बड़े साम्राज्य को सगृहणने के लिये सल्तनत का संगठन ठीक न था। दूर-दूर के प्रांत जब भी अक्सर पाठे थे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे। सुल्तान-पद की अस्थिर कल्पना, अफगानों का स्वातन्त्र्य-भ्रम और आगीरदारी-प्रथा भी विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाती थी।

(५) परस्पर झगड़े और पङ्क्यंत्र

मुस्लिम राजवंशों, अमीरों, सरदारों, सूबेदारों और आगीरदारों के आपसी झगड़ों और पङ्क्यंत्रों ने सल्तनत को भीतर से कोरछा कर दिया। जब तक मुसलमान हिन्दुओं से लड़ते रहे, तब तक उनमें एकता थी। जब मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में हो गयी-तब मुसलमानों में-व्यक्तिगत स्वार्थ और महारजाकांक्षा की भावना बढ गयी। इसका फल यह हुआ कि राजधानी और प्रांतों में समी अराह पङ्क्यंत्र और संघर्ष होने लगे और सल्तनत क्षिन्न-भिन्न होती गयी।

(६) नैतिक और शारीरिक पतन

भारत में आने के बाद मुसलमानों का नैतिक और शारीरिक पतन भी हुआ। जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया, तो उनमें धार्मिक भावना और उत्तेजना थी और वे अपने विश्वास के अनुसार त्याग और बलिदान करने को भी तैयार थे। धीरे-धीरे भारतीय नगरों और मन्दिरों की सूझ, मुक्त की सम्पत्ति, दास-प्रथा और इनसे उत्पन्न हुई विहासिता ने मुस्लिम धासकों और सैनिकों की धार्मिक भावना को क्षिणित कर दिया और उनके

पारीर को दुर्बल । इसलिये वे कठिन राजनीतिक और सैनिक परिस्थितियों को सहाल नहीं सके ।

(७) हिन्दुओं से संघर्ष

भारत की हिन्दू जनता का सशतनत से परापर संघर्ष चकता रहा । पशिया और अफ्रिका के और देशों में अहाँ इस्लाम की सेना गयी, वहाँ की प्रायः सारी जनता ने इस्लाम ग्रहण कर लिया । इससे न केवल इस्लाम की धार्मिक विजय हुई, किन्तु उसकी राजनीतिक समस्या भी हल हो गयी । परन्तु भारत में उस समय एक दूसरा ही धरम था । इस्लाम अपने कठोर आक्रमणों और अत्याचारों से भी न तो सारे देश को जीत सका और न विजित प्रदेशों की सारी जनता को सुसहमान बना सका । देश की बहुसंख्यक जनता ने अपना राजनीतिक और धार्मिक समर्पण कभी सुसहमानों के भागे नहीं किया । सशतनत के विभाष का यह बराबर प्रयत्न करती रही ।

(८) मुहम्मद तुगलक की योजनायें और फिरोज की दुर्बल नीति

मुहम्मद तुगलक की असफल योजनायें और फिरोज की दुर्बल नीति ने साम्राज्य के ढाँचे और शक्ति को कमजोर बना दिया था । मुहम्मद तुगलक की योजनाओं से प्रजा को बड़ा कष्ट हुआ और सरकारी शक्ति और साधनों का अपव्यय । यदि मुहम्मद तुगलक का उपराधिकारी कोई शक्तिमान शासक होता तो परिस्थिति सुधर भी जाती । परन्तु फिरोज तुगलक की धार्मिकता और स्वभाव की दुर्बलता ने सशतनत के विघटन को प्रोत्साहन दिया ।

(९) दुर्बल घंटाज

फिरोज तुगलक के बाद के दुर्बल और अयोग्य सुरताओं में राज्य-संगठन और राज्य-संचालन की क्षमता न थी और वे बिचरते हुए साम्राज्य को सहाल नहीं सके ।

(१०) विदेशी आक्रमण

इस परिस्थिति में विदेशी आक्रमणों ने सशतनत की जड़ टिका ही और उसका अन्त कर दिया । तैमूर के आक्रमण से सशतनत को इतना बड़ा धक्का लगा कि फिर उसका पुनरुत्थान न हो सका । १५१९ ई० में तैमूर के संतज पावर का आक्रमण सशतनत के छिपे घातक मित्र हुआ । यह उतके सामने ऐसी गिरी कि फिर उठ न सकी ।

४. प्रांतीय मुस्लिम राज्यों की स्थापना

बय सत्ततत का का हास शरु हुआ तब उसके पूर के सूवों में मुस्लिम सूवेदारों और सरदारों ने विद्रोह किया और सत्ततत से अलग होकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। इनमें से कुछ राज्य तो बड़े सक्तिसाठी और प्रसिद्ध हुए और उन्होंने राज्य-शासन, साहित्य, कला आदि के विकास में काफी योग दिया।

(१) बंगाल

बंगाल पहले सत्ततत का सूवा था। १३७० ई० में बर्हो का सूवेदार इलियासखान स्वतंत्र शासक हो गया। वह बहुत योग्य शासक था। उसके पुत्र सिकन्दर को इमारतें बनाने का बड़ा शौक था। उसने अपनी मयी राजधानी पाण्डुवा को कई सुन्दर मकानों से सुशोभित किया। उनमें से अदीना मसजिद बंगाल में मुस्लिम वास्तु-कला का बहुत सुन्दर नमूना है। इलियास के बंशजों को दवाकर हिन्दू राजा गणेश अथवा कंस ने बंगाल के ऊपर कुछ दिनों तक शासन किया। परन्तु उसके बंशज मुसलमान हो गये। कुछ दिनों के बाद अरब सैयद हुसैनशाह ने एक नया राजवंश चलाया। वह बड़ा योग्य और लोकप्रिय शासक था। उसका लड़का नुसरत १५१६ में बाघ के आक्रमण तक जीवित था और उसने मुगल विजेता से सन्धि कर ली। बंगाल के मुस्लिम शासकों में कई एक बिधा के प्रेमी और कला के आभ्यस्ता हुए। उन्होंने बहुत सी मसजिदें, मकबरीयों जिनके ऊपर हिन्दू स्थापत्य-कला का प्रभाव है। उन्होंने फारसी और अरबी के अध्ययन के साथ-साथ बंगाली साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। नुसरतशाह की आशा से महाभारत का बंगाली अनुवाद किया गया।

(२) जौनपुर

दूसरा प्रसिद्ध मुस्लिम राज्य जौनपुर का था। १३६० ई० में फिरोज तुगलक ने बंगाल की चढ़ाई से छीटते समय पुराने हिन्दू नगर के स्थान पर जौनपुर को अपने भाई जूनाखान के नाम पर बसाया था। १३९० ई० में तैमूर के आक्रमण के बाद यहाँ का सूवेदार खयाजा अर्हान स्वतंत्र हो गया और उसने अताबक-ए-जाबल की उपाधि धारण की। १४०९ ई० में सिकन्दर कोवी ने फिर जौनपुर को अपने अधिकार में लिया, किन्तु इसके बाद जौनपुर की अवस्था फिर विद्रोहात्मक हो गयी। जौनपुर के सन्धी-सुस्तान बिधा और कला के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने अरबी और फारसी के अध्ययन और प्रचार की व्यवस्था की। इमामीय के समय में जौनपुर अपनी बिधा के

लिये प्रसिद्ध था। हुसेनशाह संगीत का पड़ा भारी शौकीन था। जौनपुर के मुसलमानों की सबसे बड़ी देन उनकी वास्तु-कला है। उन्होंने बहुत से राजमहल, मकबरे और मसजिदें बनवायीं। उनकी मसजिदों में अताउद्दीनी-मसजिद आज भी सुरक्षित है। १४०८ ई० में अहमदिका देवी के मन्दिर को गिराकर इमामादीन ने इस मसजिद को बनाया था।

(३) मालवा

मालवा में परमार राजाओं की शक्ति गट्ट होने पर १२३५ ई० में पहले पहल इल्तुतमिश ने उम्मेद पर आक्रमण किया और मदाफाल के मन्दिर को तोड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मालवा दिल्ली सल्तनत में शामिल हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद फिरोज तुगलक के आगीरवार दिलावरखाँ गोरी ने मालवा में अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की और चार अपनी राजधानी बनायी। उसके लड़के अकफला ने गुर्दांगशाह की पक्षी चारण की। चारा दिल्ली और दौलताबाद को मिटाने वाले रास्ते पर पड़ती थी। इसलिये उसने अपनी राजधानी मांडो (मांडवगढ़) में हटा ली। उसको इमारतों का पड़ा शौक था, इसलिये उसने कई सुन्दर भवनों से मांडो को अलंकृत किया। गुजरात के आक्रमणों से मालवा की स्थिति गड़बड़ हो गयी। गुर्दांगशाह का लड़का बिरहुल अयोग्य और बिकरती था। उसके मंत्री महमूदखाँ ने उसे बिय देकर मार डाला और १४३६ ई० में मालवा का मुस्तान बन बैठा। महमूदखाँ खिलजी तुर्क था। वह योग्य और श्वायसिप शासक था। वह दिल्ली का मुस्तान बनना चाहता था, परन्तु बहुलोक की सैयारी और गुजरात के इबाब के कारण उसे सफलता नहीं मिली। मेवाड़ का राजा कुम्भा महमूद का कहर शाय था। राजा कुम्भा ने उसको हराकर बिचीड़ में एक विशाल विजय-स्तम्भ बनवाया जो आज भी बर्चमान है। महमूद के उत्तराधिकारियों का इतिहास उनकी विध्वंसिता और पतन की कहानी है। महमूद का लड़का, गयासुद्दीन बिरहुल बिकरती था। उसके पुत्र नासिरुद्दीन ने उसे बिय देकर मार डाला। नासिरुद्दीन भी पड़ा अत्याचारी और बिकरती निकला। उसके दरम में १५०० खिपी थीं। जब वह धराब के नशे में जल-विहार के क्रिये उज्जैन के अम्बियह नामक झील में उतरता था, तो किसी को इस बात का साहम नहीं होता था कि उसे बाहर निकाले। अन्त में वह अपनी जल-विहार में डूबकर मर गया। उसके बाद मालवा की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गयी और वहाँ पर राजपूतों का प्रभाव बढ़ गया। इस बात को मुस्तान अमीर पतमद

नहीं करते थे। राजपूतों के विरुद्ध माळवा के सुल्तानों ने गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह से सहायता मांगी। १५३१ ई० में सहायता के बदले बहादुरशाह ने माळवा पर अधिकार कर लिया।

परमार राजाओं के समय में माळवा के तीन प्रसिद्ध नगर—घारा, उज्जैन और माण्डवगढ़, विद्या और कला के केन्द्र थे। उनमें अनेक मन्दिर, विद्यालय, राजप्रासाद, जपवन और सरोवर बने हुए थे। उनको नष्ट करके मुस्लिम शासकों ने जो कुछ बनाया वह अपेक्षाकृत बहुत कम है। घारा और उज्जैन में उनकी कृतिपूर्ण सुरक्षित नहीं हैं। किन्तु मांडो में उनके कुछ समूचे पाये जाते हैं। जामा मस्जिद, हिंडोळा-महल, बहाब-महल, कुसंगसाहब मंडवरा, बाराबहादुरसुपमती के महल मांडो के प्रसिद्ध स्मारकों में से हैं। ये प्रायः दिल्ली की मुस्लिम वास्तुकला के अनुकरण पर बने हैं।

(४) गुजरात

अकबर की दिल्ली ने १२९० ई० में गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाया और तैमूर के आक्रमण के समय तक वह दिल्ली सल्तनत का एक सूबा बना रहा। गुजरात के सूबेदार अफरखां ने १४०१ ई० में अपने को दिल्ली सल्तनत से बिरुद्ध स्वतंत्र कर लिया और अपने बड़े चातारखां को नासिरुद्दीन मुहम्मदखां की उपाधि देकर गुजरात का सुबतान बनाया। इस बंस का पहला शक्तिमान और प्रसिद्ध शासक अहमदशाह था। उसने साबरमती के बायें किनारे अहमदाबाद नाम का नगर बसाकर उसको अपनी राजधानी बनायी। वह सफल योद्धा और योग्य शासक था। उसकी सेनायें माळवा, जसीरगढ़, राजपूताना और आसपास के प्रदेशों में बराबर सफल रहीं। धार्मिक मामलों में वह छिरोत्र तुगलक के समान अनुदार था। वह धार्मीकन हिन्दू मन्दिरों और मूर्तियों को तोड़ता और बलात् हिन्दुओं को मुसलमान बनाता रहा। अहमदशाह के पाप उसका पोता सुकतान महमूद-येगाद (दो गढ़—धम्पानेर और जूनागढ़ जीतनेवाला) ५२ वर्ष तक राज्य करता रहा। वह अपने बंस का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह बड़ा भीमकाय और हीर्षाहारी था। उसने जूनागढ़ और धम्पानेर पर अपना अधिकार समाया। अन्तर्प्रान्तीय राजनीति में उसने बहमनी सुल्तान निजामशाह को माळवा के सुबतान महमूद खिलजी के आक्रमण से बचाया। उसी के समय में पुर्तगाळी पश्चिमी समुद्र के किनारे जाये। इस घटना की गर्भरता को महमूद समझता था। उसने एक लकड़हस्त जल-सेना का निर्माण किया और पुर्तगाळियों को हराया। किन्तु फिर दूसरी बहाजी छड़ाई में

पुर्नगाड़ी सेनापति अछबुकक ने उसमें डूब को चीन किया। महमूद-फेगड़ के बाद गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान बहादुरशाह हुआ। मेवाड़ और दूसरे राजपूत राज्यों से उस का युद्ध चलता रहा। मालवा को जीतकर उसमें अपने राज्य में मिला लिया। १५३९ ई० में वह मुगल बादशाह हुमायूँ से हार गया और गुजरात की स्वतंत्र सल्तनत का अन्त हो गया।

(५) सिन्ध, मुस्तान और काश्मीर

यहाँ भी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। इन प्रांतों में काश्मीर का इतिहास मनोरमक है। अन्तिम लोहार राजा सुहदेव के मुस्लिम सेनापति शाहमीर ने १३३९ ई० में काश्मीर में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। गरी पर बैठकर उसने शामसुद्दीन की उपाधि धारण की। काश्मीर के शासक दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र बने रहे। काश्मीर के मुस्लिम शासकों में सिकन्दर (१३८९-१४०९) सबसे अधिक चर्चा में था। उसने अनेक सुन्दर मस्जिदों और बिहारों का बस किया और काश्मीर की अधिकांश जनता को इस्लाम स्वीकार करने के लिये विवश किया। किन्तु सिकन्दर के ही वंश में जैन-उल-आयद्दीन नाम का दूसरा मुस्लिम शासक (१४१०-१४३० ई०) हुआ, जो बड़ा ही योग्य, सदाचारी और धार्मिक मामलों में बड़ा ही उदार था। उसके राज्य में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। गैर-मुस्लिमों पर से जकिया कर उठा दिया गया। सिकन्दर द्वारा निर्वासित ब्राह्मणों को वापस काश्मीर बुलाया गया। हिन्दू मन्दिरोँ के निर्माण और जीर्णोद्धार की भी अनुमति दी गयी। उससे गोवध बन्द किया। साहित्य, चित्रकला और संगीत को प्रोत्साहन दिया। संरक्षण, अरबी और फारसी के अनेक ग्रंथों का अनुवाद उसने करवाया। अकबर के पहले तक काश्मीर का राज्य स्वतंत्र बना रहा।

(६) दक्षिण

जिस तरह उत्तर भारत में कई प्रांतीय मुस्लिम राज्यों की स्थापना हुई, उसी तरह दक्षिण भारत में भी खानदेश में, जो भौगोलिक और नैतिक दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण था, फ़िरोज़ तुगलक की शक्ति के बाद स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना हुयी। इसका संस्थापक महिद कानही था। अकबर के पहले तक यह राज्य भी स्वतंत्र रहा। यहाँ के शासकों ने चादरी युद्ध में बहुत कम भाग लिया, अतः खानदेश राज्य में उद्योग धर्मों की वृद्धि हुई और प्रजा सुखी थी।

दक्षिण का सबसे प्रसिद्ध मुस्लिम राज्य यहमनी-राज्य था। मुहम्मद तुगलक की योजनाओं की असफलता के कारण दक्षिण में विद्रोह हुआ। इस समय दक्षिण के मुसलमानों में दो दल हो गये थे। सुन्नी और शैबी मुसलमानों का एक दल था और विदेशी भूमिओं का दूसरा। विदेशी जमीनों में अधिकांश दिया ये भी वे ईरान से लाये थे। धीरे-धीरे दक्षिण में उनका एक गुट बन गया। दिल्ली की सुन्नी सल्तनत से वह गुट स्वतंत्र होना चाहता था। मुहम्मद तुगलक के शासन-काल में उसके यह अबसर मिला। विदेशी गुट ने इस्माइल मलिक को अपना सुल्तान चुना और एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा की। इस्माइल राज्य से उदासीन था, इसलिये १३४० ई० में हुसम नामक एक योग्य सैनिक उसकी जगह दक्षिण का सुल्तान चुना गया। बही यहमनी बंस का संस्थापक था। वह अपने को ईरान के बादशाह यहमन-बिन-इस्फंदियार का वंशज मानता था, इसलिये उसने अपने वंश का नाम बहमनी रखा। इस बंस में हुसम के बाद मुहम्मद मुजाहिदशाह, साजुद्दीन, फिरोजशाह अहमदशाह, अलाउद्दीन, तुतीय मुहम्मद, आदि कई एक शासक हुए, जिन्होंने यहमनी राज्य का विस्तार और उसके शासन का संगठन किया। उनके पीछे बहमनी सुल्तान धीरे-धीरे क्लिप्त होते गये। सौभाग्य से मुहम्मद को खयाजा महमूद-गावाम नामक एक योग्य मंत्री मिल गया था, जो सैनिक संगठन और राज्य-शासन दोनों में ही निपुण था। माल के महकमों में उसने बहुत से सुधार किये और सल्तनत की गिरती हुई अवस्था को सुधार। परन्तु धीरे-धीरे बहमनी राज्य का हास होता गया। १५१६ ई० में बहमनी-वंश का अन्त हो गया और उसके स्थान पर नीचे किये पाँच छोटे-छोटे प्रांतीय राज्यों की स्थापना हुई :

- (क) बरार का ईमादशाही बंस।
- (ख) अहमदनगर का निजामशाही बंस।
- (ग) बीजापुर का आदिलशाही बंस।
- (घ) गोलकुण्डा का कुतुबशाही बंस।
- (च) बीदर का बरीदशाही बंस।

इन वंशों की आपस में लड़ाइयाँ होती रहीं। इनका सबसे बड़ा काम था, विजयनगर के हिन्दू राज्य के साथ संघर्ष। इनकी मिली हुई शक्ति ने १५६५ ई० में ताळीकोट की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को हराया। परन्तु अपनी आन्तरिक कमजोरियों से वे राज्य भी कमजोर हो गये और मुगल साम्राज्य में विलीन होते गये।

२२ अध्याय

हिन्दू-राज्यों का संघर्ष और पुनरुत्थान

हिन्दू राज्य यद्यपि अपनी आन्तरिक कमजोरियों के कारण मुस्लिम आक्रमण-कारियों को अपने देश में घुसने और फैलने से उस प्रकार नहीं रोक सके, जिस प्रकार युरोपीयों ने अरबों के प्रसार को रोका था और पीछे तुर्कों को भी कमना: युरोप से निकालकर उसके पूर्वी छोर पर लाकर छोड़ दिया। फिर भी अफ्रीका और एशिया के और देशों का अनुसरण न करते हुए भारतीयों ने सम्पूर्ण देश के ऊपर इस्लामी सत्ता को न कायम होने दिया और इस्लाम का प्रचार तो मुसलमानों के साम्रैतिक विस्तार से बहुत ही कम हुआ। बहुत से हिन्दू राजाओं ने तो पराजित होने पर भी आत्मसमर्पण नहीं किया। जहाँ सम्भव हुआ वहाँ वे अपने छोटे हुए राज्य को घास लेने के लिये विदेशी सेना से लड़ते रहे और कई स्थानों पर वे सफल भी हुए। जहाँ उनका राज्य लो गया, वहाँ से घोड़ा इधर-उधर इटकर या तो जगहोंने लड़ाई का दूमा मोर्चा लड़ा किया या अपने मूल स्थानों से शिसककर हिमालय, विन्ध्याचल, रामपूताना, मध्यभारत, उड़ीसा आदि के बौद्ध स्थानों में या मुस्लिम राजधानियों से दूर सुदूर दक्षिण में नये राज्यों की स्थापना की। हममग एक बातामि के संघर्ष के बाद यदि भारत के नकसों पर नजर डालें, तो पाँच साम्रैतिक पैटियाँ दिखाई पड़ती हैं—(१) हिमालय की पैटी—इसके पश्चिमोत्तर काश्मीर में १३३९ ई० तक हिन्दू सत्ता बनी रही, पर हिन्दू राजा के एक मुस्लिम कर्मचारी ने इसी वर्ष बहाँ मुस्लिम राज्य स्थापित किया। काश्मीर के पूर्व खम्मू, कॉंगडा, नेपाळ, भूटान, कामरूप और आसाम में हिन्दू राज्य अब भी वर्तमान थे। (२) उत्तर भारत के मैदान की पैटी—इसमें प्रायः पूरी मुस्लिम सत्ता स्थापित थी, फिर भी स्थानीय हिन्दू राजा और जमीन्दार समय समय पर विद्रोह करते रहे। (३) तीसरी पैटी में राजपूताना और विन्ध्य मैलछा के प्रदेश थे। इनमें अजमेर, गुजरात और माळवा को दोबहर हगमग सारे राजमान पर हिन्दू राज्य थे। कुम्हेरगण्ड के दक्षिण और बघेलखण्ड में भी हिन्दू सत्ता जीवित थी। पूरे गोंडवाने पर हिन्दुओं का राज्य था। उड़ीसा में भी हिन्दू राजा राज्य कर रहे थे। (४) चौथी पैटी दक्षिण भारत की थी। इसमें आग्र और परिपमी घाटों में हिन्दू राज्य अब भी बचे थे। (५) पाँचवी पैटी दृष्णा के दक्षिण में विजयनगर का साम्राज्य था। इस

प्रकार पहली, तीसरी और पांचवीं वेदियों में हिन्दू राज्य अब भी वर्तमान थे, उनमें से कई अभितमान् और उद्यतिशील थे।


१. हिमालय-शृंखला

हिमालय-शृंखला के हिन्दू राज्यों में जम्मू, काँगड़ा और उनके आसपास के छोटे-छोटे हिन्दू राज्यों के बारे में कोई बिलेप जानकारी नहीं है। परन्तु नेपाल और आसाम का इतिहास राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन राज्यों ने विदेशी आक्रमणकारियों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया।

२. राजस्थान और विन्ध्यमेखला

राजस्थान और विन्ध्यमेखला के हिन्दू राज्यों में रणथम्भौर का उल्लेख पहले किया जा सकता है। पृथ्वीराज की हार के बाद दिल्ली सल्तनत ने रणथम्भौर पर भयानक आक्रमण किये, परन्तु हिन्दुओं के संघर्ष के प्रतीक रूप में यहाँ का युग अबल बना रहा। यहाँ का राजा हुम्मीरदेव अपने बंश का सबसे वीर और प्रतापी राजा था। कवि जयचन्द्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ हुम्मीर महाकाव्य में उसके विजयों और कीर्ति का वर्णन किया है। राजस्थान के दूसरे राज्य मेवाड़ का इतिहास संसार में प्रसिद्ध है। द्वादश शताब्दि के मध्य में गुहल्ल (गुहिल) नाम के सूर्यवंशी क्षत्रिय ने एक राजवंश की स्थापना की, जो उसके नाम पर गुहल्लोत-वंश कहलाया। इस वंश का आठवाँ राजा चाण्पायवल्ल (७३७-७५३) बड़ा वीर, विजयी और प्रतापी हुआ। उसने मेवाड़ पर अपना अधिकार जमाया और सिन्ध के लरकों को परिचय में दबा रखा।

बारहवीं शताब्दि के मध्य में राजा अणोसिंह के मरने के बाद मेवाड़ में गुहल्लोत-वंश की दो शाखाएँ हो गयीं, रावल और सीसोदिया। रावल-वंश में ही आगे चलकर रतनसिंह चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठे। उनकी रानी पद्मिनी की कहानी भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। जो भयानक



राजा कुम्भा का अशोकस्तम्भ

गुहल्लोत-वंश की दो शाखाएँ हो गयीं, रावल और सीसोदिया। रावल-वंश में ही आगे चलकर रतनसिंह चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठे। उनकी रानी पद्मिनी की कहानी भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। जो भयानक

सुदूर हुआ था, उसका वर्णन किया जा चुका है। मेवाड़ के इतिहास में इस घटना को 'प्रथम पाका' कहते हैं। रतनसिंह के बाद चित्तौड़ में सिसोदिया वंश जा गया। राजा हुम्मीर ने चित्तौड़ गढ़ को वापिस लिवा। १३२६ ई० के लगभग उन्होंने चित्तौड़ के किले में अपना साम्राज्यिक करवाया और राजा की उपाधि धारण की। आगे चलकर महाराजा कुम्भा भयवा कुम्भकर्ण (१४२३-१४६८ ई० तक) इस वंश में प्रसिद्ध शासक हुए। वे बड़े योद्धा, विजयी, उदार और विद्या और कला के प्रेमी थे। इनकी सबसे बड़ी विजय मालवा के सुल्तान-महसूब सिकरी के ऊपर हुई। इस घटना की स्मृति में राजा कुम्भा ने चित्तौड़ में बहुत छोटा जय-स्तम्भ बनवाया, जो आज तक सर्वमान्य है। मेवाड़ द्वारा मुस्लिम सत्ता का विरोध जारी रहा। १५०९ ई० में राजा रायमल की मृत्यु के बाद राजासंग्रामसिंह (सांगा) २० वर्ष की अवस्था में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। मेवाड़ के राजाओं में संग्रामसिंह, सबसे बड़े योद्धा, वीर, और प्रतापी हुए। इन्होंने एक प्रबल सेना का संगठन किया, और राजस्थान के हिन्दू राजाओं का एक सुसंगठित संघ बनाया। छोटी-बड़ा के समय जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था, तब महाराजा सांगा की गणना हिन्दुस्तान की बड़ी सन्तियों में थी। इन्होंने पठानों के साथ संघ बना कर बाबर का सामना किया।

मेवाड़ के अतिरिक्त उत्तर भारत के हिन्दू राज्यों में मारवाड़ और उड़ीसा के राज्य प्रसिद्ध थे। मारवाड़, राजस्थान के पश्चिमोत्तर में स्थित था। सल्तनत के समय में सिन्ध, गुजरात और मुल्तान के मुस्लिम सुबों और फिर मुस्लिम राज्यों से बिराह हुआ था, इसलिये मारवाड़ इन पड़ोसी राज्यों से बराबर लड़ता रहा। उड़ीसा का राज्य, उत्तर भारत के दक्षिण-पूर्व कोने में पड़ता था, इसलिये भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित भी था। दिल्ली की सल्तनत इसके उत्तरी छोर को छूती थी, परन्तु इस पर अधिकार नहीं जमा सकती थी।

३. विजयनगर का साम्राज्य

(१) परिस्थिति

विजयनगर-साम्राज्य का उद्भव और विस्तार भारत के उस भाग में हुआ जहाँ प्राचीन काक में पल्लव, चोल, पाण्ड्य, होयसाल और केरल राजवंश थे। पूर्व काकेश्यों से सुदूर-दक्षिण के राज्य एक-एक करके गढ़ होते गये। यद्यपि दिल्ली की सल्तनत इस सभी प्रदेशों पर अपनी अधिकार जमा सकी, फिर भी महारा में एक मुस्लिम राज्य

भयंकर जाटमनों और अत्याचारों ने वहाँ की हिन्दू जनता में एक विचित्र भावतक पैदा कर दिया था। इस परिस्थिति में विजयनगर का उदय दिल्ली सल्तनत के हास के कारण नहीं, परन्तु सारे भारतवर्ष में मुस्लिम सत्ता के विस्तार की प्रतिक्रिया में हुआ। वारंगल के राजा ख्रितीय प्रतापरेड्डी और इरासमुद्र के राजा घोर वल्लास ने, जो आग वहाँ की जनता के हृदय में बछायी वह कई शताब्दियों तक न बुझ सकी। पहले उसने मधुरा के मुस्लिम राज्य का अन्त किया, फिर विजयनगर राज्य की स्थापना में कारण बनी और तुर्कों से सुदूर-दक्षिण की रक्षा करती रही।

(२) उदय और विकास

विजयनगर राज्य की स्थापना के बारे में कई कथायें प्रचलित हैं। हरिहर और बुक्क नाम के दो भाई वारंगल के राजा के यहाँ सेना और प्राङ्ग-बिभाग में कर्मचारी थे। मुहम्मद तुगलक के समय में विजयनगर के प्राङ्गों के आसपास हरिहर और बुक्क ने अपना अधिकार कर लिया और १३३५ ई० में विजयनगर राज्य की स्थापना की। इनमें हरिहर राजा हुआ और बुक्क उसका मंत्री। इन भाइयों के परम शिष्य भी और सहायक प्राङ्गण विद्वान् माधवाचार्य विद्यारण्य थे। उसकी तुलना खान्खान और समर्थगुरु रामदास से की जा सकती है। हरिहर ने दक्षिण के छोटे-छोटे राज्यों को जीत लिया। उसने सुदूर-दक्षिण में मुस्लिम सत्ता को वहाँ से निकालने के लिये एक संघ बनाया। उसके जीवन-काल में ही विजयनगर का राज्य उत्तर में हृष्णा से लेकर दक्षिण में कावेरी तक और पश्चिम में पश्चिम समुद्र से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैल गया। उसको विद्या और कला से बढ़ा प्रेम था। उसने विजयनगर में कई मन्तों को बनवाया। अपने गुरु श्री माधवाचार्य विद्यारण्य के आदर में उसने एक विशाल मन्दिर बनवाया, जो आज भी हैम्पी (विजयनगर) नामक स्थान में वर्तमान है। हरिहर के बाद उसका भाई बुक्क द्वितीय, प्रथम देवराय, द्वितीय देवराय आदि कई राजा हुए। इनके शासन-काल में दो पातें उल्लेखनीय हैं। एक तो राज्य का विस्तार, संगठन, विद्या, कला को प्रथम और दूसरी, पहलवी-राज्य से बराबर युद्ध।

१४८९ ई० में हरिहर और बुक्क के वंश का अन्त हो गया और इसके बाद तुलुव-वंश की स्थापना हुई। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और योग्य राजा कृष्णदेव राय था, जिसने १५०९ से लेकर १५३० ई० तक राज्य किया। उसका पहला काम था राज्य का विस्तार और उसका

सुदूर हुआ था, उसका वर्णन किया जा चुका है। मेवाड़ के इतिहास में इस घटना को 'प्रथम साका' कहते हैं। रतनसिंह के बाद चित्तौड़ में सिसोविया पंश आ गया। राजा हुम्मीर ने चित्तौड़ गढ़ को वापिस लिवा। १३२६ ई० के लगभग उन्होंने चित्तौड़ के किसे में अपना राज्याभिषेक कराया और राजा की उपाधि धारण की। आगे चलकर महाराजा कुम्भा अथवा कुम्भकर्ण (१३३३-१३६८ ई० तक) इस वंश में प्रसिद्ध शासक हुये। वे बड़े योद्धा, विजयी, सदा और विद्या और कला के प्रेमी थे। इनकी सबसे बड़ी विजय मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के ऊपर हुई। इस घटना की स्मृति में राजा कुम्भा ने चित्तौड़ में बहुत ऊँचा जय-स्तम्भ बनवाया, जो आज तक बचैमान है। मेवाड़ द्वारा मुस्लिम सत्ता का विरोध जारी रहा। १५०९ ई० में राजा रायमल की मृत्यु के बाद राजासंभ्रांसिंह (सांगा) २० वर्ष की अवस्था में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। मेवाड़ के राजाओं में संभ्रांसिंह सबसे बड़े योद्धा, वीर, और प्रतापी हुये। इन्होंने एक प्रबल सेना का संगठन किया, और राजस्थान के हिन्दू राजाओं का एक सुसंगठित संघ बनाया। जोड़ी-बंध के समय जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था, तब महाराजा सांगा की गगना हिन्दुस्तान की बड़ी शक्तियों में थी। उन्होंने पठानों के साथ संघ बना कर बाबर का सामना किया।

मेवाड़ के अतिरिक्त चण्डर भारत के हिन्दू राज्यों में मारवाड़ और उड़ीसा के राज्य प्रसिद्ध थे। मारवाड़, राजस्थान के पश्चिमोत्तर में स्थित था। सल्तनत के समय में सिन्ध, गुजरात और सुल्तान के मुस्लिम सूबों और फिर मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ था, इसलिये मारवाड़ इन पड़ोसी राज्यों से बराबर लड़ता रहा। उड़ीसा का राज्य, उत्तर भारत के दक्षिण-पूर्व कोने में पड़ता था, इसलिये भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित भी था। दिल्ली की सल्तनत इसके उत्तरी छोर को छूती थी, परन्तु इस पर अधिकार नहीं बना सकती थी।

३. विजयनगर का साम्राज्य

(१) परिस्थिति

विजयनगर-साम्राज्य का उदय और विस्तार भारत के उस भाग में हुआ जहाँ प्राचीन काल में पल्लव, चोल, पाण्ड्य, होयसाल और केरल राजवंश थे। तुर्क आक्रमणों से सुदूर-दक्षिण के राज्य एक-एक करके नष्ट होते गये। बचपि दिल्ली की सल्तनत इस समी प्रदेशों पर अपना पूरा अधिकार जमा कर, फिर भी सहारा में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। मुसलमानों के

सयंकर आक्रमणों और अत्याचारों ने यहाँ की हिन्दू जनता में एक विचित्र भावतक पैदा कर दिया था। इस परिस्थिति में विजयनगर का उदय दिल्ली सल्तनत के हास के कारण नहीं; परन्तु सारे भारतवर्ष में मुस्लिम सत्ता के विस्तार की प्रतिक्रिया में हुआ। वारंगल के राजा द्वितीय प्रतापरुद्र और द्वारसमुद्र के राजा धीर वल्लाल ने, जो आग वहाँ की जनता के हृदय में जलाने लगे हुए शताब्दियों तक न-बुझ सकी। पहले उसने महुरा के मुस्लिम राज्य का अन्त किया, फिर विजयनगर राज्य की स्थापना में कारण बनी और तुर्कों से सुदूर-दक्षिण की रक्षा करती रही।

(२) उदय और विकास

विजयनगर राज्य की स्थापना के बारे में कई कथानों प्रचलित हैं। हरिहर और बुक नाम के दो भाई वारंगल के राजा के यहाँ सेना और माल-विभाग में कर्मचारी थे। मुहम्मद तुगलक के समय में विजयनगर के प्रान्तों के आसपास हरिहर और बुक ने अपना अधिकार कर लिया और १३३५ ई० में विजयनगर राज्य की स्थापना की। इनमें हरिहर राजा हुआ और बुक उसका मंत्री। इन भाइयों के परम-हितैषी और सहायक माहय्य, विद्वान्, भाषणाचार्य विद्यारण्य थे। उसकी तुलना व्याणफ्य और समर्थगुप्त रामदास से की जा सकती है। हरिहर ने दक्षिण के छोटे-छोटे राज्यों को जीत लिया। उसने सुदूर-दक्षिण में मुस्लिम सत्ता को वहाँ से निकालने के लिये एक संघ बनाया। उसके जीवन-काल में ही विजयनगर का राज्य उत्तर में कृष्णा से लेकर दक्षिण में कावेरी तक और पश्चिम में पश्चिम समुद्र से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैल गया। उसको विद्या और कला से बड़ा प्रेम था। उसने विजयनगर में कई मठों को बनवाया। अपने गुरु श्री भाषणाचार्य विद्यारण्य के आदर में उसने एक विशाल मन्दिर बनवाया, जो आज भी हैम्पी (विजयनगर) नामक स्थान में वर्तमान है। हरिहर के बाद उसका भाई यफक द्वितीय, प्रथम देवराय, द्वितीय देवराय आदि कई राजा हुए। इनके शासन-काल में दो बाले उल्लेखनीय हैं। एक तो राज्य का विस्तार, संगठन, विद्या, कला को प्रथम और दूसरी पहलवी-राज्य से बराबर युद्ध।

१४८९ ई० में हरिहर और बुक के वंश का अन्त हो गया और इसके बाद तुलुय-वंश की स्थापना हुई। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और योग्य राजा कृष्णदेव राय था, जिसने १५०९ से लेकर १५३० ई० तक राज्य किया। उसका पहला काम था राज्य का विस्तार और उसका

मुद्र गुजा या, उसका वर्णन किया जा चुका है। मेवाड़ के इतिहास में इस घटना को 'प्रथम साका' कहते हैं। रतनसिंह के बाद विजय में सिसोदिया बतल जा गया। राजा हम्मौर ने विजय गढ़ को वापिस लिया। १३२६ ई० के लगभग उन्होंने विजय के किस्से में अपना राज्याभिषेक कराया और राजा की उपाधि धारण की। आगे चलकर महाराणा कुम्भा भववा कुम्भकर्ण (१३२३-१३९८ ई० तक) इस वध में प्रसिद्ध सातक हुए। वे बड़े घोड़ा, विजयी, सशर और विद्या और कला के प्रेमी थे। इनकी सबसे बड़ी विजय माळवा के सुल्तान-महमूद खिलजी के ऊपर हुई। इस घटना की स्मृति में राजा कुम्भा ने विजय में बहुत ऊँचा जय-स्तम्भ बनवाया, जो आज तक बर्चमान है। मेवाड़ द्वारा मुस्लिम सत्ता का विरोध जारी रहा। १५०९ ई० में राजा रायमल की मृत्यु के बाद राजासंग्रामसिंह (संगी) २० वर्ष की अवस्था में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। मेवाड़ के राजाओं में संग्रामसिंह सबसे बड़े घोड़ा, वीर, और प्रतापी हुए। उन्होंने एक प्रबल सेना का संगठन किया, और राजस्थान के हिन्दू-राजाओं का एक सुसंगठित संघ बनाया। छोड़ी-बंल के समय जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था, तब महाराणा संगी की गवना हिन्दुस्तान की सभी सभितयों में थी। उन्होंने पठानों के साथ संब बना कर शम्बर का सामना किया।

मेवाड़ के अतिरिक्त उत्तर भारत के हिन्दू राज्यों में मारवाड़ और उड़ीसा के राज्य प्रसिद्ध थे। मारवाड़, राजस्थान के पश्चिमोत्तर में स्थित था। सल्तनत के समय में सिन्ध, गुजरात और मुल्तान के मुस्लिम सुबों और फिर मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ था, इसलिये मारवाड़ इन पड़ोसी राज्यों से बराबर लड़ता रहा। उड़ीसा का राज्य, उत्तर-भारत के इण्डो-पूर्व कोने में पड़ता था, इसलिये भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित भी था। दिल्ली की सल्तनत इसके उत्तरी छोर को छूती थी, परन्तु इस पर अधिकार नहीं जमा सकती थी।

३. विजयनगर का साम्राज्य

(१) परिस्थिति

विजयनगर-साम्राज्य का उदय और विस्तार भारत के उस भाग में हुआ जहाँ प्राचीन काल में पल्लव, चोल, पाण्ड्य, होयसाल और केरल राज्य थे। पूर्व आक्रामकों से सुदूर-दक्षिण के राज्य एक-एक करके नष्ट होते गये। जबकि दिल्ली की सल्तनत इस समी प्रवेशों पर अपनी पूरा अधिकार न जमा सकी, फिर भी महारा में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। मुसलमानों के

भयंकर आक्रमणों और अत्याचारों ने वहाँ की हिन्दू जनता में एक विचित्र धातंक पैदा कर दिया था। इस परिस्थिति में विजयनगर का उदय सिद्धी सशक्तता के हास के कारण नहीं, परन्तु सारे भारतवर्ष में मुस्लिम सत्ता के विस्तार की प्रतिक्रिया में हुआ। वारंगल के राजा द्वितीय प्रतापरुद्र और द्वारसमुद्र के राजा यीर वल्लाल ने, जो भाग वहाँ की जनता के हृदय में अछापी वह कई शताब्दियों तक न हुआ सकती। पहले उसने मयुरा के मुस्लिम राज्य का अन्त किया, फिर विजयनगर राज्य की स्थापना में कारण बनी और तुर्कों से सुदूर-दक्षिण की रक्षा करती रही।

(२) उदय और विकास

विजयनगर राज्य की स्थापना के बारे में कई कथाएँ प्रचलित हैं। हरिहर और बुक्क नाम के दो भाई वारंगल के राजा के वहाँ सेना और माल-विभाग में कर्मचारी थे। मुहम्मद तुगलक के समय में विजयनगर के प्रांतों के जासपास हरिहर और बुक्क ने अपना अधिकार कर लिया और १३३५ ई० में विजयनगर राज्य की स्थापना की। इनमें हरिहर राजा हुआ और बुक्क उसका मंत्री। इन भाइयों के परम हितैषी और सहायक ब्राह्मण-विद्वान्, माधवाचार्य विद्यारण्य थे। उसकी तुलना धाणक्य और समर्थगुण-रामदास से की जा सकती है। हरिहर ने दक्षिण के छोटे-छोटे राज्यों को जीत लिया। उसने सुदूर-दक्षिण में मुस्लिम सत्ता को वहाँ से निकालने के लिये एक संघ बनाया। उसके जीवन-काल में ही विजयनगर का राज्य उत्तर में कृष्णा से लेकर दक्षिण में कावेरी तक और पश्चिम में पश्चिम समुद्र से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैल गया। उसको बिधा और कला से बड़ा प्रेम था। उसने विजयनगर में कई मठों को बनवाया। अपने गुरु श्री माधवाचार्य विद्यारण्य के आदर में उसने एक विशाल मन्दिर बनवाया, जो आज भी हैम्पी (विजयनगर) नामक स्थान में वर्तमान है। हरिहर के बाद उसका भाई यफुक द्वितीय, प्रथम देवराय, द्वितीय देवराय आदि कई राजा हुए। इनके शासन-काल में दो बातें उल्लेखनीय हैं। एक तो राज्य का विस्तार, संगठन, विद्या, कला को प्रथम और दूसरी पहमनी-राज्य से बराबर युद्ध।

१४८६ ई० में हरिहर और बुक्क के वंश का अन्त हो गया और इसके बाद तुलुय-वंश की स्थापना हुई। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और योग्य राजा कृष्णदेव राय था; जिसने १५०९ से लेकर १५३० ई० तक राज्य किया। उसका पहला काम था राज्य का विस्तार और उसके

संगठन । उसने पूरे सुदूर-दक्षिण पर अधिकार किया । इसके बाद उड़ीसा के राजा को हराकर उसकी रजदारी से विवाह किया । उसका सबसे प्रसिद्ध पुत्र बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिलशाह के साथ १५२० ई० में हुआ । इसके फलस्वरूप कृष्णा और तुगमन्ना के दो-आब पर विजयनगर का अधिकार हो गया । कृष्णदेवराय के समय के पहले ही पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्चगाळी आ चुके थे । राय ने उनके साथ व्यापारिक और राजपैतिक सम्बन्ध स्थापित किया । कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर का साम्राज्य अपने उत्कर्ष और समृद्धि की सीमा पर पहुँच गया । वह एक सफल घोड़ा, योग्य शासक, कला और विद्या का आम्बुदाता और धार्मिक मामलों में बड़ा उदार था ।

(३) ह्रास

१५६० ई० में कृष्णदेवराय का देहान्त हो गया । उसके बाद विजयनगर का ह्रास शुरू हो गया । अहमदराय, सदाशिव राय, रामराय, आदि कई राजा हुए । इनकी कमबोरियों से काम उठाकर पहमनी-साम्राज्य के पतन पर स्थापित हुए दक्षिण के मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर को घेरना शुरू किया । इसी प्रक्रिया का फल था १५६५ ई० में तालीकोट का युद्ध । इस कड़ाई का मूल कारण दक्षिण भारत में मुस्लिम और हिन्दू जातियों का एक दूसरे को नष्ट करने का प्रयत्न था, जो पिछली कई सताव्दियों से चल रहा था । १५६२ ई० में इस्लामी सत्ता की रक्षा के लिये मुसलमान राज्यों का एक संघ धर्म के आधार पर बना और विजयनगर पर आक्रमण की तैयारी हो गयी । पूरी तैयारी के बाद बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुण्डा और बीदर के मुस्लिम राज्यों की इस्लामी सेना कृष्णा के उत्तरी तट पर तालीकोट के मैदान में इकट्ठी हुई । विजयनगर के राजा सदाशिव राय और रामराय दोनों ने असाहयानी और आक्रामकता से अधिक आत्मविरास था । उसने भी एक विप्लव सेना के साथ, जिसमें ९ और १० लाख के बीच सैनिक थे, तालीकोट की ओर प्रस्थान किया, परन्तु विजयनगर की सेना में सामन्तसेना अधिक थी और उसके हथियार पुराने ढंग के थे । मुस्लिम सेना की शक्ति मज्दु सुदसवार, तेज धनुर्धारी और तोपें थीं । सबका के ऊपर साधन और तैयारी की विजय अबसरभाषी थी । विजयनगर की सेना हार गयी और ९० वर्ष का युद्ध किन्तु अभिमानि रामराज युद्ध में मारा गया । मुस्लिम सेना ने विजयनगर पर अधिकार कर लिया । सैनिकों ने विध्वंसता के साथ लोगों का बध किया, तथा मन्दिरों और

महलों को तोड़कर गिरा दिया। सारे संसार के इतिहास में किसी ऐसे साम्राज्य नगर का इतना बड़ा विध्वंस नहीं हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार पी० ए० स्मिथ ने विजयनगर के हुखाम्त विनाश की तुलना तुर्कों द्वारा वेल्सकेम के विध्वंस से की है। मुसलमानों ने विजयनगर का विध्वंस तो कर दिया, किन्तु उस विजय से उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं उठाया। विजयनगर का साम्राज्य छोटे-छोटे स्थानीय हिन्दू राज्यों में बंट गया।

(४) विजयनगर का शासन-प्रबन्ध

मध्य-युग के आतावरण के अनुसार विजयनगर का साम्राज्य एकतांत्रिक था। सम्राट के हाथ में राज्य की सारी शक्तियाँ केन्द्रित थीं। परम्परा और धार्मिक विश्वासों के सिवाय उसके ऊपर और कोई बन्धन नहीं था। राजा के मुख्य कार्यों में सेना का संगठन और संचालन, शासन-व्यवस्था, अर्थ-विभाग का निरीक्षण और न्याय थे। उसके परामर्श देने और सहायता करने के लिये एक मंत्रिमण्डल था, जिसमें प्रधानमंत्री, कोष-मंत्री, व्यापार-मंत्री, रक्षा-मंत्री, परराष्ट्र-मंत्री आदि थे। राजा प्रभावशाली सामन्तों, ब्राह्मणों और विद्वानों से भी परामर्श करता था। सामन्त राज्यों को छोड़कर साम्राज्य का शासन केन्द्रित था।

साम्राज्य दो प्रकार के प्रदेशों में बँटा हुआ था। साम्राज्य के जिस भाग पर सम्राट का सीधा अधिकार था, वह कई मण्डलों अथवा प्रान्तों में बँटा हुआ था। मण्डलों के शासक महामण्डलेश्वर कहलाते थे। मण्डल कई नाडुओं और नाडु कई स्थलों में विभक्त थे। साम्राज्य का दूसरा भाग सामन्तों के अधीन था। सामन्त अपने भीतरी प्रबन्ध में स्वतंत्र थे। उन्हें सम्राट को एक निश्चित कर और निश्चित सेना देनी पड़ती थी। शासन की सबसे छोटी इकाई गाँव था। इसका प्रबन्ध ग्रामसभा करती थी। ग्रामसभा के हाथ में गाँव की रक्षा, मुकदमों का फैसला, सार्वजनिक हित के काम, मनोरंजन, धार्मिक आयोजन, सरकारी-कर वसूल करना, आदि काम थे।

सारा शासन कई विभागों में बँटा हुआ था। इनमें से एक मुख्य विभाग माल-विभाग था। भूमि-कर उपज का सीधाई भाग लिया जाता था, शायद बढाई के अधिक खर्च के कारण भूमि-कर कुछ भाग से बढ़ाकर एक-दोपट्टाई कर दिया गया था। भूमि के ऊपर किसानों का अधिकार था, किन्तु राजाओं के अधिकार में भी भूमि का एक ऐसा भाग होता था,

ब्रिजको ये वृत्ति या दाम के रूप में दे सकते थे। मूमि-कर एकदम सिक्कों में देना पड़ता था। अनाज (घान) का मास रुपये का ३३ $\frac{1}{2}$ सेर था। सिंघाई के छिये सरकार की ओर से डीक, चाँप और नहरें बनी हुई थीं। सरकारी ऋण का दूसरा बड़ा साधन व्यापार और उद्योग-पंचा था। बिजयनगर के साम्राज्य के समुद्र-तट पर ३०० बन्दरगाह थे, जहाँ से माल बाहर भेजे जाते थे और जहाँ पर बाहर के माल उतरते थे। क्रय-विक्रय और चुंगी से भी काफी आय होती थी। खान और जगलों की उपज पर सरकार का एकाधिकार था। इनके अतिरिक्त और भी कई फुटकर कर थे। सब जोड़कर उपज का लगभग आधा भाग सरकारी खजाने में पहुँचता था। बिजयनगर के शासन में दण्ड-विधान बड़ा कठोर था। साधारण चोरी के अपराध में एक हाथ और एक पैर काट दिये जाते थे और बड़ी चोरी के छिये फाँसी का दण्ड मिलता था। ब्रह्मिन्धार के छिये भी शूली का दण्ड था। राज्य के विकसित पदव्यंज करने के छिये भी प्रत्येक दण्ड विधान बिजयनगर की कोई विशेषता नहीं। मध्यकाल में भारत के प्रायः सभी हिन्दू राज्यों में दण्ड विधान कठोर था। साम्राज्य की रक्षा के छिये, सेना का संगठन भी बड़े पैमाने पर हुआ था। पर्वत, दुर्ग और स्थल-दुर्गों के निर्माण, इयिमार बमाले के कारखानों और सेनाओं में भरती के ऊपर काफी खर्च किया जाता था। सेना दो प्रकार की थी—राज्य-सेना और सामन्त-सेना। इसके अतिरिक्त बहुत से सैनिक युद्ध के समय भरती कर दिये जाते थे। सेना में पैदल, अश्वारोही और हाथी तीन मुख्य जंग होते थे। रथ का प्रयोग बहुत दिनों से छूट गया था। सरकारी अस्थायी सेना। हास के लगभग थी। संख्या की दृष्टि से सेना की योग्यता अच्छी नहीं थी। ब्रह्मिन्धार रूप में हिन्दू सैनिक वीर थे; किन्तु युद्ध के अवसर पर मुस्लिम युद्धसभार और वीरभ्रात्र उनसे बीस पड़ते थे। बिजयनगर की हार का यह मुख्य कारण था।

(५) विद्या और कला

बिजयनगर के शासकों ने न केवल इण्डिया में हिन्दू राजनैतिक चर्चित का पुनरुत्थान किया अपितु भारतीय विद्या और कला को भी प्रोत्साहन दिया। इनके समय में संस्कृत, तेलगू और तामिल-भाषा तथा साहित्य की काफी प्रशंसा मिली। बिजयनगर में दो प्रसिद्ध विश्वालय हुए, इनमें से एक आचार्य स्थापन ने वेदों के ऊपर प्रसिद्ध भाष्य लिखा और मीमांसा धर्म का पुनरुत्थान किया। दूसरे स्थापन के भाई माधवाचार्य थे, जिन्होंने पाराशरामाधवीय

नामक धर्मशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा। विद्या और साहित्य के साथ विभिन्न कलाओं को भी विजयनगर के राजाओं द्वारा धामय मिला। वे स्वापरय-कला के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने बहुत अच्छे नगर, दुर्ग, राजमन्वन, मन्दिर, सरोवर, नहर, उपवन आदि बसाये। मूर्तिकला और चित्रकला के उत्तम काम विजयनगर राज्य में होते थे। संगीत, नृत्य और अभिनय के शिक्षण और प्रयोग के लिये राज्य से सहायता मिलती थी और जनता में भी उनका आदर था।



२३ अध्याय

मध्यकालीन समाज और संस्कृति

मध्यकाल के पहले भारत में जो सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक परिवर्तन, सुधार या क्रान्तियाँ हुई थी वे अपने भीतर हुई थीं। उनके कारण समाज में हड़बड़, प्रगति और विकास हुआ था, परन्तु समाज के भीतर उनसे कठोर संपर्क और विषमता नहीं उत्पन्न हुई थी। ईरानी, यूनानी, फारसी, सफ, पहलव, हूण आदि बाहर से आनेवाली जातियों ने भारत की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था स्वीकार कर ली और वे पूरी तरह भारतीय हो गयीं। परन्तु आठवीं सताब्दी के प्रारम्भ से इस्लाम में दीर्घत धरम, तुर्क और अफगान जातियों के आगमन ने भारत में एक नयी परिस्थिति उत्पन्न कर दी। उनकी राजनीति और समाज-नीति इस्लाम से बहुत प्रभावित थी। इस्लाम इस्लामी और पञ्चारबादी होने के कारण स्वभाव से अनुदार या भीर दूसरी संस्कृतियों से समझौता करने के लिये तैयार न था। अफ्रिका और पश्चिमी तथा मध्य-पश्चिमी में दूसरी संस्कृतियों को उसने जीता न छोड़ा। भारत में मुस्लिम जातियों के आने के पहले एक बहुत ही विकसित ऐतिहासिक और समन्वय-वादी संस्कृति वर्तमान थी। यह बराबर से समझौता करने को तैयार थी, किन्तु आत्मसमर्पण करने को नहीं। राजनैतिक दृष्टि से हारकर भी भारतीयों ने अपने समाज, धर्म और संस्कृति को प्राणपण से रखा था। इस्लाम को भारत में यह धार्मिक और सांस्कृतिक विषय प्राप्त नहीं हुई जो उसे और देशों में मिली थी। कुछ दिनों के बाद पाहर के इस्लामी देशों से सम्बन्ध छूट जाने से, भारत में स्थायी रूप से बस जाने के कारण और हिन्दू जनता से घिरे रहने के कारण मुस्लिम आक्रमणकारियों में स्थानीयता और छोटे समझौते की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। इसी समय इतिहास की एक दूसरी प्रवृत्ति भी काम कर रही थी। एक तरफ जब कि शासक सैनिक और मुस्ता शिरोब और संपर्क पर जोर दे रहे थे, दूसरी तरफ सन्त, कवि, कलाकार और चिन्तक समता, उदारता और समन्वय के लिये प्रयत्न कर रहे थे। इस प्रयत्न को बार-बार पक्षा दगता था उस कहर और अनुदार मुस्ताओं के द्वारा, जो भूख इस्लामी विचारों और प्रथाओं को बार-बार आगूत करना चाहते थे। जहाँ तक हिन्दू जनता का प्रश्न था, पहले उसने राजनीति के साथ आनेवाले इस्लाम का

घोर विरोध किया। पीछे सैनिक दृष्टि से पराजित होने के कारण उससे अपने को बचाने के लिये अपने धार्मिक और सामाजिक नियमों और पन्थों को कड़ा करके इस्लामी आक्रमण से अपनी रक्षा की। चाव में देर तक मुसलमानों के सम्पर्क से रहना-सहन, बेश-भूषा और माया से राजधानियों, दरबारों और शहरों में हिन्दू प्रभावित हुये; किन्तु देहातों में यह प्रभाव नहीं पहुँचा। उत्तर-भारत के बहुत से धर्मनिष्ठ और आचारनिष्ठ हिन्दू दक्षिण-भारत की ओर चले गये। दक्षिण-भारत के हिन्दुओं में इस्लाम के सुव्य केन्द्रों से दूर रहने कारण धार्मिक और सामाजिक कठोरता अधिक बनी रही।

१. राजनीति

इस काल में मुसलमानों की राजनैतिक प्रधानता रही। उनका राज्य धर्मतांत्रिक था। इसका अर्थ यह है कि राज्य का एकमात्र अधिकारता ईश्वर है, ज़लीफ़ उसका प्रतिनिधि है और सभी देशों के सुखतान उसके गुमारते। सुखतान को ईश्वरीय कानून—कुरान और शरीयत के अनुसार राज्य का शासन करना चाहिये। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का उद्देश्य है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना और ईश्वरीय धर्म इस्लाम का संसार में प्रचार करना। इस प्रकार की नीति से संसार को दो भागों में बाँट दिया—(१) मुसलमान और (२) गैरमुसलमान। इसलिये मुसलमानों एवं उनके राज्यों का यह कर्तव्य हो गया कि वे इस्लाम से भिन्न धर्मों का विनाश कर इस्लाम का प्रचार करें। इस प्रकार के सिद्धान्त और कार्यक्रम को लेकर मुस्लिम राज्य भारत में आया और वहाँ तक सम्भव था उनको पूरा करने का भी प्रयत्न किया। किन्तु ग़ैर विजेताओं ने इस देश में रहकर जीते हुये प्रदेशों पर शासन करने का निश्चय किया उनको अनुभव हुआ कि सारी प्रजा का विनाश करके वे शासन नहीं कर सकते। यह अनुभव सबसे पहले सिन्ध के अरब शासकों को हुआ। इस्लामी कानून के प्रसिद्ध पहला अनुसूहीना ने कुफ़ के विनाश के समय में धर्म की एक नयी व्याख्या की। उसके अनुसार इस्लाम ग्रहण न करनेवालों को जान से मार डालना आवश्यक नहीं था। यदि ज़िम्मी (गैर-मुस्लिम) ज़िम्मीयत स्वीकार कर लें, तो वे जीवित छोड़े जा सकते थे। कुछ हिन्दू सरकारी माल-बिमान की भौकरियों में भी रले गये। पीछे के कई सुखतानों ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का व्यवहार भी किया। किन्तु इतनी रिपायत से मुस्लिम और गैरमुस्लिम का भेद नहीं मिट सकता

या। राज्य की बहुसंख्यक प्रजा अपने राजनैतिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित थी। इस परिस्थिति में राज्य की कल्पना संकीर्ण और उसका कार्यक्षेत्र सीमित था। उसमें राष्ट्र, जातीयता, नागरिकता और वैधानिक विकास सम्भव नहीं था।

२. भारतीय समाज की रचना

प्राचीन भारत के समाज में आर्य, द्रविड़, पाषाण-युद्धिन्धु, खिरात आदि जातियों का मिश्रण था। इनमें ईरानी, यूनानी, सक्, पहलव, हुन आदि जातियाँ जो आर्यों से मिलती-जुलती थीं, भारत में जाकर भारतीय समाज में मिल गयीं। मध्यकाल में अरब, तुर्क और अफगान भारत में आये। अरबों का आक्रमण केवल सिन्ध पर हुआ और वे संख्या में बहुत कम थे, इसलिये भारतीय समाज पर सामी-जाति के अरबों का प्रभाव नहीं के बराबर पड़ा। तुर्क मध्य-एशिया से चलकर अफगानिस्तान और कश्मीर आते होते हुये भारत में आये। अफगान तो प्रायः भारतीय ही और इस्लाम में दीक्षित हुये थे। तुर्कों और अफगानों की जातीय विशेषताएँ आर्यों से मिलती-जुलती थीं, परन्तु इस्लाम धर्म ने भारतीय समाज में मिश्रण से इनको रोका। इसका फल यह हुआ कि भारतीय समाज के दो भाग हो गये—(१) मुस्लिम और (२) हिन्दू।

(१) हिन्दू समाज

मुसलमानों द्वारा पीते हुए-प्राप्तों का हिन्दू समाज तिरस्कृत और पीड़ित था। राजनैतिक पराजय और आर्थिक शोषण के कारण हिन्दुओं में दरिद्रता और अस्तमत्त्व का राज्य था। जिघाउहीन अरबी के अनुसार 'अजाउहीन के समय में कोई हिन्दू अपना सिर नहीं उठा सकता था। हिन्दुओं के घरों में सोने या चाँदी के सिक्कों के सिद्ध भी नहीं दिखाई पड़ते थे। हिन्दुओं के चौधरी और लूट को भी भोजे पर बन्दने, दधियार करीबने, अग्ने कपड़े पहनने और पाग लगाने का साधन नहीं थे। उनकी दरिद्रता इतनी बढ़ी हुई थी कि उनकी खियाँ मुसलमानों के घर जाकर नौकरानी का काम करती थीं।' अपनी हार के कारण अधिकतर हिन्दुओं का आत्मविश्राम जाता रहा और लगातार दमन और अत्याचारों के कारण उनका नैतिक पतन भी हुआ। उनमें से दुर्गुण पैदा होने लगे, जो किसी भी शुद्ध जाति में पाये जाते हैं।

मुसलमानों के आक्रमण के पहले ही हिन्दू-समाज और संस्कृति में

जीर्णता और सुबंछता आ गयी थी। उनकी उन्नति और प्रवाह मन्द पड़ गये थे; परन्तु पुरानी परम्परा और नियमों से बंधे हुये होने के कारण हिन्दू समाज ने इस्लाम के आक्रमण से अपने को बचा लिया। हिन्दुओं में जाति-व्यवस्था पहले से कड़ी थी। इस समय जाति के भिन्न, क्षात्रपान और विवाह-शादी के बन्धन कड़े कर दिये गये। इससे हिन्दू समाज में संकीर्णता आ गयी; परन्तु बाहर के आक्रमणों का प्रभाव इन बन्धनों से टकराकर बिखर जाता था। हिन्दुओं ने सामाजिक दृष्टि से अपने विजेताओं को कभी अपने से ऊँचा नहीं माना और प्रतिक्रिया के कारण उनको नीचा समझते रहे। फिर भी जो छेग भारतीय होने के लिये तैयार थे उनके साथ अब भी हिन्दुओं का व्यवहार उदार था। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण शाह से आने वाली आसाम में अहोम-जाति है, जो वहाँ आकर पूरी हिन्दू हो गयी।

मुसलमानों के सम्पर्क और प्रभाव से हिन्दुओं में कई प्रयागें चालू हो गयीं। इनमें से एक स्त्रियों में पर्दा-पथा थी। हिन्दू-समाज में कुछ तो मुसलमानों के अनुकरण और कुछ स्त्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से यह प्रथा चल गयी। इसी प्रकार वाक-विवाह की प्रथा भी स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के लिये चाली हुई। सती की प्रथा योही बहुत प्राचीन काल में भी चालू थी, किन्तु मध्य युग में उसका प्रचार बढ़ गया, क्योंकि विधवाओं के भगाये जाने और उनके मुसलमान बनाये जाने की सम्भावना अधिक थी। चौहर की प्रथा भी मुस्लिम आक्रमणों के कारण बढ़ चली थी। हिन्दू-समाज में स्त्रियों का आवर इस समय भी काफी था। उनके सतीत्व की रक्षा के लिये वे लोग अपने प्राण देने के लिये तैयार रहते थे। वे शासन और सेना संचालन का काम भी अच्छी तरह कर सकती थीं। पारंगल की रानी रुद्राव्या इसका स्वच्छन्द उदाहरण है। इनबन्तु हिन्दुओं के आतिथ्य-सरकार की यही प्रशंसा करता है।

(२) मुस्लिम-समाज

यद्यपि बहुत से मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में बस गये, फिर भी उनका दृष्टिकोण बहुत कुछ विदेशी था। उनकी भावना और प्रेरणा भी याद से मिटती थी। उनमें धार्मिक और राजनीतिक जमिमान बहुत अधिक था। इसलिये हिन्दुओं को वे नीची और घृणा की दृष्टि से देखते थे और उनसे भयानक रहते थे। वे अपने समाज में उन्हीं हिन्दुओं को मिटाते थे, जो इस्लाम को ग्रहण करते थे। नये मुसलमान भी अपना धर्म, भाषा और बेष

यह सब होने के कारण भावना और जीवन में अन्धकारी हो जाते थे। मुस्लिम समाज मुस्लिम राज्य का वृषापात्र था। अपनी सुरक्षा और जीविक के लिये उसको धिम्मा नहीं थी। सेना और शासन में उनके लिये स्थान सुरक्षित थे। जब तक उसमें धार्मिक उत्तेजना और विषय के लिये आवेग था, तब तक उसके जीवन में कठोरता और शक्ति थी। परन्तु राज्य और सम्पत्ति मिल जाने पर उसमें बिलासिता आ गयी। सराब, जुआ, स्पर्धित्व आदि मुस्लिम-समाज में घर कर गये और उसका नैतिक और शारीरिक पतन होने लगा। इस्लाम में दाम प्रयास तो भारत में आने से पहले से ही थी। भारत में अर्धव्यवसायिक गुलाम बनाये गये। गुलामी के कारण मुसलमानों में अलस्य, बिलासिता और घृणाकार और बढ़ गये। मूक इस्लाम के अनुसार सारे मुसलमानों में समता का भाव था, किन्तु जब भीते हुये देशों में बड़े पैमाने पर लोगों को मुसलमान बनाया गया, तो बाहरी मुसलमान भव-मुस्लिमों के साथ समता का व्यवहार न कर सके, जिस प्रकार युरोपीय ईसाई आधुनिक युग में दूसरे देश के नये धर्मियों के साथ परावरी का व्यवहार न कर सके। भारत में इस्लाम हिन्दू समाज के धार्मिक और व्यावसायिक किन्तु निचले स्तर की कई जातियों जैसे चण्ड्याय या कोरी (जुलाहा), पुनियाँ, मुईकार (दरजी), मट, पेंबरिया, मगरिया, माट, मणिहार, शूबीहार, जोगी, गुमाई आदि को सामूहिक रूप से मुसलमान बनाया। किन्तु वे रबील (,बीच) समझी गयीं, उनको शरीफ (ऊँच) का पद नहीं मिला और न तो सैयद, सेत, पठानों ने उनके साथ विवाह-शादी, शाद-यात्रा, का ही व्यवहार किया। इस्लाम के धर्म से पता चलता है कि मुसलमानों में स्त्रियों का स्थान ऊँचा न था। उनमें कड़ा पर्व, रवेछी और बहु-विवाह का बहुत प्रचार था। सुबताना रमिया तो अपवाद स्वरूप थी और उसके अंग दोने के कारण मुस्लिम अमीरों ने उसका तिरस्कार किया और गद्दी से हटाया। फिर भी पर्व के भीतर स्त्रियों की शिक्षा का प्रचार होता था। मुसलमान अपने समाज के भीतर दास और दया का भाव दिखलाते थे। बहुत सी दामकानें (दामगृह) बनी हुई थीं, जहाँ कि गरीबों को भोजन मिलता था।

३. धार्मिक अवस्था

जब, तुर्क और अफगाणों के आक्रमण के फलस्वरूप इस्लाम और हिन्दू-धर्म में संघर्ष हुआ। शुद्ध धर्म और जीवन के एक पन्थ के रूप में इस्लाम धर्म का विशेष हिन्दू-धर्म में कभी नहीं किया। इस्लाम की तीहीय (ईश्वर

की जटिलता) और मुस्लिम सन्तों का आदर बराबर हिन्दू समाज में हुआ; परन्तु रामनीति के साथ मिले हुए इस्लाम का घोर विरोध, हिन्दुओं ने किया। इस संघर्ष में न तो इस्लाम हिन्दू-धर्म को नष्ट कर सका और न हिन्दू-धर्म इस्लाम को बिल्कुल रोक सका। इसलिये कुछ शताब्दियों तक साथ रहने के बाद एक दूसरे को समझने, समझौते और समन्वय की नीति शुरू हुई तथा हिन्दू-धर्म और इस्लाम दोनों ने परिस्थिति के अनुकूल बनाने की चेष्टा की।

(१) हिन्दू-धर्म

हिन्दू-धर्म को इस्लाम में कोई नयी या मौलिक बात नहीं मिली। इस्लाम की सीद्दीह उसके लिये कोई नया आविष्कार नहीं था। एक मूल या ईश्वर की एकता का सिद्धान्त हिन्दू-धर्म में बेवों और उपनिषदों के समय से चला आता था। अनेक देवताओं की कल्पना करते हुए भी हिन्दू उनके द्वारा एक ईश्वर का ही दर्शन करते थे। भारतीय मूर्ति-पूजा के सम्बन्ध में इस्लाम का बहुत बड़ा अज्ञान था; इसलिये उसके द्वारा भारत में भयंकर विघ्नस हुआ। इस्लाम के आक्रमण होते हुये भी शुद्ध इस्लाम के प्रति हिन्दू-धर्म की उदारता बनी रही। इसका उदाहरण पिच्चीगढ़ में राजा फुम्भा के लघ-स्तम्भ के ऊपर पाया जाता है। लघ-स्तम्भ की शीशों पर जहाँ हिन्दू देव-मण्डल की सभी मूर्तियाँ अंकित हैं, वहाँ भरबी अक्षरों में 'अल्लाह' भी खुदा हुआ है। किन्तु हिन्दू-धर्म में मौलिक विप्लवता और उदारता होते हुये भी पूर्व मध्यकाल में कई बिकार उत्पन्न हो गये थे, जिनकी चर्चा की जा चुकी है। इस्लाम का मामला हिन्दू-धर्म को केवल रण-भूमि में ही नहीं धार्मिक जीवन में भी करना था। इस समय के हिन्दू समूह और महारामाओं ने आन्तरिक परिष्कार कर उसको समव्योपयोगी बनाने का प्रयत्न किया। उनके सामने दो मुख्य प्रश्न थे—(१) धर्म का सुधार कर उसको सारी जनता के लिये सुलभ बनाना और हिन्दू धर्म के जहाँ पहलुओं पर जोर देना, जिनके लिये शुद्ध इस्लाम भी आकर्षण पैदा कर सकती था और (२) इस्लाम के आक्रमण से हिन्दू-धर्म को बचाना, किन्तु साथ ही साथ हिन्दू धर्म और इस्लाम के पारस्परिक संघर्ष, भेदभाव, सम्बेद, कटुता आदि को कम से कम करके परस्पर समझौते और भाई-बारे के भाव को पशाना। इन दो प्रश्नों का हल उस समय के वैष्णव भक्ति मार्ग में मिला। इसमें ईश्वर की एकता, कर्मकाण्ड और गुप्त-पूजा-पद्धति के बन्धे भगवान की भक्ति और शुद्ध आचरण, ईश्वर के आगे मनुष्यमात्र की समता, पुनासूत और ऊँच-नीच के भाव की निरस्तारता

पर जोर दिया और हिन्दू-इतिहास के सबसे अधिक अन्धकारमय युग में जनता को प्रकाश दिखाया। हिन्दू-धर्म के जीवित रहने और पुनरुत्थान का यही रहस्य था।

(२) इस्लाम

कई सतायुगों और देशों के चकर और अपने बड़े विस्तार के कारण इस्लाम भी अपनी मूल पवित्रता, सादगी, समता आदि को कायम न रख सका। उसमें भी कई सम्प्रदाय और उप-सम्प्रदाय पैदा हो गये। उसका धर्म-विज्ञान और धर्म शास्त्र पेचीदा और अनुवार होता गया। माबना की शक्ति और ईश्वर की भक्ति के बड़े मसजिद, मकबरा, तामिया और धार्मिक क्रिया-कलापों का महत्व बढ़ गया। उसमें मनुष्य मात्र की समता के बड़े मुस्लिम और गैर-मुस्लिम का भेदभाव उत्पन्न हुआ और मुसलमानों के बीच में भी ऊँच-नीच का भेद उत्पन्न हो गया। इस युग के मुसलमानों में भी कई सन्त और महात्मा हुए जिन्होंने इस्लाम को एक नयी रोशनी दी। इस्लाम के ऊपर हिन्दू-धर्म के बेदान्त, भक्ति-मार्ग और रहस्यवाद का प्रभाव पड़ा। इसी समय इस्लाम में सूफीमत का विकास हुआ, जो भारतीय बेदान्त और रहस्यवाद से बहुत कुछ मिलता-जुलता है।

४. मध्ययुग के सन्त और महात्मा

जिन सन्त और महात्माओं ने मध्य-युग के अन्धकार में धर्म का सुधार और पुनरुत्थान और जीवन में उदारता और समन्वय की नीति का प्रचार किया, उनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है :

रामानुज

इनका जन्म बारहवीं शती में त्रिचिण के कांची नामक नगर में हुआ। ये धार्मिक सन्तों से प्रभावित थे। इन्होंने श्री वैष्णव-धर्म का प्रचार किया। शंकराचार्य के दृष्ट-भेदवाद की समालोचना की और सगुण ईश्वर की भक्ति को जनता में फैलाया। इनका सम्प्रदाय पद्म शी लोकप्रिय हुआ। इसके समय में त्रिचिण के वैष्णवों और शैवों में परस्पर काटो घगड़ाया। रामानुज के धर्म ने इसको कम किया।

शाननेय

यह देणगिरि के पादव राजा रामचन्द्र के समकालीन थे। इन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता पर शानेश्वरी नाम का प्रसिद्ध भाष्य प्रसिद्ध किया।

की शिक्षा। इनका धर्म भी भक्तिमार्गी था। सामाजिक मामलों में वे उदार थे।

रामानन्द
महाराष्ट्र के एक वरुणी परिवार में वे उत्पन्न हुए थे। इन्होंने धर्म के बाहरी अंगों की आलोचना की और चित्त की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया। मराठी भाषा में इनके अमंग (पद्य) अभी तक प्रसिद्ध हैं।

रामानन्द
तेरहवीं शताब्दी के अन्त में प्रयाग के एक ब्राह्मण-परिवार में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा इनकी काशी में हुई और यहाँ पर वे वैष्णव सन्त राघवानन्द के शिष्य हो गये। इनके समय में कृष्ण-भक्ति का प्राधान्य था, जिसमें गोपी-माध, रास और अनेक शृंगारिक छीछार्य प्रचलित थीं। कृष्ण-भक्ति के स्थान में रामानन्द ने राम-भक्ति का प्रचार किया, जिसमें, सादगी, त्याग और तपस्या की साधना अधिक थी। उनका वैष्णव धर्म बड़ा उदार था और उनके शिष्यों में चमार, घोषी, नाई, मुसलमान आदि सभी जाति के लोग थे। कवीरदास इन्हीं के शिष्य थे। इन्हीं के सम्प्रदाय में आगे चल कर गोस्वामी तुलसीदास हुए। रामानन्द ने अपने प्रचार का माध्यम लोक-भाषा हिन्दी को बनाया।

कवीर
१३९८ ई० के लगभग बनारस के एक लुछाहा परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पूर्वज नव-मुस्लिम थे। इनकी जाति के ऊपर नाथ-पंथ का बड़ा प्रभाव पड़ा था और कवीर के उपदेशों में इस पंथ के योग, स्थान और साधना के बहुत से अंग पाये जाते हैं।

कवीर पंचपन से ही धार्मिक स्वभाव के थे। बड़े होने पर वे वैष्णव सन्त रामानन्द के शिष्य हो गये। उनके जीवन में नाथ-पंथ वैष्णव भक्तिमार्ग, अद्वैत वेदान्त और इस्लाम के सूक्ष्मतत्त्व का सुन्दर संगम था। वे हिन्दू-धर्म और इस्लाम के सार-अंश का प्रचार करते थे और उनके पाहरी अंग, जाति, अस्तिमान, उड़पूजा, तीर्थयात्रा, नदी-स्नान, नमाज़, रोज़ा, और कम-पूजा आदि की निन्दा करते थे। वे ईश्वर और मनुष्य जाति की एकता पर जोर देते थे



संत कबीर

और हिन्दू-मुसलमान सबको एक समझते थे। उनके शिष्यों में हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। उनकी निर्भीक और सुधारवादी विचारों से माराज होकर सिफरखर खोदी ने उन्हें बनारस से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद वे घूमते-घूमते मगहर (गोरखपुर जिले में) पहुँचे और वही उनका अन्त इलाका था।

गुरु नानक

कबीर ने जिस निर्गुण शक्ति और सुधारवादी विचार-धारा का प्रचार किया, प्रायः उसी परम्परा में इनका भी जन्म हुआ। १४६८ ई० में लाहौर के पास पंजाब में इनका जन्म एक खत्री परिवार में हुआ था। कर्मकाण्ड और रीति-रिवाज की उपयोगिता में इनका विश्वास नहीं था। जातिभेद और सम्प्रदायवाद के ये विरोधी थे। पंजाब में मुस्लिम शासकों के कारण



गुरु नानक

जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उनका गुरु नानक पर प्रभाव था। हिन्दू और मुस्लिम धर्म के संपर्कों का मुख्य कारण उनकी शिष्यों और प्रचारकों थी। इनको छोड़कर नानक ने उपनिषदों के निर्गुण प्रपञ्च, सुधारवादी और प्रार्थना पर जोर दिया। ईश्वर की प्राप्ति के लिये मन्त्र और उप को साबन बताया। हिन्दू-धर्म और इस्लाम के मतभेद का यह एक सुन्दर मार्ग था।

वट्टभाष्यार्य

इसका जन्म एक सैल्य ब्राह्मण-परिवार में १४०९ ई० में हुआ। बड़े ही समय में इन्होंने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वे कृष्ण के उपासक थे और उन्हीं की भक्ति का प्रचार करते थे। कान्ही में आकर इन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की। इनकी उपासना मधुर भाव की थी। इनकी साधना के अनुसार मगधाम् के सामने सम्पूर्ण समर्पण आवश्यक है। इनके सम्प्रदाय का विशेष प्रचार मल्लमंडल, गुजरात और राजस्थान में हुआ।

चैतन्य

इसका जन्म १४८५ ई० में बंगाल के नदिया नामक स्थान में एक ब्राह्मण-परिवार में हुआ। १५ वर्ष की युवावस्था में ही इन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। वे बड़े ही भावुक और कृष्ण के उपासक थे। ईश्वर और मनुष्यमात्र का प्रेम इनके उपदेशों का सार था। मगधाम् की भक्ति में वे जातिभेद को नहीं मानते थे। इनके शिष्यों में भी समी जाति और धर्मके लोग शामिल थे। चैतन्य के वैष्णव-धर्म ने बङ्गाल और बाममार्ग से बंगाल का उद्धार किया।



चैतन्य देव

मीराबाई

जिस समय वट्टभाष्यार्य और चैतन्य के भक्तिमार्ग उत्तर-भारत में फैल रहे थे, मारवाड़ के राजकुल में मीराबाई का जन्म १४९८ ई० में हुआ। इनका विवाह मेवाड़ के राजा सांगा के एकके भोज से हुआ था। बालकपन से ही मीराबाई कृष्ण-भक्ति में लीन रहती थी। वे अक्सर तीर्थ-स्थानों में घूमती हुई कृष्ण-प्रेम का प्रचार करती थी। इनकी कविताये बड़ी उच्च क्रेटि की हैं और हिन्दी साहित्य के इतिहास में इनका ऊँचा स्थान है।

मुस्लिम सन्त

जिस समय बहुत से हिन्दू सन्त और महात्मा देव में प्रेम, उदारता और

इस काल के संस्कृत ग्रन्थ अधिकांश भाष्य अथवा संग्रह थे। मौलिक और स्वतंत्र ग्रन्थ कम लिखे गये। केवल सन्त कवियों ने भक्ति-संग्रहों के स्वतंत्र काव्यों की रचना की। संस्कृत के साथ-साथ प्रांतीय भाषाओं में भी बहुत से ग्रन्थ लिखे गये।

६. कला

भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमण के कारण देश में साहित्य, साख और विज्ञान का महज विकास रुक गया। इसीलिये साहित्य में मौलिक और रचनात्मक ग्रन्थ कम लिखे गये। मौलिक विज्ञान, रसायन, वैद्यक, ज्योतिष, गणित आदि की उन्नति भी रुक गयी। कलाओं में मूर्तिकला और चित्रकला भी मुसलमानों द्वारा पीछे डुबे प्रदेशों में नष्ट हो गयी, क्योंकि इस्लाम में इनका निषेध था। स्वतंत्र हिन्दू राज्यों में इनको सहारा मिलता रहा। जिन कलाओं का निषेध इस्लाम में नहीं था, उनका विकास इस काल में होता रहा। विशेषकर वास्तु या भवन-निर्माण-कला, संगीत और मुद्रा-कला की काफी उन्नति हुई।

वास्तु-कला

दो संस्कृतियों—मुस्लिम और भारतीय—के संघर्ष और सम्मेलन में इस काल की वास्तु-कला का निर्माण शुरू हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने धार्मिक आदेश में बाम्बू-कला के बहुत ही सुन्दर नमूनों का विध्वंस किया। पर यहाँ कम जाने के बावजूद यहाँ से मस्जिदों—मसजिदों, राजमहल और मकबरे आदि का निर्माण भी कराया। इन सभी इमारतों में मुस्लिम और भारतीय आदर्शों और इस्लाम कला का मेल हुआ। तुर्क और पठान सैनिक के रूप में भारत में आये। वे अपने साथ कलाकार और भवन-निर्माता नहीं लाये थे। इसलिये भारतीय कलाकारों और हिन्दू मस्जिदों और राजमहलों की सामग्रियों ने मुस्लिम वास्तु-कला को काफी प्रभावित किया। भारतीय वास्तु-कला में मूर्ति-अंकन एक मुख्य अंग था; मुस्लिम वास्तु-कला में यह निषिद्ध था। भारतीय वास्तु-कला में शृंगार और मजाबद अधिक थी, मुस्लिम वास्तु-कला में कठोर मादगी। दोनों के आदर्श एक दूसरे से भिन्न थे। किन्तु दोनों के मिश्रण ने एक नयी कला का जन्म दिया, जिसको भारतीय मुस्लिम-कला कह सकते हैं।

काल और स्थान भेद में भारतीय मुस्लिम भवन-निर्माण-कला की कई शैलियाँ थीं। इस देश के अरब आक्रमणकारियों ने भवन-निर्माण में कोई रुचि नहीं दिखाई, किन्तु उन्होंने भारतीय वास्तु-कला और दूररी कारी-


गरियों की प्रशंसा थीर बकल की। महमूद गजनवी ने भारतीय कारीगरों के द्वारा गजनी में एक अत्यन्त सुन्दर मसजिद का निर्माण कराया, जिसको "स्वर्गीय बुलढिन" कहा जाता था। वास्तव में शहाबुद्दीन गोरी के बाद गुलाम-बंदा से भारत में सुस्लिम इमारतों का बनना प्रारम्भ हुआ। शुरु की इमारतों पर हिन्दू प्रभाव की प्रधानता है। क्योंकि पा हो मन्दिरों के ऊपरी भाग को तोड़कर उन्हीं के ऊपर मसजिदें बनायी जाती थीं या मन्दिरों की सामग्रियों से उनका निर्माण होता था। यह कहना आवश्यक है कि कारीगर और मसदूर प्रायः भारतीय थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अजमेर में "अट्टाई दिन का झोंपड़ा" नामक मसजिद है, जो चौहान राजा विमलराज द्वारा बनाये हुए संस्कृत विद्यालय को तोड़ कर बनी थी। दिल्ली की जामा मसजिद और कुतुबुल-इस्लाम में भी इसके दृष्टान्त मिलते हैं। पीछे पीरे-पीरे सुस्लिम प्रभाव बढ़ने लगा। इस शैली की मुख्य इमारतें इतुबुद्दीन की बनाई हुई हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कुतुबमीनार है, यद्यपि यह हिन्दू विष्णुस्तम्भ के ऊपर केवल आवरणमात्र है। इन्तुतमिश और यलवन के समय में इमारतों का गाढ़ इस्लामी प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। खिलजी-काल में सुस्लिम सत्ता की दृढ़ता और समृद्धि के कारण सुस्लिम वास्तु-कला में बहुत उन्नति हुई। इस समय की इमारतों की रचना, शैली, शृंगार, उनके अनेक अंगों का गठन, गुम्बदों का प्राधान्य आदि सभी उच्च कोटि के हैं। इस शैली के मुख्य उदाहरण जमायतखान-मस्जिद और कुतुबमीनार के पास अल्लाई दरवाजा, हीजे अल्लाई और हीजे-खास हैं। तुगलक-काल की वास्तु-कला में फिर परिवर्तन हुआ। शृंगार और सौन्दर्य का स्थान फिर सादगी और विशाकता ने ले लिया। इसका कारण यह था, कि फिरोज तुगलक कहर मुसलमान था और यह भारतीय प्रभाव को हटाकर शुद्ध इस्लामी शैली का उद्धार करना चाहता था। इस काल की प्रसिद्ध इमारतों में तुगलकशाह का मकबरा उल्लेखनीय है। सैयद और लोदी-वंश के समय में शिखरी शैली को फिर सजीव करने का प्रयत्न किया गया। किन्तु तुगलक कालीन कठोरता से यह मुक्त न हो सकी।

सवतनत के समय में वास्तु-कला की प्रान्तीय शैलियों में काफी विकास हुआ। दिल्ली से दूर होने के कारण प्रांतीय शैलियों पर हिन्दू प्रभाव पड़ा। जौनपुर सुस्लिम वास्तु-कला का बहुत बड़ा केन्द्र था। वहाँ की इमारतों में अताला मसजिद, जामा मसजिद और जाल दरवाजा मसजिद आदि प्रसिद्ध हैं। अताला मसजिद आदालिका देवी का मंदिर

सौंदर्य बनवायी गयी थी। विशाल दीवारें, चौकोर प्रभे, मीनारों का भ्रमण, संग बरामदे और फोहरियाँ इनके ऊपर हिन्दू-कला के प्रभाव को साफ बतलाती हैं। बंगाल में भी वास्तुकला के बहुत-से नमूने पाये जाते हैं। यहाँ की इमारतों में हुसेनशाह का मकबरा, सोना मसजिद, फद्वमरसूल आदि मुख्य हैं। पाण्डुआ में अद्दीना-मसजिद बंगाल की सौंदर्य का उत्तम नमूना है। मरुतमल के सभी प्रांतों में गुजरात की वास्तु-कला सबसे सुन्दर थी। गुजरात के सुखानों ने अहमदाबाद, अम्पानेर, कम्पे आदि स्थानों में अनेक सुन्दर भवनों का निर्माण कराया। इनमें अहमदाबाद की जामा मसजिद सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें २०० खम्बों के ऊपर १५ गुम्बज धरे हुये हैं। गुजरात की मुस्लिम सौंदर्य पर हिन्दू और जैन प्रभाव स्पष्ट हैं। मालवा में धार और मांडो भी मुस्लिम-कला के केन्द्र थे। धार की इमारतों पर हिन्दू-कला का अधिक प्रभाव है, किन्तु मांडो की इमारतों की मुस्लिम सौंदर्य अधिक स्वतंत्र है। यहाँ की इमारतों में जामा मसजिद, टिडोला महल, जहाज महल, दुर्यांग शाह का मकबरा, याजयहादुर और रूपमती के महल आदि प्रसिद्ध हैं। काश्मीर के मुस्लिम सुखानों ने भारतीय लकड़ी और वास्तु-कला का अनुकरण किया। दक्षिण में यहमनी-वंश और उसके पठक पर स्थापित दूसरे राजवंशों की राजधानियों गुळबर्गा, बीर, अहमद-नगर और बीजापुर में मुस्लिम वास्तु-कला को काफी प्रभय मिला। यहमनी सुखानों द्वारा निर्मित गुळबर्गा में जामा मसजिद, बीरताबाद में खाँद मीनार और महमूद्गर्गा का महल प्रसिद्ध हैं। दक्षिण में भारतीय हिन्दू-मुस्लिम मिश्रित वास्तु-कला १५वीं शती में विद्यमान हुई। बीजापुर में आदिलशाही सुखानों द्वारा बनाई गयी मसजिदें इसी सौंदर्य की हैं। मुहम्मद-आदिलशाह का मकबरा जो गोल-गुम्बज थी बंदकाल है, इस कला का उत्तम उदाहरण है।

भारत का जो भाग स्वतन्त्र या अर्द्ध-स्वतन्त्र था, वहाँ प्राचीन भारतीय वास्तुकला की सौंदर्य चम्की रही। मेघाड़ के राजाओं ने बहुत से दुर्ग, राजप्रसाद, मन्दिर, सरोवर आदि का निर्माण कराया। रत्ना गुम्मा में इसी काल में बिलौड का अय-स्तम्भ बनवाया जो स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। उड़ीसा में मन्दिर निर्माण-कला का विशेष विकास हुआ। पुरी का जगन्नाथ मन्दिर, भुवनेश्वर का लिङ्गराज मन्दिर और कांणार्क का सूर्य-मन्दिर के सब इसी समय के बने हुये हैं और उभर भारत की पागल-सौंदर्य के सुन्दर नमूने हैं। हिन्दू-बामुण्डा का सबसे बड़ा केन्द्र सुदा-दक्षिण का विजयनगर राज्य था। यहाँ के हिन्दू वास्तु-कला भारतीय वास्तु-कला के

बड़े आश्रयदाता थे। इन्होंने विजयनगर और दूसरे स्थानों में अनेक पुर्ग, राजमासाद, मन्दिर, समा-भवन, महल, पोखरे आदि बनवाये। विजयनगर की सौरी अपनी विद्यालता और अनुपम शहर के लिये जगत्प्रसिद्ध है। मुसलमानों के अधीन प्रदेशों में ना शब्द भारतीय वास्तुकला दृष्टी हुई किन्तु




मुचनेश्वर का किड्वराज मन्दिर

जीवित थी। इस्लामी कानून के अनुसार मन्दिरों का निर्माण और दृष्टे।हुये मन्दिरों की मरम्मत भी मना थी, परन्तु कुछ उदार सुल्तानों और शासकों के समय में मरम्मत कराने और मन्दिर बनाने की आज्ञा मिल जाती थी। चर्च यह होती थी कि मन्दिर छोटे पैमाने पर बनाये जायें और किसी भी अवस्था में मन्दिर का सिलर पास की मसजिद की मीनार से ऊँचा न हो। उर्बासा और मुहूर-दक्षिण के मन्दिरों और उत्तर भारत के मन्दिरों के आकार में बड़ा अन्तर होने का यही कारण है।

मूर्ति, चित्र और सङ्गीत-कला

इस्लाम के द्वारा निषिद्ध होने के कारण मूर्ति-कला केवल हिन्दू राज्यों में ही चम्क रही। इस युग में भी पत्थर और काँसे की अनेक देवताओं की मूर्तियाँ बनती थीं, परन्तु उनमें बह सौन्दर्य और समीपता न थी, जो प्राचीन

मूर्तियों में पायी जाती थी। शुरू में चित्रकला भी इस्लाम में प्रसिद्ध थी। चीरे-चीरे इस्लाम पर ईरानी और भारतीय प्रभाव पड़ा और चित्रकला



फोणाई का सूर्य मन्दिर

पर से कड़ा प्रतिपक्ष्य टट गया। राजस्थान, कोणार्क (हिमांचल प्रदेश) और विजय नगर में चित्रकला की विशेष उन्नति हुई। वैसे तो कदर मुसलमानों को मस्जिद-कला भी प्रिय न थी, किन्तु ईरानी, तुर्की और भारतीय संस्कृति के सम्पर्क में आने पर इस्लाम में संगीत पर से रोक उठ्य ली। इस काल में संगीत-कला ही में हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों में सबसे अधिक मिश्रण हुआ। अमीर खुसरो ने ईरानी और भारतीय संगीत-कला के समन्वय का पड़ा प्रयास किया। भारत के राग और रागिनियों के साथ कपाल, गजल और कश्मीरी मिला गये। मृदंग और वीणा के साथ डोल और तबले भी बजने लगे।

७. आर्थिक मयम्या और जन-जीवन

शुरू के मुस्लिम शासकगणधारियों और नायकों की आर्थिक-नीति लुट और शोचन की थी। जनता के आर्थिक हित की उन्हें कोई चिन्ता नहीं थी,

परन्तु देश में बस जाने के बाद शासन की दृष्टि से उनके लिये यह आवश्यक हो गया कि वे जनता के आर्थिक जीवन को कम से कम एक सीमा तक बनवने लें। सबसे पहले बलबन ने इस पर ध्यान दिया। उसने भरावकता को दूर करके खेती और व्यापार के लिये सुविधा उत्पन्न की। दिल्ली के सुल्तानों में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक योजना बनायी और उसका प्रयोग किया। उसने जीवन की सामग्रियों और मूल्य पर कड़ा नियन्त्रण रखा; किन्तु इसका अधिकांश काम वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों को हुआ। बेचारे साधारण किसानों और जनता को तो कष्ट ही रहा। मुहम्मद तुगलक ने मिर्चों का सुधार किया और ताँबे का संकेत-सिद्धा चलाया। इससे देश में क्रय-विक्रय का हिसाब गड़बड़ हो गया। तुर्माग्य से उसके समय में एक बहुत बड़ा भूकाल मी पड़ा और समय से सहायता न मिलने के कारण बहुत से लोग मर गये। फिरोज तुगलक ने बहुत से अतिरिक्त करों को बन्द कर दिया और खेती के लिये नहरें निकलवायीं। इससे प्रजा की आर्थिक अवस्था अच्छी हो गयी। बहलोल खोवी, सिकन्दर और इब्राहीम के समय में खेती की व्यवस्था अच्छी थी और सामानों की कीमत कम थी। इस तरह इस काल में भारत का यह आर्थिक पतन न हुआ जो युरोपीय आक्रमणों और शासन के समय आधुनिक युग में हुआ। मुस्लिम शासक और जनता छूट और शोषण का घम इसी देश में खर्च करती थी, इसलिये किसी न किसी रूप में यह घम इसी देश में रह जाता था। मुस्लिम शासकों द्वारा उन उद्योग-धर्मों को भी प्रोत्साहन मिला, जिनका सम्बन्ध राजपरिवार, अमीरों और सरदारों से था, जैसे—ठकावत, किमसाब, सुईकारी आदि से बने हुये बहुमूल्य रेशमी, सूती और ऊनी कपड़ों का व्यवसाय, कीमती शराब, सजावट के सामान आदि।

जनता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार इस समय भी खेती था। किसान लगभग सभी हिन्दू थे और वे पुराने ढंग से खेती करते थे। फिरोज के समय में सिंचाई का प्रबन्ध बढ़कर और किसी सुल्तान ने कृषि की अवस्था सुधारने का प्रबन्ध किया हो ऐसा नहीं मान्य पड़ता। तुर्कों ने मालवा में भोजसागर के बाँध को काटकर किसानों का पड़ा अहित किया। किसानों के ऊपर भूमि-कर इतना लगा हुआ था कि वे कृषि का सुधार नहीं कर सकते थे। सुल्तानों की अपेक्षा स्वतन्त्र हिन्दू-राज्य विजय-नगर, मेवाड़ आदि खेती पर अधिक ध्यान देते थे। प्रायः पही अवस्था व्यापार की भी थी। सबतमल की ओर से व्यापार की उन्नति का कोई प्रयत्न नहीं दिखाई पड़ता। आने-जाने के रास्ते को ठीक रखने में उनका

उद्देश्य सैनिक या व्यापारिक नहीं। सबको के सुरक्षित न होने और अनापराधिक दुर्गियों के लगने से व्यापार पंगु हो गया था। बादरी देशों का व्यापार गुजरात के प्रांतीय सुवतान और विजयनगर के हिन्दू-राज्य के साथ था। यहाँ तक उद्योग-धन्यों का प्रस है, देश के प्राचीन उद्योग-धन्ये चलते रहे। सरकारी प्रोत्साहन केवल विद्यालय और सजावर के सामानों को तैयार करने के लिये मिलता था। विनिमय या सेन-वेन में साधारण जनता सामानों का ही आदान-प्रदान करती थी। सिद्धे सरकारी नौकरियों, अधीन राज्यों से वार्षिक कर और बड़े व्यापार में काम आते थे। सीने-चौरी और ताँबे के कई प्रकार के सिक्के चलते थे। मिट्टी में टंकन और जीतल अधिक प्रसिद्ध थे। व्याज के ऊपर शून्य भी दिया जाता था। जो छोट शून्य बुकाने में असमर्थ होते थे, वे साहुकार के यहाँ निश्चित समय तक गुलामी करते थे।

देहाती जीवन

मुस्लिम सेना और मुस्लिम जासकों का प्रभाव बढ़े-बढ़े भागों तक ही सीमित रहता था। वे कर वसूल करने के अतिरिक्त देहाती जीवन में कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं करते थे, इसलिये ग्रामीण जीवन का संगठन प्राचीन पंचायत के आधार पर चलता रहा। अपने आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के लिये हर एक गाँव अपना स्वतन्त्र और एकान्त जीवन बिताता था; परन्तु गाँवों को एक सूत्र में जोड़नेवाली प्राचीन संरघायें राजनीतिक कारणों से टूट चुकी थीं। देहात में अज्ञान और मूर्खमूढ़कता बढ़ती जा रही थी। गाँवों की निद्रा उस समय भंग होती थी, जब कोई सेना यहाँ से होकर निकलती थी या कोई कहर मुमकमान नामक उसको धार्मिक रूप से मुसकमान होने को विवश करता था। फिर भी गाँवों का सामाजिक जीवन इतना संगठित था कि बहुत-सी विपत्तियों को सहने हुये भी यह पता था।

२४ अध्याय

मुगल-राज्य की स्थापना और उसपर ग्रहण

स्थिति

मोघलुकी सती के प्रारम्भ में दिल्ली की सफलतत बिद्रोही शक्तियों की घोटों काकर आरिरी सौंस ले रही थी। मुस्लिम सूबेदारों ने सफलतत से बगावत करके प्रान्तों में अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिये थे। मेवाड़, उड़ीसा, बिजयनगर आदि कई हिन्दू राज्यों ने अपना सिर ऊँचा किया और हिन्दू शक्ति के पुनरुत्थान में लगे हुये थे। दिल्ली राज्य केवल दिल्ली के आसपास के प्रदेशों तक ही सीमित था। सफलतत की पश्चिमोत्तर सीमा विष्कूल अरक्षित थी। पंजाब, मुवतान और सीमान्त के मुस्लिम सूबेदार नाम मात्र के दिल्ली के अधीन थे और बार-बार स्वतन्त्र होने की कोपणा करते थे। उनका सम्बन्ध अफगानिस्तान और मध्य-पश्चिमा की मुस्लिम शक्तियों से था। हिन्दू और मुस्लिम दोनों शक्तियों सफलतत का भन्त करना चाहती थीं। पहले पश्चिमोत्तर की मुस्लिम शक्तियों ने याबर को भारत पर आक्रमण करने का निमन्त्रण दिया और उसने यह निमन्त्रण सहर्ष स्वीकार किया।

मुगल-वंश

तुर्क और पठान या अफगान सुस्तामों के बाद दिल्ली राज्य पर शासन करनेवासे मुगल बादशाह बास्त्व में मंगोल रक्त से थोड़े प्रभावित तुर्क थे। इस समय तक मध्य-पश्चिमा के मंगोल भी सुसलमान हो चुके थे और तुर्कों तथा ताजिकों के साथ मिल गये थे। परस्पर बिबाह-सम्बन्ध से उनका आकार-प्रकार भी बढ़ गया था। भारतीय मुगल इसी मिश्रित तुर्क-मंगोल शक्ति के थे, यद्यपि उनमें तुर्क रक्त की प्रधानता थी। स्वयं याबर, तैमूर का वंशज था। उनका बाप उमरदोख मिर्जा तुर्क था, किन्तु उसकी माँ पूनस जौ नामक मंगोल सरार की लइकी थी। मुगलों की मातृभाषा तुर्की थी; परन्तु वे इस्लाम धर्म और ईरानी सम्पत्ता को अपना चुके थे।

१. याबर

(१) घात्यायस्था

याबर के रक्त में दो कातियो का मिश्रण था। उसका पिता उमरसेय मिर्जा मुकं विजेता सैमूरलंग की पौत्रिणी पीरी में था। उसकी माँ कुतुसुग-



याबर

मिगार खंगेजकों (मंगोल सम्राट) की वंशज थी। इसीछिये याबर के स्वभाष में मंगोलों की बर्बरता और मुकों का साहस तथा क्रोधरता थी। उमरसेय मिर्जा तुर्किस्तान में फरगना का शासक था। १४९२ ई० में, जब कि याबर केवल ग्यारह वर्ष का था, उसके पिता का देहान्त हो गया। उसका हाकम-याकम और शिषा उमकी नानी की देख-रेख में हुई जो बड़ी बिगुपी थी। अपनी मालुभाषा तुर्की के ऊपर याबर का पूरा अधिकार था। तुर्क-बिषा में वह बड़ा मुदाह था। फारसी साहित्य और ईरानी संस्कृति का उसके ऊपर गहरा प्रभाव था।

(२) कठिमाह्यौं

उमरसेय मिर्जा के मरने के बाद याबर के जीवन की कठिमाह्यौं बड़नी चल हुईं। फरगना के ऊपर उसके गधा अहमद और उसके मामा महमूद ने चढ़ाई की; परन्तु उसकी प्रजा ने उसको चढ़ा लिया। याबर सैमूर की राजधानी समरकन्द पर अधिकार करना चाहता था। उसने १४९० ई० में समरकन्द पर कुछ समय के लिये अधिकार भी कर लिया, किन्तु तुर्किस्तान में याबर का जीवन लड़ाई, विजय और अगहद में ही बीता। उगे कई बार सफलता मिली और कई बार हार भी स्वानी पड़ी। अन्त में अपनी पैतृक सत्तबल से मिराषा होकर उमे बुद्धिग की ओर मुड़ना पड़ा। याबर हार और कठिमाह्यौं में प्रबनेबाला नहीं था, इसीलिये वह बाहर जाकर राज्य स्थापित करने में सफल हुआ।

(३) काबुल में

याबर अल्प-वृद्धिया में अपना सर्वस्व लो लुप्त था। वहीं से मगोषा बनकर उसने हिन्दुस्तान को चार दिया। काबुल में भाग्य ने उसका साथ

दिया। यहाँ पर उसका चचा अबुलखॉ बेग मिर्जा शासक था। उसकी मृत्यु १५०१ ई० में हो चुकी थी। इस परिस्थिति से काम उठाकर काबुल के सर्दारों ने विद्रोह किया। याबर के लिये यह सुनइहा अवसर था। बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और कम्बुहार (कम्बुहार) और हिरात को भी जीता। काबुल पर अधिकार करने के बाद बाबर ने बादशाह (बादशाह) की उपाधि धारण की। काबुल में स्थिर होने पर भी अपने पैतृक राज्य फरगना और समरकन्द को वह न भूल सका। मध्य-एशिया के मंगोल फारस के लिये भी खतरा थे; इसलिये फारस के बादशाह इस्माइल के साथ याबर की मैत्री हो गयी। बाबर ने एक बार फिर अपना पैतृक राज्य प्राप्त करने की कोशिश की। बाबर की जाति-विराद्री वालों ने उसका वहाँ रहना असम्भव कर दिया। उसके सभातीय बहर चुकीं थे, इसलिये वे फारस के शिया बादशाह के साथ याबर की मित्रता को पसन्द नहीं करते थे। १५१४ ई० में बाबर को फिर काबुल वापिस आना पड़ा। उसके जीवन में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। यदि वह मध्य-एशिया में सफल हुआ होता, तो शायद उसका ध्यान भारत की ओर न जाता। बाबर की इस पराजय में उसका बगवत अभिप्य और भारत का मुगल-साम्राज्य क्षिप्त हुआ था।

(४) भारत पर आक्रमण

भारत की परिस्थिति इस समय याबर को आक्रमण करने के लिये निमंत्रण दे रही थी। दिल्ली की गद्दी पर खोदी-यंदा का अख्तियार सुल्तान इब्राहीम खोदी शासन करता था। सल्तनत की रीढ़ तो पहले से ही टूट चुकी थी। इब्राहीम के व्यवहार से उसके राज्य में और भी असन्तोष फैल गया। देश में एक छोर से दूसरे छोर तक हिन्दू और मुसलमान राजाओं तथा सूबेदारों ने दिल्ली सल्तनत से विद्रोह करना और स्वतंत्र होना शुरू कर दिया था। इस परिस्थिति में बाबर का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हुआ। तुर्क-मंगोलों का पहला चरण काबुल में पहले से ही जमा हुआ था। अब उनका दूसरा पग भारत में पड़ा। भारत पर आक्रमण करने में बाबर के लिये पहला आकर्षण छद्म का था, यद्यपि उसके दिमाग में साम्राज्य की कल्पना भी चक्कर-काट रही थी। पहले उसने काबुल के पूर्व लैबर के पूर्व से कोइकाफ तक आक्रमण किया। यहाँ की छद्म से उसको काफी सोना और सामान मिला, किन्तु सीमांत के पथरों पर उसको बिबुद्ध सफलता नहीं मिली। काबुल छोड़ कर उमने मुख की फिर से तैयारी की। फारस के बादशाह के अनुकरण पर उसने अपने तोपखाने का संगठन किया और उसके संचालन के लिये तुर्क उस्तादजदी

को सोपसामे का रोगा बनाया। तुर्कों ने बास्त्र और पंगूक का प्रयोग मंगोलों से सीखा था। बाबर ने उसका उपयोग किया। भारत के ऊपर बाबर की विजय का यह एक मुख्य कारण था।

बाबर ने पश्चिमोत्तर भारत पर कई आक्रमण किये और उसके कुछ भाग पर अधिकार भी कर लिया। उसने पठान सुल्तान इमादीम लोदी के पास मुस्ता मुसिब नामक एक दूत भेजा और उसको कहलाया कि तुर्कों के अधीन जितने देश थे वह वापिस कर दे। पंजाब के शासक दौलतगंवा ने दून को रोक लिया। १५१९ ई० में बाबर ने चौथी बार भारत पर चढ़ाई की। इस समय पंजाब और दिल्ली की स्थिति बिगड़ चुकी थी। पंजाब का शासक दौलतगंवा इमादीम लोदी से नाराज हो चुका था। उसने अपने लड़के दिलावरगंवा को बाबर के पास भारत पर चढ़ाई करने के लिये निमन्त्रण देने को भेजा। इसी प्रकार मेवाड़ के राजा सांगा ने भी बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिये प्रोत्साहित किया। बाबर तो इसलिये उत्सुक बैठा था। उसकी सेना पूर्वी पंजाब तक पहुँची। उसने लाहौर को अपने हाथ में कर लिया और पूर्वी पंजाब में दौलतगंवा के लड़के दिलावरगंवा को सूबेदार बनाया। उसके फाउल लौट जाने पर दौलतगंवा ने अपनी भूल समझ ली और पूर्वी पंजाब को फिर अपने अधिकार में कर लिया।

(५) पानीपत की पहली लड़ाई

१५२५ ई० में पौषवों वार बाबर ने फिर आक्रमण किया। उसके साथ में बहादुरी के सुने हुए सैनिक और उसका लड़का हुमायूँ था। सब मिलकर बाबर के पास कुछ १२ हजार सैनिक थे। साथ में लाहौर की सेना भी थी। पूर्व में दौलतगंवा और इमादीम लोदी की सेनाएँ इकट्ठी हो रहीं थीं। दौलतगंवा के पास ७० हजार और इमादीम के पास १ लाख सेना थी। पानीपत के मैदान में मुगल और अफगान सेनाओं की मुठभेड़ हुई। पानीपत में भारतीय इतिहास के कई निर्णायक युद्ध रुके गये हैं, जिनमें भारत के भाग्य का निपटारा हुआ है। बाबर के पहुँचने का समाचार सुनकर इमादीम लोदी भी पानीपत के राजा बिक्रम के साथ वहाँ पहुँचा। वह अपने तक दोनों सेनाएँ एक-दूसरे के सामने की प्रतीक्षा करती रहीं। बाबर के पास ७०० गुरीवीय तोपें, पहलू में बंदूक भी और सुने हुए सुबमवार थे। इमादीम के पास १ लाख सेना थी, परन्तु इसमें अधिकांश बशिपिन हिराये के गिवादी ही थे, जिनको सुर्य का पूरा अनुभव नहीं था। इमादीम के सुबमवार भी बाबर के सुबमवारों की समता नहीं कर सकते थे। इमादीम के हथियार भी पुराने थे, जो बाबर

बन्दूक की पराचरी नहीं कर सकते थे। इस परिस्थिति में युद्ध का परिणाम साफ दिखाई पड़ता था। १९ अप्रैल १५२६ की रात में इमाहीम की सेना ने बाबर की सेना पर आक्रमण किया। संख्या की अधिकता के कारण शुरू में सफलता भी मिली; परन्तु चार-पाँच घंटों के भीतर ही दिल्ली की सेना तितर-बितर हो गयी। इमाहीम कोही युद्ध में मारा गया। बाबर ने सरकता से विजय प्राप्त की।

अफगानों की हार के तीन मुख्य कारण थे। एक तो अफगान-सेना में बहुत से अशिक्षित और किराये के सिपाही थे, जिन्होंने लड़ाई का अनुभव नहीं के बराबर था। दूसरे, अफगान सेना में योग्य सेनापति भी नहीं थे। इमाहीम का नेतृत्व बहुत कम था। तीसरे, अफगानों के बन्द-सब्र बहुत पुराने थे, जो बाबर की तोप-बन्दूकों से सामना नहीं कर सकते थे। इसके ठीक विपरीत बाबर के सिपाही खुले हुए थे। उसकी घुबसवार सेना में बड़ा बेग था। उसके पास युद्ध के नये साधन थे और सबसे बढ़कर उसका कुशल नेतृत्व था।

(६) दिल्ली और आगरा पर अधिकार और साम्राज्य की स्थापना

पानीपत में इमाहीम को हराने पर बाबर ने छोदी-बंस की दो राजधानियों— दिल्ली और आगरा—पर अधिकार कर लिया। उसको अपार छुट्ट का माल भी मिला। आगरे के दरबार में हुमायूँ ने ग्वाळियर से प्राप्त बहुमूल्य कोडेनूर हीरा बाबर को भेंट किया। बाबर ने कापुळ, फरगना, पदक्या, काजगर, फारस आदि में अपने मित्रों को विजय के उपलक्ष्य में उपहार भेजे।

पानीपत के युद्ध के बाद बाबर के सामने कई समस्याएँ थीं। पानीपत के युद्ध से छोदी-राजवंश गढ़ हो गया, किन्तु इतने से ही भारत में मुगल-साम्राज्य की स्थापना नहीं हो सकती थी। पहली समस्या अफगान सरदारों की थी, जो इमाहीम की मृत्यु के बाद बाबर को अपना सम्राट मानने को तैयार नहीं थे; परन्तु बाबर के सौभाग्य से थोड़े ही दिनों में अफगान बल में कूट पड़ गयी और बाबर ने हुमायूँ को भेड़कर पाँच महीने के भीतर अवध, बौनपुर, गाजीपुर आदि प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। बाबर के सामने दूसरी समस्या तुर्क-सेना को हिन्दुस्तान में रखने की थी। यहाँ का अल्लखायु सेना को पसन्द नहीं था और वह कापुळ छोड़ जाना चाहती थी। बाबर के बहुत समझाने-बुझाने और धमकियों के बाद सेना यहाँ रहने को राजी हुई। सबसे विकट तीसरी समस्या राजस्थान के राजपूत-संघ की थी। राजा सांगा के नेतृत्व में राजपूत-संघ उत्तर भारत पर अधिकार बनाने का प्रयत्न

कर रहा था। इस संघ को हराये बिना बाबर हिन्दुस्तान का सम्राट नहीं बन सकता था।

(७) राणा सांगा से युद्ध

राणा सांगा ने एक राजपूत-संघ बनाया था और उनकी महारवाकोंडा फिर भारत के ऊपर हिन्दू-साम्राज्य स्थापित करने की थी। उन्होंने बाबर को निमन्त्रण इस भासा से दिया था कि वह दिल्ली सल्तनत को नष्ट कर तैमूर की तरह वापस चला जायगा और वे उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकेंगे। बाबर के आक्रमण से राणा सांगा की इस योजना को क्या पक्का लगा, इसलिये बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया। राजपूत एक बार फिर अपने भाग्य की परीक्षा के लिये तैयार हुए। इस समय राजपूतों के साथ मकलान सरकार हखनखॉ मेघाती और इमाद्दीन लोदी का भाई महमूद लोदी भी था, क्योंकि भारत में मुगल-साम्राज्य की स्थापना से पटनों की सत्ता समाप्त हो रही थी। यह पकटा अबसर था, जब हिन्दू और मुस्लिम शक्तियों ने मिलकर एक विदेशी आक्रमण का सामना किया। पहले राजपूत-संघ पूर्ण की ओर बढ़ा। राणा सांगा ने मुगल सेना को हराकर फिर से बियाना, धौलपुर आदि प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। यह समाचार सुनकर बाबर ने आगरा से पश्चिम में बढ़कर सीकरी पर अपना पड़ाव ठाका। उसकी एक सेना और आगे बढ़ी, किन्तु राजपूतों से हार गयी। शुरू की इन दो हारों ने मुगलों में नालंका और भय फैल गया। इसी समय एक मुस्लिम उद्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की कि मुगल युद्ध में हार जायेंगे। इससे मुगल सेना और भी भयभीत और दनाश हो गयी। किन्तु बाबर खबराने वाला नहीं था। सिवन्दर की तरह उसने एक छोटी बलूचा सेना के सामने ही और युद्ध के लिये उसे तैयार कर लिया। १६ मार्च १५१७ ई० को राजपूत और मुगल सेनायें सीकरी से १० मील दूर रानवा नामक स्थान पर एक दूसरे के विरुद्ध लड़ी हुई। रानवा में राजपूत सेना बाबर की सेना से आठ गुनी थी, परन्तु बाबर ने योग्यता और चतुराई से अपनी सेना का संगठन और स्पृह-रचना की। उसके युद्ध के नये मापकों से इस बार भी उनकी सहायता की और अपनी राजपूतों और पटनों का संयुक्त मंत्र उसके सामने हार गया। हालांकि, अज्जा, रतनसिंह शायी, इमनता मेघानी आदि बड़े-बड़े सेनापति इस युद्ध में काम आये। और राजपूतों के मित्रों की सहायता पर बाबर बड़ा और उसने शारीकी उपाधि प्राप्त की। राणा सांगा भी पारल होकर मूर्तिमत्त थे। जब उनकी मूर्ति टूटी, तो वे अपने बचाने वाले

पर बहुत अप्रसन्न हुये। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि बाबर को जीते बिना पिछौद नहीं छोड़ेंगे। रणयन्त्रों के किले से उन्होंने फिर तैयार की। चम्बेरी के मेवनीराय के नेतृत्व में एक बार फिर राजपूतों ने मुगलों का विरोध किया, किन्तु राजपूत फिर हार गये। पानीपत के युद्ध के समान जायवा का युद्ध भी निर्णायक था। राजपूतों द्वारा हिन्दू-स्तिक के पुनरुद्धार की आशा बहुत दिनों के लिये जाती रही। इस युद्ध ने राजपूतों का नैतिक पतन भी किया। उनकी संघ-शक्ति टूट गयी और आगे चलकर मुगल सम्राट मेव और कोम-नीति से उनका उपयोग करने लगे। वास्तव में मुगल-सत्ता मिश्रित रूप से इसी युद्ध के बाद भारत में स्थिर हुई। राजपूत-संघ को लोहमे के बाद बाबर ने पूर्व-विहार और बंगाल में अफगानों के विद्रोह को सफलता के साथ दबाया और इस प्रकार सारे उत्तर भारत में मुगल-साम्राज्य की स्थापना की।

(८) शासन-प्रणाली

बाबर ने साम्राज्य की स्थापना के बाद शासन के संगठन और व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। बाबर की राजत्व-कल्पना दिल्ली के अफगान-शुर्क सुल्तानों की कल्पना से भिन्न थी। सिद्धान्त रूप में सशतमत् के ऊपर सभी सर्वारों और अमीरों का अधिकार होता था और सुबतान का पद निर्बाधित था। सशतमत् के भीतर बराबर विद्रोह और झूठक होने का यह एक बड़ा कारण था। बाबर इस कठिनाई को समझता था। इसलिये काबुल में उसने पादशाह की उपाधि धारण की थी, जो पैतृक मानी जाती थी और सर्वारों तथा अमीरों के हस्तक्षेप से मुक्त थी। बाबर का साम्राज्य बहुत बड़ा था, परन्तु बाबर की प्रतिभा अतनी पुष्ट और विजय के अनुकूल थी, उतनी शासन-प्रणाली के लिये नहीं। शासन-सुधार के लिये उसके पास समय भी कम था। उसने सशतमत् के शासन-प्रणाली में कोई उद्देश्यमयी सुधार नहीं किया और उसको पुराने ढंग से चलने दिया। उसका साम्राज्य कई जागीरों में बँटा हुआ था इसलिये मध्यकालीन सामन्त-प्रथा अब भी जारी रही। राज्य की आर्थिक अवस्था भी बाबर नहीं सुधार सका, परन्तु सीमित क्षेत्र में उसने धोरों और कुटेरों से प्रजा की रक्षा का प्रबन्ध किया। सबकों की रक्षा का भी उसने पयासमय प्रयत्न किया। भजन, उपवन, नहर और पुस्तकालयों का भी बाबर को शौक था। शासन-प्रणाली में कई दोष होने पर भी बाबर ने भारत में मुगल-राज्य और शासन की नींव डाली, जिसके आधार पर उसके प्रसिद्ध पोते अकबर ने विशाल साम्राज्य और सुव्यवस्थित शासन की व्यवस्था की।

(९) मृत्यु

बाबर ने अपना सारा जीवन युद्ध और संघर्ष में बिताया । अन्तिम समय में अधिक परिश्रम के कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो गया । इसी बीच में उसका बड़ा लड़का हुमायूँ १५३० ई० में सतलुज बीमार पड़ा और उसके अपने की आशा न रही । इसमें बाबर बहुत दुःखी और चिन्तित हुआ । कहा जाता है कि उसने हुमायूँ के पलंग की तीन पार परिक्रमा करके ईश्वर से प्रार्थना की कि हुमायूँ की बीमारी उसके ऊपर आ जाय । उसी रात में हुमायूँ अर्धरात्रि और बाबर का स्वास्थ्य खराब होने लगा । २१ दिसम्बर १५३० ई० को बाबर का देहान्त हो गया । उसकी इच्छा के अनुसार उसकी लॉस काबुल भेजी गयी और उससे जुने हुए सुरम्प स्थान में उसकी समाधि बनी । उसकी समाधि पर यह लेख अंकित है—'शुभु हुन किशवी को नहीं जीव मर्फी, क्योंकि यह जय भी अपनी कीर्ति के रूप में जीवित है ।'

(१०) व्यक्तित्व

इतिहासकारों ने बाबर के व्यक्तित्व की पूर्ण प्रशंसा की है । बाबर अपने युग में एशिया का सबसे प्रतापी राजा था और इन्हीं भी युग का देश के मघलों में उसको ऊँचा स्थान मिल सकता है । यह अपने भारभर और सुन्दर परिग्र तथा रोमांचक जीवन के कारण इन्डियन के इतिहास में प्रसिद्ध है । यह शरीर से सुन्दर और बहुत बलवान् था । कहा जाता है कि यह दो भादुमियों को अपनी कौल में दबाकर किले की पहारदीवारी पर खीद सकता था, गंगा जैसी नदी को ३० हाथों में तैर कर पार कर जाता था और दिन में भरसी मील तक घोड़े की पीठ पर बैठ सकता था । बाबर एक योग्य नैतिक और सफल तथा योग्य सेनानायक था । छोटी सेना से साथ उसने दक्षिण-पश्चिम इण्डिया जीती थी । शारीरिक बल और नैतिक योग्यता के साथ उसमें छान, लहरना और दूरदर्शिता भी छापी थी । यह एक प्रसिद्ध विद्वान और सामर्थ्य भी था । बाबर के स्वभाव में सामर्थ्य और मजबूत का अभाव समझना था । यह बड़ा शासक किन्तु उदार और गुरु व्यवहारवाला था । अपने परिवार और सन्तानियों को वह बहुत प्यार करता था । युग के साथ ही उसका व्यवहार बहुत उदार था । परन्तु जैसा कि मुहम्मद का स्वभाव था, यह किन्हीं अवसरों पर क्रूरता और प्रतापी भी जास न आता था । बाबर का जीवन लक्ष्मण से ही चित्तियों और कठिनाइयों में बीता था । इन्होंने यह दिव्यता का धारी नहीं था । यह प्रकृति की गोद में बना था, अतः प्राकृतिक दरियों का बड़ा प्रेमी था । किला और कला में भी उसने

कुशलता प्राप्त की थी। तुर्की और फारसी भाषा और साहित्य पर उसका पूरा अधिकार था। तुर्की भाषा का वह सिखदस्त लेखक और खूबसा कवि था। उसका दादर-मामा नामक संस्मरण संसार के साहित्य में प्रसिद्ध है। इस गुणों के होते हुए भी वह अपने पुग का अपवाद नहीं था। सहिरा, रमणी और संगीत का वह प्रेमी था, किन्तु वह शिशाचार का पाकन करता था और जो शराब पीकर पागल हो जाते थे उनसे घृणा। दादर का ईश्वर में अत्यन्त विश्वास था, किन्तु कहूर सुधी होने के कारण दूसरे धार्मिक सम्प्रदायों के प्रति वह अनुदार था। शिया धर्म के प्रति उसका सुकाय बहुत कुछ राजनीतिक कारणों से था। वह अपने राज्य और अर्थ के खोम को वेहाद (धर्मयुद्ध) कहता था और युद्ध में सन्तुष्टों का बंध करके अपने को गान्धी समझता था। भारत में मुसलमानों से इतर लोगों के साथ वह घृणा करता था। फिर भी अपने समय के बहुत से मुसलमान शासकों की अपेक्षा वह उदार था और उसके धार्मिक अत्याचार बहुत कम थे।

२. हुमायूँ

(१) कठिनाइयाँ

दादर की मृत्यु के बाद २९ दिसम्बर सन् १५१० ई० को हुमायूँ बड़े उत्सव और सज्जस के साथ सिंहासन पर बैठा। अपने माइयों और सम्बन्धियों के साथ उसने बड़ी उदारता का व्यवहार किया। तुर्क और मंगोलों की परम्परा के अनुसार हुमायूँ ने अपने पिता के साम्राज्य का बँटवारा अपने माइयों में कर दिया। कामरान को काबुल और कन्दहार, मिर्जा अस्करी को सर्गन्द, मिर्जा खिम्दाल को अफ्गार और मेवात और चचेरे भाई मुहम्मद सुलेमान मिर्जा को बंदाख्शा के प्रांत मिले। हुमायूँ की यह बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी और आगे चलकर इससे हुमायूँ के सामने बड़ी पैची-पगियाँ पैदा हो गयीं। सिंहासन पर बैठने के बाद ही हुमायूँ के सामने कठिनाइयाँ शुरू हो गयीं। पहली कठिनाई उसको अपने भाइयों की ओर से हुई। मुसलमानों में-राज्य के सिधे जेठे भाई का अधिकार सर्वमान्य नहीं था, इसलिये इरेक



हुमायूँ

छादजादा राज्य के लिये दावा करने लगा। दूसरी कठिनाई सेना की तरफ से उत्पन्न हुई। सेना में चंगतार्ई, उज्जबेग, मुगल, फारसी और अफगान कई एक जातियों के लोग शामिल थे। इनमें आपस में घृण पैदा हो गयी। ये जातियाँ अब मुगल-साम्राज्य की रक्षा के लिये नहीं किन्तु अपने स्वार्थ की आकांक्षा करने लगीं। सेना के लोगों ने हुमायूँ के विरुद्ध पदच्यवन करना भी शुरू कर दिया। बाबर ने साम्राज्य का संगठन ठीक नहीं किया था, इसलिये शासन भीतर से बहुत ढीला-ढाला था। एक और कठिनाई हिन्दुनाम के अफगानों की ओर से लड़ी हो रही थी। बिहार और बंगाल में उनकी शक्ति अभी मट नहीं हुई थी, जो मुगल-साम्राज्य के लिये बहुत बड़ा खतरा था। गुजरात में बहादुरशाह भी मुगल-साम्राज्य के लिये आतंक पैदा कर रहा था और भीतर ही भीतर पूर्व के अफगानों को सहायता दे रहा था। ऊपर उल्टी हुई कठिनाइयों का सामना करने के लिये हुमायूँ ने स्वभाव और साधन की दृष्टा नहीं थी। कामरान ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। हुमायूँ की कमजोरी और रियायत से पंजाब का सूया कामरान के हाथ में पला गया। मुगल सेना के अधिकांश सैनिक इसी प्रदेश से आते थे। पंजाब के निकल जाने से हुमायूँ की सैनिक शक्ति कमजोर हो गयी। हिन्दाव और अरकली ने भी हुमायूँ के लिए बाधा उत्पन्न की। उसके चचेरे भाई मुहम्मद सुरतान मिर्जा ने गद्दी के लिये दावा पैदा किया।

(२) गुजरात से युद्ध

जब कि हुमायूँ अपने भाइयों से ठीक तरह निपट भी न पाया था कि उसके साम्राज्य पर पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ से विद्रोह के बादल उमड़ आये। गुजरात में बहादुरशाह की बढ़ती हुई शक्ति ने हुमायूँ के मन में आतंक पैदा कर दिया। मेवाड़ के राजा से मिलकर बहादुरशाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया था और हुमायूँ के चचेरे भाइयों को अपने यहाँ शरण दी थी। अफगानों के उपद्रव को दिना अच्छी तरह खावे ही हुमायूँ गुजरात की ओर पला। उसने बहादुरशाह को हराया और अपने भाई अरकली को गुजरात का सूबेदार बनाकर स्वयं मालवा में आकर आराम करने लगा। इसी बीच में उसको समाचार मिला कि पूर्व में अफगानों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली है और बंगाल के सूबे पर आक्रमण कर दिया है। हुमायूँ आगा की तरफ लौटा। अरकली भी हुमायूँ के बीचे-बीचे पला और गुजरात तथा मालवा फिर बहादुरशाह के हाथ में चले गये। हुमायूँ अजमेरा में फिर विजय करने

हगा और एक वर्ष तक इस बात का निर्णय न कर सका कि उसे विहार पर आक्रमण करना चाहिये या गुजरात पर। इस बीच में पूर्व के अफगानों को अपनी शक्ति के संगठन का भरपूर अवसर मिल गया। अन्त में हुमायूँ ने निश्चय किया वह पूर्व के अफगानों की शक्ति का दमन करेगा।

(३) हुमायूँ और शेरशाह का संघर्ष

पूर्व की ओर बढ़कर हुमायूँ ने १५३० में पहले बुहार पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। शेरशाह ने बड़ी चालाकी से अपना सय माह बुहारसे रोहतासगढ़ के किले में भेज दिया। इस विषयसे उत्साहित होकर १५३८ ई० में हुमायूँ विहार छोटा हुआ गौड़ पहुँच गया। हुमायूँ के स्वभाव ने फिर उसे भोला दिया। उसने द्वा महीने उत्सव और जलसे में विता दिये, तब तक बरसात आ गयी। मछेरिया बुहार से सेना का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया। फिर उसने आगरा वापिस आने का निश्चय किया। किन्तु इस बीच में शेरशाह ने बंगाल और आगरे के बीच के रास्ते पर अपना अधिकार कर लिया था और उसकी सेना मुँगेर, बुहार और बीमपुर पहुँच गई थी। अपनी आधी नष्ट हुई सेना के साथ हुमायूँ बंगाल से चला। गंगा के किनारे चौसा नामक स्थान पर अफगान और मुगल सेनाओं का सामना हुआ। हुमायूँ हार गया और इलाक़ा छोड़कर शेरशाह से सन्धि कर ली। सन्धि की शर्तों के अनुसार बिहार और बंगाल शेरशाह के अधिकार में चले गये और वह शाही उपाधि धारण कर सकता था; लेकिन नाम मात्र को उसको हुमायूँ का आधिपत्य स्वीकार करना था। इस सन्धि से अफगान समुष्ट नहीं थे। उन्होंने धोले से मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। हुमायूँ को जान लेकर आगरे की ओर भागना पड़ा।

आगरे पहुँच कर हुमायूँ ने फिर अफगानों के साथ युद्ध की तैयारी शुरू की। उधर शेरशाह भी चुप न बैठा था। हुमायूँ ने अपने भाइयों से सहायता मांगी, किन्तु उन्होंने कोई सहायता न दी। इसके उल्टे बमराम और हिम्वाल दोनों ने बिद्रोह किया, जिनके अपनी उदारता से हुमायूँ ने जमा कर दिया। इस समय तक शेरशाह पूर्व से चलकर कन्नौज तक पहुँच गया था। हुमायूँ अपनी सेना लेकर अप्रैल १५४० में कन्नौज पहुँचा। अफगान और मुगल सेना की फिर मुठभेड़ शुरू हुई। मुगल सेना की अनुरक्षिता और कायरता से यहाँ भी मुगल सेना की हार हुई इस रणक्षेत्र में चंगताई (मुगल) हारे, यहाँ एक व्यक्ति भी—मित्र या शत्रु—घायल नहीं हुआ, एक भी बन्दूक का फायर न हुआ और तोपों की गारिषों सेकार नहीं। सम्राट् आगरा

भाग्य और जब शत्रु यहाँ पहुँचा, तो यह बिना दूर किये छाहौर चला गया। मम्मल, आगरा, ग्वालियर और दिल्ली पर अधिकार करता हुआ दोरणा पञ्जाब पहुँचा। कामरान दर के मारे पञ्जाब दोरणा के हाथों छोड़कर काजुल भाग गया। विजयी वापर के पुत्रों की यह भगदड़ बड़ी दृश्यनीय थी। हुमायूँ के हाथ से उमका राज्य निकल गया। भागने के सिवा उसके सामने कोई दूसरा चारा न था। दिल्ली में दोरणा ने फिर पठान-राज्य की स्थापना की।

(४) भारत से भागकर ईरान

छाहौर छोड़ने के बाद हुमायूँ शरण और सहायता की खोज में एक स्थान में दूसरे स्थान को भागता फिरा और अन्त में हिन्दुस्तान छोड़कर उसे फारस जाना पड़ा। अपने भागीदारों और मुसलमान सहायकों की उदासीनता और विश्वासघात से तंग आकर उसने जोधपुर के राजपूत राजा माण्डवीर से सहायता मांगी। किन्तु दोरणाद का समर्थन पाकर उसने सहायता देने में इनकार कर दिया और स्वयं हुमायूँ को गिरफ्तार करने का प्रयत्न करने लगा। इससे बाद हुमायूँ ने असरखोद के राजा के यहाँ शरण ली। 'अब कुछ समय के लिये भाग्य ने सघाट के साथ अपना व्यवहार करता।' १५४३ ई. में हमीदा बेगम से हुमायूँ को एक बालक पैदा हुआ, जिसका नाम उसने जलालुद्दीन मुहम्मद अफगन रखा। कहते हैं कि कुछ ही उम्रों तक पर बॉटन के लिये हुमायूँ के पास कुछ न था, कैरल फसली की एक मात्र थी। कर्नूरी के दुकाने बँटते हुये उसने भाषा प्रकट की कि जिस तरह कर्नूरी की सुगन्ध फैल रही है, उसी तरह अरब का पक्ष भी इस संसार में फैलेगा। अब हिन्दुस्तान में रहना हुमायूँ के लिये सम्भव नहीं था। इस बीच में घोरमला भी हुमायूँ से ना मिला। काजुल में मिर्जा अरकरी और कामरान दोनों हुमायूँ को समर्थन की दृष्टि से देखते थे, इसलिए उन्होंने हमीदा और वापर को अपने यहाँ रक लिया, परन्तु हुमायूँ को शरण न ही। इसके बाद हुमायूँ ने फारस की ओर अपना मुँह मोड़ा, जहाँ उसका पिता वापर भी अपने राज्य से निर्वासित होकर सहायता के लिये गया था। फारस के शाह ने हुमायूँ का सम्मान किया और सहायता का वचन दिया। हिन्दुस्तान पर फिर विजय के लिये उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में हुमायूँ अपना गजन फारस में फारने लगा।

२५ अध्याय

पठान-शक्ति का पुनरावर्तन : सूर-वंश

१. शेरशाह

(१) यान्याघस्था और शिक्षा

पठानों की लोभी हुई शक्ति को फिर से जीवित करने वाला शेरशाह था। उसको पिता हुसैन बिहार में सहसराम का चागीरदार था। शेरशाह का जन्म १४८९ ई० में हुआ था। उसका छद्मनाम का नाम फरीद था। फरीद की माता नहीं थी। विमाता के प्रति बहुत आसक्त पिता के द्वारा तिरस्कार होता था। इसलिये घर से मिराश होकर के अजमेर चला गया। यहीं पर उसकी शिक्षा हुई। उसमें अरबी तथा फारसी भाषा का अच्छा अध्ययन किया। गुब्बिस्ता, दोस्ता और सिफन्दर-नामा उसको कंठस्थ थे। साहित्य और इतिहास में उसकी विशेष रुचि थी।




शेरशाह

(२) राजनीतिक जीघन का प्रारम्भ

फरीद की प्रतिभा से प्रसन्न होकर बिहार के सूबेदार जमालखां ने हुसैन और फरीद के बीच समझौता करा दिया और सहसराम की चागीर का प्रबन्ध फरीद के हाथ में जा गया, किन्तु उसकी विमाता ने फिर पक्षपात किया। चागीर छोड़कर फरीद बिहार के सूबेदार बहारखां के पास चला गया। शिकार के समय भीता मारने के कारण बहारखां ने उसको शेरखां की उपाधि दी। बहारखां से भी मतभेद होने पर शेरखां याबर के पास भागने चला गया। याबर शेरखां की योग्यता से प्रसन्न था। उसने जब बिहार के अफगानों पर आक्रमण किया तो शेरखां ने उसकी सहायता की। याबर ने खुश होकर शेरखां को उसकी पैतृक चागीर वापस कर दी और बिहार के मावाहिन सूबेदार जहालखां का उसको संरक्षक बना दिया। कुछ दिनों के बाद शेरखां बिहार का माणिक बन बैठा और हिन्दुस्तान में फिर एक बार पठान-राज्य का स्वप्न देखने लगा।

(३) मुगलों पर विजय और दिल्ली का सम्राट

सोतलों ने किस प्रकार हुमायूँ को हराया, इसका वर्णन किया जा चुका है। दिल्ली पर अधिकार करके उसने शेरशाह की प्रपाधि धारण की। दिल्ली-साम्राज्य को फिर से पठानों के अधीन करने का उसका स्वप्न पूरा हुआ। परन्तु वह मुगलों को पूरी तरह से भारत से बाहर निकाल देना चाहता था। इसलिए पंजाब, सिन्ध और सीमांत से उसने हुमायूँ और उसके भाइयों को गद्दह कर बाहर किया। इसके बाद उसने परगनों और पलोपियों को दबाया। धीरे-धीरे उसने मालवा, रायसेन, तथा मारवाड़ पर भी अपना अधिकार किया। जोधपुर के मद्रमदेय से उसका भयानक युद्ध हुआ और वह मरते-मरते बचा। १५४५ ई० में उसने काकिजर पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा कीरतसिंह ने बाहर युद्ध करने में अपने को असमर्थ समझकर किले में शरण ली। एक दिन शेरशाह जब स्वयं किले पर गोटियाँ बरसा रहा था, बारूद में आग लग जाने से बल कर घायल हो गया। उन्ही दिन शाम को काकिजर का किला जीत लिया गया, किन्तु जलने के कारण शेरशाह का



शेरशाह का मकबरा

हैदाम्न हो गया। उतका राज मदनराम पहुँचाया गया, जो उन्ही के बन्धुभाये युद्धे मकबरे में दफनाया गया।

(४) शेरशाह का शासन-प्रबन्ध

भारतीय इतिहास में शेरशाह केवल योग्य सैनिक और सफल विजेता के रूप में ही प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु उसकी कीर्ति विशेष कर के उसके अष्टौ शासन प्रबन्ध पर अबलम्बित है। अपने छोटे-से शासन-काल में शेरशाह ने शासनप्रबन्ध के प्रत्येक विभाग में सुधार किया। उसके पहले दिल्ली का शासन सैनिक था। शेरशाह ने अपनी प्रतिभा और योग्यता से उसको सम्य शासन का रूप दिया। इस दिशा में वह अकबर का पय-प्रदर्सक था।

(क) केन्द्रीय

शेरशाह के समय में भी मुख्यतः शासन एकताविक था। सिद्धान्त रूप में राज्य का सारा अधिकार उसके हाथ में था और वह निरंकुश था। परन्तु इसमें अच्छी बात यह थी कि शेरशाह क्षत्रियाली और समझदार शासक था। उसने अपने राज्य में शांति ही नहीं स्थापित की, किन्तु शासन का सुधार और संगठन भी किया। शासन के मामले में वह मौखिकियों और उल्लंघनों की बात न मानकर उदारता की नीति पर सत्पर था। उसका व्यवहार हिन्दू प्रजा के साथ उदार था। अधिकारियों के ऊपर वह कभी दृष्टि रखता था। अफगानों का तो वह प्राता ही था।

(ख) प्रान्तीय

शेरशाह ने अपने साम्राज्य का प्रान्तीय षटवारा एक नये आधार पर किया। वह वड़े-वड़े सुबों के पद में बर्ही था, क्योंकि इससे सुबेदारों के राजनैतिक बिद्रोहों का डर रहता था। इसलिये उसने पूरे साम्राज्य को ३० भागों में पाँच विभागों के सरकार कहते थे। हरेक सरकार में कई परगने और एक परगने में कई गाँव होते थे। एक परगने में भीसे कितने अधिकारी होते थे—

(१) शिकद्वार—यह सैनिक अधिकारी था। सरकारी आज्ञा का पाठन करना और अमीन की सहायता करना इसका काम था। (२) अमीन—इसका काम था भूमिकर का निश्चय करना और उसको वसूल करना। (३) जजांची (कोषाध्यक्ष)। (४) मुंसिफ—कर सम्बन्धी मुकदमों का यह निर्णय करता था। (५) कारकुम (हिन्दी और फारसी के लेखक)। (६) पटघारी। (७) खौदरी। (८) मुकदम—सरकार के दो मुख्य अधिकारी शिकद्वारे-शिकद्वारान और मुंसिफे-मुंसिफान थे। मुंसिफे-मुंसिफान का काम प्रजा के आचरण की रैक-रेख करना था। सेत

सम्बन्धी झगड़ों का निर्णय और किमानों में कर की बसुटी में किसी प्रकार के दबाव को दबाना और इण्ड देना इग्ली के हाथ में था। सरकारी कर्मचारियों का तबादला प्रति दूसरे वर्ष हुआ करता था।

(ग) माल-विभाग

माल-विभाग और विशेष कर भूमि-कर का शेरशाह ने बहुत भरपूर प्रयत्न किया। उसके समय में सारी भूमि नापी गयी। उसका वर्गीकरण किया गया और भूमि के प्रकार और उपज के आधार पर भूमि-कर निर्दिष्ट हुआ। उपज का एक-चौथाई भाग सरकार को मिलता था। अनाज अथवा मकई क्षेत्रों में कर पसूल होता था। मुकद्दम नाम के सरकारी कर्मचारी कर वसूल करते थे। प्रजा सीधे भी कर चुका सकती थी। कर निर्दिष्ट करने में उदारता होती थी, परन्तु इकट्ठा करने में कड़ाई होती थी। अन्तः के समय किसानों को सरकार की ओर से राकबा मिलती थी। कृषकों के साथ सरकार की यही सहानुभूति थी।

(घ) न्याय

न्याय-विभाग का भी शेरशाह ने सुधार किया। हिन्दू मुसलमान मयके साथ समान न्याय उसके समय में होता था। उसने नारे राज में अदालतों की स्थापना की। फौजदारी मुकद्दमों का शिक्दार और खीसाबी मुकद्दमों पर मुंसिफ फैनला करते थे। उसके समय में कज़ी और मीर-अदल का उद्योग कम मिलता है। जिससे मायम होता है। हि न्याय पर धर्मतंत्र का बम प्रसार था। हिन्दुओं में जनताधिकार, शत्रुभाग और धंदगरे भादि का निर्णय उनकी पंचायतों परती थी। अपराधियों को किसी भी प्रकार की छुट नहीं मिलती थी और पादशाह तक के सम्बन्धी इण्ड में बच नहीं सकते थे। खोरी और इकैनी के लिये प्राणदण्ड दिया जाता था। सरकारी अधिकारियों को यह आज्ञा थी, कि यदि उनके हाथों में अपराधों का पता न लग सके तो वे मुकद्दम को गिराफार कर लें और खोरी और इकैनी से हुई हानि का टर्जाना उनमें वसूल करें।

(ङ) सेना और पुलिस

साधारण का विभाग, विदेशी आक्रमणों से उगरी रहा और आन्तरिक विद्रोहों को दमन करने के लिये उसने एक विद्वान् सेना का संगठन किया। खोरी-वंग की मैजिस्ट्रेट स्थापना को मोदकर अठाइसीवी की मैजिस्ट्रेट स्थापना का शेरशाह ने अनुकरण किया। उसने सेना में फौजदारी प्रथा चलाई

राज्य में कई सैनिक छावभिर्यो थीं। प्रत्येक छावनी की सेना को फौज और उसके अधिकारी को फौजदार कहते थे। बादशाह की निजी सेना में १ लाख ५० हजार मुहसवार, २५ हजार पैदल, ५ हजार हाथी और बहुत से बन्दूकची और तोपें थीं। घोड़े पर घाग लगायी जाती थी और सैनिकों के साथ उदारता का व्यवहार होता था। किलों की मोर्चाबन्दी हुई और हथियार बनाने के कारखाने खोले गये। सेना को इस बात की चेतावनी होती थी कि वह किसी प्रकार भी किसानों और व्यापारियों को हानि न पहुँचावे। सेना के साथ-साथ राज्य की आन्तरिक शांति और रक्षा के लिये पुलिस का अर्द्धा प्रबन्ध था। अपराध के लिये स्थानीय अधिकारी शिकदार और मुकर्रम के ऊपर जिम्मेवारी होती थी। उसके समय में प्रजा का जीवन और धन सुरक्षित था। धार्मी बिना भय के एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते थे। प्रजा के आचरण का निरीक्षण होता था। दाराब, व्यवहार आदि पर प्रतिबन्ध लगे हुये थे। अपराधियों का पता लगाने के लिये गुप्तचर नियुक्त थे।

(घ) सार्वजनिक हित के काम

शेरशाह के शासन में सार्वजनिक विभाग और दान-विभाग का संगठन भी हुआ था। इमाम और धार्मिक लोगों को सरकार से इत्थिया मिलती थीं। विद्या और कला को आश्रय और प्रोत्साहन दिया जाता था। बहुत से मद्रसे और मसजिदें विद्या के केन्द्र थे, जहाँ पर अध्यापकों और विद्यार्थियों को पुस्तिका दी जाती थीं। गरीबों और अनाथों के लिये मुफ्त भोजनालय बने हुये थे। आने-जाने के मार्गों पर भी स्थान दिया गया। शेरशाह पड़छा जङ्गलमात्र कासक था, जिसने प्रजा की सुविधा के लिये सड़कें बनवाना शुरू किया। सबसे बड़ी सड़क पंगाल में सुनारगांव से लेकर पेशावर तक बनी। आगरा से भरतपुर, आगरा से बियाना तथा मारवाड़ और छाहौर से मुफ्तान तक सड़कें बनाई गयीं। सड़कों के किनारे पेड़ लगाये गये। हरेक क्षेत्र पर हिन्दुओं और मुसलमानों के लिये अलग-अलग सरायें बनी हुई थीं। सड़कों के किनारे कस्बे बसाये गये तथा पत्र और समाचारपत्र के लिये डाक-विभाग और डाक की चौकियाँ स्थापित की गयीं। भारतीय इतिहास में भवग-निर्माण-कला पर भी शेरशाह की छाप है। उसके बनवाये हुये भवनों में सपसे प्रसिद्ध उसके द्वारा बनवाया स्तूपसंघम का मकबरा है। अपनी विद्यालता और शान्ती के लिये शुरू की मुस्लिम इमारतों में यह अद्वितीय है। शेरशाह के प्रत्येक सरकार में एक किला बनवाया, जिनमें छोटा रोहितास का किला उल्लेखनीय है।

(छ) तोरशाह का धरित्र

मध्यकालीन सामर्यों में तोरशाह का व्यक्तित्व बहुत ऊँचा है। यह योग्य सैनिक, वीर योद्धा, उदार शिक्षणा और पुद्गिमान तथा मज्ज नामक था। पिछा और कला का यह प्रेमी, स्वभाव से धार्मिक और व्यवहार में उदार था। यह केवल अपने परिश्रम और योग्यता के बल पर एक साधारण व्यक्ति में दिव्यी का सघाट बन सका था। उसके सामने राजाएँ या ऊँचा भावर्तों था। प्रजा के कल्याण के लिये यह भयंकर परिश्रम करता था। उसका सामन्य स्वाध और मानवता पर अत्यन्त प्रिय था। उसकी धार्मिक नीति मध्यकाल की संकीर्णता में मुक्त थी। हिन्दुओं के साथ उदारता का व्यवहार करता था। इस मामले में यह अक्षर का पय-प्रवर्तक था। हिन्दु कई अरसों पर उसके स्वभाव की कठोरता भी प्रकट होती है। विशेष कर बुद्ध और राजनीति में यह अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये कृत्रमीति, चाल और विधायमान में भी बाध नहीं आता था।

२. तोरशाह के संदाज और मूर-संदा का पतन

तोरशाह की मृत्यु के बाद उसकी व्यक्तिगत योग्यता से प्रभा किया हुआ साम्राज्य क्षीणता में गिरने लगा। उसके बाद सलीमशाह, खिरोजगी, मुद-मदशाह, दमाहीमगी, मिहन्दर भादि कई शासक हुए। जल्दगान मरदारों को अपने बल में रखता उनके लिये असम्भव था। सलीमशाह ने दमन की नीति अपनयी, हिन्दु उसकी मफलता नहीं मिली। खिरोजगी बहुत ही क्षीण अपने जन्म मुबरेजगी से मारा गया, जो मुदम्मद शाह के नाम से मरी पर बैठा। मुदम्मद शाह स्वतन्त्री और सयोर था। सौमन्य से देमू यकास (हेमचन्द्र) उसकी योग्य मंत्री मिल गया था। मिहन्दर मूर के समय में जब कि मूर-संदा विदकुल जर्जर हो गया था, १५५३ ई० में हुमायूँ ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण कर दिया और मूर-संदा का अन्त करके वह खिरोजगी के सिंहासन पर बैठा।

२६ अध्याय

मुगल-साम्राज्य का निर्माण और संगठन

१. मुगलों का पुनरावर्तन

(१) हुमायूँ का पुनः भारत-विजय

हुमायूँ फारस में चुप नहीं बैठा था। उसने फारस के बादशाह से राजनीतिक एक सन्धि की थी और बार फिर वह बादशाह के पद पर बैठना चाहता था। अफगानिस्तान, मध्य-एशिया और हिन्दुस्तान की राजनीतिक अवस्था का वह निरीक्षण करता रहता था। अफगानिस्तान पर अधिकार किये बिना वह हिन्दुस्तान पर नहीं पहुँच सकता था; इसलिये उसने काबुल के शासक कामराम और गजनवी के शासक हिन्दाल पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान पर अपना फिर से अधिकार कर लिया। १५ नवम्बर १५१५ ई० को उसने काबुल में प्रवेश किया और हमीदा बेगम और अकबर से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। अफगानिस्तान पर अधिकार कर हुमायूँ ने भारत में मुगल-साम्राज्य के पुनरुद्धार का रास्ता साफ कर दिया। १५५१ ई० में उसे समाचार मिला कि दिल्ली का पठान सुल्तान सलीम सूर मर गया और पठानों में परस्पर मतभेद शुरू हो गया है। उसने एक बड़ी सेना के साथ पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली के सुल्तान सिकन्दर सूर ने मुगलों का सामना किया, किन्तु हार गया। उसके फलस्वरूप दिल्ली का साम्राज्य मुगलों के हाथ में आ गया। इसके बाद हुमायूँ को साम्राज्य के विस्तार और संगठन की विन्ता हुई। किन्तु यह बहुत दिनों तक साम्राज्य का उपभोग कर न सका। एक दिन पुस्तकालय से उतरते समय अज्ञान मुक्कर सीढ़ी पर नमाम्न पड़ने को ठहरा। एकड़ी फिसल जाने पर नीचे गिरा और मर गया। १० दिन तक यह घटना दिपाई गई। इसके पीछे अकबर का राग्याभिषेक हुआ।

(२) हुमायूँ का खरिब

हुमायूँ खमाब से ब्यालु, सख्त और सहृदय था। इन गुणों की अधिकता के कारण उसको अपने पूरे जीवन में कष्ट उठाना पड़ा। उसने अपने भाइयों के साथ सख्तता का व्यवहार और अपराध करने पर उनको चमा

किया। उसमें शारीरिक शक्ति होते हुए भी आलस्य बहुत था। बाबर के समान उसमें साहस भी नहीं था, इसलिये वह अपने विजयों और अपने भयमनों से लाभ नहीं उठा सकता था। उसमें बड़े एक हुगुण भी थे। वह शराप बहुत पीता था और अच्छी भी खाता था। बाबर के समान ही उसमें साहित्य और कविता में प्रेम था। उसने विद्या और कला को प्रोत्साहन दिया। जीवन में अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी प्रसन्नता और मजबूतता कभी उसमें शकल नहीं हुई।

२. अकबर

(१) बाल्यावस्था और राज्यारोहण

जब हुमायूँ शेरशाह से हारकर हिन्दुस्तान से भागता हुआ सिन्ध में चकर फाट रहा था, १५४२ ई० में अमरकोट नामक स्थान में अकबर का जन्म हुआ। उसका लड़कपन कठिनाइयों में ही बीता। फिर भी उसमें भावी महार के लक्षण दिखाई पड़ते थे। इन कठिनाइयों में अकबर के स्वभाव को दृढ़, गहरी और महत्वाकांक्षी बना दिया था। जगदी सिन्हा-श्रीषा हुमायूँ के बहनोई पैरमणों की देख-रेख में हुई।



अकबर

उसने पढ़ना सिखना नहीं सीखा किन्तु शाही सैनिक सिखा उद्योगों की हुई और व्यावहारिक ज्ञान उसमें बहुत प्राप्त किया। सरसिन्द की लड़ाई में पत्रों का प्रयोग करने के लिये पंजाब में पैरमणों के साथ अकबर गया हुआ था। गुजरागपुर जिले के

कटावीर नामक स्थान में पैरमणों और अकबर का पड़ाव था। यहाँ हुमायूँ के मरने का समाचार मिला। इस समय अकबर की उमरमा केवल १३ वर्ष की थी। छात्रनी के पास के एक घोंटे बगीचे में ईद के चतुर्थे पर १४ फरवरी १५४३ ई० में पैरमणों में अकबर का राज्याभिषेक किया और वह स्वयं ही उसका संरक्षक बना।

(२) पानीपत की दूसरी लड़ाई

हुमायूँ के मरने के बाद अकबालों में कुछ पार फिर दिल्ली बागवत में का प्रसव किया। विक्रमर गुर अमी प्रीतिग या और उचका अंदी हेम उचके

साथ था। हेमू का पूरा नाम हेमचन्द्र विक्रमादित्य था। वह बहुत ही योग्य और महत्वाकांक्षी था। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। मुगल सरदार तारदीक्षा को हराकर उसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह भारतीय इतिहास का अस्मिन् विक्रमादित्य था। यैरमखाँ और अकबर ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। मुगल और हेमू की सेनाओं की मुठभेड़ पानीपत के मैदान में हुई। युद्ध में हेमू की आँसू में तीर लगा और वह पकड़ा गया। यैरमखाँ ने अकबर से उसको मार डालने का आग्रह किया। अकबर ने कहा कि वह अग्ने आत्मी पर हाथ न उठायेगा। इस पर यैरमखाँ ने अपनी तरफ़ार निकाल कर एक ही झटके में हेमू का सिर उसके घड़ से अलग कर दिया। विजय-चिह्न के रूप में उसका सिर काबुल भेजा गया और दिल्ली की जनता में आतंक पैदा करने के लिये उसकी घड़ दिल्ली के दरवाजे पर टांग दी गयी। पानीपत की दूसरी लड़ाई भी भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुई। वास्तव में मुगल-सत्ता का पुनरावर्धन इसी घटना के बाद हुआ जब मुगलों का सबसे बड़ा शत्रु हेमू हराया गया। इसके बाद मुगल सेना पानीपत से दिल्ली की ओर चली और मुगलों का दिल्ली और आगरे पर अधिकार हो गया।

(३) अन्य विजय और यैरमखाँ का अन्त

दिल्ली पर अधिकार करने के बाद यैरमखाँ ने मेवात, खासिपर, जीनपुर और उनके आस-पास के प्रदेशों के हिन्दुओं और पठानों का दमन किया और साम्राज्य के संगठन का भी प्रयास किया। किन्तु इसके साथ ही साथ यैरमखाँ की शक्ति बढ़ती जा रही थी और वास्तव में साम्राज्य का सूत्र उसी के हाथ में था। उसको अधिकार का भड़ हो गया और वह अशिष्टता और पक्षपात का व्यवहार करने लगा। यह बात अकबर और उसके परिवारवालों को सहन नहीं हो सकती थी। हमीदा बेगम, माहम अंका और आदमखाँ आदि ने यैरमखाँ के विरुद्ध पदच्युत किया। यैरमखाँ ने स्थिति जानकर अकबर के सामने आत्मसमर्पण किया। अकबर ने उसको मर्यादा की यात्रा करने की आज्ञा दी। रास्ते में यैरमखाँ ने बिद्रोह किया किन्तु वह फिर हराया गया। इसके बाद जब यह मर्यादा की ओर जा रहा था तो एक पठान ने उसका बंध कर दिया। यैरमखाँ के बाद अकबर के ऊपर कुछ समय के लिये उसके परिवार की श्रियों का प्रभाव बहुत बढ़ गया और इससे राजधानी में पदच्युत और अव्यवस्था फैल गयी। परन्तु अकबर ने अपनी कमजोरी को दृष्टिगत किया और दृढ़ता से राज्य का सूत्र अपने हाथ में कर लिया।

(४) विजय और साम्राज्य-निर्माण

लक्ष्मण से ही अक्षय के मरिचक में साम्राज्यवादी विपरीत का अंगुर और सम्पूर्ण भारत के समार बनने की इच्छा वर्तमान थी। इसलिये विपरीत की प्रारंभिक कठिनाइयों से विभिन्न होकर उसने उत्तर भारत और दक्षिण के उस प्रदेशों के जीतने की योजना बनायी, जो अभी तक मुगल-साम्राज्य में शामिल नहीं थे।

पहले उसकी दृष्टि गोंडवाना के एक छोटे और सुदूर राज्य पर गयी। यहाँ का राजा धीरमाधयण अभी बालक था और उसकी माता रानी दुर्गावती उसकी संरक्षिका थी। रानी दुर्गावती ने पत्नी बीरता के साथ अक्षय का मुकाबला किया; किन्तु सामन्य कम होने के कारण मुगल सेना में हार गयी और अन्त में अपनी महेलियों के साथ अग्नि में उलझ कर मर गयी। इसके बाद अक्षय ने जौनपुर और मालवा में राजनीतिक उपद्रवों को शांत किया और पंजाब पर सिखाँ हाकिम के आक्रमण को रोका।

विपरीत से घोड़ी दूर पर राजस्थान में कई एक दिग्गु राज्य पचे हुए थे। इनको अपने अधिभार में लिये बिना अक्षय का साम्राज्य नहीं बन सकता था। अक्षय के सामने यही एक समस्या थी। यह हम बात को समझना था, कि केवल हमस की सीमा से राजपूतों को अपने पक्ष में नहीं कर सकते, इसलिये हमने साम, दाम, भेद और दण्ड सभी नीतियों का प्रयोग किया। विपरीत के पक्षी मुत्तकारों की अनेक उम्मेद अधिकांशतः भीरु गणतन्त्रियों से काम लिया। उसका पदना आक्रमण आमेर (जयपुर) के कदवादा राजा भारमल पर १५६२ ई० में हुआ। राजा ने आत्मसमर्पण किया। उसके अपनी साम्यमति विनायी और अक्षय की सेवा करना स्वीकार किया। आमेर के साथ मुगलों की सन्धि हो जाने के लिये अक्षय ने भारमल की लक्ष्मी से विनम्र किया और उसके लक्ष्मण भगवानदास भी जोते सामन्तों को लिये गये पर विनम्र किया।

(५) मेवाड़ से युद्ध

राजस्थान पर अक्षय का दूसरा आक्रमण मेवाड़ के राजा उदयसिंह के विरुद्ध १५६७ ई० में हुआ। राजा की नीति और विद्वान् आमेर के राजा भारमल से मित्र थे। यह दोष और सब से प्रभावित नहीं हो सकते थे। अक्षय और आमेर के बीच के लिये विनम्र के राजाओं से यह लक्ष्मण के मार्ग को अक्षय का। मेवाड़ के साथ ही अक्षय ने पदना भेद नीति से

काम किया और उदयसिंह के छोटे बच्चे जूकिसिंह को अपनी ओर मिला लिया। इसके बाद चित्तौड़ पर आक्रमण शुरू हुआ। उदयसिंह राणा सांगा के समान बड़े और साहसी नहीं थे, इसीलिए राणा जयमल और पत्ता के ऊपर चित्तौड़ के संरक्षण को छोड़कर बाहर चले गये। ३० हजार राजपूत सैनिकों के बंध के बाद चित्तौड़ के ऊपर अकबर का कुछ समय के लिये अधिकार हो गया। मेवाड़ इस छकाई के बाद भी मुगल-साम्राज्य में नहीं मिला। राणा उदयसिंह के पुत्र महाराणा प्रताप बहुत



महाराणा प्रताप

ही स्वाभिमानी और भीरु योद्धा थे। उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने आत्म-समर्पण नहीं किया। उनके दोहरे सन्तु थे—एक तो मुगल और दूसरे मुगलों से हारे हुए राजपूत। आमेर के मानसिंह को वे भीतर से घुणा की

दृष्टि में देखते थे। एक बार क्षत्रिय जातिकर मानसिंह जब लौट रहे थे, तो उदयपुर छोड़ कर द्वितीयापन भाग्ये। राजा प्रताप ने उनके स्वागत का प्रयत्न कर दिया किन्तु स्वयं उनके साथ भोजन करने से इनकार दिया। हमने मानसिंह में भयना क्षयमान समता और भयना की सेवा पर आश्रय करने के लिये गढ़फाया। हमने भयना ने राजा मानसिंह की आमदगी की सेवा प्रिय करने के लिये भेजा। हमने पार्टी के सैना में राजपूत और मुगल सेनाओं की मुठभेड़ हुई। हम मुगल से बहुत बड़ी पन्ना में राजपूत मारे गये। मुगलों का मानसिंह विजय हुआ, किन्तु महाराजा प्रताप ने मुगल आधिपत्य में स्वीकार कर भयना संघर्ष जारी रखा और छोड़े ही दिनों के भीतर बिर्सा, धरनेर और मण्डलगढ़ को छोड़कर गारे में राह पर भयना अधिकार कर लिया।

सेवा के कारण पहले आक्रमण के बाद ही भयना ने रणधर्मौर दादा के चौहान पर चढ़ाई की। रणधर्मौर का किला राजस्थान में पट्टन प्रतिष्ठ था। पट्टन मुस्लिमों के समय उनकी सेनाओं रणधर्मौर से दूरकर गईं का लौट आयी थी। वहाँ के राजा सुरजन दादा ने मुगलों से घोर युद्ध दिया, किन्तु भयना में अपने किले में घिर गया। महाराजाय और मानसिंह ने मन्धि का प्रस्ताव दिया। दादा के पुत्र दूदा और भोज ने मन्धि करके पायी सेवा स्वीकार कर ली। रणधर्मौर के पतन का भय राजपूत राज्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा। पामिजर के राजा रामचन्द्र ने चौहानों की पत्रपत्र मुकुर मुगलों के साथे आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद ओपपुर के राजा मासिदेव और धीरनेर के राजा कल्याण सिंह ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी हथकिया देकर अपने भेरी का गन्ध स्थापित किया।

राजस्थान से मुगल पार १५०३ ई० में पट्टन ने मुजरात पर आक्रमण किया और वहाँ के मुजरात मुजफ्फरशाह द्वितीय को दारु उग्र पर अधिकार कर दिया। हम विजय का प्रथम मुगल-राजपूत की राजनैतिक और आर्थिक स्थिति पर भयना पड़ा। महाराज और वर के कर में पट्टन वरना मुगल सरकारों में आने लगा। १५०५ ई० में भयना ने दंगल को भी अपने अधिकार में कर लिया। धीरे धीरे कदवा से गिरफ्त, पिम्पौचिम्पान, पारमीर और उड़ीसा पर भी कदवा अधिकार प्रस्थापित। हम बाद रणधर्म गढ़ों उग्र-भयना पर भयना का आक्रमण स्थिति हो गया।

उत्तर-भारत पर विजय करने के अनन्तर अकबर ने दक्षिण पर ध्यान दिया। यहमनी-वंश के पतन पर दक्षिण में पोंच प्रान्तीय मुस्लिम राज्यों की स्थापना हुई थी। उनमें से बहमदनगर का राज्य और खानदेश मुगल-साम्राज्य के निकट थे। अकबर ने १६०० ई० में पहले बहमदनगर पर चढ़ाई की। वहाँ की रानी खौदयीबी भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने अकबर का कड़ा मुकाबला किया, किन्तु हार गयी और अहमद नगर का राज्य मुगल-साम्राज्य के अधीन हो गया। इसी तरह छोम और वण्ड की नीति से अकबर ने खानदेश को भी अपने अधीन किया। अकबर के समय में मुगल सेना अहमदनगर के दक्षिण में नहीं जा सकी; किन्तु इन विजयों के बाद मुगल-साम्राज्य भारत के बहुत बड़े भाग पर फैल गया।

(५) सीमान्त-नीति

मुगल पश्चिमोत्तर से भारत में आये थे और काबुल को अपना आधार बनाकर उन्होंने भारत को जीता था। इसलिये उनका ध्यान अफगानिस्तान और अपने पूर्वजों के स्थान हिन्दु-कुश के उस पार मध्य-एशिया की तरफ भी लगा रहता था। इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तर की अफगान आतियाँ मुगलों के लिये बराबर समस्या बनी रहीं। वे बार-बार मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करती थीं। अफगान सुल्तानों के समय में भी ये आतियाँ शांत नहीं थीं। इनके प्रति सुल्तानों की नीति दमन की नीति थी। अकबर ने एक सफल नीति का उपयोग किया। मुगल और राजपूत दोनों की मिठी हुई सक्ति का व्यवहार पश्चिमोत्तर आतियों के खिलाफ उसने किया। रामा मानसिंह काबुल के सूबेदार बनाये गये और उनके नेतृत्व में पश्चिमोत्तर की आतियों पर अधिकार किया गया। अकबर ने काबुल और कन्वहार पर भी अपना आधिपत्य बढ़ रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका साम्राज्य पश्चिमोत्तर के आक्रमणों से सुरक्षित रहा और उसको हिन्दुस्तान के भीतर शासन के संगठन और सुधार के लिए अवसर मिला।

(६) शासन-प्रबन्ध

एक विशाल साम्राज्य का निर्माण अकबर के लिये महत्व का काम था, किन्तु उससे भी अधिक महत्व का काम साम्राज्य का संगठन और शासन की व्यवस्था थी। संसार के इतिहास में अकबर की कीर्ति बहुत कुछ उसकी शासन-व्यवस्था पर ही अवलम्बित है।

दृष्टि से देखते थे। एक पार दक्षिण जीतकर मानसिंह जब छौट रहे थे, तो उदयपुर होते हुए विष्णु वापस आये। राणा प्रताप ने उनके स्वागत का प्रबंध कर दिया किन्तु स्वयं उनके साथ भोजन करने से इंकार किया। इसको मानसिंह ने अपना अपमान समझा और अकबर को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिये भड़काया। इसपार अकबर ने राजा मानसिंह और आसपासियों को मेवाड़ विजय करने के लिये भेजा। हनुडी घाटी के मैदान में राजपूत और मुगल सेनाओं की मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में बहुत बड़ी सख्या में राजपूत मारे गये। मुगलों का सामरिक विजय हुआ; किन्तु महाराणा प्रताप ने मुगल आधिपत्य न स्वीकार कर अपना संबंध जारी रखा और घोड़े ही दिनों के भीतर चित्तौड़, अजमेर और मण्डलगाड़ को छोड़कर सारे मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया।

मेवाड़ के ऊपर पहले आक्रमण के बाद ही अकबर ने रणथम्भौर हाड़ा के चौहान पर चढ़ाई की। रणथम्भौर का किला राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध था। पठान सुल्तानों के समय उनकी सेनाओं रणथम्भौर से टकराकर कई बार छौट आयी थीं। यहाँ के राजा सुरजन हाड़ा ने मुगलों से बोर युद्ध किया, किन्तु अन्त में अपने किले में घिर गया। भगवाणदास और मानसिंह ने मन्थि का प्रस्ताव किया। हाड़ा के पुत्र नूदा और भोज ने सन्धि करके सहाई सेवा स्वीकार कर ली। रणथम्भौर के पतन का अन्य राजपूत राज्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा। फारसिज के राजा रामचन्द्र ने चौहानों की पराजय सुनकर मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद जोधपुर के राजा मालदेव और बीकानेर के राजा कल्याणसिंह ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी सबकियाँ देकर उनसे मैत्री का सम्बन्ध स्थापित किया।

राजस्थान से सुरकारा पाकर १५०३ ई० में अकबर से गुजरात पर आक्रमण किया और वहाँ के सुल्तान मुजफ्फरशाह द्वितीय को हराकर उस पर अधिकार कर लिया। इस विजय का प्रभाव मुगल-साम्राज्य की राजनैतिक और आर्थिक स्थिति पर भयंकर पड़ा। व्यापार और कर के रूप में बहुत रूपया मुगल खजाने में आने लगा। १५०५ ई० में अकबर ने यंगाल को भी अपने अधिकार में कर लिया। धीरे-धीरे अकबर ने सिन्ध, यिलोबिस्तान, कश्मीर और उड़ीसा पर भी अपना अधिकार समाया। इस तरह लगभग सम्पूर्ण उत्तर-भारत पर अकबर का साम्राज्य स्थापित हो गया।

उत्तर-भारत पर विजय करने के अमन्तर अकबर ने दक्षिण पर ध्यान दिया। बहमनी-वंश के पतन पर दक्षिण में पाँच प्रान्तीय मुस्लिम राज्यों की स्थापना हुई थी। उनमें से अहमदनगर का राज्य और खानदेश मुगल-साम्राज्य के निकट थे। अकबर ने १६०० ई० में पहले अहमदनगर पर चढ़ाई की। वहाँ की राणी खाँदवीबी भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने अकबर का कड़ा मुकाबला किया, किन्तु हार गयी और अहमद नगर का राज्य मुगल-साम्राज्य के अधीन हो गया। इसी तरह छोम और वण्ड की नीति से अकबर ने खानदेश को भी अपने अधीन किया। अकबर के समय में मुगल सेना अहमदनगर के दक्षिण में नहीं जा सकी, किन्तु इन विजयों के बाद मुगल-साम्राज्य भारत के बहुत बड़े भाग पर फैल गया।

(५) सीमास्त-नीति

मुगल पश्चिमोत्तर से भारत में आये थे और काबुल को अपना आधार बनाकर उन्होंने भारत को जीता था। इसलिये उनका ध्यान अफगानिस्तान और अपने पूर्वजों के स्थान हिन्दु-कुश के उस पार मध्य-एशिया की तरफ भी रखा रहता था। इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तर की अफगान जातियाँ मुगलों के किये बराबर समस्या बनी रहीं। वे बार-बार मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करती थीं। अफगान मुस्तामों के समय में भी ये जातियाँ प्राप्त नहीं थीं। इनके प्रति मुबतलों की नीति दमन की नीति थी। अकबर ने एक सफल नीति का उपयोग किया। मुगल और राजपूत दोनों की मिठी हुई शक्ति का व्यवहार पश्चिमोत्तर जातियों के खिलाफ उसने किया। रामा मानसिंह काबुल के सूबेदार बनाये गये और उनके नेतृत्व में पश्चिमोत्तर की जातियों पर अधिकार किया गया। अकबर ने काबुल और फर्रुखार पर भी अपना आधिपत्य बढ़ रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका साम्राज्य पश्चिमोत्तर के आक्रमणों से सुरक्षित रहा और उसको हिन्दुस्तान के भीतर शासन के संगठन और सुधार के लिए अवसर मिला।

(६) शासन-प्रयत्न

एक विशाल साम्राज्य का निर्माण अकबर के लिये महत्व का काम था, किन्तु उससे भी अधिक महत्व का काम साम्राज्य का संगठन और शासन की व्यवस्था थी। संसार के इतिहास में अकबर की कीर्ति बहुत कुछ उसकी शासन-व्यवस्था पर ही अवलम्बित है।

(घ) शासन का स्वरूप

अकबर की शासन-व्यवस्था महत्वपूर्ण होते हुए भी विरङ्ग मीलिक नहीं थी। दूसरे देशों में मुस्लिम शासन का जो स्वरूप था, उसका प्रभाव अकबर के शासन पर था। ईराक में अरबासी ललीफा और मिश्र में फातमी खलीफा जिस सिद्दायत से शासन कर रहे थे, उसके बहुत से तत्व अकबर की शासन-प्रणाली में पाये जाते हैं। सिद्दायत रूप में अकबर का शासन भी धर्मतान्त्रिक था। व्यवहार में इसमें परिवर्तन और स्थानीयता आ गयी। हिन्दुओं की शासन-व्यवस्था का भी अकबर के शासन पर प्रभाव था, विशेष कर माल-विभाग के ऊपर। इसलिये अकबर की शासन-प्रणाली को "भारतीय पृथग्भूमि में अरब-फारस की शासन-प्रणाली" कह सकते हैं।


(ख) केन्द्रीय

अकबर का शासन एकतान्त्रिक था। पद्यपि सिद्दायत में वह विरङ्ग निरङ्कुश था, परन्तु अपने मन्त्रिमण्डल से प्रभावित होता था। उसकी तुलना इस मामले में मौर्य सम्राटों से की जा सकती है। अकबर में व्यक्तिगत पाण्डिता अङ्कुरित की थी, इसलिये वह अपने मन्त्रियों का गुरु था, उनका सिष्य नहीं। बादशाह के नीचे सर्वप्रथम अधिकारी घकील होता था। सप कायों में बादशाह उससे सलाह लेता था। अकबर का केन्द्रीय शासन कई विभागों में बँटा हुआ था, जिनमें मुख्य थे—(१) धर्म-विभाग—इसके मुख्य अधिकारी दीवान अथवा धर्मीर होते थे। (२) सेना—इसका मुख्य अधिकारी मीर घखदी था। (३) शाही-परिवार इसके मुख्य अधिकारी खाने-खामान होता था। (४) न्याय—इसके प्रधान काजी-उल-कुजात होते थे। (५) धर्मदाय और दान—इसके प्रधान अधिकारी सवरे-सुदूर थे। (६) लोक नीति-निरीक्षण—इसके मुख्य अधिकारी जुहससिय थे। (७) तोपखाना—इसके मुख्य अधिकारी मीर-आतिश वारोगाय तोपखाना थे। (८) मुसखर-विभाग और डाक—इसके मुख्य अधिकारी वारोगाय-डाक-धीकी थे। (९) टकसाल—इसके प्रधान अधिकारी वारोगाय टकसाल थे।

(ग) प्रान्तीय

अकबर के पहले प्रान्तीय शासन अर्द्धी तरह सुमंगलित नहीं था। शेरशाह के समय में साधारण सरकार और परगनों में बँटा हुआ था। हुमायूँ ने जागीरदारी की प्रथा चलाई। अकबर ने इस प्रथा को तोड़कर

जपने साम्राज्य को सूबों में बाँट दिया। उसके साम्राज्य में निम्न-लिखित सूबे थे :



- | | | |
|--------------|----------------|----------------|
| (१) काबुल | (७) इलाहाबाद | (१३) खानदेश |
| (२) लाहौर | (८) अजमेर | (१४) बरार |
| (३) मुघलान | (९) गुजरात | (१५) अहमदनगर |
| (४) दिल्ली | (१०) मालवा | (१६) उड़ीसा |
| (५) आगरा | (११) बिहार | (१७) काश्मीर |
| (६) अवध | (१२) बंगाल | (१८) सिन्ध |

प्रत्येक सूबा—सरकार, परगना और गाँव में बँटा हुआ था। सूबे का मुख्य अधिकारी सूबेदार भयवा सियहसालार होता था। उसके नीचे निम्नलिखित अधिकारी होते थे : (१) दीवान—इसके हाथ में खजाना था और यह दीवानी के मुकदमों का फैसला करता था। (२) सवर—इसका पद धार्मिक था। फाजी और मीर अब्दुल आदि न्याय-विभाग के अधिकारी उसके अधीन थे। (३) आमिल—यह माफ़-विभाग का अध्यक्ष और न्यायाधीश भी होता था। (४) विलिफ़ची—दिमाश-किताब सम्बन्धी कागजात इसके हाथ में होते थे और यह कानून-गो के काम का निरीक्षण करता था। (५) पोतदार अथवा खिजानदार—बहु किसानों से पोत या समाज बसूट करता था। (६) फौजदार—यह प्रांतीय सेनानायक था। (७) कोतवाल—यह पुलिस का प्रथम अधिकारी था। (८) चाके-मचीस—यह प्रांत की सभी घटनाओं को लिखता था और केन्द्रीय सरकार को उसकी सूचना देता था। राजस्व-विभाग के दूसरे मुख्य अधिकारी कानून-गो, फरकूम, मुकदम और पटवारी होते थे।

(घ) माल-विभाग

शासन के मुख्य विभागों में पहले माफ़-विभाग का उल्लेख किया जा सकता है। इसमें भी मुख्य करके भूमि-कर में विशेष सुधार किये गये। अकबर के पहले शेरशाह ने भूमि का प्रबन्ध अपना लिया था। भूमि की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये अकबर ने अधिकारियों को नियुक्त किया, जिनमें टोडरमल मुख्य थे। उन्होंने खेजूरल और भूमि के सवजाअन के आधार पर भूमि-कर का प्रबन्ध किया। पहले लेती योग्य सभी भूमि की पैमाइश की गयी और उसको [१] पोस्तज (दरार लेती के योग्य), [२] परौती (कमी-कमी परती और कमी-कमी खेती योग्य), [३] चाघर (१-४ साह तक परती, फिर खेती के योग्य) और [४] घंजर (खेती के योग्य) चार विभागों में बाँटा गया। भूमि-कर एक वर्ष के बड़े दस साह तक के लिये निश्चित कर दिया गया। राज्य को भूमि-कर का १/३ भाग मिलता था, जो अनाज और नकद दोनों रूप में दिया जा सकता था। किसानों से कर सीधा बसूट होता था। अकाल और भूले के समय उनको छुट मिलती थी और सरकार से तबाही भी छी जाती थी। किसानों की अहाई का पूरा ध्यान रखा गया और इस प्रबन्ध में अधिकारियों को सरकार की ओर से निश्चित आदेश दिये गये थे।

(६) सेना

अकबर के पहले सेना-संगठन का आधार जागीरदारी प्रथा थी। इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि जब केन्द्रीय शासन कमजोर पड़ता था, तो जागीरदार अपनी सेना के बल पर स्वतंत्र होने का प्रयत्न करते थे। १५७१ ई० में अकबर ने शाहवाजखानों को सेना-सुधार के लिये नियुक्त किया। उसके सुझावों के अनुसार अकबर ने सेना में कई सुधार किये। अकबर के सैनिक संगठन का आधार मनसबदारी-प्रथा थी। मनसब का अर्थ होता है, पद अथवा दर्जा। इसके अनुसार सेना के अधिकारी सरकार के मौकर होते थे और उनको निश्चित वेतन मिलता था, सेना की भक्ति बादशाह के लिये होती थी, सेना के अधिकारी के प्रति नहीं। सेना में नीचे से ऊपर तक के कई पद बनाये गये और इन पदों के व्ययक्त १० सिपाहियों से लेकर ५००० सिपाहियों तक के मालिक होते थे। ७००० से १०००० के सिपाहियों के ऊपर विशेष पद होता था। मनसबदारों के अतिरिक्त और भी कई तरह के सैनिक होते थे जिनको दाखिली या अहली कहते थे। सेना के कई विभाग थे, जिनमें (१) पैदल (२) तोपखाना (३) सवार (४) बहाली पैदा (५) हाथी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। सेना की बहुत सी व्यवस्थित बनी हुई थीं जिनमें शाग और विनय पर विशेष ध्यान दिया जाता था।

(७) अकबर की राजपूत-नीति

राजपूतों का भारत की राजनीति में बहुत ऊँचा पद रहा है और विदेशी सत्ता को उनसे बराबर संघर्ष करना पड़ता था। दिल्ली के तुर्क और पठान सुल्तानों ने उनके साथ दण्ड और दमन की नीति का व्यवहार किया। इससे कुछ राजपूत राज्य तो नष्ट हो गये, किन्तु राजस्थान में अब भी बहुत से राजपूत राज्य सुरक्षित थे। उनके ऊपर आधिपत्य किये अथवा उनको मित्र बनाये बिना उत्तर-भारत की कोई भी राजनीतिक शक्ति भारत में विशाल साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सकती थी। अकबर बहुत राजनीतिज्ञ था। उसने केवल दण्ड या सेना का ही उपयोग न करके साम, दाम, और भेद का भी उपयोग किया और अपने साथ मैत्री का व्यवहार रखनेवाले राजपूतों के साथ उदारता का व्यवहार किया। राजपूतों के साथ सामाजिक मामलों में उनसे बराबरी का व्यवहार और विवाह-सम्बन्ध भी किया। इसका फल यह हुआ कि बहुत से राजपूत राज्यों ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया और मुगल-साम्राज्य के विस्तार में उसकी सहायता की। राजपूत राजा

और सरदार मुगल दरबार की शोभा बढ़ाने लगे। अकबर ने राजपूतों का विश्वास किया और शासन में उनके ऊँचा पद भी दिया। अकबर की इस नीति के पीछे व्यक्तिगत उदारता के साथ एक राजनीतिक आवश्यकता भी छिपी थी। हिन्दुस्थान में अकबर के विरोधियों में बहुत से पठान सरदार, सीमागत की लफगाण जातियाँ और कुछ उसके अपने निकट सम्बन्धी थे। इन सब के विरोध में अकबर राजपूतों का उपयोग करने में सफल हुआ।

(८) अकबर के सुधार

अकबर ने अपने समय में कई प्रकार के सुधारों को चलाया। इसमें उमका अपना उदार स्वभाव, राजपूतों से उसका सम्बन्ध और उसके उदार मंत्री सभी कारण थे। पहले उमने धार्मिक क्षेत्र में सुधार प्रारम्भ किया। १५६६ ई० में धार्मिक यात्रियों पर से कर उठा दिया, यद्यपि इससे सरकार को करोड़ों रुपयों की हानि हुई। १५६७ ई० में हिन्दुओं पर से ज़िया कर उठा दिया गया। विदोष दिनों पर शोधन लिपिद्व कर दिया गया। सामाजिक सुधारों में सती-प्रथा, बाल-विवाह, निकट सम्बन्धियों में विवाह, दहेज, बहु-विवाह और जनमेक विवाह तथा दास-प्रथा का निषेध मुख्य है। शिष्टा-सम्बन्धी सुधारों में अकबर ने संस्कृत भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। दरबार के प्रथम धोती के २१ विश्वाओं में से ९ हिन्दू थे। हिन्दू बैद्य और शक्य-प्रक्रिया (चीरफाड़) को भी प्रोत्साहन मिला। शासन सम्बन्धी सुधारों में जागीरदारी-प्रथा का संग, सेना में मनसबदारी-प्रथा का प्रवर्तन और सिक्कों का सुधार मुख्य थे।

(९) धार्मिक नीति और ईने-इलाही (ईश्वरीय धर्म)

अकबर मुन्नी परिवार में उत्पन्न हुआ था। उसके धार्मिक विचार के परिवर्तन और विकास में कई घातें कारण हुईं। चापर और हुमायूँ दोनों ही विपत्ति के मारे ईरान के शिया पादशाह के सम्पर्क और प्रभाव में आ चुके थे। अकबर के ऊपर अपने इन पूर्वियों का प्रभाव था। दूसरे अकबर की प्रजा का बहुत बड़ा भाग हिन्दू था और उसका राजपूतों से सामाजिक सम्बन्ध भी स्थापित हो गया था। इसका प्रभाव भी अकबर के ऊपर पड़ रहा था। १५७५ ई० में शेरामुयारिफ और उसके दो पुत्र फैजी और अयुल-फजल ईरान से अकबर के दरबार में जाये। वे दोनों ही बड़े विद्वान और धार्मिक मामलों में बहुत उदार थे। इन्होंने अकबर के धार्मिक विचारों को प्रभावित किया। युरोप की ईसाई जातियों से भी अकबर का सम्पर्क हुआ था। संभवतः इसका भी अकबर पर प्रभाव था।

इन सब प्रयाशों का परिणाम यह हुआ कि अकबर ने १५७५ ई० में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत-खाने (उपासना-भवन) की स्थापना की, जो सभी के लिये खुला था। अकबर सभी धर्मों के तर्कों को सुनना चाहता था और सच्चाई पर पहुँचने की कोशिश करता था। ब्राह्मण, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान आदि वेस में विभिन्न भागों से सस्संग, वाद-विवाद और विचार-विमिश्रण के लिये आते थे। धर्म के तर्कों का विवेचन इबादत-खाने में होता था। कभी-कभी कट्टर मुसलमानों के कारण वाद-विवाद में कट्टरता भी आ जाती थी।

धीरे-धीरे अकबर ने यह निश्चय किया कि देस में अनेक धार्मिक सम्प्रदाय के वहुते एक सर्वमान्य धर्म होना चाहिये, जिसको सभी लोग स्वीकार कर सकें। वह एक सापेक्षमय धर्म की ओर में था। १५८१ ई० में दीन-इलाही (ईश्वरीय धर्म की स्थापना) हुई। दीन-इलाही में सभी धर्मों की अर्थात् धार्मिक, सिद्धान्तों और पूजा-पद्धति का समावेश था। इसमें रहस्यवाद, दर्शन और प्रकृति-पूजा की प्रधानता थी। बुद्धिवाद को भी इसमें ऊँचा स्थान मिला था। सभी धर्मों के प्रति उदारता इसका मुख्य ध्येय था। अकबर के बचन थे—

“मन्दिर में पूजा करे, मसजिद माथा टेक।
गिरजे में वैविदा पढ़े, पार ब्रह्म है एक॥”

इस धर्म में अकबर का स्थान प्रमुख था। वह इस धर्म का प्रवर्तक या पैगम्बर माना जाता था और उसके सिद्धों पर ‘अल्लाहो-अकबर’ लिखा जाता था। दीन-इलाही की दीक्षा सबके लिये खुली थी, परन्तु अकबर का पुत्र इस प्रकार के धर्म के अनुकूल नहीं था और बहुत कम लोग इसके मागनेवाले हुए।

२७ अध्याय

मुगल-साम्राज्य का उत्कर्ष

१. जहाँगीर

(१) धान्यापस्था और शिक्षा

गुरुवार ३० अगस्त १५६९ ई० में अकबर के राज्य के १३ वें वर्ष में जहाँगीर का जन्म हुआ। शेख सलीम खिरती की कृपा से वह पैदा हुआ था। इसलिये इसका नाम सलीम रखा गया। यद्यपि अकबर स्वयं निरक्षर था, फिर भी उसने अपने लड़कों की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध किया। चैरमला के छवके अकबुर्रहीम खानखाना उसके शिक्षक रखे गये जो अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिन्दी के विद्वान् और कवि थे। सलीम ने फारसी, तुर्की और हिन्दी सीखी। उसमें कविता का प्रेम भी उपज चुका। १५ वर्ष की अवस्था में जहाँगीर की सगाई राजा भगवानदास की लड़की मानबार्ह से हुई और १३ फरवरी १५८५ ई० में



जहाँगीर

हिन्दू और मुस्लिम दोनों रीतियों से उनका विवाह हुआ। अकबर ने जहाँगीर को शासन की शिक्षा भी दी और उन्नति करते-करते उसको १० हजार की मनसबदारी का पद मिला। सलीम ने अकबर के जीपन-काल में ही राज्य चरमे के लिये कई धार बिद्रोह किया, किन्तु अकबर ने उनको जमा कर

दिया। २४ अक्टूबर १६०५ ई० में अकबर के देहान्त के बाद जहाँगीर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा।

(२) राज्यारोहण और धारण करमान

गद्दी पर बैठकर जहाँगीर ने नुरुद्दीन मुहम्मद जहाँगीर पावशाह गाजी की उपाधि धारण की। उसने सर्वारों और अमीरों में उपाधियों की वर्षा की, बहुतों को उपहार दिये और करों की माफी की। कहा जाता है कि उसने प्रजा की करियाद सुनने और न्याय करने के लिये अपने नियास-स्थान पर न्याय की घंटी लटकवा दी। यह कहा गयी कि सफ़ा कि उसके स्वभाव को धामते हुये कितने लोगों ने उसका उपयोग किया। जहाँगीर ने शासन का प्रबन्ध अच्छा किया, और शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में नीचे लिखे फ़र्मान जारी किये : (१) अक्रान्त की माफी, (२) सबकों पर डाके और चोरों को रोकने का प्रबन्ध, (३) मरे हुये लोगों का स्वतंत्र उत्तराधिकार, (४) मद्य और दूसरे मादक पदार्थों का निषेध, (५) बलात् किसी के घर पर अधिकार करने और अपराध में किसी के नाक-काम काटने का निषेध, (६) गान्धि (किसान के अमीन को छीन लेना) का निषेध। (७) औपचारिकों का निर्माण और हकीमों की नियुक्ति, (८) विशेष दिनों में पशुधन का निषेध, (९) रविवार दिन का सम्मान, (१०) मनसब और जागीरदारों की स्वीकृति, (११) धार्मिक मूकान की स्वीकृति और (१२) कैदियों की मुक्ति।

(३) युद्ध और विजय

अकबर ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य जहाँगीर के लिये छोड़ा था। इसलिये जहाँगीर जैसे विद्यासमिप बादशाह को नये प्रदेश जीतने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। उसके समय छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हुईं। पंजाब में उसने शाहजादा खुसरौ के विद्रोह को दान्त किया और सिख्त शुद्ध अर्जुनदेव पर अभियोग लगाकर उनका वध भी। मुगल-सत्ता से सिखों का विरोध अब प्रारम्भ हो गया था। अकबर ने चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था, किन्तु राणा और मेवाड़ पर विजय प्राप्त न कर सका। जहाँगीर ने शाहजादा खुर्रम को यह काम सौंपा। इस समय महाराणा प्रताप के लड़के अमरसिंह मेवाड़ के शासक थे, जो विद्यासी और स्वभाव के कर्मजोर थे। अमरसिंह ने कटिनाइयों से बरकर मुगलों से सन्धि कर ली, इससे जहाँगीर को बड़ी प्रसन्नता हुई। जहाँगीर के समय में अहमदनगर, फांगड़ा, फम्बदार, पिहार और उड़ीसा में विद्रोह हुये मिनको उसने सफ़लता के साथ दबाया।

(४) नूरजहाँ

जहाँगीर के जीवन में उसकी योग्य नूरजहाँ का बहुत बड़ा स्थान है। नूरजहाँ सेहराम के निवासी मिर्जा गयासुद्दीन की छबकी थी। सब कह ईरान से हिन्दुस्तान आ रहा था, तो कम्बुहार में नूरजहाँ पैदा हुई। उसका छबकपन का नाम मेहरुबिसा था। यही होने पर उसका विवाह बंगाल के सुयेदार शेर अफगन के साथ हुआ। जहाँगीर की जौलें नूरजहाँ पर पड़ चुकी थीं। उसने पठवंत्र करके अफगन को मरवा बाघ और १६२१ ई० में मेहरुबिसा से विवाह किया और उसके नूरमहल और नूरजहाँ की उपाधि थी। इस घटना में जहाँगीर के जीवन और शासन को बहुत प्रभावित किया।



नूरजहाँ

नूरजहाँ का पितापुत्रमातुलौला और भाई आसफखान पके पदों पर रगे गये। नूरजहाँ बादशाह के साथ सरोख में से बर्तान देनी थी। शाही आज्ञापत्रों पर उसके हस्ताक्षर होते थे और उसकी मुहर लगती थी। सिक्कों पर भी नूरजहाँ का नाम लिखा जाता था। वास्तव में इस घटना के बाद राज्य का पूरा अधिकार नूरजहाँ और उसके सम्बन्धियों के हाथ में चला गया और जहाँगीर केवल मदिरा, मांस और दूधरे भोग-विठासों में डूबा रहता था। इस कारण से नूरजहाँ और शाहजादा इब्रुद्दीन से संघर्ष हुआ और राज्य में कई पंथी-दिगियों पैदा हो गयीं। १६२० ई० में राबौरी में जहाँगीर की मृत्यु हुई और वह शाहीर के दाबीमार उपवन में इफ्तमाया गया।

२. शाहजहाँ

(१) प्रारम्भिक जीवन

शाहजहाँ का जन्म ५ जनवरी १६२९ ई० में लाहौर में हुआ था। उसकी माँ राजपूत राजकुमारी जगतगुमाई अथवा सोषापाई थी। उसका छबकपन का नाम शूराम था। उसका आलम-यात्मक अक्षर की निस्तान सेगम इफिया सेगम की देख-रेख में हुआ था। प्रादिक्रमिक ज्ञान की

जपेक्षा व्यावहारिक और सैनिक शिक्षा में उसकी अधिक रुचि थी। उसकी कई बेगमें थीं, जिनमें अबुलमन्सूर वानू बेगम (मुमताजमहल) प्रसिद्ध थी। वास्तव में अहमदनगर के समय में ही सैनिक विजयों में सुरम का



मुमताजमहल



शाहजहाँ

ही हाथ था। सुरम ने सेना-संचालन और शासन का काफी अनुभव प्राप्त कर लिया था।

(२) युद्ध और विजय

१६२० में अहमदनगर की पराजय के बाद सुरम आगरा में मुगल गद्दी पर बैठा और उसने शाहजहाँ की उपाधि धारण की। उसके तीस वर्ष के शासन-काल में साम्राज्य का पड़ा उत्कर्ष हुआ और राज्य में शांति, सुख-पस्था और समृद्धि बनी रही। उत्तर-भारतवर्ष में उसे कोई बड़ा युद्ध नहीं करना पड़ा। बुन्देलखण्ड, मालवा, छोटानागपुर और सीमान्त में छोटे-छोटे उपद्रवों को अपने शासक किया और पश्चिमी समुद्र के किनारे पुर्तगाली डकैती का भी दमन किया। उसको विशेष र्यान पश्चिमोत्तर सीमा की ओर देना पड़ा। बदायूँ और कम्हरार के सम्बन्ध में उसको कई युद्ध करने पड़े। उसके राज्य-काल में मुगल सेना और राज्य का अधिक विस्तार हुआ। उसने अहमदनगर के निजामशाही-वंश का पूरा नाश कर उसको मुगल-राज्य में मिला लिया और बीजापुर के आदिलशाही

(४) नूरजहाँ

जहाँगीर के जीवन में उसकी बेगम नूरजहाँ का बहुत बड़ा स्थान है। नूरजहाँ तेहरान के मिशासी मिर्जा गयासबेग की छतकी थी। जब वह ईरान से हिन्दुस्तान आ रहा था, तो कम्बुहार में नूरजहाँ पैदा हुई। उसका लक्ष्मण का नाम मेहदुखिस्ता था। पढ़ी होने पर उसका विवाह बंगाल के सूबेदार शेर अफगन के साथ हुआ। जहाँगीर की जॉलें मूरजहाँ पर पड़ चुकी थीं। उसने पहचान करके अफगन को मरवा डाला और १६२१ ई० में मेहदुखिस्ता से विवाह किया और उसके नूरमहल और नूरजहाँ की उपाधि दी। इस घटना ने जहाँगीर के जीवन और शासन को बहुत प्रभावित किया।



नूरजहाँ

नूरजहाँ का पिता पृथ्वीराज और माई आसफिया बड़े पदों पर रहे गये। नूरजहाँ बाल्याह के साथ इरोले में से पढ़ाई लेती थी। शाही आशापत्रों पर उसके हस्ताक्षर होते थे और उसकी मुहर लगती थी। सिक्कों पर भी नूरजहाँ का नाम लिखा जाता था। वास्तव में इस घटना के बाद राज्य का पूरा अधिकार नूरजहाँ और उसके सम्बन्धियों के हाथ में चला गया और जहाँगीर केवल महिरा, भांस और दूरे भोग-बिलासों में डूबा रहता था। हम कारण से नूरजहाँ और शाहजादा खुर्रम से संघर्ष हुआ और राज्य में कई देवी दिगियों पैदा हो गयीं। १६२० ई० में राजौरी में जहाँगीर की मृत्यु हुई और वह छाहीर के शाहीमार उपवन में दफनाया गया।

२. शाहजहाँ

(१) प्रारम्भिक जीवन

शाहजहाँ का जन्म ५ जनवरी १६२९ ई० में लाहौर में हुआ था। उसकी माँ राजपूत राजकुमारी जगतगुमाई अथवा सोधापाई थी। जगत लक्ष्मण का नाम शुरू में था। प्रथमका लालन-पालन अकबर की निरंजन बेगम दखिया बेगम की देखरेख में हुआ था। प्रादिक्रमिक ज्ञान की

अपेक्षा व्यावहारिक और सैनिक सिंहा में उसकी अधिक इच्छा थी। उसकी कई बेगमें थीं, जिनमें अजुमन्द बाम् बेगम (मुमताजमहल) प्रसिद्ध थी। शास्त्र में जहाँगीर के समय में भी सैनिक विजयों में शूरम का



मुमताजमहल



शाहजहाँ

ही हाथ था। शूरम ने सेना-संवाहन और शासन का काफी अनुभव प्राप्त कर लिया था।

(२) युद्ध और विजय

१६२७ में जहाँगीर की मृत्यु के बाद शूरम आगरा में मुगल गद्दी पर बैठा और उसने शाहजहाँ की उपाधि धारण की। उसके तीस वर्ष के शासन-काल में साम्राज्य का बड़ा उत्कर्ष हुआ और राज्य में शान्ति, सुव्यवस्था और समृद्धि बनी रही। उत्तर-भारतवर्ष में उसे कोई बड़ा युद्ध नहीं करना पड़ा। हुन्देलखण्ड, मालवा, छोटानागपुर और सीमान्त में छोटे-छोटे उपद्रवों को उसने साम्त किया और पश्चिमी समुद्र के किनारे पुर्तगाली डकैती का भी दमन किया। उसको विशेष ध्यान पश्चिमोत्तर सीमा की ओर देना पड़ा। बड़कान और कम्बहार के सम्बन्ध में उसको कई युद्ध करने पड़े। उसके राज्य-काल में मुगल सेना और राज्य का अधिक विस्तार हुआ। उसने अहमदनगर के निजामशाही-वंश का पूरा नाश कर उसको मुगल-राज्य में मिला लिया और योजापुर के आदिलशाही

घंश और गोलकुण्डा के कुतुबशाही घंश को अपने अधीन किया। मुगल-राज्य के विस्तार में यह एक बहुत बड़ा काम था।

(३) उत्तराधिकार के लिए युद्ध

शाहजहाँ के शासन के अन्तिम काल में उसका जीवन सुखी नहीं था और उसके जीते-जी ही उसके चार शाहजहाँ—दारा, छुजा, औरंगजेब और मुराद में उत्तराधिकार के लिये लड़ाई प्रारम्भ हो गयी। सच बात तो यह है कि सल्तनत और मुगल-राज्य के समय में उत्तराधिकार का प्रश्न देहा या और अन्तर पदबंध, विप और सैनिक बल से हलका निवटारा होता था। दारा के रक्त में राजपूत बंस अधिक था और उसको राजपूतों की सहायता प्राप्त थी। वह विद्वान् और उदार भी था। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था तथा तुर्क और मुगल बसकी सहायता करते थे। सभी भाइयों में औरंगजेब महारजाधर्म, पदबंधी और पुख तथा शासन में कठोर था। अन्त में सफलता भी उसी को मिली और अपने पिता शाहजहाँ को भागने के जेल में डाकड़कर वह मुगल गद्दी पर बैठा।


(४) सुल्तान और समृद्ध शासन

शाहजहाँ का शासन-काल भारत में मुगलों के इतिहास का स्वर्ण-युग था। अफसर और जहाँगीर के समय में जो राज्य का विस्तार हुआ था और शान्ति और सुखबस्ती स्थापित हुई थी, उसका पूरा फल शाहजहाँ के समय में मिला। शाहजहाँ के राज्य में शान्ति, समृद्धि और प्रजा में सुख था। कफ़ीली नामक लेखक ने लिखा है : "यद्यपि अकबर बहुत बड़ा विजेता और कानून का प्रवर्तक था, किन्तु अपने राज्य के शासन और सुखबस्ती, आर्थिक प्रबन्ध, शासन-संगठन आदि में शाहजहाँ की तुलना भारत का कोई भी सामक नहीं कर सकता।" शाहजहाँ के समय में सबके साथ समाज स्थाय होता था और प्रजा की सम्पत्ति और जीवन सुरक्षित थे। अर्धे शासन के कारण उसके समय में अपराधों की बहुत कमी थी।

(५) फला और साहित्य

शाहजहाँ ने अपने शासन में फला और साहित्य को बड़ा प्रोत्साहन दिया। राज्य में शान्ति और बाह्याद की दिलबस्ती के कारण कला और साहित्य की बड़ी वृद्धि हुई। कवि, दार्शनिक, विद्वान्, कलाकार और लिपरी शाही दरबार में धारण करने लगे थे। बाह्याद का उद्धारण अमीरी और महारी को बला और साहित्य के प्रचार में प्रोत्साहित करता था। शाहजहाँ ने

बहुत धन खर्च करके सख्त सिकन्दर नामक सिंहासन बनवाया। उसने अपनी



ताजमहल

बेगम मुमताजमहल की समाधि पर १० करोड़ १० लाख रुपया खर्च करके ताजमहल का निर्माण किया। ताजमहल सचमुच में संगमरमर में एक सजीव रूप है। उसको खी-सुल्तम सौन्दर्य की प्रतिमा कहा जा सकता है। शाहजहाँ की बगवाई हुई कुमरी प्रसिद्ध हमारात आगरे की मोती

मसजिद है। यह १० लाख रुपया खर्च करके ७ वर्ष में तैयार हुई थी। आगरा के किले में मुसम्मन युर्ज भी उसी का बनवाया हुआ है। रामधामी के किए आगरा उसका उपयुक्त न था, जितनी दिल्ली; इसलिये उसने दिल्ली में शाहजहाँनायाद और लाल किले का निर्माण कराया। दिल्ली में लाल किला, दीवाने-आम, दीवाने-खास, जामा मसजिद और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा शाहजहाँ के बनवाये हुए हैं। अजमेर में भी उसने कई इमारतें बनवाईं। साहित्य के क्षेत्र में भी शाहजहाँ ने विद्वानों, लेखकों और कवियों का आदर किया। फारसी और हिन्दी के गद्य-पद्य और काव्य, संगीत, चित्रकला, मूल्य, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद आदि सबकी उन्नति हुई। फारसी के कई ग्रन्थ लिखे गये और संस्कृत के कई ग्रन्थों का अनुबाद हुआ। बादशाह स्वयं हिन्दी बोलता था, हिन्दुस्तानी संगीत का प्रेमी था और हिन्दी कवियों का आदर करता था। उसके दरबार में सुन्दरदास, चिन्तामणि, कथीन्द्र आचार्य आदि प्रसिद्ध कवि रहते थे। इसी प्रकार तानसेन का दामाद लालाखॉ, गुणसमुद्र, जगन्नाथ, सुखसेन, सुरसेन, आदि संगीत विद्वान भी प्रथम पाते थे। संस्कृत के कवियों में पण्डित जगन्नाथ उसके दरबार के प्रसिद्ध कवि और विद्वान् थे।

(६) स्वभाष

शाहजहाँ के स्वभाव में गुणाग्राहकता और उदारता के साथ-साथ धार्मिक कट्टरता भी थी। अकबर और जहाँगीर की उदार धार्मिक-नीति में शाहजहाँ के समय में परिवर्तन शुरू हो गया था और कई भयसतों पर शाहजहाँ ने अपनी धार्मिक अनुदारता का परिचय दिया था।

धर्म में औरंगजेब ने अपने कहरपंथी स्वभाव का परिचय दिया। गोलकुण्डा पर उसका आक्रमण १६८५ ई० में हुआ, उस समय अयुल्लाहसन पहाँ का शासक था। उसके ऊपर औरंगजेब ने यह आरोप लगाया, कि उसने मराठों को ऊँचे पद पर रखा था, मराठों का साथ दिया था, अयु राज्य को सहायता भी दी थी और इस्लाम के विरुद्ध पुण्यासी का जीवन बिताया था। वास्तव में यह सच्चाई थी और गोलकुण्डा को हथकड़ी का एक बढ़ावा मालूम था। इतिहास में सबसे अधिक संपर्क मराठों के नेता शिवाजी से करना पड़ा और जब तक वे जीवित थे तब तक औरंगजेब की चाल न गठी। उनके मर जाने के बाद औरंगजेब ने महाराष्ट्र पर हस्तक्षेप करना शुरू किया और कुछ समय के लिये मराठों की शक्ति दबती-सी मात्रा तक बढ़ने लगी।

(३) औरंगजेब की धार्मिक-नीति


औरंगजेब की धार्मिक नीति का मुगल-साम्राज्य के इतिहास में बहुत पड़ा स्थान है। उसके कारण बहुत-सी प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न हुईं, जिन्होंने मुगल-साम्राज्य के पतन में काफी योग दिया। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुगल-मान था और हमारे धार्मिक सम्प्रदायों को कुफ़र (पाप) समझता था। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण साहमी और बख़ीरता का था, इसलिये सत्रावट, शहर और विद्यालयों में उसको पूजा थी। उसकी यह धर्म-नीति उसके राज्य-मैत्रिक कामों को भी प्रभावित करती थी। उसने सर्वसाधारण के लिये निम्नलिखित नियम बनाये :—(१) उसके राज्य के मोरुद्वे वर्ष में संगीत बन्द कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी के निवासियों ने संगीत का एक जनाजा निकाला और शाही महल के किनारे से बसके ले जा रहे थे। औरंगजेब ने पूछा कि यह किसका जनाजा जा रहा है ? संग से उसको उत्तर मिला कि 'संगीत का'। औरंगजेब ने बड़ी गम्भीरता से कहा "उसको इतनी गहराई से दफनाओ कि यह फिर से उठ न सके।" (२) बादशाह का मुलादान बन्द कर दिया गया। (३) हिन्दुओं का गणभङ्ग बन्द करके इस्लाम धारणियों की प्रथा चलाई गयी। (४) छलिन ज्योतिष पर प्रतिषेध लगाया गया। (५) मार्कण्डेय, चिरी का शोभे में आना, धर्मपागमन, शहर, तुभा, हिन्दुओं के ज्योदार, गुदरम के सुपुत्र आदि बन्द कर दिये गये। औरंगजेब की धार्मिक-नीति हिन्दुओं के प्रति बहुत ही कठोर थी। उसने बहुत से मन्दिरों का विध्वंस किया। बंगाल में विष्णुनाथ का मन्दिर, मयुरा में केशवराय का मन्दिर, बंगाल में सिध का मन्दिर और गुजरात में सिन्धुनाथ का मन्दिर औरंगजेब की आज्ञा

से नष्ट किये गये। उसने बहुत-सी हिन्दू पाठशालाओं को बन्द कर दिया। हिन्दुओं पर मुसलमानों की अथवा अधिक और भारी कर लगाये गये। उनके मेले बन्द कर दिये गये और वे नौकरियों से निकाल दिये गये। औरंगजेब ने एक शुद्धि (तबलीग) धिमांग भी लोका। इस्लाम पहन करने पर बहुत-सी सरकारी नौकरियाँ लोगों को मिलती थीं। सिया मुसलमान और ईसाइयों के साथ भी औरंगजेब की धार्मिक-नीति कठोर थी। जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है, इस अमुवार और कठोर धार्मिक-नीति का दुष्परिणाम यह हुआ कि बहुत-सी शक्तियाँ मुगल-साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़ी हुईं और उसके विनाश में सहायक बनीं।

२. औरंगजेब के वंशज और मुगल-साम्राज्य का पतन

औरंगजेब का देहांत दक्षिण में औरंगाबाद में हुआ और वह वहीं लेक बुरहानद्दीन के मकबरे के पास दफनाया गया। औरंगजेब के मरने के बाद से ही मुगल-साम्राज्य का विनाश क्षीयता से शुरू हो गया। औरंगजेब का उदाहरण उसके साहजार्हों के सामने था। साहजार्ह मुहम्मद (शाह-आलम), आज़म और कामबखश में उत्तराधिकार के लिये लड़ाई हुई। इसमें मुहम्मद अपने दोनों भाइयों को मारकर सिंहासन पर बैठा और बहादुरशाह की उपाधि धारण की। बहादुरशाह ने औरंगजेब की नीति का अनुकरण करके मराठों की युद्धनीति में हस्तक्षेप और पंजाब में गुरु गोविन्दसिंह से युद्ध किया। उत्तराधिकार के युद्ध में उन्होंने शाहआलम की सहायता की थी और दक्षिण के युद्ध में भी मुगलों का साथ दिया था। वहीं पर एक अफगान के हाथ से वे मारे गये। सरहिन्दू के सरदार बखीरखान ने गुरु गोविन्दसिंह के मरने के बाद उनके दो नावाकिल बच्चों को धोष की वीवार में चुनवा दिया। इस पर खीरयन्दा ने मुगल-शक्ति का तीव्र विरोध किया। बहादुरशाह ने सिक्खों को कड़ाई से दबाया, किन्तु परदा उनके हाथ न बना। बहादुर असावधान शासक था और उसे शाह-येस्त्रयर की उपाधि मिली थी। १०१९ ई० में उसका देहांत हो गया। फिर उत्तराधिकार के लिये युद्ध हुआ और जहाँगीरशाह अपने दो भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। उसका शासन-काल मुस्लिमों से ११ महीने ही चला और उसके बाद फर्रुखसियर दिल्ली का बादशाह बना। वह बहुत ही बिलासी और अत्याचारी था। उसके समय सैयद भाइयों—अफ्गान और दुसेन बली-का प्रभाव बहुत बढ़ गया और मुगल शाहबाद उनके हाथ की कठपुतली बन गये। उन्होंने १०१९ ई० में फर्रुखसियर को गद्दी पर से

उत्तर कर मार डाला। कई छोटे-छोटे प्रत्युत्तली शासकों के बाद १०१९ ई० में मुहम्मदशाह दिल्ली का शासक बना। उसके समय में सैयद शाहियों की



मुगल साम्राज्य की सीमाएँ का नक्शा।

राज्य का अन्त हुआ किन्तु मुहम्मदशाह मुगल-साम्राज्य का दिग्-मित्र होना न रोक सका। १०२४ ई० में आसफ़-शाह ने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य की

स्थापना की और यह ब्रिटेन का निजाम बन बैठा। उसी वर्ष अघघ में स्वभावतः, १७९० में, बंगाल में अलीघर्दीख़ाँ और रुहेलखण्ड में ख़ेले स्वतंत्र हो गये। मराठों की शक्ति फिर बढ़ गयी और उनकी सेना दिल्ली के पास तक पहुँचने लगी।

३. नादिरशाह का आक्रमण

मुहम्मदशाह के समय में सबसे प्रसिद्ध घटना १७३९ ई० में भारत के ऊपर ईरान के बादशाह नादिरशाह का आक्रमण था। इसकी तुलना तैमूरलंग और टायर के आक्रमणों से की जा सकती है। जब-जब दिल्ली का साम्राज्य कमजोर पड़ा, तब-तब ऐसे आक्रमण होते रहे। नादिरशाह ने बड़ी आसानी से सीमान्त और पंजाब पर अधिकार कर लिया और दिल्ली के पास तक पहुँच गया। मुहम्मदशाह में साम्राज्य और राजधानी की रक्षा करने की शक्ति नहीं थी। दिल्ली पर बाधा करके नादिरशाह ने कलकत्ता की घोषणा की। इसमें अक्षय्य मर-नारी मारे गये और शहर लूट कर ज्वस्त कर दिया गया। अन्त में विषम होकर मुहम्मदशाह ने आत्म-समर्पण कर दिया। नादिरशाह को ३५ करोड़ रुपये, अनगिनत हथ और जवाहर, प्रसिद्ध तख्ते-ताऊस, १ लाख घोड़े, १० हजार ऊँट और ३०० हाथी सन्धि की शर्तों के अनुसार मिले और सिन्ध के पश्चिम का सारा मुगल-साम्राज्य उसके हाथ लगा। बहुमुख्य रत्नों में कोहे-नूर की कहानी बड़ी कल्प है। नादिरशाह और मुहम्मदशाह का मिळन हुआ। सिद्दाचार की परम्परा के अनुसार दोनों बादशाहों की पगदियों का परिवर्तन आवश्यक था। दिल्ली की लूट के समय मुहम्मदशाह ने कोहे-नूर को अपनी पगड़ी में छिपा रखा था। मिळन के समय उसके चले जाने से मुहम्मद को बड़ा शोक हुआ। नादिरशाह के आक्रमण ने मुगल-साम्राज्य की बड़ा धक्का दिया। इससे मुगलों की सत्ता और धाक दोनों ही बूल में मिल गयीं। दूर-दूर के प्रान्त स्वतंत्र होमे लगे और मुगलों के विरुद्ध विद्रोह की आग और मड़क उठी।

(४) मुगल-साम्राज्य के पतन के कारण

मुगल-साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। इनमें से कुछ मौलिक और कुछ प्रासंगिक थे। मौलिक कारणों में मुगल-शासन का निरंकुश स्वरूप मुख्य था। ऐसा शासन केवल व्यक्तिगत योग्यता पर चल सकता था। इसके पीछे कोई विधान या जनता का बल नहीं था। इसका हास कुछ पीढ़ियों के बाद अपर्यम्नाही हो गया। दूसरा मौलिक कारण मुगल उत्तराधिकार में स्थिर नियम का अभाव था। सभी शाहजादे गद्दी का

अशुभ-कर्मों को मार डाला। इसपर भयसग्र होकर औरंगजेब ने मयुरा के विशाल और आरम्भ सुन्दर केशवराय के मन्दिर को नष्ट किया। किन्तु इस प्रकार के कामों से विद्रोह पड़ता ही गया और गोकुला के सैनिकों की संख्या २० हजार तक पहुँच गई। औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी सेना भेजकर गोकुला को दबाया। किन्तु १६८१ ई० में फिर जाटों ने विद्रोह किया। इस समय उनके नेता राजाराम और शुरामन थे। औरंगजेब की मृत्यु तक जाटों के उपद्रव चलते रहे। बादशाह उनको दबा नहीं सका और उनके मारने के बाद जाटों की शक्ति बढ़ती गयी और आगे चलकर आगरा और दिल्ली पर आक्रमण करके उन्होंने मुगलों से बँटा लिया।

२. सतनामियों का विद्रोह

सतनामियों का एक धार्मिक सम्प्रदाय था, जिसका केन्द्र दिल्ली से ७५ मील दक्षिण-पश्चिम नारनौल था। इनके जीवन में साधु और गृहस्थ का विचित्र मिश्रण था। वे भी बड़े स्वतंत्रता-प्रेमी थे और बाहरी हरतपेप को महम नहीं कर सकते थे। एक बार एक मुगल विपारी ने सतनामी किसानों से धेड़पाइ की। इसपर सतनामियों में बड़ा असन्तोष पैदा हुआ और उन्होंने वहाँ के सिक्खार के ऊपर आक्रमण किया और उसकी शास्त्री को हलु लिया। इसके बाद उनको दबाने के लिये नारनौल के कबीरदास फरतलाचर्खों को भेजा गया, किन्तु वह भी मारा गया और नारनौल पर सतनामियों का अधिकार हो गया। कुछ समय के लिये सतनामियों की धाक नारनौल की आसपास जम गयी और उनकी वीरता से मुगल सेना बहुत अयथीत हो गयी। इसपर औरंगजेब ने स्वयं नारनौल की तरफ प्रयाण किया और राजा विमलसिंह, हमीदखान और दूसरे सेनापतियों को सतनामियों के खिलाफ भेजा। बड़े भयंकर युद्ध के बाद सतनामी दबाये जा सके।

३. सिक्खों की राजनीतिक शक्ति का विपन्न

गुरु मानकदेव ने एक भक्तिप्रधान और शांतिप्रिय धार्मिक सम्प्रदाय की स्थापना पंजाब में की थी और उनका उद्देश्य हिन्दू और मुसलमानों में समझौता और समन्वय करा देना था, किन्तु मुगल बादशाहों की नीति के गुद नामक के अनुयायियों को सख्त घटप करने और राजनीतिक संगठन के लिये विवश किया। गुरु मानक के बाद चारों गुरु अंगद, तुलसी, तेग-बहादुर और उनके समय में कोई विशेष परमा नहीं हुए। चौथे गुरु अर्जुनदेव (१५९१-१६०६ ई०) प्रसिद्ध हुए। उन्होंने चर्खार के

शाहजादे खुसरू को कारण दी थी, इसलिये बहांगीर ने उससे अपसन्न होकर उनका वध करा दिया। इसका फल यह हुआ कि गुरु अर्जुन के पुत्र और उधराधिकारी गुरु हरगोविन्द ने सैनिक बाना धारण किया। वे कहते थे—“आध्यात्मिक और राजनैतिक शक्ति के रूप में मेरे पास दो तलवारें हैं...गुरु के निवास स्थान में धर्म और सांसारिक भोग दोनों का मिश्रण होगा।” गुरु हरगोविन्द की सेना का मुगलों की सिकारी सेना से झगड़ा हो गया। गुरु के सैनिकों ने शाही सेना को अमृतसर के पास हरा दिया। इसके बाद औरंगजेब ने एक बड़ी सेना भेजी। गुरु को विपन्न होकर कारमौर की पहाड़ियों में भागना पड़ा। वहाँ १६४५ ई० में उनका देहाव्य हो गया। सातवें गुरु हरराय (१६४५-१६९१ ई०) थे। द्वारा इनसे बहुत प्रभावित था और अक्सर इनके पास जाता रहता था। इससे अपसन्न होकर औरंगजेब ने गुरु हरराय को सफाई देने के लिये बुलाया। गुरु ने स्वर्ण न जाकर अपने बेटे रामराय को औरंगजेब के दरबार में भेजा, जो उसकी जाल में फँस गया। गुरु के मरने पर उनके सबसे छोटे सड़के तेगबहादुर गुरु हुए। पहले इन्होंने रामराय के साथ आसाम की कबाई में मुगलों की सहायता की थी, किन्तु औरंगजेब की धार्मिक-नीति के कारण यह मुगलों के कट्टर विरोधी हो गये। इन्होंने औरंगजेब के अव्याचारों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया। इनके इस काम से औरंगजेब बड़ा ही क्रुद्ध हुआ और इनको दिखी बुका भेजा। गुरु तेगबहादुर इस बात को जानते थे कि औरंगजेब इनके साथ क्या व्यवहार करेगा। इसलिये इन्होंने दिखी जाने के पहले अपने पुत्र गोविन्दसिंह को गुरु बनाया। गोविन्द सिंह की कमर में गुरु हरगोविन्द की रूपान्ता बाँधते हुए इन्होंने गोविन्द सिंह को गुरु स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वे मृत्यु के मुल में जा रहे हैं और अपने पुत्र गोविन्दसिंह को अपनी मृत्यु का बदला लेने का आदेश किया। गुरु तेगबहादुर के अंतिम वचनों का गुरुगोविन्दसिंह पर बड़ा प्रभाव पड़ा और अपने जीवन में वे मुगल सत्ता के घोर शत्रु बन गये। गुरु तेगबहादुर दिखी के किले में कैद करके रखे गये। वहाँ पर उनपर यह अभियोग लगाया गया कि, उन्होंने दरम की छिपों पर दृष्टिगत किया था और इसपर उनको मृत्युदण्ड दिया गया। मरने के पहले अपनी सफाई में गुरु तेगबहादुर ने कहा—“मैं तुम्हारी योगों की तरफ नहीं किन्तु भारत के राजनैतिक आकाश में यूरोपियों की शक्ति को देख रहा था, जो योके दिनों में तुम्हारे साम्राज्य का अन्त कर देगी।” गुरु की भविष्यवाणी सही निकली।

गुरु गोविन्दसिंह (१६०६-१७०८) नामक पन्थ के हमरें और अन्तिम गुरु थे । उनमें अद्भुत बलसाह और अद्भुत संगठन की शक्ति थी । "ये गीदड़ों को सिंह और गीरेया को घास बना सकते थे ।" उन्होंने सिक्खों की एक सुसंगठित सैनिक शक्ति के रूप में प्रकट दिया । उन्होंने अपने समुदाय में सभी जातियों के लोगों को भरती किया और जाति-प्रथा को भंग करके



गुरु गोविन्द सिंह

उनमें समानता और शूरता की भावना भर दी । ये कहते थे-“मैं मुसलमंनों की सत्ता को चरु बनाने के लिए चारों पक्षों के लोगों को मिच बना दूँगा ।” यद्यपि गुरु गोविन्दसिंह मुसलमन-शासन का अन्त न हो सके, किन्तु सिक्खों ने उसके विभाष में बहुत बड़ा भाग लिया । दिल्ली साम्राज्य के केंद्र पंजाब में उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की ।

४. राजस्थान में राजपूत-शक्ति का उदय

यह छिन्ना का बुका है, कि विजय के पतन के बाद भी मेवाड़ मुगलों की अधीनता में नहीं आया था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि राज्यों ने यद्यपि मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था फिर भी इनका अस्तित्व मट नहीं हुआ था। अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ के समय तक पिछले तीन राजपूत राज्यों ने मुगल-साम्राज्य के विस्तार में सहायता की। जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह और जोधपुर के राजा यशवन्तसिंह दोनों ही मुगल-साम्राज्य के स्वामी में से थे। परन्तु जब औरंगजेब ने अपनी धार्मिक-नीति और राजनीतिक छीम के कारण यशवन्तसिंह के वंश का विनाश और मारवाड़ पर अधिकार करना चाहा, तो वहाँ के राठौर भी मुगलों के शत्रु बन गये। मेवाड़ के राजा राजसिंह और जोधपुर के राजा अजितसिंह के सहायक दुर्गादास राठौर दोनों ने मुगल-साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का शब्दा कहा किया। यद्यपि बीच-बीच में मुगलसेना ने मेवाड़ और मारवाड़ को हबा रखा, किन्तु अन्त में वे दोनों ही राज्य मुगल-साम्राज्य से स्वतंत्र हो गये और राजस्थान के दूसरे राजपूत राज्यों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड में भी बुन्देला और छत्रसाल भी भारत की राष्ट्रीय शक्ति के प्रतीक थे। इनका सम्बन्ध मेवाड़, मारवाड़ और सूँची के हाड़ा राजाओं से तथा वृषिण के मराठों से था। इन शक्तियों के मिले हुए संगठन ने मुगलों के विरुद्ध विप्लव की एक कड़ी शृंखला तैयार कर ली थी।

५. मराठा शक्ति का उदय

इस युग में जितनी राष्ट्रीय शक्तियों का उदय हुआ उनमें मराठा शक्ति सबसे अधिक संगठित, शक्तिमान और व्यापक थी। मुगल सत्ता की प्रतिक्रिया के सिवाय मराठा शक्ति के उदय के कोई कारण वर्तमान थे। एक तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति राष्ट्रीय शक्ति के उदय के लिये अनुकूल थी, वहाँ की नीची-ऊँची पहाड़ी भूमि और उसकी उपज की कमी मनुष्य को जोशम-संघर्ष के लिये सहजशील बना देती है। बाहरी आक्रमणकारियों के लिये ऐसी भूमि का जीतना भी कठिन होता है। राजनीतिक विपत्तियों के समय मराठा सैनिक अपने पहाड़ी किछों में बड़ी आसानी से शरण ले सकते थे और उनसे निकल कर विदेशी सेना पर आक्रमण कर सकते थे। महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ और अंगुल छुक-छिपकर पुनः करते के लिये बहुत ही अनुकूल हैं। हलके और तेज मराठे सैनिक छिप-छिपकर मुगल सेना पर क्षापा मारने में बहुत सफल हुये। महाराष्ट्र के राजनीतिक उत्थान के पहले वहाँ धार्मिक

सुधारों ने हमके लिये चेन्न तैयार कर दिया था। तुकाराम, एकमात्र, बामन पण्डित, समर्थ गुरु रामदास आदि ने अपने उपदेशों और कामों से बदा की खनता में बड़ी स्फूर्ति भर दी थी, जिससे यह अपने धर्म और देश की रक्षा के लिये पछिदान करने को तैयार थी। समर्थ गुरु रामदास महाराज शिवाजी के गुरु थे और तत्कालीन जागृति में उमका बड़ा भारी दाय था। उम समय के साहित्य का प्रभाव भी मराठों के ऊपर काफी पड़ा। समर्थ गुरु रामदास का 'दास-योध' नामक ग्रन्थ गुलाम जाति में नयी चेतना और आसाद भरने में अमुपम था। मराठों ने अपनी पराधीनता के सम्बन्ध में भी दक्षिण के मुसलमानी राज्यों में भौकरियां करके दासता और सेना-संचालन का काफी अनुभव प्राप्त कर लिया था। इसलिये वे राजनीतिक परिवर्तन के लिये पहले ही से तैयार थे। औरंगजेब की धर्म-नीति और दक्षिण-भक्ति ने भी महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शक्ति के विकास में काफी योग दिया। औरंगजेब की अमुदार और अत्याचारी नीति ने हिन्दू जनता में तीव्र प्रतिक्रिया और मुस्लिम-राज्य के लिये घोर घृणा उत्पन्न कर दी। दक्षिण-भारत में प्राम्नीय मुस्लिम राज्यों को नष्ट करके औरंगजेब ने दक्षिण में मुस्लिम-सत्ता की जड़ कमजोर कर दी और मुगल-साम्राज्य वहाँ रुक प हो सटा। इससे मराठों ने काफी लाभ उठाया और अपनी शक्ति का विस्तार किया।

(१) शिवाजी

(क) प्रारम्भिक जीवन

मराठा शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक महाराज शिवाजी थे। इनके पिता शाहजी भीसला बीजापुर के आधिकारी राज्य में भौकर थे और उमका बदा



शिवाजी

पर बड़ा प्रभाव था। उमकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का जन्म १० अप्रैल १६२० ई० में जीजाबाई के गर्भ में हुआ था। शिवाजी अक्सर अपनी माता के साथ रहे। इन्होंने बाल्यकी शिष्ट-शिक्षा काफ़ी ध्यान रखा। महाभारत और रामायण की कथाएँ सुनाकर जीजाबाई ने अदृश्य से ही शिवाजी के हृदय में राजनीतिक महत्वाकांक्षा का बीज बो दिया था। शिवाजी के शिष्टक दादोजी मोगरेय थे। शिवाजी के

चरित्र निर्माणमें इनका भी बड़ा दाय था। शिवाजी कभी-कभी अपने पिताके जग

बीजापुर भी बनाया करते थे और बड़े पैमाने से हिन्दुओं के पतन और मुस्लिम-राज्य के बर्खास्तों और उसके भागी विनाश का निरीक्षण करते थे। ये किशोरावस्था में ही समर्थ गुरु रामदास जी के प्रभाव में आये। हिन्दू धर्म की रक्षा और हिन्दू-साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न गुरु रामदास ने शिवाजी के हृदय पर अंकित कर दिया।

(ख) सैनिक जीवन और मुस्लिम राज्यों से संघर्ष

शिवाजी का सैनिक जीवन और सैनिक शक्ति का संगठन भी बड़े महत्त्व का था। महाराष्ट्र के दक्षिण और बिजारे हुए किसानों और चरबाहों को इकट्ठा करके उनमें उत्साह भरकर और उनको सैनिक शिक्षा देकर एक वरुणाकी सेना का संगठन करना शिवाजी का ही काम था। यह स्वामाजिक ही था कि उनका सबसे पहला संघर्ष बीजापुर राज्य के साथ होता, क्योंकि बीजापुर से स्वतंत्र होकर उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा राज्य की घोषणा की थी और आदिलशाही सूबों के कुछ भाग पर अपना अधिकार जमा दिया था। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने के लिये अफजलखाना नामक अपने सेनापति को भेजा। अफजलखाने शिवाजी को घोड़े से पकड़ना चाहा था और शिवाजी इस बात को जानते थे, इसलिये दाय में घबराता क्षिपाकर वे उससे मिलने गये और उसका बर्तन पर काम तमाम कर दिया। मराठा सिपाहियों ने अफजलखाने की सेना को मार मगाया।

शिवाजी का दूसरा संघर्ष हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी मुस्लिम शक्ति मुगलों के साथ हुआ। औरंगजेब ने शायस्ताखाने को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, किन्तु शिवाजी ने शायस्ताखाने को भी हराया और उसे विचर होकर लौटना पड़ा। औरंगजेब अर्बुदस्त शूद्रनीतिज्ञ था। उसने राजा जयसिंह और आहजादा मुल्जिम को बहुत बड़ी सेना के साथ महाराष्ट्र पर आक्रमण करने को भेजा। शिवाजी की सैनिक शक्ति अभी इतनी बड़ी शक्ति का सामना करने के लिये काफी न थी, इसलिये उन्होंने पुरन्दर में जयसिंह की सन्धिस्थता से सन्धि कर ली। सन्धि की शर्तों के अनुसार मुगल-साम्राज्य का आधिपत्य नाममात्र के लिये शिवाजी ने मान लिया और बीजापुर और गोलकुण्डा के विरुद्ध मुगलों की सहायता करना स्वीकार किया। मिर्जा राजा जयसिंह के परामर्श से शिवाजी ने मुगल दरबार में जाना भी स्वीकार कर लिया किन्तु इसमें उनका उद्देश्य मुगल-साम्राज्य का अपनी आँसों निरीक्षण और उत्तर की हिन्दू शक्तियों से सम्पर्क स्थापित करना था। आगरे में औरंगजेब ने उनका अपमान करके उनको जेल में बाँध दिया, परन्तु शिवाजी

बापमी बतुराई से जेठ से निकल गये और मयुरा, काशी, पुरी आदि तीनों में होते हुए फिर महाराष्ट्र वापस पहुँच गये और मुगलों से युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी।



(ग) हिन्दू राज्य की स्थापना

१६०७ई० में रायगढ़ के किल्ले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने हिन्दू-शासक की घोषणा की। मुस्लिम सत्ता से विरुद्ध होने के कारण हम घटना का बहुत बड़ा अन्वय था। हमारे बाद शिवाजी ने दक्षिण के मुस्लिम राज्यों और मुगल प्रांतों के राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर अमरावति बनाई।

(घ) शासन-प्रयत्न

शिवाजी की विजयों और राज्य-स्थापना के समान उनका शासन-प्रयत्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस समय की शासन-प्रणाली के अनुसार राज्य भी एकतांत्रिक था और राज्य का पूरा अधिकार उन्हीं के हाथ में था। परन्तु शिवाजी भावार्थवादी, अत्यन्त परिश्रमी और उत्साही शासक थे। इस लिये निरंकुश होते हुए भी प्रजाकी भलाईके लिये उन्होंने राज्य क्रिया-शासन में सहायता करने के लिये नीचे लिखे आठ प्रधानों का एक मंत्रिमंडल था:—

- (१) प्रधान अथवा पेशवा—यह राजा का प्रधान मंत्री होता था और राज्य के सामान्य शासन की देखरेख करता था।
- (२) अमात्य (अर्थ-सचिव),
- (३) मंत्री (घरानों का केजक),
- (४) सुमन्त (परराष्ट्र सचिव),
- (५) सचिव (गृह-सचिव),
- (६) पण्डितराय (धर्म-सचिव),
- (७) सेनापति और
- (८) न्यायाधीश।

छठवें और आठवें प्रधानों को छोड़कर शेष को राज्य की सैनिक सेवा भी करनी पड़ती थी। शिवाजीका केन्द्रीय शासन १८ विभागों में बंटा हुआ था।

शिवाजी के प्रांतीय शासन पर हिन्दू प्रभाव के साथ वृद्धि के मुस्लिम राज्यों का प्रभाव भी था। उनका राज्य स्वराज्य, प्रान्त, तरफ, मौजा में बंटा हुआ था। प्रान्त के शासक वैशाधिकारी कहलाते थे। उनके नीचे सूबेदार, कारकुल, हवलदार और मुजिफा होते थे। शिवाजी ने जागीरदारी-प्रथा को मंग कर दिया, और सरकारी कर्मचारियों का नकद वेतन निश्चित किया। राजकीय अधिकारियों का स्थान परिवर्तन होता था। अर्थ-विभाग भी अपनी तरह से सुव्यवस्थित था। जागीरदारी के मंग से सरकारी खजाने को बचा छाम हुआ। भूमिहीन पैसाइश करायी गयी और उपस का ३० से, ४० प्रतिशत तक सरकार को भूमि-कर के रूप में मिलता था। सरकार की ओर से खेती को प्रोत्साहन और छुपकों की रफा का प्रबन्ध था। राज्य के बाहर के प्रदेशोंसे खौद्य और सरवेदामुखी नामक कर शिवाजी को मिलता था। न्याय-विभाग प्राचीन प्रथा पर अवलम्बित था। यद्यपि उस पर भी थोड़ा-बहुत मुस्लिम प्रभाव पड़ा था। स्थानीय मुकदमों का फैसला ग्राम-पंचायतें करती थीं। फौजदारी के मुकदमों का निर्णय पट्टेल के हाथ में था। ऊपर के न्यायालयों में न्यायाधीश नीचे की अदालतों की अपनी शूनते थे। अमियोगों के निर्णय में लिखित कागज-पत्र, अधिकार और साक्षियों के अतिरिक्त जमि, जल, विप आदि दैवी साक्ष्य का उपयोग भी किया जाता था। शिवाजी के शासन में दान और शिक्षा-विभाग भी छोड़े गये थे। देश के सैनिक-वातावरण में शिवाजी ने एक बहुत बड़े सेना-विभाग का निर्माण किया था। उनके अति-

अपनी कतुलाई से जेठ से निकल गये और मथुरा, काशी, पुरी आदि तीर्थों में होते हुए फिर महाराष्ट्र वापस पहुँच गये और मुगलों से युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी।



(ग) हिन्दू राज्य की स्थापना

१६०६ ई० में रायगढ़के किलेमें शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और उन्हींसे हिन्दू-साम्राज्य की घोषणा की। मुस्लिम सत्ता से बिले हुए देश में इस घटना का बहुत-बड़ा महत्व था। इसके बाद शिवाजी ने दक्षिण के मुस्लिम राज्यों और मुगल प्रान्तों के भागों को अपने राज्य में मिलाकर उसका विस्तार किया।

(घ) शासन-प्रबंध

शिवाजी की विजयों और राज्य-स्थापना के समान उनका शासन-प्रबन्ध भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस समय की शासन-प्रणाली के अनुसार राज्य भी एकतात्मिक था और राज्य का पूरा अधिकार उन्हीं के हाथ में था। परन्तु शिवाजी आदर्शवादी, अत्यन्त परिश्रमी और उत्साही शासक थे। इस किये भिरंकुश होते हुए भी प्रजाकी मज्जा के किये उन्होंने राज्य किया। शासन में सहायता करने के किये नीचे किये आठ प्रधानों का एक मंत्रिमंडल था:—

(१) प्रधान अथवा पेशवा—यह राजा का प्रधान मंत्री होता था और राज्य के सामान्य शासन की देखरेख करता था। (२) अमात्य (अर्थ-सचिव), (३) मंत्री (घरनाओं का सेवक), (४) सुमन्त (परराष्ट्र सचिव), (५) सचिव (गृह-सचिव), (६) पण्डितराज (धर्म-सचिव), (७) सेनापति और (८) न्यायाधीश। अठारह और आठारह प्रधानों को जोड़कर शेष को राज्य की सैनिक सेवा भी करनी पड़ती थी। शिवाजीका केन्द्रीय शासन १८ विभागों में बंटा हुआ था।

शिवाजी के प्रांतीय शासन पर हिन्दू प्रभाव के साथ दक्षिण के मुस्लिम राज्यों का प्रभाव भी था। उनका राज्य स्वराज्य, प्रान्त, तरफ, मौजा में बंटा हुआ था। प्रान्त के शासक देसाधिकारी कहलाते थे। उनके नीचे सूबेदार, कारकुन, इबतदार और मुस्लिम होते थे। शिवाजी ने जागीरदारी-प्रथा को मंग कर दिया, और सरकारी कर्मचारियों का मजदूरी बतन निश्चित किया। राजकीय अधिकारियों का स्थान परिवर्तन होता था। अर्थ-विभाग भी अच्छी तरह से सुव्यवस्थित था। जागीरदारी के मंग से सरकारी खजाने को बड़ा लाभ हुआ। मूमि की पैमाइश करायी गयी और उपर का ३० से ४० प्रतिशत तक सरकार को मूमि-कर के रूप में मिलता था। सरकार की ओर से खेती को प्रोत्साहन और कृषकों की रक्षा का प्रबन्ध था। राज्य के बाहर के प्रदेशों से शौथ और सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी को मिलता था। न्याय-विभाग प्राचीन प्रथा पर अबलम्बित था यद्यपि उस पर भी थोड़ा-बहुत मुस्लिम प्रभाव पड़ा था। स्थानीय मुकदमों का फैसला ग्राम-पंचायतें करती थीं। फौजदारी के मुकदमों का निर्णय पटेल के हाथ में था। ऊपर के न्यायालयों में न्यायाधीश नीचे की अदालतों की अपील सुनते थे। अमितोर्गों के निर्णय में लिखित आगज-पत्र, अधिकार और साधियों के अतिरिक्त अग्नि, जल, विष आदि देवी साक्ष्य का उपयोग भी किया जाता था। शिवाजी के शासन में दान और दिव्या-विभाग भी लोके गये थे। देश के सैनिक-जातावरण में शिवाजी ने एक बहुत बड़े सेना-विभाग का निर्माण किया था। उनके अग्नि-

कार में १८० पर्यंत-हुगो थे, जिसमें सेना और उसके भरण और सिङ्घण का सामान रखा जाता था। उनके पास बहुत बड़ी स्थायी सेना थी, जिसमें १ लाख पैदल, ४० हजार घोड़सवार, १२६० हाथी, और बहुत-सी तोपें तथा बन्दूकें थीं। इस समय तक हिन्दू शक्ति ने भी तोपों और बन्दूकों का उपयोग करना सीखा लिया था। सिवाजी के पास एक बहुत बड़ा बहाजी बेड़ा भी था। सेना की कई एक इकाइयां थीं, जिनके ऊपर हवल्दार, शुमका, हजारी, पचहजारी, सरनौबत नामक अधिकारी नियुक्त थे। सेना के छिये कटोरे नियम बने हुये थे, जिनका पाठन करना अत्यावश्यक था, जैसे—किसानों की रक्षा, स्त्रियों का सम्मान, धार्मिक स्वानों और पुस्तकों का आदर, आदि।

(क) चरित्र

सिवाजी का चरित्र और व्यक्तित्व बहुत ऊँचा था। मुसलमान खेदकों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ और धार्मिक पक्षपात के कारण उसकी निन्दा की है। किन्तु वे महान् राजनीतिज्ञ और महान् सेनापति थे। उनके जीवन में आदर्श और व्यवहार का बहुत अच्छा संतुलन था। वे परिस्थिति को पहचानते थे, और नीतिज्ञता से काम लेते थे, किन्तु नीचता से नहीं। वे बहुत बड़े राजनीतिक सूधारक और नेता थे। व्यक्तिगत जीवन में उनका ऊँचा नैतिक आदर्श था। उनको ऊँची शिक्षा नहीं मिली थी, किन्तु उनमें प्रतिभा और विवेक काफ़ी मात्रा में थे। वे हिन्दू-धर्म के उधारक और उसके बहुत बड़े समर्थक थे, किन्तु धर्मान्ध नहीं थे। उन्होंने अपने पुत्रों में विधर्मियों के धर्म-स्वामों, स्त्रियों और पुस्तकों का आदर किया। सिवाजी की शयना मध्य-युग के महान् राष्ट्र-निर्माताओं में की सकती है।

(२) शिवाजी के संशय

शिवाजी की मृत्यु १६८० ई० में हुई। इसके बाद मराठों के 'पारस्परिक कलह, नैतिक पतन, शिवाजी जैसे नेता के अभाव और मुगलों से निरंतर युद्ध के कारण मराठों की शक्ति कुछ समय के लिये विकरने लगी। शिवाजी के पुत्र शम्भाजी पिछासी, दुर्बल और अदूरदर्शी थे। औरंगजेब मराठों की शक्ति का विनाश करना चाहता था। उसने शम्भाजी के समय में महाराष्ट्र पर आक्रमण करके उनको कैद कर लिया। शम्भाजी के सौतेले भाई राजाराम कुछ अधिक योग्य थे, किन्तु वे भी बिरादरी हुई स्थिति को समझ न सके। शम्भाजी का पुत्र साहूजी मुगलों द्वारा कैदी हुआ और दिल्ली दरवार में ० हजार की मनसबदारी पाकर संतुष्ट रहने लगा। किन्तु राजाराम ने मुगलों के विरुद्ध मराठों का

संघर्ष जारी रहा। उनकी मृत्यु से मराठों को बड़ी मिरासा हुई। उनकी स्त्री ताराबाई बड़ी योग्य थी। उनके समय में फिर मराठा शक्ति पनपने लगी और बीरंगरेव के सीते जी मराठों ने मुस्लिम प्रान्तों से चौध और सरदेसा-मुक्ती कर वसूल किये।

(३) पेशवा-पद का उदय

शिवाजी के वंशजों की दुर्बलता के कारण महाराष्ट्र में पेशवापद का उदय हुआ और राज्य के संचालन में इसका प्रभाव बढ़ गया पेशवा अपनी प्रधान जट-प्रधानों अथवा मंत्रियों में से एक था। साहू के समय से धीरे-धीरे राजा की शक्ति क्षीण होती गयी और पेशवा की शक्ति बढ़ती गयी, जो धीरे-धीरे राज्य का वास्तविक संचालक हो गया। पेशवा का पद भी राजा की तरह से पैदा बन गया। मुगल-राज्य के पतन के समय पेशवाओं ने फिर मराठा शक्ति का पुनरुत्थान किया। पहला पेशवा शास्ताजी शिब्यनाथ हुये। १७१४-१७ तक इन्होंने महाराष्ट्र में शान्ति और सुभ्यवस्था स्थापित की। इन्होंने राज्य का आर्थिक प्रबन्ध भी किया और आसपास के प्रान्तों से चौध और सरदेसामुक्ती भी वसूल की। १७२० ई० में मुगल सम्राट मुहम्मदशाह पर दबाव डालकर सारे देश से चौध और सरदेसामुक्ती की स्वकृति बससे ले ली। दूसरा पेशवा बाजीराव बालाजी विश्वनाथ से भी अधिक योग्य और महत्वाकांक्षी था। उसने देश के बहुत बड़े भाग से कर वसूल किया और बिसाक सेना का संगठन। उत्तर भारत में साम्राज्य-स्थापना का वह स्वप्न देखने लगा। दक्षिण में उसने आसफजाह भिजाभ की शक्ति को रोका, गुजरात, मालवा और दुन्देखसंघ पर अधिकार कर लिया और उसकी सेना दिल्ली के पक्षोस तक पहुँचने लगी। तीसरा पेशवा बाबाजी १७४० ई० में शासना-रुद्ध हुआ। उसने अपनी शक्ति को बढ़ा किया और सत्तारा में शिवाजी के वंश को छोड़कर १७५० ई० में पूना को अपनी राजधानी बनाई। उसने मराठा-संघ की स्थापना की और स्वयं ही उसका प्रमुख पदा। उसके भाई राजोजी ने करक और उड़ीसा पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और मराठी सेना बंगाल के ऊपर भी छापा मारने लगी। बाबाजी ने पश्चिमोत्तर भारत पर भी ध्यान दिया। १७५८ ई० में राघोबा अथवा रघुनाथराव ने छाहौर पर आक्रमण किया और पंजाबपर अपना अधिकार जमा किया। ऐसा ध्यान पड़ने लगा कि सारे भारत का साम्राज्य मराठों के हाथों आ जायगा। उनका राज्य-विस्तार दक्षिण में कर्नाटक से लेकर उत्तर में पंजाब और पश्चिम में काठियावाड़ से लेकर पूर्व में बंगाल की सीमा तक हो गया।

(४) पानीपत की तीसरी लड़ाई

इस बढ़ती हुई राष्ट्रीय हिन्दू-शक्ति से मुस्लिम जगत को बड़ा भयानक हुआ। दिल्ली का मुगल बादशाह बिरब्रुक ही शक्तिहीन और चारी-चारी से मराठों, खैरों और अवध के नवाबों के हाथ की कठपुतली बन गया था। इस समय अफगानिस्तान के बादशाह अहमदशाह अब्दाली ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। पहले शुजाउद्दौला मराठों से मैत्री की बातचीत करता रहा, परन्तु पीछे अब्दाली से मिळ गया। एक तरफ पेशवा, मराठे सामंत और मराठपुर का महाराजा चूरबमठ थे और दूसरी तरफ अहमदशाह अब्दाली, शुजाउद्दौला और खैरे थे। १७६०-६१ ई० में दोनों तरफ की सेनाएँ पानीपत के मैदान में झकड़ी हुईं। यह पानीपत की तीसरी लड़ाई थी और पहली दो लड़ाइयों की तरह यह भी निर्णायक सिद्ध हुई। मराठे उत्तर भारत की मैदानी लड़ाई के अभ्यस्त न थे। दूसरे उनकी सेना और रसद के आचार दक्षिण में थे, वहाँ से सहायता पहुँचना आसान नहीं था। उन्होंने इसी समय अपनी पुरानी युद्ध-प्रणाली—सुक-द्विपकर आक्रमण करना—को छोड़ दिया था और भारी सेना और तोपखाना का उपयोग किया था। इस तरह की लड़ाई में इनको अभी कुशलता प्राप्त नहीं हुई थी। मराठों के सेनापति भास्कर में अमिमान और बुराप्रह भी अधिक था। वह रामपूतों और भाटों को अपने साथ अन्त समय तक रख न सका। बड़े धोर युद्ध के बाद मराठे पानीपत की लड़ाई में हारे और मादिरशाह की तरह खूब-खसोद कर के अहमदशाह अब्दाली वापस चला गया।

पानीपत के युद्ध ने शक्तियों के भाग्य का निर्णय कर दिया। मराठा-संघ टूट गया और फिर उसका बड़े पैमानेपर निर्माण नहीं हो सका। उसके स्थान में पाँच छोटे-छोटे मराठा राज्यों की स्थापना हुई—ग्वाल्द्वर में सिंधिया, इन्दौर में होस्कर, बड़ौदा में शाहूबाद, नागपुर में भोंसले और पूना में पेशवा। फिर भी मराठों की शक्ति नष्ट नहीं हुई। उन्होंने जारी चककर अपनी शक्ति का संगठन और अंग्रेजों का विरोध किया। पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल-शक्ति का बिरब्रुक अन्त हो गया, यद्यपि दिल्ली का बादशाह नाममात्र के किये बचा रहा, जो आगे चककर अंग्रेजों के हाथ में पड़ गया। हिन्दुओं की शक्ति एक बार फिर विदेशी शक्तियों के संगठन से टकराकर बिखर गयी और उसे अपने पुनरुद्धार की प्रतीका में फिर से बैठना पड़ा।

३० अध्याय

उत्तर मध्यकालीन सभ्यता और संस्कृति

१५२६ ई० में बाबर के आक्रमण के बाद लगभग दो सौ वर्ष तक भारत के ऊपर कोई बाहरी हमला नहीं हुआ था। यह सच है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये मुगल बादशाहों को देश के भीतर कई कड़ाहूँ लड़नी पड़ीं और उनकी प्रतिक्रिया भी हुई। परन्तु अकबर के समय तक भारत के बहुत बड़े भाग पर उनका अधिकार हो गया। साम्राज्य की स्थापना के बाद शासन का अच्छा संगठन भी हुआ। इससे देश में शांति और सुखवस्था कायम हुई। काफी उम्मे समय तक विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, जातीय, धार्मिक, आर्थिक वर्गों में परस्पर संपर्क, समझौता और आदान-प्रदान की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। यद्यपि वहाँ आक्रमण और खराबचार हुए, वहाँ संघर्ष और प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है; फिर भी संततता के समय की राजनीतिक स्थिति बदन सुकी थी। देश-विषय और धर्म-परिवर्तन का जोश भी कम हो गया था। हिन्दू-मुस्लिम बहुत दिनों तक एक साथ रह चुके थे। इसलिये एक मिश्र और समन्वित जीवन का निर्माण इस काल में संभव हुआ।

१. राजनीति

दिल्ली के तुर्क और पठान सुल्तानों ने यद्यपि हिन्दुस्तान को अपना घर बना लिया था, परन्तु उनके राज्य की कल्पना में वहाँ की बहुसंख्यक प्रजा-हिन्दुओं का-कोई स्थान न था। उनका राज्य तो धर्मतांत्रिक था ही, उनके शासन में भी सेना और दूसरी नौकरियों में हिन्दुओं को जगह नहीं मिलती थी। इसके कारण ये राजनीतिक अविश्वास और धार्मिक द्वेष। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तब पहले-पहल तुर्कों और पठानों ने हिन्दुओं की मित्रता और सहायता की आवश्यकता का अनुभव किया और उनके साथ संधि बनाकर पावर का विरोध किया। शेरशाह ने इस अनुभव से काम उठाया। और अपने शासन में हिन्दुओं को अधिक स्थान दिया और उनके साथ उदारता का व्यवहार किया। पश्चिमोत्तर भारत, अफगानिस्तान तथा मध्य-एशिया की जातियों से लड़ने और दक्षिण में राज्य-विस्तार के सिद्धसिद्धे में मुसलमानों

ने अपने राज्य, शासन और विद्वानों में हिन्दुओं के महत्त्व को समझा और मुस्लिमानी से काम किया। सिद्धान्त रूप में मुगलों के समय में भी राज्य धर्मतांत्रिक था। परन्तु व्यवहार में वह, किसी बंश में, भौगोलिक राष्ट्र का रूप ग्रहण कर रहा था। अकबर ने सत्रिया (धर्म-कर) को हटाकर मुसलमान और हिन्दु के भेद को बहुत कम कर दिया और अपने 'इबादत लावे' और 'दीन इस्लाही' से सब धर्मों की बराबरी को स्वीकार किया। इसके साथ ही अपने शासन और नीतियों में धर्म, जाति और सम्प्रदाय का भेद किये बिना केवल योग्यता के आधार पर सब को नियुक्त किया। यद्यपि शुद्ध राष्ट्रीयता अकबर के समय में संभव न थी, फिर भी राज्य के अंशता राष्ट्रीकरण का भेद उसके दिया जा सकता है। इस प्रक्रिया को औरंगजेब की धार्मिक नीति से खड़ा रखा; किन्तु उसके समय में भी मुगल-सेना और सूबों में हिन्दुओं को ऊँचा स्थान प्राप्त था। औरंगजेब के बाद भी मुस्लिम और मराठे (हिन्दु) राज्यों में धार्मिक मामलों और राजकीय नीतियों में उदारता जाती गयी और धर्म के स्थान में भेद; और राजभक्ति का महत्त्व बढ़ता गया। अंग्रेजों के आगमन ने फिर इस प्रवृत्ति को खड़ा दिया और राजनीतिक मामलों में कभी-कभी हिन्दु-मुसलमान का भेद नष्ट चला था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में इस भेद ने उग्र रूप धारण किया और राष्ट्र के टुकड़े फिर विघ्न-मिच्छ हो गये।

राज्य का स्वरूप इस समय भी एकतांत्रिक और निरंकुश था। प्रजा भी इसमें कोई आवाज न थी। बादशाह के बजीर (मंत्री) होते थे, किन्तु मंत्रिमण्डल का कोई वैधानिक रूप नहीं होता था; अपनी इच्छा के अनुसार बादशाह उनसे शय लेता और उनकी बात मानता जयबा नहीं मानता। आमीरुद्दौला प्रथा तोड़कर मुगलों ने सामन्तशाही का अन्त कर दिया। इससे राज्य अधिक केन्द्रित हो गया। मनसबदारी एक प्रकार की सरकारी; नीकी बन गयी; किन्तु मनसबदारी का आधार सेना; थी, इसलिये शासन में सैनिक तत्व की प्रधानता थी। चायद इसके लिये उस समय की राजनीतिक स्थिति उपरवाधी थी। प्रत्येक मुगल बादशाह, राजपूत और मराठा राजा प्रजा की भलाई के लिये प्रयत्न करता था। परन्तु राज्य प्रजा के सामाजिक जीवन में अकबर के सुधारों और औरंगजेब के प्रतिबंधों को जोड़कर और स्थानीय रीति-रिवाजों में कोई छेड़-छाड़ नहीं करता था। दूर के प्रांतों और विशेषकर बेहात में राज्य के फरमान पहुँच नहीं पाते; वे और प्रजा स्थानीय और राष्ट्रीय नियमों से शासित होती थी।

२. समाज

देश के बहुसंख्यक हिन्दुओं में समाज की रचना जाति-प्रथा के ऊपर अवलम्बित थी। जाति के मुख्य आधार थे विवाह, मोक्षण और व्यवसाय। इनके सम्बन्ध में व्यापक और कठोर नियम थे। राजनीतिक हार के कारण हिन्दुओं ने अपनी रचा के कड़े सामाजिक नियम बनाये, परन्तु इससे न केवल हिन्दू और मुसलमान के बीच सामाजिक खाई बन गयी, बल्कि हिन्दुओं की विभिन्न जातियों के बीच में भी भेद और वर्जनशीलता बढ़ी। राजपूतों और मुगलों के बीच राजनीतिक विवाह हुए, राजपूतों ने अपनी लकड़ियाँ दीं, परन्तु उन्होंने मुस्लिम लकड़ियों से विवाह न किया। जातियों, वर्गों और पेशों का परिवर्तन प्रायः शून्य-सा हो गया। जो लोग हिन्दुओं में से छोम, ब्राह्मण या श्वेत्या से इस्लाम धर्म ग्रहण करते थे, वे मुस्लिम राज्य के कानून के अनुसार फिर हिन्दू-धर्म में वापस नहीं जा सकते थे। हिन्दुओं के लिये शुरू में जो-विचसता थी, उसको उन्होंने प्रथा के रूप में मान लिया और हिन्दू समाज से निकले हुए व्यक्ति उसमें वापस नहीं जा सकते थे। पूर्व-मध्यकाल और मध्यकाल में जो सामाजिक प्रथाएँ प्रचलित थीं, वे ही अधिक संकीर्णता और कठोरता के साथ जारी रहीं। अक्षर के सामाजिक सुधारों का उनपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हिन्दुओं ने मुसलमानों को भी एक जाति मान लिया। उनके साथ उठने-बैठने, काम-बंधे, पढ़ने-लिखने, मनो-विशेष, पर्व, मेले जादि में बाहरी सामाजिक सम्बंध बने रहते थे; परन्तु विवाह, शादी, जाम-पाम का संबंध नहीं। धीरे-धीरे मुसलमानों में भी और सामाजिक कारणों से कई जातिपाँ बहने लगीं और उनमें शरीफ और रजीक का भेद पैदा हो गया।

सरकारी तौर पर समाज के कई वर्ग थे जिनके जीवन में परस्पर बहुत भेद और अन्तर था। सबसे ऊपर बादशाहों और राजाओं का वर्ग था जिनको विशेष पद और सुविधाएँ प्राप्त थीं और जो आराम और विद्यमसिता का जीवन बिताते थे। इस वर्ग के नीचे सरदारों, जमीनों और भूमिदात श्रेणियों का वर्ग था जो छोटे-छोटे पैमाने पर बादशाह और राजाओं के सामान ही रहता था। तीसरा वर्ग मध्यम श्रेणी के लोगों का था जो साधारणतः आराम किन्तु सादगी और डिफायतसारी का जीवन बिताता था। किन्तु इस वर्ग के व्यापारी वर्ग में आराम और विद्यमसिता काफी थी। चौथा और सबसे निचला वर्ग सामान्य श्रेणियों का था, जिसे कठोर जीवन बिताना पड़ता था। इनमें किसान, मजदूर, कारीगर आदि शामिल थे। संभवतः पर्याप्त मोक्षण

तो उनको मिला जाता था किन्तु आराम का जीवन वे नहीं बिता सकते थे। इस वर्ग को पूरी स्वतंत्रता और सरकारी सुविधा प्राप्त नहीं थी और राज्य की ओर से इनके ऊपर कई प्रकार के दबाव और कसबाचार होते थे। -

३. धार्मिक जीवन

इस काल के धार्मिक जीवन में भी कई नवी विचार-धाराओं को एक मिला। मुगलों के आगमन के पहले हिन्दुओं की निर्गुणमार्गी ज्ञानाधारी धारा की प्रधानता थी, जिसमें जानक, कबीर आदि प्रधान थे। वे सच्चे ज्ञान और निराकार ईश्वर की उपासना को मुक्ति का साधन मानते थे। परन्तु इस समय सगुणमार्गी भक्तिधारा का प्रचार अधिक हुआ। इसमें दो सम्प्रदाय थे : (१) कृष्णायत और (२) रामायत। चैतन्य, सूरदास आदि कृष्ण के भक्त थे। वे कृष्ण की भक्ति और सगुण उपासना को मोक्ष का साधन बतलाते थे। इस सम्प्रदाय में प्रेम, आभेस, शृंगार, विछेसिता आदि गुण आये थे। रामायत सम्प्रदाय के सन्तों में तुलसीदास प्रमुख थे। वे राम के अनन्य उपासक थे। उनकी उपासना-प्रवृत्ति सगुण किन्तु सारी और आचारनिष्ठ थी। उनके धार्मिक विचार रामायत के समान विशिष्टाद्वैती थे। तुलसीदास स्मार्त (स्मृतियों में विहित धर्म को माननेवाले) थे, इसलिये वे अवैदिक और परम्परा विरोधी धर्मों को अस्वीकार नहीं समझते थे। अपने ग्रन्थ रामायण के द्वारा उस समय के हिन्दू समाज की उन्होंने रक्षा की।



सूरदास

मुसलमानों में सूफी सम्प्रदाय का उदय पहले हो चुका था, परन्तु इस समय इसको विशेष प्रोत्साहन मिला। यह एक जट्टतन्त्री और ज्ञानमार्गी पंथ था और हिन्दुओं के बेदाम्ती भक्तिमार्गी सम्प्रदाय के बहुत निकट था। कदर मुन्शी मुसलमान इसको पसन्द नहीं करते थे, किन्तु ईरान के सम्पर्क और हिन्दुओं के साथ के कारण यह लोकप्रिय हो गया। इस सम्प्रदाय के सन्त, महारामा ईश्वर को प्रेमाभय मानकर भक्ति और उपासना के द्वारा उसमें जीन हो आने का उपदेश करते थे। सूफियों में भी कई उपसम्प्रदाय थे। उसमें कुछ परम्परागत इस्लामी आचार विचार को मानते थे, कुछ स्वतन्त्र विचार के और परम्परा-विरोधी थे।

मुसलमानों में सूफी सम्प्रदाय का उदय पहले हो चुका था, परन्तु इस समय इसको विशेष प्रोत्साहन मिला। यह एक जट्टतन्त्री और ज्ञानमार्गी पंथ था और हिन्दुओं के बेदाम्ती भक्तिमार्गी सम्प्रदाय के बहुत निकट था। कदर मुन्शी मुसलमान इसको पसन्द नहीं करते थे, किन्तु ईरान के सम्पर्क और हिन्दुओं के साथ के कारण यह लोकप्रिय हो गया। इस सम्प्रदाय के सन्त, महारामा ईश्वर को प्रेमाभय मानकर भक्ति और उपासना के द्वारा उसमें जीन हो आने का उपदेश करते थे। सूफियों में भी कई उपसम्प्रदाय थे। उसमें कुछ परम्परागत इस्लामी आचार विचार को मानते थे, कुछ स्वतन्त्र विचार के और परम्परा-विरोधी थे।

अरबों ने धार्मिक जगत् में एक नया प्रयोग किया। अनेक धर्मों और सम्प्रदायों से उत्पन्न भेद और संबंधों को एक राष्ट्र के निर्माण में बह बाधक समझता था। इसलिये उसने सर्वमान्य दीन-इफ्फाही (ईश्वरीय धर्म) का



तुलसीदास

प्रवर्तन किया, जिसमें सभी धर्मों के उत्तम सिद्धान्त, नैतिक विचार और पूजा-पद्धति सम्मिलित थी। किन्तु शातावरण अनुकूल न होने के कारण यह नया धर्म लोकप्रिय न हो सका।

भाचार्य, संत, महारमा, भौकिया, फकीर आदि सभे धर्म, नैतिक भाषण, ज्ञान, भक्ति और उपासना का प्रचार और मनुष्यों में परस्पर प्रेम और सहायता का उपदेश करते थे; परन्तु बीच-बीच में कट्टरपंथी मुस्लिम शासकों द्वारा प्रजा पर धार्मिक आत्याचार होते थे और लोगों में परस्पर कटुता बढ़ जाती थी। तीर्थयात्रा, इज, मूर्तिपूजा, कर्मपूजा और कई प्रकार के

धर्मकाण्ड तथा धार्मिक रीति-रिवाज प्रचलित थे, बहुत-से' अंधविश्वास भी जनता में पाए जाते थे, जैसे—जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, कथ, तावीज़, साङ्-फूँक आदि। अक्षररूप से पुस्तिकाएँ पाठ्य भी अपनी विषयों और पुत्र-प्राप्ति के लिये अक्षरों में लिखी की दरगाह की पैरुल पाया करता था।

४. भाषा और साहित्य

जैसे तो पारसियों की ही प्राचीन भाषाओं का विकास शुरू हो गया था, किन्तु उत्तर-मध्यकाल में उनकी विशेष उन्नति हुई। हिन्दी, बँगला, मराठी, गुजराती और वज्जि की प्राचीन भाषाओं का स्वरूप निरंतर भाषा और जगह में बहुत-से ग्रंथ लिखे गये। हिन्दू-मुस्लिम सम्पर्क से इस समय एक नयी भाषा का उदय हुआ जिसको 'उर्दू' कहते हैं। हिन्दी के ऊपर अरबी और फारसी शब्दों का आरोप करके इस भाषा का निर्माण हुआ। मुस्लिम सत्ता के प्रसार के साथ इस भाषा का भी विस्तार हुआ।

हिन्दी को यद्यपि राज्याध्यय कम मिला, किन्तु इसकी सभी स्थानीय बोलियों—अवधी, ब्रजभाषा, राठस्थानी, पुम्बेलसण्डी आदि—में स्वतंत्र रूप से और हिन्दू राजाओं के प्रभय से उच्च कोटि का साहित्य रचा गया। इस काल में हिन्दी कवियों में तुलसी और सूर सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। तुलसी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि उत्तम कर्ष्यों की रचना की। मानस में सर्वादा-पुरुषोत्तम राम के चरित का चित्रण कर जनता के सामने उन्होंने एक बहुत ऊँचा भावार्थ उपस्थित किया। इस ग्रन्थ से भारत के अनेक नर-नारियों को आज भी प्रेरणा मिलती है। सूर ने ब्रजभाषा में कृष्ण-भक्ति के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सूरसागर' को लिखा। इसमें कृष्ण के जीवन के विविध पहलुओं का सजीव और सुन्दर चित्रण है। सूरसागर में भक्ति, प्रेम और शृंगार का अनुपम समन्वय है। बिहारी, वैष्णव, मतिराम काक आदि इस युग के अन्य प्रसिद्ध कवि थे। बिहारी, वैष्णव, मतिराम ने विशेष करके शृंगार रस की कविताएँ कीं। भूषण और काक वीर रस के कवि थे। भूषण छत्रछाह कुम्होला और छत्रपति शिवाजी की राजसभा में रहे। अपनी कविता से उन्होंने हिन्दुओं में उत्साह, पराक्रम और भाषा का संभार किया। हिन्दी में कई प्रसिद्ध सुसज्जमान कवि भी हुए जिनमें मकिक मुहम्मद जायसी, अक्षुरहीम जानजाना, रसलाल, ताज, सिद्धा हुसेम खली आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मुगल बादशाहों में अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ हिन्दी में कविता करते थे और उनके दरबार में बहुत से हिन्दी कवि प्रभय पाते थे। दूसरी प्राचीन भाषाओं में भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई। बँगला

के वैष्णव साहित्य में चैतन्य-भागवत, चैतन्य-मंगल, चैतन्य-चरितामृत आदि प्रमुख किये गये। काशीराम, मुकुन्द राम चक्रवर्ती, बनारस भादि प्रसिद्ध कवि बंगाल में इसी काल में हुये। उर्दू कविता के केन्द्र दिल्ली, कसनक, औरंगाबाद और बीजापुर थे। लकी, नुसरत, हासमी, सेवा, रामराय, शीकी, गम्भासी, चम्प्रमान बरहमन, मीर, सीदा, शोब आदि इस समय के प्रसिद्ध उर्दू कवि थे।

मुगल बादशाहों और उनके सूबेदारों और लघीन राज्यों के द्वारा फारसी भाषा और साहित्यका बड़ा प्रचार हुआ। नसीरी, उर्फी और फैजी आदि फारसी के अच्छे कवि हुए। शेख मुबारक, अबुल फजल, अबुल कादिर वदायूनी ने फारसी में उत्तम ग्रन्थों के सिवाय कुरान और हदीस पर अच्छी टीकायें भी लिखीं। अबुल फजल, फरिस्ता, सफ़ी खां, गुलबदन बेगम, औदर, निजामुद्दीन अहमद, अब्बास सरबानी, अबुल हमीद काहीरी आदि इस काल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। गुलबदन बेगम, नूरजहाँ, जहाँनारा, जेबु-खिसा आदि स्त्रियों की कवितायें आज भी आदर पाती हैं। बाबर और जहाँगीर आत्म-चरित लिखने की कला में प्रवीण थे। मुसलमान शासकों के संरक्षण में संस्कृत भाषा के विविध प्रकार के विषयों—साहित्य, दर्शन, आयुर्वेद, गणित, ब्यौठिप आदि—के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया गया। शाहजहाँ के दरबार में पण्डितराज जगन्नाथ रहते थे, जिन्होंने रस-गंगाधर, मामिनीबिलास, सौम्यसहरी आदि संस्कृत के मौलिक तथा उच्छ्रोत्रि के ग्रन्थों की रचना की।

५. कला

(१) वास्तुकला

कलाओं में वास्तु-कला के उत्तर-मध्यकालीन कई एक उदाहरण आज भी बर्तमान हैं, जो इस कला की सुन्दरता और महानता के चोखे हैं। मुसलमानों के आगमन के पहले भारतमें राजमबन, दुर्ग और मंदिर-निर्माणकी कई शैलियाँ प्रचलित थीं। क्योंकि पुराने राजमबनों और मंदिरों की सामग्रियों से मुसलमानों ने नयी इमारतें बनवायीं और यहाँ के शिल्पियों और कारीगरों ने काम किया, इसलिये मुसलिम वास्तु-कलापर भारतीय प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। कुछ कदर सुलतानों ने इस प्रभावसे मुक्त होने का भी प्रयत्न किया, परन्तु उनको सफलता नहीं मिली। गुजरात में मुस्लिम इमारतों पर हिन्दू प्रभाव अधिक था। यह प्रक्रिया जारी रही और इसके सबसे सुन्दर परिणाम मुगलों के शासन-काल में दिखायी पड़े। पायल को इमारतें बनाने का समय और सुविधा कम थी। फिर भी पानीपत में काबली

पाग की मसजिद, संभल की बामा मसजिद तथा भागरे में छोड़ी मिनीतर की मसजिद उसकी यादगार के रूप में आज भी बची है। यद्यपि को हिन्दुस्तानी चीसैं कम पसन्द थीं, फिर भी भारतीय कारीगरों ने उरखनाओं को प्रभावित किया। हुमायूँ के समय की भागरे और फतह (दिसार किले) में दो मसजिदें पायी जाती हैं जिनपर ईरानी सजावटका प्रदे है। अफगान शासक शेरशाह के समय में वास्तु-कला की स्पष्ट प्रगति हुई साहस के साथ भारतीय सौती और प्रभावों को स्वीकार किया। विशपुराने किले के दो दरवाजे और किकापे-कुइन मसजिद कला की ही बहुत सुन्दर हैं। परन्तु उसके समय की सबसे सुन्दर कृति सहस्र (बिहार) में एक कृषिम शीक के मध्य में बनी उसकी समाधि है जो भारतीय मुसलिम-कला का सुन्दर नमूना है। बोजना, गंभीरता और शंगार इति से इसमें हिन्दू और मुस्लिम तत्वों का सफ़क मिश्रण है। अकबर ऊपर मंगीक, तुर्क, ईरानी और भारतीय कई प्रकार के प्रभाव थे, पर उसके ऊपर सबसे गहरा रंग राजस्थानी जीवन और कला का था। मुग़ स्थापत्यकी प्रथममि आज भी जयपुर और उदयपुरमें देखी जा सकती। अकबर खैरी कल्पना और कृषि का व्यक्ति था, जता उसकी कल्पना कृषि ही पर्यर और ईद के रूप में मूर्तिमती हुई। अकबर के समय की पह इमारत दिल्ली में हुमायूँ का मकबरा है। इस पर ईरानी प्रभाव होते भी इसकी योजना और बाहर की ओर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग स भारतीय है। आगरा, फतहपुर सीकरी, जजनेर, दिल्ली और इलाहाबाद अकबर के समय की बहुत-सी इमारतें हैं। आगरा के किले में चहाँगी महक, फतहपुर सीकरी में जीवबाई का महक, शीबाने शास, बामा मसजि शोष सखीम चिरती का मकबरा, सुखन्द दरवाजा, पंच महक, मरियम-उर मानी का महक, इलाहाबाद में आधीस स्वम्नों का महक आदि प्रसिद हैं अकबर की अंतिम इमारत सिकन्दरा में बनी उसकी समाधि है, जिसको उस शुरू कराया था, पर जो चहाँगीर के समय पूरी हुई। इसमें पाँच तल्ले प दूसरे के ऊपर क्रमशः बटते हुए बने हैं। मौख विहार तथा हिन्दू-चीन वास्तु-सौती का स्पष्ट प्रभाव इसपर दिखायी पड़ता है।

चहाँगीर के शासन-काल में अपेक्षाकृत इमारतें कम पनीं, यद्यपि वह भी उसकी वेगम नूरजहाँ दोनों ही सौंदर्य के प्रेमी थे। उसने पहले सिकन्दरा में अकबर की समाधि को पूरा कराया। उसके समय की दूसरी प्रसिद इमारत आगरा में पतामामुदीछा का मकबरा है, जिसका निर्माण उसकी छवर्क

मुरझाई ने बताया था। यह सकेव संगमरमर का बना हुआ है। इसमें बहु-
 मूल्य पत्थीकारी का काम किया गया है। यह उदयपुर के गोरुमण्डल मंदिर
 के अनुकरण पर बना है। शाहजहाँ बहुत बड़ा निर्माता था। उसके समय में
 दिल्ली, आगरा, काबुल, फारसीर, कम्बुहार, अजमेर, महमबाबाद आदि स्थानों
 में निर्मित बहुत-सी इमारतें अकबर की इमारतों की तुलना नहीं कर सकतीं,
 परन्तु अंगार और प्रदर्शन में उनसे आगे बढ़ी हुई हैं। दिल्ली किले के भीतर
 दीवाने-आम और दीवाने-खास इस बात के अनकन्त उदाहरण हैं। दीवाने-खास
 में रजत-भंडित तथा संगमरमर, सोना और बहुमूल्य रत्नों का काम अनुपम है।
 इसको देखते हुए इसकी कृत में अंकित निम्नलिखित शक्ति उचित स्वाम पक्षी
 है : "आगर फिरदौस घर ख्ये बनी अस्त, इमीनस्त" (यदि पृथ्वी के घरातक
 पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है यहीं है, यहीं है)। आगरे की मोती मसजिद
 अपनी सफाई और सौन्दर्य की दृष्टि से स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। आगरे की
 बामा मसजिद भी उसी के समय की बनी एक सुन्दर इमारत है। शाहजहाँ
 की सपने सुन्दर कृति ताजमहल है, जिसको उसने अपनी बेगम मुमताजमहल
 की समाधि के रूप में बनवाया था। योजना, गौरीय और सौंदर्य की दृष्टि से
 यह एक अद्भुत रचना है और इसकी गजना संसार के सात भाग्यों में होती
 है। वाइस वर्ष में तीस करोड़ रुपये खर्च करके यह बनवायी गयी थी।
 इसकी योजना बनानेवाला दिल्ली का नया, इस बात को लेकर बिहानों में
 मतभेद है। पादरी मैन्रीक का मत कि यह इटली का रहनेवाला था असिद्ध
 हो चुका है। मुसलिम इतिहासकारों के अनुसार यह कुषुनस्तुनिया का रहने-
 वाला उस्ताद ईसा था। वास्तव में ताज का ढोंचा पूरा पश्चिमाई है और उस
 पर युरोपीय प्रभाव कुछ भी नहीं है। लाहौर के शाहजरा में शर्हीगीर की
 समाधि को भी शाहजहाँ ने ही पक्काया था। उसकी दूसरी अनुपम कृति
 लक्ने-शाहस का निर्माण था, जिसमें नादिरशाह उद्य के गया और आज
 उसका कोई निशान बाकी नहीं है। औरंगजेब कदर सुधी होने के कारण
 कला की ओर उदासीन था इसलिये उसके समय से वास्तु-कला की अवनति
 होने लगी। उसकी बनवायी हुई इमारतों में लाहौर की मसजिद और औरंगा-
 बाद में बीबी का रौबा प्रसिद्ध हैं, परन्तु वे पहले की इमारतों का असफल
 अनुकरण मात्र हैं। इसके बाद मुसलिम वास्तु-कला की प्रतिभा चीन होने
 लगी। मुगल-शास्राज्य के पतन पर लक्नेज और देवराबाद में इसका
 अवशेष बना रहा।

हिन्दू राजधानियों और तीर्थस्थानों में भी इस काल में रायप्रासाद, मंदिर,
 झील, उपवन आदि बनाये जाते रहे। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर,

सोनागढ़ आदि स्थानों में तत्कालीन वास्तु-कला के नमूने पाये जाते हैं। कुम्हारवन, इक्षोरा, अमृतसर, आदि में मंदिर-स्थापत्य के उदाहरण मिलते हैं।

(२) चित्र-कला

भारत में चित्र-कला का विकास बहुत पहले हो चुका था, जिसके नमूने अजन्ता, इक्षोरा और बाघ की गुफाओं में आज भी वर्तमान हैं। कन्नड़ इस्लाम के प्रभाव के कारण अरब, तुर्क और अफगान शासकों का चित्रकला को प्रथम नहीं मिला, यद्यपि रामस्थान, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, विजयनगर आदि स्थानों में यह कला जीवित थी। इस्लाम में बीवधारियों का चित्रण करना कुफ्र (पाप) था, क्योंकि उसके अनुसार मनुष्य चित्रण करके ईश्वर की बराबरी करने की छलता करता है। ईरान, तुर्क और चीनी सम्पर्क और प्रभाव से मुसलमानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। मुगलों के शासन के बाद चित्रकला को राम्यायन मिकना शुरू हो गया। शुरू में इस कला पर ईरानी प्रभाव अधिक था, परन्तु धीरे-धीरे भारतीय प्रभाव बढ़ता गया। चित्रकला की मुगल-शैली वास्तव में भारतीय और राजस्थानी चित्र शैली के बहुत निकट थी।

तैमूर के पंशय चित्रकला के बड़े शौकीन थे। जैसे बाबर के समय के चित्रकला के नमूने नहीं पाये जाते हैं, किन्तु अकबर में सुरजित बाबरनामा के चित्रित फारसी हस्तलेख से मालूम होता है कि उसके दरबार में भी चित्रकला का आदर था। हुमायूँ अपने साथ ईरान से सैयदखान और म्बाजा अब्दुस्समद को भारत के आया और 'अमीर हुमायूँ' नामक काव्य का चित्रांकन कराया। अकबर ने इन दोनों कलाकारों से चित्रकला सीखी थी और वह इस कला का अत्यन्त प्रेमी था। उसके दरबार में फारस के किन्हीं चित्रकार अब्दुस्समद, फारुकनेग, सुरजान कुली और समशेर के साथ-साथ पसवान, काठ, केसू, मुकुन्द, हरिबन्ध, बसबन्ध आदि हिन्दू चित्रकार भी रहते थे। धीरे-धीरे पादर से चित्रकारों का आना बन्द हो गया और हिन्दू चित्रकारों की संख्या मुगल दरबारों में बढ़ गयी। अकबर प्राकृतिक और मानव सौन्दर्य का बड़ा प्रेमी था। इसलिये इस्लामी नियम के रहते हुए भी उसने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया और उसमें ईश्वर के अस्तित्व और सौन्दर्य का अनुभव किया। उसके दरबार में रज्जनामा (महाभारत), बाबरनामा, अकबरनामा, निजामी के काव्य का चित्रांकन तथा बादशाह और उसके अमीरों के चित्रण किये जाते थे। चित्र कागज और कपड़े दोनों पर खींचे जाते थे। फतहपुर सीकरी के भवनों में सुन्दर मिथि-चित्र भी बनाये गये थे।

विविध रंगों का प्रयोग होता था; सुनहले रंग का काम बहुत सुन्दर होता था। मुगल-चित्रकला का सबसे अधिक विकास बर्हौगिर के समय हुआ। वह इस कला का बहुत ही प्रेमी, मर्मज्ञ और पारखी था। उसके पास चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह था; सुन्दर चित्रों पर अधिक से अधिक पुरस्कार देने को वह तैयार रहता था। वह स्वयं भी चित्रकला जानता था। उसने चित्रकला को विदेशी अनुकरण से मुक्त करके उसको भारतीय रूप दिया। उसके दरबार के चित्रकारों में आगा रजा, अबुल-हसन, मुहम्मद पादिर, मुहम्मद सुराद, उस्ताद मंसूर, विमानवास, ममीहर, गोवर्धन आदि अधिक प्रसिद्ध थे। बर्हौगिर के बाद चित्रकला की अवधि होमे लगी। साइबर्हौ मयन-निर्माण का प्रेमी था; चित्रकला से उसको शौक म था। उसके दरबारी चित्रों में रंगों के सुन्दर मिश्रण के स्थान में कीमती रत्न और सोने की कढ़ाई अधिक थी। उसने बहुत से चित्रकारों को आपने दरबार से निकाल दिया, जिन्होंने प्रान्तीय दरबारों में शरण ली। उसके पुत्रों में दारा शिकोह चित्रकला का प्रेमी था, जिसके चित्रों का अलबम आज भी इंडिया आफिस में सुरक्षित है। औरंगजेबके समय में चित्रकला का निश्चित पतन हुआ। वह कष्ट सुधी होने के कारण इस कला का प्रोही था उससे छिपाकर मुगल दरबार के शिषी चित्र बनाते थे। कहा जाता है कि उसने बीजापुर के आसार मदक के चित्रों को नष्ट करा दिया और सिकन्दरा में अकबर के मुकबरे के चित्रों पर सफेदी करा दी। मुगल-साम्राज्य का पतन होने पर चित्रकला के केन्द्र अथवा, हैदराबाद, मैसूर, बंगाल और दूसरे प्रान्तों और हिन्दू राज्यों में फिसकते गये। सम्पूर्ण मुगल-काल में केन्द्र-कला का बड़ा आवरण था और इसकी विविध शैलियों का विकास हुआ।

जैसा कि पहले लिखा गया है, हिन्दू राज्यों में चित्रकला की कई शैलियों प्रचलित थीं। राजस्थान, काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिजयनगर आदि स्थानों में अच्छे चित्रकार थे। रामायण, महाभारत आदि काव्यों तथा राज-नागिनियों के पिपरीकृत विशेष रूप से होते थे। प्राकृतिक दृश्यों तथा देवताओं, वीर पुरुषों और राजाओं तथा रामियों के भी चित्र खींचे जाते थे। हिन्दू राज्यों में चित्रकला के साथ मूर्तिकला का भी प्रचलन था, यद्यपि इसमें प्राचीन कालीन मौलिकता और सौन्दर्य का अभाव था।

(३) संगीत-कला

सभी मुसलमान और हिन्दू राज्यों, मुगल सुभों और औरंगजेब को छोड़ कर सभी नुपल-सम्राटों के दरबार में संगीत-कला को जायज माना था।

बापर में प्रकृति-प्रेम के साथ संगीत का भी प्रेम था और उसने अपने आत्म-चरित में अपने दरबार के गायकों का आदर और प्रशंसा के साथ उल्लेख किया है। हुमायूँ के ऊपर सूफी मत का प्रभाव था और वह गान-बिद्या को ईश्वर की प्राप्ति का साधन मानता था। अकबर गान-बिद्या का बड़ा प्रेमी और गायकों का आश्रयदाता था। अशुभ फर्रुख के अनुसार उसके दरबार में सत्तीस प्रसिद्ध गायक थे, जिनमें तानसेन सबसे निपुण था। मालवा का पल्लवी गान-मर्मज्ञ वाजबहादुर भी अकबर के दरबार में रहता था। जहाँगीर और शाहजहाँ के दरबारों में भी गायकों को प्रशय मिलता रहा। शाहजहाँ को गाना सुनने का बड़ा शौक था और रात को गाना सुनते-सुनते वह सो जाता था। धिप्रकला से भी बहकर संगीत-कला का औरंगजेब सजु था। वह संगीत को मनुष्य के चरित्र धिगाड़ने का साधन मानता था; इसलिये उसने संगीत पर प्रतिबन्ध लगा दिया। निराश होकर जब गायकों ने संगीत का जमावा निकाला तो औरंगजेब ने कहा—“इसको इतनी गहराई में गाओ कि यह फिर अपना सिर ब उठा सके।” दरबार और राजमन्ना के अतिरिक्त सन्तों और उनके अनुयायियों में संगीत का काफी प्रचार था। वैष्णवों की कथा, कीर्तन, धामा, छत्तन आदि में संगीत का प्रचुर उपयोग होता था। संगीत-कला में हिन्दू और मुस्लिम तर्कों का मिश्रण काफी स्वतंत्रता के साथ हुआ, यद्यपि अन्त में हिन्दू तर्कों की ही प्रधानता रही।

६. आर्थिक जीवन

आर्थिक जीवन के सम्बन्ध में आइने-अकबरी, जहाँगीरनामा, आकमगीर-नामा और दूसरे फारसी के ग्रंथ, युरोपीय व्यापारी और यात्रियों के यात्रा-वर्णन तथा उस समय के साहित्यिक ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है। जीवन का प्रथम आर्थिक आधार खेती थी। भूमि तथा उसकी उपज का वितरण प्रायः आत्मकल जैसा ही था। विशेष उपजों में ईस की खेती बिहार, पंजाब और उत्तर-प्रदेश में होती थी। मीठ उत्तर भारत के कुछ भागों में होता था जो रंग बनाने के काम आता था। अफीम अधिकतर मालवा में पैदा होती थी। कपास और रेशम की उपज प्रायः उन्हीं प्रांतों में होती थी, जहाँ आत्मकल होती है। उम्मादू जहाँगीर के समय में इस देश में आया और बहुत बौद्ध कई प्रांतों में फैल गया। अन्त का बँदबारा लगभग आत्मकल जैसा ही था। खेती की पद्धति में भी वर्तमान से कोई विशेष अन्तर न था। खेती के औजार, हल खींचने के जानवर, सुतार्ई, बुझाई, सिंचाई, कटाई आदि सब

पैसे ही थे; सम्भवता नहरें कुछ कम थीं, किन्तु कृत्रिम ताल, झील आदि अधिक थे। खेती आसानी से और उसकी उपज अधिक होती थी, परन्तु किसानों पर सरकारी बोझ और अत्याचार बहुत था। उनका पेट भरकर भरता था, परन्तु उनके जीवन में आराम और सम्मान की कमी थी। खेती के साथ पशुपालन जीवन का दूसरा आर्थिक आधार था। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि का पालन दूध, मांस और उन के छिपे काफ़ी प्रचलित था।

भारतवर्ष जैसे प्राचीन काल में जैसे उत्तर मध्यकाल में भी केवल कृषि-प्रधान और गोधन-प्रधान देश न था, बल्कि वहाँ उद्योग-धंधों का भी काफ़ी विकास हुआ था। इस देश के कारीगर और शिल्पी सिर्फ अपने पहाँ के धनी-मानी और सामान्य जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते थे, बल्कि बहुत काफ़ी माक बाहर के देशों में भी भेजते थे। मुख्य उद्योगों में रुई के कपड़े का काम सबसे अधिक प्रचलित था। उत्तर प्रदेश बिहार, बंगाल और उड़ीसा में रुई से कपड़ा बुनने का काम बहुत होता था। ढाका में शीशा मजमल तैयार होती थी, जिसकी माँग पश्चिम के देशों में अधिक थी। पंचवि रेशमका उत्पादन कपास से कम था, फिर भी कारमीर, बंगाल और आसाम इसके बड़े केन्द्र थे। मुगल दरबार से रेशम के काम को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता था, उन का अधिकांश काम कारमीर, पंजाब और सीमान्त तथा अन्य पहाड़ी प्रदेशों में होता था। रंगाई के काम में भी भारतीयों ने कुशलता प्राप्त की थी। फूल, छत्ता, पर्ची आदि की आकृतियों से चित्रित कई प्रकार की साड़ियाँ और कपड़े तैयार किये जाते थे। धरी, गलीचे, समूक, कलमदान, घातु के विभिन्न प्रकार के बर्तन आदि बहुत अधिक मात्रा में तैयार होते थे। छकड़ी और हाथी शक्ति के काम अगत-भसिद्ध थे। ब्यापारी कारीगरों को पेशगी देकर सामान तैयार कराते और उसका पूरा छाम स्वयं उठाते थे। कमी-कमी सरकारी दबाव से भी कम दाम पर कारीगरों को सामान बेचना पड़ता था। किन्तु रूई और सरकारी प्रोत्साहन के बिना वे ब्यापार पनप भी नहीं सकते थे। समृद्ध और पिछास के जीवन से भी उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन मिलता था।

देशी और विदेशी ब्यापार दोनों ही उन्नत थे। यहाँ से निर्यात में कई प्रकार के कपड़े, मसाले, नीरु, जफीर, पशुमूष्य रस और पत्थर इत्यादि बाहर जाते थे। आयात में सोना-चाँदी, बच्चा रेशम, घातु, सूंगा, मजमल, मुगंधियाँ, चीनी मिट्टी के बर्तन, घोड़े, अमीर की गुलाम आदि बाहर से आते थे। स्थल और जल दोनों मार्गों से ब्यापार होता था। पश्चिमोत्तर में छाहीर से काबुल और मुल्तान से कन्दहार तक रास्ता चकता था। स्थल मार्ग

बहुत घुमरचित नहीं था। पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तट पर कई एक बन्दरगाह थे जहाँ से विदेशों के साथ व्यापार होता था। इनमें से लाहौरी बन्दर (सिन्ध), सुरत, मड़ोच, कम्ब, बेसीन, गोला, काछीकट, कोचीब, नोगा-पट्टम, सातगाँव, श्रीपुर, चटगाँव, सोनारगाँव आदि प्रसिद्ध थे। अकबर के बाद अंग्रेज और डच व्यापारी भारत में आ चुके थे। और उन्होंने कई कारखाने स्थापित कर लिये थे। आयात और निर्यात दोनों पर शुल्की लगायी थी, जिसकी दर सामान पर ३३ प्रतिशत और सोना-चाँदी पर ९ प्रतिशत थी। चीनी देश के बाहर बेटी नहीं जा सकती थी। सामान्य व्यवहार की चीजों का धाम सस्ता था। सरकार सिक्कों का नियंत्रण करती थी और कई प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। अकबर के समय में मोहर, रुपया, दाम, बीतल आदि सिक्के जारी थे। धातु की दृढ़ता, तौल और सौवर्ण की दृष्टि से ये सिक्के उत्तम कोटि के थे। व्याज पर रुपये दिये जाते थे। आहुत, रैंक और हुंडी आदि की प्रथा भी थी।

साधारणतः देहात के लोगों को जाने-पोने की कमी नहीं थी। सब चीजें अधिकता से पैदा होती थीं और उनका दाम बहुत कम होने से अधिकतर जनता को सुलभ थीं। परन्तु यह न भूलना चाहिये कि मजदूरी भी कम थी और मजदूरों में खरीदने की शक्ति सीमित थी। यह सब है कि जीवन की आवश्यकतायें कम होने से लोगों में असन्तोष कम था। देश में बहुत से बड़े-बड़े शहर थे। उनमें सरकारी और व्यापारी बर्ग के श्रेय आराम और विद्यास का जीवन बिताते थे। औरंगजेब के बाद से देश में धीरे-धीरे फिर अराजकता फैलने लगी, जीवन के आर्थिक आधार अरक्षित हो गये और प्रजा में व्यवसाय का अस्तित्व और गरीबी बढ़ने लगी।

३१ अध्याय

आधुनिक युग का उदय

युरोपीय आतियों का आगमन : अंग्रेजी सत्ता का उदय

सुरुहवीं शती के बाद का इतिहास युरोप के आधुनिक इतिहास से बहुत ही प्रभावित है। आधुनिक युग के शुरु में पश्चिमी युरोप में जो परिवर्तन हुए उन्होंने न सिर्फ युरोप की कायापलट कर दी किंतु सारे संसार में उन्होंने एक नया युग छटा दिया। इस युग की कई विशेषताएँ हैं। युरोप के ऊपर तुर्कों के आक्रमण ने रोमन-साम्राज्य के पूर्वी भाग को बड़े ओर से बड़ा दिया। इसका फल यह हुआ कि फ्लुतुनतुनिया और दूसरे बगरी के विद्वान्, शिल्पी और वैज्ञानिक भागकर पश्चिमी युरोप की तरफ चले गये। इस घटना ने पश्चिमी युरोप के निवासियों की मानसिक शक्ति को जागृत किया। इसके साथ ही प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता तथा संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ। इस पुनरुत्थान ने जसता की सोई हुई चेतना को बूठ दिया। जीवम के कई क्षेत्रों में नये अलुसम्बान और वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे। नये जल-भागों और देशों का पता लगाया गया। युरोप के लोग उन देशों में उपनिवेश बसाने लगे और उनके साथ ब्यापार करने लगे। युद्ध की कला में भी विकास हुआ। तुर्कों से बाहूद का प्रयोग युरोप ने सीखा और अधिक ब्यापक और घातक पैमाने पर इसकी उद्यति की, जिसके कारण दूसरे देशवाले युद्ध की कला में उनसे विद्वद गये। राष्ट्रीयता का लम्भ भी इसी काल में प्रारम्भ हुआ। पहले ईसाई धर्म ने सारे ईसाई जगत को एक सूत्र में बाँध रखा था। यह धार्मिक बंधन जय डीछा हो गया। उसका स्थान देश की भौगोलिक सीमा और राज्य की महावाकांक्षा ने ले लिया। सभी देश अपने राजनीतिक प्रभुत्व के लिये एक दूसरे से होद करने लगे। द्वापे की कल के आविष्कार ने भी इस युग के ऊपर बड़ा प्रभाव डाला। इससे शिक्षा, विद्या और ज्ञान के प्रचार का वेद्य बहुत बढ़ गया, और साधारण जसता में प्राचीन तथा मवीन देश और विदेश के विषय में ज्ञानकारी प्राप्त करने की दक्षि उपपन्न हुई।

जब युरोप में इस तरह के परिवर्तन हो रहे थे, तब भारत में एक दूसरा ही दर्य दिखाई पद रहा था। मुगलों के आक्रमण ने भारत में आधुनिक युग को लगभग १५० वर्ष पीछे हकेद दिया। १८ वीं शती के

शुरू में मुगल-शासनात्म्य स्वयं शिथिल होने लगा और दूसरे आक्रमणकारियों के लिये उसने रास्ता खुला छोड़ दिया। इस समय यूरोप की कई जातियाँ भारत में बल-मार्ग से घुस आईं। वे अपने-नये उरसाह, नये साधन और संगठन की नयी शक्ति को लेकर भारत में अपना प्रमुख स्थापित करने का प्रयत्न करने लगीं।

१. पुर्तगाली

यूरोप पर तुर्की के आक्रमण से भूमध्य सागर के किनारे रहनेवाली जातियों का व्यापार सर्वप्रथम प्रभावित हुआ। तुर्कों ने अरब-सागर और भूमध्य-सागर के रास्तों को अरक्षित बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोपके लोगों ने पूर्व से गिराव हो कर पश्चिमी गोलार्ध का पता लगाया। इसमें स्पेन के निवासी सबसे आगे थे। कोलम्बस ने अमेरिका को खोज निकाला। स्पेन के साथ पुर्तगाल के निवासियों ने भी सामुद्रिक यात्रा और अन्वेषण में होड़ लगायी और उन्होंने अफ्रिका की परिष्कार करते हुए इसके दक्षिणी छोर पर उत्तमाशा अन्तरीप का पता लगाया। १४९३ ई० में पोप ने पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध का बँटवारा स्पेन और पुर्तगाल के बीच कर दिया। पुर्तगालियों ने उत्तमाशा अन्तरीप से बढ़कर पूर्व में भारत की ओर प्रस्थान किया। इसी प्रयत्न में वास्कोडिगामा नामक यात्री १४९८ ई० में भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर काळीकट के मम्बरगाव पर पहुँचा।




वास्कोडिगामा

काळीकट के राजा जमोरिन ने पुर्तगालियों को व्यापार करने की सुविधा दे दी। उस समय तक पश्चिमी भारत का व्यापार अरबों के हाथ में था। अरबों को दबाकर पुर्तगालियों ने अरब-सागर पर अपनी अक्रान्ति की स्थापना की।

पुर्तगालियों का पहला गवर्नर १५०५ ई० में आलामिडा हुआ। यह भारत की राजनीतिक को समझता था। उसने व्यापारियों और उपनिवेशियों की रक्षा करने के लिए एक दुर्ग बनाया और इस तरह पुर्तगाली

राजनीतिक शक्ति की नींव डाली। १५०९ ई० में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर अलबुकर्क भारतमें आया। यह आलामिडा से भी अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने १५१० ई० में गोवा पर अधिकार कर उसको अपनी

राजधानी बनाया। इसके बाद उसने मछुआं को चीता और हंका, संकोत्रा और उर्मुअ नाम के द्वीपों में व्यापारिक मण्डियाँ तथा उपनिवेश बनाये। पूर्व के देशों में अपने व्यापार और राज्य की रक्षा के लिये उसने एक बहुत बड़े जहाजी बेड़ेका निर्माण किया। छगभग एक शताब्दी तक पूर्वी व्यापार और उपनिवेश में पुर्तगालियों का प्राधान्य बना रहा किन्तु अंत में उन्हें सफलता न मिली। १५८० ई० में स्पेन के राजा ने पुर्तगाल को अपने साम्राज्य में



वास्कोडिगामा काशीकट के राजा जमोरिन के दरबार में

मिला किया, इससे बिदेसी पुर्तगाली शक्ति को बड़ा धक्का लगा। किन्तु इसके पहले ही बहुत से कारण ऐसे थे जिनसे पुर्तगालियों की शक्ति चीज हो रही थी। उनकी असफलता का प्रथम कारण अपनी शक्ति का दुरुपयोग था। उन्होंने जसमय में ही अपनी राजनीतिक योजना प्रकट कर दी, जिससे भारत में उनका विरोध शुरू हो गया। भारतीय क्रियाओं से विवाह और विकास के कारण भी उनका पतन होने लगा। जल और स्थल में उनकी छद्म और व्यापारिक बर्तनीयता की बदनामी चारों तरफ फैल गयी। भारतीयों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिये उनके साथ यहाँ के निवासियों की सहानुभूति नहीं हुई। पुर्तगालियों के शासन में धर्म-प्रचार की प्रधानता थी। वे हिन्दू और मुसलमान दोनों को ही पूजा की दृष्टि से देखते थे और उनको अपर्धस्ती ईसाई बनाने की कोशिश करते थे। इस कारण भारतीय जनता में उनके प्रति घोर नफरत थी। पुर्तगालियों के लिए अभी मुगलों और मराठों का सामना करना भी संभव नहीं था। इसी बीच में पश्चिमोत्तर यूरोप की अन्य शक्तियाँ—

को अधिक संगठित और व्यावहारिक थीं, भारत में आ गयीं। उनके सामने पुर्तगाली अपनी शक्ति का विस्तार करने में असफल रहे। भारत में केवल गोवा, डामन और द्यू नामक छोटे स्वामी के ऊपर अधिकार से ही उनको संतोष करना पड़ा।

२. डच

पोप द्वारा पुर्तगाल को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का जो अधिकार मिखा था, उसका विरोध करनेवाली जातियों में हालैण्ड के निवासी डच लोग और इंगलैण्ड के निवासी अंग्रेज थे। हालैण्ड निवासियों को समुद्री व्यापार का अनुभव पहले ही था और वे दूर-दूर के प्रदेशों में अपनी नावें भेजते थे। १६०१ ई० में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए उन्होंने एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। थोड़े ही दिनों के भीतर डच व्यापारी भारत के समुद्र-तट पर और द्वीप-समूह में पहुँच गये। पुर्तगालियों की शक्ति तो पहले से ही क्षीण हो रही थी, इसलिए हालैण्डवालों का अंग्रेजों से मुकाबला हुआ। डच लोगों को पूर्वी भारतवर्ष में तो पूरी सफलता नहीं मिली; किन्तु उन्होंने पूर्वी द्वीप समूह से अंग्रेजों को अवैध विधा, मिसले विषय होकर अंग्रेजों को अपनी शक्ति भारत में केन्द्रित करनी पड़ी।

३. अंग्रेज

१६वीं शती के अन्त में अंग्रेजों की सामुद्रिक शक्ति का विकास हुआ और उनका उत्साह बढ़ा। १५६० ई० में राजी एडिन्डावेस ने इस बात की घोषणा की, कि समुद्र समी के लिए लूटा है और न तो प्रकृति और न अनला का हित इस बात के पक्ष में है कि उसके ऊपर किसी भी एक जाति का अधिकार रहे। १५६९ ई० में इंगलैण्ड ने पुर्तगाल के समुद्री एकाधिकार का विरोध किया और १५८८ ई० में स्पेन के लडाजी बेने आर्मेडाको हराया। इस घटना ने अंग्रेज जाति के अहासी हीससे को बहुत अधिक बढ़ा दिया। १६०० ई० में इंगलैण्ड के कुछ व्यापारियों ने पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। पहले इस कंपनी के सामने कई भीतरी कमजोरियाँ थीं, जिनको दूर करके १६५० ई० में संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी बनायी गयी।

युरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति ने भारत में युरोपीय जातियों के परस्पर संबंध पर बहुत प्रभाव डाला। पहले तो डचों ने अंग्रेजों को पूर्वी द्वीपसमूह से अदृष्टा। इसका फल यह हुआ कि अंग्रेजों को भारत में जाकर पुर्तगालियों से प्रतिपोगिता और मुद्द करना पड़ा। शुरू में पुर्तगाल

बाकों ने अंग्रेजों को भारत में घुसने से रोकने की कोशिश की। रामस बेख और कैप्टन निकोलस आदि अंग्रेज कप्तानों ने १६१४-१५ ई० के लगभग पुर्तगाल बाकों को कई स्थानों पर हराया। इससे पुर्तगालियों की प्रतिष्ठा भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर कम हो गई और अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई। १६३० ई० में मैसूर की सन्धि हुई; किंतु इससे दोनों जातियों के बीच का झगड़ा तय नहीं हुआ। १६६१ ई० में जम. कैथरिन ड्रायमेन्डा का विवाह द्वितीय चार्ल्स के साथ हुआ तो बम्बई नगर अंग्रेजों को दत्तक में मिल गया।

इसके बहुत पहले १६१५ ई० में अंग्रेज रामस बेख और टामस रो अहाँगीर के दरबार में पहुँच चुका था और उसको व्यापार करने की आज्ञा मिल गयी थी। अंग्रेजों ने पूर्वी समुद्र-तट पर कई बन्दरगाह और उपनिवेशों की स्थापना की, जिसमें मद्रास, ब्रुगडी आदि प्रसिद्ध थे। पहले तो दक्षिण और बंगाल के नवाबों ने अंग्रेजों का विरोध किया; किंतु पीछे उनको व्यापार की आज्ञा दे दी।

४. फ्रांसीसी

यूरोप की जातियों में फ्रांसीसी सबसे पीछे व्यापार करने जाये। उन्होंने भी यूरोप के और देशों का अनुकरण करके एक ईस्ट इण्डिया कंपनी की स्थापना की। पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने में फ्रांसीसीयों के मुख्य उद्देश्य तीन थे। उनका पहला उद्देश्य देश को धीतकर अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना था। दूसरा उद्देश्य फ्रांस के राजा की शक्ति को बढ़ाना और तीसरा उद्देश्य ईसाई मत का प्रचार करना था। फ्रांसीसीयों ने सुरत, मसूड़ीपट्टम, पाण्डुचेरी, बम्बई-नगर आदि स्थानों में अपने कारखानों की स्थापना की और मार्गशासक तथा माहौली पर भी अपना अधिकार जमा दिया। भारत की राजनीतिक स्थिति से भी उन्होंने काफी काम उठाया। १०४२ ई० में फ्रांसीसीयों का गवर्नर होकर हुप्ले भारतपर्यटन आया। वह बड़ा ही महत्वाकांक्षी



हुप्ले

था। उसके जाने से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में तीव्र संघर्ष प्रारंभ हो गया।

५. अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध

अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों यूरोप में भी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए जब कभी उनके बीच यूरोप में झगड़ा शुरू होता, उसका प्रभाव भारत में उनके परस्पर संबंध पर भी पड़ता था। दोनों जातियों में व्यापारिक होड़ तो थी ही। ये दोनों भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थिति से लाभ भी उठाना चाहते थे और अपने अपने राज्य के स्वयं भी बचाने लगे थे। इसलिए दोनों देशों में युद्ध होना अनिवार्य हो गया। १७५४ ई० में आस्ट्रेलियन उत्तराधिकार के युद्ध में दोनों जातियों ने भाग लिया। इसके फलस्वरूप भारत में भी इन जातियों के बीच युद्ध शुरू हो गया। माही, कोरोमण्डल के किनारे, मद्रास आदि कई स्थानों में कई युद्ध हुए। पहले माही में खीला और डोनेस



कार्टे लाइव

और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को सफलता मिली; किंतु फ्रांसीसियों की आन्तरिक कमजोरी से अंग्रेजी सत्ता बच गई। इसके बाद कर्नाटक और हिंदुरापाद में नवाबों और निजाम के उत्तराधिकार के झगड़े में अंग्रेजों और

फ्रांसीसियों दोनों ने भाग लिया। अब अंग्रेजों की फ्रांसीसियों के साथ दूसरी लड़ाई छिड़ गई। इस युद्ध में भी फ्रांसीसियों को प्रारंभिक सफलता मिली किंतु अंग्रेज फिर भी यत्न राये। युरोप में सत्रवर्षीय युद्ध छिड़ जाने पर फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में लड़ने लगे। इस लड़ाई में अंग्रेजों का सेना-नायक क्लाइव तथा फ्रांसीसियों का सेनानायक बुस्सी था। इस तीसरी लड़ाई में फ्रांसीसी हार गये और अंग्रेजों की जीत हुई। १७६३ में पेरिस की संधि ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संघर्ष का अन्त कर दिया।

६. अंग्रेजों की सफलता के कारण

फ्रांसीसियों के विरुद्ध अंग्रेजों की विजय के कई कारण हैं। सबसे पहले अंग्रेजों की नीति में व्यापार की प्रधानता थी और उनके पास आर्थिक बल अधिक था। इसके पहले में फ्रांसीसी राजनीति में लक्ष्ये हुए होने के कारण व्यापार पर ध्यान कम देते थे और उनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी न थी। बंगाल में अंग्रेजों के कई उपनिवेश थे, वहाँ से अंग्रेजों को आर्थिक सहायता मिलती थी। अंग्रेजों को भारत में काम करने की पूरी स्वतंत्रता थी और उनकी श्रेष्ठ सरकार उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करती थी। इसके विरुद्ध फ्रांसीसी सरकार फ्रेंच ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कामों में बराबर हान्य डालती थी, जिससे इसके कामों में बाधा पहुँचती थी। क्लाइव और कार्लिस जैसे सफल नेता अंग्रेजों को प्राप्त थे, जिनकी तुलना करनेवासे फ्रांसीसियों में बहुत कम थे। इस समय अंग्रेजी जहाजी वेधे की शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी। इससे फ्रांसीसी पन्द्रगाहों का वेरा अंग्रेज बड़ी सरलता से कर लेते थे। फ्रांसीसी अधिकारी आपस में लड़-झगड़कर अपनी शक्ति कमजोर कर लेते थे और अंग्रेजों को इस तरह काम उठाने की सुविधा देते थे। इस विजय ने अंग्रेजों का अभिप्रेम और भी निमित्त और उज्ज्वल कर दिया।

३२ अध्याय

बंगाल की नवाबी का पतन और अंग्रेजी सत्ता की स्थापना

१. बंगाल की तत्कालीन स्थिति

दिल्ली के मुगल सम्राटों की शक्ति और मान के हास का प्रभाव भारतवर्ष के सभी भागों पर पड़ा। दक्षिण और कर्नाटक के सूबेदारों की तरह बंगाल का नवाब भी प्रायः सभी मामलों में दिल्ली से स्वतंत्र हो गया था, यद्यपि दिल्ली की नाममात्र की प्रभुता उस पर बनी थी। मुगल सम्राट की कमजोरी का फल यह हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुसलमान नवाबों ने निरंकुश शासन प्रारंभ कर दिया और फलतः अल्पकालीन शासन और पहलुओं ने इन प्रांतों में अपना घर कर लिया। १७५० ई० में तत्कालीन बंगाल के नवाब सरफराज खाँ के विरुद्ध पहलुओं में सफलतापूर्वक भाग लेकर अलीखर्दी खाँ स्वयं नवाब बन बैठा। वह एक योग्य और कुशल शासक था परन्तु उसका सारा समय अपने राज्य के भीतरी विद्रोह तथा मराठों के बाहरी आक्रमणों को रोकने और दबाने ही में बीता। उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप बंगाल में ऊपरी शांति बनी रही, परन्तु भीतर देसी अनेक पुराहणों की जिनका निवारण आवश्यक था। बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा नवाब के शासन से असन्तुष्ट थी। फ्रेंचों की और अंग्रेजों, जो बङ्गलूर और कलकत्ते में व्यापार की अनेक सुविधाओं का भोग कर रहे थे, राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। ये दोनों जातियाँ युरोपीय पुरी में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ा करती थीं, जिसका फल भारतवर्ष में भी पड़ता था। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थीं। बंगाल में अंग्रेजों के हीलसे बहुत बढ़ चुके थे और उन्होंने नये सिरे से किलेबन्दी करने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। अलीखर्दीखाँ इन सभी बातों को ताक गया, परन्तु अंग्रेजों की नीयत पर समझदारी होने के कारण भी कुछ कर सकने में वह असमर्थ रहा। इन सभी बातों के अन्तर्गत सबसे बड़ी बुनियादी बात उसके लिए यह थी कि उसको कोई पुत्र नहीं था, जो उसके बाद उत्तराधिकारी होता। १७५६ ई० में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी सबसे छोटी लड़की का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब की गद्दी पर बैठा।

२. सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से संघर्ष

(१) कारण—सिराजुद्दौला को बंगाल की नवाबी प्राप्त करने में कोई विशेष कठिनाई तो नहीं हुई, परन्तु उसके विरोधियों की कमी नहीं थी। उसके विरुद्ध अनेक पक्षियों में अंग्रेजों ने भी भीतर से भाग लिया। उन्होंने युरोप में युद्ध और भारत में मराठों के आक्रमण की आशंका से कलकत्ते की किल्लेबन्दी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अंग्रेजों को एक सैनिक शक्ति बनने से रोके और उसने अंग्रेजों को किल्लेबन्दी करने से मना किया, परन्तु उन्होंने उसकी अवहेलना की। इतना ही नहीं सिराजुद्दौला के विरोधियों और उसके अपराधियों को अंग्रेज कलकत्ते में शरण भी देते रहे। नवाब के एक अपराधी ने जब आकर कलकत्ते में शरण ले ली तो उसके माँगने पर भी अंग्रेजों ने उसे छोड़ा नहीं। व्यापारिक क्षेत्र में अंग्रेजों को १७१७ ई० में नवाब से बंगाल में जो भी सुविधायें प्राप्त हुई थी उनका भी उन्होंने दुरुपयोग किया। इन सभी बातों से सिराजुद्दौला के मनमें अंग्रेजों के प्रति विश्वास उठ गया और मौलिक रूप से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, उनकी समृद्धि तथा सैनिक शक्ति नवाब के मन का कारण बन गयी।



सिराजुद्दौला

(२) युद्ध—नवाब को उपयुक्त परिस्थितियों में अपनी सैनिक शक्ति के उपयोग के अभाव और कोई उपाय नहीं बच रहा। जून, सन् १७५६ ई० में उसने अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण प्रारंभ कर दिया। चौदह ही दिनों के भीतर अंग्रेजों की सभी फ़ैक्ट्रियाँ जिनमें कासिम-बाजार और कलकत्ता की मुख्य थीं, नवाब के सैनिकों ने ले लीं। अंग्रेजों को फ़ोर्ट-विलियम छोड़ना पड़ा और वह भी नवाब के हाथों में आ गया। जूक ने जो फ़ोर्ट-विलियम का सैनिक गवर्नर था, नवाब के सैनिकों का विशेष प्रतिरोध नहीं किया और वह अन्य सभी अंग्रेजों और उनके परिवार के व्यक्तियों के साथ निकल कर अपने अहालों पर शरण लेने के लिए विवश हो गया। कलकत्ते का नवाब के द्वारा इस प्रकार जीत लिया जाना इतिहास की एक शर्मनीय घटना है। इसका महत्त्व तथाकथित काल कोठरी की घटना के कारण कुछ लोग मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिराजुद्दौला के सैनिकों ने कलकत्ते में अंग्रेजों को

पकड़कर कैद कर लिया तथा जन्म से १४४ व्यक्ति एक छोटी-सी कोठरी में गर्मी की एक रात बिताने के लिए बाध्य किये गये, जिसके फलस्वरूप यम घुड़ कर १२३ व्यक्तियों का प्राणान्त हो गया। वचे हुए व्यक्तियों में डा० हाकवेल् भी था जिसने अपनी और अपने साथियों की कल्याण कथा सुनाई। परन्तु अखी बात यह प्रतीत होती है कि हाकवेल् का बहुत कुछ वयान मनगढ़ंत और काल्पनिक था, जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं था। यह हो सकता है कि कुछ अंग्रेज कैदियों को कष्ट हुआ परंतु इनमें सिराजुद्दौला का कोई दोष नहीं था। उसकी बिना जानकारी के उसके सैनिकों ने कुछ अंग्रेजों को कष्ट दिया।

अंग्रेज लोग इस प्रकार कलकत्ते को अपने हाथों से चके जाने देते, यह असंभव था। मद्रास से उमको शुरंत सहायता प्राप्त हुई और एक बहुत बड़ा वेका फ्लाइट और घाटसन के नेतृत्व में बंगाल की ओर आ गया तथा १ जनवरी सन् १७५६ को अंग्रेजों ने कलकत्ते पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। सच तो यह है कि अंग्रेजों के बहादुरी बड़े के मद्रास से जाने और उसकी शक्ति का सिराजुद्दौला को बिलकुल पता ही नहीं था। परंतु इसके साथ ही साथ उसने अब पढ़े सैसी कमजोरी भी नहीं दिखाई और सुपचाप कलकत्ते को अपने हाथ से निकल जाने दिया तथा अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजी कंपनी के उपनिवेशों को तथा पुरानी सभी सुविधाओं को सिराजुद्दौला ने वापस कर दिया। वही नहीं कंपनी की जो भी सम्पत्ति भट हुई थी, उसका हर्जाना भी उसे चुकाना पड़ा। इसके अलावे अंग्रेजों को कलकत्ते की किलेबंदी और रुपया चलाने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। कंपनी ने भी इस संधि से इस नाते संतोष किया कि उसके पास नवाब की पूरी शक्ति को कुचलने का साधन नहीं था तथा उसे यह भी भासकर थी कि कहीं नवाब फ्रांसिसियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध मित्र न जाए। क्लाइव और वाटसन के आपसी संबंध भी अच्छे नहीं थे। अन्त में बंगाल में कंपनी का व्यापार बड़े, इसके लिए शक्ति आवश्यक थी और उसका उपाय संधि ही थी।

३. सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की फूटनीति

एक बार सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच अविश्वास उत्पन्न हो जाने पर यह पड़ता ही गया। नवाब के विरुद्ध असंतुष्ट लोगों की कमी नहीं थी। उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद पर्यंत्रों का अलाका बन गयी और क्लाइव के नेतृत्व अंग्रेजों ने भी उसमें भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। नवाब की

कमजोरी यह थी कि इन दिपे हुए पद्यों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक होकर उनको दूर करने के लिये वह प्रयत्नशील नहीं था। स्वयं मीरजाफर को उसका सम्बन्धी और सेनापति था, उसके विरुद्ध पद्योंकारियों का नेता था और उससे अंग्रेजों से भी नवाब के विरुद्ध मिलने में कोई हिचक नहीं दिखायी। अंग्रेजों का दोष यह था कि नवाब के द्वारा सन्धि की शर्तों का पूर्ण पालन होते हुए भी वे वैसे अपदस्य करने का सर्वथा प्रयत्न करते रहे। छद्मत्व में कूटनीति का प्रयोग किया तथा उसकी मीरजाफर से गुप्त संधि हो गयी। सन्धि की शर्तों के अनुसार यह तय पाया कि अंग्रेजों को पुरानी सभी सुविचारों मीरजाफर के नवाब हो जाने पर प्राप्त रहेंगी तथा फ्रेंसीसियों को यंगाल से बाहर निकालने में मंत्रांग अंग्रेजों की सहायता करेगा। सिराजुद्दौला के जानने में प्राप्त होनेवाली रकमों का भाषा हिस्सा कंपनी और उसके कर्मचारियों को दिया जाएगा। सिराजुद्दौला के विरुद्ध इस पद्यों में कठकले के असन्तुष्ट हिन्दू व्यापारियों ने भी भाग लिया। अमीचन्द नामक एक सीदागर ने, जो मीरजाफर और छद्मत्व के बीच मध्यस्थ का काम कर रहा था, प्रारम्भ से अन्त तक बहुत बड़ी बुद्धता और विश्वासघात का परिचय दिया। छूट के सामान में एक बड़ा हिस्सा न मिलने पर वह पूरे पद्यों का भण्डारोद्घाटन कर देगा, इस धमकी से उसने लाभ उठाना चाहा, परन्तु छद्मत्व उससे भी बड़ा धोखेवाज निकला। उसने अमीचन्द को पूरा चक्रमा दिया। गुप्त संधि की दो प्रतियाँ तैयार करायी गयीं। सबी प्रति पर अमीचन्द का हस्ताक्षर नहीं किया गया। परन्तु झूठी प्रति पर, जिस पर अमीचन्द का हस्ताक्षर था, घाटसंग में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। छद्मत्व में उसके हस्ताक्षर को अपने ही हाथों बना किया और अपना काम चालू किया। इस प्रकार छद्मत्व में सिराजुद्दौला को गद्दी से उतार कर मीरजाफर को अपने कठपुतली के रूप में यंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया और तदर्थ अपनी गुप्त योजना भी तैयार कर ली। इन सारे गुप्त व्यवहारों में छद्मत्व का भाग निम्न और विश्वासघात से भरा हुआ था और यह उसके नाम पर सदा एक कठक का टीका बना रहेगा।

४. ग्लासी का युद्ध

(१) सिराजुद्दौला का पतन

अंग्रेजों ने अब एक बार अपनी कूटनीति का चक्र चला दिया तो उसे अन्त तक ले जाने में उन्हें कोई हिचक नहीं हुई। परन्तु सिराजुद्दौला को अपदस्य करने के लिये युद्ध का आभय लेना आवश्यक था और अंग्रेजों ने

उसके किये बहाना भी ढूँढ़ लिया। नबाब पर यह द्योप लगाया गया कि उसने अंग्रेजी कम्पनी के साथ हुई सन्धि की शर्तों को तोड़ा है। अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रान्सीसियों के साथ पत्र-व्यवहार करने का द्योप भी उसपर लगाया गया। इसके साथ ही झाइव ने अपनी सैनिक तैयारी पूरी कर ली और प्लासी के मैदान की ओर जून १७५७ में प्रस्थान कर दिया। परन्तु यह सब कुछ होते हुये सिराजुद्दौला की खास समय से नहीं सुली और पदपत्र के सम्बन्ध में सम्बेद रखते हुये भी उसने पूरी अकर्मक्यता का परिचय दिया। मीर जाफर की गतिविधि पर सम्बेद करते हुये भी वह अन्त तक उसकी बातों को मानता रहा और फरकस्वरूप सारा पदपत्र सफल हो गया। लडाई के मैदान में मीर जाफर ने अपनी सैनिक सफाकारी के विरुद्ध पूर्ण विश्वासघात किया और लड़ा होकर तमाशा देखता रहा। केवल कुछ फ्रान्सीसी सिपाहियों की सहायता से थोड़े-से हिन्दू सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया। वे इतनी वीरतापूर्वक लड़े कि थोड़ी-सी भी मीरजाफर की सहायता होने पर अंग्रेजी टुकड़ी में निश्चय ही भगवत्क मच जाती। परन्तु अन्त में मीरजाफर के द्वारा इस प्रकार विश्वासघात का शिकार होकर सिराजुद्दौला ने मैदान छोड़ दिया और उसकी सेना में भगवत्क मच गयी। झाइव को बहुत ही थोड़े प्रयत्न से विजयमी मिल गयी। थोड़े ही दिनों में सिराजुद्दौला मीरजाफर के सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और उसके कब्जे मीरान की आल्लाहुसार मार खाया गया। मीरजाफर बंदाख का नवाब घोषित किया गया और उसने कम्पनी को उसकी सैनिक सेवाओं के बदले २०६ लाख रुपये दिया। झाइव तथा उसके दूसरे साथियों ने भी छद्म की रकमों में पूरा हिस्सा लिया तथा नये नबाब से पूरा स्वीकार की। झाइव को नबाब ने अमीर की उपाधि से अलंकृत किया और आगीर तथा उपहारों से भी प्रसन्न किया।

(२) प्लासी का महत्त्व

प्लासी का युद्ध युद्धकला जयवा मयानकता के विचार से बहुत बड़ा नहीं, परन्तु परिणाम के विचार से निश्चय ही महत्वपूर्ण था। युद्ध की दृष्टि से उसे अंग्रेजों की सामरिक मोर्चेबन्दी, सैनिक कुशलता और जनकी बहादुरी का तथा हिन्दुस्तानियों की भेदियाचलान प्रवृत्ति का परिचायक कहना न्यायपूर्ण नहीं है। सिराजुद्दौला की पराजय जयवा झाइव के सैनिकों की विजय में सैनिक बहादुरी का बड़ा भाग नहीं था। सब तो यह है कि नबाब की सारी सेना ने युद्ध में कभी भाग ही नहीं लिया और मिन थोड़े से सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया उन्होंने पर्याप्त वीरता दिखायी और फिर हिन्दुस्तानी सिपाही

दोनों ही ओर से लड़ रहे थे। ऐसा नहीं कि एक तरफ तो उन्होंने बीरता दिखाई और दूसरी ओर कायरता। नवाब की हार का मुख्य कारण विश्वासघात तथा उसकी निजी भ्रमण्यता थी। युद्ध का परिणाम मिश्रण ही महत्वपूर्ण हुआ। बंगाल में एक ऐसा नवाब नहीं पर बैठा जो अंग्रेजों की कल्पित ही हो गया। अंग्रेज कंपनी एक शुद्ध व्यापारिक संस्था न रहकर अब सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगी और उसके राजनीतिक अधिकार बहुत ही बढ़ गये। भारतवर्ष में अपने साम्राज्य के स्थापन के लिये अंग्रेज कंपनी को प्लासी के युद्ध में सफलता के कारण बंगाल में एक बहुत बड़ा आधार मिला गया और मीरजाफर की अयोग्यता का अंग्रेजों ने सब लाभ उठाया।

५. नयाबी की दुर्दशा

मीरजाफर ने बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के लिये बिस कामरता का परिचय दिया, उसकी वह कायरता बाद में भी बनी रही। अपनी शक्ति के लिये वह अंग्रेजों पर आश्रित रहा। अंग्रेजों की व्यापारिक उन्नति के साथ उसका घन तो बढ़ता ही गया, बंगाल की राजनीति के पीछे भी वे सबी शक्ति हो गये। नवाब उसकी कृपा और कृतज्ञता के भार से इतना दबा हुआ था कि वह अपनी अधिकांश भाग अंग्रेजों को पुरस्कृत करने में ही व्यय कर देता था और शासनमयवस्था की ओर विस्तृत ही ध्यान नहीं देता था। १७६० ई० तक अंग्रेजों की शक्ति बंगाल में प्रसीसियों और उच्चों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गयी और बंगाल की सम्पत्ति उनकी शक्ति का अधिकृत स्रोत बन गयी। उधर जब तक हुमायूँ बंगाल की अपनी प्रथम गवर्नरी पर आसीन रहा तब तक तो उसने मीरजाफर की उसके विरोधियों से रक्षा की; परन्तु १७६० ई० में बीमार पड़ने के कारण जब वह इंग्लैण्ड चला गया, तो नवाब की दशा बहुत बराबर हो गयी। उसके बाद का समय झूठे अधिकारों और नैतिक पतन का समय था। दिल्ली के शक्तिहीन मुगल बादशाह का प्रतिनिधि नवाब भी बंगाल में पूरे रूप से शक्तिहीन हो गया। वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में चली गयी जो केवल अपने स्वार्थ की चिन्ता में सरो हुये थे। कंपनी के कर्मचारी अनैतिक और अत्याचार करने लगे तथा हर एक अपने को शासक समझने लगा। उन्होंने अपनी व्यापारिक सुविधाओं का अधिकमण करके अपनी क्षीपी हुई शक्ति का धाम उठाया और चतुरचरूप नवाब की भाव बहुत कम हो गयी। धीरे-धीरे नवाब और कंपनी के शगड़े पड़ने लगे। बहादुर के बाद चैम्पसैटर्ट गवर्नर हो गया था और यह बहादुर की तरह मीरजाफर को अपने बंगुल में न रख सका। नवाब अंग्रेजी सेना का स्वर्ण भी

तर्ही दे सका । ऐसी दशा में हाउबेल की राय से वैनसीयर्ट ने मीरजाफर से नबाधी खीन लेना सोच लिया और उसके लिये उसने मीर कासिम से 'बात'चीत भी शुरू कर दी । मीरकासिम नबाध का इत्माद था । उसकी अंग्रेजों से जो गुप्त संधि हुई उसमें यह तथ पाया कि कम्पनी का मीरजाफर के ऊपर जो भी वक़ाया था उसे मीरकासिम चुकायेगा और उसके अलावे कम्पनी को वह बर्दवान, चटगाँव और मिदनापुर के जिले भी दे देगा । अंग्रेजों की कृपा इतना जाने के बाद मीरजाफर के लिये अपनी नबाधी बनाये रखना कठिन हो गया और उसने १७२० ई० में नबाधी छोड़ दी । अंग्रेजों ने मीरकासिम को नबाध बना दिया और मुगल सम्राट् से उसकी स्वीकृति भी उन्होंने प्राप्त कर ली । परन्तु इस सारे कार्य में मीरकासिम और मुगल सम्राट् तो कटपुतली मात्र रहे और असली शक्ति कम्पनी तथा उसके कर्मचारियों के हाथ में थी । मीरकासिम ने अपने सभी बाधे पूरे किये । बर्दवान, मिदनापुर और चटगाँव के जिलों के अतिरिक्त कम्पनी को उसने २ लाख पीण्ड का उपहार दिया, जिसमें ५० हजार पीण्ड का हिस्सा वैनसीयर्ट ने भी स्वीकार किया ।

६. मीरकासिम

(१) स्वतन्त्र होने का प्रयत्न

मीरकासिम एक योग्य और कुशल शासक था । वह मीरजाफर की दुर्बलावस्था चुका था और स्वयं अंग्रेजों की शक्ति पर आभित होते हुए भी उनसे सुदकारा पाने का उपाय सोचते लगा । अंग्रेजी कम्पनी के नौकर कम्पनी के नाम पर अपना व्यापार भी करने लगे और अनेक अनुचित सुविधाओं के भाग के लिये अन्दर मचाने लगे । कम्पनी ही की तरह वे भी करों से छूट की माँग करने लगे और नबाध की जाय पकड़म बंद गयी । मीरकासिम ने अंग्रेजों से घबड़ाकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हटा ली और अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक तैयारी करने लगा । अपनी सेना के सुसंगठित करने के लिये उसने कुछ वर्मन लोगों की भी सेवाएँ स्वीकार कर लीं । अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे रहे । उनकी पटना में एक फैक्टरी थी । वहाँ के मुखिया पेलिम ने मीरकासिम से पटना नगर नीत सेना चाहा और कहाई भी कर दी । परन्तु वह असफल रहा और उसके सभी सैनिक मारे गये । अब मीरकासिम और अंग्रेजों में युद्ध अचरयगमावी हो गया । कई रयाजों पर मीरकासिम की सेनाओं पर अंग्रेजी सेनाओं ने आक्रमण कर दिया और उनकी सर्वत्र विजय हुई । मीरकासिम को अपनी नबाधी छोड़कर बचप ही और भागना पड़ा और अंग्रेजों ने एक पार फिर मीरजाफर को बंमाल का नबाध बनाया । मीरजाफर

के द्वारा अंग्रेजों के हाथों से दूसरी बार नवाबी स्वीकार करने पर नवाबी की बची-बूची शक्ति भी कम्पनी के हाथों में जा गई और अंग्रेजों की राजनीतिक तथा व्यापारिक सुविधायें बहुत ही बढ़ गयीं ।

(२) बक्सर की लड़ाई

मीरकासिम ने बंगाल की नवाबी को पुनः प्राप्त करने के लिये एक बहुत बड़ा प्रयत्न किया । उसने लखनऊ की ओर जाकर वहाँ के वज़ीर से संधि कर ली । दिल्ली के मुगल सम्राट् द्वितीय शाहआलम को भी अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति से चिढ़ थी और उसने भी मीरकासिम से हाथ मिला लिया । तीनों की सेनाओं ने १७६४ ई० में बक्सर की ओर प्रस्थान किया परन्तु अंग्रेज भी सज्ज थे । पचासि संयुक्त हिन्दुस्तानी सेनाओं की संख्या अंग्रेजी सेना की संख्या से कई गुना अधिक थी; परन्तु उनमें कौशल, रणबहादुरी और सहयोग की भावना का अभाव था । फल यह हुआ कि मेजर मुमरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं की विजय हुई । शाहआलम तुरन्त अंग्रेजों से आ मित्रता तथा बाद में उसने उनसे संधि भी कर ली और मीरकासिम को विवश होकर अपनी प्राणरक्षा के लिये भागना पड़ा ।



शाहआलम

(३) महत्त्व

बक्सर की लड़ाई का भारतवर्ष के इतिहास में बहुत बड़ा महत्त्व है । इस लड़ाई ने अंग्रेजों के अपूर्व कार्य को पूरा किया । प्लासी के मैदान में सफलता पाकर यदि अंग्रेजों ने बंगाल में राजनीतिक प्रभुता पायी तो बक्सर की लड़ाई में सफल होकर उन्होंने सारे हिन्दुस्तान में अपनी प्रभुता स्थापित करने का अवसर और आधार पा लिया । एक ही साथ उत्तरी हिन्दुस्तान की तीन शक्तियों—बंगाल के नबाब, लखनऊ के वज़ीर और उन दोनों के सामन्तों के मालिक दिल्ली के सम्राट् की संयुक्त सेनाओं पर विजय पाकर उन्होंने अपनी सैनिक महत्ता का परिचय दिया । अब तक जो उनकी शक्ति भीतर की वृत्तनीति पर आधारित थी, अब वह सेना और तलवार की शक्ति पर रह हो गई । वे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पूरे मालिक हो गये और हिन्दुस्तान में साम्राज्य बसाने का उन्हें अपूर्व अवसर मिल गया ।

७. झाइव की लड़ाई

(१) दीयानी

मई सन् १७६५ ई० में ब्रिटेन दूसरी बार बंगाल में अंग्रेजी कम्पनी का गवर्नर बनाकर भेजा गया। मीरजाफर, जिसे मीरकासिम के पाद अंग्रेजों ने दुबारा बंगाल का भवाय बनाया था, कम्पनी के हाथ का कटपुतला था। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके छक्के नजीमुद्दौला को नवाबी मिली परन्तु वह भी कटपुतली मात्र ही था। ऐसी दशा में बंगाल का शासन खोपट हो रहा था और अंग्रेजी कम्पनी के कर्मचारी स्वार्थपरता में छोटे हुये थे। ब्रिटेन ने बंगाल पहुँचते ही इन बातों की ओर ध्यान दिया और सुधार करना प्रारम्भ कर दिया। उसने अवध के अजीम शूजाउद्दौला से संधि कर ली, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। उसकी शर्तों के अनुसार बका और इलाहाबाद के जिलों को छोड़कर अवध का सारा प्रांत अजीम को छोड़ा दिया गया और अजीम ने कम्पनी को ५० लाख रुपया मुद्र का हर्जाना दिया। दिल्ली के मुगल सम्राट् द्वितीय शाहआलम से भी उसने संधि कर ली तथा उसको अंग्रेजों की ओर से इलाहाबाद और बका के जिलों के साथ २१ लाख रुपये साक्षान्त की पेंशन भी दी गई। उसके बदले सम्राट् से झाइव ने बंगाल की दीयानी प्राप्त कर ली, जिससे अंग्रेजी कम्पनी को बंगाल में माऊनुजारी और कर वसूल करने का अधिकार मिल गया।

(२) झाइव के अन्य सुधार

झाइव ने इंग्लैण्ड से चलते समय यह प्रतीक्षा की थी कि यह हिन्दुस्तान में आकर कम्पनी का सुधार करेगा। वह भाते ही सुधार कार्य में लग गया। कम्पनी के नौकरों में व्यक्तिगत व्यापार और घूस लेने की प्रथा बहुत बढ़ गई थी। उसे रोकने के लिये झाइव ने सपसे घूस न लेने की प्रतिज्ञा कराई तथा व्यक्तिगत व्यापार की मनाही कर दी। पहले तो उसने कर्मचारियों को अधिक वेतन देने का प्रस्ताव किया परन्तु जब उसमें असफल रहा तो पीछे उसने कम्पनी के ऊँचे अधिकारियों को नसक का पकाधिकार दे दिया। बाद में यह प्रथा भी रद्द कर दी गई और कम्पनी की आमदनी पर कर्मचारियों को कमीशन देने की प्रथा चलाई गई। ब्रिटेन ने सैनिक सुधार भी किया और सिपाहियों को मिलनेवाला तोहरा भत्ता उसने घट्ट कर दिया। सेना के अफसरों ने इसका विरोध किया और कइयों ने अपना त्यागपत्र दे दिया। ब्रिटेन ने सभी त्यागपत्रों को स्वीकार कर लिया और विरोधी कर्मचारियों तथा सैनिकों को सेना से निकाल पादर किया।

बंगाल के उपर्युक्त संघियों और सुधारों का बड़ा महत्व है। अवध से संघि
 कके घसने अपनी राजनीतिक प्रभुतावासे क्षेत्र जहाँ बंगाल के लिये मराठों
 के आक्रमण से बचने के लिये एक अन्तर-राज्य बना लिया और अवध में
 अंग्रेजों के नेतृत्व में संरक्षक सेना रख दी। दिल्ली का सम्राट् अब उसकी कृपा
 पर आश्रित होकर उसका पेंशनभोगी हो गया और इस प्रकार कम्पनी की
 शक्ति बहुत बढ़ गयी। बंगाल की दीवानी मिल जाने से यद्यपि दोहरा शासन
 स्थापित हो गया, परन्तु कम्पनी की जांमदानी बहुत अधिक हो गयी।

बंगाल सन् १७६० ई० में दिग्भ्रुस्ताम से फिर इंग्लैण्ड लौट गया। वहाँ
 उसपर पार्लियामेन्ट में अनेक अभियोग लगाये गये। वह अन्ध में दोषों से
 मुक्त करार दिया गया और भारतवर्ष में कम्पनी की तथा अंग्रेज सत्ता की
 सेवा तथा शक्तिस्थापन के लिये उससे धन्यवाद भी दिया गया। परन्तु
 बंगाल को अपने को बचाने के लिये बड़ा प्रयत्न करना पड़ा और उसके
 हार्दिक चोट लगी। अन्त में जीवन से ऊपर उसने आत्महत्या कर ली।

(३) घेरेन्स्ट और फाटियर के आघात

बंगाल के चले जाने के बाद क्रमशः घेरेन्स्ट (१७६० से १७६९ ई०)
 तथा फाटियर (१७६९ से १७७२ ई०) बंगाल के गवर्नर बनाये गये। हम
 दोनों के समय में कोई विशेष महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई तथा वे साधारण
 योग्यता से शासन चलाते रहे। परन्तु बंगाल जैसे कड़े शासक के न रहने
 पर बंगाल के दोहरे शासन के दोष स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देने लगे।
 बंगाल के नबाब के हाथों में 'आक्रमणों से नवाबी की रक्षा और साधारण
 शासन का उत्तरदायित्व' था; परन्तु कर वसूल करने का अधिकार कम्पनी के
 हाथ में होने से उसके पास धन का अभाव था। कम्पनी के हाथ में शक्ति थी
 परन्तु उसपर उत्तरदायित्व बिल्कुल नहीं था। नबाब अपनी कमजोरी के
 कारण कम्पनी के नीकतों के व्यक्तिगत व्यापार और छद्म को रोकने में असमर्थ
 था तथा उनके शोषक व्यापार के कारण प्रजा की दुर्दशा होने लगी। बंगाल
 में एक भीषण भूकाल पड़ गया; परन्तु तब भी यही बेरहमी से कम्पनी करों
 को वसूल करती रही। अन्त में कम्पनी ने घारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का
 गवर्नर बनाकर भेजा और उसने अनेक पुराइयों को भारतक दूर करने का
 प्रयत्न किया।

३३ अध्याय

अंग्रेजी सत्ता का विस्तार

(१७७२ ई० से १७९८ ई०)

१. भयघ्न से गठबन्धन

थारेल हेस्टिंग्स दो वर्ष तक (११ अप्रैल सन् १७७२ ई० से १९ अक्टूबर सन् १७७४ ई० तक) बंगाल का गवर्नर रहा; परन्तु बाद में वह गवर्नर बनकर बना दिया गया और कम्पनी का भारतवर्ष में सर्वप्रमुख कर्मचारी हो गया। उसका समय भारतवर्ष में अंग्रेजी सत्ता के विस्तार की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। जब यह आया तब भारतवर्ष में ऐसी अनेक शक्तियाँ थीं, जिनका मुकाबला किये बिना अंग्रेजी सत्ता का विस्तार कठिन था। भयघ्न का पत्नीर गुलाबहाईका १७६५ की संधि के द्वारा अंग्रेजों का मित्र हो गया था और उन्होंने वही बुद्धिमानी से उसके राज्य को मराठों के आक्रमणों से बचाया और बंगाल को बचाने के लिये अन्तर-राज्य बना दिया था। सादभाऊम द्वितीय कुछ दिनों तक तो अंग्रेजी कम्पनी की कृपा का भोग करता रहा; परन्तु बाद में वह दिल्ली पर एक बार पुनः असली सम्राट के रूप में आसीन होने का स्वप्न देखने लगा और मराठों से आ मित्रा। मराठा लोग भी १७६१ ई० की पानीपत की हार से फिर उठकर अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे गये थे। उनका सबसे शक्तिशाली नेता बस समुद्र महाया जी सिंधिया था और १७७०-७१



महायाजी सिंधिया

हेस्टिंग्स ने कबाई से काम लिया और तुरन्त उसने कड़ा और इकाहाबाद के

ई० में उसने पुनः एक बार साद-
भाऊम पर अपना प्रभाव जमा लिया
तथा मराठों को पुनः असली सम्राट
बनाकर दिल्ली की राही पर बैसने का
आश्वासन दिया। सादभाऊम ने अपने
को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिये
उसका प्रस्ताव मान लिया और
उसको पुरस्कारस्वरूप कड़ा और इका-
हाबाद के जिलों को भी दे दिया। वे
दिले उसको कम्पनी की ओर से
१७६५ ई० में मिले थे। इसपर थारेल

बिर्लों को अवध के वजीर को ५० लाख रुपये, साँझाभा के वक्के दे दिया। वजीर ने संरक्षण संधि के अनुसार अवध की रक्षा करनेवाली अंग्रेजी सेना के सर्ज को पुकारने का भी वादा किया। १७७३ ई० बनारस की सन्धि के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स ने शुजाउद्दौला से मिठकर उपयुक्त समझौता कर लिया।

२. रहेला-युद्ध

बनारस की संधि का प्रभाव रहेलखण्ड से कम्पनी के युद्ध के रूप में पड़ा। रहेलखण्ड अवध के उत्तरपश्चिम में हिमाचल की तराई पर बसा हुआ एक छोटा-सा राज्य था, जिसमें रहेले सरदारों का नेता हाफिज रहमत अली योग्यता और न्यायपूर्वक शासन करता था। पचासि उसकी अवध के शासक से पटती नहीं थी परन्तु मराठों के आक्रमण से डरकर उसने शुजाउद्दौला से यह संधि कर ली कि मराठों के रहेलखण्ड पर आक्रमण के समय यदि अवध सहायता करेगा तो वह ४० लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप देगा। संयोगवत् सन १७७३ ई० में मराठों ने रहेलखण्ड पर आक्रमण कर दिया और अवध की सेना की सहायता से वे पीछे हटा दिये गये। शुजाउद्दौला ने जब अपनी सहायता के पुरस्कार ४० लाख रुपयों को माँगा तो रहमत अली ने आनाकानी की। इस पर क्रोध होकर उसने रहेलों से संधिपावन कराने के लिये अंग्रेजों से सहायता माँगी। अंग्रेजी कम्पनी ने इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा एक अंग्रेजी टुकड़ी की सहायता से अवध की सेनाओं ने रहेलखण्ड को रींड़ डाला। युद्ध में रहेले बड़ी वीरतापूर्वक लड़े और उनका सरदार हाफिज रहमत अली का लड़ते-लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। रहेलखण्ड मीरनपुर फरार के युद्ध में जीतकर अवध में मिठा दिया गया।

यहाँ कम्पनी तथा वारेन हेस्टिंग्स की नीति न्यायपूर्ण नहीं थी। रहेलों ने कमी भी कम्पनी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। शुजाउद्दौला और हाफिज रहमत अली के आपसी झगड़े में पड़ने की अंग्रेजों को कोई आवश्यकता नहीं थी। बनारस की सन्धि के अनुसार अवध के ऊपर आक्रमण की दृष्टा में ही अंग्रेजों को सहायता देना आवश्यक था। अवध का शासक यदि कहीं आक्रमण करे तो उसमें उसकी सहायता के लिये अंग्रेज बाध्य नहीं थे। परन्तु भीतरी यातनों-पहंथी कि अंग्रेज कम्पनी ने हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे राज्यों के आपसी झगड़ों में हमेशा राजनीतिक स्वार्थ के कारण हिस्सा लिया और उसका लाभ उठाया। रहेलखण्ड पर आक्रमण करके अपनी कठपुतली अवध के लिये वारेन हेस्टिंग्स ने अंग्रेज कम्पनी की संभित रङ की।

३ अंग्रेजों का मराठों से संघर्ष

(१) मराठों में शृङ्खलह

सन् १७७० ई० तक मराठे पानीपत की तीसरी लड़ाई (सन् १७६१ ई०) की हार से सम्मूह चुके थे। उन्होंने अब नर्मदा नदी को पार करके माळवा, राजस्थान, दक्षिणखण्ड तथा दिल्ली पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया था। १७७१ ई० में महादजी सिंधिया ने किस प्रकार शाहआलम द्वितीय को अंग्रेजों से फोड़कर अपनी ओर मिला लेने का प्रयत्न किया, इसको हम ऊपर देख चुके हैं। परन्तु इसका वह बहुत काम नहीं बठा सका, क्योंकि मराठों में आपसी शत्रुता और भेद प्रारम्भ हो गया। पेशवा, जिसकी रामधानी पूना थी, मराठा राज्यों का प्रमुख माना जाता था। पेशवा भाववराय प्रथम यही कुशल और बुद्धिमान शासक था और वह अपने काका रघुनाथ राय अथवा राघोबा की महात्वाकांक्षियों को दबाये रखने में समर्थ सिद्ध हुआ। परन्तु दुर्भाग्यवश १७७२ ई० में उसकी अल्पकालीन अवस्था में ही मृत्यु हो गयी।



राघोबा



फडमवीस

उसका भाई नारायण राय, राघोबा को अपनी ओर न रत सका और अन्त में राघोबा ने नारायण राय का वध करवा दिया। अब पेशवा की गद्दी के लिये युद्ध अवश्यम्भावी हो गया तथा एक तरफ राघोबा और दूसरी तरफ नाना फडमवीस के नेतृत्व में नारायण राय की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी गंगाबाई से उत्पन्न पुत्र के सहायक लोग अपनी अपनी शक्ति लूटाने लगे।

(२) अंग्रेजों का हस्तक्षेप

अंग्रेज लोग इस प्रकार के झगड़ों में पड़कर लॉभ उठाने के अग्रस्त हो गये थे और उन्होंने इस अवसर को भी हाथ से नहीं जाने दिया। राघोबा ने जब बम्बई की अंग्रेजी प्रेसीडेन्सी से सहायता मांगी, तो उन्होंने उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया तथा राघोबा और अंग्रेजों के बीच १७७५ ई० में सूरत की संधि हो गयी। वैसीम और साहसीट के वदसे बम्बई की सरकार ने उसकी सहायता स्वीकार कर ली तथा कम्पनी की एक टुकड़ी और राघोबा की सेनाओं ने पूना सरकार को एक युद्ध में हरा भी दिया। परन्तु कलकत्ता की वही कौंसिल ने बम्बई सरकार की सूरतवाली संधि और पूना सरकार के विरुद्ध कर्जाई को अनुचित ठहराया तथा उसने पूना की सरकार से १७७९ ई० में एक संधि भी कर ली। परन्तु इस मयी संधि का बम्बई सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वह केवल कोरे कागज की चीज रह गई। बम्बई सरकार ने १७७८ ई० में फिर राघोबा से संधि कर ली। वारेन हेस्टिंग्स ने, जो कौंसिल में अपने बिरौधियों से अब मुक्त हो चुका था, इस संधि को मान लिया तथा पूना पूना की सरकार के विरुद्ध राघोबा की ओर से अंग्रेजों ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया। परन्तु मराठों से धारगाँव की कर्जाई में अंग्रेजों की करारी हार हुई, तथा उन्हें विवश होकर संधि की बात चलायी पड़ी। वारेन हेस्टिंग्स ने संधि मानने से इनकार कर दिया और उसने कर्नेल गोडार्ड के सेनापतित्व में उठरी भारत से सेना भेजी, जो अहमदाबाद और बेलीन जीतती हुई पूना पर चढ़ गयी। परन्तु वहाँ अंग्रेजों की बुरी हार हुई। दूसरी तरफ अंग्रेजी सेनाओं ने स्वाक्षियर जीत लिया। वारेन हेस्टिंग्स ने यहाँ कृष्णतीर्थ से कान लिया और उसमें महादाजी सिंधिया को छोड़ दिया। नागपुर के भौसले को भी योथा आशवासन दिया गया। इस सब का फल यह हुआ कि नागा कडनबीस अकेले बच गये और उनको संधि की बात स्वीकार करनी पड़ी।

(३) साक्ष्यार्द की संधि

सन् १७८१ ई० में साक्ष्यार्द की संधि हुई। इसके अनुसार अंग्रेजों का साक्ष्यार्द पर अधिकार मान लिया गया और उन्होंने नारायण राव के बालक पुत्र द्वितीय माधवराव को पेशवा मान लिया। राघोबा को पेशवा के ही गयी तथा सिंधिया को यमुना के परिषद के सभी प्रदेश वापस मिल गये। इस प्रकार अंग्रेजों को इस संधि से कोई बिरोध छाम तो नहीं हुआ, परन्तु उनको मराठों के बीच में भेद उत्पन्न करने का अवसर मिल गया।

४ हैदरअली से संबंध ।

(१) प्रथम मैसूर-युद्ध

हैदरअली एक उत्साही, महात्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति था। मैसूर के हिन्दू राज्य में नौकरी करते हुए अन्त में उसने राज्य को ही अपने



हैदरअली

किये हृदय लिया। परन्तु उसका शासन व्यापपूर्ण और प्रजा को मुक्त देनेवाला था। उसकी बढ़ती हुई शक्ति से अंग्रेजों को अंतरा अनुभव होने लगा तथा जब वह अपना साम्राज्य बढ़ाने लगा, तो, स्वभावतः हैदराबाद के निजाम और मराठों के काम लगे हो गये। १७६५ ई० के लगभग अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों से मिलकर हैदरअली के विरुद्ध एक संघ बना लिया, परन्तु छोड़े ही दिनों में मराठे अलग हो गये। अन्त में निजाम ने भी अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया तथा हैदरअली की ओर जा मिठा, परन्तु मैसूर भी उसकी मित्रता का बहुत विनों तक लाभ नहीं उठा सका। अन्त में सन् १७६९ ई० में अंग्रेजों ने हैदरअली से संधि कर ली और दोनों दलों ने अपने विहित प्रदेश और कैदियों को छोड़ा दिया। अंग्रेजों ने यह भी वादा किया कि मैसूर पर आक्रमण होने की अवस्था में वे हैदरअली की सहायता करेंगे।

(२) द्वितीय मैसूर-युद्ध

मराठों ने मैसूर पर १७७१ ई० में आक्रमण कर दिया, परन्तु अंग्रेजों ने कोई सहायता मैसूर की नहीं की। इस पर, हैदरअली क्रुद्ध हो गया। १७७९ ई० में जब मराठे अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब निजाम के साथ हैदरअली ने भी मराठों का साथ दिया। उस समय अंग्रेजों की द्वालय बड़ी पुरी थी और सारे हिन्दुस्तान में उन्हें युद्धों का सामना करना पड़ रहा था। हैदरअली १७८० ई० में कर्नाटक पर जापी माली की तरफ दूट पड़ा और उसकी राजधानी अर्काट को जीत लिया। परन्तु जब बरेन हेरिडिंगस ने यह देखा कि मद्रास की सरकार हैदरअली को दवाने में सफल नहीं है, तो उसने बंगाल से सर आयरकूट को हैदर के विरुद्ध भेजा। आयरकूट ने पोटों जोषी नामक रणाय पर एक बड़ी विजय प्राप्त की। इसी बीच हैदरअली को फ्रांसीसियों की सहायता प्राप्त हो गई। मैसूर के दुर्भाग्य से १७८१ ई० में हैदरअली की मृत्यु

हो गयी। परन्तु उसके भीरु पुत्र टीपू ने युद्ध को बचाये रखा और १७८३ ई० में एक बड़ी अंग्रेजी टुकड़ी को हराकर कैद कर लिया। परन्तु दूसरी ओर कर्नल फुल्लार्टन उसको राजधानी श्रीरंगपट्टम तक पहुँच गया। इसी बीच मद्रास के गवर्नर मैकार्टनी ने टीपू के पास संधि का संदेश भेजा जिसे उसने स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों और टीपू में मंगलोर की संधि हो गई और दोनों ने एक-दूसरे के बीते हुए प्रदेशों को छोड़ा दिया।



सुबतानम टीपू

हैदरअली एक योग्य शासक था। उसने मैसूर राज्य की सीमा बहुत बढ़ा दी। यद्यपि वह कुछ पढ़ा-लिखा नहीं था परन्तु उसकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र और स्मृति बड़ी तीव्र थी। राजनीति की गूढ़ से गूढ़ बातों को समझने में उसको कोई कठिनाई नहीं होती थी और अपने निर्णय पर तुरन्त काम करने की उसमें अद्भुत शक्ति थी। राज्य के सभी प्रवृत्तियों और मामलों पर उसकी दृष्टि रहती थी तथा वह सभी कागज-पत्रों को समझता था। उसके शासन-काल में उसकी प्रजा सुखी थी।

५. वारेन हेस्टिंग्स का खेतसिंह और भयव की वेगमों के प्रति दुर्भ्यंघहार

बनारस के राजा खेतसिंह अंग्रेजों के बलीर के सामन्त थे परन्तु बाद में उन्होंने अंग्रेजी कम्पनी की प्रभुता अपने ऊपर मान ली। १७७५ ई० में उन्होंने हेस्टिंग्स से एक संधि कर ली जिसके अनुसार कम्पनी को २९११ लाख रुपया साधारण मँट देना उन्होंने स्वीकार किया। मराठों और हैदरअली से युद्धों के कारण कम्पनी को धन की कमी रहने लगी और वारेन हेस्टिंग्स ने खेतसिंह से साधारण मँट के अलावा कई धार रुपया मांगा तथा उन्होंने अपनी असमर्थता प्रगट करते हुए भी बराबर उसकी माँगों को अंशतः अथवा पूर्णतः पूरा किया। १७८० में सुबसचारी का एक बूढ़ा और पैरक टुकड़ी खेतसिंह से माँगी गई और उन्होंने उसे अंशतः देने का वचन दिया परन्तु वारेन हेस्टिंग्स अपनी शक्ति के मद् में धाराणसी जा पहुँचा तथा उसने खेतसिंह को कैद करके उनका अपमान किया। इसपर राज्य सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी सिपाहियों को मार डाला। स्वयं हेस्टिंग्स को प्राण बचाने के लिये भागना पड़ा। परन्तु तुरन्त ही अंग्रेजी हुंमक पहुँच गयी और वाराणसी को उसने जीतकर

सांति स्थापित कर ली। चेतसिंह ने अपने को निर्दोष बताया, परन्तु तब भी वे समझ-झूट कर दिये गये और उनका राज्य उनके भतीजे को दे दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स का चेतसिंह के प्रति यह दुर्घटन किसी भी दृष्टा में ठीक नहीं



वारेनहेस्टिंग

उहराया जा सकता। चेतसिंह जो अंग्रेजी कम्पनी के साथ हुई संधि की शर्तों का पूरा-पूरा पालन कर रहे थे, किसी भी प्रकार दोषी नहीं थे तथा उनके राज्य पर आक्रमण करके हेस्टिंग्स ने जिस घतावसेपन और लाज्ज का परिचय दिया वह सर्वथा निम्ननीय था।

परन्तु घन के खोम में वारेन हेस्टिंग्स चेतसिंह के साथ दुर्घटनकार करने तक ही नहीं सीमित रहा। अन्ध के सावक शुभाठहोका के मर जाने के बाद १७७५ ई० में उसका पुत्र भासफउरीका गद्दी पर बैठा। उससे भी कई बार वारन हेस्टिंग्स ने घन मांगा और उसने मांग पूरी की। उसका तथा अंग्रेजी कम्पनी का भी विश्वास था कि वेगमों भर्षाए नबाप की मों और बाही के पास बहुत घन है और अंग्रेजी कम्पनी का बकाया बुझाने के लिये वह उनसे घन मांगने लगा। एक बार १७७५ ई० में वेगमों ने काखों दप्यों से नबाप को

प्रसन्न भी किया। परन्तु वह समुद्र नहीं हुआ। अन्त में उसने वेगमों से घन उगाहने के लिये वारेन हेस्टिंग्स से जंघा मांगी, जिसे उसने मिल्लरतापूर्वक दे दी। अंग्रेजी सेना की सहायता से वेगमों और उनके भौकर डराये धमकाये गये और उनका सारा धन छीन लिया गया। वारेन हेस्टिंग्स का इस सम्बन्ध में सारा बर्ताव भीचता और अम्पाप से भरा था। इन अपराधों के फलस्वरूप, इंगलैण्ड छोट जाने के बाद, पार्लियेमेंट में बर्क द्वारा उसपर अनेक गंभीर अभियोग ख्याये गये।

६. लार्ड कार्नवालिस

(१) तीसरा मैसूर-युद्ध

वारेन हेस्टिंग्स १७८५ ई० में वापस बुला किया गया। उसके दोपे जॉन मैकफारसन एक वर्ष तक स्पानापन्न गवर्नर बनरह रहा; परन्तु उसके काल



लार्ड कार्नवालिस

में कोई विशेष घटना नहीं हुई। १७८९ ई० में लार्ड कार्नवालिस भारतवर्ष में अंग्रेजी कम्पनी का गवर्नर बनरह होकर आया। वह लोकप्रिय था तथा १७८६ के पिट्स इण्डिया एक्ट का पालन करना चाहता था। उसके अनुसार अंग्रेजी कम्पनी को भारतीय राजाओं के क्षत्रों में हस्तक्षेप करने की मनाही कर दी गई थी। परन्तु कार्नवालिस आते ही यह समझ गया कि मैसूर में बढ़ती हुई

टीपू सुवताम की शक्ति अंग्रेजी कम्पनी, विशेषता मद्रास सरकार के लिये, घातक होगी और वह यह त्रास गया कि दोनों में युद्ध अवरयम्भावी है। यद्यपि टीपू ने ऊपर से अंग्रेजों की मित्रता बनाये रखी, परन्तु भीतर ही भीतर वह फ्रांस और तुर्की से सहायता और मित्रता के लिये सम्बन्ध स्थापित करने लगा। कार्नवालिस भी चुप नहीं था और उसने टीपू के विरुद्ध निजाम तथा मराठों को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। उसने निजाम से गुन्डूर की सरकार दक्षप ली। कार्नवालिस यह जानता था कि निजाम भी टीपू का शत्रु है और उसके अक्सर आने पर सहायता का सूत्र भारबासन दे दिया। टीपू कार्नवालिस द्वारा निजाम का फोड़ना त्रास गया और उसने अंग्रेजों पर संधि भंग करने का होपारोपण किया। उसी के साथ उसने द्राबनकोर के हिन्दू राजा पर, जो अंग्रेजों का मित्र था, आक्रमण कर दिया। १७९० ई० में कार्नवालिस ने भी

निजाम और मराठों के संयुक्त सहयोग से टीपू के विरुद्ध थावा 'वोल दिया। पहले अंग्रेजों की ओर से मेजर जनरल मेडोज भेजा गया परन्तु टीपू उससे अधिक कुशल था और अंग्रेजों की कई स्थानों पर हार हुई। बाद में कार्मवालिस ने स्वयं मैदान में उतर कर युद्ध संभालन शुरू कर दिया। १७९१ ई० में उसने घांगडोर पर आक्रमण कर दिया तथा उसे जीत कर वह टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़ने लगा। परन्तु टीपू की वीरता और बर्षा के कारण कार्मवालिस भागे नहीं बच पाया और युद्ध कुछ दिनों के लिये रुक गया। अब लड़ाई फिर हुई तो कार्मवालिस का पन्ना टीपू से भारी पड़ा तथा उसने संधि की बातचीत शुरू कर दी।

(२) परिणाम

दो वर्षों के युद्ध के बाद १७९३ ई० में टीपू ने अंग्रेजों से संधि कर ली। उसको अपना लगभग आधा राज्य छोड़ देना पड़ा जिसे अंग्रेजी कम्पनी, निजाम और मराठों ने बाँट लिया। अंग्रेजों के हिस्से में मलबार, कुर्ग, बारामहल तथा समुद्री किनारे पड़े। टीपू को इसके अलावा ३० लाख वीरुद्ध युद्ध का हर्जाना भी देना पड़ा और अपने दो लड़कों को अंग्रेजों के यहाँ बन्धक के रूप में रखना पड़ा। इस प्रकार टीपू की शक्ति बहुत ही कम हो गयी और उसका नाम भट गया।

७. सर जान शोर की नीति

१७९३ ई० में कार्मवालिस हंगलैण्ड छोड़ गया और उसकी जगह पर सर जान शोर हिन्दुस्तान में गवर्नर जनरल पनाया गया। वह सानिधिय व्यक्ति था तथा १७८३ ई० के पिट्स इण्डिया ऐक्ट के अनुसार देशी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। उसके समय में मराठों की शक्ति बढ़ी और उन्होंने हैदराबाद के निजाम को १७९५ ई० में, खरवा की लड़ाई में घुरी तरह पराजित किया। सर जान शोर ने अपनी अहतरक्षेप की नीति का पालन करते हुये निजाम की कोई मदद नहीं की और वह अंग्रेजों से असन्तुष्ट हो गया। उसने १७९८ ई० में अक्षय से एक नयी संधि की तथा यहाँ रक्षा के लिये जो अंग्रेजी सेना रखी गयी थी, उसका निजाम से मिलनेवाला खर्च कम कर दिया। १७९८ ई० में उसका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया और कार्मवालिस पुनः गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। परन्तु लार्ड कार्मवालिस यहाँ आकर कुछ कर न सका और उसी साल लार्ड पेल्लेजुली भारतवर्ष का गवर्नर जनरल होकर आया।

३४ अध्याय

अंग्रेजी प्रभुता की स्थापना : भारतीय राज्यों का पतन

१. स्थिति

लार्ड वेलेजली १७९८ ई० में भारतवर्ष का गवर्नर जनरल होकर आया। वह घोर साम्राज्यवादी था और भारतवर्ष में पहले रह चुकने के कारण वहाँ की परिस्थितियों को समझता था। सर जामशोर की कमजोर नीति का फल यह हुआ कि अंग्रेजों के मित्रों का उनसे विश्वास उठ गया था। निजाम फ्रेंच-सिखों की सहायता और मित्रता पाने का इच्छुक हो गया था। टीपू १७९३ ई० की अपमानजनक संधि को दूर कर पुनः अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति स्थापित करना चाहता था। मराठों की शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी तथा यशवंतराव होन्कर और दीक्षितराव सिंधिया अपनी शक्ति बहुत बढ़ा चुके थे। वेही वृत्त में वेलेजली शांति और हस्तक्षेप न करने की नीतिका विरोधी हो गया और भारत में आकर उसने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का कार्य प्रारंभ कर दिया।



लार्ड वेलेजली

२. सहायक संधि की प्रथा

अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार की दृष्टि से उसने सहायक संधि की प्रथा प्रचलित की। यद्यपि इस प्रकार की संधियाँ अंग्रेज लोग पहले भी अक्सर मिलने पर देशी राज्यों से करते थे परन्तु उनका चेष्ट और लक्ष्य सीमित होती थीं। वेलेजली ने अनेक नयी शक्तों के साथ उसे प्रचलित किया। उसके अनुसार देशी रियासतों को अंग्रेजी अफसरों की इच्छा में अपनी रक्षा के लिये सेना रखनी होती थी तथा सेना के खर्च के लिए अपने राज्य का कुछ भाग अंग्रेजों को देना पड़ता था। छोटे राज्यों को मंडल अपनी को देनी होती थी, जिसके बदले अंग्रेजी सरकार उनकी रक्षा करती थी। कोई भी राज्य विना अंग्रेजों की अनुमति से न तो कोई युद्ध कर सकता था और न कहीं संधि ही। इस

सहायक संधि को सामनेवाले सभी राज्यों को अंग्रेजी कम्पनी के रेजिडेण्ट को राय देने के लिये रखना पड़ता था। इस प्रथा के द्वारा वेलेजली ने सभी देशी राज्यों में मित्र बनकर घुस जाने का निश्चय कर लिया और अपनी गू-नीति का षाक बिछा दिया।

(१) निजाम के द्वारा सहायक संधि की स्वीकृति

सहायक संधि को निजाम जैसे कमजोर शासक ने तुरन्त स्वीकार कर लिया। इसके द्वारा उसने १७९८ ई० में अंग्रेजों को अपनी परराष्ट्र नीति सौंप दी। उनके कहने से अपनी सेवा में रले हुए सभी फौजीसी अफसरों को भिजाकर दिया। उसने अपनी रक्षा के लिये अंग्रेजी सेना का खर्च चुकाना भी स्वीकार कर लिया। वर्ष में १८०० ई० में इस संधि की पुनः पुष्टि की गयी और सहायक सेना की संख्या बढ़ा दी गयी तथा मैसूर की छद्मद्वयों में अंग्रेजों की मदद के लिये मिलने मिले घसको मिले ये वे सब उसने अंग्रेजी सरकार को खोटा दिया। वर्ष १८०३ ई० में निजाम अली मर गया तो उसके उत्तराधिकारी सिफन्दर शाह ने सभी समझौतों को मान लिया। इस प्रकार निजाम अंग्रेजों का कृपापात्र और उनके अधीन हो गया।

(२) कर्नाटक सूरत और तंजौर पर वेलेजली का प्रहार

वेलेजली भारतवर्ष में अंग्रेजी कम्पनी की शक्ति को प्रशुद्धि मानता था। कर्नाटक नवाब मुहम्मद अली के समय से ही घुरे शासन में प्रसन्न था और मदकों में पड़पन्न चला करते थे। शासन की सुराई वेलेजली के लिए बरबाद पहाना था। इसके अतिरिक्त उसको कुछ ऐसे भी प्रमाण मिले जिनसे नवाब का दीप सुखतान से पत्र-व्यवहार करना सिद्ध हुआ। इसी बीच मुहम्मद अली १८०१ ई० में मर गया तथा वेलेजली ने उसके भतीजे अजीमुद्दौला की ओर से हस्तक्षेप करके उसे तो पेंशन दे दी और सारे कर्नाटक के शासन को कम्पनी के हाथ में ले लिया। इसी प्रकार सूरत के नवाब के साथ भी व्यवहार हुआ। उसकी रक्षा अंग्रेजी सेना किया करती थी और उसके बड़े बड़े कम्पनी की सेना का खर्च देता था। परन्तु यह खर्च बहुत दिनों से बाकी पड़ा हुआ था और उसका बहाना बनाकर १८०० ई० में वेलेजली ने नवाब को सूरत का शासन अंग्रेजों के हाथ सौंप देने को बाध्य किया। कर्नाटक और सूरत की ही तरह तंजौर के हिन्दू राजा का भी पुर्णाय हुआ और १७९९ ई० में जब वहाँ उत्तराधिकार के लिए झगड़ा चल रहा था तो वेलेजली ने उसमें हस्तक्षेप करके सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए वहाँ के शासक को विवश किया।

कुछ ही दिनों बाद वहाँ के पूरे शासन को उसने हथकिया तथा रामा को १० हजार पींड साखाना की पेंशन दे दी गयी ।

(३) मघघ के नवाब से नयी संधि

अबघ का शासन वहाँ के नबाबों के हाथों में दिनों दिन सतब होता जा रहा था । इसका लाभ उठा कर बेलेगली ने उसे अपने क्षेत्र में छाने का प्रयत्न किया । नवाब बहुत दिनों से अंग्रेजी कंपनी का मित्र था और वह अपनी रक्षा के लिए अंग्रेजी सेना भी रखता था, जिसका खर्च वह चुकाता था । परन्तु अबघ के संबंध में बेलेगली की नियत कुछ दूसरी ही थी । वह यह समझता था कि परिशमोत्तर सीमाप्राप्तों को मराठों, सिकों और काबुल के यादशाह जमानशाह के आक्रमणों से रक्षा के लिए नबाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाना आवश्यक है । उसने इसी बात को ध्यान में रखकर अपनी नीति का नाम अबघ पर विज्ञाने की चेष्टा की परन्तु उसको कोई उपयुक्त पदार्थ नहीं मिला । तथापि अन्त में जमानशाह के आक्रमण के सतरे की बात पता कर उसने नवाब को डरा दिया । नवाब एक नयी संधि करने के लिए वाप्य किया गया । १८०१ ई० में हुई इस संधि के अनुसार नवाब को दक्षिणसंध तथा गंगा और यमुना नदियों के बीच में पड़ने वाले निचले भागों को कंपनी के हाथों सौंपना पड़ा । इस प्रकार कंपनी की सीमाएँ उत्तर में बहुत दूर तक बढ़ गयीं और नवाब का क्षेत्र कंपनी के क्षेत्रों से केवल उत्तर को छोड़कर तीन ओर से घिर गया । नवाब के प्रति इस निर्णयता का व्यवहार बेलेगली के किये न्यायपूर्ण नहीं था, पर अंग्रेजी सरकार की भारतवर्ष में सीमावृद्धि के लिए उसने सब कुछ उचित समझा तथा नबाब को अपनी कमजोरी का मूक्य चुकाना पड़ा ।

(४) टीपू सुल्तान और चौथा मैसूर-युद्ध

फ्रान्सेजियों से हुई संधि से टीपू असम्बुध था और सर आमशोर के कमशोर शासन-काल में उसने अपनी बहुत अधिक प्रतिष्ठा बना ली । उन दिनों अंग्रेजों के ऊपर, युरोप में, फ्रांस का आतंक बढ़ गया था । फ्रांसीसी साम्यप्रतिष्ठा के युद्धों में अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे से टक्कर रहे थे । नैपोलियन बोनापार्ट की सेनाएँ सारे युरोप को रींढ़कर मित्र की ओर बढ़ रही थीं और अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं वे हिन्दुस्तान पर भी न चढ़ पायें । टीक इन्हीं दिनों टीपू फ्रांसीसियों से पत्र-व्यवहार करके उनसे अपनी मित्रता बना रहा था । इसके अतिरिक्त उसने काबुल और तुर्की में भी अपने दूतों को भेजा । जब

छाईं घेलेबली भारत में आया तो टीपू की इन तैयारियों को देखकर उसकी संज्ञा समझ गया। उसने मैसूर पर तुरन्त प्रहार करने का विचार कर लिया। यह यह समझता था कि टीपू की शक्ति को ही समाप्त करके वह भारत में अंग्रेजी कंपनी को फ्रांसीसियों के आक्रमणों से बचा सकता है। उसने अपनी ओर निजाम तथा मराठों को भी मिचाने का प्रयत्न किया तथा पेशवा को विजयों में घटवारे का प्रलोभन देकर उसने अपने प्रयत्न में सफलता पायी। वेलेबली ने जब अपनी तैयारियाँ पूरी कर लीं तो टीपूके पास अंग्रेजी कंपनी के साथ सहायक-संधि करने के लिए उसने प्रस्ताव भेजा। उसकी अपमानजनक शर्तों को मानना टीपू के लिये असंभव था। इसीपर वेलेबली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। युद्ध बहुत थोड़े दिनों चल। मद्रास और पम्बई दोनों ओर से अंग्रेजी सेनाओं ने निजाम और मराठों की मदद से टीपू पर प्रहार किया था और वह बहुत दिनों तक युद्ध चला सकने में असमर्थ था। जनरल टेरिस ने मलबल्ली और जनरल स्टुअर्ट ने सेवासीर नामक स्थानों पर टीपू की सेनाओं को हराया। सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा का प्रयत्न किया परन्तु उसमें वह असफल रहा। वह अन्त में अपने किले के गामने लक्ष्म-लक्ष्मते मारा गया। अंग्रेजों ने टीपू के परिवार को कैद कर लिया और उसके सम्बन्धी कष्टकथा भेज दिये गये। अंग्रेजों के हाथ मैसूर आ जाने पर उन्होंने मराठों को कुछ भाग विधा परन्तु उन्होंने उसे खरीदार कर दिया। निजाम को भी कुछ भूमि उसकी सीमाओं के पास ही गयी और मैसूर का अधिकांश बचा हुआ भाग वेलेबली ने मद्रास की सरकार में भिजा दिया। बहुत थोड़ा-सा भाग जो बच रहा उसे मैसूरराज्य के प्राचीन हिन्दू राजवंश के एक बालक को दे दिया गया और उसे राजा घोषित किया गया। उसी के पूर्वजों से हीदर अली ने मैसूरराज्य दृष्ट कर लिया था। यह नया हिन्दू राजवंश अंग्रेजों की कृपा पर रहने लगा।

इस प्रकार टीपू की हार के कारण मैसूर राज्य का अन्त हो गया। हीदर अली की कमाई को उसके पुत्र टीपू ने ग्यो दिया। पर टीपू का चरित्र महान् था। वह धार्मिक विरवास का व्यक्ति था। वह पढ़ा-लिखा तथा योग्यतापूर्वक फारसी, उर्दू और फ़र्न्स भाषाएँ बोल सकता था। एक वीर सेनानी होने के साथ-साथ वह एक बुद्धिमान् राजनीतिज्ञ भी था। यह अंग्रेजों को अपना और हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा शत्रु समझता था और उसकी यह समझ सही थी। उसके नामने अपनी और अपने देश की स्वतंत्रता अपने बहुमूल्य विधि थी और उसकी रक्षा के प्रयत्न में उसने वीरतापूर्वक प्राण न्यौदापर कर दिया।

३. येलेजली की मराठा नीति

(१) मराठों का गृह-कलह

मराठों के नेता नाना फडनवीस तथा उनके प्रमुख तुकोजी होल्कर और महादजी सिन्धिया के दिनों में उनको शक्ति बहुत बढ़ गयी थी। युद्धमानीपूर्वक इस शक्ति की रक्षा करते थे तथा अपने आपसी संबंधों को ठीक रखते थे। परन्तु कुछ ही दिनों बाद मराठा लोग आपस में ही टूटने लगे और यही उनका पतन प्रारंभ हो गया। १७९५ में पेशवा द्वितीय माधवराव के मर जाने पर द्वितीय बाजीराव पेशवा बना परन्तु उसकी नाना फडनवीस से विरुद्ध नहीं पड़ी। द्वितीय बाजीराव ने अन्य मराठा सरदारों में अपनी मूर्खतावश फूट का बीज बो दिया और दौलतराव सिन्धिया तथा यशवन्तराव होल्कर आपस में टूटने लगे। १८०० ई० में नाना फडनवीस की भी मृत्यु हो गयी। उनके मर जाने से मराठों में शून्यता, लीजगुस्ति व संघर्ष की कमी हो गयी। नाना साहब की गद्दी पूना में प्राप्त करने के सिन्धिया तथा होल्कर आपस में ही टूट गये तथा पेशवा द्वितीय बाजीराव सिन्धिया का पक्ष ग्रहण किया। परन्तु पेशवत शाह होल्कर की कुदाह सेमाओं आगे सिन्धिया को सफलता नहीं मिली और उसने पूना पर अधिकार किया।

(२) अंग्रेजों का हस्तक्षेप

पेशवा ने पूना से भागकर घेसीन में अंग्रेजों के यहाँ शरण ली। अंग्रेजों ने उसे मीके की ताक में रखा। जय से वेलेजली ने भारतवर्ष का शासन किया तब से उसने मराठों को अपनी सहायक संधि के बाह में फँसने का प्रयत्न किया परन्तु अब तक उसको नाना फडनवीस के रहते कोई सफलता नहीं मिली। घेसीन परिस्थिति में अब पेशवा ने उसके यहाँ शरण ली तो वह अचानक सुरक्षित स्थान को तैयार हो गया। पेशवा ने अंग्रेजों से सहायकता करना स्वीकार कर लिया तथा ३१ दिसम्बर १८०२ ई० को घेसीन में संधि पर हस्ताक्षर कर दिया।

(३) घेसीन की संधि

संधि की शर्तों के अनुसार पेशवा ने १ हजार की सहायक सेना रखने की शर्त पर, जिसमें युरोपीय (अंग्रेजी) लोगों की संख्या काफ़ी थी। उस वर्ष के अप्रैल ११ तक अपनी भूमि देना उसने माना। उस पर-नापूषीय नीति पर अपनी का अधिकार हो गया। उसके निजाम तब

गायकवाड़ से जो भी सहाये थे उसमें अंग्रेज मज्जस्य नियुक्त किये गये। इसके अलावा पेशवा की सेना में जो भी विरोधी पुरोपीय थे उन्हें उसमें निकाल देने का यत्न किया। इस प्रकार पेशवा ने अपनी रक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता खो दी। छार्ड वेलेजली ने अपने छोटे भाई आर्थर वेलेजली को यह आज्ञा दी कि वह पेशवा को पूना की गद्दी पर पुनः बैठा दे तथा उसमें उरा कार्य को १८०३ ई० की १३ मई को पूरा कर दिया।

(४) मराठों से युद्ध

मराठा सरदारों के अपमान और शोष की सीमा न रही। अंग्रेजों से उनका युद्ध आवश्यक्भावी हो गया। दौळतराव सिंधिया तथा घयूर फे रघुजी भोंसले ने गुरंठ पका कर लिया। उन्होंने पद्मवंतराव होङ्कर से भी बातचीत की, परंतु उसने राष्ट्रीय संकट के उम्र अवसर पर उनकी मित्रता स्वीकार नहीं की। उपयुक्त अवसर पर अन्य मराठा सरदारों का साथ न देकर वह तमाशा देखता रहा और अन्त में सब युद्ध में कूड़ा भी तो अंग्रेज अपनी अन्य स्याओं की विजयों के फलस्वरूप उसकी शक्ति तोड़ने के लिए सबल हो चुके थे। वेलेजली युद्ध के लिए पूर्णरूप से तैयार था और जब १८०३ ई० में युद्ध विद्द गया तो उसने चौतरफा सहाई शुरू कर दी। दक्षिण की सेनाओं ने आर्थर वेलेजली तथा उत्तर की सेनाओं ने जनरल लेफ कें नेटल में सद्गता प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त गुजरात उड़ीसा और सुम्बेलर्लंड में भी युद्ध विद्द गया। आर्थर वेलेजली ने अहमदनगर के किले को लेकर असाई की सहाई में सिंधिया और भोंसले की संपुक्त सेना को हरा दिया। आरगाँव की सहाई में भोंसले की पची-सुधी सेना भी कुचल दी गयी। अंग्रेजों ने असीर, सुरहाजपुर तथा गवीळगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। अमरल लेक की सेनाओं ने उत्तर में दिक्की और आगरे को जीत कर सिंधिया की सेनाओं को कई स्थानों पर हराया। गोरिष्ठा युद्ध की प्रयाओं को छोड़ देने के कारण मराठों को अब अपने विदेशी सेनापतियों और सैनिकों पर निर्भर रहना पड़ता था और अक्सर उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। उनके अफसर प्रवींसी थे जो कम्पनी की भाँति मराठों की सेना का संगठन नहीं कर पाये थे। अन्त में मराठों की आपसी फूट भी थी। इन सबका फल यह हुआ कि अंग्रेजों के मुकाबिले इन युद्धों में मराठा लोग हार गये और उनकी संधि के लिए बाध्य होना पड़ा।

(५) भोंसला और सिंधिया

भोंसला ने अंग्रेजों के साथ वेरगाँव की संधि कर ली। उसमें बट्ट (उड़ीसा) का प्रान्त जिसमें बाळासोर भी शामिल था तथा पपो बही के

पश्चिम का अपना सारा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। इससे मद्रास और बंगाल वाले कम्पनी के क्षेत्र एक-दूसरे से मिल गये। नागपुर में उसने अंग्रेजी रेजिडेंट भी रखना स्वीकार कर लिया तथा वेल्सेली ने प्लाफिस्टन को वहाँ भेजा।

दौलतराव सिंधिया ने भी मुरबी जहंगर्गाँव की संधि कर ली जिसके अनुसार उसे बिजयी अंग्रेजों को गंगा और यमुना नदियों के बीचवाला अपना सभी भाग देना पड़ा। जयपुर और जोधपुर के उत्तर उसके जितने किले थे, सब अंग्रेजी कम्पनी ने छे लिये। इसके अतिरिक्त अहमदनगर और अजन्ता की पहाड़ियों के पश्चिम वाले सभी क्षेत्र भी उसे अंग्रेजों को देने पड़े। उसकी सेना में अंग्रेजों को छोड़कर और किसी विदेशी को मौकरी नहीं मिलेगी इसका भी उसने वचन दिया। उसके दरबार में सर ज्ञान मैलकम रेजिडेंट बनाकर भेजा गया। १८०४ की एक दूसरी संधि के अनुसार उसमें सहायक संधि को भी मान लिया और उसके राज्य में एक अंग्रेजी सेना रहने लगी। इसके अतिरिक्त मौसका तथा सिंधिया ने अंग्रेजों के सामे हुई पेशवा की बेसीम वाली संधि को भी स्वीकार कर लिया।

मराठों की हार का भारतभर के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वे अब विप्लव ही बुलंद बना दिये गये तथा सहायक संधि को मान देने से उनमें पुनरुत्थान की अब शक्ति ही नहीं रही।

(६) होकर से युद्ध

सिंधिया और मौसका से अंग्रेजों की संधि तो हो गयी परन्तु होकर से युद्ध लड़ने के कारण उसका तुरन्त कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मराठों से अंग्रेजी कम्पनी का युद्ध चलता रहा। यशवंतराव होकर की सेनाओं ने कर्नाटक मानसल को राजपूताने में हराकर आगरे लौट जाने को बाध्य किया। होकर ने १८०४ में दिल्ली पर आक्रमण किया किन्तु उसे जीत नहीं सका। उपर अमरल डेक ने १८०५ ई० में भरतपुर के किले पर आक्रमण किया परन्तु वहाँ करारी हार हुई। इससे अंग्रेजों की सैनिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा तथा वेल्सेली की नीति से इंग्लैंड के अधिकारी असन्तुष्ट हो गये। १८०५ ई० में उसने त्यागपत्र दे दिया और इंग्लैंड लौट गया। होकर ने मराठों की पुरानी युद्ध-कला का अनुसरण करते हुए अंग्रेजों को अनेक लड़ाइयों में पछाड़ा परन्तु १८०५ ई० में उसकी भी सैनिक स्थिति कमजोर हो गयी। ऐसी स्थिति में दोनों दल शक्ति चाहने लगे। इंग्लैंड से कर्नल बालिस, जो अब बहुत ही बड़ा हो गया था, दिम्पुरतान में गवर्नर बनारस बनाकर भेजा गया परंतु वह कुछ

शासकपदा से जो भी हटाये थे उसमें अंग्रेज सम्पत्ति नियुक्त किये गये। इसके जलावा पेशवा की सेना में जो भी विरोधी युरोपीय थे उन्हें उसने निकाल देने का पयन दिया। इस प्रकार पेशवा ने अपनी रक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता खो दी। उन्हें वेलेजली ने अपने छोटे भाई आर्चर वेलेजली को यह आज्ञा दी कि यह पेशवा को पूना की गद्दी पर पुनः बैठा दे तथा उसने उस कार्य को १८०३ ई० की १३ मई को पूरा कर दिया।

(४) मराठों से युद्ध

मराठा सरदारों के अपमान और क्रोध की सीमा न रही। अंग्रेजों से उनका युद्ध आवश्यक्तावधि हो गया। दौलतराव सिंधिया तथा यशर के रघुजी भोंसले ने तुरंत युद्ध कर लिया। उन्होंने यशवंतराव होस्कर से भी बातचीत की, परंतु उसने राष्ट्रीय संकट के उस अवसर पर उनकी मित्रता स्वीकार नहीं की। उपयुक्त अवसर पर अन्य मराठा सरदारों का साथ न देकर वह तमाशा देखता रहा और अन्त में यह युद्ध में फूटा भी तो अंग्रेज अपनी अन्य रणियों की विजयों के फलस्वरूप उसकी शक्ति तोड़ने के लिए मचल हो चुके थे। वेलेजली युद्ध के लिये पूर्णरूप से तैयार था और जब १८०३ ई० में युद्ध दिवस गया तो उसने चौतरफा लड़ाई शुरू कर दी। दक्षिण की सेनाओं ने आर्चर वेलेजली तथा उत्तर की सेनाओं ने जनरल लेफ के नेतृत्व में लड़ाया प्रारंभ किया। इसके भित्तिगुजरात उड़ीसा और पुन्डैछरंड में भी युद्ध दिवस गया। आर्चर वेलेजली ने अहमदनगर के किले को लेकर असाई की लड़ाई में सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेना को हरा दिया। आरगाँव की लड़ाई में भोंसले की पची-सूची सेना भी कुचल दी गयी। अंग्रेजों ने जसीर, सुरदागपुर तथा गबीलगाड़ के किले पर कब्जा कर लिया। जनरल लेफ की सेनाओं ने उत्तर में दिल्ली और आगरे को जीत कर सिंधिया की सेनाओं को कई रणों पर हराया। गोरिल्ला युद्ध की प्रथाओं को छोड़ देने के कारण मराठों को अब अपने विदेशी सेनापतियों और सैनिकों पर निर्भर रहना पड़ता था और अन्त में उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। उनके अन्तर्गत प्रान्तीयीयों से जो कर्मियों की शक्ति मराठों की सेना का संगठन नहीं कर पाये थे। अन्त में मराठों की आपसी घृणा भी थी। इन सबका फल यह हुआ कि अंग्रेजों के मुकाबले इन युद्धों में मराठा लोग हार गये और उनको संधि के लिए बाध्य होना पड़ा।

(५) भोंसला और सिंधिया

भोंसला ने अंग्रेजों के साथ देवगाँव की संधि कर ली। उतने वरत (उड़ीसा) का प्रायः त्रिभूज काकागोर भी शामिल था तथा वर्षों बरी के

पश्चिम का अपना सारा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। इससे मद्रास और बंगाल वाले कंपनी के क्षेत्र एक-दूसरे से मिल गये। नागपुर में उसने अंग्रेजी रेजिमेंट भी रखना स्वीकार कर लिया तथा वेल्डेजली ने एक्सफिस्टन को वहाँ भेजा।

बौलठराय सिंधिया ने भी सुरबी बहूजगाँव की संधि कर ली जिसके अनुसार उसे बिजयी अंग्रेजों को गंगा और यमुना नदियों के बीचवाला अपना सभी भाग देना पड़ा। जबपुर और जोधपुर के उत्तर उसके जितने किले थे, सब अंग्रेजी कंपनी ने छेड़ डिये। इसके अतिरिक्त बहमदनगर और अजमता की पहाड़ियों के पश्चिम वाले सभी क्षेत्र भी उसे अंग्रेजों को देने पड़े। उसकी सेना में अंग्रेजों को छोड़कर और किसी विदेशी को मौजूद नहीं मिलेगी इसका भी उसने बचन दिया। उसके दरबार में सर जान मैकफम रेजिमेंट बनाकर भेजा गया। १८०४ की एक दूसरी संधि के अनुसार उसने सहायक संधि को भी मान लिया और उसके राज्य में एक अंग्रेजी सेना रहने लगी। इसके अतिरिक्त मौसला तथा सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ हुई पेशवा की बैसीन वाली संधि को भी स्वीकार कर लिया।

मराठों की हार का भारतभर्य के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वे अब किस्कुल ही दुबंठ बना दिये गये तथा सहायक संधि को मान देने से उनमें पुनरुत्थान की अब शक्ति ही नहीं रही।

(६) होन्कर से युद्ध

सिंधिया और मौसला से अंग्रेजों की संधि तो हो गयी परन्तु होन्कर से युद्ध छिड़ जाने के कारण उसका दुरन्त कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मराठों से अंग्रेजी कंपनी का युद्ध चलता रहा। यशवंतराव होन्कर की सेनाओं ने कर्नाटक मानसून को राजपूताने में हराकर भागते छोट जाने को बाध्य किया। होन्कर ने १८०४ में दिल्ली पर आक्रमण किया किन्तु उसे भीत नहीं सका। उपर जनरल सेक ने १८०५ ई० में भरतपुर के किले पर आक्रमण किया परन्तु वहाँ कनारी हार हुई। इससे अंग्रेजों की सैनिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा तथा वेल्डेजली की नीति से इंग्लैंड के अधिकारी असन्तुष्ट हो गये। १८०५ ई० में उसने त्यागपत्र दे दिया और इंग्लैंड छोट गया। होन्कर ने मराठों की पुरानी युद्ध-कला का अनुसरण करते हुए अंग्रेजों को अनेक सफलताओं में पक्षाघात परन्तु १८०५ ई० में उसकी भी सैनिक स्थिति कमजोर हो गयी। ऐसी स्थिति में दोनों एक शान्ति चाहने लगे। इंग्लैंड से कार्पनाकिस, जो अब बहुत ही बूढ़ा हो गया था; हिन्दुस्तान में गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया परन्तु वह कुछ

कर नहीं सका और ५ मजदूर स्म १८०४ ई० को गाजीपुर में उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी यार्लो ने मराठों से संधि कर ली।

(७) सिंधिया से पुनः संधि

१८०५ ई० में सिंधिया से अंग्रेजों ने दुबारा संधि कर ली तथा उसको ग्वालिपर और गोहद छोटा दिया। उन दोनों के बीच चम्बल नदी सीमा मान ली गयी। १८०६ ई० दोहर ने भी अंग्रेजों से संधि कर ली तथा चम्बल नदी के उत्तर की ओर पड़नेवाले अपने राज्य के सभी भागों को अंग्रेजों को दे दिया। राजपूताना और बुन्देलखण्ड पर उसने अपना सारा दावा छोड़ दिया, परन्तु इसके बदले उससे बीछा हुआ बहुत पड़ा भाग पाठों में उसे छोड़ा दिया।

(८) मराठों का अंतिम पतन

देकैन्ली के साथ होनेवाले युद्धों में मुख्य मराठा सरदारों को अंग्रेज अपनी सैनिक शक्ति से दबा सकने में सफल तो हुए, परन्तु उन पर कम्पनी की पूरी प्रभुसत्ता नहीं स्थापित हो सकी। भारतवर्ष में कार्मवालिस के बाद जो भी गवर्नर जनरल आये उनके सामने मराठों की समस्या पनी रही। पद्यपि मुख्य मराठा सरदारों में आपस में सर्वदा संबंध अच्छे नहीं रहते थे परन्तु अंग्रेजों को हमेशा यह भय रहता था कि कहीं पुनः मिलकर उन्हें देश से बाहर निकालने का वे प्रयत्न न करें। लार्ड कार्मवालिस के बाद सर जॉन वाल्सले, जो कैम्ब्रिज का सर्वप्रथम सदस्य था, गवर्नर जनरल बनाया गया और अपने दो पदों के शासन-काल में (१८०५ से १८०७ तक) उसने देशी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनायी। उसके काल में कोई युद्ध घटना नहीं हुई। उसके बाद लार्ड मिण्टो गवर्नर जनरल होकर आया, जो १८१३ तक रहा, परन्तु यह मराठों से होने वाली संधि को समाप्त करना चाहता था। उसका सारा समय ईरान, अफगानिस्तान तथा यिलों के पदों दूतों के भेजने और मित्रता की संधियों की बातचीत में ही बीता। परन्तु जब १८१३ ई० में लार्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया तो, उसने मराठों से एक बार फिर संबंध करना आवश्यक समझा।

मराठा सरदारों में सर्वप्रमुख थेरापा द्वितीय याजीराज था। १८०३ ई० में किंग प्रकाश बह अंग्रेजों का कृपापात्र होकर पूना की गद्दी पर बैठाया गया था, इसको जनरल हम देश युक्त हैं। परन्तु वह अंग्रेजों की मित्रता में संतुष्ट नहीं था और महायुद्ध संधि से मुक्त होकर पुनः एक बार स्वतंत्र होना चाहता था। उसका मंत्री इय्यबन्सी भी उसी की तरह सोचता था और यह यह चाहता था कि मराठों का पुनः एक मित्र-संबंध स्थापित किया जाय जो अंग्रेजों से होना

लेने में सफल हो सके। पेशवा का गायकवाड़ से कुछ झगड़ा था। गायकवाड़ के मंत्री गंगाधर शास्त्री को अंग्रेजों के मित्र थे उस झगड़े को मिटाने के लिए १८१२ ई० में पूना गये। परंतु बाजीराव ने अपनी बुद्धता का परिचय दिया और श्वम्भक जी की राय से गंगाधर शास्त्री का बच करा बाका। इसपर पूना में रहने वाला अंग्रेजी रेजिडेन्ट प्लॉफिस्टम नाराज हो गया तथा उसने द्वितीय बाजीराव को अपने मंत्री श्वम्भक जी को अंग्रेजों के हाथों सुपुर्ण कर देने को वाच्य किया। श्वम्भकजी धामा के किले में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए गए परन्तु साल भर के भीतर ही वहाँ से भाग गये। अंग्रेजों ने उनके भागने में पेशवा का हाथ समझा और खबिरवास तथा संवेद बढ़ता ही गया। पेशवा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी तथा अन्य मराठा सरदारों को भी अपनी ओर से उठाने का उसने आवाहन किया। उसने पठानों के सरदार अमीरखान तथा पिशाचियों के नेताओं को भी अपनी ओर भिकाने का प्रयत्न किया।

(अ) लार्ड हेस्टिंग्स और मराठों से युद्ध

लार्ड हेस्टिंग्स जो १८१३ ई० में गवर्नर जनरल होकर आया, स्वयं एक सैनिक पुरुष था। वह मराठों के दबाने के लिये अग्रसर हुए रहा था। उसकी नीति यह थी कि मराठों का सारा क्षेत्र यदि सामंता नहीं तो तत्काल अग्रय ही अंग्रेजी प्रभुता के भीतर आ जाय। अंग्रेज लोग मराठों के साथ होने वाले द्वितीय युद्ध के फलों से संतुष्ट नहीं थे और वे उसका पूरा लाभ नहीं उठा सके थे। उत्तर भारत की ही तरह वे दक्षिण भारत में भी अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहते थे तथा दर वसूल करने और व्यापारिक सुविधाओं की आवश्यकता वे अनुभव करते थे। मराठ्य-संघ की रीढ़ टूटी हुई थी और वे अपनी कूटनीति के द्वारा उसे क्षिप्त-मिम्न करके पूरा धाम उठाना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में हेस्टिंग्स ने पेशवा को घेर लिया। उसने पेशवा तथा वीरतराव सिंधिया को १८१७ ई० में क्रमशः पूना की तथा ग्वालियर की संधि करने को विवश किया। नागपुर के भोंसला राज्य में रघुजी भोंसला के मर जाने पर उसके पुत्र परसोजी भोंसला और अप्पाजी में उत्तराधिकार के लिए होने वाले झगड़ों में अंग्रेजों ने अप्पाजी का साथ दिया और उसमें सहायक संधि स्वीकृत करा लिया। परन्तु इन संधियों से उपयुक्त मराठा सरदारों में से कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ और वे युद्ध करने पर तैयार गये। पेशवा द्वितीय बाजीराव ने पूना में अंग्रेजों की रेजिडेन्सी को फूँक दिया तथा फिरकी में रहनेवाली अंग्रेजी टुकड़ी पर आक्रमण कर दिया, परन्तु वहाँ उसकी हार हुई। नागपुर के अप्पा साहब भोंसले की सेनाओं को भी अंग्रेजों ने सीता पेठरी के युद्ध में

हराया तथा मन्दाहारराज होस्कर की सेनाओं को हिसलाय ने मालीपुर में हराया ।



(आ) मराठों की अन्तिम सन्धि

अपना साक्ष्य मौतला हारकर पञ्जाब की ओर भाग गया । उसके समय का बर्मदा नदी के उत्तरकाठा पूरा भाग अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला तथा और जो छोटा-सा भाग बचा उस पर श्युली मौतला का एक छोटा साम्राज्य बनाया गया । मयदासराज होस्कर ने मन्दासौर की सन्धि कर की बिराडे द्वारा बर्मदा

केन्द्रियता का अपना सारा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। उसने एक सहायक सेना भी रख ली तथा अपनी विदेशी नीति को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। पेशवा भी कई युद्धों में हारने के कारण अन्त में संधि करने को बाध्य हुआ। अंग्रेजों ने उसे ८ छात्र साकाशा की पैगहन देकर अमरपुर के पास बिठूर में रहने के लिए विवश कर दिया। पेशवा की गद्दी खत्म कर दी गयी। तथा उसका राज्य हैस्तिंग्स ने कंपनी के लिये हक़ब किया। केवल सतारा के छोटे से भाग पर प्रतापसिंह नामक शिवाजी का एक वंशज बैठा दिया गया। इन संधियों से मराठे सर्वदा के लिये कुचल दिये गये और अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित हो गयी। मराठा सरदारों के पास जो भी थोड़ी-बहुत शक्ति बची, वह उनके द्वारा सहायक संधियों को मान लेने से किसी काम की नहीं रही।

(२) मराठों के पतन के कारण

शिवाजी ने १७वीं शताब्दी के तीसरे चरण में मराठा शक्ति को जन्म दिया। उन्होंने तथा उनके वंशजों ने युद्ध के अवसरों पर बीरता को प्रायः दिखाई, परन्तु दाम्नि के कार्यों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। किसी भी राजनीतिक शक्ति के टिकने के लिये यह आवश्यक है कि उसके पीछे एक सुदृढ़ आर्थिक और शासन-सम्बन्धी व्यवस्था हो। अंग्रेजों के मुकाबिले जितने भी मराठा सरदार १८वीं शती के अन्त में तथा १९वीं शती के आरम्भ में उठे उन्होंने अपने शासन की ओर ध्यान नहीं दिया। मन के लिए वे चौध और सरदेश-मुक्ती जैसी छद्म की भाष पर निर्भर करते थे। खेती की उन्नति तथा व्यापार के विकास की ओर कम ध्यान दिया गया। इसके दो घुरे परिणाम हुए। एक तो यह कि उनकी अपनी प्रजा-निर्धन बनी रही और दूसरा यह कि मराठी सेनायें जहाँ भी गयीं, वहाँ के लोग उन्हें सुटेरा समझने लगे और उनसे आतंकित रहने लगे। आगीरदारी की प्रथा ने भी विघटन की प्रवृत्तियों को उत्साहित किया तथा जितने भी आगीरदार थे सब अपने ही स्वार्थ की बात खोजने लगे। दुर्भाग्यवत् मराठोंके जितने सरदार हुए वे सभी राजनीति की दृष्टि से अविमान नहीं हुए। नाना फडनवीस, महाबाजी सिंधिया तथा प्रथम बाजीराव जैसे नेता जब तक शासनसूत्र संभालते रहे तब तक तो उनके शत्रुओं की एक भी न बची। वे एक होकर मराठा-शक्ति को बचाने में बिरबास करते थे। परन्तु क्योंकि उनकी शृत्यु दुर्द, मराठों से कृत्रिमिधि और संयम उठ गया तथा वे आपस में ही लड़ने लगे। जब वे एक हुए भी तो उसका कुछ प्रभाव नहीं हो सका और वे अन्तर अंग्रेजों के मुकाबिले असफल रहे। सैनिक दृष्टि से मराठों ने युरोप की प्रणाळी की चकार्वाय में अपनी पुरानी रणशैली को दोड़

दिया और विदेशियों की सेना पर गिराव रखने लगे। वे विदेशी लोग उनको अक्सर अंध में छोड़ देते थे अपना समय पर विरहासपात कर जाते थे। पहाड़ियों में छिपकर लड़ने वाली दौली के बदले लख आमने-सामने अंग्रेजों से युद्ध किया, तो वे उनकी पूरी दौली न अपना सकने के कारण असफल रहे। इसके अतिरिक्त मराठों ने तख्ताहीन समाज विरोधी शक्तियों का साथ दिया। पिण्डारियों की मद्दद करने तथा उनका साथ देने से साधारण जनता उनसे चिड़ गयी और उनकी महानुभूति नहीं रही। ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेजों की सगठित सामान-शक्ति और आर्थिक दृढ़ता पर आधारित स्ट्रैटेजी और कुशल एवं दृढ़ सैनिक शक्ति के सामने मराठों को हार जाना पड़ा। अंग्रेजों की प्रभुशक्ति उन पर पूरी स्थापित हो गयी और मराठों का केवल नाममात्र ही पच रहा।

४. गोरखों से संघर्ष

(१) युद्ध

नेपाल की पहाड़ियों में गोरखों ने १८वीं सती के मध्य में एक राज्य स्थापित कर लिया था। धीरे-धीरे उन्होंने पर्वत शक्ति अर्जित करली तथा अपना राज्य-विस्तार करने लगे। १८०१ ई० के लगभग गोरखपुर के आसपास के प्रदेश लख अंग्रेजी कम्पनी के अधिकार में आ गये लख गोरखों के राज्य की सीमा कम्पनी के राज्य की सीमासे मिल गई। परन्तु इन दोनों के बीच तराई का पूर्ण से परिचय की ओर दिमाक्य की तटहटी पर ऊटकता हुआ भाग था, जिसमें निरिपक्ष रूप से गोरखों और अंग्रेजों के सम्पर्क के भाग लय नहीं हो सके थे। इस प्रदेश पर अंग्रेजों की थी। गोरखों इच्छित ही ओर विस्तार चाहते थे और १८११ ई० में उन्होंने सुटघात पर आक्रमण कर दिया। स्टर्ट हेरिहाम ने अंग्रेजी राज्य को उत्तर में विस्तृत करने का अपना मौका देखा तथा उसने गोरखोंके विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। नेपाल पर चारों ओर से एक ही पार आक्रमण करके गोरखों को हार देने की योजना बनायी और आक्रमण शुरू कर दिया। परन्तु दिमाक्य के उस पहाड़ी प्रदेशों पर अंग्रेजों के लिए उद्दना आसान न था। यीरमद्र के सेनापतिय में गोरखों की वीरता, उनका रण-कीर्ण, पहाड़ी प्रदेशों में लड़ने की उनकी विशेष कला तथा अपने राज्य और राजाके प्रति अनुत्त भक्ति गोरखोंके महान् मन्त्र थे, जिनके सामने अंग्रेजी युद्धियों की कठिनाइयाँ बहुत ही बढ़ गयीं। जनरल आम्स्टरसामी को पीकटर प्रायः प्रत्येक अंग्रेजी सेनापति को हार का सामना करना पड़ा। जनरल जिलेस्पी बर्लंग के विरुद्ध आक्रमण करते हुए गोरखों के द्वारा मार

हाला गया और बैंक के किले के सामने मार्टिजेबेल हरा दिया गया। परन्तु अंग्रेजों ने अस्मोदा जीत लिया और आक्टरखोची अमरसिंह नामक गोरखा सेनापति को हराने में सफल रहा। आक्टरखोची की सफलता से अंग्रेजों को जागे बढ़ने में मजबूत होने लगी परन्तु इसी बीच सन्धि की चर्चा होने लगी और दोनों पक्षों ने सिंगौली नामक स्थान पर संधिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया।

(२) सिंगौली की संधि

१८१६ ई० में नेपाल सरकार ने युद्ध में असफल होने पर सिंगौली की संधि स्वीकार कर ली। इसके अनुसार उसने तराई पर अपना अधिकार छोड़ दिया और कुमायूँ पर अंग्रेजों का अधिकार मान लिया। नेपाल ने सिन्धुकोशी पर भी अपने अधिकार को छोड़ दिया। नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में एक अंग्रेज रेजिडेंट को रहने की आज्ञा मिल गयी। इस संधि से अंग्रेजों को बड़ा काम हुआ। नेपाल की आक्रमण-प्रवृत्ति समाप्त हो गयी और अंग्रेजी कंपनी को मध्य-एशिया से संबंध स्थापित करने के लिये मार्ग-मिल गये। संधि के फल-स्वरूप जो पहाड़ी प्रदेश मिले उसमें अंग्रेजों ने शिमला, मैदीताल, मधुरी और रामीखेत जैसे सुन्दर नगरों को बसाया।

५. पिण्डारियों और पठानों का दमन

मुगल-साम्राज्यके अवनति के दिनों में जब शासन और व्यवस्था का बरकत कम हो गया, पिण्डारियों का दूषित भारत में उदय हुआ। परन्तु १८वीं शताब्दि में धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ती गयी और उन्होंने सारे मध्य-भारत में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। इन पिण्डारियों की कोई एक जाति नथी इनका एक धर्म नहीं था। इनमें विशेषकर पठान, राजपूत और मराठा लोग थे जिन्होंने राजपूताने और मध्य-भारत के राज्यों की अवनति के दिनों में राजकीय सेनाओं में नौकरी न पा सकने की वृथा में छुट और टुकैठी को अपना पेशा बना लिया था। झुंझकर ये कमी पूर्य नहीं करते थे और अक्सर छुट से ही अपना काम चलाते थे। धीरे-धीरे इनका जातक दृढता पड़ गया कि इनके द्वारा उपद्रवग्रस्त भागों में सर्वसाधारण की जीविका भी दूर हो गयी। इनके अनेक नेता हो गये जिनमें धीरू, घसील मुहम्मद और फरीम खॉं मुख्य थे। धीरे-धीरे इन्होंने मराठों से भी गठबंधन कर लिया तथा टुकैठियों में जोनी ही भाग लेने लगे। सिंधिया और होबकर ने अनेक पिण्डारियों को अपनी सेनाओं में रक्ष लिया और उन्हें अंग्रेजी राज्य पर छापा मारने पर उत्साहित किया। ऐसी वृथा में जब अंग्रेज अपनी प्रमुता मध्य-भारत और

उत्तरी भारत में विस्तृत करना चाहते थे, अर्थात् और खूब उनके लिये भयङ्करी थी। उन्होंने पिण्डारियों को दवाना धारणक समझा। परन्तु उनका अन्तही होय तो मराठों पर था। पिण्डारी बीच में एक बहामा मात्र बने।

गोरखा-युद्धके बाद एडवर्ड हेस्टिंग्सने पिण्डारियों को दवाने का उपक्रम किया और अपनी सरकार से उस कार्य के लिये १८१९ ई० में अनुमति प्राप्त कर ली। पिण्डारियों को दवाने के पहले उसने प्रमुख मराठा राज्यों से संबंध करके पिण्डारियों की सहायता करने से उन्हें बिरत कर दिया। उसके बाद पाँच पाँच ओर घेरकर पिण्डारियों के दमन की योजना उसने तैयार की और उनका व्यवहार किया। १ लाख १३ हजार की सेना तैयार की गयी तथा वह ३०० तोपों से लैस करके दो भागों में बाँट दी गयी। दक्षिण की ओर से टामस द्विस्तलाय तथा उत्तर की ओर से एडवर्ड हेस्टिंग्स ने स्वयं युद्ध प्रारंभ किया। १८१० ई० के अन्त तक पिण्डारियों की मालबा से परहेज दिया गया और थोड़े ही दिनों बाद ये प्रायः बिरहुल दबा दिये गये। करीमवाँ ने धायसमर्पण कर दिया और उसे आधुनिक उत्तरप्रदेश में एक छोटी-सी आगीर दे दी गयी। बसील मुहम्मद कैद कर लिया गया और गाजीपुर जेल में उसकी मृत्यु हो गई। चीतू मालव्या के बंगलों में भाग गया तथा सर जान मालकम ने उसका बहुत दूर तक पीछा किया। बाद में जंगल में उसको चीते ने मार डाला। इस तरह जब पिण्डारियों के नेताओं का अंत हो गया तो उनके साधारण अनुयायी खुरमार का पेशा छोड़कर खेती-बारी के काम में लग गये।

पिण्डारियों की ही तरह पठानों ने पश्चिमोत्तर भारत में बहुत उपद्रव मचा रखा था। ये छोटे-छोटे राज्यों पर भी आक्रमण करते थे और उन्हें बाध करके पन उगाहते थे। उनके नेताओं में अमोररतों मुख्य था जिसने मराठा और राजपूत सरदारों से मित्रता कर ली थी। होकर सरकार से उसकी पनीपतता हो गयी और पञ्चस्वरूप उसका आतंक बहुत ही बढ़ गया। उसे दवाने में अंग्रेजी सरकार ने दृष्टीति का परिचय दिया तथा लालब देकर मराठों के प्रभाव से दूर किया। वह अंत में टोंफ का नबाब बना दिया गया जिसे मल्हाराव होकरवे भी बखीबर पर दिया। इस तरह अमीरवाँको भी अपनी प्रभुता के भीतर लाकर एडवर्ड हेस्टिंग्स ने पठानों के उपद्रव को दान किया।

३५ अध्याय

कम्पनी की सीमान्त-नीति : खंडहरों की सफाई और साम्राज्य का पुष्टीकरण

१. आचार

छाई हेस्टिंग्स की विजयों से भारतवर्ष के एक विस्तृत भाग पर अंग्रेजों की प्रभुता तो स्थापित हो गयी, परन्तु साम्राज्य की पूर्ण स्थापना के लिये इस देश की सीमाओं पर अधिकार आवश्यक था। उत्तर-पूर्व की ओर कम्पनी की सीमायें बरमा की सीमाओं से मिली हुई थीं। बरमा के शासकों ने धीरे-धीरे अपनी सीमाओं को विस्तृत करना अपनी नीति बना लिया था तथा १९वीं शती के प्रारम्भिक वर्षों में वे अंग्रेजों की दृष्टि में भाने लगे। इधर उत्तर-पश्चिम में भी सिक्कों ने रणजीतसिंह के नेतृत्व में एक शक्ति-शाली राज्य स्थापित कर लिया था, जो अंग्रेजी प्रभुता के विस्तार में एक शीवार-सा बन गया था। अफगानिस्तान का, जो भारतवर्ष का उत्तरी-पश्चिमी दरवाजा था, महत्व बहुत अधिक था और उससे अंग्रेजों को इस कारण डर था कि वहाँ धीरे-धीरे रूसियों का प्रभाव बढ़ रहा था। फ्रांस की शक्ति नेपोलियन के हार जाने से तो समाप्त हो गयी और उधर से अंग्रेजों को कोई डर नहीं रहा परन्तु स्वयं का एक नया मूठ उनके सिर पर सबार हो गया। इन सबका फल यह हुआ कि छाई हेस्टिंग्स के चले जाने के बाद अंग्रेजी कम्पनी लगभग ३० वर्षों तक भारतवर्ष की सीमाओं पर अधिकार करने के प्रयत्न में लगी रही और उसको अनेक पुत्र कड़े पड़े। इन पुत्रों में सफलता मिलने के कारण अंग्रेजी साम्राज्य पूर्व तथा पश्चिमोत्तर में काफ़ी बढ़ गया। भारत के भीतर पुराने राज्यों के जो खंडहर पड़े थे उनको लार्ड डलहौजी ने पुनरावर्तन के सिद्धान्त से साफ कर दिया।

२. लार्ड पम्हर्स्ट और प्रथम बरमा-युद्ध

लार्ड पम्हर्स्ट १८१३ ई० के अगस्त मास में भारतवर्ष का गवर्नर बनकर आया। उसे आते ही बरमा की आक्रामक प्रवृत्तियों का सामना करना पड़ा। बरमा के राजा ने १८१३ ई० में मंग्गिपुर जीत लिया था तथा उसके बाद वह आसाम के उन भागों की ओर बढ़ता ही गया वहाँ बरमा और कम्पनी की सीमायें स्पष्ट रूप से तय नहीं हो पायी थीं। उसने १८२३ में

भी विरोधी थे, वे निकाल दिये गये। परन्तु यह संधि टिकाऊ नहीं हुई और रुमियों का फिर वहाँ प्रभाव हो गया। रुमियों के प्रभाव में आकर फारसियों ने अफगानिस्तान के राज्य में पहलेवाले दिशात पर आक्रमण कर दिया। मीरानपुत्रा दोस्त मुहम्मद की सेनाओं ने कुछ भद्रों की सहायता से उस आक्रमण को विफल किया। परन्तु अफगानिस्तान को दूसरी ओर से मदारराजा रणजीतसिंह तथा रंहे थे और १८३४ ई० में गिलों ने पेशावर से लिखा था। वहीं नहीं शाहशुजा जो अहमदशाह अदिली का यंगत था, अपने दो अफगानिस्तान का वास्तविक स्वामी समझता था और यह वहाँ के अमीर दोस्त मुहम्मद को गद्दी से हटाकर अमीर बनना चाहता था। उसने रणजीत सिंह से मित्रता कर ली थी। अंग्रेज भी विये विये उसकी मदद करते रहे। इनका होते हुए भी शेरशाह मुहम्मद अंग्रेजों की मित्रता चाहता था और १८३९ ई० में लॉर्ड आक्लेण्ड भारत में गवर्नर जनरल होकर आया तो उसके पास पघाई के सम्बन्ध के साथ मित्रता का प्रस्ताव उसने भेजा। दोस्त मुहम्मद यह चाहता था कि अंग्रेज उसकी रणजीतसिंह से पेशावर यापस लेने में सहायता करें तथा रणजीतसिंह पर वे यह प्रभाव डालें कि वह शाहशुजा की मदद करना छोड़ दे। इसके पहले अंग्रेजों की फारसियों और रुमियों के विरुद्ध मदद करने की यह तैयार था। परन्तु लॉर्ड आक्लेण्ड ने यह बतुकर कि वह दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, शेरशाह मुहम्मद के उस प्रस्ताव को मूर्खतापूर्ण ढंग से टुकरा दिया। इस पर दोस्त मुहम्मद ग्ले की ओर मुका तो गवर्नर जनरल के लिये एक सन्देश हो गया। उसने गुरगत कस्तान बर्नर्स को व्यापारिक संधि करने के बहाने काबुल भेजा। अब भी अमीर अंग्रेजों की मित्रता पर इच्छुक था परन्तु उसकी बातों से ही पुरानी बातें थीं। लॉर्ड आक्लेण्ड ने क्रुद्ध होकर अफगानिस्तान पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने रणजीतसिंह और शाहशुजा से दोस्त मुहम्मद के खिलाफ संधि कर ली तथा उसकी मदद से अफगानिस्तान पर आक्रमण कर गवर्नर जनरल की तथाकथित मददसे ही नीति के बा। पुराने शाहशुजा शेरशाह मुहम्मद को गद्दी से हटाकर गद्दी पर बैठाया संधि की बातों में एक थी। इसके बाद दोस्त मुहम्मद और उनके भाई की अल्पसंख्यक आक्लेण्ड का यह प्रयास नीति, इत्यादि नहीं था।

अंग्रेजों के होते हुए भी रणजीतसिंह ने आगे से शोक दिया। १८४२

अंग्रेजी सेनायें सिंध और पठोचिस्ताम के अमीरों के सेत्र से गयीं जो अंग्रेजों के साथ हुई उनकी संधि की शर्तों के विपरीत था। जनरल फीन के नेतृत्व में सेना १८३९ ई० में अफगानिस्तान पहुँच गयी और शाहशुजा काबुल की गद्दी पर अंग्रेजी पक्षबद्ध से बैठा दिया गया। अंग्रेजी सेनाओं ने काबुल, गझनी तथा अन्य मुख्य सामरिक स्थानों पर कब्जा कर लिया। दोस्त मुहम्मद कैद करके कलकत्ता भेज दिया गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि सारा अफगानिस्तान अंग्रेजों और उनकी कठपुतली शाहशुजा के हाथों में आ गया। परन्तु स्वतंत्र और वीर अफगानियों ने काबुल और अंग्रेजों के गुलाम शाहशुजा को हृदय से अपना अमीर नहीं माना। उसको वहाँ यथासंभव रहने के लिये अफगानिस्तान में अंग्रेजी सेना का रहना आवश्यक हो गया और फलस्वरूप सेना का खर्च बहुत अधिक बढ़ गया और वहाँ मईगी फैल गयी। खर्च में कमी के लिये अफगान सरदारों की पेंसने घटा दी गयीं परन्तु इसका बुरा प्रभाव पड़ा। अकबर खाँ के नेतृत्व में अफगान एक बार फिर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े हो गये। जनरल एल्फिंस्टन की अयोग्यता के कारण अंग्रेजों ने आनेवाली विपत्ति को पूरा-पूरा नहीं समझा और धीरे-धीरे अफगानों ने कई स्थानों पर कब्जा कर लिया। आचरणभ्रष्टता के कारण कप्तान वर्म्स की कुछ कुछ अफगानिस्तानियों ने बोटी-बोटी काट डाली तथा अकबर खाँ ने एल्फिंस्टन को विवश करके एक संधि पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया, परन्तु उसके विवादास्पद करने पर अफगानियों ने उसे भी मार डाला। अंग्रेजों ने वहाँ अमूलपूर्व कायरता का परिचय दिया तथा १८४२ ई० की १ डी जनवरी को आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ी कर देने का भी वचन दिया परन्तु हिन्दुस्तान वापस आते समय १९ हजार अंग्रेज सैनिकों में से केवल १२० बचे। कुछ अफगानों ने प्रायः सबका पथ कर डाला। जार्ज आउटलैण्ड की नीति का इस प्रकार विवादास्पद होने पर उसे विवश होकर स्वागपत्र दे देना पड़ा और १८४२ ई० में एंग्लो-अफगान संधि का गवर्नर जनरल बनकर आया।

जनरल एल्फिंस्टन की अयोग्यता तथा कायरता के होते हुए भी जनरल पोलक भी जनरल नाट हिन्दुस्तान से नयी सहायता प्राप्त होने की आशा में अफगानिस्तान में युद्ध चलाते रहे। परन्तु गप जार्ज एंग्लो-अफगान संधि बनकर आया, तो उसने तुरंत उन्हें भारत छोड़ जाने की आज्ञा दी। उसने शाहशुजा तथा सिंधियों के साथ हुई अंग्रेजों की संधि के अंत की घोषणा कर दी। अंगरेजी सेना गझनी और काबुल में पुनः एक बार विजयी हुई और उसने बड़ा भयाचार भी किया। काबुल के राजा को

भी विरोधी थे, वे निकाल दिये गये। परन्तु यह सधि टिकाऊ नहीं हुई और रुयियों का फिर वहाँ प्रभाव हो गया। रुयियों के प्रभाव में आकर फारसवालों ने अफगानिस्तान के राज्य में पड़नेवाले हिन्दुत्व पर आक्रमण कर दिया। मौमान्यबक्ष दोस्त मुहम्मद की सेनाओं ने कुछ अंग्रेजों की सहायता से उस आक्रमण को विफल किया। परन्तु अफगानिस्तान को दूसरी ओर से महाराजा रणजीतसिंह दबा रहे थे और १८३४ ई० में गिल्गो ने पेशावर ले लिया था। यही नहीं शाहशुजा जो अहमदशाह अददाली का यंस्तन था, अपने को अफगानिस्तान का वास्तविक स्वामी समझता था और वह वहाँ के अमीर दोस्त मुहम्मद को गद्दी से दबाकर अमीर बनना चाहता था। उसने रणजीत सिंह से मित्रता कर ली थी। अंग्रेज भी छिपे-छिपे षड्यन्त्र मचाने लगे। इतना होते हुए भी दोस्त मुहम्मद अंग्रेजों की मित्रता चाहता था और १८३९ ई० में जब लार्ड आकलैण्ड भारत में गवर्नर जनरल होकर आया तो उसके पाम बघाई के सम्बन्ध के साथ मित्रता का प्रस्ताव उसने भेजा। दोस्त मुहम्मद यह चाहता था कि अंग्रेज उसकी रणजीतसिंह से पेशावर वापस लेने में सहायता करें तथा रणजीतसिंह पर ये यह प्रभाव डालें कि वह शाहशुजा की मदद करना छोड़ दे। इसके बदले अंग्रेजों की फारसवालों और रुयियों के विरुद्ध मदद करने की वह तैयार था। परन्तु लार्ड आकलैण्ड ने यह कहकर कि वह दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, दोस्त मुहम्मद के उस प्रस्ताव को मूर्खतापूर्ण ढंग से ठुकरा दिया। इस पर दोस्त मुहम्मद रुस की ओर मुकाबला गवर्नर जनरल के लिये एक सरदर्य हो गया। उसने तुर्क फस्तान एम्पेरे को व्यापारिक संधि करने के बहाने काबुल भेजा। अब भी अमीर अंग्रेजों की मित्रता का इच्छुक था परन्तु उसकी शर्तें बे ही पुरानी लगे थीं। लार्ड आकलैण्ड ने क्रुद्ध होकर अफगानिस्तान पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने रणजीतसिंह और शाहशुजा से दोस्त मुहम्मद के खिलाफ संधि कर ली तथा उनकी मदद से अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण गवर्नर जनरल की तयारकियत अहतरक्षेप की नीति के विरुद्ध तथा मूर्खतापूर्ण था। कुछक क्षमक दोस्त मुहम्मद को गद्दी से दबाकर शाहशुजा को काबुल की गद्दी पर बैठाना संधि की शर्तों में एक थी। इसके द्वारा अफगानिस्तान के निवासियों के बिद्रोह और उनके बाह्य की अस्पृश्यता का होना निश्चित था। इस तरह आकलैण्ड का यह प्रयास नीति, म्याप अस्पृश्यता पुदि, किमी भी कसौटी पर चरा नहीं था।

युद्ध—मित्रता और सहायता की संधि के होते हुए भी रणजीतसिंह ने अंग्रेजी सेनाओं पंदाप से दोकर अफगानिस्तान जाने से रोक दिया। फररररर

अंग्रेजी सेनापों सिंध और बलोचिस्तान के अमीरों के क्षेत्र से गयीं जो अंग्रेजों के साथ हुई उनकी संधि की शर्तों के विपरीत था। जनरल फीन के नेतृत्व में सेना १८३९ ई० में अफगानिस्तान पहुँच गयी और शाहशुजा काबुल की गद्दी पर अंग्रेजी शासक से बैठा दिया गया। अंग्रेजी सेनाओं ने काबुल, गझनी तथा अन्य मुख्य सामरिक स्थानों पर कब्जा कर लिया। दोस्त मुहम्मद कैद करके कलकत्ता भेज दिया गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि सारा अफगानिस्तान अंग्रेजों और उनकी कठपुतली शाहशुजा के हाथों में आ गया। परन्तु स्वतंत्र और वीर अफगानियों ने कायर और अंग्रेजों के गुराह शाहशुजा को हृदय से अपना अमीर नहीं माना। उसको बर्हो बनाये रखने के लिये अफगानिस्तान में अंग्रेजी सेना का रहना आवश्यक हो गया और फलस्वरूप सेना का खर्च बहुत अधिक बढ़ गया और बर्हो मईगी फैल गयी। खर्च में कमी के लिये अफगान सरदारों की पेशाने घटा दी गयीं परन्तु इसका पुरा प्रभाव पड़ा। अफगान सैनिकों के नेतृत्व में अफगान एक बार फिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गये। जनरल एल्फिंस्टन की अयोग्यता के कारण अंग्रेजों ने आनेवाली विपत्ति को पूरा-पूरा नहीं समझा और धीरे-धीरे अफगानों ने कई स्थानों पर कब्जा कर लिया। आचरणभ्रष्टता के कारण कप्तान बर्न्स की कुछ कुछ अफगानिस्तानियों ने थोड़ी-थोड़ी काट डाली तथा अकबर खान ने एल्फिंस्टन को विघ्न करके एक संधि पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया, परन्तु उसके विश्वासघात करने पर अफगानियों ने उसे भी मार डाला। अंग्रेजों ने यहाँ भ्रूतपूर्व कायरता का परिचय दिया तथा १८४२ ई० की १ ली जनवरी को आरमसमर्पण कर दिया। उन्होंने अफगानिस्तान खाली कर देने का भी वचन दिया परन्तु हिन्दुस्तान वापस आते समय १२ हजार अंग्रेज सैनिकों में से केवल १२० पसे। कुछ अफगानों ने प्रायः सबका घण्ट कर डाला। लार्ड आल्फ्रेण्ड की नीति का इस प्रकार दिवाळा होने पर उसे बिबदा होकर स्वागपन्न वे देना पड़ा और १८४२ ई० में एलेनबरा भारतवर्ष का गवर्नर जनरल होकर आया।

जनरल एल्फिंस्टन की अयोग्यता तथा कायरता के होते हुए भी जनरल पोलिफ और जनरल माट हिन्दुस्तान में नयी सहायता प्राप्त होने की आशा में अफगानिस्तान में युद्ध पहाते रहे। परन्तु जब लार्ड एलेनबरा गवर्नर जनरल होकर आया, तो उसने तुरंत उन्हें भारत छोड़ आने की आज्ञा दी। उसने शाहशुजा तथा सिक्खों के साथ हुई अंग्रेजों की संधि के अंत की घोषणा कर दी। अंग्रेजी सेना गझनी और काबुल में युगः एक बार विजयी हुई और उसने बड़ा भारपापर भी किया। काबुल के पादार को

अंग्रेजी सिपाहियों ने मनमाना छुड़ा और यूँ ही तथा बच्चों को भी ठरवार के घाट उतार दिया गया। गजनी से जतरल नाट ने कार्ड पोलोवरा की आज्ञा के अनुसार गजनी से प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर के उस फाटक को जिसे महमूद गजनी १०२५ ई० में उठा ले गया था, वापस लिया। परन्तु वह पाषाण फाटक नहीं था अपितु उसकी मकल पर बाह में पत्ता था और कार्ड पोलोवरा का उस सम्बन्ध में घमण्ड झूठा था। इस प्रकार अंग्रेजों की घोड़ी-बहुत सैनिक प्रतिष्ठा तो स्थापित हो गयी परन्तु राजनैतिक दृष्टि से उनका बड़ा अपमान हुआ। दोस्तमुहम्मद अफगानिस्तान का फिर अमीर हो गया और अंग्रेजी सेना काली हाथों वहाँ से लौट आयी। अंग्रेजों को इस असफल युद्ध में अपनी प्रतिष्ठा के साथ साथ १० हजार सैनिकों के प्राय तथा ११ करोड़ रुपये गँवाने पड़े।

५. सिन्ध की हड़प

सिन्ध बहुत दिनों तक अहमदाबाद दुर्रानियों के साम्राज्य में शामिल था परन्तु १८वीं शती के अन्त तक वहाँ लाहौर जाति के छोटे मरदारों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी। वे अमीर कहलाते थे तथा हैदराबाद, त्रौरपुर और मीरपुर के अमीर उनमें मुख्य थे। अंग्रेजों ने जब अपनी साम्राज्यवादी दृष्टि उत्तर-पश्चिम की ओर डाली तो सिन्ध पर कालब करना उनके लिये स्वाभाविक था। सिन्ध नदी तथा उसकी घाटी में अंग्रेजों का आर्थिक और व्यापारिक स्वार्थ भी था। रणजीतसिंह के नेतृत्व में सिन्ध जाति भी सिन्ध को अपने साम्राज्यवादी विस्तार का द्वार मानती थी। परन्तु उसके इस प्रयत्न को अंग्रेजों ने बराबर रोका। फ्रान्सीसियों की शक्ति और उनके प्रभाव को कम करने लिये ही उन्होंने सिन्ध के अमीरों से कई बार संधि की। परन्तु उनका अन्तिम उद्देश्य यह था कि सिन्ध अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाय। सिन्धी भी इसे समझते थे और १८३१ ई० में जब लार्ड बिकिंगम वैदिक की आज्ञानुसार अलेक्जण्डर बर्नम ने सिन्धु नदी का नावों द्वारा सर्वेक्षण किया तो एक सैन्य ने अवसर करते हुए कहा कि सिन्ध अंग्रेजों के हाथ में चला गया क्योंकि उन्होंने सिन्ध को देखा लिया। आगे यह नदी निकला। सिन्धी से डरकर सिन्ध के अमीरों ने १८३९ ई० में अंग्रेजों से संधि कर ली जिसके अनुसार उन्होंने सिन्धु नदी को अंग्रेजों के लिये खोल दिया परन्तु उससे होकर सेना ले जाने की आज्ञा नहीं दी गयी। लेकिन १८३९ ई० में जब लार्ड आकलैण्ड ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की तो सारी अंग्रेजी सेना सिन्धु नदी और सिन्ध के मार्ग से होकर पलोधरातक

और अफगानीस्तान गयी। अंग्रेजों ने उस समय निश्चित रूप से अमीरों के साथ हुई संधि का उल्लंघन किया तथापि सिन्धियों ने उनकी धींस में आकर उनका मदद की। यही नहीं आकलैण्डने सिन्धियों को डराकर उन्हें धाप्य कर दिया कि वे सिन्ध की रक्षाके लिये एक अंग्रेजी सेना रखें। वहाँ अंग्रेजी सेना तो थी ही और अमीरों ने विवश होकर उसे स्वीकार कर लिया तथा ३ कास रूपया साझामा उस सेना को खर्चा के लिये देना उन्होंने मान लिया। लार्ड आकलैण्ड (१८३६ से १८४३ ई०) के बाद लार्ड पलेनबरा (१८४२ ई० से १८४४ ई०) गवर्नर जनरल होकर आया, तो उसने सिन्ध के साथ और भी जबरदस्ती का व्यवहार किया। उसकी नियत यह थी कि सिन्ध अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाय और उसने सिन्ध के अमीरों पर, उनकी अंग्रेजों के प्रति सारी शक्ति को मूककर, यह शोष लगाया कि वे पदपत्र और बिद्रोह का आल बिछा रहे हैं। उसने सर चार्ल्स नेपियर को सिन्ध में अंग्रेजी रेजिमेण्ट बनाकर भेजा। नेपियर भी सिन्ध को जबरदस्ती हड़पने में ही विश्वास करता था। उसने स्थानीय झगड़ों में भाग लिया और अमीरों के विरुद्ध अनेक प्रकार के शोष लगाये गये। उन्हें डराकर नेपियर ने एक संधि पर हस्ताक्षर करा लिया जिसके द्वारा संरक्षक-सेना के व्यवस्वरूप मिलनेवाले तीन लाख रुपयों के बड़े सिन्ध का कुछ भाग अंग्रेजों के लिये ले लिया। परन्तु उसे हतने से ही संतोष नहीं हुआ और बड़ी निर्दयतापूर्वक और जबरदस्ती उसने संधि के द्वारा प्राप्त स्थानों के अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर भी कब्जा कर लिया। इस पर अमीर क्रुद्ध हो गये और उन्होंने अंग्रेजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। नेपियर ने धान-भूसकर देसी परिस्थिति को उत्पन्न कर लिया था और उसने युद्ध की घोषणा करके सभी प्रमुख स्थानों पर कब्जा कर लिया तथा निर्दय गर्भ के साथ उसने गवर्नर जनरल को लिख भेजा कि सिन्ध उसके अधिकार में है। सभी अमीर सिन्ध से निकाल दिये गये और सारा सिन्ध अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। नेपियर ने सिन्ध की छट का बहुत बड़ा दिस्सा अपने लिये भी लिया। अंग्रेजों की हर समय सहायता करनेवासे तथा उनके साथ मित्रता निमाने वाले सिन्धके अमीरों पर साम्राज्य विस्तार की इच्छा से लार्ड पलेनबरा का प्रहार करना नैतिक दृष्टि से एक अनुचित कार्य था और प्रायः प्रत्येक इतिहासकार ने उसकी निन्दा की है।

६. सिक्ख शक्ति का उदय और उससे अंग्रेजों का संघर्ष

मुगल साम्राज्य की अवनति के दिनों में सिक्खों का जोर पड़ने लगा। गादिरघाह और अहमदशाह दुर्रानी के जाटमणों के कारण जो अल्पतरफा

उत्पन्न हुई, उसका सिबलों में सूर्य लाभ उठया और वे अपनी शक्ति धीरे-धीरे बढ़ाने लगे। १०४४ ई० में उन्होंने छाहौर पर अधिकार कर लिया तथा सेल्म और सतलज नदियों के बीच का सारा प्रदेश उनके राज्य में आ गया। परन्तु सिक्ख अभी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित नहीं थे। वे चारद मिमलों में बँटे हुए थे। हर एक मिसल का एक अलग परदार होता था। पञ्जाब के एक विस्तृत भाग पर कब्जा होते हुए भी सिबलों के सभी मिसल अलग-अलग थे। वे अक्सर अपने अलग-अलग स्वार्थों के लिये आपस में ही लड़ा करते थे। सौभाग्यवश उनका एक नेता उत्पन्न हुआ जिसने उन सबको एक सूत्र में बाँधकर एक सिक्ख राज्य का निर्माण किया। उसके उस नेता का नाम रणजीत सिंह था।

(१) रणजीत सिंह

रणजीतसिंह का जन्म सुन्दर चक्रिया मिसल में १७८० ई० में हुआ था। वे महसिंह के पुत्र थे। जब वे केवल १२ वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गयी और ऐसा प्रतीत होता था कि दूसरे शक्तिशाली मिसलों के सरदार उन्हें दबा देंगे। परन्तु जल्दी दिनों कायल के



शासक जमानसाह का आक्रमण हिन्दुस्तान पर हो रहा था। जमानसाह की निघता से रणजीतसिंह ने अपनी शक्ति बढ़ा ली तथा उसकी ओर से सन् १७९८ ई० में वे राजा की उपाधि के साथ छाहौर के गवर्नर बना दिये गये। अब रणजीतसिंह को अपनी शक्ति बढ़ाने का और अधिक अवसर मिला। उन्होंने सभी सिक्ख मिसलों को एक सूत्र में बाँधना आवश्यक समझा और हम और प्रयत्न करने लगे। उन्होंने अनेक मिसलों के आपसी झगड़ों को

राजा रणजित सिंह निपटाया और अपना प्रभाव वृद्धि बढ़ा दिया। अनेक मिसलों के चेन्नो को उन्होंने अपने राज्य में मिला किया। इन उपायों से सभी मिसलों को एक करके उन्होंने शालस्ता की स्थापना की। धीरे-धीरे उन्होंने अपना राज्य सतलज के पार यमुना नदी की ओर भी बढ़ाने का प्रयत्न किया परन्तु इसमें उसको अंगरेजों के विरोध के कारण सफलता नहीं मिली। भारतवर्ष में अंगरेजी सरकार भी रणजीतसिंह की बढ़ती हुई शक्ति से अचानक ही परन्तु यह उन्हें अपना शत्रु मानना नहीं चाहती थी। उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर अंगरेजों को एक मित्र राज्य की आवश्यकता थी और

१८०९ ई० में अमृतसर में अंगरेजों और रणजीतसिंह में मित्रता की संधि हो गयी। रणजीतसिंह का राज्य सतलुज के दक्षिण भाग की ओर मान लिया गया परन्तु उनका सतलुज और यमुना नदी के बीच की ओर बढ़ाव रुक गया। जब उन्होंने उत्तर तथा पश्चिम की ओर अपना राज्य बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने गुरखों से कांगड़ा-जिला से लिया तथा अफगानिस्तान की ओर भी अटक को जीतकर अपना राज्यविस्तार प्रारंभ कर दिया। जब वहाँ के शासक शाहशुजा से दोस्तमुहम्मद ने काबुल की गद्दी छीन ली तो उसने रणजीतसिंह की शरण ली और सहायता के बदले वहुमूल्य रत्न फौजेनूर उन्हें दे दिया। १८३३ ई० में सिक्ख सेनापति हरिसिंह मलखा ने पेशावर भी जीत लिया। इसके पहले कश्मीर पर रणजीतसिंह का अधिकार हो गया था। इस तरह उनका राज्य नेपाल और अफगानिस्तान की सीमाओं तक पहुँच गया। उन्होंने एक विशाल सेना का संगठन किया तथा उसमें युरोपीय अफसरों को रखकर सिखों के द्वारा उसे पूरी तरह समर्थ किया। परन्तु इन सैनिक प्रवृत्तियों के होते हुए भी वे क्यालु से और स्वयं एक बहाना नहीं चाहते थे।

(२) प्रथम सिक्ख-युद्ध


रणजीतसिंह की १८३९ ई० में मृत्यु हो जाने पर सिक्ख राज्य पर कोई उनके समान शक्तिशाली शासक नहीं बैठा। १८४३ ई० में उनका पुत्र दलीपसिंह गद्दी पर बैठा परन्तु उसके नापक्व होने के कारण उसकी माँ रानी सिन्ध्या उसकी संरक्षिका बनी। उसके दुर्बल शासन में सेनापतियों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गयी और वे दरबार में झगड़ों में भाग लेने लगे। भीतर ही भीतर सिक्ख राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी। सिक्ख दरबार ने सेनापतियों के हस्तक्षेप से घृणकारा पाने के लिये उन्हें सैनिक आक्रमणों के लिये प्रेरित किया। अंग्रेज सिक्खों की बिरतार प्रवृत्ति से परिचित थे, परन्तु स्वयं हिन्दुस्तान की अंग्रेजी सरकार ने ही सिक्खोंको आक्रमण करनेका मौका दिया। अंग्रेज सिक्खों के प्रांतों पर या अपना अधिकार चाहते थे और उन्होंने सतलुज में कुछ चौकियाँ प्रारंभ कर दिया। इसपर अंग्रेजी सेना के आक्रमण की चिन्ता से डरकर सिक्ख सेना ने स्वयं सतलुज को पार करके १८४५ ई० के दिसम्बर माह में अंग्रेजी भूमि पर आक्रमण कर दिया। उस समय हिन्दुस्तान में हादिस अंग्रेजी कम्पनी का गवर्नर जनरल था और उसने युद्ध की तैयारी पहले से ही कर ली थी। उसने युद्ध घोषित कर दिया तथा अंग्रेजी सेनापति ह्यूगो को सिक्खों से कोहा लेने को भेजा। मुद्दी नामक स्थान पर। जो फिरोजपुर से

२० मील दक्षिण-पूर्व था, युद्ध हुआ। सिक्ख सेना बड़ी वीरतापूर्वक बड़ी पराजय में बह हार गयी। इसके बाद अंग्रेजी सेना का सिक्खों से युद्ध सतलुज के किनारे सुवर्णाचल नामक स्थान पर हुआ, परन्तु सिक्ख सेनापतियों ने अन्त में अपने उरसाह में कमी कर दी और वे हार गये। इसका फल यह हुआ कि झुगफ की सेनायें लाहौर तक चढ़ गयीं और सिक्खों को संधि के लिये विवश कर दिया। राबर्ट जनरल हार्डिग स्वयं वहाँ पहुँचा और उसमें १ मार्च सन् १८४१ ई० को सिक्खों से संधि-पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया। सिक्खों को सतलुज के चारों भाग घाटी अपने राज्य की सारी भूमि अंग्रेजों को देनी पड़ी जिसमें आकृषर का दोभाग भी शामिल था। उन्हें १४ करोड़ रुपये युद्ध का इर्जाना भी देना पड़ा। सिक्ख सेना की संख्या घटा दी गयी तथा हेमरी लारेंस लाहौर दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त किया गया। वसीपसिंह लाहौर में सिक्खों का शासक माना गया परन्तु घोड़े ही दिनों में अंग्रेजों ने पुनः हस्तक्षेप करके ८ सिक्ख सरदारों की एक संरक्षक-समिति उसके लिये कर दी।

(३) द्वितीय सिक्ख युद्ध

सिक्ख-शासि अंग्रेजों के हाथों हुए अपने अपमान को भूलनेवाली नहीं थी। अपनी हार का कारण वह अपने सेनापतियों का प्रमाद और विरवासधान समझती थी न कि अपनी कमजोरी। अंग्रेजों ने जब रानी सिम्हा को पदबंध में भाग लेने का दोष लगाकर हटा दिया तो उसका असंतोष बहुत ही बढ़ गया। इतने में एक घटका हो गयी जिसने युद्ध की धाग के लिये चित्तगारी का काम किया। मूलराज, जो मुस्तान का गवर्नर था, लाहौर दरबार की १० लाख पौण्ड की माँग को पूरा नहीं कर सका और अधिक इकार्य खाने पर उसने स्वागपत्र दे दिया। पीछे उसने विद्रोह कर दिया और कुछ अंग्रेजों को मार डाला। रोर्सिंह जो उसको इकार्य के लिये भेजा गया, जो उसी की ओर मिल गया तथा उसे रानी सिम्हा से भी मदद मिलने लगी। धीरे-धीरे मुस्तान का विद्रोह सिक्खों का राष्ट्रीय और जातीय विद्रोह हो गया। लाहौर का दरबार और वहाँ रहने वाले अंग्रेज उसे नहीं दबा सके। सिक्खों ने इस बार पैगाबर की छाकच देकर अफगानिस्तान को भी अपनी ओर मिला लिया। ऐसी रूता में लार्ड डलहौजी ने, जो उस समय हिन्दुस्तान में अंग्रेजी सरकार का गवर्नर जनरल था, १८४६ ई० के अक्टूबर महीने में युद्ध शुरू कर दिया। लार्ड डलहौजी ने राबी नदी को पार करके विलियामशाला नामक स्थान पर दोबेबाड़े युद्ध में विजय पायी परन्तु उसकी बड़ी हानि हुई। अंग्रेजी सेना ने

मुबलात पर भी विजय पा ही और मूराराज एकत्र किया गया। परन्तु अंग्रेजों के लिये सबसे मुख्य युद्ध गुजरात का हुआ जहाँ सिवल वकी वीरतापूर्वक लड़े। उस कड़ाई में बन्दूकों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ और उसे बन्दूकों का युद्ध कहते हैं। परन्तु सिवल सिपाहियों की वीरता के होते हुए भी सेना-पतित्व की कमी से वे हार गये। सिवल सेना उसके बावु नहीं रिक सकी।



(४) पंजाब अंग्रेजी राज्य में

सिखों पर पूरी विजय पा जाने पर बख्शीजी जैसे साम्राज्यवादी के लिये पंजाब को छोड़ना असम्भव था। उसने एक घोषणा के द्वारा पंजाब को अंगरेजी-

राज्य में मिला दिया। कम्पनी के साम्राज्य की सीमा अब पहाड़ों तक तथा अफगानिस्तान की सीमा तक पहुँच गयी। इलीयसिंह को साठहारा ५ छात्र शर्तों की पेंशन दे दी गयी और वे इंग्लैण्ड भेज दिये गये। इस तरह रणजीतसिंह के द्वारा स्थापित किया हुआ एक विशाल राज्य उनके उत्तराधिकारियों की बुद्धिमत्ता से उनके हाथों से चला गया और अंग्रेजों के साम्राज्य की एक कड़ी बन गया।

७. अंग्रेजों की सफाई : पुनरावर्तन का सिद्धान्त

कार्ड डलहौसी १८४८ ई० में भारतवर्ष का गवर्नर बनरख होकर आया। वह घोर साम्राज्यवादी था और उसकी नीति यह थी कि जहाँ तक हो सके भारतवर्ष में सचे हुए छोटे-छोटे देशी राज्यों को खतम करके अंग्रेजी राज्य को पुष्ट किया जाय। अपना उद्देश्य पूरा करने के लिये उसने पुनरावर्तन का सिद्धान्त (डॉक्ट्रिन ऑफ रैप्ल) अपनाया। वह सिद्धान्त बहुत पुराना था। इसके अनुसार उसने देशी राज्यों को दो भागों में बाँट दिया। एक तो अधीनस्थ राज्य थे जो अंग्रेजी सरकार की कृपा पर निर्भर थे; दूसरे संरक्षित मित्र राज्य। उसने यह घोषित किया कि अधीनस्थ राजाओं को अपने भीरस उत्तराधिकारियों के अभाव में गोद लेने का अधिकार नहीं है और ऐसी दशा में वे राज्य अंग्रेजी सरकार को लौट जायेंगे। उसने संरक्षित अथवा स्वतंत्र राज्यों पर कोई प्रहार नहीं किया। पुनरावर्तन के सिद्धान्त के अनुसार उसने अनेक देशी शासकों को गोद लेने के अधिकार से बंथित कर दिया और सतारा, वेङ्गपुर, सम्भलपुर, नागपुर और साँसी के राज्यों को हड़प कर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। यह सिद्धान्त उसने पड़ों तथा उपाधियों पर भी लगाया तथा कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की पदबिम्बों पीत ली गयीं। डलहौजी का यह कार्य कानूनी और नैतिक दृष्टि से अनुचित और गलत था। प्रत्येक हिन्दू राजा को निरस्तान्त होने पर हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार गोद लेने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त त्रिभु राज्यों का उसने अंग्रेजी राज्य में मिलाया, वे किसी प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा वहाँ के राजाओं को प्राप्त नहीं हुए थे। परन्तु डलहौजी इन तर्कों से कायल होने वाला नहीं था। उसके सामने ही अंग्रेजी राज्य के विस्तार की बात मुख्य थी।

दुःख ही नहीं, जब द्वितीय बार्नीराज पेशवा १८५५ ई० में मर गया तो उसे मिलावेवाली ८ लाख साठहारा की पेंशन उसने पुत्र पुत्रपुत्र को यह कहकर हस्तगत कर ली गई कि यह व्यक्तिगत रूप से पेशवा को दी गई थी।

इसका पेशवा के पुत्र पर बड़ा घुरा प्रभाव हुआ और आगे चलकर राष्ट्रीय विप्लव में माना साहय्य के नाम से उसने अंग्रेजों के विरुद्ध विप्लवकारियों का मोर्चा बनाया। अवध का राज्य भी, यह कहकर कि वहाँ का शासन ठीक नहीं है, जबरदस्ती अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। वहाँ का शासक घाजिद-अलीशाह गद्दी से उतार दिया गया और उसे १२ लाख सालाना की पेंशन देकर कश्कला भेज दिया गया। डलहौजी का यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध था। अवध का शासन यदि खराब भी था, तो उसका बहुत बड़ा कारण अंग्रेजों का वहाँ शासन में हस्तक्षेप था। इसके अतिरिक्त अवध राज्य अंग्रेजों का हमेशा से मित्र था और उस सम्बन्ध में उससे अंग्रेजों की संबंधि भी थी। उसके साथ इस तरह की जबरदस्ती करना अन्यायपूर्ण तो था ही, संबंधि के दातों के विरुद्ध भी था।

८. डलहौजी का शासन-सुधार : साम्राज्य की पुष्टि

डलहौजी ने शासन के क्षेत्र में अनेक प्रकार के सुधार किये। सेना की अलग-अलग पकटों में बंटायी गयीं, जिनमें गोरखों और सिक्खों की पकटों में मुख्य थीं। सैनिकों के स्वास्थ्य और आराम का भी विशेष ध्यान दिया गया तथा युरोपीय सेना बढ़ायी गयी। उसने धर्म-विभाग का भी पुनर्संगठन किया और उसके सुधारों के द्वारा अंग्रेजी सरकार की आमदनी बहुत बढ़ गयी। १८५४ ई० में उसने सार्वजनिक निर्माण-विभाग (पी० वर्क्स० डी०) स्थापित किया। इस विभाग के अधीन नहरों, सबकों और रैलों का निर्माण कार्य रखा गया परन्तु बाद में ये सभी कार्य अलग-अलग विभागों के अधीन कर दिये गये। डलहौजी के ही शासन-काल में सबसे पहले बम्बई और घामा के बीच रेलगाड़ी भी चली। उसने तार भी लगाया और देश में दूर-दूर तक तार जाने लगे। डलहौजी ने डाक-विभाग को भी नये सिरे से सुसंगठित किया और नये-नये डाकघर लोके गये। जाय जगहों में दूर-दूर तक पत्र जाने लगे। इन सुधारों से देश में पत्र-व्यवहार और यातायात की असुविधाएँ कम हो गयीं। उसी के समय शिक्षा-सुधार के लिये एक प्रसिद्ध आयोग बैठाया गया जो उसके नेता सर वॉलर्स जुड के नाम पर जुड आयोग कहलाया तथा जिसकी सिफारिशों के आधार पर आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी।

कार्ड डलहौजी के सुधारों का फल यह हुआ कि देश में एक नया जीवन आया जिससे अंग्रेजों के शासन को बड़ा फल मिला परन्तु उसके साथ ही साथ उसका पहला प्रभाव वहाँ के लोगों पर घुरा पड़ा और उनही प्रतिक्रिया १८५७ ई० के राष्ट्रीय विप्लव में देखने को मिली।

३६ अध्याय

कम्पनी के समय में शासन-प्रयत्न

जमैजी कम्पनी की भारतवर्ष में उद्योग-राजनैतिक प्रभुता बढ़ती गयी, उद्योग-उद्योग उसके सामने शासन-सम्बन्धी आवश्यकताएँ भी उपस्थित होने लगीं। एलाइव ने, जो बंगाल का गवर्नर था सबसे पहले शासन सुधारने का प्रयत्न किया। कम्पनी के अधिकारों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, घूमलोरी और स्वार्थपरता को उसने दूर करना चाहा परन्तु उसकी सफलता बहुत अल्पकालिक हुई। इंग्लैण्ड में इसका बहुत पुरा प्रभाव पड़ा और वहाँ की सरकार ने कम्पनी के भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करना और नियंत्रण रखना आवश्यक समझा।

१. प्रशासन

(१) रेग्यूलेटिंग ऐक्ट

इंग्लैण्ड की पार्लियामेन्ट ने बहुत बहस के बाद १७७३ ई० में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट पार किया। इसके अनुसार कम्पनी के अधिकारों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे भारतवर्ष से सम्बन्धित प्रत्येक पत्र-व्यवहार अंग्रेजी सरकार के सामने रखे। भारत में बंगाल का गवर्नर सारे भारतवर्ष का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कौंसिल बना दी गयी जिसमें बहुमत का निर्णय माग्य होता था। परन्तु इससे गवर्नर जनरल की शक्ति कम हो गयी। जबकि और भारत की सरकारों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे कुछ और तथि के मामलों में गवर्नर जनरल तथा उसकी कौंसिल की सलाह माने परन्तु यह व्यवस्था बहुत दिनों तक नहीं चली। कौंसिल के सदस्यों में एकपंजी भी और ऐक्ट के अनुसार प्रथम गवर्नर जनरल यारेम होस्टिंग्स को शासन सम्बन्धी विषयों में बड़े विरोध का सामना करना पड़ा।

(२) पिट्स इण्डिया ऐक्ट

१७७३ ई० में पिट्स इण्डिया ऐक्ट पार हुआ जिसके द्वारा रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। एक कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई जो कम्पनी के भारतीय शासन पर नियंत्रण रखने लगा।

गवर्नर जनरल की कौंसिल के सदस्यों की संख्या घटाकर तीस कर दी गयी तथा मद्रास और बम्बई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। १८८६ ई० में इस कानून में एक संशोधन उपरिष्कृत किया गया जिसके द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह कौंसिल के बहुमत के निर्णय को भी रद्द कर सकता है। वह भारतवर्ष में मुख्य सेनापति भी बना दिया गया। पिट्स इण्डिया ऐक्ट ने यह स्पष्ट रूप से घोषित किया कि कम्पनी भारतीय राज्यों के आपसी झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करेगी परन्तु आगे चलकर १८९८ ई० में जब वेल्सेली भारतवर्ष में गवर्नर जनरल होकर आया तो उसने इसे विरुद्ध नहीं माना।

(३) कार्मवालिस का शासन-सुधार

कार्मवालिस जब इंग्लैंड में था तो उसने भारतवर्ष में कम्पनी के नौकरों में फैले हुए भ्रष्टाचार की कहानियाँ सुन रहीं थीं और जब उसे गवर्नर जनरल का पद मिला तो उसने इन गुराहियों के अन्त के लिए प्रयत्न किया। कम्पनी के नौकर अपने व्यक्तिगत व्यापार के बढ़ाने की दृष्टि से अनेक अनुचित उपायों का प्रयोग करते थे। घूसखोरी और पक्षपात रूप बढ़ा हुआ था। कार्मवालिस ने इन गुराहियों को दूर करने के उद्देश्य से कर्मचारियों का वेतन निश्चित कर दिया तथा सिनको कम वेतन मिलता था उसे बढ़ाया गया। कमीशन देने की प्रथा बन्द कर दी गयी। परन्तु कार्मवालिस ने अंग्रेजों का अनुचित पक्षपात किया और भारतीयों की ईमानदारी और योग्यता में विश्वास न करके उन्हें सरकारी नौकरियों से अलग रखा। यह व्यवस्था स्वार्थमय और अन्यायपूर्ण थी। आगे चलकर १८९८ ई० में जब बिक्रिपम बेंटिक गवर्नर जनरल हुआ तो उसने इस अन्याय को दूर कर दिया और भारतीयों को भी बड़े पद मिलने लगे।

(४) कम्पनी को आजापत्र

कम्पनी को भारतवर्ष के व्यापार और शासन के सम्बन्ध में समय-समय पर अंग्रेजी सरकार की ओर से आज्ञा-पत्र मिलते रहे। १८१३ ई० के आज्ञापत्र में उसको व्यापार का एकाधिकार नहीं रद्दा और १८३३ ई० में उसका पचा हुआ भी व्यापारिक अधिकार से लिया गया। १८३३ ई० तक मद्रास और बम्बई की सरकार के पास कुछ कानून भावि बनने के सम्बन्ध में स्वतंत्रता थी परन्तु उसके बाद गवर्नर जनरल और उसकी कौंसिल का उन भद्दातों पर पूरा अधिकार हो गया। कानून तथा सामन में उन्हें अब विरुद्ध गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और उसकी कौंसिल में एक कानून

का सदस्य बड़ा दिया गया। सर्वप्रथम मैकाले इस पद पर नियुक्त हुआ। गवर्नर जनरल की कौन्सिल के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गयी और उसमें १ और नये सदस्य हो गये। चार सदस्य बंगाल, मद्रास, पश्चिम और सीमांत का प्रतिनिधित्व करते थे। पाँचवाँ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति तथा उनका एक ज्यूनी जज चुनवाये सदस्य होता था। १८५२ ई० के आज़ापत्र के द्वारा नियंत्रकों के बोर्ड में अनेक परिष्कारन किये गये। उनकी संख्या घटा दी गयी और ये राज्य द्वारा नियुक्त किये जाने लगे।

२. माल

(१) वारेन हेस्टिंग्स का सुधार

छाहवें दोहरे शासन-प्रबंध का फल यह हुआ कि बंगाल में कृषकों के भौतिक व्यक्तित्व का भी ओर अधिक ध्यान देने लगे। वारेन हेस्टिंग्स ने इसका सुधार किया और मालगुजारी की यसूकी के साथ-साथ दासन भी अपने हाथ में लिया। बंगाल और बिहार के उपनवासियों का पद तोड़ दिया गया और यजमाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आया गया। नयाप की पैमाना ६२ लाख से घटाकर १९ लाख सालाना कर दी गई और इस प्रकार वर्षों में कमी की गयी। मालगुजारी की यसूकी तथा तालमबन्धी मामलों के किये रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गयी। मालगुजारी यसूल करने के लिए अंग्रेज कलकत्ता नियुक्त किये गये। इसके अलावा मालगुजारी से सम्बन्धित कागज-पत्रों के रत्नने की भी व्यवस्था की गयी। छगान की यसूकी का वार्षिक प्रबंध भी हुआ।

(२) कार्नवालिस का स्थायी भूमि-प्रणय

कार्नवालिस ने भूमि का स्थायी प्रबंध किया। इसके द्वारा जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया तथा उसके प्रबंध में उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया गया। भूमि का माप करके तथा उसकी उपज का ध्यान रखकर स्थायी रूप से मालगुजारी तय कर दी गयी। इसने जमींदारों को बड़ा लाभ हुआ और आर्थिक दृष्टि से वे मुभाके में रहे। यहुतों ने सैती में पूरी क्षति और उसकी उन्नति की परन्तु उसके आधीन जो किसान थे उनकी टाकन विगड़ गयी। उनमें जमींदारों ने मजमाता लगात यमूल किया और जमीन पर अधिकार न होने के नाते वे खेती की यहुत उन्नति न कर सके। इस प्रकार यरपनी को बड़ा लाभ हुआ कि जमींदार उनके मित्र हो गये और सालाना अथवा समय-समय से भूमि प्रबंध की इंसट पूट गयी। कम माल-

गुजारी मिलने पर भी अन्त में सरकार को खाम ही हुआ। यह प्रबन्ध केवल बंगाल तक ही सीमित रहा। कानॉनवालिंस का यह स्थायी भूमि-प्रबंध बहुत दिनों तक हेरफेर के साथ चलता रहा और लोगों को दूर करने के लिए सन् १८५९ ई० में बंगाल डिमैन्सी ऐक्ट पास किया गया।

(३) रैयतदारी

मद्रास में मीरासदारी और रैयतदारी नाम के दो प्रबन्ध प्रचलित थे, परन्तु अधिकतर टामन्न मनरो द्वारा किया हुआ रैयतदारी प्रबन्ध ही लागू था। इसमें रैयतों से समय-समय पर भूमि-प्रबन्ध किया जाता था। बाद में बंगाल की भूमि-व्यवस्था मद्रास में भी लागू की गयी, परन्तु पूरे मद्रास में ऐसा नहीं हुआ और रैयतदारी प्रबन्ध की मुख्यता अब भी बनी रही। रैयतदारी प्रबंध बम्बई और सोमाप्रांत में भी लागू किया गया। सीमाप्रांत में आसकल उत्तरप्रदेश और पंजाब तथा राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल थे। इन स्थानों में समय-समय से गाँव के मुख्य-मुख्य लोगों से भूमि का प्रबंध किया जाता था और उनकी मालगुजारी नियत कर दी जाती थी।

३. न्याय

सन् १७७१ ई० में वारेन हेस्टिंग्स ने दर एक जिले में क्रमशः दीवानी और फौजदारी के मामलों के लिये एक-एक दीवानी अदालत और निजामत अदालत की स्थापना की। इसके अलावा कलकत्ता में अपील के लिये सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतें स्थापित की गयीं। दीवानी अदालतों में अंग्रेज क्लर्क बैठते थे, लेकिन सदर निजाम अदालत में भारतीय न्यायाधीश बैठते थे। १७७४ ई० के रेग्युलेशन ऐक्ट के द्वारा कलकत्ते में एक सुप्रीम-कोर्ट की स्थापना की गयी। इसका सभी लोगों और सभी अदालतों पर अधिकार हो गया। सार परलिज्जा एम्पी इसका प्रधान न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ और उसकी सहायता के लिये तीन और न्यायाधीश भी रखे गये। परन्तु इस अदालत की एक कमी यह थी कि इसमें भारतीयों के भी मुकदमों का फैसला अंगरेजी जानूँ के द्वारा होता था। यह नन्दकुमार को दी गई फौसी से स्पष्ट हो गया। उसकी फौसी भारतीय विधि के प्रतिफल थी और उसमें वारेनहेस्टिंग्स तथा एम्पी दोनों की पदनामी हुई। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की कौंसिल के अधिकारी की अलग-अलग स्थापना नहीं की गयी जिससे दोनों में अगड़ा होता था। १७८१ ई० में अदालतों के विषयों में संशोधन किया गया और मालगुजारी सम्बन्धी

मामलों पर सुप्रीमकोर्ट का बिलकुल अधिकार नहीं रहा। १७९३ ई० में कार्नवालिस फोर्ड पास हुआ जिसके द्वारा हर जिसे में एक न्यायाधीश नियुक्त किया गया तथा कलक्टरों के हाथ से न्याय का काम छीन लिया गया। परन्तु कार्नवालिस ने एक बहुत बड़ा अत्याय यह किया कि उसने भारतीयों पर विश्वास न करके उन्हें न्याय के बड़े-बड़े पदों से अलग रखा। यह अत्याय विलियम बेंटिक के समय में १८३३ ई० के कम्पनी के आजापत्र के द्वारा दूर किया गया। इन अवसरों में उत्तराधिकार, हाथ और सम्पत्तियों के सम्बन्ध में हिन्दुओं और मुसलमानों को उन्हीं की विधियों के द्वारा न्याय बितरित किया जाता था। फार्ड विलियम बेंटिक के समय में अदालतों की भाषा फारसी की जगह उर्दू कर दी गयी।

४. सामाजिक सुधार

अंग्रेजों ने भारतवर्ष में धार्मिक मामलों में कभी सीधे हस्तक्षेप नहीं किया। फिर भी कई बार पदों की कुप्रथाओं और सामाजिक दोषों को दूर



लार्ड विलियम बेंटिक

करने का प्रयत्न किया। इस कार्य में लार्ड विलियम बेंटिक ने सबसे आगे हाथ बढ़ाया। १८१९ ई० में एक कानून पास किया गया जिसके द्वारा सती की प्रथा को बन्द कर दिया गया। भारत-वर्ष में, विशेषतः राजस्थान में यह प्रथा प्रचलित थी कि पतिपत्नी के मरने पर रिवाज उन्हीं के साथ बिछा में जलकर सती हो जाती थी। परन्तु कभी-कभी अभिप्युक्त जियों को भी सती होने के किये बाध्य किया जाता था। परन्तु

बेंटिक ने राजा राममोहन राय की सहायता से इस प्रथा का अन्त कर दिया। बेंटिक के बहुत पहले शिशु-हत्या को भी बन्द करने का प्रयत्न किया गया था परन्तु उसमें विशेष सफलता नहीं मिली थी और उसने शिशु-हत्या-सम्बन्धी कानूनों का कड़ाई में पालन कराया और शिशु-हत्या करनेवालों को कड़े-कड़े दण्ड दिये गये। उसने राजस्थान, अजमेर तथा खण्डिस में प्रचलित नर-हत्या को भी दूर करने की योजना की तथा उक्त सम्बन्ध में कानून पास करने के अतिरिक्त अफसरों की नियुक्ति के द्वारा लोगों को यह भी दिखाया कि नर-हत्या अदम्य पाप है। १८३३ ई० में एक कानून पास करके दास-प्रथा का भी अन्त कर दिया गया।

ठगी का अन्त—बैंटिक के सुधारों में ठगी का अन्त भी मुख्य था। ठगों के समूह में सभी धर्म और सभी जातियों के लोग शामिल थे और वे सारे भारतवर्ष में फ़ैले हुए थे। वे काही की पूजा करते थे और उनका ऐसा विश्वास था कि उनके अघन्य कार्यों में काही का भी भागीर्भाव प्राप्त है। वे निर्जन स्थानों में लोगों को ले जाकर, विशेषतः पात्रियों को बहकाकर, उनका गळा घोट देते तथा उनका सारा सामान लेकर चम्पत हो जाते थे। उनकी अपनी संकेत-भाषा होती थी जिसके द्वारा वे ठगों को बुझाते थे और ठगि करते थे। इस अराजकता को दूर करने के लिये बैंटिक ने अफसरों की नियुक्ति की जिसका मुखिया सर विलियम स्लीमैन हुआ। अनेक कानूनों के द्वारा उनकी गतिविधि को नियंत्रण में रखा गया। १८३१ से १८३७ ई० के बीच में तीन हजार ठगों को पकड़ा गया तथा धीरे-धीरे देश ठगों के आतंक से मुक्त हो गया।

५. शिक्षा

कम्पनी के शासन-काल में शिक्षा की प्रगति भी हुई। युरोपीय पाठरिपों ने भारतवर्ष में ईसाई धर्म के प्रसार के लिये जो प्रयत्न किया ही, साथ ही साथ उन्होंने यहाँ अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचार किया। इन्होंने बंगाल, मद्रास तथा बम्बई में अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की। भारतवर्ष में भी अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने सांस्कृतिक उत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया। इनमें सर्वप्रमुख राधा राममोहनराय थे। उन्होंने समाजसुधार के साथ-साथ शिक्षा के लिये भी बड़ा प्रयत्न किया। उन्हीं की सहायता से १८१६ ई० में कलकत्ते में हिन्दू कालेज खोला गया जो बाद में प्रेसिडेन्सी कालेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें युरोपीय साहित्य और विज्ञान पढ़ाये जाते थे। सीरामपुर के पाठरिपों ने भी यहाँ एक कालेज की स्थापना की तथा वहाँ से १७१८ ई० में समाचार-वर्षण नाम का पत्र निकाला गया। परन्तु अंगरेजी शिक्षा को सबसे बड़ा प्रोत्साहन लार्ड विलियम बैंटिक के समय में मिला। लार्ड मैकॉले ने, जो उसकी कॉंसिल का कानूनी सचिव था, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिये बड़ी बहास की और उसके सुझाव पर सभी प्रकार की शिक्षाओं के लिये अंग्रेजी माप्य माध्यम बना दी गयी। इसका फल यह हुआ कि अंग्रेजी पाठशाळाओं की बड़ी जल्दी वृद्धि हुई और १८४४ ई० में लार्ड डलहौजी के आशानुसार शासकीय मौकरीयों में सरकारी अंग्रेजी स्कूलों से पढ़े हुए लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। परन्तु

अंग्रेजी शिक्षा से जहाँ एक तरफ भारतीय विद्यार्थियों में पश्चिमीय ज्ञान और दर्शन की सीखा, वहाँ वे अन्धश्रद्धा नकल करके भारतीयता से दूर होते गये।

६. समाचार-पत्र

सर चार्ल्स मैटकाफ के शासन-काल में समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता मिट गई और १८३५ ई० के एक कानून के द्वारा उनपर नये सभी बन्धन हटा दिये गये। इस सुविधा से भारतीय भाषाओं में अनेक पत्र निकले और आगमन तथा ज्ञान की वृद्धि हुई।

३७ अध्याय

राष्ट्रीय विद्रोह

१. विद्रोह के कारण

अठारह सौ सत्ताधन का राष्ट्रीय विद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसकी आग पहले से धीरे-धीरे सुलग रही थी। विद्रोह के कई वर्षों पहले से भारत में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन हो रहे थे। परन्तु १८५७ ई० के विद्रोह की विशेषता यह थी कि वह भारत को विदेशियों की हासला से मुक्त करने के लिये सबसे पहला सुसंगठित तथा हिन्दू और मुसलमानों की एकता से संघटित विद्रोह था। उसके अनेक कारण थे जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है :

(१) राजनीतिक कारण—भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के साथ साथ बहुत से राजवंश, उनके कर्मचारी और सैनिक बेकार हो गये। अपना पद, सम्मान और अधिकार जिन जाने से सभी असंतुष्ट थे। लार्ड डलहौजी की राजनीतिक नीतियों का फल उसके उत्तराधिकारी लार्ड कैनिंग को भोगना पड़ा। पुनरावर्तन के सिद्धान्त के प्रयोग का फल यह हुआ था कि छोटी, सतारा, नागपुर तथा सम्भलपुर भादि सही राज्यों के शासक अपने अपने राज्यों के जिन जाने से असन्तुष्ट हो गये थे और वे अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध मोर्चा बनाते द्यो थे। अन्ध का नबाव तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार असन्तुष्ट थे। नाना साहब की पैदाय वन्द्य हो जाने तथा दिल्ली के मुगल सम्राट महानुरशाह की गद्दी जिन जाने से उनके भी श्रेयस्की सीमा नहीं रही। इस प्रकार हिन्दू और मुसलमान सभी असन्तुष्ट थे और उन्होंने विद्रोह में लुककर योग दिया।

(२) सामाजिक और धार्मिक कारण—देश की साधारण जनता, विशेषतः हिन्दू, अंग्रेजी शासन में कानून के द्वारा किये गये सुधारों से बड़ी ही असन्तुष्ट थी। सती की प्रथा का अन्त, विधवाओं को विवाह करने की कानूनी सुविधा तथा हिन्दू धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों को स्वीकार करनेवाले लोगों की कानूनी रक्षा का जो प्रथम अंगरेजी शासन ने किया उससे हिन्दू जनता अत्यन्त आशांकित हो गयी। हिन्दू समझते द्यो कि अंग्रेज भारतवर्ष के समाज और धर्म को मिराने पर दृढ़ गये हैं। यही नहीं, लार्ड डलहौजी के समय में जो रेड, तार और डाक का प्रयोग प्रारम्भ हुआ उसमें कहर

भारतीयों को यहाँ की सभ्यता नष्ट करने की अंगरेजों की चाल दिखाई दी। ईसाई पादरियों के अशिष्ट व्यवहार तथा ईसाई धर्म फैलाने की प्रवृत्ति से भी श्लोक आशंकित हो गये थे। लार्ड डलहौजी ने अंग्रेजी सिपाय प्रान्त श्रेणियों को जो नौकरियों में प्राथमिकता देनी शुरू की उससे भी यहाँ यह दर हुआ कि भारतीय धर्म और भाषा को अंग्रेज मिदानी चाहते हैं। इन सबका फल यह हुआ कि असम्भूत जनता ने विप्लवकारियों का माप दिया।

(३) आर्थिक कारण—कम्पनी के शासन-काल में भारतवर्ष की आर्थिक दशा दिनोदिन खराब हो रही थी। देशी राज्यों को एक-एक करके जो अंग्रेजी सरकार ने हड़पा, तो धीरे-धीरे उन राज्यों के कर्मचारियों की भी दशा बिगड़ती गई। अधिकांश कर्मचारी और सैनिक नौकरियों से निकाल दिये गये और उनके रोटी के छात्रे पड़ने लगे। नये भूमि-प्रबंधों से जमेक जमींदारों की जमीनें छीन ली गयीं और ये बेरोजगार हो गये। ये चारे रईम अपनी मर्यादा सिपाहियों में असमर्थ होने लगे। नये-नये कानूनों के प्रयोग से किसानों की भी दशा दोचमीय हो गयी और ये अंग्रेज कलकत्तों तथा नये कर्मचारियों की पबरदस्ती से पिसने लगे। रुगान पसूली की कड़ाई भी कम नहीं थी। इसके अतिरिक्त भारतीय व्यापार और शिल्प भी चौपट हो रहा था। अंग्रेजी शासन का यह प्रयेय हो गया था कि भारत से अधिक से अधिक कच्चा माल इंग्लैण्ड की मिलों को भेजा जाय और उनमें बने हुये सामान इस देश में खपाये जायें। इसी प्रयेय से अंग्रेजों ने यहाँ का सारा शिल्प, उद्योग और व्यापार चौपट कर दिया और भारतवर्ष से अधिक से अधिक धन इंग्लैण्ड जाने लगा। देश निर्धन हो गया और गरीबी का अमन्तोष राष्ट्रीय विप्लव के रूप में देशमें को मिला।

(४) सैनिक कारण—कम्पनी के भारतीय सिपाही भी असम्भूत थे। उन्हें देश के भीतर तथा बाहर दोनों जगह दूर-दूर तक लड़ाइयों के किये जाना पड़ता था, परन्तु उसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त मंचा नहीं मिलता था। अंग्रेज सिपाही दिग्गुरतानी सिपाहियों का पमादा करत थे। यहाँ के सिपाहियों में यह भी दर था कि नये-नये मुपारों तथा कानूनों से अंग्रेज उनका धर्म मिदानी चाहते हैं। लार्ड कैनिंग के १८५९ ई० के एक कानून से सेना में जाति-वादि का सभी भेद मिटा दिया गया जितने सिपाहियों में बड़ा अमन्तोष फैला। इन सबके ऊपर कारतूसीवादी बदनामी जितने विप्लव की मुल्गती हुई जाग को बढ़का दिया। सिपाहियों को देशी कारतूस बँी गयी जिसे गाम और सुभर की चर्बी से पिक्का किया गया था और उसकी परत

को दांत से काटना पड़ता था। यह हिन्दू और मुसलमान दोनों ही के किये असह्य था, और उन्होंने स्थान-स्थान पर विद्रोह कर दिया।

२. विप्लव की तैयारी

विप्लव सिपाहियों का आकस्मिक विद्रोह हो ऐसी बात नहीं है। उसकी तैयारी बहुत दिनों से हो रही थी। नाना साहय, बहादुरशाह, वाजिद-अली शाह तथा जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह के गुप्तचर उनकी योजनाओं को लेकर सिपाहियों में पूरा प्रचार कर रहे थे। सभी मुख्य-मुख्य राज्यों में तथा जातियों में स्वातन्त्र्य-युद्ध का निमंत्रण पाँच सा रहा था और ऐसी योजना थी कि मई, सन् १८५७ ई० की ३१ तारीख को चारों तरफ एक ही बार विप्लव प्रारंभ किया जाय और अंग्रेजी शासन को समाप्त करके देश को स्वतंत्र घोषित किया जाय।



कुंवर सिंह

३. विप्लव की घटनाएँ

विप्लव की योजना अभी पूरी भी नहीं हो पायी थी कि उठावठे और नयी कारदूसों से असन्तुष्ट सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। २९ मार्च १९५७ ई० को बंगाल की एक टुकड़ी ने बाराकपुर में मंगल पाण्डे के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया परन्तु उसे अंग्रेजों ने दबा दिया। मंगल पाण्डे को फाँसी दी गयी। इसके बाद अंग्रेज विद्रोही सिपाहियों को पाँचे कहने लगे। १० मई सन् १८५७ ई० को मेरठ में एक हिन्दुस्तानी टुकड़ी ने विद्रोह किया। उनमें कुछ सामी को कैद में डाल दिये गये थे, जेठ में से जबरदस्ती बाहर निकाल दिये गये। कुछ युरोपीय अफसरों का बध करके मेरठ पर उन्होंने पूरा कब्जा पा लिया तथा वे दिल्ली की ओर बढ़ गये। यहाँ से विप्लव प्रारंभ हो गया उन्होंने दिल्ली आकर यहाँ की सेना को भी अपनी ओर मिला लिया। दिल्ली पर अधिकार करके यहाँ रहे मुगल बादशाह बहादुरशाह को भारतीय सम्राट् घोषित कर दिया गया। बहादुरशाह की बेगम अमीनतमहल ने उनका

पूरा साथ दिया। इसके बाद अखण्ड सीमा ही विदेशी सैनिकों तथा अण्डों में फैल गया। परन्तु इसकी सबसे भयंकर

दशा १७६१ ई. में उत्पन्न



कलकत्ता तथा पंजाब में भड़की। भारतीय सिपाहियों ने सप अण्ड खोजे। विदेशी युद्ध शुरू कर दिया। पुनर्व्यवस्था में शौरी की शक्ति ने विदेशियों को नेतृत्व करते हुये अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। बहुत से अंग्रेजों को हारे गये। परन्तु सबसे भयंकर घटना कानपुर में हुई। वहाँ माता सप के भाजा से अंग्रेज घेर किये गये थे। अण्ड में अंग्रेजी सेनापतियों के प्रताप तथा बाल-युद्ध सबकी शरणाओं से कपकर प्रतिशोध की भावना से अण्ड



महाराजराज



सीमात महल

पूरा साथ दिया। इसके बाद अत्यंत सीमा ही विद्रोह दहेलखण्ड, मध्यभारत, तथा अवध में फैल गया। परन्तु इसकी सबसे भयंकर वहाला अवध, कागपुर,



कानगड तथा बनारस में भड़की। भारतीय विप्रादियों ने सब अगद अंद्रेजों के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। बुन्देलाखण्ड में हौली की राजी ने विद्रोहियों का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों का कर्षा मुकाबला किया। बहुत से अंग्रेज मार खाते गये। परन्तु सबसे भयंकर अदना कागपुर में हुई। वहाँ नाना सादर की आजा से अंग्रेज घेर लिये गये थे। अवध में अंग्रेजी सेनापतियों के आवाचार तथा बाह-बूह सबकी दावाओं से ऊपर प्रतिशोध की आयना से अताकते

गये। नर्मदा नदी के दक्षिण विद्रोह की भावना नहीं फैल पायी थी। साठ भर के भीतर विद्रोह बिचकड़ दबा दिया गया। कौंसी की रानी बीरतापूर्वक लड़ती हुई युद्ध में काम आयी। ताम्बो टोपे को अंग्रेजों ने प्राणदण्ड दे दिया तथा नाना साहब को विवश होकर नेपाल की ओर भाग जाना पड़ा। अंग्रेज विप्लव को पूर्ण रूप से दबा सकने में सफल हुए।

४. विप्लव की असफलता के कारण

(१) विप्लव का देशव्यापी न होगा—सन् १८५० के राष्ट्रीय विद्रोह की असफलता के अनेक कारण थे। विद्रोह पूर्ण रूप से देशव्यापी नहीं था। वह देश के कुछ भागों में ही सीमित रहा। बंगाल, पंजाब तथा दक्षिण में सेनायें बिचकड़ शांत रहीं। बम्बई और मद्रास में विद्रोह का ओर नहीं हुआ। भारत के अनुगृहीत राजाओं ने अंग्रेजी सरकार का साथ दिया और उनकी राजमर्ति से अंग्रेजी साम्राज्य को नष्ट होने से बचाया। ग्वाल्दियर के राजमंत्री दिनकरराय ने अंग्रेजों की पूरी मदद की। हैदराबाद के सालार जंग ने भी अंग्रेजों की सहायता की। उनके अकाश पंजाब के सिक्खों ने विद्रोह की मदद को नहीं समझा। उन्होंने अपनी हाक की हार को भी भुला दिया और अंग्रेजों के मित्र बने रहे। नेपाल के शासक जङ्गयहापुर ने भी अंग्रेजों की ही मदद की। उधर अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मुहम्मद ने अंग्रेजों से अपनी मित्रता निभायी और उत्तरी-पश्चिमी दिशा से अंग्रेजी साम्राज्य को कोई भी भय नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में विद्रोह बहुत दिन चलता अथवा सफल होता यह असंभव था।

(२) योजनाओं की कमी—एक तो कोई पूरी योजना तैयार न थी, दूसरे विद्रोह की योजनाओं के कार्यान्वय में भी गड़ती हुई। मेरठ के सिपाहियों ने उतावलेपन का परिचय दिया। प्रथम योजना यह थी कि विद्रोह ३१ मई १८५० ई० को प्रारंभ किया जाय, परन्तु उसे सिपाहियों ने अपने विद्रोह के द्वारा १० मई को ही प्रारम्भ कर दिया। अभी और भी तैयारियाँ करनी थीं जो पूरी न हो सकीं और फलतः विद्रोहियों की योजनाओं में एकता का अभाव हो गया।

(३) नेतृत्व और युद्ध-सामग्री की कमी—विद्रोहियों के पास योग्य नेतृत्व और युद्ध की सामग्रियों का अभाव रहा। वहाँ एक ओर अंग्रेजों की लारेंस, मिकल्सन, आउटरैम, हीघलाक और मील जैसे सेनापतियों की सेनायें प्राप्त थीं, वहाँ बिष्कयकारी हल में उमकी बराबरी करने वाले लोगों की कमी थी। दिग्गुप्त वीरता तो अक्षय थी परन्तु आधुनिक युद्ध के लिए

हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने कुछ अंग्रेज परिवारों का घबरा दिया। विद्रोहियों ने छत्रगढ़ की रेजीडेन्सी पर भी अधिकार कर लिया।

दिल्ली से लेकर अवध तक विद्रोहियों का पूरा अधिकार हो गया। दिल्ली में हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने बड़ी वीरता दिखायी और अंग्रेजों की १० हजार सेना के बावजूद वे वहाँ दटे रहे। परन्तु पंजाब के सिखों से अंग्रेजों को बड़ी मदद मिली और निकलस्तान की पहादुरी से वे दिल्ली पर पुनः बह आये। फरमीरी दरवाजा उड़ा दिया गया तथा शहर पर अधिकार हो जाने के बाद अंग्रेजी सेना ने विद्रोहियों के साथ हजारों गिरिह लोगों का घबरा दिया। बहादुरशाह और उसके लड़के कैद कर लिये गये। बहादुरशाह पर मुकद्दमा चलाया गया तथा उसे कैद करके रंगून भेज दिया गया, जहाँ वह कैद में ही १८६२ ई० में मर गया। उसके लड़कों को अंग्रेजों ने मार डाला।

दिल्ली पर अधिकार हो जाने के बाद अंग्रेजी सेनाओं ने चीरे चीरे बिहार, बनारस, इलाहाबाद, छत्रगढ़, और कानपुर आदि स्थानों पर भी अधिकार पा लिया। विद्रोहियों ने अंत में मरवाभारत और मुन्डेछात्रगढ़ में अपना भ्रष्ट



लॉया टोपे



रानी लक्ष्मीबाई

जमाया और लॉया टोपे तथा लॉलो की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक युद्ध किया परन्तु अंत में सिंधिया की सेनाओं ने अंग्रेजों की मदद की और वे हार

गये। नर्मदा नदी के दक्षिण विद्रोह की भावना नहीं फ़ैल पायी थी। साठ मर के भीतर विद्रोह बिल्कुल दबा दिया गया। छॉसी की रानी बीरतापूर्वक लड़ती हुई युद्ध में काम आयी। साथीयों को अंग्रेजों ने प्राणवन्द दे दिया तथा माना साहब को दिवस होकर नेपाळ की ओर भाग जाना पड़ा। अंग्रेज विप्लव को पूर्ण रूप से दबा सकने में सफल हुये।

४. विप्लव की असफलता के कारण

(१) विप्लव का देशभ्यापी न होगा—सन् १८५० के राष्ट्रीय विद्रोह की असफलता के अनेक कारण थे। विद्रोह पूर्ण रूप से देशभ्यापी नहीं था। यह देश के कुछ भागों में ही सीमित रहा। बंगाल, पंजाब तथा दक्षिण में सेनायें बिल्कुल शांत रहीं। पम्बई और मद्रास में विद्रोह का जोर नहीं हुआ। भारत के अनुसूचित राजाओं ने अंग्रेजी सरकार का साथ दिया और उनकी राजभक्ति ने अंग्रेजी साम्राज्य को नष्ट होने से बचाया। ब्वालियर के राजमंत्री दिनकरराव ने अंग्रेजों की पूरी मदद की। हैदराबाद के सासुतार अंग ने भी अंग्रेजों की सहायता की। उनके भलाका पंजाब के सिक्खों ने विद्रोह की मदद को नहीं समझा। उन्होंने अपनी हाल की हार को भी भुलवा दिया और अंग्रेजों के मित्र बने रहे। नेपाळ के शासक जङ्गबहादुर ने भी अंग्रेजों की ही मदद की। उधर अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मुहम्मद ने अंग्रेजों से अपनी मित्रता निमायी और उत्तरी-पश्चिमी दिशा से अंग्रेजी साम्राज्य को कोई भी भय नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में विद्रोह बहुत दिन चलता अथवा सफल होता यह असंभव था।

(२) योजनाओं की कमी—एक तो कोई पूरी योजना तैयार न थी, दूसरे विद्रोह की योजनाओं के कार्यान्वय में भी गलती हुई। मेरठ के सिपाहियों ने उतावलेपन का परिचय दिया। प्रथम योजना यह थी कि विद्रोह ३१ मई १८५० ई० को प्रारंभ किया जाय; परन्तु उसे सिपाहियों ने अपने विद्रोह के द्वारा १० मई को ही प्रारंभ कर दिया। अमी और भी तैयारियाँ करनी थी जो पूरी न हो सकी और फलतः विद्रोहियों की योजनाओं में एकता का अभाव हो गया।

(३) नेतृत्व और युद्ध-सामग्री की कमी—विद्रोहियों के पास योग्य नेतृत्व और युद्ध की सामग्रियों का अभाव रहा। जहाँ एक ओर अंग्रेजों को खार्ल्स, निकुस्सन, ब्राउटनरैम, दीघलाक और नील जैसे सेनापतियों की सेनायें प्राप्त थीं, वहीं विप्लवकारी दृक में उनकी बराबरी करने वाले लोगों की कमी थी। डिफ़्ट बीरता तो अवरय थी परन्तु आधुनिक युद्ध के लिए

योजनापूर्वक कौशल का अभाव लटकने की बात थी। यही नहीं, युद्ध की सामग्रियों की भी उनके पास कमी थी। आधुनिक युद्ध की आवश्यकताएँ क्या हैं यह उन्हें मालूम नहीं था। अंग्रेजों ने तोप, गोले और बंदूकों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया और आधुनिक विज्ञान की वस्तुओं—रेड, तार और टाक से पूरा लाभ उठाया। विद्रोहियों ने उपयुक्त सामग्रियों की विशेषता की ओर ध्यान न देकर अपने पुराने हथियारों पर ही भरोसा किया, जो घातक सिद्ध हुआ। उन्होंने किसी विदेशी शक्ति को अपनी ओर मिटाकर उसमें सहायता देने का प्रयत्न भी नहीं किया।

(४) व्यवस्था का अभाव—आंदोलनकारियों के द्वारा विभिन्न प्रदेशों पर सुम्पधन्य और शासन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया गया। इसमें जनता में विश्वास की कमी हो गयी। परन्तु यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि उन्होंने युद्ध में बर्बरता परती। अंग्रेज स्वयं भी जयमें जयसे पीछे नहीं थे। इतना अवश्य है कि लाई कैमिंग और जॉन टार्लस की उदार नीति का कुछ प्रभाव हुआ और उन्होंने प्रतिकार और बर्बरता न लेकर शांति की कल्पना स्थापना में योग दिया। खाधारण जनता शांति ही चाहती है और अंग्रेजी शासन ने सुविधाएँ से उन्हें अपनी ओर कर लिया।

५. विप्लव के परिणाम

(१) विप्लव के महत्वपूर्ण परिणाम हुए। भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ाई का प्रयोग किया। उसमें असफल होने के कारण जनता विचार बदला और वे संवैधानिक प्रजातियों की ओर मुड़े, पार्लियामेंट उदाहरणों से कम्पनी लोगों को अंग्रेजी सरकार के सामने रखना और संवैधानिक आन्दोलन को उन्होंने अपना स्वरूप बनाया। अंग्रेजी सरकार ने भी हमल-नीति को छोड़कर शासन के क्षेत्र में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया। जितना साम्राज्य है क्या कुछ से उसी से संतोष करना उन्होंने उचित समझा और देशी राज्यों की सहायता शक्ति को मरु करना बंद कर दिया। सबका सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने आनेवाले दशकों में कौंसिलों में गैरसरकारी भारतीयों को रखा।

(२) कम्पनी का अंत—विप्लव से ईंगलैंड की अंग्रेजी सरकार की आँखें खुल गईं। यहाँ कम्पनी के विज्ञान साम्राज्य का महत्व समझा जाने लगा और यह आयात उभरने लगी कि अंग्रेजों की सहायता की शक्ति उसमें नहीं है। कहना कम्पनी को भारतवर्ष के शासन के लिए क्या साम्राज्य

नहीं दिया गया। यहाँ का शासन सीधे अंग्रेजी राजमुकुट के अधिपत्य से लिया गया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा कम्पनी का अंत कर दिया गया तथा 'कण्ट्रोल्स-बोर्ड' को तोड़ दिया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक भारतमंत्री की व्यवस्था की गयी, जिसे भारतवर्ष के शासन को चकाने का अधिकार दिया गया। उसको परामर्श देने के लिए १५ व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की गयी। भारतवर्ष के गवर्नर जनरल की वाइसराय की उपाधि दी गयी और वह भारतमंत्री की राय से भारत को शासन चकाने लगा। प्रथम वाइसराय लार्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार करके महारानी विक्टोरिया का घोषणा-पत्र सुनाया। उसमें यह विश्वास दिखाया गया कि जाति, धर्म और रंग के कारण भेद न कर सबको समान अवसर दिया जायेगा।



३८ अध्याय

सांविधानिक विकास

१. पार्लियामेंट का अधिष्ठाता.

१८५७ ई० के राष्ट्रीय विद्रोह के बाद इंग्लैंड की कम्पनी भारतवर्ष की शासक न रही। सत्ताही बिक्टोरिया ने यहाँ का शासन अपने हाथों में ले लिया और उसकी ओर से पार्लियामेंट का पूरा अधिकार इस देश पर स्थापित हो गया। भारतसंबंधी मामलों के लिए अंग्रेजी मंत्रिमंडल में एक भारत-मंत्री नियुक्त किया गया तथा गवर्नर जनरल को वाइसरॉयकी उपाधि मिली।

२. इण्डिया कौंसिल एक्ट (१८६१ ई०)

कम्पनी के काल में भारतवर्ष के शासन को चलाने का मुख्य भार अंग्रेजों के ही ऊपर था और भारतीयों को कोई भी अधिकार नहीं था। परंतु राष्ट्रीय विद्रोह से यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज भारतीयों की राय लाने बिना मजबूत-पूर्वक यहाँ शासन नहीं कर सकते। इस कमी को पूरा करने के लिये १८६१ ई० में एक कौंसिल एक्ट पास किया गया। इसके द्वारा गवर्नर जनरल की कौंसिल के सदस्य की संख्या चार से पाँच कर दी गयी तथा उसके अधिकारों में वृद्धि की गयी। भारतवर्ष पर लागू होने वाले कानूनों को बनाने के लिए गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि यह कम से कम और अधिक से अधिक बारद सदस्यों को मनोनीत करे। इसमें कम से कम आधे व्यक्ति गैरसरकारी हों, ऐसी व्यवस्था की गयी। परंतु गैरसरकारी सदस्यों को केवल मुसाल देने का अधिकार था तथा उनका विशेष प्रभाव होना कठिन था। इस देश के अनुसार एगवर्ड और मद्रास की सरकारों को भी कानून बनाने का अधिकार मिला और यहाँ की कौंसिलों में भी गैरसरकारी सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गयी। परंतु उनका अधिकार बहुत सीमित था और गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना यहाँ की सरकारें कोई भी कानून नहीं बना सकती थीं।

३. इण्डियन प्रोविंस एक्ट (१८९२ ई०)

१८९१ ई० के कौंसिल एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कौंसिल को जो अधिकार मिला उनके द्वारा यहाँ शासन संबंधी अनेक कानून पास करने

गये। परन्तु उगका कभी-कभी भारतीयों की राजनीतिक चेतना द्याने के लिए भी उपयोग किया गया। इन दमनकारी कानूनों के विरुद्ध तथा शासन में भारतीयों के लिए और अधिक भाग प्राप्त करने के हेतु यहाँ आवाज उठ रही थी। १८८५ ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हो चुका था और उसके नेता सुधारों के लिए प्रयत्न कर रहे थे। इन बातों का ध्यान करके १८९२ ई० में कौंसिल ऐक्ट पास किया गया। उसके अनुसार भारतीय और प्रांतीय व्यवस्थापक-समाजों की सदस्य-संख्या बढ़ा दी गयी। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वे आवश्यकता अनुसार सदस्यों को मनोनीत करने के संबंध में कानून बना सकते हैं और निर्वाचन भी करा सकते हैं। फलस्वरूप लार्ड लैसडाउन के समय में अग्रस्थ निर्वाचन की प्रणाली बकायी गयी। कौंसिल के सदस्यों को धार्य-व्यय पर वहुत करने का भी अधिकार दिया गया, परन्तु उसपर वे मतदान नहीं कर सकते थे। कौंसिल के सदस्य शासन संबंधी प्रश्न पूछ सकते थे। परन्तु इस सुधार कानून से भारतीयों को पूरी संतुष्टि नहीं हुई और राजनीतिक आंदोलन उग्र रूप पकड़ने लगा।

४. मॉर्ले-मिण्टो सुधार (१९०९ ई०)

ऊपर कहा जा चुका है कि १८९२ ई० के कौंसिल-ऐक्ट से भारतीयों को संतोष नहीं हुआ। यद्यपि राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल उसे स्वीकार करके भागे चलने के पक्ष में था, परन्तु दूसरी ओर गरम दल के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे पूरा-पूरा ठुकरा दिया और उग्र आंदोलन की चर्चा होने लगी। इसी बीच लार्ड कर्जन भारतवर्ष के गवर्नर जनरल और वाइसराय होकर भाये और उन्होंने अपने कार्यों से भारतीय जनता को बहुत काफ़ी मज़क़ा दिया। उनके शासन कार्यों में सबसे मुख्य बंगाल का विभाजन था, जिसे उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को विभक्त करने की दृष्टि से किया था। कांग्रेसों की यह नीति हो गयी थी कि भारतवर्ष में स्वयंप्रयायवाद को प्रोत्साहन देकर बम्बर-बॉट की नीति से शासन किया जाय। सर सैयद अहमद और आगाख़ाँ ने उनका साथ दिया। इन झुंझारों के फलस्वरूप यहाँ उग्र आंदोलन बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेसी सरकार ने पुनः कुछ सुधारों के द्वारा भारतीय जनता को संतुष्ट करना चाहा और १९०९ ई० में मॉर्ले-मिण्टो सुधार कानून पास किया गया। लार्ड मिण्टो उन दिनों भारतवर्ष के गवर्नर जनरल थे और उनकी सिफारिशों पर लार्ड मॉर्ले ने जो भारतमंत्री थे सुधारों की व्यवस्था की। इसी कारण से इस सुधार को मॉर्ले-मिण्टो

सुधार कहते हैं। इस सुधार कानून के द्वारा यहाँ शासन स्वरूप में अनेक परिवर्तन किये गये। भारतवर्ष के लोग भारतीय कौंसिल तथा गवर्नर जनरल की कौंसिल के सदस्य-नियुक्त किये जाने लगे। भारतीय और प्रांतीय स्वरूपायक सभाओं की सदस्य-सदया बढ़ा दी गयी। प्रांतीय स्वरूपायक-सभाओं में गैरसरकारी सदस्यों की संख्या अधिक कर दी गयी। गैरसरकारी सदस्यों में कुछ तो चुने जाते थे और कुछ मनोनीत किये जाते थे। परन्तु इस ऐक्ट की सत्यसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें न्यायविधि प्रतिनिधित्व का मिश्रित मान दिया गया तथा हिन्दू और मुसलमानों के प्रतिनिधियों को अलग-अलग चुनने की व्यवस्था की गयी। गिर सपार्थ के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका फल यह हुआ कि देश की एकता धीरे धीरे नष्ट हो गयी और मुसलमान अपने को हिन्दुओं से बिल्कुल अलग समझने लगे। भारतवर्ष के नरम दलीय राजनीतिज्ञों ने तो इस सुधार-कानून का स्वागत किया, परन्तु गरम दलीय लोगों ने इसे अपर्याप्त मानकर इसे टुकरा दिया। देश में अतंकवादियों का जोर बढ़ गया और सरकारी अफसरों की, विद्वानों, पत्रकारों और संसद में, हरबायें होने लगीं। उनको दवाने के लिए अनेक हमसकारी कानून बनाये गये। इसी बीच १९१४ ई० में प्रथम विश्वयुद्ध फिफ जामे से परिस्थिति और भी कठिन हो गयी। नरम दल के नेता अंग्रेजी सरकार को युद्ध के दिनों में संघ करना नहीं चाहते थे और अपनी राजमक्ति प्रकट करने के लिए जर्मनी युद्ध में उनका साथ भी दिया परन्तु गरम दल के नेता अंग्रेजी सरकार ही महायुद्ध करने हुए भी यह चाहते थे कि भारतवर्ष को स्वराज्य प्राप्त हो जाय। अंग्रेजी सरकार भी यह चाहने लगी कि युद्ध में भारतीयों का पूर्णरूप से सहयोग प्राप्त किया जाय और पुनः एक बार १९१७ ई० में भारतवर्षी माण्टेग्यू महासभ ने सुधार की चर्चा प्रारंभ की। वे भारतवर्ष के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के विमर्श पर यहाँ जाये और उनसे परामर्श करके लौट गये। मर्च १९१९ ई० में माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड ऐक्ट पास हुआ।

५. माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (१९१९ ई०)

इस सुधार-कानून के द्वारा शासन सम्बन्धी विषयों के दो भाग किये गए। परराष्ट्रनीति, सेना और वार्तावहन के मामल केन्द्रीय विषय माने गये और पुलिस, जेल, स्थानीय स्वराज्य तथा शिक्षा आदि प्रांतीय विषय स्वीकृत किये गये। इस ऐक्ट के द्वारा भारतवर्ष में केन्द्रीय शासन-सम्बन्धी कर्तुं बरा परिपूर्ण नहीं किया गया। गवर्नर जनरल और उमरी कौंसिल के द्वारा अब

भी शासन होता रहा। केन्द्रीय व्यवस्थापक-मण्डल की अवधि तक एक ही सभा थी, अब उसकी दो समायें कर दी गयीं। छोटी सभा का नाम राज्य-परिषद् (कौंसिल ऑफ स्टेट) और बड़ी सभा का नाम व्यवस्थापिका-सभा (फेडरल कौंसिल ऑफ इंडिया) रखा गया। इनके सदस्यों की संख्या क्रमशः १० और १२४ रखी गयी। निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गयी, परन्तु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा अब भी बनी रही।

१९१९ ई० के सुधार-कानून के द्वारा प्रान्तों में उत्तरदायी सरकार को जन्म दिया गया। प्रान्तीय विधियों में भी दो भाग किये गए। कुछ विषय ऐसे थे जिन्हें 'संरक्षित' (रिजर्वेड) संज्ञा दी गयी, जैसे—कोष, पुलिस और जेल आदि। इनका शासन प्रान्तीय गवर्नर अपनी कौंसिल की सहायता से चलाता था। दूसरे विषय थे जिन्हें 'हस्तांतरित' (ट्रांसफर्रेड) कहा जाता था। शिक्षा, आदकारी और स्थानीय स्वराज्य आदि हस्तांतरित विषय माने गये। इनका शासन उत्तरदायी मंत्रियों की राय से गवर्नर चलाता था। मंत्री लोग प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते थे। प्रान्तों में इस प्रकार की प्रचलित शासन-प्रणाली को द्वैध शासन-प्रणाली कहा गया और इसके कई दोष थे। सबसे मुख्य बात यही थी कि उत्तरदायित्व और अधिकार के पद मंत्रियों को नहीं दिये गये और उनपर अंग्रेजी गवर्नरों का अधिकार बना रहा। मंत्रियों को केवल वे ही विषय दिये गये जो व्यवस्थित तथा अधिकारहीन थे और इस प्रकार यह उत्तरदायी शासन की पैल झूठी साबित हुई।

६. संघ शासन-विधान (१९३५ ई०)

१९१९ ई० के सुधारों से भारतीयों को बिल्कुल संतोष नहीं हुआ और उसके बाद लगभग १५ वर्षों तक महारमार्गाधी के नेतृत्व में देशमें उग्र आन्दोलन होता रहा। अंग्रेजी सरकार एक तरफ ज्ज्यादेशों और दमनकारी कानूनों द्वारा आन्दोलन को दबाती रही परन्तु दूसरी ओर भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए कुछ सुधारों की भी योजना बनाती रही। अनेक गोकमेज परिषदों तथा अंग्रेजी सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप १९३५ ई० में संघ-विधान अंग्रेजी पार्लियामेंट ने पास किया। सरकार की ओर से कुछ आभासनों के मिलने पर कांग्रेस ने भी इस विधान को स्वीकार कर लिया तथा उस पर अमरुत करने का बचन दिया। १९३० ई० से उस विधान का बहुत बड़ा भाग लागू भी हो गया। इस संघ-विधान की अनेक विशेषतायें हैं। १९१९ ई० के सुधार विधानों तक केवल अंग्रेजी भारत की ही चर्चा की जाती थी

और जो भी कानून पाप होते थे, वे वहीं लागू होते थे। परन्तु अब ऐसी राज्यों के सम्बन्ध में भी सोचा जाने लगा और यह विचार और पक्कता तथा हि सारे देश का एक संघ-शासन-विधान तैयार किया जाय। उसके परिणाम स्वरूप यह विधान तैयार हुआ और उसमें ऐसी रियासतों को भी शामिल करने का प्रयत्न किया गया। अंग्रेजी भारत के गवर्नरों के प्रांत इस विधान में भारतीय संघ की इकाई माने गये। कुछ मुख्य विषय केंद्रीय सरकार के अधिकार में रखे गये परन्तु कई विषयों में प्रांतों को स्वतंत्रता दी गयी। पचास केंद्र में उत्तरदायी शासन नहीं स्थापित किया गया परन्तु प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गयी। भारतवर्ष के प्रायः सभी मुख्य राजनीतिक दलों ने चुनाव में भाग लिया और अनेक प्रांतों में उत्तरदायी मंत्रिमण्डल बने जो अधिकांशतः कांग्रेस के हाथ में रहे। इस बलों के अलावा सारे देश में उच्च न्यायालयों की अपीलों को सुनते तथा सामान्य न्यायधी विचारों के निपटारे के लिये एक संघीय न्यायालय (फेडरल कोर्ट) की भी स्थापना की गयी। अपीलों को सुनने के अधिकार के अलावा संघीय न्यायालय का मौखिक अधिकार-श्रेय भी था।

१९१० ई० में भारतीय संघ विधान के अनुसार प्रांतों में मंत्रियों के द्वारा जो उत्तरदायी शासन प्रारम्भ हुआ यह बहुत दिनों तक नहीं चल सका। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने स्वतंत्रता की नीति धरतया प्राप्तग किया और कई अवसरों पर गवर्नर के विशेषाधिकारों से उनकी मुठभेड़ हुई। अन्ततः अन्त में वैधानिक संघट उपरिष्ठा होते रहते थे और मंत्रिमंडल त्यागपत्र देने पर तृप्त जाते थे। परन्तु गवर्नरों की प्रवृत्ति धीरे-धीरे अलग-अलग हो सामने की ओर हो गयी और १९१९ ई० तक उत्तरदायी मंत्रिमंडल प्रांतों में चलते रहे। उस वर्ष जब द्वितीय विश्वयुद्ध विराम गया और अंग्रेजी सरकार ने भारतवर्ष की राय जाने बिना भी अब इस देश को मुहतास कोविन कर दिया तो देश के अनेक प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने महात्मा गांधी की राय पर अग्रता स्थापन रायवर्षों के सम्मुख उपरिष्ठा कर दिया। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष को युद्ध में अग्रदस्ता नीचने का निरोध दिया और धीरे-धीरे कांग्रेसी मंत्रिमंडल की ओर उग्रता होने लगा।

उपर सुसन्निभ लीग और मुहम्मदमसी जिद्दा के नेतृत्व में अधिकांश मुसलमान देश के अग्रारों और पारिष्ठा की स्थापना की गीता उद्यम लगे। देश में साम्यवादिता का जोर हुआ अतः अधिब बर गया कि सर्वत्र हिन्दू-मुसलमानों के आपसी हित होने लगे। देश की राजनीतिक परिस्थिति अग्रदस्ता से अग्रत गयी। परन्तु अंग्रेजी सरकार युद्ध में भारतवर्ष की अग्रदस्ता

से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगी और १९४० ई० में सर स्टैफर्ड क्रिप्स इंग्लैण्ड से भारतवर्ष समझौते का मार्ग ढूँढने के लिये भेजे गये। उन्होंने कांग्रेस, मुसलिम-लीग तथा सिक्कों से महीनों परामर्श किया परन्तु समझौते का कोई मार्ग नहीं निकल सका। उन्होंने भारतीय संघ की एक धपनी भी योजना प्रस्तुत की, परन्तु उसे हिन्दुस्तान के किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने स्वीकार नहीं किया। सर स्टैफर्ड क्रिप्स काही दायों इंग्लैण्ड लौट गये और भारतवर्ष की राजनीति उलझी ही रही।

महात्मा गांधी ने धीरे-धीरे देश को आन्दोलन के छिपे प्रस्तुत करने प्रारंभ कर दिया और १९४२ ई० में उन्होंने 'भारत छोड़ो' का नारा उठाया। अगस्त के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिनों में जबई में कांग्रेस की अखिलभारतीय समिति की उत्तेजनापूर्ण बैठक हुई और अंग्रेजी नौकरशाही ने भाषी भय की चिन्ता से महात्मा गांधी के साथ सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सारे देश में इन गिरफ्तारियों के प्रतिक्रिया-स्वरूप आन्दोलन बढ़ गये और कहीं-कहीं अनुचित रक्तपात, हिंसा और छड़मार भी हुई। लार्ड लिनलिथगो ने जो उन दिनों भारतवर्ष के गवर्नर जनरल थे, आन्दोलन को बड़ी बर्बरता से दबाया और दो वर्षों तक दमन चलाता रहा। १९४४ ई० में लार्ड घायेल भारतवर्ष के गवर्नर जनरल बनाकर भेजे गये और उन्होंने पुनः समझौते का प्रयत्न शुरू किया। कांग्रेस के नेता जेठों से छोड़ दिये गये। नेताओं और प्रमुख राजनीतिक दलों की अनेक समारोहों की गर्धी क्षममें क्षमका की सभा सबसे मुख्य रही परन्तु कोई समझौता नहीं हो सका।

इंग्लैण्ड की मजदूर-सरकार ने पार्लियामेंट के १० सदस्यों का एक मंडल भी भारतवर्ष भेजा, जिसने पह राय दी कि भारतवर्ष पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के योग्य है। अंत में अंग्रेजी मंत्रिमंडल के ३ सदस्यों का एक प्रतिनिधि-मंडल भारत मंत्री लार्ड पेथिक लार्ड्स के नेतृत्व में भारत आया जिसने कुछ आचारों के साथ भारतवर्ष का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की योजना प्रस्तुत की। 'कैबिनेट-मिशन' की सिफारिशों को यहाँ के राजनीतिक दलों ने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया, परन्तु कांग्रेस ने संविधान-सभा में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया और १९४६ ई० में डा० राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में संविधान की बैठक भी प्रारंभ हो गयी। मुस्लिम लीगने उसमें हिंसा नहीं किया और जिन्ना महोदय पाकिस्तान की माँग पर अड़े रहे। ऐसा स्पष्ट हो गया कि देश का बँटवारा होकर ही रहेगा।

७ भारतीय स्वतंत्रता का विधान

(प्लेफट आफ इण्डिया इण्टिपेण्डेन्स; १९४७ ई०)

सुलाई सन् १९४७ ई० में अंग्रेजी पार्लामेण्ट ने भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिये विधान पार किया। उसके द्वारा १४ अगस्त सन् १९४७ ई० को भारतवर्ष में अंग्रेजी सत्ता का अंतिम दिन मान लिया गया और १५ अगस्त को सत्ता इस्तामतरण की तिथि घोषित की गयी। भारतवर्ष का बँटपारा भी स्वीकृत हुआ और भारत तथा पाकिस्तान नामक दो देशों की स्वतंत्रता स्वीकार करते हुए उन दोनों को 'डोमिनियन' (उपनिवेश) का पद दिया गया। दोनों नये देशों के मने संविधान बनाने के लिये संविधान-सभाओं को पूर्ण अधिकार दिये गये। उन्हें यह स्वतंत्रता दी गयी कि वे चाहे अंग्रेजी कामनवेल्थ (राष्ट्रमण्डल) में रहें अथवा पूर्ण स्वतंत्र हो जायें। अंग्रेजी पार्लामेण्टको भारत के लिये कानून बनाने का अधिकार अब नहीं रहा और उन कार्य के लिये भारतीय विधान-सभा प्रमुखता मानी गयी। भारतवर्ष में अंग्रेजी भारत तथा देशी राज्यों पर से अंग्रेजी सरकार की सत्ता उठ गयी। अब तक नया संविधान बन न जाय तब तक के अंतरिम कालमें १९१५ ई० के विधान को ही लागू माना जाय ऐसी व्यवस्था की गयी। हाँ, उसमें भारतीय स्वतंत्रता के इस संविधान (१९४७ ई०) के कारण होने वाले परिवर्तनों को मान लिया गया तथा गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों के विशेषाधिकारों और विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया। इस तरह इस विधान से भारतवर्ष की स्वतंत्रता को वैधानिक रूप मिल गया। १५ अगस्त को ब्रिटिश पार्लामेण्ट ने भारत को शासन का पूर्ण अधिकार सौंप दिया।

लार्ड माउण्टबेटन भारतवर्ष के प्रथम गवर्नर जनरल बनावे गये। बंगाल में जनरलरायी मंत्रिमंडल स्थापित हुआ और पंक्षित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रांतों में भी जनरलरायी कौंसिली मंत्रिमंडल की स्थापना हुई। केंद्रीय संविधान-सभा ही बंगाल के लिये पारलामेण्ट सभा मानी गयी और प्रांतीय पारलामेण्टों की स्थापना भी हुई, जिनका १९५१ ई० में शुभाव हो सका था। देशी राज्यों को बटपारे के समय यह स्वतंत्रता दी गयी थी कि वे चाहे दिण्डुगान अथवा पाकिस्तान से मिल जायें। भारतवर्ष की भूमि से विद्रोह और दिण्डु बद्रुल जनता वाले राज्यों ने भारत से मिलने में रहर नहीं की। परन्तु हैराबाद के निजाम ने मुगलियन राजाकारों के प्रभाव में बाहर भारत से मिलने में बहुत दिनों तक आकांक्षी की और तब तक तथा बुद्धि का प्रयुक्त कर इतराजिता दितायी। अगस्त १३ गिनंत १९४६ को सरदार पटेल ने, जो अब दिनों भारत सरकार के

उपमन्त्री और राज्य-मंत्री थे, हैदराबाद पर पुकिस काररबाई की आज्ञा वे ही और निजाम को घुटने टेकने पड़े। मेजर जनरल चौधरी की प्रयागता में वहाँ कुछ दिनों तक सैनिक शासन चला, परंतु अंतमें वहाँ भी उत्तरदायी शासन हो गया। हैदराबाद के अलावा पाकिस्तान ने कारमीर के संबंध में भी एक प्रश्न खड़ा कर दिया। कारमीर को हड़पने की नीयत से पाकिस्तान ने कबायक्तियों की आड़ में उस पर आक्रमण कर दिया, परन्तु २४ अक्टूबर सन् १९४७ ई० को वहाँ के राजा ने भारत से संधि कर ली और भारत ने उसकी रक्षा के लिये भारतीय सेनाओं को भेजा। कुछ ही दिनों में भारत ने गवर्नर जमरुल माउन्टबेटन की राय से पाकिस्तान के विरुद्ध संयुक्त-राष्ट्र-संघ में शिकायत की। इस विश्व-संस्था की सुरक्षा-समिति की ओर से कारमीर समस्या की वास्तविक स्थिति की जानकारी और उसे हल करने के उपायों पर विचार करने के लिये अनेक आयोग आये परन्तु उनके प्रतिवेदनों का अन्ततक कोई परिणाम नहीं निकला है। पाकिस्तान का कारमीर के छगमग एक तिहाई भाग पर अब भी सैनिक कब्जा है और मुख्यतः इसी कारण कारमीर के संबंध में दोनों देशों के द्वारा मामूली समझौता अब तक नहीं हो सका है। वस्तुतः कारमीर भारतीय गणतंत्र के अनेक राज्यों की तरह ही एक राज्य हो गया है और वहाँ भारतीय संविधान लागू है।

प्रमुखसत्तात्मक गणसंघीय भारत का संविधान (जनवरी १९५० ई०)

(१) गणतंत्र

यद्यपि ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऐक्ट के द्वारा १५ अगस्त १९४७ को भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिल तो गयी, परंतु स्वतंत्रता अभी पूरी नहीं थी। भारत 'कामनवेल्थ' के भीतर एक 'डोमिनियन' (उपनिवेश) ही था और उसे केवल औपनिवेशिक पद ही प्राप्त था। भारतवर्ष के लाखों नर-नारी औपनिवेशिक पद की लाक्षणिक परतंत्रता से भी मुक्त होना चाहते थे और अखिल भारतीय कांग्रेस ने उनका पय-प्रदर्शन करते हुए उस कार्य को भी पूरा किया। विष्ठी में जिस संविधान-सभा की बैठकें १९४६ ई० से ही हो रही थीं, उसने संविधान निर्माण का कार्य किया और २६ जनवरी १९५० ई० को नये संविधान के द्वारा प्रमुखसत्तात्मक भारतीय गणतंत्र की घोषणा की गयी। उसी तारीख से भारतवर्ष का नया संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और अब शासन का सभी कार्य उसी के अनुसार होता है। परंतु भारतवर्ष गणतंत्र हो जाने पर भी 'कामनवेल्थ' अर्थात् राष्ट्रमण्डल से अलग नहीं हुआ।

१९४८ ई० में ही भारतवर्ष में एक स्वतंत्र गणतंत्र की हैसियत से रहना स्वीकार कर लिया और उसे अंग्रेजी सरकार ने भी मान लिया। अंग्रेजी राष्ट्रमंडल तब से केवल राष्ट्रमंडल रह गया और भारतवर्ष अपनी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और समता से अपना सवरूप बना हुआ है।

(२) नागरिकों के मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गयी है। इसकी दृष्टि में प्रायःक नागरिक कानून के सामने समान है



डा० रामेन्द्र प्रसाद

और तब की जगहें रखा हो सकेगी। धर्म, जाति, रंग अपना लिंग का भेद कानूनी दृष्टि में नहीं होगा और तब का नाबाली बरी को प्राप्त करने का

समाग अबसर रहेगा। अस्पूरयता को इस संविधान ने मिटा दिया है और कानून उसे नहीं मानता। प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार मिलने, समा और संगठन करने, सारे भारतवर्ष में घूमने, धर्म-संपत्ति रखने तथा व्यवसाय और रोगमार करने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक अपनी नागरिक समुदाय को अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति तथा आचार-व्यवहार की रक्षा करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और व्यवस्था का अधिकार है। किसी की संपत्ति बबरदस्ती बिना किसी मुभावजे के नहीं छीनी जा सकती।

(३) केन्द्रीय शासन-विधान

नये संविधान के अनुसार भारतीय गणतंत्र एक संघ-राज्य है तथा उसका एक अध्यक्ष है जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद थे। राष्ट्रपति के विस्तृत अधिकार होते हैं। प्रधान मंत्री की नियुक्ति करना, संसद के अधिवेशनों को बुलाना, तथा उसकी प्रथम बैठक में उद्घाटन भाषण देकर अपनी सरकार की नीति बतलाना उसकी अधिकार सीमा के भीतर है। युद्ध के समय, बाहरी आक्रमणों की वृत्ता में अथवा संकट के समय में राज्य का सारा कार्य देखना उसका विशेष अधिकार और कर्तव्य है। राष्ट्रपति को विशेष केंद्रियों तथा अभियुक्तों को मुक्त करने का अथवा उनका हण्ड घटाने का भी अधिकार होता है।

संसद के अवकाश के दिनों में राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू करने का भी अधिकार होता है, परन्तु संसद की बैठक प्रारंभ होते ही अध्यादेश स्वीकृति के लिये उपरिगत किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति के पद को सर्वप्रथम अपने ही देश के नहीं अपितु विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सुशोभित किया जो अब, राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति पदेन केन्द्रीय राज्य-परिषद् का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति के न होने पर उसके कार्यों को संभालता है।



डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन

उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल ५ वर्ष होता है। राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों के पालन में राय देने के लिये एक मंत्रिमंडल है जिसका एक प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रथम प्रधान-

मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। सभ के लिये एक मंत्र है, जिसकी दो ममाएँ हैं—एक लोकसभा और दूसरी राज्य-सभा। लोकसभा के बहुमत दफ्त का नेता सभा का नेता होता है और उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। संविमंडल के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सभ



पंडित जवाहरलाल नेहरू

से नियुक्त करते हैं। लोकसभा का सदस्य बनना २५० तथा राज्य-सभा की सदस्यता २५० के लिये है। सभा का निर्वाचन दो वर्ष की होती है और

राज्य-सभा के एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। लोक-सभा तथा राज्य-सभा की बैठकों की अव्यवस्था क्रमशः स्पीकर (प्रमुख) और चैयरमैन भवता अभ्यक्ष करते हैं। राज्य-सभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदम ग्रहण करता है। लोक-सभा द्वारा पास किये हुए विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही विधि बन सकते हैं। अर्थात् विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। संघ-संसद् के अनेक अधिकार होते हैं, जिनमें देश की रक्षा तथा जनता की सहाई के लिये कानून पास करना, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखना, भाष-व्ययक पर बहस करना और उसे पाम करना तथा शासन-संबन्धी प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछना मुख्य है।

(४) उच्चतम न्यायालय

भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का एक उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) स्थापित किया गया है। उसके प्रभाव विचारपति (एक) और अन्य विचारपतियों (सात) की राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। विचारपतियों की अवस्था कम से कम ३५ वर्ष की होनी चाहिये। उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालयों की अपीलों को सुनने के अतिरिक्त प्रारंभिक मुकदमों को देखने का भी अधिकार है। भारतीय उच्चतम न्यायालय नागरिकों के व्यक्ति-स्वातंत्र्य और मूळ अधिकारों की रक्षा का मूळ साधन है।

(५) संघ का निर्माण

भारतीय संघ का निर्माण भारतीय राज्यों के मिलने से हुआ है। राज्यों में आसाम, काश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्यप्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मैसूर, केरल और आंध्रप्रदेश हैं। राज्यों के प्रथम राज्यपाल (गवर्नर) कहलाते हैं और उनके परामर्श देने के लिये एक मंत्रिमंडल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की आज्ञा से होती है। राज्यों में मुख्यमंत्रियों को राज्यपाल नियुक्त करता है और बड़ी मुकदमों की राय से मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों को भी नियुक्त करता है। विधान-सभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्रित्व स्वीकार करने और अपना मंत्रिमंडल बनाने के लिये आमंत्रित करता है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में विधान-सभा के दो भवन होते हैं। दोष राज्यों में विधान सभायें केवल एक ही भवन की हैं। राष्ट्रीय विधान-सभायें, यदि पहले ही संग न कर ही जायें, ५ वर्षों तक कार्य करती हैं। उनकी प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बैठकें अनिवार्य होती हैं तथा दो बैठकों के बीच का अवकाश ६ मास से अधिक नहीं हो सकता। केन्द्र की

ही तरह राष्ट्रीय विधान-सभा और विधान-परिषदों के कार्यों को बढ़ाने के लिये प्रमुख और अल्पसंख्यक होते हैं। जब उनकी बैठकी का अवसर न हो, तो राज्यपाल आवश्यकतामुतासर अल्पसंख्यक विचारक सकता है। पारित विधेयकों की विधि का रूप देने के लिये राज्यपाल का दस्तावेज आवश्यक होता है। राज्य का सारा कार्य उसी के नाम से है, परन्तु वह वैधानिक शासक ही होता है।

प्रत्येक राज्य के लिये उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) होता है। हाईकोर्ट को छोटे न्यायालयों की अपील सुनने के अलावा पारंपरिक मुकदमों को सुनने का अधिकार है। उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और महाभारत पर्यन्त या अथवा प्रथम की अवस्था (२० वर्ष) तक वे अपने पदों पर विद्यमान रहते हैं।

राज्यों में विधान सभा और विधान-परिषदों के होने का यह अर्थ नहीं है कि वे सार्वभौम हैं। उनके अंग सीमित हैं और वे केवल राष्ट्रीय विधियों पर ही कामनाधिकारी हैं। केन्द्रीय संसद् का अधिकार राज्यों के अधिकार और विषय-सूची में वर्जित विषयों के अतिरिक्त सभी विषयों पर है। देश की रक्षा, विदेशी नीति और संधि-बद्ध संबंधों विषयों पर केन्द्र को पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय विधान-परिषदें केन्द्रीय विधान परिषदों के द्वारा निर्मित विधि के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती।

केन्द्र प्रशासित क्षेत्र—राज्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ का प्रशासन केन्द्र के द्वारा संचालित होता है। इनमें दिल्ली, हिमाचल-प्रदेश किराता, पंजाब, लोहा, अजमेर और मिर्जापुर द्वीप समूह और अजमेर द्वीप समूह प्रमुख हैं। उनके प्रधान शासक लोक सभिया रहते हैं और कार्यपालिका के बारे अधिकार उन्हीं के हाथों में होते हैं। लोक सभियों को परामर्श देने तथा उनका के विचारों को प्रतिबिम्बित करने के लिये दिल्ली में महापालिका (कारपोरेशन) और पंजाब में एक कौन्सिल की भी व्यवस्था है। लोक सभियों की विभिन्न केन्द्रीय गृह-संघालय की नियंत्रित पर होती है।

(६) लोक-सेवा-आयोग

केन्द्र तथा राज्यों में अधिकारियों की व्यवस्था करने के लिये परिधान द्वारा लोकसेवा आयोगों (पब्लिक सर्विस कमिशन) की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक लोकसेवा-आयोग अपने क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रशासकीय, न्याय शासकीय, विदेशी नीति संबंधी, पुलिस संबंधी, वातावरण अथवा संधि-बद्ध

संबंधी तथा अर्ध संबंधी जाति नीकरियों के लिये योग्य शक्तियों का चुनाव करता है और आवश्यकतानुसार परीक्षाएँ भी लेता है। इन आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और कानूनी स्थिति का वर्णन संविधान में दिया हुआ है।

अंत में यह कहना आवश्यक है कि भारतीय गणतंत्र के संविधान की अपेक्षा कई विशेषताएँ हैं। यह भारतीय जनता का बनाया हुआ अपना ही संविधान है। यह देश की मौलिक एकता का द्योतक है तथा इसमें किसी प्रकार के साम्प्रदायिक, धार्मिक, अथवा सामाजिक भेद-भाव का बिल्कुल अभाव है। इसमें प्रत्येक भारतवासी को समान अधिकार दिये गये हैं और यह जनता की भावनाओं का प्रतीक है। देश के प्रत्येक नागरिक को जीविका देना, सबकी समान रूप से सेवा करते हुए शोषण को मिटाना, पूँजी को समान हित में प्रेरित करना, पंचायती शासन स्थापित करना, व्यक्ति के विकास में हर प्रकार का प्रोत्साहन देना, सबके लिये शिक्षा का प्रवर्धन करना, समाज के कमजोर वर्गों (जैसे परिगणित जातियों) को ऊपर उठाना, राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों और ऐतिहासिक वस्तुओं की रक्षा करना तथा अन्तर-राष्ट्रीय मित्रता और शांति के लिये प्रयत्न करना भारतीय संविधान के प्रशासकीय उद्देश्य हैं।

३९ अध्याय

स्थानीय स्वराज्य का विकास

१. प्रारम्भिक

भारतपर्यं में अंग्रेजी कम्पनी की सामन सम्बन्धी नीति बहुत दिनों तक केन्द्रीकरण की ओर ही प्रवृत्त रही। परन्तु उसके बढ़ते हुए साम्राज्य में यह नीति होपयुक्त प्रतीत होने लगी और धीरे-धीरे अधिकारियों का ध्यान स्थानीय सामन-संस्थाओं को जन्म देने तथा उन्हें विकसित करने की ओर जाने लगा। स्थानीय स्वराज्य की दृष्टि में सन् १८४२ ई० का वर्ष महत्वपूर्ण है। उस वर्ष बंगाल के दसों पंच के अनुसार स्थानीय स्वराज्य स्थापित करने की व्यवस्था की गयी। कई नयी नगरपालिकाएँ (मुनिसिपैलिटियाँ) बनायी गयीं। १८४२ ई० के पहले ही मद्रास, बम्बई, और कलकत्ता में निगमों (कारपोरेशन) के द्वारा स्थानीय स्वराज्य दिया जा चुका था। १८५३ ई० में नगरपालिकाओं को स्थापत्य सम्बन्धी बहुत से अधिकार दिये गये। १८७० ई० में स्टार्ट मैपों में विकेन्द्रीकरण की नीति पर कार्य करते हुए स्थानीय संस्थाओं की संख्या, उपयोगिता और अधिकार बढ़ाने की ओर ध्यान दिया। उनका विचार था कि भारतीय और युरोपीय दोनों ही स्थानीय स्वराज्य की वृद्धि परस्पर सहयोग से करें।

२. स्टार्ट रिपन द्वारा विस्तार

परन्तु इस दिनामें तबसे मुख्य कार्य स्टार्ट रिपन ने किया। उन्हें भारत-निवासियों की योग्यता तथा ईमानदारी में पूरा भरोसा था और अपने द्वारा विचारों के द्वारा उन्होंने भारत के प्रत्येक भाग में भारतीयों को जिबुक्त करने का प्रयत्न किया। १८८३ ई० में उन्होंने



लॉर्ड रिपन

कार्य की चाहिसे तथा उनका कार्य भारतीयों में जनता के प्रति

प्रोत्साहन सरकारों को स्थानीय सरकारों की वृद्धि के उपायों की शक्ति करने को कहा और १८८५ ई० में प्रस्ताव पारित किया जोकि सिविल पब्लिक प्रोविडेंट फंड का स्थापना के लिए था।

और

उन्होंने

भारत

में

किया

पद्धति को अधिक से अधिक अपनाने की भी सिफारिश की गई और यह भी कहा गया कि जहाँ तक हो सके स्थानीय बोर्डों के समापति जुने हुए लोग ही हों। इन प्रस्तावों के आधार पर १८८४ ई० के आसपास प्रायः सभी प्रांतों में नये नये ऐक्ट पास किये गये और उनके अनुसार लगभग पचीस वर्षों तक काम होता रहा। परन्तु इन स्थानीय संस्थाओं, विशेषतः नगरपालिकाओं पर, केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों का भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार का नियंत्रण था।

३. १९१८ ई० से १९३५ ई० तक विकास

स्थानीय स्वराज्य के सम्बन्ध में लार्ड रिपन के काल के बाद १९१८ ई० में पुनः विचार किया गया और कई बातों पर विशेष ध्यान दिया गया। यह प्रस्ताव किया गया कि नगरपालिकाओं और विहाबोर्डों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम ७५ प्रतिशत हो। उनके अल्पसंख्यक निर्वाचित व्यक्ति हो तथा उनमें एक कार्याधिकारी (एकजीक्यूटिव ऑफिसर) की नियुक्ति की जाय। कर्तों को बसूल करनेवाले उनके अधिकार बढ़ाये जाय और अपने अधीन नियुक्त किये हुए व्यक्तियों पर उनका पूरा अधिकार हो। वेदातों में ग्राम-पंचायतों तथा स्थानीय स्वराज्य सम्बन्धी एक नये विभाग की स्थापना के लिये भी प्रस्ताव किया गया। इन प्रस्तावों के आधार पर १९१९ ई० में पास होनेवाले भारतीय शासन-सुधार कानून में स्थानीय स्वराज्य के विकास की ओर निर्देश किया गया। स्थानीय स्वराज्य हस्तान्तरित विषय (ट्रांसफरर्ड-सब्जेक्ट) कर दिया गया और उसका शासन प्रांतीय मंत्रियों द्वारा होने लगा। यह व्यवस्था की गयी कि स्थानीय संस्थाओं में सरकारी अधिकारी कम से कम हस्तक्षेप करें। १९३५ ई० के शासन-विधान तथा स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार भी स्थानीय शासन प्रांतीय विषय है तथा उसका शासन और उत्तरदायित्व प्रांतीय मंत्रियों के अधीन है।

४. स्थानीय स्वराज्य की विविधता

स्थानीय संस्थाओं के नामों में सीमाओं और स्थाओं की दृष्टि से अनेकता होती है। पम्बई, मद्रास, और कर्णाटके, विही, कटक, परमा, उत्तरप्रदेश, आगरा, बाराणसी, कानपुर और इलाहाबाद जैसे भारत के अनेक प्रमुख नगरों की स्वायत्त शासन संस्थाओं को महापालिका (कारपोरेशन) कहते हैं और उनके अल्पसंख्यक मेयर (नगर प्रमुख) कहे जाते हैं। उत्तरप्रदेश में शहरी स्वायत्त संस्थाओं को नगर-पालिका (मुनिसिपैलिटी) कहा जाता है तथा

उनके अध्यक्ष को प्रेसीडेंट। देहाती लोगों की उन्नति के किये पहले प्रायः क्विसे में एक खिला-बोर्ड की व्यवस्था होती थी जिसका अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता था। उसके स्थान पर अब डिस्ट्रिक्ट कौंसिलें होती हैं, जिनकी अध्यक्षता खिलाधीश करता है। उन कस्बों में, जो गाँवों से बड़े हैं परन्तु नगरों से छोटे हैं, नोटीफाइड परिषद जयबा लोकल बोर्ड होते हैं। बड़े-बड़े शहरों के विस्तार तथा उनकी निर्माण सम्बन्धी सुन्दरता को बढ़ाने के लिये 'इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्टों' की भी स्थापना की गयी है। इसी प्रकार बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ते के बन्दरगाहों में 'पोर्ट ट्रस्ट' भी हैं, जिनका कार्य उन बन्दरगाहों के पास की बस्तियों की उन्नति की योजनाएँ बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना है। परन्तु यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्टों और पोर्ट ट्रस्टों पर सरकारी नियंत्रण अन्य स्थापित संस्थाओं की अपेक्षा अधिक होता है।

५. कर्तव्य और अधिकार

ऊपर जितनी स्थानीय संस्थाएँ गिनायी गयी हैं, उन सबका कर्तव्य और अधिकार प्रायः एक ही प्रकार का होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधा, पान्नायात, रक्षा, शिक्षा तथा प्रकाश का प्रबन्ध और जन्म-मरण का लेखा रक्षना ही स्थानीय स्वशासन से सम्बन्धित संस्थाओं के कर्तव्य हैं। इसके अनुसार अपनी-अपनी सीमानों के भीतर सड़कें, पुल तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण और उनकी मरम्मत कराना, अस्पताल और औषधालय खोलना और उन्हें चलायाना तथा लोगों को मृत्यु के रोगों से बचाना और उस हेतु टीका लगाना, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों में सफाई और रोशनी का प्रबन्ध करना और स्त्रियों की साधारण सुविधाओं का कार्य स्थानीय संस्थाएँ करती हैं। इन कर्तव्यों के पाठन के लिये उन्हें सरकार की ओर से अधिकार भी दिये गये हैं। अपने क्षेत्र में वे संस्थाएँ अनेक प्रकार के कर लगाना सकती हैं। शहरों में इनकी आय का मुख्य साधन मकानों पर लगाने वाला कर है। खिला-बोर्डों को इस सुविधा से इसलिये वंचित रहना पड़ता है कि उनका सम्बन्ध मुख्य रूप से देहातों से होता है। परन्तु अन्य आय के साधन सबके परमाण हैं। इनमें निगमों, नगरपालिकाओं तथा खिला-बोर्डों के द्वारा लगाये जानेवाले कर और शुल्क, व्यापारका मुनाफा, व्यापार पर आयत और निर्यात कर, सरकारी सहायता और धन तथा पुर्खे और पाठे आदि के प्रबन्ध से मिलनेवाली आय मुख्य होती है। बाजारों और अपनी जमीनों पर शुल्क भी इसी प्रकार होता है।

पानी पर भी कर बसूल करती हैं। उपर्युक्त करों का प्रचलन साधारणतः सर्वत्र है, परन्तु अवस्थानुसार और स्थान भेद से उनमें भिन्नता भी हो सकती है।

स्थानीय संस्थाओं अपना काम चलाने के लिए कई उपसमितियों में बँट जाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, वायार, भवन, जुंगी तथा यातायात आदि की दृष्टि से अनेक उपसमितियाँ बनायी जाती हैं और प्रत्येक एक अण्डा की देखरेख में कार्य करती है। परन्तु सबके कार्यों की जांच और उनपर विचार करने का अधिकार सभी सदस्यों की साधारण सभा को होता है। स्थानीय संस्थाओं पर प्रांतीय सरकारों का नियंत्रण रहता है। वे उनके चुनावों की व्यवस्था करती हैं, उस सम्बन्ध में नियम बनाती हैं तथा मतदाताओं की सूची तैयार कराती हैं। स्थानीय संस्थाओं के कार्यों की जाँच प्रांतीय सरकारों की ओर से मिन्ट्रे के अधिकारी, विशेषतः जिलाधीश करते रहते हैं। नगर-पालिकाओं के आय-व्ययक को कार्याम्बित करने के लिये प्रांतीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसना ही नहीं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने, परस्पर दलबन्दी और झगड़ा करने तथा जनता के अपसंख होने पर सरकार अप्यादेशों द्वारा इन स्थानीय संस्थाओं का भंग भी कर सकती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएँ मनमामा व्यवहार नहीं कर सकती।

६. ग्राम पंचायतें

सन् १९०९ ई० के विकेन्द्रीकरण आयोग (डिसेम्बर-रिपोर्ट) ने देहातों में ग्राम पंचायतों को स्थापित करने का सुझाव दिया। उसके बाद से ग्राम संस्थाओं के निर्माण और विकास की ओर ध्यान दिया जाने लगा। उत्तरप्रदेश में सन् १९३० के 'लोकल ऐक्ट' के द्वारा पंचायतों का संगठन किया गया; परन्तु उस ऐक्ट के होते हुए भी पंचायतों का अितना विकास होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ। जब भारतवर्ष १९४७ ई० में स्वतन्त्र हो गया तो देश के नेताओं का ध्यान ग्राम विकास की ओर गया और उसके लिये यह आवश्यक समझा गया कि ग्राम का बहुत कुछ शासन ग्राम-वासियों के ही हाथों में सौंप दिया जाय। इस विचार को कार्याम्बित करने में उत्तरप्रदेश अन्य सभी प्रान्तों से आगे रहा है और यहाँ १९४७ ई० में ही प्रांतीय सरकार ने पंचायत राज ऐक्ट पास कर दिया। उसके द्वारा देहातों में पंचायत-राज को चलाने का भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है। प्रत्येक गाँव में ग्राम-सभाएँ हैं, जिनका प्रत्येक बयस्क पुरुष अथवा स्त्री सदस्य होती है।

ग्राम-सभा का मुख्य ग्राम-समापति कहलता है। प्रत्येक ग्राम में ग्राम-सभा के अतिरिक्त एक ग्राम-पंचायत भी होती है, जिसमें ग्राम सम्बन्धी अभियोगों का निर्णय होता है। कुछ ग्राम-पंचायतों को मिलाकर, साधारणतः पांच की संख्या में से, पंचायती अदालतें बनती हैं, जिसके सरपंच और पंचों को ग्राम-सभायें चुनती हैं। पंचायती अदालतों को दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों को निर्णय करने के सम्बन्ध में कुछ अधिकार होते हैं। पंचायतों के निर्णय किये हुए मुकदमों की कई अवस्थाओं में कोई अपील नहीं होती, परन्तु विशेष मुकदमों में जिसे की बड़ी अदालतों में अपील की जा सकती है।

पंचायतें ग्रामोत्थान के दिने उत्तरदायी हैं। उत्तरप्रदेश में जमींदारी-उन्मूलन के बाद पंचायतों के अधिकार और कर्तव्य दोनों ही बहुत बढ़ गये हैं। कुओं, तालाबों तथा अन्य सिंचाई के साधनों की सफाई और उनकी मरम्मत कराना, छोटी-छोटी सड़कें, रास्तों और सार्वजनिक स्थानों की देखभाल और मरम्मत कराना, गावों में सफाई और रोशनी का प्रबन्ध करना तथा औपपाठ्यों, स्कूलों और बाजारों आदि की देख-रेख करना और उनकी सहायता करना आदि कार्य पंचायतों को करने होते हैं। संक्षेप में पंचायतों का ध्येय ग्राम-स्वराज्य की स्थापना है। इस कार्य की पूर्ति के लिये प्रत्येक पंचायती अदालत के क्षेत्र में एक सचिव की नियुक्ति की गई है। सचिवों और पंचायतों के कार्यों की देखरेख के लिये सरकार की ओर से निरीक्षकों (इन्स्पेक्टरों) की नियुक्ति की गई है तथा उनके ऊपर प्रत्येक जिसे में पंचायत अधिकारियों की भी व्यवस्था है। पंचायतों को अपना कार्य चकाने के लिये गाँवों के ऊपर अनेक करों को लगाने का अधिकार प्राप्त है तथा समय-समय पर उन्हें सरकारी सहायता भी मिलती रहती है।

उत्तरप्रदेश के अनुकरण पर भारत के प्रायः अन्य सभी राज्यों में पंचायतों की व्यवस्था की गयी है। हों इतना अवश्य है कि अलग-अलग राज्यों में उनके अधिकारों और उत्तरदायित्व में भिन्नता है। ग्राम-पंचायतों की यह स्थापना, प्रचार और विकास भारत के लिये कोई नयी बात नहीं है। यहाँ प्राचीन काल से ही पंचायतें बिना किसी प्रकार की विशेष सरकारी सहायता अथवा इस्तवेष के कार्य करती रही हैं। बीच में उनका महत्व कुछ कम हो गया था और अब पुनः यह भासा की जाती है कि व्यापार भारत में वे अपना उचित स्थान ग्रहण करेंगी और सही रूपमें ग्राम-स्वराज्य स्थापित हो सकेगा।

४० अध्याय

शैक्षणिक और साहित्यिक प्रगति

१. शिक्षा-सम्बन्धी प्रगति

(१) प्रारम्भिक उद्यांसीनता—भारतवर्ष में अंग्रेजी कम्पनी का राज्य प्रारम्भ हो जाने के बाद भी बहुत दिनों तक उसकी ओर से इस देश में शिक्षा की उन्नति के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रथमतः तो कम्पनी नेच अथवा अवैध उपायों द्वारा इस देश के जन की लज में लगी रही। दूसरे बहुत दिनों तक उसे यह भी मय रहा कि भारत में किसी प्रकार के शिक्षा-कार्य से राजनीतिक नागरण अथवा कोई धार्मिक विद्रोह न हो जाय। ऐसी दशा में १८ वीं शती के अन्त तक यहाँ जो कुछ भी शिक्षा-कार्य हुए उसकी प्रेरक शक्ति कुछ व्यक्तियों से अथवा गैरसरकारी संस्थाओं से ही प्राप्त हुई।

(२) ईसाई धर्म-प्रचारकों के कार्य—ईसाई धर्म-प्रचारक इस देश में अंग्रेजी राज्य के स्थापन के पहले ही आ चुके थे। उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के साथ-साथ यहाँ के लोगों को शिक्षित करने का भी प्रयत्न किया। वास्तव में नयी शिक्षा का प्रचार उनके धर्म और संस्कृति के प्रसार में सहायक था इन्होंने अनेक मिशन स्कूलों की स्थापना की और उसके द्वारा निम्नलिखित शिक्षा देना प्रारम्भ किया। उन्होंने अपना केन्द्र कलकत्ते के पास सीरामपुर में स्थापित किया और वहाँ से समाचारपत्रों का प्रकाशन और बाइबिल का बेसी भाषाओं में अनुबाद कर प्रचार करना शुरू किया। उन धर्म-प्रचारकों में फेरीटास, मार्शमैन, और डेविड प्रसिद्ध हुये तथा उनके प्रयत्नों से १८२० ई० में कलकत्ते में विश्वपूज कालेज की स्थापना हुई।

(३) प्रमुख व्यक्तियों और व्यक्तियों के कार्य—ईसाई धर्म-प्रचारकों के अतिरिक्त भारतीय शिक्षा की प्रगति में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कुछ प्रमुख अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण प्रारम्भिक कार्य किये। बारीन हेडिंग्स ने १८२१ ई० में फलकता मद्रस्ता की स्थापना की तथा उसने हिन्दू और मुसलमानी विधियों का अंगरेजी में अनुबाद भी कराया। उसके शासन के अन्तिम दिनों में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सर विलियम जोम्स ने रायल एशियाटिक सोसायटी की बंगाल शाखा की स्थापना की और भारतीय इतिहास की शोध को प्रोत्साहित किया। १८२१ ई० में अंगरेज रेसीडेण्ट जोनाथन डम्कन ने बनारस में संस्कृत कालेज की

स्थापना की। इसके अतिरिक्त कुछ भारतीय वेद्यसेवियों और समाज-सुधारकों ने भी शिक्षा की ओर ध्यान दिया। राजा राममोहन राय, राधाकृष्णन्तदेय और जयनारायण घोषाल के नाम विशेष रूप से किये जा सकते हैं। उन्होंने १८१६ ई० में कलकत्ता में हिन्दू कालेज की स्थापना की, जो धीरे-धीरे बहकर प्रेसीडेन्सी कालेज के रूप में परिणत हो गया।

(४) ईस्ट इण्डिया कम्पनी का भारत में शिक्षा-प्रगति की ओर झुकाव—भारतवर्ष में ज्यों ज्यों ईस्ट इण्डिया कम्पनीका राजनीतिक अधिकार क्षेत्र बढ़ता गया त्यों त्यों उसने यहाँ के विद्यार्थियों की सम्पत्ता और संस्कृति की प्रगति की ओर भी ध्यान दिया। उसके पीछे अंग्रेजी पार्लियामेंट की प्रेरक शक्ति थी और १८१३ ई० में कम्पनी को आज्ञापन मिला, उसमें भारतवर्ष की शिक्षा प्रगति का उत्तरदायित्व भी उसे सौंपा गया। प्रत्येक वर्ष शिक्षा की प्रगति के लिये एक छाल खपा कम्पनी के लिये व्यय करना आवश्यक कर दिया गया। १८१३ ई० में इस धन से अनुदान की प्रथा प्रचलित की गई और उसके द्वारा कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी और कलकत्ता स्कूल सोसाइटी को बहुत-सा धन मिला। उस धन के सही-सही व्यय की जांच के लिये एक कमेटी (कमिटी आफ पब्लिक इन्स्ट्रुक्शन) की भी स्थापना की गई। इस कमेटी ने संस्कृत शिक्षा को अपमान ज्येय मानकर कलकत्ते और वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना की।

(५) शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम—धीरे-धीरे भारतवर्ष में शिक्षा की प्रगति पर अंग्रेजी कम्पनी काफ़ी धन व्यय करने लगी थी। परन्तु अब भी यह तय नहीं था कि सरकारी सहायता प्राप्त करनेवाली संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम कौन-सी भाषा हो? छाट्टे विलियम बेंटिक का समय आते-आते यह प्रश्न एक बड़े मुख्य विवाद का विषय बन गया था। इस सम्बन्ध में दो दल हो गये थे। एक दल बैदा भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहता था परन्तु दूसरा दल, जो संभवता बहुमत में था तथा जिसका नेता गवर्नर जनरल की कौंसिल का पिबि-मदस्य लार्ड मैकले था, अंग्रेजी भाषा के पक्ष में। अंग्रेजी शासन के निचले स्तर को चलाने के लिये अंग्रेजी पढ़-लिखे सेवकों और कर्मचारियों की आवश्यकता थी। फरवरी १८३५ ई० में लार्ड विलियम बेंटिक ने मैकले की राय मानकर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित किया। इस कार्य में उसे राजा राममोहन राय से बहुत अधिक सहायता मिली।

लार्ड विलियम बेंटिक के उपर्युक्त निर्णय के फरवरी १८३५ ई० में सरकारी सहायता प्राप्त अंग्रेजी स्कूलों की विभिन्न स्थानों में स्थापना हुई। सन् १८३५ ई० में

कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया गया। सन् १८४९ ई० में जन शिक्षा-समिति (कमिटी आफ पब्लिक एजुकेशन) की बगह शिक्षा-परिषद् (कॉन्सिल आफ एजुकेशन) की स्थापना हुई। परन्तु इसका क्षेत्र अभी केवल बंगाल तक ही सीमित रहा। उत्तरप्रदेश में स्कूलों को चलाने के लिये वर्मीवार्स को उनकी माळ्युबारी पर एक प्रतिशत कर देना पड़ता था जिसे 'अप्याव' कहते थे। इस प्रकार का प्रयत्न बंगई और मद्रास में भी किया गया।

(६) बुद्ध-आयोग—भारतीय राष्ट्रीय विप्लव के कुछ ही दिनों पूर्व (१८४९ ई०) कम्पनी ने शिक्षा विकास की ओर कुछ विशेष ध्यान दिया। डकहौजी के शासन-काल में शिक्षा सम्बन्धी सुधारों की सिफारिश के लिये पार्लमेंट बुद्ध की अध्यक्षता में एक आयोग बैठाया जिसने कई सुधार प्रस्तावित किये। उसी के आधार पर प्रत्येक प्रांत में शिक्षा की उन्नति के लिये एक जन-शिक्षा-विभाग (डिपार्टमेंट आफ पब्लिक एजुकेशन) खोला गया और वह एक शिक्षा-संचालक (डाइरेक्टर आफ एजुकेशन) के अधीन रखा गया। शिक्षा-संचालक के नीचे जिला विद्यालय-निरीक्षक (डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स) की भी व्यवस्था की गई। आज तक शिक्षा-विभाग का यह ऊपरी ढांचा प्रायः प्रत्येक प्रांत में बना हुआ है। बुद्ध-आयोग ने शिक्षा के समुचित विकास और प्रचार के लिये यह भी सिफारिश की कि अप्यावकों के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग), सरकारी अनुदानों की प्रथा को और बढ़ाने, विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियों के प्रयत्न करने तथा देशी भाषा के स्कूलों को स्थापित करने की ओर भी ध्यान दिया जाय। उसमें यह विशेष रूप से कहा गया कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता, विज्ञान, साहित्य और दर्शन का ज्ञान प्राप्त कराया जाय। प्रारम्भिक स्तरों में देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहन देने की बात कही गयी।

उपर्युक्त आयोग की अधिकांश सिफारिशों पर कार्य काट डकहौजी ने ही प्रारंभ कर दिया। १८५० ई० में कलकत्ता, बंगई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी। १८८९ ई० में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में स्थापित किया गया तथा १८८० ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नींव पड़ी। ये विश्वविद्यालय केवल परीक्षा देने वाले विश्वविद्यालय थे और अप्यापन का कार्य उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में होता था। उनके शपिकारी चॉंसलर (प्रायः प्रांत के गवर्नर) और याइस चॉंसलर होते थे जिनकी सहायता के लिये 'सिनेट' और 'सिडीकेट' जैसी संस्थाएँ बनायी गयीं।

(७) हॉटर-आयोग—लार्ड रिपन ने १८८९ ई० में हॉटर महोदय की अध्यक्षता में एक आयोग सिखा जगत में पुस्तक-आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने और उनकी सफलता की रक्षा करने के लिये नियुक्त किया। इस आयोग ने प्रस्ताव किया कि यहाँ तक संभव हो, सिखा के क्षेत्र में कम से कम सरकारी हस्तक्षेप हो और सिखा संस्थानों का प्रबन्ध गैरसरकारी समितियों के अधीन किया जाय; उन पर केवल सरकारी नियंत्रण मात्र हो, हस्तक्षेप न हो, पेसी सिफारिश की गयी। इस आयोग ने देशीभाषाओं की उन्नति करने की भी राय दी। इन प्रस्तावों का बहुत हद तक पालन किया गया। नगरपालिकाओं के धन खाने के बाद अनेक प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालायें उनके अधीन कर दी गयीं। इसके अतिरिक्त गैरसरकारी सहायता से भी अनेक स्कूलों की स्थापना हुई और देश में भूमिमायी दाताओं के दान से स्कूलों का बाल बिकसने लगा।

(८) शिक्षा-सुधारों का युग—लार्ड कर्जन ने सिखा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तनों को लाना चाहा। उसकी नीति शासन के प्रत्येक क्षेत्र में देवरीकरण की ओर प्रवृत्त रही और शिक्षा-क्षेत्र पर भी उन्होंने सरकारी नियंत्रण बढ़ाना चाहा। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर १९०४ ई० में 'इण्डियन युनिवर्सिटीज ऐक्ट' पास किया गया और उससे विश्वविद्यालयों की आन्तरिक स्वतंत्रता कम करके उनपर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। शिक्षा-विभाग के संचालकों को विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप करने के अधिकार मिल गये। महाविद्यालयों की स्वीकृति के सम्बन्ध में अधिक कठोरता बरतने की नीति अपनायी गयी। इन परिवर्तनों से सिखासंस्थाओं के ऊपर एक प्रकार का ऐसा सरकारी घेरा हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि विश्वविद्यालयों में स्वतंत्रता के बीज न पनपने पायें। देश में लार्ड कर्जन की सिखासंस्थाओं पर इस कृष्टि का बड़ा विरोध हुआ और जगह-जगह समाजों की गर्दी, लुल्लुस निकाले गये तथा परिवर्तनों के विरुद्ध प्रस्ताव पाम किये गये।

१९०६ ई० में पासहोनेवाले एक कानून के द्वारा विश्वविद्यालय में विज्ञान की पढ़ाई की ओर कदम उठाया गया। गवर्नर जनरल की कौंसिल के एक सदस्य को १९१० ई० में शिक्षा-विभाग मौंपा गया और विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित लार्ड कर्जन के विधानों में कुछ संशोधन करके विश्वविद्यालयों को कुछ घोड़ी और स्वतंत्रता दी गयी। १९१३ ई० में शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष

सर हरकोट्ट वटसूर ने शिक्षा देनेवाले विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया। १९१६ ई० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालयकी स्थापना हुई। इस कार्य में देश के राष्‍य-माम्‍य नेता महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय के अवगम्य घरसाह, अर्पू साहस और महान् स्‍वाग की प्रसंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय उन्हीं के कठिन परिश्रमों के फलस्वरूप स्‍थापित हो सका। सर सैयद महमदख़ां के प्रयत्नों से अलीगढ़ का मुस्लिम कॉलेज भी मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो गया। इसी प्रकार उच्चशिक्षा के लिये पटना, नागपुर, छलमऊ, ढाका, विडी, वास्‍टेपर, हैदराबाद और आगरा में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई।



पण्डित मदनमोहन मालवीय

उपर्युक्त कई विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास में राष्ट्रीय, धार्मिक और साम्प्रदायिक भावनाओं का भी ख़ोर रहा। परन्तु श्री एविभ्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व और जनकी प्रेरणा से अनेक विश्व की सृष्टि और भारतीय संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से शान्ति-निकेतन तथा महिच्छाओं की पढ़ाई के लिये पूना में 'इण्डियन वीमेन्स युनिवर्सिटी' जैसी संस्थाओं की भी स्थापना हुई।



श्री एविभ्रनाथ ठाकुर

(२) सैडलर-आयोग—१९१० ई० में सैडलर-आयोग की नियुक्ति हुई। प्रथमतः तो यह केवल कठकथा विश्वविद्यालय के शिक्षा स्तर और क्रम में सुधार के लिये नियुक्त हुआ था; परन्तु बाद में इसके प्रस्तावों पर प्रायः भारतवर्ष के सभी विश्वविद्यालयों में बिचार हुआ और शिक्षा सम्बन्धी अनेक

परिचर्चन किये गये। तदनुसार उच्चतर माध्यमिक (हाई स्कूल और इन्टर-मीडियेट) परीक्षाओं की अलग योजना बनी। उनका नियंत्रण और अस्थापन विश्वविद्यालयों से हटाकर प्रांतीय बोर्डों के अधीन कर दिया गया। केवल शिक्षा देनेवाले विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गयी और परीक्षा देनेवाले विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध अनेक महाविद्यालय छोड़े गये। इनमें से प्रायः प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय को सरकारी भाग्यता मिळाने के साथ कुछ अनुदान भी मिळाने लगा। मांटिंग्यु-चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा शिक्षा एक प्रांतीय विषय मान ली गयी और प्रत्येक प्रांत अपनी सीमा के भीतर शिक्षा की व्यवस्था अपने धाप करने लगा। शिक्षा के 'दस्तावेजित विषय' होने के नाते इसपर निर्वाचित मंत्रियों का अधिकार हो गया और सरकारी नियंत्रण कम हो गया।

(१०) विश्वविद्यालय-आयोग—देश में शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के फलस्वरूप अनेक नये विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। कालान्तर में ब्राकनकोर, नागपुर, बरकल, सागर, राजस्थान, गोहाटी, पूना, कश्मीर, कारमीर, बर्हीदा, जयपुर और गुजरात विश्वविद्यालयों का जन्म हुआ। परन्तु विश्वविद्यालयों की इस बढ़ती हुई संख्या से शिक्षा मात्रा में तो बड़ी परम्पु गुण में नहीं बढ़ी। शिक्षा का स्तर धीरे धीरे विकट्टल गिरता गया और प्रायः विश्वविद्यालयों से निकले हुये शिक्षा प्राप्त युवकों को नौकरियां मिलनी मुश्किल हो गयीं। द्वितीय विश्व-युद्धोत्तर काल में यह समस्या और भी जटिल हो गयी और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद नेहरू सरकार का इन ध्येय ध्यान गया। फलस्वरूप शिक्षा-धेय (विश्वविद्यालय शिक्षा) की कमियों की जाँच के लिये तथा उसमें कैसा सुधार किया जाय, इस हेतु सिफारिश करने के लिये सुप्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री डाफ्टर सार्थपट्टी यथाशक्यता की अध्ययनता में एक विश्वविद्यालय-आयोग (युनिवर्सिटी कमिशन) १९४९ई० में बैठाया गया। आयोग ने भारतवर्ष के सभी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करके अनेक सुझाव उपस्थित किये। उनमें शिक्षा के तारों का पूर्णरूपेण भारतीयकरण, केवल धर्म्य विश्वविद्यालयों को ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश की अनुमति देने और दोय को औद्योगिक शिक्षा देने, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना, शिक्षा के अनिवार्य अस्थापन, अस्थापकों की पेशन-वृद्धि, विश्वविद्यालयोंकी आवश्यकताओं को समझने और पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन) की स्थापना तथा वर्तमान परीक्षा प्रणालियों के बड़े टोस परीक्षण (आबजेक्टिव टेस्ट) आदि सुझाव विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। इनमें से अधिकांश सुझावों पर अमल किया गया है।

भारत सरकार उच्चशिक्षा की ओर प्रगति अभिकांक्षिक ध्यान दे रही है और उसके अनुदान जब अधिक होने लगे हैं। अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड (इन्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उच्च शिक्षा की प्रगति, उसके स्तर के निर्वाह तथा उसमें एकसूत्रता लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। नये विश्वविद्यालयों में बिहार, बेंगलूर, गोरखपुर, जयपुर, चण्डीगढ़ आदि प्रमुख हैं। संस्कृत साहित्य की रक्षा और उसके पठन-पाठन की प्रवृत्ति को बनाये रखने की दृष्टि से वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और अन्य प्रांतों में भी इस प्रकार के विश्वविद्यालयों को खोलने की चर्चाएँ चल रही हैं।

(११) प्राथमिक-शिक्षा—१९०४ ई० में लार्ड कर्जन ने ही प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और प्रचार राज्य का एक कर्तव्य मान लिया था। धीरे-धीरे प्राथमिक पाठशाळाओं की वृद्धि हुई और १९२१ में नगरपालिकाओं और सिटी-बोर्डों सम्बन्धी खो कानून बना उसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा का भार उपर्युक्त स्थानीय संस्थाओं पर छोड़ दिया गया। इनकी सहायता के लिये प्रांतीय सरकारें भी धन देने लगीं और अब तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्राथमिक शिक्षा अनेक स्थानों पर अनिवार्य कर दी गयी है। उसे अवशिष्ट करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों में प्रायः लड़के और लड़कियों की साथ साथ शिक्षा होती है।

(१२) माध्यमिक शिक्षा—१९१० ई० में लैडलर-आयोग की सिफारिशों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालयों से अलग करके प्रांतीय बोर्डों के अधीन कर दी गयी। इनमें दो प्रकार के स्कूल होते थे। एक तो 'मिडिल स्कूल' कहलाते थे, जिनमें हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी और किसी देशी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। दूसरे 'हाईस्कूल' कहलाते थे जहाँ अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। बाद में यहाँ भी हिन्दी अथवा किसी अन्य देशी भाषा को शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। उत्तर-प्रदेश में कहीं कहीं हाईस्कूलों में 'इन्टरमीडियेट' की शिक्षा भी दी जाती थी। इन तीनों परीक्षाओं का नियंत्रण तथा तत्सम्बन्धी विद्यालयों की देख-रेख प्रांतीय सरकार की ओर से उत्तरप्रदेश में जन-शिक्षा-विभाग करता है, जिसका प्रधान शिक्षा-संस्थालय कहलाता है। काशी और अलीगढ़ के विश्वविद्यालयों की ओर से भी माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध है। १९२९ ई० के बाद माध्यमिक शिक्षा-विद्यालयों की बड़ी वृद्धि हुई है, पर शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे गिरता गया है।

(१३) खी-शिक्षा तथा प्रौढ़-शिक्षा—शिक्षा के क्षेत्र में खियों तथा मौकों आदि की ओर भी ध्यान दिया गया। १९१४ ई० में कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने उस हेतु अनेक पाठशाळाएँ खोलीं पर अर्थात्कारण के कारण मौकों की पाठशाळाएँ प्रायः हटती गयीं। आधुनिक शिक्षा (वैदिक एजुकेशन) की ओर भी ध्यान दिया गया और प्राथमिक पाठशाळाओं में अनेक को उस विद्या में अप्रसर दिया गया। इस सम्बन्ध में महारामा चौधरी के विचार बड़े स्पष्ट थे और वे सारे देश में आधुनिक पाठशाळाओं का आळ बिधा देना चाहते थे। युद्ध-काल में भारतीय सरकार के शिक्षा-सहायकार सर जान सारजेण्ट ने भी एक शिक्षा-योजना प्रस्तुत की जिसमें आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया गया। परन्तु धनभाव के कारण उस योजना का कार्यान्वय नहीं हो सका। तथापि माध्यमिक शिक्षा में कर्ताई, हुनाई, रंगई, उद्योगधंधों के सिखाने तथा अल्प दूरकारियों की शिक्षा को कई विद्यालयों में ध्यान दिया गया। परन्तु अभी तक भारतवर्ष में प्रायः प्रत्येक प्रान्त में केवल प्रयोग ही किये जा रहे हैं और कोई सर्वमान्य योजना अभी सामने नहीं आयी है। स्वतंत्र भारत की सरकार ने भी उच्च माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिये डॉ० लक्ष्मण स्यामी मुदासियर की अध्यक्षता में एक आयोग बैठाया। उसके सुझावों पर धीरे-धीरे कार्यान्वय भी शुरू हो गया है।

भारतीय शिक्षा-पद्धति का अभी कोई समुत्पन्न संगठन नहीं हो सका है और फलस्वरूप केवल किताबी ज्ञान को प्राप्त करने के कारण जीवन के व्यावहारिक तथा मरण-योग में भी स्नातकों और शिक्षित लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है। इस कमी को दूर करने के लिये शिक्षा-क्षेत्र में अभी अनेक सुधारों की आवश्यकता है। धन की कमी भी एक मुख्य रोड़ा बनी हुई है, परन्तु आशा है कि शीघ्र ही शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा, उसका अपना मूल्य होगा और शिक्षित व्यक्ति सचमुच शिक्षित होगा।

२. साहित्यिक परिचय

(१) पुनर्स्थापन—अंग्रेजी काल में साहित्यिक उद्योग भी सामाजिक और धार्मिक पुनरुत्थान के साथ हुआ। इस साहित्यिक आगम्य में अनेक परिचामीय विद्वानों की सहायता और उनके व्यय भी प्रमुख हैं जिन्हें भारतीय मुझा नहीं सकते। सर्वप्रथम बार्नेट हेस्टिंग्स का ध्यान दिम्तू और मुसलमानी विधि की ओर गया और उसने न्यायालयों में न्यायदान के लिये दोन विधियों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद और सङ्कलन कराया। सर थॉमस ऑम्स ने

प्राप्य विद्यालयों के अध्यक्षों के लिये 'प्रशियाटिक सोसायटी' की बंगाल शाखा की १७८४ ई० में नींव डाली। अनेक अँग्रेजों तथा अर्मेंनों ने भारतीय (संस्कृत) भाषकों, काव्यों तथा प्रबंधों का परिचामीय भाषाओं में अनुवाद किया। मैक्समूलर ने १९ वीं शती के मध्यभाग में वैदिक साहित्य के अनेक ग्रंथों का प्रकाशन, अनुवाद और उनकी टीका लिखी। उसके बाद वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य और प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के अध्ययन की एक परम्परा बन गयी, जिसमें पश्चिमीय तथा भारतीय विद्वानों ने पूरा-पूरा भाग लिया। इन विद्वानों में स्त्रूमफील्ड, मैक्समूलर, कार्लार्डल, विस्सन, घेवर, कनिंघम, टाड, यिन्टरनिट्ज, कीथ, पार्जिटर, डैवेल, फ्लीट, स्मिथ, मार्शल तथा भगवानलाल इन्द्रजी, रामकृष्णगोपाल मण्डारकर, एमेशचन्द्र बस, काशीनाथ वीक्षित, गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा, हरप्रसाद शास्त्री तथा कुमारस्यामी आदि प्रमुख थे, जिनकी परम्परा आज भी अनेक भारतीय विद्वानों के द्वारा अग्रगण्य बनी हुई है। प्राचीन ज्ञान की शोष में आज अनेक संस्कारों को खोजा जा रहा है और यह साहित्य का एक मुख्य विषय बन गया है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद संस्कृत भाषा और साहित्य की रक्षा, सभी भारतीय भाषाओं में मौखिक ग्रंथों के प्रकाशन और अनुवाद तथा विभिन्न प्रकार के कोशों और पाठकों की आवश्यकता और सुविधा का ध्यान करते प्रत्येक विषय पर नये साहित्य के प्रकाशन की ओर सारे देश का ध्यान जाने लगा है। देश की सभी साहित्यिक संस्थाओं ने नई-नई योजनाओं पर कार्य करना शुरू कर दिया है। केन्द्रीय सरकार की ओर से राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट तथा राष्ट्रीय अकादमी से भी इस क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ कर दिया है और आज है कि उस सरकार की सुविधाओं का उचित उपयोग कर साहित्यिक प्रगति के क्षेत्र में ये संस्थाएँ सबसे आगे चली जाएंगी।

(२) आधुनिक साहित्य का उदय—साहित्यिक प्रगति का दूसरा पक्ष रहा है देश में प्राचीन भाषाओं के साहित्य का विकास और उनकी वृद्धि। जैसे वैदिक और संस्कृत साहित्य की पुस्तकों के अनुवाद पश्चिमीय भाषाओं में हुये, उसी प्रकार पश्चिमीय साहित्य, विशेषतः अँग्रेजी का अनुवाद भारतीय भाषाओं की प्रगति का प्रथम पक्ष रहा है। भारतवर्ष की प्रायः प्रत्येक भाषा में यह हाल रहा और बहुत दिनों तक यहाँ के प्राचीन साहित्यों में अँग्रेजी पिचारपोटी की छाप बहुत अधिक रही। ईसाई धर्म-प्रचारकों ने इस कार्य को बहुत अधिक धारी बढ़ाया और अपने धर्म-प्रचार के लिये उन्होंने देशी भाषाओं की उन्नति की।

(३) हिन्दी—अठारहवीं शती के अन्त में हिन्दी का विकास प्रारम्भ हो गया। यद्यपि प्रारंभ में हिन्दी में मजमाया का प्रारंभ्य रंदा, परन्तु बाद में धीरे-धीरे लक्ष्मी बोली का प्रभाव कम गया। उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ में हिन्दी का विकास लख्खुलाल जी तथा स्वयंलमिथ्र ने किया। १८१८ ई० तक यादविल का हिन्दी अनुवाद छप गया था और १८२० ई० में कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालेज में हिन्दी मुद्रणाक्य शुरू गया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपनी प्रतिभा से हिन्दी की बड़ी सेवा की तथा हिन्दी को परिमार्जित करने का प्रयत्न किया। वे शास्त्र में वर्तमान हिन्दी के प्रवर्तकों में प्रमुख हैं। स्वामी दयानन्द ने सबसे संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के लक्षणन के लिये प्रेरित किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के मार्ग पर चलनेवाले प्रमुख लेखकों में पण्डित प्रतापनारायण मिथ्र, पण्डित यदवीनारायण चौधरी, यादु सोताचम, पंडित धालकृष्ण भट्ट तथा पंडित अम्बिकादत्त श्याम थे। लक्ष्मण पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में हिन्दी के स्वरूप और व्याकरण की शुद्धता की ओर अधिक ध्यान दिया गया। उन्हीं दिनों बंगला का भी हिन्दी पर प्रभाव पड़ा और अनेक ग्रंथों के अनुवाद हुए। पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिथ्र यन्त्रुओं और पण्डित धर्मा के द्वारा भाष्योचना-साहित्य का क्षेत्र प्रारम्भ हुआ। यादु देवकीनन्दन खत्री तथा किशोरीलाल गोस्वामी ने हिन्दी में मौखिक उपन्यासों की रचना प्रारम्भ की। हिन्दी साहित्य के प्रसार और वृद्धि के लिये १८९९ ई० में यादु राधाकृष्ण दास, श्यामसुन्दर दास, पण्डित रामनारायण मिथ्र और ठाकुर शिवकुमार सिंह के प्रयत्नों से काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई जो निरंतर अपना कार्य करती आ रही है। बीसवीं शती में हिन्दी के आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ और इसके सभी बंगों की पूर्ति हुई है। कहानी और उपन्यास-लेखन का कार्य प्रेमचन्द ने बड़ी उत्तमता से किया और उसका अनुसरण करने वालों में जयशंकर प्रसाद, पंचन शर्मा उग्र, विश्वम्भर शर्मा कौशिक, जैनेन्द्र कुमार, धन्दायनलाल शर्मा, सुदर्शन तथा चतुरसेन शारदा आदि प्रमुख हैं। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक भी लिखे और बहुत प्रतिष्ठि प्राप्त की।

कविता क्षेत्र में श्रीयुत मैथिलीशरण जी गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दनपन्त, सूर्यधन्व त्रिपाठी 'मिथिला', महादेवी शर्मा, रामधारी सिंह 'दिनकर' और श्यामनारायण पाण्डेय आदि ने अच्छी ब्याक्ति पाई है। भाष्योचना-साहित्य को पं० रामचन्द्रशुक्ल, यादु श्यामसुन्दर दास, पं० मन्दुसारे याजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा पं० विश्व-

नाथप्रसाद मिश्र ने समृद्धि प्रदान की है। कृष्णदेव प्रसाद शौक 'वेद्य बजारसी' कान्तानाथ 'राजहंस' आदि ने हिन्दी को हास्यरस से युक्त किया है।

स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद हिन्दी देवनागरी लिपि में राज्य भाषा स्वीकार कर ली गई और इसकी अस्तिक भारतीय रूप से उन्नति और समृद्धि के लिये कार्य भी किये जाने लगे। संविधान लागू होने के १५ वर्षों बाद (१९६५ ई०) केन्द्रीय शासन की प्रधान भाषा हिन्दी हो जायगी, यह संविधान की धाराओं में लिखित है। उन्हीं धाराओं के अनुसार १९५५ ई० में स्वर्गीय बाळगंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक हिन्दी आयोग की भी नियुक्ति हुई, जिसने प्रायः सर्वमान्य सुझाव दिये हैं। परन्तु सब कुछ होते हुए भी हिन्दी का बसा विकास होना चाहिये था, बसा नहीं हो रहा है। उस विकास की गति अल्पमत धीमी है और यह कहना कठिन है कि १९६५ ई० तक राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का कहीं तक प्रयोग हो सकेगा। देश की राजनीति और कुछ अहिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रों की समास्थिति का ध्यान करते हुए प्रधान मंत्री श्री नेहरू जी ने संसद में यह घोषणा कर दी है कि हिन्दी न बोलने वाले क्षेत्रों के क्षेत्रों तक पहुँचने लक्ष्मी माध्यम का प्रयोग कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान की राज्यीय सरकारों ने हिन्दी को राज्यभाषा घोषित कर उसमें अपना बहुत कुछ कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

(४) उर्दू—मुगल-साम्राज्य के अन्तिम दिनों में उर्दू का विकास हुआ। उसके पहले मुगल-साम्राज्य की सरकारी भाषा फारसी थी, परन्तु बाद में हिन्दी-फारसी और बरबी के मेल से उर्दू बनी और धीरे-धीरे उसकी उन्नति होती गई। लखनऊ, दिल्ली, रामपुर और हैदराबाद आदि स्थान उर्दू के प्रसिद्ध केन्द्र हो गये। शासिक और औफ़ में उर्दू साहित्य को उन दिनों खूब समृद्ध बनाया। शासिक के प्रयत्नों से उर्दू के गद्य और पद्य दोनों की उन्नति हुई। मुगल-साम्राज्य की अवनति के बाद लखनऊ के मराठों ने उर्दू कवियों और लेखकों को आश्रय दिया। वहाँ नासिख और आतिश ने अपनी कविताओं के लिये बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। लखनऊ में मसियों के लेखन का भी बहुत प्रचार हुआ। 'आजाद' और 'हासी' ने उर्दू के नवीन युग का प्रारम्भ किया। अफ़्जर इलाहाबादी, डाफ़्तर खर मुहम्मद इक़बाल, ओश मस्तीदायादी ने भी उर्दू की बड़ी सेवाएँ कीं। आधुनिक उर्दू साहित्य में उनकी कविताओं का बड़ा आदर है। इक़बाल और हादी को उर्दू साहित्य की दृष्टि समाज की ओर से जाने का अधिक श्रेय है।

उर्दू के गद्य साहित्य को उन्नत करने के लिये सर्वप्रथम कठकता के शेर विधिपम कासेम के अध्यक्ष गिज़ाफ़ाइस्ट ने प्रयत्न किया। उन्होंने अनेक उर्दू के विद्वानों को इकट्ठा करके उर्दू की पुस्तकें लिखवाईं। १८३५ ई० में उर्दू अक्षरही भाषा बनायी गई और फ़रसवकूप उचरी भारत में इसका प्रचार हुआ। आधुनिक उर्दू की गद्य रचना का सर्वाधिक श्रेय 'ग़ालिब' और सर सैयद अहमद को है। सरक और इक्वामाही उर्दू लिखने में सर सैयद अहमद आग्रत निपुण थे। इनके अतिरिक्त उर्दू के गद्य लेखकों में मौलवी अस्ताफ़ हुसेन 'हाली', मौलाना शियाली, मौलवी अब्दुल हसीम, पण्डित रतननाथ 'सरदार' और मौलाना मुहम्मदहुसेन ने अपनी क्याति प्राप्त की। इनमें मौलवी अब्दुल हसीम और पण्डित रतननाथ अपने उपन्यासों के लिये अधिक प्रसिद्ध हुए। उर्दू में ग़ारकों को भी लिखने का प्रयत्न किया गया तथा अन्य कई भाषाओं के प्रसिद्ध माटकों का अनुवाद हुआ। इधर अलीगढ़ और हैदराबाद उर्दू के प्रसिद्ध केन्द्र हो गये हैं। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय ने उर्दू को सिपा का माध्यम बनाकर उमदी बरी सेवा की। उर्दू में मौखिक प्रयोग, अन्य भाषाओं के मुख्य प्रयोग के अनुवाद तथा पारिभाषिक शब्दकोश की रचनाएँ हुईं। औरंगाबाद के 'अनुमने सरफ़कीये उर्दू' ने उर्दू का अपना साहित्य प्रकाशित किया है।

(५) बंगला—बंगला साहित्य काफी पुराना है। आधुनिक काल में सिरामपुर के ईसाई बर्म-प्रचारकों ने बंगला साहित्य के गद्य को अपने श्रेणियों के प्रचार के लिये प्रोत्साहित किया। राजा राममोहन राय ने प्रभावोपायक गद्यशैली का प्रारम्भ किया। उनकी भाषा पर कुछ कासी शब्दों का अधिक प्रभाव था परन्तु भी ईश्वरचन्द्र विद्या-



बंकिमचन्द्र चटर्जी

साहित्य में भी परिचित हुआ। उस प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप बंगला

साहित्य के गद्य को अपने श्रेणियों के प्रचार के लिये प्रोत्साहित किया। राजा राममोहन राय ने प्रभावोपायक गद्यशैली का प्रारम्भ किया। उनकी भाषा पर कुछ कासी शब्दों का अधिक प्रभाव था परन्तु भी ईश्वरचन्द्र विद्या-सागर ने उसमें संस्कृत का प्रुट दिया। बंगाल की सत परम्परा से बंगला साहित्य को उन्नति के लिये बड़ा बल मिला। अंग्रेजी शासन का प्रभाव इण्डिया के बाद सर्वप्रथम बंगाल में पड़ा जो

के राष्ट्रीय साहित्य की नींव पड़ी। चंकिमचन्द्र खटर्जी इस परम्परा के प्रणेता थे। उन्होंने प्राचीन और अर्धाचीन का बड़ा सुन्दर समन्वय किया। उन्होंने 'व्यानन्द मठ' से बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की और देश को 'वन्देमातरम्' का राष्ट्रगान दिया। उनके अतिरिक्त शरदचन्द्र खट्टेपाच्याय, मधुसूदन दत्त, रमेशचन्द्र धुस और दिजेन्द्रलाल राय ने बंगाली साहित्य के विभिन्न अंगों को समृद्ध किया। बंगाल के काव्य साहित्य को चमका देनेवाले स्वर्गीय श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर केवल बंगाल के ही नहीं, सारे भारतीय साहित्य के अग्रणी कवि हुए हैं। 'गीताञ्जलि' पर उन्होंने विरचप्रसिद्ध 'नोबेल पुरस्कार' भी प्राप्त किया। भारत की अनेक भाषाओं पर बंगाली साहित्य का प्रभाव पड़ा है और वह अत्यन्त घनी और सुसंस्कृत साहित्य है।

(६) मराठी—अन्य भारतीय साहित्यों की भाँति मराठी साहित्य में भी पहले दूसरे साहित्यों की अच्छी कृतियों, विशेषता अँग्रेजी का, अनुवाद हुआ परन्तु बाद में उसमें भी मीठिकंठा आयी। व्यास और पाण्डुरंग ने मराठी का प्रथम व्याकरण बनाया। इसके पाद मराठी में प्रायः प्रत्येक विषय पर पुस्तकें लिखी गयीं। प्रसिद्ध मिश्रण सेनाक विष्णुशास्त्री त्रिपलूणकर ने आधुनिक मराठी गद्य-साहित्य की नींव डाली। अण्णा साहूव किरलो-स्कर ने नाटकों की परम्परा को प्रवाहित किया और कृष्ण श्री प्रभाकर तथा वासुदेव शास्त्री आदि ने इसे और धाने बढ़ाया। लोकमान्य टाळगांधी सिद्धक ने अपने 'केसरी' से तथा उनकी प्रेरणा से 'मराठा' आदि पत्रों ने भी मराठी साहित्य को धाने बढ़ाया। काशीनाथ ज्यम्बक तैलंग और न्यायधीश रामाडे ने भी अपने सामाजिक और साहित्यिक लेखों द्वारा उसकी सेवा की। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े तथा पारसनीस ने इतिहास में संशोधन-कार्य किया। हरिमोहन आष्टेने आधुनिक मराठी उपन्यास तथा श्रीकृष्ण कोन्दहटकर ने विनोद-साहित्य को जन्म दिया। विनायक सावरकर ने कविता-क्षेत्र में जोर पैदा किया। आधुनिक मराठी साहित्य के अन्य प्रसिद्ध लेखकों में चिन्तामणि विनायक त्रैप, डाक्टर केतकर, गो० स० सर-देसाई, महामहोपाध्याय ध० घा० पोतदार, साने गुरुजी देशपाण्डे, ना० ह० आष्टे का नाम आदिपूर्वक किया जाता है। आधुनिक मराठी साहित्य प्रत्येक दिशा में भरपूर उन्नति की ओर अग्रसर है।

(७) गुजराती—गुजराती साहित्य के उन्नत का श्रेय अष्टादशतः सतों को है। उनमें प्रेमचानन्द और ब्रह्मानन्द, जो स्वामीनारायण सम्प्रदाय के थे, प्रसिद्ध थे। उनके अतिरिक्त यज्ञम और हरिदास ने भक्ति-साहित्य समृद्ध किया। वृधाराज अत्यन्त प्रसिद्ध कवि हुए जिन्होंने गुजराती में सैकड़ों

पुस्तकें लिहीं। १८४० ई० में प्रसिद्ध अंग्रेज फोर्म्स ने 'गुजराती वर्नाक्यूलर सोसायटी' की स्थापना की, जिसके द्वारा पढ़ाने के लिये गुजराती पुस्तकें तैयार करायी गयीं। आधुनिक गुजराती साहित्य का सूत्रपात दत्तपतराम और व्यासकर से होता है। रणछोरेदास गिरधरभाई ने प्रारम्भिक शिक्षा के लिये गुजराती पुस्तकों को लिखवाने का प्रयत्न किया। मधरदास



धर्मपती राजगोपाठचारी

ने आलोचना-शास्त्र को अपना विषय बनाकर गुजराती को समृद्ध किया। मन्दाशंकर नुसाशंकर ने उपन्यास लिखना प्रारम्भ किया और उनका

'करण घेसो' नामक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। गुजराती के अन्य आधुनिक काल के लेखकों में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, बसन्तलाल देसाई, महादेव देसाई तथा बलघन्तराय अचार्य अधिक प्रसिद्ध हैं, परन्तु इनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को प्राप्त हुई है। उन्होंने गुजराती साहित्य के अलावा हिन्दी साहित्य को भी समृद्ध किया है।

(८) दक्षिण भारतीय भाषायें और साहित्य—बंगाली साहित्यकाल में दक्षिण भारत की भाषाओं ने काफी उन्नति की है। उनमें तामिल का स्थान सर्वप्रथम है। तामिल के आधुनिक गद्य-साहित्य को शैल्य केशवराय, महामहोपाध्याय स्वामीनाथ शास्त्री, माधवैह, श्रीनिवास भायंगर, श्रीनिवासशास्त्री और स्वकवर्ती राजगोपालाचारी ने समृद्ध किया है। इन लेखकों ने मुख्यतः गद्य लिखा है। उपन्यासक्षेत्र में सूर्यनारायण शास्त्री, सञ्जन पिछ्छई, घेदनागयम पिछ्छई, राजबेलु चेट्टियर आदि ने पर्याप्त कार्य किया है। नाटककारों में सुन्दर पिछ्छई सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी कवियों में भारती प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार तेलगू ने भी प्रगति की है। आधुनिक तेलगू साहित्यकारों में धीरेशलिङ्गम् अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। नाटक, उपन्यास, गद्य और विज्ञान आदि सभी पर इनका अधिकार है। इनके अतिरिक्त लक्ष्मीनरसिंहम्, सुष्यारय्यहू और वेंकटेश्वर कयुलु ने भी तेलगू साहित्य की श्रीवृद्धि की है। आन्ध्र 'भांध साहित्य-परिषद्' तेलगू की उन्नति के लिये अच्छा कार्य कर रही है।

भारत की अन्य सभी प्रमुख भाषाओं मलयाळम, कन्नड़, उर्दू, और आसामी इत्यादि के साहित्यों में बंगाली काल में कुछ प्र कुछ उन्नति हुई है और उनमें भी प्रेष्ठ रचनायें हो रही हैं।

(९) अनुशीलन—प्राचीनताओं से युक्त भारतवर्ष में पश्चिम से संसार में आने के बाद शोध कार्य की ओर भी ध्यान दिया और पर्याप्त उन्नति की। विज्ञान के क्षेत्र में इस देश के अनेक विद्वान् विदेशियों की तुलना में उठ खड़े हुए। उनमें सर जगदीशचन्द्र बोस, डाक्टर मेघनाथ साहा, सर सी० वी० रामन, आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय तथा डाक्टर माया ने वैज्ञानिक विश्वप्रसिद्धि प्राप्त की है। प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में भी शोध का कार्य बहुत आगे बढ़ा। राजेन्द्रलालमित्र, रमेशचन्द्र दत्त, मगधानलाल इन्द्रजी, डा० रामकृष्णगोपाल मण्डारकर, सर यदुनाथ सरकार, सरदेसाई, डा० रमेशचन्द्र मजुमदार, डा० राधाकुमुद मुकर्जी, डा० देवदत्त रामकृष्ण मण्डारकर, डा० कश्मीप्रसाद आयसवाल, प्रो० नीलकान्त दास्त्री, डॉ० अक्षतेकर आदि ने प्राचीन भारतीय इतिहास की शोध में उत्तम

कार्य किया है। उस क्षेत्र में कार्य करनेवाली संस्थाओं में रायसहा पश्चिमाटिक सोसायटी की सबसे शक्तिशाली, बंगाल शाखा, बिहार तथा 'उड़ीसा-रिसर्च-सोसायटी' शाखा तथा पूना के 'ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट' ने अपनी भूमिका निभायी है।

३. कलात्मक पुनर्जागरण

मुगल-शासनायुग की अवधि के बाद भारतवर्ष राजनीतिक दृष्टि से तो युरोपीय जातियों का दास हो ही गया था, इसके साथ-साथ यहाँ की कला का भी बहुत हास हुआ। ब्रिटेनी सरकार ने, उसकी उन्नति करना तो दूर रहा, उसकी रक्षा का भी कोई उपाय नहीं किया और इस क्षेत्र में कलाविदों की अत्यन्त कमी हो गयी। जो भी नवनिर्माण हुआ उसमें भारतीय दृष्टि से परदात्मक प्रवृत्तियों का अभाव होने लगा तथा पाश्चात्य कलाओं की केवल नकल मात्र रह गयी। परन्तु यह क्षणीय अवस्था बहुत दिनों तक रहनेवाली नहीं थी और १९वीं शती के मध्यकाल में भारतवर्ष में पुनर्जागरण का जो युग प्रारंभ हुआ, उसके साथ कलात्मक पुनर्जागरण भी हुआ। इस कार्य में कुछ विदेशियों का भी हाथ रहा। सर जेम्स जैम्बर कनिंघम, फर्मुसन तथा हुस्वर आदि विद्वानों ने जब भारतीय पुरातत्त्व के साथ भारतीय कला के नमूनों को उपरिचित करना प्रारंभ किया तो उससे अनेक भारतीय कलाकार प्रभावित हुये। फलतः प्राचीन कलाओं के प्रत्येक रूपों की और कलाविदों की दृष्टि गयी और उनको आचार मानकर नये-नये निर्माण होने लगे। नवनिर्माणों के साथ प्रगति भी हुई और प्राचीन तथा नवीन और पूर्व तथा पश्चिम के समन्वय का भी ध्यान रखा गया।

(१) स्थापत्य—स्थापत्य भारतीय कला का सदा से एक मुख्य अंग रहा है। पुनर्जागरण में स्थापत्य की ओर भी ध्यान दिया गया। जब अंग्रेज पहले-पहल भारत में आये तो वे भारतीय अंग के बने हुए मकानों में ही रहते थे, परन्तु जब पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित नये-नये शहर उभरने लगे तो प्रारंभ किया तो युरोपीय अंग के मकान भी बनने लगे। गीमेन्ट के पत्थर और ईंटों के प्रयोग से कठकता, मद्दास, बम्बई तथा मुर्शिदाबाद जैसे शहरों का निर्माण हुआ; परन्तु पहले अधिकांश मकान सरकार के अन्तर्निर्माण विभाग के द्वारा बनाये जाते थे और वे सुन्दर नहीं होते थे। बाद में उनमें सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया गया और दिल्ली का आइसराय मकान तथा कीसिल भवन, कटकसे का विक्टोरिया मेमोरियल, और अमनक का कीसिल भवन तथा ताजुकेदारों के बंगले, नमूने के रूप में गिनाये जा

सकते हैं। परन्तु इनकी शैली पाश्चात्य है। इनके अतिरिक्त भारतीय शैली का भी प्रचार होने लगा और अनेक भवन बनाये गये। वे विशेषतः राजपूताने में बने, परन्तु यहाँ के अतिरिक्त भी उनके सुन्दर उदाहरण प्राप्त हैं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मयम, दिल्ली का लक्ष्मीनारायण मंदिर, मथुरा का गीता-मन्दिर तथा काशी का भारतमाता का मंदिर भारतीय शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि स्वातंत्र्य की इस भारतीय शैली की महत्ता को पुनर्जीवित करने का विशेष ध्येय श्री १० पी० व्ही० हैवेल महोदय तथा श्री आनन्दकुमार स्वामी के द्वारा प्रवृत्त प्रेरणाओं को है।

(२) मूर्तिकला—अन्य कलाओं की तरह मूर्तिकला को भी पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है। इसका सम्बन्ध चित्रकला से होने के कारण दोनों में प्रायः समानता रही है और उनका विकास साथ-साथ हुआ है। भारतवर्ष की प्राचीन मूर्तियों की कला का सजीव विरलेपण करके श्री हैवेल महोदय ने मूर्तिकारों को एक नयी दिशा दी है। इस क्षेत्र के सर्वप्रमुख व्यक्ति श्री अखनीन्द्रनाथ ठाकुर हैं। उन्होंने प्राचीन परम्पराओं को पुनः जीवनदान दिया है। तथा उनके पद शिष्य श्री वैद्यप्रसाद राय चौधरी इनका कार्य आगे ले चल रहे हैं।

(३) चित्रकला—हैवेल महोदय का नाम चित्रकला की अभिषेकना से भी है। उन्होंने तथा श्री अखनीन्द्रनाथ ठाकुर ने सृजनारम्भ चित्रकला की नींव डाली। परन्तु भारतीयों पर विशेष और क्रांतिकारी प्रभाव श्री अखनीन्द्रनाथ ठाकुर का ही हुआ। उन्होंने 'दि इण्डियन सोसायटी आफ् ओरियण्टल आर्ट' नामक संस्था को स्थापित करके भारतीय कला के पुनर्जीवन का आन्दोलन प्रारंभ किया और उनके साथ उनके शिष्यों, श्री सुरेन्द्र गंगोली, श्री मन्दासाल बोस और श्री अक्षितकुमार इल्लधरने बहुत कुछ कार्य किया। इनमें श्री मन्दासाल बोस अत्यन्त प्रसिद्ध हुए और उनकी कलामय कृतियों और चित्रों की बड़ी प्रशंसा की जाती है। उनके अतिरिक्त अमृतरामान खगताई और अमृत प्रोत्तगिस्त भी इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुके हैं। इन व्यक्तियों के अतिरिक्त सांतिनिकेतन, बम्बई, कलकत्ता और उत्तरप्रदेश आदि नगरों में कला-विद्यालयों के अन्तर्गत अनेक कलाकार चित्रकला की कृतियों के निर्माण में कार्य कर रहे हैं। बम्बई के कलामन्दिर ने इन चित्रों के लिये पाश्चात्य शैली का भी उपयोग किया है। ऐसा करने में यहाँ के डॉक्टर सुलेमान अधिक प्रसिद्ध हैं।

(४) संगीत और नृत्य—मुगल-शासन की अवधि के बाद भारतवर्ष के संगीतज्ञों को कुछ निराश्रम होना पड़ा, परन्तु अब भी उनमें से

अधिकतर राजपूत दरबारों और नवाबों के यहाँ थे। इस प्रकार संगीत भी संगीतज्ञ तो रहे, परन्तु कलात्मक विकास की दृष्टि से इसके छिये कुछ नहीं हुआ। इस दिशा में स्वर्गीय श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर और उनके परिवार ने बहुत बड़ा कार्य किया और सबके दृश्य में संगीत-कला के छिये प्रेम उत्पन्न किया। रवीन्द्रनाथ के गीतों ने गायकों को मया स्वर दिया। इसके अनिर्दिष्ट पम्बई की 'ग्रामोत्रेफ मण्डली' ने संगीत-क्षेत्र में पुनर्जागरण लाने का विशेष प्रयत्न किया। उसी के प्रतिनिधि सदस्य श्री मटस्रण्डे जी ने संगीत में महीम सिद्धा का क्रम चलाया। उनके प्रयत्नों से ग्यालियर संगीत का एक मुख्य केंद्र बन गया। उनके अनिर्दिष्ट विष्णु विगंयर जी का एक दूसरा भी बड़ा धा, जिसने संगीत-कला को ऊपर उठाया। भव पम्बई, पूना, कलकत्ता, बङ्गौरा, लखनऊ, बनारस और इम्बौर में संगीत सिद्धा के छिये अनेक विद्यालय और महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। समय समय पर सरकार देश के प्रसिद्ध संगीतज्ञों और कलाकारों को सम्मानित करती रहती है। अखिल भारतीय आकाशवाणी के कार्यक्रमों में अब उनके विशेष स्थान दिया जाने लगा है और आशा है संगीत को उत्साह मिलता रहेगा तथा उसके पुनर्जागरण की धारा आगे प्रवाहित होती रहेगी।

नृत्य में भी महान् पुनर्जीवन आया है। इस क्षेत्र में श्री दिल्लीपुत्रमार राय और श्री उदयशंकर के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने प्राचीन भारतीय नृत्य की परम्परा को पुनः जागृत करके उसमें लोचों की विशेष दृष्टि उत्पन्न कर ली है। श्री उदयशंकर ने भारतीय नृत्य की परम्परा से आधुनिक विचारों का आदर्शजनक सम्मेलन स्थापित करके कौतूहल और मूढ के छिये विशेष आवर उत्पन्न किया है। भारतीय नृत्य के अन्य प्रसिद्ध प्रदर्शक श्रीमती रुक्मिणी देवी, रामगोपाल तथा कुमारी दमयन्ती जोशी आदि हैं। इन व्यक्तियों के अनिर्दिष्ट मास्साम के प्राचीन कुमारी नृत्य संघ, विश्वभारती, केरल कलामण्डल तथा भारतीय विद्याभवन आदि संस्थाएँ भी नृत्य-कला के विकास और उसमें पुनर्जीवन लाने के छिये प्रयासनीय प्रयत्न कर रही हैं। कलकत्ता क्षेत्र में कथाकाली, भरतनाट्यम् और मणिपुर नृत्य की लोकप्रियता बढ़ रही है। आधुनिक प्रवृत्ति यह हो रही है कि लोक-नृत्यों को भी प्रोत्साहित किया जाय।

(५) रंगमंच—आधुनिक सम्बन्ध के तीव्र अभिप्राय आगे-प्रगे के अनेक नये-नये साधन आ गये हैं और प्रायः प्रत्येक रंगमंच अपनी विशेष आकर्षकताओं तथा कठिनाइयों के कारण पीढ़े पड़ गया है। विनोद विशाल

ने रंगमंच की लोकप्रियता को बहुत घटा दिया है और भारतवर्ष भी इसका अपवाद नहीं है। तथापि रंगमंच को पुनः अपनी पुरानी प्रतिष्ठा दिखाने का अनेक भारतीय कलाकार प्रयत्न कर रहे हैं। इस दिशा में सर्वप्रथम और मुख्य कार्य स्वर्गीय श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था और उनके प्रयत्नों से प्राचीन भारतीय नाटकों का अभिनय कई क्षेत्रों में किया गया। देश में अनेक ऐसी नाटक मण्डलियाँ हैं जो रंगमंच की लोकप्रियता अथवा भी बनाये हुए हैं। इसमें प्रसिद्ध कलाकार श्री पृथ्वीराज कपूर इस दिशा में अधिक प्रयत्नशील हैं और इस दिशा में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है।

—*—

४१ अध्याय

सामाजिक और आर्थिक अवस्था

१. सामाजिक प्रगति

(१) उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ में

भारतवर्ष में अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लेने के बाद पर्वों की सामाजिक अवस्था को भी प्रभावित करना प्रारंभ किया। १८वीं शती के अन्त तक ईसाईयों ने तथा उमकी धर्म प्रचारक संस्थाओं ने भारतीयों को अपनी ओर आकृष्ट करना शुरू किया और पर्वों एक ऐसे वर्ग का उद्भव होने लगा जो पश्चिमी सभ्यता और समाज को आदर्श मानकर भारतीय समाज को पूर्णता की दृष्टि से देखने लगा। हिन्दू मुसलमानों का कई सौ वर्षों तक साथ-साथ रहना भी एक दूसरे को सामाजिक दृष्टि से बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सका था और उमकी समाजता अधिकता केवल अर्थिक दृष्टि तक ही सीमित थी। हिन्दुओं में एक कट्टरपन भा गया था और उसके कारण अल्प विश्वास और कट्टरपादित अधिपतता हिन्दुओं में प्राप्त थी। कर्मठता और जीवन का अभाव था और सामाजिक दृष्टि से पुनर्जागरण की आवश्यकता थी।

(२) पुनर्जागरण

अंग्रेजी शिक्षा से भारतवर्ष में पश्चात्त सभ्यता और विचारों का प्रचार हुआ। कुछ भारतीय ऐसे अग्रगण्य रहे जिन्होंने अपने को पश्चिमी रंग में रंगकर अपनी भारतीयता बिल्कुल छो दी, परन्तु अधिकांशतः नवसिपिणों ने पश्चिमीय सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करके उमकी अपनी बातों को अपने पर्वों छाने का प्रयास किया। भारतीय समाज की दृष्टि में उमका विरक्षण कम नहीं हुआ और वे कट्टरपंथ को छोड़कर उद्धारता के प्रचार में लग गये। साधारण लोगों का भारतीय समाज में अट्टर विरक्षण था और उमकी रक्षा के लिये वे सदा तत्पर रहते थे। केवल उसे गति देने की आवश्यकता थी। १९ वीं शती के प्रारंभ से ही भारतीय पुनरुत्थाप प्रारंभ हो गया। पुनर्जाग-

रण का कार्य. सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने बंगाल से प्रारम्भ किया। उन्होंने वर्ण-व्यवस्था और मूर्ति-पूजा का विरोध किया और ब्रह्मसमाज की स्थापना की। यद्यपि वर्ण-व्यवस्था सम्बन्धी उनके विचारों से साधारण जनता बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई, परन्तु उनके अन्य उदार विचारों को पर्याप्त समर्थन मिला। साधारण हिन्दू समाज अब भी चार वर्णों और चार आश्रमों में विरवास करता था। वर्णों का तो अभी पूर्ण आदर था, परन्तु आश्रमों की व्यवस्था का पालन हीना हो गया। १८५० ई० का जो राष्ट्रीय विप्लव हुआ उससे भारतीय समाज की वर्ण-व्यवस्था में व्याप्त स्पष्ट रूप से दिशापी पड़ी।



राजा राममोहन राय

(१) सामाजिक आन्दोलन

ऊपर कहा जा चुका है कि अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ-साथ भारत में सामाजिक उदारता छाने के लिये राजा राममोहन राय सर्वप्रथम प्रयत्नशील हुए। उन्होंने १८२० ई० में ब्रह्मसमाज की स्थापना की। उसमें सभी धर्मों से शिक्षित लोग बिना किसी भेदभाव से ईश्वर की पूजा के लिये व्यामिश्रित किये गये। उन्होंने वर्ण-बन्धन, जाति-बन्धन, मूर्ति-पूजा, पशु और शक्ति का विरोध किया और विश्वबन्धुत्व का समर्थन किया। उनकी मृत्यु के बाद वैद्येन्द्रनाथ ठाकुर और केशवचन्द्र सेन ने ब्रह्मसमाज को और अधिक प्रगतिशील बनाया; परन्तु बाद में मतभेद के कारण वे दोनों बहल होकर कार्य करने लगे। राजा राममोहन राय ने सती-प्रथा का विरोध किया और विधवा-विवाह तथा अंग्रेजी भाषा का समर्थन। तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से इन सबके सम्बन्ध में उन्होंने नया कानून भी पास कराया और उसे सामाजिक सुधार की ओर अग्रसर किया।

महाराष्ट्र में एक दूसरा सुधारवादी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। १८१० ई० में बम्बई में 'प्रार्थना-समाज' की स्थापना हुई। इस समाज का उद्देश्य यह था कि अन्तर्जातीय विवाह, स्नान-पान, विधवा-विवाह, महिलाओं और हरिजनों का उत्थान तथा सामूहिक प्रार्थना हो। उस हेतु इसकी ओर से बम्बई और मद्रास में स्थान-स्थान पर प्रार्थना-समाजों की स्थापना के साथ ही साथ

४१ अध्याय

सामाजिक और आर्थिक अवस्था

१. सामाजिक प्रगति

(१) उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ में

भारतवर्ष में अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर देने के बाद वहाँ की सामाजिक अवस्था को भी प्रभावित करना प्रारंभ किया। १८वीं शती के अन्त तक ईसाईयों ने तथा उनकी धर्म-प्रचारक संस्थाओं ने भारतीयों को अपनी ओर आकृष्ट करना शुरू किया और वहाँ एक ऐसे वर्ग का उदय होने लगा जो पश्चिमी सभ्यता और समाज को आदर्श मानकर भारतीय समाज को पूजा की दृष्टि से देखने लगा। हिन्दू मुसलमानों का कई सौ वर्षों तक साम-साय रहना भी एक दूसरे को सामाजिक दृष्टि से बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सका था और उनकी समानता अधिकतातः केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित थी। हिन्दुओं में एक कट्टरपन था तथा था और उसके कारण अन्ध विश्वास और रूढ़िवादिता अधिकतः हिन्दुओं में व्याप्त थी। कर्मठता और जीवन का अभाव था और सामाजिक दृष्टि से पुनर्जागरण की आवश्यकता थी।

(२) पुनर्जागरण

अंग्रेजी शिक्षा से भारतवर्ष में पाश्चात्य सभ्यता और विचारों का प्रचार हुआ। कुछ भारतीय ऐसे उत्पन्न रहे जिन्होंने अपने को पश्चिमी रंग में रंगकर अपनी भारतीयता बिल्कुल छोड़ी, परन्तु अधिकतातः मजदुरियों ने पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करके उसकी अच्छी बातों को अपने वहाँ कामे का प्रयत्न किया। भारतीय समाज की दृष्टता में उनका विश्वास कम नहीं हुआ और वे कट्टरपन को छोड़कर उदारता के प्रचार में लग गये। साधारण लोगों का भारतीय समाज में अटूट विश्वास था और उसकी रक्षा के लिये वे सदा तत्पर रहते थे। केवल उसे शक्ति देने की आवश्यकता थी। १९ वीं शती के प्रारंभ से ही भारतीय पुनरुत्थान प्रारंभ हो गया। पुनर्जाग-

रण का कार्य सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने बंगाल से प्रारम्भ किया। उन्होंने वर्ण-व्यवस्था और मूर्ति-पूजा का विरोध किया और ब्रह्मसमाज की स्थापना की। यद्यपि वर्ण-व्यवस्था सम्बन्धी उनके विचारों से साधारण जनता बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई, परन्तु उनके अन्ध उदार विचारों को पर्याप्त समर्थन मिला। साधारण हिन्दू समाज अब भी चार वर्णों और चार जातियों में बिरासत करता था। वर्णों का तो अभी पूर्ण आवरण था, परन्तु जातियों की व्यवस्था का पाठन बीका हो गया। १८५० ई० का जो राष्ट्रीय विप्लव हुआ उससे भारतीय समाज की वर्ण-व्यवस्था में व्याप्त स्पष्ट रूप से दिशाहीनता पड़ी।



राजा राममोहन राय

(३) सामाजिक आन्दोलन

ऊपर कहा जा चुका है कि अंग्रेजी शिक्षा के यकते हुए प्रभाव के साथ-साथ भारत में सामाजिक उदारता कानि के लिये राजा राममोहन राय सर्वप्रथम प्रयत्नशील हुए। उन्होंने १८१० ई० में ब्रह्मसमाज की स्थापना की। उसमें सभी धर्मों से शिक्षित लोग विना किसी भेदभाव से ईश्वर की पूजा के लिये आमंत्रित किये गये। उन्होंने वर्ण-बन्धन, जाति-बंधन, मूर्ति-पूजा, बलि और बलि का विरोध किया और बिरवचन्द्रपुत्र का समर्थन किया। उनकी श्रुति के बाद देवेन्द्रनाथ ठाकुर और केशवचन्द्र-सेन ने ब्रह्मसमाज को और अधिक प्रगतिशील बनाया; परन्तु बाद में मतभेद के कारण वे दोनों अलग होकर कार्य करने लगे। राजा राममोहन राय ने सती-प्रथा का विरोध किया और विधवा-विवाह तथा अंग्रेजी भाषा का समर्थन। तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से इन सबके सम्बन्ध में उन्होंने नया कानून भी पास कराया और उसे सामाजिक सुधार की ओर अग्रसर किया।

महाराष्ट्र में एक दूसरा सुधारवादी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। १८१० ई० में बम्बई में 'प्रार्थना-समाज' की स्थापना हुई। इस समाज का उद्देश्य यह था कि अस्तर्जातीय विवाह, स्नान-पान, विधवा-विवाह, महिलाओं और हरिजनों का उत्थान तथा सामूहिक प्रार्थना हो। उस हेतु इसकी ओर से बम्बई और मद्रास में स्थान-स्थान पर प्रार्थना-समाजों की स्थापना के साथ ही साथ

विधवाधम, भगवाण्डय और अछूतों के अनेक संस्थाएँ खोली गयीं। सर रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर और न्यायाधीश रानाडे इस आन्दोलन के नेता थे। रानाडे महोदय केवल एक न्यायाधीश ही नहीं अपितु एक इतिहासज्ञ, शिक्षा-शास्त्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनकारों में से भी थे। उन्होंने अनेक उद्दीयमान समाजसेवियों और नेताओं को अपनी ओर आकृष्ट किया। उनकी प्रेरणा से १८८९ ई० में एक नए एजुकेशन सोसाइटी (दक्षिण शिक्षा-समिति) की स्थापना हुई और गोखले, तिलक तथा आगरकर जैसे व्यक्ति इसके सदस्य हुए। ये लोग आदर्शवादी व्यक्ति थे और शिक्षा-प्रसार में अटूट विरवास करते थे। इन्हींके प्रयत्नों से पूना में 'फर्ग्युसन कालेज' की स्थापना हुई और सबसे ७५ प्रतिमास जैसे छोटे-बेतन को स्वीकार कर शिक्षाकार्य करना प्रारम्भ किया। १९०५ ई० में श्रीयुक्त गोखले ने 'सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी' (भारत सेवक समाज) की स्थापना की, जो अब भी सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक संघ है, जिसके सदस्य त्याग और आदर्श के लिये प्रसिद्ध हैं। सार्वजनिक जीवन का अध्ययन और साधारण सामाजिक सेवा करना इसका उद्देश्य था। इसके प्रमुख सदस्य नारायण मन्हार जोशी ने बम्बई की 'सोशल सर्विस लीग' के द्वारा, हृदयनारायण कुँजरू ने प्रयाग में 'सेवासमिति' द्वारा, श्रीराम याज्ञपेयी ने 'स्काटलैंड एसोसियेशन' के द्वारा तथा श्री ठक्कर बापा ने गुजरात में मीलों के उत्थान-कार्य द्वारा वेस की बहुत बड़ी सेवा की है।

श्रीमहयानन्द सरस्वती ने हिन्दू समाज के उत्थान और धर्म के सुधार के लिये १८७७ ई० में धार्यसमाज की स्थापना की। जैसे छपर ने यूरोप में



श्रीमहयानन्द सरस्वती

अवतारवाद तथा भाद की आलोचना की। बाह-विवाह और समुद्र-यात्रा-

ईसाई धर्म के आदर्शों को चुनौती दी उसी प्रकार यवानन्द ने भारत में हिन्दू धर्म के आदर्शों के प्रति किया। उन्होंने केवल वेदों को प्रमाण माना और हिन्दुओं को उन्हीं की साक्षी और पवित्रता की ओर लौटने के लिये प्रेरित किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'सत्यार्थ-प्रकाश' के द्वारा हिन्दुओं में प्रचलित अन्धविश्वासों और रीतियों का विरोध किया और अनेक-अंधवाद, मूर्तिपूजा, जाति-पाँति, बाह-विवाह और समुद्र-यात्रा-

विषय का भी उन्होंने विरोध किया। विधवा-विवाह और स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहित किया तथा हिन्दुओं की प्राचीन संस्कृति और आदर्शों का ध्वस्त विनाश कर उन्हें उरसाहित किया। उन्होंने स्वधर्म, स्वभाषा (हिन्दी), स्वदेश और स्वराज की आवाज उठायी। उनके मरने के बाद भी आर्यसमाज का आंदोलन हीला नहीं हुआ। स्वामी श्यामानन्द ने द्रुवि-आम्बोलन को जन्म दिया तथा छात्रा हंसराज की प्रेरणा से देश में आर्यसमाज के सहयोग से अछनेवाली शिक्षा-संस्थाओं का एक बाल बिड़ा दिया गया। आर्यसमाज ने हिन्दू समाज में रुढ़िवादिता को नष्ट करके उदारता काने का जो प्रपञ्च किया वह राष्ट्रीय उत्थान में एक बहुमूल्य वन है।

१८७५ ई० में 'थियोसोफिकल सोसायटी' की स्थापना हुई।

श्रीमती एनीबेसेन्ट के नेतृत्व में इसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। यद्यपि इसका उद्देश्य यह था कि सभी धर्मों की सार-भूत विशेषताओं और अच्छी बातों को लेकर उनका प्रचार किया जाय तथापि यह नवीन धार्मिक संस्था हिन्दू धर्म की ओर अधिक आकृष्ट रही और उसके द्वारा हिन्दू समाज की प्रतिष्ठा के साथ-साथ उसमें उदारता का विस्तार हुआ।



एनीबेसेन्ट

अपर्युक्त मुख्य आंदोलनों के अतिरिक्त देश में अनेक धार्मिक और सामाजिक आन्दोलन चले। उनमें रामकृष्ण परमहंस की भक्ति और स्वामी विवेकानन्द की आध्यात्मिकता ने देश को बड़ा प्रभावित किया। स्वामी विवेकानन्द ने अपनी अपूर्व बक्तृता और प्रतिभा के बल से परमहंस रामकृष्ण के संदेशों और भारतीय आध्यात्मिकता को अमेरिका जैसे दूरस्थ देशों तक पहुँचाया। भारतवर्ष के भीतर रामकृष्ण मिशन के द्वारा समाज की हर तरह से सेवाएँ हो रही हैं। दयालयाग के राधास्वामी सत्संग के द्वारा भी हिन्दू समाज का मेघभाव दूर हुआ है।

(४) सामाजिक उदारता और सुधार

ऊपर यह कहा जा चुका है कि १८५७ ई० के राष्ट्रीय विद्रोह तक धर्म, धर्म तथा रुढ़िवादिता का जोर रहा। परन्तु उसके बाद देश के अनेक धार्मिक और सामाजिक आन्दोलनों के फलस्वरूप हममें दिखाई आयी, कष्टरूपी कम

होने लगी और उदारता बढ़ी। जाति-पंक्ति के भेद को कम करने में रेल, तार, डाक और पातपात के अन्वय साधनों ने भी बड़ा काम किया। रेल के हिस्सों में साथ-साथ यात्रा करने और भोजन करने से हिन्दू भाषण में ही नहीं अपितु मुसलमान, ईसाई, पारसी और अन्य सभी वर्गों के लोग एक दूसरे के निकट जाने लगे। जातिभेद होने का भय घाटा रहा। स्वामी दयानन्द से प्रभावित संस्थाओं ने, जैसे—आर्यसमाज, इण्डियन सोसायटी काङ्ग्रेस और 'विद्वेष-बलासेन मिशन सोसायटी' ने अनेक सामाजिक सुराइयों को रोकने का कार्य किया। बाल-विवाह, बलात्कृत ब्रह्मण्य को रोकने, जाति-पंक्ति का भेद मिटाने और अछूतों के आंदोलन प्रारम्भ हो गये। १९२३ ई० में हिन्दू महासभा जैसी कठोर संस्था ने भी अछूतों को सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव पास किया। शारदा एक्ट (१९३० ई०) के द्वारा १४ वर्ष से कम की कन्याओं और १८ वर्ष से कम के लड़कों का विवाह कानूनमन्त्र अक्षय मान किया गया। श्री ईश्वरधर विद्यासागर के प्रयत्नों से विधवा-विवाह १८५९ ई० के एक कानून द्वारा बचापि वैध हो मान लिया गया किन्तु उसका बहुत दिनों तक विरोध हुआ। अब ऐसी परिस्थिति आ गयी है, अब वह विरोध और घुणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता। स्वतंत्र भारत की कांग्रेस सरकार ने हिन्दू उत्थापिकार विधान के द्वारा हिन्दू समाज की स्त्रियों को अपने पिता भगवा पति की सम्पत्ति में श्राव्य और भाग पाने का अधिकारी बना दिया है। अनेक अवस्थाओं में उन्हें लड़क का भी अधिकार दे दिया गया है।

(५) अस्पृश्यता निवारण

जाति-भेद का सबसे बड़ा दोष अछूतों की समस्याओं में दिखाई दिया। वे हिन्दू समाज के तिरस्कृत अंग हो गये। उनके प्रति सर्वत्र हिंदुओं ने वर्तनशीलता दिखाना ही अपना धर्म समझा। मंत्रियों, सार्वजनिक स्थानों तथा सामाजिक उत्सवों के उपयोग से वे बंथित हो गये। अस्पृश्यता बहुत बढ़ गयी और अखण्ड भारत में तो उनकी परझाई का स्पर्श ही अपवित्र माना जाने लगा। इसकी बड़ी भारी प्रतिक्रिया हुई। पहले तो बहुत से अछूतों ने ईसाई धर्म को अपना लिया परंतु बाद में वे हिन्दू धर्म के भीतर ही रहकर अन्य हिन्दुओं से अपनी बराबरी का जारा बुझाने करने लगे। देश की सभी समाज-सुधारक संस्थाओं ने उनकी दशा सुधारने का कार्य प्रारंभ कर दिया। आर्यसमाज उम सब में आगे था। 'शुद्धि' द्वारा अनेक ईसाई और मुसलमान बने अछूत पुत्र हिन्दू बना लिये गये। बम्बई के दक्षिण वर्ग मिशन ने उनके शरण का शराहीन कार्य किया। परंतु सबसे अधिक सेवा अछूतों को

महात्मा गांधी से प्राप्त हुई। उनके द्वारा प्रेरित हरिजनसेवक संघ, हरिसन आंदोलन और 'हरिजन' पत्र ने असूतों का नाम बदलकर हरिजन (ईश्वर का भक्त) कर दिया और उन्हें समाज में छाने का सराहनीय कार्य किया। जब भारतीय स्वतंत्रता की वेगपूर्ण लहरों को दबाने के लिये अंग्रेजों ने हरिजनों को सर्वज्ञ हिन्दुओं से अलग करने की योजना बनायी, तो गांधीजी ने उसे रोकने के लिये १९३२ में आन्दोलन आरम्भ किया और 'पूजा पैक्ट' के फलस्वरूप हरिजनों को हिन्दू समाज का अविच्छेद्य अंग मानकर अनेक सुविधायें दी गयीं। स्वतंत्र भारत के संविधान में असुरक्षित प्रत्येक रूप में भेद और वंशनीय मानी गयी है तथा हरिजनों को सरकारी नौकरियों में नियत संख्या दी गयी है। अन्य पिछड़ी जातियों को भी ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है और इस क्षेत्र में स्वर्गीय टिळक बापा का मीठों को उठाने वाला प्रयत्न सराहनीय रहा है।

(६) स्त्रियों की अवस्था

अंग्रेजी शासन-काल में स्त्रियों की उन्नति की ओर भी ध्यान दिया गया। १८५० ई० के राष्ट्रीय विप्लव के पहले ही स्त्री-शिक्षा के लिये अनेक पाठशाळाएँ खोली जा चुकी थीं। तदुपरान्त प्रायः सभी सामाजिक आन्दोलनों का यह प्रमुख लक्ष्य हो गया कि महिलाओं की शैक्षिक और सामाजिक उन्नति की जाय। १९०० ई० में भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई और महिलाओं की सर्वांगीण उन्नति का प्रयत्न होने लगा। श्रीमती रानाडे ने १९०८ ई० में पूना में सेवासङ्घ स्थापित किया तथा १९१० ई० में उनकी डाक्टरी सेवा के लिये एक संस्था 'वीमेन्स मेडिकल सर्विस' स्थापित हुई। इन संस्थाओं के द्वारा स्त्रियों को 'नर्सरी' और 'मिडवाइफरी' (शिक्षा-सेवा और प्रसूताओं की सेवा) सम्बन्धी डाक्टरी परीक्षा दिलाने का प्रयत्न भी किया गया। १९१९ ई० में स्त्रियों को डाक्टरी शिक्षा देने के लिये दिल्ली में लेडी हार्डिज मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गयी। इसके अतिरिक्त साधारण शिक्षा के लिये छद्मियों के अनेक विद्यालय और महाविद्यालय खोले गये। प्रोफेसर कार्य द्वारा स्थापित पूना का महिला विश्वविद्यालय इन अर्थों प्रमुख है, जिसने महिलाओं में शिक्षा-प्रचार में बड़ा योग दिया है। स्वतंत्र भारत में स्त्रियों का समाज में पुरुषों के बराबर स्थान है और उनको पूर्ण मताधिकार भी प्राप्त है। योग्यता होने पर वे प्रत्येक अजमेबा विभाग में छोटे-बड़े सभी पदों पर नियुक्त की जा रही हैं और उस नीति के फलस्वरूप राजनीतिक क्षेत्र में वे पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। देश के अनेक प्रांतीय तथा केन्द्रीय मंत्रिमण्डलों, धारासभाओं, विदेशी दूतावासों और सविज्ञान प्रतिनिधि-मण्डलों में अनेक योग्य स्त्रियों ने

भाग किया है और अपना कार्य योग्यतापूर्वक कर रही हैं। अखिल भारतीय महिला संघ (इंडियन विमेन्स एसोसियेशन) के अधिवेशनों द्वारा उनके अधिकार की रक्षा और हृदि का प्रयत्न हो रहा है। वहीं की प्रथा धीरे-धीरे जा रही है। यहाँ यह भी कह देना आवश्यक है कि हिन्दू स्त्रियों की ही भाँति मुसलमान स्त्रियों भी आगे बढ़ रही हैं। उनमें से बहुतों ने शिक्षा और समाज-सुधार को अपना उद्देश्य माना है और उनका भी एक प्रगतिशील समुदाय है।

(७) मुसलमानों में सामाजिक जागृति

यद्यपि मुसलमानों में छुआछूत और जातीय भेदभाव का अभाव रहा है, परन्तु बहुत दिनों तक देश में शासन करने के उपरान्त उनमें भी सामाजिक दुर्बलताएँ आ गयी थीं। बहुविवाह, पहाँ प्रथा और कुछ अन्य धार्मिक कुरीतियाँ प्रमुख रूप से सामने आईं। ऐसी घुसा में हिन्दू-धर्म और समाज के पुनर्जागरण से अनेक मुसलमानी नेताओं को भी बह मिला और उन्होंने धार्मिक और सामाजिक आन्दोलन चलाये। इन सुधारवादी आन्दोलनों के नेता शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद खरेलखी, शेख फरमत अली, हाजी शुआयतुल्ला थे। इनके उपदेशों में कृषान की ओर जाने का संदेश था, परन्तु कहीं-कहीं साम्प्रदायिक कट्टरता भी थी। शेख फरमत अली ने पश्चिमी शिक्षा और विचारों को प्राप्त करने का मुसलमानों से अपुरोध किया। मिर्जा गुलाम अहमद ने, जो पंजाब में काश्गार के रहनेवाले थे, काश्गारिनी अथवा अहमदिया आन्दोलन चलाया और सतों की पूजा बना करते हुये वेहाद की अभिवर्षता से इनकार किया। सर सैयद अहमद खाँ ने मुसलमानों को अपने प्राचीन धर्म का पाद दिखाते हुये मधीन पाश्चात्य ज्ञान और सम्पत्ता की ओर झुकने का आवाहन किया। उन्होंने पहाँ-प्रथा का विरोध और मुसलमान स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन किया। मुसलमानी ने आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और अलीगढ़ में उसी उद्देश्य से 'मोहम्मदल पैगलो ओरियण्टल कालेज' की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय हो गया। मौलवी चिराग़अली ने मुसलमानों में प्रचलित बहुविवाह प्रथा को मिटाने का प्रयत्न किया। प्रथम महायुद्ध के बाद मुसलिम लीग ने मुसलमानों में एक हिन्दू विरोधी भावना का प्रचार किया और मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक अन्धत्व को जोड़कर राजनीति को अपना रूप बना लिया जिसके फलस्वरूप अन्ध में देश का बँटवारा हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार की मिथ्या नीति से भारतीय मुसलमानों में धर्मान्धता और साम्प्रदायिकता कम हो गयी है। देहातों में हिन्दू और मुसलमान मध्य-युग से साथ साथ रहते आये हैं और उन्हें अब भी कोई अन्तर नहीं मालूम होता है। वे होली, बीवाली और मुहर्रम में एक दूसरे का साथ देते हैं और साथ-साथ जापन्दा खेते हैं। धरम के मुसलमान शासक और तालुकदार बसन्त-पंचमी के दिन मीरोज का खौहार मनाते हैं। हिन्दुओं का भारतवर्ष में मुसलमानों के ऊपर प्रभाव पड़ा है और उनमें भी किसी हद तक जाति-प्रथा घर कर गयी है, यद्यपि इसलाम के अनुसार सभी मुसलमान बराबर हैं और मस्जिद में और दस्तरखान पर वे सभी एक हैं वहाँ उनमें कोई भेदभाव नहीं रह जाता।

२. आर्थिक अवस्था

(१) व्यापार और उद्योग—भारतवर्ष में कम्पनी के शासन-काल का आर्थिक क्षेत्र में सबसे बुरा फल यह हुआ कि यहाँ का देशी व्यापार प्रायः सम्पूर्ण रूप में मर-सा हो गया। १८वीं शती के मध्य भाग तक ऑस्ट्रेजी कम्पनी व्यापारिक क्षेत्र में प्रायः सभी विदेशी व्यापारिक कम्पनियों को पीछे धकेल चुकी थी। यही नहीं, उसने भारतीय व्यापारियों का भी व्यापार उचित अथवा अनुचित ढंग से हड़पने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। बंगाल के हिन्दू और मुसलमान व्यापारी तिब्बत, चीन, अरब, फारस और तुर्की से व्यापार करते थे और बहुत अधिक लाभ उमके हाथ लगता था। बंगाल से कच्चा रेशम, रेशमी कपड़े, ढाका की मलमल, पदसम और अफीम इन देशों को जाती थी। रेशमी कपड़े और मलमलों की बहुत ही अधिक मांग थी। देश के भीतर आपसी व्यापार की भी मात्रा भरपूर थी, परन्तु प्लासी की लड़ाई के बाद सारा इश्य ही बदल गया। ऑस्ट्रेजी ने पहले तो मीर आफर को बाद में मीर कासिम को और फिर बंगाल को खूब सजा। जब १७६५ ई० में कम्पनी ने बंगाल की दीवानी मवाब से छे छे ली तो उसकी सारी मालगुजारी का काम भारतवर्ष में निर्यात होनेवाली वस्तुओं की खरीद कर कम्पनी की ओर से पुनः उसे निर्यात करने में लगाया जाने लगा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दुस्तानी व्यापारियों का काम हड़पा जाने लगा। फलतः थोड़े ही दिनों में बंगाल खरिब हो गया। कम्पनी को जो सुविधाएँ सुही की छूट आदि में मुगल बादशाहों से मिली थीं, उनका पूरा दुरुपयोग किया गया और ऑस्ट्रेजी के स्पष्टिगत व्यापार पढ़ाने में उनका अनुचित उपयोग हुआ। कम्पनी के नीकर की देश के भीतरी व्यापार में अनुचित सुविधाएँ बबरदस्ती मोगाने लगे।

उनकी गठान्त और वृद्धि प्रतिद्वन्द्विता में भारतीय व्यापारी पराजित हुए। यही नहीं, वे भारतीयों का माछ कम मूल्य पर खरबस्ती करीयते थे और अनुचित लाभ कमाते थे। मीर कासिम ने लय इन बातों का विरोध किया तो उसे गद्दी से हाथ धोना पड़ा। बुनकरों से खरबस्ती सूती कपड़ों और रेसमी धागों को सममाने दाम पर अंग्रेजों ने करीया और उन्हें उचित मूल्य पर सूतों के हाथों बेचने से मना कर दिया गया। फल यह हुआ कि अलाहों ने अपना सूत और कपड़ों का सारा रोजगार बन्द कर दिया। बंगाल में तो यह भी प्रसिद्ध है कि कम्पनी के नौकरों की खरबस्ती से बचने के लिए अनेक कारीगरों ने अपने अंगूठे भी काट बाड़े। जो बचा बचा बंगाल का रेशमी और मसमल का निर्यात इंग्लैण्ड की होता भी था, उसे कानून बना कर बन्द कर दिया गया। यहाँ की सरकार कम्पनी की मदद से भारत का कच्चा माछ विशेषतः ऊँ और सूत इंग्लैण्ड की मिर्कों के किये अंगाने रुनी और तैयार माछ पुनः भारत में सममाने दाम पर बिकने लगा। बंगाल का सारा व्यापार चौपट कर दिया गया और जो बचा वह सभी अंग्रेजों के हाथ चला गया। उद्योग में कने हुए मजदूर खेती की ओर झुकने को विवत हो गये और पूँजी का निर्माण बन्द हो गया।

यिस प्रकार बंगाल का व्यापार अंग्रेजों ने चौपट किया, उसी तरह भारत-वर्ष के और भागों का भी व्यापार और उद्योग लज कर दिया गया। बंगाल के अलावा बनारस, कलकत्ता, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर और मडुरा अपने सूती और रेसमी व्यापार के किये प्रसिद्ध थे। काश्मीर और पंजाब अपने दुहाकों के किये प्रसिद्ध थे। इनके अतिरिक्त बनारस, लखौर, पूना, नासिक और अहमदाबाद अपने बर्तनों के किये प्रख्यात थे। भारत के अन्य उद्योगों में सोने-चाँदी का कार्य, मोती और मीने के काम, संगमरमर और हाथी दाँत के काम तथा सुगंधित तैलों के काम काफ़ी नाम कमा चुके थे। भारत में बहालों के बनाने का उद्योग इंग्लैण्ड से कुछ कम नहीं था, परन्तु वह कानून खरबस्ती बन्द कर दिया गया। भारतवर्ष के प्रायः सभी उद्योग इंग्लैण्ड में मशीनों से पने सस्ते माछ की स्पर्धा में तथा भारत की अंग्रेजी सरकार की अवासीय नीति के कारण समाप्त हो गये। १९वीं शती के मध्य तक भारतवर्ष का प्रायः सारा व्यापार चौपट हो गया। देश केवळ कच्चा माछ उपलब्ध कर इंग्लैण्ड को भेजने लगा और यहाँ का तैयार माछ यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में आने लगा। देश का धन केवळ एक ही दिशा इंग्लैण्ड की ओर बहने लगा और अमता निर्धन हो गयी।

पद्यपि १८१३ ई० के आजायत्र में भारतवर्ष में अंग्रेजी कम्पनी के व्यापार

का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तथापि १९ वीं शती के अन्त तक इस देश का प्रमुख व्यापार अंग्रेजों के ही हाथों में रहा। परन्तु उसके बाद जापान और जर्मनी भी मैदान में उतरे और इंग्लैण्ड का मुकाबला करने लगे। १८६९ ई० में जब स्वेज नहर का मार्ग खुल गया तो इस देश से विदेशी व्यापार बहुत बढ़ गया। १८५५ ई० से १८६० ई० तक भारत से होनेवाले विदेशी व्यापार का मुख्य लगभग ५२ लाख रुपया था; परन्तु यह बढ़ते-बढ़ते १९२८-२९ ई० में ६ अरब रुपये तक पहुँच गया। भारतवर्ष से विदेशों को सूट, गेहूँ, ऊई, तेलहन और चाय का निर्यात होता था और युरोप में बनी हुई वस्तुयें यहाँ आती थीं। देश के भीतर भी व्यापार अन्तर-प्रान्तीय स्तर पर बहुत बढ़ा तथा इस भीतरी व्यापार को बढ़ाने के हेतु भीतरी प्रतिबन्ध हटा दिये। रेल, तार, डाक, महर्गों, बस में चलनेवाले स्त्रीमर्गों तथा सबकों के उपयोग ने देश के भीतरी व्यापार को बढ़ाने में बहुत अधिक सहायता दी। १९१८ ई० में औद्योगिक आयोग (इंडस्ट्रियल कमीशन) की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसमें यहाँ के व्यापार को बढ़ाने के उपाय बताये गये। युद्ध के कारण यहाँ के माछ की बड़ी माँग हुई और उस समय अनेक उद्योगों का प्रारम्भ हुआ। भारतीय व्यापारी भी जागे बड़े। उसमें ताता ने कोहा, बिजली तथा पैत्रानिक-सामानों के निर्माण के लिये अनेक मिठों को खोला। पीछे बिरला परिवार तथा अन्य सारवाही उद्योग-पति भी क्षेत्र में आये। चीनी का व्यापार भी उन्नति करने लगा, परन्तु अब भी भारतवर्ष मुख्यतः कच्चा माछ ही बाहर भेजता था। जब द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ा तो भारतवर्ष के उद्योगों को बचकने का लक्ष्य बनकर मिला। पूर्वी देशों को युद्ध का सामान तथा सैनिकों की आवश्यकतायें पूर्ण करना अंग्रेजों को भारत से अधिक सरल दिखायी दिया। यहाँ इस्पात, गोला, बालू, बिजली के तार, लोहे के सामान, तथा बमों के निर्माण के लिये अनेक कारखाने खोले गये। भारतवर्ष के व्यापार को अपूर्व भस्तर मिला और उसमें उत्कालीन अंग्रेजी शासन ने भी कुछ सहायता दिखायी। फलस्वरूप भारत अण्ड क्षेत्रके बजाय एक अण्ड क्षेत्रके बनेवाला देश हो गया और इंग्लैण्ड के ऊपर इसका बहुत अधिक प्रभुत्व पावना हो गया। १९४६ ई० में यह घोषणा की गयी कि आभारभूत उद्योगों, जैसे-कोहा, कोयला, बहाज, इस्खन और तार तथा रेलियों आदि के सामान तैयार करने पर सरकारी निर्यन्त्रण होगा। १९४० ई० में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अनेक आभारभूत उद्योगों का राष्ट्रीकरण कर दिया गया। इनमें रेलवे, डाक-तार विभाग, गोला-बालू, बम, इस्खनों तथा हवाईजहाज बनाने के कारखाने आदि प्रमुख हैं। यह भी कहा गया कि सरकार बिना उद्योगों का

राष्ट्रीकरण आवश्यक समझेगी, ज़रेगी। परन्तु इससे व्यापारी वर्ग मने उद्योगों में पूँजी छगाने से डरने लगा। उत्पादन कम हो गया, परन्तु १९ फरवरी १९४९ ई० को सरदार पटेल ने मद्रास में व्यापारियों के सामने भाषण देते हुए कहा कि सरकार का न तो सभी उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने का १० वर्ष तक कोई इरादा है और न उसके पास उसके लिए धन और शक्ति ही है। उन्होंने व्यापारियों को उद्योगों में पूँजी छगाने का आवाहन किया। तथापि आवश्यकताानुसार कांग्रेस सरकार राष्ट्रीकरण की ओर देखती है और जब नागरिक पक्षपन पद्योग का भी राष्ट्रीकरण हो गया है। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि सम्बन्धी उद्योगों तथा बिजली-उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है और उनको राष्ट्र की ओर से समर्थ किया जा रहा है। इस समय भारत का विदेशी व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय मुकाम में काफी आगे बढ़ा हुआ है और भारत सरकार उसके लिए सब कुछ, जो सम्भव है, कर रही है।

अंग्रेजी शासन-काल में जब भारतवर्ष युरोपीय देशों का यात्रा बन गया और मशीन से बनी सस्ती वस्तुयें प्राप्त होने लगीं, तो धीरे-धीरे लोगों की रुचि भी बढ़ गयी। देशी उद्योगों और वस्तुकारियों को प्रोत्साहन कम मिला और आधुनिक सम्यता की छोटी-छोटी वस्तुओं ने जहाँ प्रतियोगिता में बिल्कुल पीछे ठकेक दिया। देश के भीतर बनी वस्तुओं के प्रयोग तथा विदेशी के यहिन्कार के लिये कांग्रेस ने कई बार आन्दोलन खेड़ा और यह स्वतंत्रता की लड़ाई का एक प्रमुख अंग हो गया। उनमें करों और वस्तुओं से बना कपड़ा गाँधी-आन्दोलनों के द्वारा काफी प्रचलित हुआ है; परन्तु अन्य गृह-उद्योगों की विशेष उन्नति नहीं हुई है। इस समय भारतवर्ष कपड़े के उद्योग में काफी आगे बढ़ा है। इस आवश्यकता को काने में स्वदेशी-आन्दोलन का बहुत बड़ा भाग है। भारतवर्ष के गृह-उद्योगों की रक्षा आवश्यक है और उच्च भारत सरकार ध्यान भी दे रही है।

(२) कृषि—पंचवर्षीय भारतीय उद्योगों की उन्नति अंग्रेजी शासन स्थापित होने के पूर्व भरपूर थी, तथापि यह देश अत्यन्त प्राचीन काल से कृषि-प्रधान देश रहा है। अंग्रेजों की व्यापार और भारतीय उद्योगों की नीति इस तरह चरकी रही कि धीरे-धीरे यहाँ के सभी उद्योग समाप्त हो गये तथा लोग मुकमतपा खेती पर ही निर्भर हो गये। परन्तु खेती की उन्नति के लिये भी अंग्रेजी सरकार ने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। भूमि सम्बन्धी जो उनके लक्ष्य प्रबन्ध हुए वे भी जमीनके असली ज़ोतमेवाकोंको कुछ काम नहीं दे सके। ऐसे लोग बड़े-बड़े जमींदार और जागीरदार स्वीकार कर लिये गये जो केवल भूमि के सम्बन्ध में साम्प्रदायिक अधिकार रखते थे, परन्तु वास्तव में वे उसे जोतते

नहीं थे। खेती करनेवाले किसानों को साम्प्रतिक अधिकार के अभाव में उसकी उन्नति करने में कोई उत्साह नहीं हुआ। भूमि का बहुत बड़ा भाग बेकार पड़ा रहा। जिस जमीन में खेती होती थी, उसकी उपज बढ़ाने का कोई विशेष उपाय नहीं किया गया। खेती के पुराने औजार और पुरानी पद्धति को बर्बाद कर वैज्ञानिक खेती के लिये कोई प्रयत्न नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त धीरे-धीरे पारिवारिक बँटवारों से खेतों का आकार क्रमशः छोटा हो गया और वे विकर गये। उसकी चकबन्दी की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी दशा में भारतवर्ष में कृषि की अवस्था अंग्रेजी शासन-काल में बहुत दिनों तक पिछड़ी रही।

परन्तु ऐसी दशा का बहुत दिनों तक रहना असम्भव हो गया। १८८० ई० में विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग कृषि-विभाग खोले गये। कार्ड कर्जन के समय में बैज्ञानिक ढंग से खेती करने का प्रयत्न प्रारम्भ हुआ। १९०३ ई० में पूसा में एग््रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट (कृषि-संस्थान) की स्थापना हुई और १९०५ ई० में एक भारतीय कृषि बोर्ड बना। धीरे-धीरे खेती की वैज्ञानिक शिक्षा देने के लिये स्कूल और कालेज खोले जाने लगे। १९१९ ई० में कृषि विभाग प्रांतीय सरकारों के अधीन मान लिया गया और १९२९ ई० में इम्पीरियल कॉन्सिल आफ एग््रीकल्चरल रिसर्च (कृषिशोध की साम्राज्यीय परिषद्) की स्थापना हुई। १९३० ई० में जब प्रांतों में उत्तरदायी सरकारें कायम हुईं तो कृषकों की रक्षा और समृद्धि के लिये विशेष प्रयत्न प्रारम्भ किया गया। जमींदारी-प्रथा को हटाकर भूमि का पुनर्वितरण करने का सिद्धान्त मान लिया गया। किसानों को कर्जों से मुक्ति दिलाने का भी प्रयत्न हुआ और उस सम्बन्ध में अनेक कानून पास किये गये। १९४० ई० में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतवर्ष की कांग्रेस सरकार ने खेती की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया है। उसके लिये जमींदारियों, ताहसीलदारियों और जागीरदारियों का अन्त कर दिया गया है। भूमि के स्वामित्व को अधिकाधिक मात्रा में बाँटने का सिद्धान्त मान लिया गया है और आसकल की प्रायः प्रत्येक राज्यों की सरकारों ने अधिकतम भूमि के प्रतिपरिवार सीमावन्धन के सम्बन्ध में विधान बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। सिद्धान्ततः जमीन खेतनेवाले को ही जमीन का मालिक मान लिया गया है। इधर भूमि के पुनर्वितरण के लिये अधिनियमों का माये ने भूमिदान-आन्दोलन प्रारम्भ करके बहुत बड़ी खेतना उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की है। उन्हें तो आशा थी कि १९५० ई० तक भारतवर्ष की भूमि समस्या घुलस घायगी, परन्तु अभी यह संभव नहीं हो सका है। तथापि उनके उद्देश्यों से बहुत सोग सहमत हैं और उन्हें प्रायः प्रत्येक राजनीतिक

वृक्ष का सहयोग प्राप्त है। आशा है कि भूमि-स्वामित्व और उसके उपयोग के सम्बन्ध में उनके क्रान्तिकारी विचारों को देश ग्रहण कर सकेगा।

भारतवर्ष कृषिप्रधान देश होते हुए भी अब अपने भर को अब नहीं उत्पन्न कर पाता। सारी उपलब्ध खेती की जमीन का उपयोग में न आना, प्राकृतिक सुविधाओं पर आश्रित होना, सिंचाई के लिये इन्फ्रारेड का मुँह टाकना तथा अत्यल्प साधनों का होना, खाद की उचित व्यवस्था न होना, अतिवृष्टि और अनावृष्टि तथा बाढ़ आदि विपत्तियों का शिकार होना तथा खेतों का छोटा-छोटा और सिंचका हुआ होना आदि अनेक ऐसे कारण हैं, जो इस परिस्थिति के लिये उत्तरदायी हैं। कांग्रेसी सरकारों ने 'अधिक भूख उपजाओ' आन्दोलन के द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है परन्तु उन्हें अभी विशेष सफलता नहीं मिली है। अंग्रेजी सरकार ने सिंचाई की ओर विशेष ध्यान दिया पर वह पर्याप्त नहीं था। कुछ महर्ष, जैसे—पश्चिमी और पूर्वी असम नहरें, गंगा नहर, पंजाब में बारी दोबाब नहर आदि का निर्माण किया गया और कुछ बाँध भी बाँधे गये। वैज्ञानिक ढंग से आधुनिक षॉष तैयार हुये। इनमें बम्बई का लायड डाम, सिन्ध का सफ़्फर वैरेज पंजाब की सतलुज योजना, मद्रास का फायेरी जल-वितरण और उत्तर-प्रदेश में शारदा नहर प्रमुख हैं। परन्तु इतने बड़े देश की खेती को सींचने के लिये उपयुक्त सिंचाई के साधन अत्यन्त थोड़े रहे हैं। भारतकी स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार का ध्यान भोजन की दृष्टि से देश को आत्म-निर्मल बनाने की ओर गया है। दो पंचवर्षीय योजनाओं में करोड़ों रुपये खेती की उन्नति में, विशेषतः सिंचाई के लिये, उभाये गये हैं। खेती की उन्नति ही इसका मुख्य अंग है। सिन्धी में खाद का कारखाना खुल चुका है, जो देश को रासायनिक खाद देगा तथा वैज्ञानिक खेती को बढ़ावेगा। सिंचाई के लिये नदियों को बाँधकर अतिवृष्टि अति उत्पन्न करनेवाली अनेक योजनाएँ हैं। इनमें पंजाब की माकर-नांगल योजना, दामोदर घाटी योजना (बंगाल बिहार और उड़ीसा), बिहार नैपाळ की कोसी योजना, उड़ीसा का हीराकुंड बाँध, मद्रास का रामपदसागर, बम्बई और मध्यप्रदेश की नर्मदा-ताप्ती योजना, हैदराबाद-मद्रास की तुंगमद्रा योजना, उत्तरप्रदेश और नैपाळ की गण्डक योजना, मध्यभारत की खम्बल योजना, तथा रामरघान में जवाई मन्दी का बाँध आदि प्रमुख हैं। इनके अलावा प्रांतीय सरकारों की सैकड़ों छोटी-मोटी योजनाएँ हैं, जिनके पूर्ण हो जाने पर भारतवर्ष में कृषि की बहुत कुछ उन्नति हो सकेगी।

४२ अध्याय

राष्ट्रीय आन्दोलन, स्वातंत्र्य और पर-राष्ट्रनीति

१. राष्ट्रीय आन्दोलन

(१) प्रारंभिक प्रभाव—१९वीं शती भारतीय इतिहास में राष्ट्रीयता के विकास का युग थी। विदेशी सत्ता और संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। सामाजिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलनों ने स्वतंत्रता के लिये चेष्टा तैयार किया। १८३५ ई० के बाद अंग्रेजी के माध्यम से देश में शिक्षा का प्रचार होने लगा, तो अंग्रेजी भाषा के साथ ही साथ भारतवर्ष में युरोपीय स्वतंत्रता तथा समानता के विचार भी आने लगे। पश्चात्प शासक और विज्ञान के प्रचार ने तबसिद्धि भारतीयों में सम्मान का भाव उत्पन्न किया। ईस में रेल, तार, डाक, शासन और कानून में एकता तथा संगठन को जन्म दिया और पश्चिम के उदारवादी और स्वतंत्र विचार अत्यन्त तेजी से फैलने लगे। राजा राममोहन राय के प्रयत्नमात्र, महर्षि दयानन्द के आर्यसमाज तथा कर्नल आरुणो और श्रीमती पुनीबेसेन्ट की धर्मोत्साहिक सोसायटी ने भी भारत का आत्मसम्मान जगाया और राष्ट्रीय विचारों को जन्म दिया।

(२) सांविधानिक मार्ग—१८५० ई० का सदाचर राष्ट्रीय विप्लव असफल होते देखकर तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं ने अपनी मांगों को रखने के लिये वैधानिक मार्ग अपनाया। पहले तो शासन में भारतीयों का भी यथोचित स्थान हो, इस हेतु आन्दोलन हुए। आई० सी० एस० की परीक्षा में सफल हो जाने पर जब नामांकी कारण से सुरेन्द्रमाथ यमज्जी को १८०६ ई० में अपने पद से हटा दिया गया, तो देश में बड़ा असन्तोष पैदा। उन्होंने एक संगठन 'इण्डियन एसोसियेशन' की स्थापना करके सारे देश का भ्रमण किया और शासन की मनमानियों के विरुद्ध आवाज उठायी। कार्ट रिफ़र के 'आर्म्स पेक्ट' तथा 'घर्नाक्यूतार प्रेस पेक्ट' का विरोध करने में वे सबसे आगे रहे और 'इण्डियन एसोसियेशन' की यही वृत्ति हुई। कार्ट रिफ़र उदारवादी बाइसराय थे। उनके 'इलवर्ट पिल' का जो विरोध अंग्रेजों ने किया उससे भारतीयों की अलिप्तता लुप्त गयी। इलवर्ट पिल का अर्थ यह था कि अंग्रेजों को भारतीय न्यायाधीश भी न्यायदान दे सकते थे, परन्तु भारतीय शासन में लगे हुए अंग्रेजों ने इसका घोर विरोध किया और यह बिक पास न हो सका। इस पर भारतीयों को अंग्रेजों की ईमानदारी

पर कोई मरोसा नहीं रहा और एक अखिल भारतीय सस्था की आवश्यकता समझी जाने लगी।

(३) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना—१८८५ ई० में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ और उस वर्ष के दिसम्बर मास में बम्बई में उमेशचन्द्र बनर्जी की अध्यक्षतामें इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। सब तो यह है कि कांग्रेस के जन्म में कुछ अंग्रेजों का भी बहिष्कार सहयोग रहा। ऐस्तान ह्यूम, हेनरी काटन तथा सर विलियम वेडरबर्न उनमें मुख्य थे। लार्ड डफरिन, जो उन दिनों भारतवर्ष में वाइसराम थे, स्वयं एक ऐसी सस्था की आवश्यकता का अनुभव करते थे, जो शासन को भारतीय प्रतिनिधियों से जबागत करा सके। उन्होंने १८८६ ई० कांग्रेस के सदस्यों को एक पार्टी भी दी। कांग्रेस का कई वर्षों तक केवल यही उद्देश्य रहा कि भारतीयों को शासन में अधिक से अधिक लाने का प्रयत्न किया जाय और शासन के क्षेत्र में कुछ छोटे-मोटे व्यवस्था सम्बन्धी परिवर्तन कराये जायें। इसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप १८९१ ई० का 'इंडियन काँग्रेस ऐक्ट' पास हुआ। परन्तु धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति अंग्रेजी शासनाधिकारियों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। कांग्रेस में कबल प्रस्ताव पस होठे रहे और उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता था।

धीरे-धीरे कांग्रेस में महापुरुषों का एक ऐसा दल उत्पन्न हुआ, जो उसकी नीति में कुछ कड़ाई लाने का प्रयत्न करने लगा। इस दल के नेता लोकमान्य



लोकमान्य बाळ गंगाधर तिलक

याल गंगाधर तिलक थे। वे महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण थे और उनके हृदय में स्वतंत्रता की तेज जाग जलती थी। उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि केवल प्रस्तावों के पास करने अथवा प्रतिनिधिमण्डलों के मेजबाने से कुछ कार्य नहीं हो सकेगा। स्वतंत्रता मित्रा माँगने से नहीं मिलती, अपितु उसके लिये त्याग की आवश्यकता होती है। उन्होंने महाराष्ट्र को अपनी ओर र्पिणा तथा अपने पत्र 'केसरी' द्वारा और गने-

शेस्तों तथा धिवाजी सम्बन्धी स्मारकों द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कड़ी शूना का भाव जगाया। इसी बीच १८९६ ई० में बम्बई और पूना में भीषण

जोना फैला तथा हजारों घर तबाह हो गये। सरकार कोई विशेष सहायता-कार्य न कर सकी और तिळकजी ने उसकी पूरी निन्दा की। १८९० ई० में रैण्ड नामक एक अंग्रेज जो मध्यवर्ग मराठा ब्राह्मणों द्वारा मार डाला गया और उस मुकदमे में तिळकजी को भी १८ मास की कड़ी सजा हुई। सारा देश उनकी ओर आकृष्ट हो गया और कांग्रेस में उनका तथा उनके गरम दल का और बढ़ता गया। उनके नेतृत्व में अरविन्द घोष, विपिनचन्द्र पाल तथा लाला लाजपत राय आ गये। पुराने दल में, जो गरम दल



विपिनचन्द्र पाल



लाला लाजपत राय

कहलाने लगा, सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सर फीरोजशाह मेहता तथा गोपालकृष्ण गोखले आदि प्रमुख रहे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि कांग्रेस में दो दल अलग-अलग बँट जायेंगे। गरमदल शांति की नीति छोड़ कर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और उग्र आंदोलन के पक्ष में था और यह कहता था कि स्वतंत्रता मिचायाचना से नहीं मिलेगी। गरम दल अपनी-पुरानी नीति पर इड़ था और वैधानिक आन्दोलन के ही पक्ष में था। परन्तु इन्हीं का आपसी भेद बढ़ता गया और १९०० ई० की पूना कांग्रेस में उनकी मुठभेड़ हो ही गई। कांग्रेस का अभिवेक्षण भंग कर दिया गया। दोनों दल अलग-अलग हो गये। गरमदल ने अलग होकर एक प्रस्ताव द्वारा पुना अपना उद्देश्य तय किया और जाने १९१६ ई० तक कांग्रेस पर उसी दल का अधिकार रहा।

(४) बंग-भंग और स्वदेशी आन्दोलन—कांग्रेस के आन्दोलन को लार्ड कर्जन के सुविहीन कार्यों से बँधा बल मिला। इण्डियन यूनिवर्सिटीज ऐक्ट (१९०४ ई०), बंगाल के विभाजन (१९०५ ई०), तथा शासन की

अन्य कड़ाइयों के कारण भारतीय जनता बड़ी असन्तुष्ट हुई, और आन्दोलन में जोर पकड़ा। उन्हीं दिनों रूस जैसे विशाल युरोपीय देश को जापान जैसे छोटे एशियाई देश ने जब १९०५ ई० में युद्ध में करारी हार दी तो भारतीयों के हीसके भीर भी बढ़ गये। स्वदेशी आन्दोलन, तथा विदेशी के यहिष्कार ने जोर पकड़ा तथा देश के सुबकों में कुछ हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ भी उत्पन्न हुईं। वम फेंकना और अंग्रेज शासकों को मारना भी प्रारम्भ हो गया। ऐसी दशा में अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को प्रसन्न करने का कुछ उपाय सोचना प्रारंभ किया तथा १९०९ ई० में मोर्ले-मिन्टो सुधार-कानून पास कर दिया गया। कांग्रेस के नरम-दल ने तो इसे स्वीकार कर लिया परन्तु गरम दल ने इसे अपमान मानकर ठुकरा दिया। इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि अंग्रेजों ने हिन्दुओं और मुसलमानों को बाँटनेवाली नीति का अवलम्बन करते हुये दोनों के किये अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। १९११ ई० में बंगाल का विभाजन भी रद्द कर दिया गया।

(५) मुसलिम लीग—कांग्रेस का जन्म देनेवालों में प्रमुख हिन्दू नेता ही थे। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि उसमें मुसलमान नहीं आये। जस्टिस सैयद जी और मुहम्मद सयानी जैसे राष्ट्रीय मुसलमान कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे और उसके फूटे अधिवेशन में मुसलमानों की संख्या २९ प्रतिशत थी। तथापि अधिकांश मुसलमान उससे दूर रहे। मुसलमानों के उस समय सबसे बड़े नेता सर सैयद अहमद थे। उन्होंने अपने को कांग्रेस से अलग रखा। उन्होंने १८८८ ई० में अपर इण्डिया मुसलिम एसोसिएशन की स्थापना की। बाद में उन्हीं के प्रयत्नों से १९०६ ई० में मुसलिम लीग की स्थापना हुई जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अपना अधिकार सम्पन्ने लगी। सर सैयद अहमद तथा आगा खाँ ने एक प्रतिनिधिमण्डल के द्वारा भारतमंत्री मोर्ले महोदय तथा वाहसराय, खाँ मिन्टो के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगले सुधारों में हिन्दुओं तथा मुसलमानों के निर्वाचन के क्षेत्र अलग-अलग हले जायें तथा अंग्रेजों ने फूट को बढ़ाने के लिए १९०९ ई० के सुधारों में उसे मान लिया।

(६) हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रश्न

देश में राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ता गया। अंग्रेजी सरकार की दमन-नीति तथा विदेशी धरनाओं ने नवयुवकों को उत्साहित किया। आन्दोलन में श्रेष्ठ उपायों के अलावा हिंसात्मक उपायों का भी सहारा दिया गया। १९०८ में लोकमान्य तिलक को ६ वर्ष का कड़ा कारावास दण्ड मिला और वे कैद

करके माण्डले मेव विप्रे गये। जहाँ एक ओर दमनचक्र तथा कड़े कानूनों से अंग्रेजी सरकार आन्दोलन को दबाने का प्रयत्न करती थी, वहीं दूसरी ओर कुछ सुधार-कानूनों की ओर भी ध्यान दे रही थी। फलतः १९२० ई० का सुधार-कानून पास हुआ; परन्तु उससे आन्दोलनकारियों को विशेष सन्तोष न हुआ। धीरे-धीरे मुस्लिम-लीग भी सम्प्रदायवाद की नीति से कुछ अलग हटकर देश को स्वतंत्र करना अपना लक्ष्य मानने लगी। मुसलमान अंग्रेजों से अपसन्न होते जा रहे थे और उसका मुख्य कारण यह था कि अंग्रेजी सरकार की फारस और तुर्की के प्रति नीति उन्हें पसन्द नहीं थी। इसी बीच १९१४-१८ ई० का प्रथम महासमर छिड़ गया, उसमें अंग्रेज तुर्की के विरुद्ध मोर्चे में हुए। इन सब का फल यह हुआ कि मुस्लिम-लीग और अखिल भारतीय कांग्रेस एक-दूसरे के निकट जाने लगीं और यह समझा गया कि हिन्दू मुसलमानों के आपसी मेढ बिना स्वतंत्रता प्राप्त करना कठिन है। १९१६ ई० का वर्ष इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। श्रीयुक्त गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो चुकी थी और लोकमान्य तिलक जेल से ब्रूकर पुना जा चुके थे। नरम-दिल के अन्य नेता भी उनसे मेढ रखने को तैयार थे और कांग्रेस ने एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया। कांग्रेस और मुस्लिम-लीग ने भी १९१६ ई० में लखनऊ में आपसी समझौता कर लिया, जो 'लखनऊ पैक्ट' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार देश में एकता का बीज पृष्ठ करने का प्रयत्न हुआ और सभी वर्गों ने एक होकर अपनी माँगें उपस्थित कीं। आंदोलन धीरे-धीरे बहुत व्यापक हो गया। लोकमान्य तिलक तथा श्रीमती पुनीबेमेण्ट ने, जो कांग्रेस में शामिल हो चुकी थीं, आंदोलन को उग्र रूप देने के लिये होमरूल-लीग की स्थापना की और असन्तोष बढ़ता गया। परन्तु आंदोलन बढ़ते हुये भी भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार की युद्ध में सहायता की और वे समझते थे कि उन्हें उचित पुरस्कार मिलेगा। लेकिन हुआ कुछ दूसरा ही। १९१९ ई० का जो माण्डेगू-चेम्सफोर्ड सुधार-कानून पास हुआ, उसमें भारत में फूट का पृष्ठ और भी अजबगती से लगा दिया गया। उससे किसी भी मुख्य राजनीतिक दल को संतोष नहीं हुआ और सारे देश ने उसे हकरा दिया। इस बढ़ते हुये असन्तोष को अंग्रेजी सरकार ने दमन-नीति से दूर करना चाहा। इस दृष्टि से १९१९ ई० का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। रौलट-एक्ट जैसे दमनकारी कानूनों के द्वारा भारतीय जनता पीसी जाने लगी और अशियावाला वाग बैसी घटनायें हुईं। पंजाब में फ़ौजी कानून लगा दिया गया और आन्दोलनकारियों को गोली का शिकार बनाया गया। इसी बीच १ अगस्त सन् १९१० ई० को लोकमान्य तिलक का देहान्त हो गया। कांग्रेस

में उसका स्थान मोहनदास करमचन्द गांधी ने किया, जिन्हें भारतीय जनता ने प्रेम और भ्रष्टा से 'महात्मा' की उपाधि दी। भारतीय राजनीति में आने के पहले वे अफ्रीका में गोरों लोगों के काले लोगों के प्रति अन्यापूर्ण कामूनों के विरुद्ध सविनय अग्रहण आन्दोलन के द्वारा काफी ख्याति और सफलता प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने भारतवर्ष में आकर राष्ट्रीय



मोहनदास करमचन्द गांधी

आन्दोलन को गांधी तक फैलाया और, अत्यंत भारतीय के हृदय में देशभक्ति की भावना का संचार किया। मुसलमानों को मिलाने का प्रयत्न किया गया तथा अली बख्शुओं (सौकरत अली और मुहम्मद अली) से गांधी जी का पूरा साथ दिया। उनके खिलाफत-आन्दोलन में भी पूरा जोर पड़ा।

(७) असहयोग-आन्दोलन—महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में असहयोग-आन्दोलन उग्र रूप पकड़ने लगा। सरकारी स्थानों, संस्थाओं, मीठियों, पदवियों और पदवियों को छोड़ना, विदेशी माल का बहिष्कार तथा विद्यार्थियों और अध्यापकों का स्कूल-कालेज छोड़ना असहयोग की मुख्य बातें थीं। खादी और चर्खे का प्रचार करके गांधी जी ने देश को यह सिखाया कि छातिपूर्वक अंकाधार की मिठों का व्यापार चौपट किया जा सकता है और अंग्रेजों को विवश किया जा सकता है। इसी आन्दोलन में गांधी जी ने भारत को दो ज्ञान दिये—सत्य और अहिंसा—और उन्हीं के द्वारा युद्ध सिखाया। आन्दोलन के फलस्वरूप कई लोगों ने सरकारी पदवियों का त्याग कर दिया, जिनमें श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर और सुब्रह्मण्यम् अत्यन्त प्रमुख थे। विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़कर तथा अनेक वकीलों ने बकायत छोड़कर आन्दोलन में भाग लिया। परन्तु देश अमी अहिंसात्मक आन्दोलन के लिये तैयार नहीं था। हिन्दू-मुसलमानों में पुनः वैर की भावना घर करने लगी और प्रसिद्ध मोपला-विद्रोह तथा कोहाट में दंगे हुए। यही नहीं, आन्दोलनकारी निरीह बच्चों पर पड़ी कठोर यातनाओं से बहिष्कार एक क्रुद्ध मीठ ने उत्तरप्रदेश के गोरखपुर सिंके में खौरीघौरा नामक स्थान में घाने को घेर लिया। घानेदार और अनेक सिपाहियों का वध कर बाका गया और अल्प हिंसा की घटनाएँ हुईं। गांधीजी को यका पत्राचार हुआ। वे उन दिनों जेल में थे; परन्तु उन्होंने आन्दोलन बन्द कर दिया और आत्म-शुद्धि के लिये २१ दिनों का उपवास किया।

(८) स्वराज्य पार्टी—१९२३ ई० में कांग्रेस में नेताओं के दो मत हो गये। एक तो यह कि कांसिठों में प्रवेश करके भीतर से अंग्रेजी सरकार को विवश किया जाय और दूसरे यह कि बाहर ही आन्दोलन को बढ़ाया जाय। परन्तु कांसिठ में प्रवेश करनेवालों का जोर बढ़ता गया। कांग्रेस ने भी उस सिद्धान्त को मान लिया तथा पं० मोतीलाल नेहरू, देशयन्धु खितरंजमदास और पन० सी० केलकर के नेतृत्व में १९२३ ई० में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई। इन नेताओं का उद्देश्य यह था कि कांसिठों में प्रवेश करके अपने बहुमत और प्रभाव से १९१९ ई० के सुधार कानून को या तो लुप्त कर दिया जाय या अंग्रेजों को उसमें पुनः सुधार करने के लिये विवश किया जाय। स्वराज्य पार्टी का जोर बढ़ता गया। इसी बीच १९२७ ई० में १९१९ ई० के सुधारों की सफलता की जांच के लिए साहमन-आयोग बैठाया गया। परन्तु कांग्रेस ने उसका जोरदार विरोध किया तथा 'साहमन हीट जाओ' के नारे के साथ उसका बहिष्कार किया गया और काले झण्डे विलाये

गये। इधर बेसमें मुख्य राजनैतिक दलोंको मिलाकर एक संयुक्त मोर्चा भी तैयार करने की बात चर्चा रही। पण्डित मोतीलाल नेहरूकी अध्यक्षता में एक समिति



मोतीलाल नेहरू



भैरवचन्द्र चितरंजनदास

इस हेतु बैठायी गयी कि वह भारत का एक सर्वस्वीकृत सविधान तैयार करे। १९२८ ई० में नेहरू-समिति ने अपनी रिपोर्ट की थीर उसमें : ब्रिटेनी साम्राज्य के भीतर भारत को : 'डोमिनियन स्टेट्स' की व्यवस्था का निर्णय हुआ। हिन्दुओं और मुसलमानों को मिचाने के द्वेष भी उसमें उपाय किये गये पर वह रिपोर्ट मुसलिमलीग ने अस्वीकार कर ही थीर कोई प्रगति नहीं हुई। फिर भी कांग्रेस का आन्दोलन किसी न किसी रूप में चलता रहा। १९२९ ई० में लाहौर में पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उसका जो वार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें उसका उद्देश्य 'पूर्ण स्वराज्य' मान लिया गया। उस दिनों लाहौर शरयिन भारतवर्ष के वाइसराय थे और उन्होंने 'डोमिनियन स्टेट्स' को आधार मानकर एक गोकमेज सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा, परन्तु उस प्रस्ताव पर इन्डियन में जो टीकर्ये हुईं वमसे कांग्रेस अटक उठी तथा उसे अस्वीकार कर दिया।

(९) सविनय अग्रह—१९३० ई० में गांधीजी ने पुनः सविनय अग्रह आन्दोलन प्रारंभ कर दिया। दूकानों पर धरना, विदेशी माल का बहिष्कार, तथा सरकारी नौकरियों आदि को छोड़ने के अलावा इस आन्दोलन

का मुख्य कार्यक्रम या नैतिक-कानून को तोड़ना। महात्मा गांधी के सहित कांग्रेस के प्रायः सभी नेता जेलों में डाल दिये गये। परन्तु सर लेज यहातुर समूह तथा श्री जयकर के प्रयत्नों के फलस्वरूप लार्ड अरबिन का गांधीजी से ५ मार्च १९३१ ई० को समझौता हो गया, जो इतिहास में गांधी-अरबिन समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। उसी वर्ष इंग्लैण्ड में होने वाली दूसरी गोलमेस कांग्रेस में भाग लेना कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया तथा उसकी ओर से महात्मा गांधी बड़े प्रतिनिधि होकर गये। पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्रीमती सरोजिनी मायजू भी इंग्लैण्ड गयीं, परन्तु वहाँ कोई समझौता नहीं हो सका और सभी छेग भारत छोड़ जाये। १९३२ ई० में कांग्रेस ने पुनः सत्याग्रह-आन्दोलन प्रारंभ कर दिया और लार्ड चेल्सिंगटन ने, जो लार्ड अरबिन के बाद वाइसरॉय होकर आये थे, आन्दोलन को कठोरतापूर्वक दबाना प्रारंभ कर दिया।

(१०) साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आन्दोलन—इंग्लैण्ड में सुधारों की बात चलती रही परन्तु साम्प्रदायिक प्रश्न बना ही रहा। इन सब बातों का निर्णय इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री के हाथों में छोड़ दिया गया था और १९२९ ई० में उन्होंने अपना निर्णय दिया जो 'कम्यूनल बर्थाई' (साम्प्रदायिक निर्णय) के नाम से विख्यात है। इसमें मुसलमानों, सिखों तथा अन्य छोटे-मोटे स्वार्थों की रक्षा के नाम पर उन्हें प्रस्तावित सुधारों में अलग प्रतिनिधित्व तो दिया ही गया, हरिसनों को भी सबर्ज हिन्दुओं से अलग करने का प्रयत्न किया गया और उनमें अनेक सेवक कर दिये गये। महात्मा जी को यह राजनीतिक चाल असह्य थी और उन्होंने इसके विरुद्ध आमरण जनशान शुरू कर दिया। जेल में कोलाहल मच गया और सभी लोग एक स्वर से उनके प्रायों की रक्षा की पुकार करने लगे। सभी राजनीतिक दलों ने तथा अंग्रेजी सरकार ने मिलकर पुनः पूना में समझौता किया। 'कम्यूनल बर्थाई' खोटा किया गया और हरिसनों को हिन्दू समाज का अंग माना गया। यह समझौता 'पूना पैक्ट' के नाम से प्रसिद्ध है। १९३२ ई० में तीसरा गोलमेस सम्मेलन हुआ और उसके प्रस्तावों के आधार पर एक श्वेतपत्र निकाला गया जिसके फलस्वरूप १९३५ ई० का भारत संघ सरकार कानून पास हुआ, जिसका पीछे वर्णन किया जा चुका है। कांग्रेस का आन्दोलन विध्वंसतात्मक न होकर धीरे-धीरे रचनात्मक हो गया था तथा उसके नेता तथा स्वयंसेवक जेलों से बाहर निकलते और भीतर आते रहे। धीरे-धीरे आन्दोलन सामूहिक न होकर व्यक्तिगत हो गया; परन्तु १९३४ ई० के मीपथ भूकम्प के कारण कांग्रेस आन्दोलन से हटकर सेवाकार्य में डग गई।

(११) प्रांतीय स्वराज्य—१९३५ ई० के संघ शासन-विभाग के अनुसार १९३० ई० में व्यवस्थापिकाओं के लिये जो चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने भाग लिया। सात प्रांतों में उसके समर्थकों का स्पष्ट बहुमत था; परन्तु उन्होंने मंत्रिमण्डल बनाने से इमकार कर दिया। परन्तु जब लार्ड लिनलिथगो ने यह आश्वासन दिया कि गवर्नरों के द्वारा विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं होगा, तो उन्होंने मंत्रिमण्डल बनाना स्वीकार कर लिया। अन्य प्रांतों में भी मुस्लिम-लीग ने, अथवा उससे संयोग करके दूसरे राजनीतिक दलों ने मंत्रिमण्डल बनाना। परन्तु देश में सबकी खास कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों का भ्रम ही छाया था। प्रायः सांविधानिक सचिव उपस्थित ही रहते थे, परन्तु उनके छोटे भी दो वर्ष तक अर्थात् १९३९ ई० तक कोई विशेष घटना नहीं हुई। परन्तु उस वर्ष द्वितीय महासमर के क्रम में पर लार्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं की राय लिये बिना ही भारत का जब भूरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया, तो कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने गांधी के परामर्श से त्यागपत्र दे दिया। युद्ध में भारत को बचाव प्रसीट्टे जाने के विरोध में १९४० ई० में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। कांग्रेस के नेताओं और स्वयंसेवकों ने पारी-पारी से कानून तोड़कर सत्याग्रह किया और सहस्रों व्यक्ति जेलों में डाल दिये गये। देश में अंग्रेजी सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता गया और स्वतंत्रता की मांग ऊँची होने लगी।

(१२) साम्प्रदायिकता का जोर और पाकिस्तान की माँग— कांग्रेस भारतवर्ष की एकता को बनाये रखने के भरपूर प्रयत्न कर रही थी और महात्मा गांधी ने इसके लिये कुछ उठा नहीं रखा। परन्तु दूसरी ओर मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम-लीग साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन दे रही थी। जिन्ना महोदय ने दो राष्ट्रों का नारा लगाया और यह माँग की कि चूंकि हिन्दुओं और मुसलमानों के दो राष्ट्र हैं, इसलिए उनके लिये देश के दो टुकड़े हो जाने चाहिये। १९४० ई० के लाहौर वाले मुस्लिम-लीग के वार्षिक सम्मेलन में पाकिस्तान की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। अनेक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुसलिम-लीग की राजनीति मित्र भिन्न विस्तारों में चलने लगी।

(१३) समझौते का चिफल प्रयत्न और १९४२ ई० का विद्रोह— १९४२ ई० के भाते भाते युद्ध में अंग्रेजों की हालत बहुत ग़राब हो गई थी। जापान भी अमनी तथा इटली की ओर से युद्ध में बुरा लुका था। ऐसी दशा में भारतवर्ष के लिये भी बड़ा सतर्क उत्पन्न हो गया था। अतः परिस्थितियों

को काबू में लाने के लिये सर चिस्टन चर्चिल की अंग्रेजी सरकार ने सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से समझौता करने के लिये भेजा। उन्होंने कांग्रेस, मुस्लिम-लीग तथा अन्य राजनीतिक दलों से बातचीत करके अपनी योजना उपस्थित की; परन्तु वह मारतभर्य के किसी भी राजनीतिक दल को मान्य नहीं हुई और वे ज़ाळी हाथों छौट गये। तबपरांत महात्मा गांधी ने देश को उग्र आन्दोलन के लिये तैयार करना प्रारंभ कर दिया। 'हरिजन' के लेखों तथा अपनी प्रार्थना-समाधियों में वे अंग्रेजी राज के विरुद्ध प्रचार करने लगे और सारा देश अंग्रेजों को बाहर निकाल बाहर करने की सोचने लगा। उन्होंने 'भारत छोड़ो' का अपना प्रसिद्ध नारा लगाया। ८ अगस्त १९४२ ई० को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक का होना तय हुआ। अगला कदम क्या हो इस प्रश्न पर वहाँ विचार हो ही रहा था कि उसी दिन शाम को प्रायः कांग्रेस के सभी बड़े नेता तथा मोर्चों के प्रमुख कांग्रेसी सरकार की ओर से गिरफ्तार कर लिये गये। यह बात देश के कोने-कोने में जनायास हवा की तरह फैल गई और ९ अगस्त १९४२ ई० का प्रसिद्ध आन्दोलन अपने आप प्रारंभ हो गया। देश के अधिकांश क्षेत्र विद्रोह के अड्डे बन गये। आन्दोलनकारियों ने कहीं-कहीं आंग्र लगेने, छुड़ सेने तथा एक-आप हत्यायें कर देने आदि की घटनायें कर दीं। अंग्रेजी भीकरशाही ने कभी निर्दयतापूर्वक उसका प्रतिपोष लिया। गोलियों की शौधार, सामूहिक जुमाने तथा युद्ध के लिये वलात् बन-संग्रह करवा, दमन के मुख्य हथकण्डे हो गये। सहस्रों व्यक्ति बिना मुकदमा चलाये जेलों में रूस दिये गये। जनेक समाचारपत्रों को भीकरशाही की दमन-नीति का विरोध करने के कारण अपना प्रकासन विवशासा से बन्द करना पडा। इस आन्दोलन में भारत के विद्यार्थी समाज ने प्रमुख भाग लिया। सरकारी दमन से देश में कुछ ही दिनों में ऊपरी शांति तो स्थापित हो गई परन्तु इससे अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिल उठी।

(१४) समझौते के पुनः प्रयत्न—१९४४ ई० में लार्ड लिंलिथगो की जगह पर लार्ड वावेला भारत के बाइसराय होकर आये। उसी वर्ष ९ मई को गांधी की अस्वस्थता के कारण जेल से मुक्त कर दिये गये, परन्तु दूसरे नेता तथा कांग्रेसजन अभी जेलों में ही पड़े रहे। इसी बीच ईंगलैण्ड में सरकार बनाने के लिये १९४५ ई० में गया चुनाव हुआ और उसमें ग्लिमेण्ट पटली के नेतृत्व में मन्सूर-दल की विजय के फलस्वरूप उनकी सरकार बनी। मन्सूरदलीय सरकार ने भारत के प्रति अपनी नीति परम करके कोई समझौता निकालने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। अखिल की अनुदार नीति से

अधिकांश इंग्लैण्डनिवासी असन्तुष्ट थे और वहाँ यह समझा जाने लगा था कि भारतवर्ष को उसकी इच्छा के बिना बहुत दिनों तक साम्राज्य में नहीं रखा जा सकता। पृथ्वी की सरकार इन भावनाओं से परिचित थी और उसने भारतीय जनमत के अनुकूल कार्य करना चाहा। उसके आदेशानुसार कांग्रेस के सभी लोग जेलों से छोड़ दिये गये और कार्ट वाबेल की अध्यक्षता में भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का सिलखा में एक सम्मेलन हुआ, परन्तु दुर्भाग्यवश वहाँ कोई समझौता नहीं हो सका।

द्वितीय विश्व-युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भारतवर्ष में नया चुनाव हुआ और प्रांतों में लोकप्रिय सरकारें बनीं। देश में स्वतंत्रता की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और अंग्रेजी सरकार ने भारतवर्ष को संतुष्ट करना ही उचित समझा। १९४९ ई० में अंग्रेजी पार्लियामेंट के सदस्यों का एक शिष्टमण्डल भारतवर्ष भेजा गया जिसने वहाँ कुछ सप्ताहों तक भ्रमण करके अपनी रिपोर्ट सरकार (इंग्लैण्ड) को दी। उसमें यह कहा गया कि सभी भारतीय राजनीतिक दल तथा जनता तत्काल स्वतंत्रता चाहती है और उसकी स्वीकृति में देर उचित नहीं होगी। उस शिष्टमण्डल ने यह भी कहा कि भारतीय नेता शासन का भार संभालने के लिये पूर्ण रूप से योग्य हैं। इस रिपोर्ट की जाँच की पूर्ति के बाद अंग्रेजी सरकार ने अपने मंत्रिमण्डल के तीन सदस्यों—लार्ड पैथिक हार्रेस (भारत-मंत्री), ए० पी० एलफ़िन्ग्डर तथा सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। यह शिष्टमण्डल 'कैबिनेट मिशन' के नाम से विख्यात हुआ। इस दल ने भारतवर्ष की समस्याओं को सुलझाने के हेतु प्रमुख राजनीतिक दलों से जेंट की, और जल्द में अपनी योजना प्रस्तुत की, जो 'कैबिनेट मिशन योजना' के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसकी प्रमुख बातें ये थीं कि भारतवर्ष एक संघ-राज्य हो जिसमें सभी प्रांत सम्मिलित हों। परन्तु प्रांतों की तीन श्रेणियाँ की गयीं। 'अ' वर्ग के प्रांतों में सभी हिन्दू बहुमत प्रांत रखे गये। 'ब' वर्ग में उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रांत, सिंध तथा पंजाब और 'स' वर्ग में बंगाल और आसाम रखे गये। उपर्युक्त सभी वर्गों के प्रांतों में शासन सम्बन्धी भीतरी स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई। केन्द्रीय संघ में प्रतिरक्षा, वायुसेना और धर्म का नियंत्रण रखा गया तथा यह व्यवस्था की गई कि जन्तुिम प्रभों को सुलझाने के लिये केन्द्र में एक अन्तरिम सरकार बनाई जाय जिसमें कांग्रेस, मुसलिम-लीग, और सिखों के प्रतिनिधि रहें। देश का अन्तिम रूप से पूर्ण संविधान बनाने के लिये एक संविधान-सभा के चुनाव की व्यवस्था की गई।

'कैबिनेट मिशन योजना' पर भी कांग्रेस तथा मुस्लिम-लीग में मतभेद हो गया। अतः इस योजना का कार्यान्वय पूर्ण रूप से नहीं हुआ। संविधान-सभा के लिये जो अग्रत्यक्त चुनाव हुए, उनमें उपर्युक्त दोनों प्रमुख दलों ने भाग लिया, परन्तु संविधान बनाने का कार्य केवल कांग्रेस ने ही किया। १ दिसम्बर १९४६ ई० को संविधान-सभा की प्रथम बैठक हुई, परन्तु मुस्लिम-लीग के सदस्यों ने उसमें भाग नहीं लिया। केन्द्र में जो अन्तरिम मंत्रिमण्डल बना, उसमें भी पहले केवल कांग्रेस के ही प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। उन्होंने सिद्धों तथा स्वतंत्र मुसलमानों को भी उसमें रखा; परन्तु कुछ समय बाद मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हुए। लेकिन उनकी नीति कांग्रेसी सदस्यों की नीति से बिल्कुल भिन्न दशा में अग्रसर होती रही और और प्रत्येक कार्यों में साम्प्रदायिकता स्पष्ट झलकने लगी। अन्तरिम मंत्रिमण्डल की आपसी-फूट स्पष्ट दिखाई देने लगी और किसी भी प्रकार की संयुक्त नीति और उत्तरदायित्व का अभाव प्रकट होने लगा। सरकार के पादर मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम-लीग के समर्थकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे देश के विभाजन से ही हुए हो सकते हैं और पाकिस्तान की स्थापना न होने की अवस्था में खून की नदी बहाने की धमकी दी जाने लगी। देश में अनेक स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे होने लगे। मुस्लिम-लीग ने अपने व्योमों की पूर्ति के लिये 'प्रत्यक्ष आन्दोलन' (बाइरोट ऐक्शन) प्रारम्भ कर दिया और १६ अगस्त १९४६ ई० को बंगाल में सुहराखर्ची की मुस्लिम-लीगी सरकार ने 'प्रत्यक्ष कार्य दिवस' मनाने का निश्चय किया और कलकत्ते में भीषण दंगे हुए, जिसकी प्रतिक्रिया बिहार में हुई। परन्तु विचार का बखला मुसलमानों ने मोरारदासी (पूर्वी बंगाल) के हिन्दुओं को छुटकर, मारकर तथा बेहजत करके लिया। महात्मा गांधी ने, जो जीवन भर साम्प्रदायिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न करते रहे, उपवास किया तथा अपने प्राणों की पात्री लगाकर इन साम्प्रदायिक दंगों को दूर करने का प्रयत्न किया। छ्ठीमैण्ट पृथकी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार की नियत एकदम साफ भी और उन्होंने भारत की कष्टप्रद तथा अस्मायी परिस्थिति में निश्चय कामे की दृष्टि से २० फरवरी सन् १९४७ ई० को यह घोषणा कर दी कि अंग्रेजी सरकार जून सन् १९४८ ई० तक भारतवर्ष को अवरय ही तथा हस्तांतरित कर देगी। उन्होंने छार्ड बाबेठ को बुला किया तथा उनके स्थान पर सार्ड माउण्टबैटन को निर्णय करने का पूर्ण अधिकार देकर भेजा। भारतवर्ष की राजनीतिक समस्याओं का दृष्ट निकालने के लिये उनसे आग्रह किया गया था।

२. स्वातंत्र्य

(१) लार्ड माउण्टबैटन और सत्ता हस्तांतरण

२३ मार्च सन् १९४७ को माउण्टबैटन ने अपना कठिन कार्यभार संभाला। भारत में आने के बाद पुराने ही यहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन करके उन्होंने राजनीतिक दलों से अपनी बातचीत शुरू कर दी। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि भारतवर्ष के विभाजन के अलावा समस्या का कोई दूसरा समाधान नहीं है और भारतीय नेता भी इससे अभिभूत होते हुए भी सहमत हो गये। सबकी एकमात्र इच्छा यही थी कि शीघ्र से शीघ्र अस्थायी शांतिवर्णन समाप्त हो और साम्प्रदायिक दंगों की प्रक्रिया रुके। लार्ड माउण्टबैटन ने ३ जून १९४७ ई० को अपनी प्रसिद्ध घोषणा उपस्थित की, जिसके द्वारा हिन्दुस्तान का बँटवारा हुआ और हिन्दू बहुल अन्तर्देशीय प्रांतों को भारत में रहने दिया गया तथा मुसलमान बहुल प्रांतों से पाकिस्तान नामक एक नये देश की स्थापना हुई। पंजाब और बंगाल के दो-दो टुकड़े कर दिये गये और परिश्रमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में शामिल हुए। आसाम के 'सिलाहट' क्षेत्र में मतगणना हुई और वहाँ के मुसलमान बहुल भागों ने अपने को पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान) में मिला लिया तथा शेष आसाम (भारतवर्ष) के साथ बना रहा। उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रांत में भी मतगणना हुई और वह प्रांत पाकिस्तान को मिल गया। भारतवर्ष और पाकिस्तान की राजधानियों क्रमशः दिल्ली और कराची में स्थापित हुईं और अंग्रेजी सरकार ने १५ अगस्त सन् १९४७ ई० को सत्ताहस्तांतरण की दिधि निष्पन्न कर लिया। देशी राज्यों को यह स्वतंत्रता दी गयी कि वे भारतवर्ष अथवा पाकिस्तान जिसमें चाहें मिल जायें। इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट ने इस समझौते को कार्यान्वित करने के लिये सर्वसम्मति से एक कानून पास कर दिया और १९४७ ई० की १५ अगस्त को माउण्टबैटन ने यह घोषणा की कि भारत तथा पाकिस्तान स्वतंत्र हो गये। भारतीय-संघ तथा देशी राज्यों में बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रोत्सव मनाया गया। बाहरों और गाँवों में प्रसन्नता व्यक्त करने के लिये शीपावकियों का प्रबन्ध किया गया तथा भारतवर्ष के कोने-कोने में राष्ट्रीय ध्वज फहराने लगा।

(२) साम्प्रदायिक उन्माद

भारतवर्ष को स्वतंत्रता को प्राप्त हुई, परन्तु उसकी प्रसन्नता में कुछ की कमी रेखा भी थी। मुसलिम-लीग की साम्प्रदायिक नीति का एक यह हुआ था कि देश में अनेक स्वामों पर हिन्दू, सिख तथा मुसलमान अपने प्राचीन

आतुरता को मूलकर एक-दूसरे का गला काटने लगे। साम्प्रदायिकता की व्यापक स्वतंत्रता प्राप्ति के घोड़े विलो पहाले ही से तीव्र रूप से बढ़ी चली आ रही थी, जो धीरे-धीरे बढ़कर पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पंजाब, सिन्ध, उत्तरी-पश्चिमी सीमा-प्रान्त, दिल्ली तथा उत्तरप्रदेश के पश्चिमी दिनों तक फैल गयी। छद्म-मार, बलात्कार और माना प्रकार के अत्याचार एक-दूसरे पर डाले गये तथा भीषण रक्तपात हुआ। महात्मा गान्धी देश के विमानम से अत्यन्त दुःखी थे और उनका हृदय का घाव अभी भर भी नहीं पाया था कि उस पर यह दूसरी चोट लगी। उन्होंने सारे उपश्रवप्रस्त क्षेत्रों का शांति-स्थापन के हेतु भ्रमण शुरू किया और अपनी प्रार्थना-सभाओं में धार्मिक और साम्प्रदायिक उन्माद की तीव्र भर्त्सना की। सभी बड़े-बड़े नेता व्याकुल होने लगे। परन्तु उनके अनेकानेक प्रयत्नों के होते हुए भी पश्चिमी पाकिस्तान से हिन्दुओं का खाना और भारतवर्ष के कुछ भागों से मुसलमानों का खाना प्रारम्भ हो गया। लासों नर-मारियों का धर-धार छोड़कर अन्धजाले विज्ञान की ओर चला एक क्रूर दृश्य उपस्थित करने लगा और भारतीय सरकार के किये हिन्दुओं और सिखों को अपने घरों से उतकी रचा करते हुये ले खाना तथा उन्हें बलाया और पाकिस्तान जाने को उत्सुक मुसलमानों को शांतिपूर्वक जाने की सुविधा प्रस्तुत करना एक अत्यन्त कठिन कार्य हो गया। तथापि उसे भारतीय सरकार ने हड़तापूर्वक सम्पन्न किया। परन्तु यही सब कुछ नहीं था। महात्मा जी के शांतिमय उपदेशों को अनेक गुमराह हिन्दू गलत रूप में समझकर यह सोचने लगे कि वे ही पाकिस्तान में हिन्दुओं की हत्या तथा विस्थापितों की समस्या के किये उत्तरदायी हैं। नाथूराम विनायक गोडसे नामक एक मराठा पुषक से भावेश में आकर ३० जनवरी १९४८ ई० को उनको गोली का शिकार बना डाला। इस प्रकार गान्धी जी तो अपने विचारों की पूर्ति, विरवासों की रचा और शांति के प्रयत्नों के किये बलिदान हुए, परन्तु भारतवर्ष की अपूर्णीय पति हुई। प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में देश का प्रकाश हुआ गया। एक भारतीय ने अपने ही राष्ट्रपिता का वध करके कृतघ्नता का परिचय दिया और अपने माथे पर कर्लक का डीका लगाया; परन्तु यहाँ यह भी कह देना उचित है कि गान्धीजी के प्राणों के बरसग से भारतवर्ष में साम्प्रदायिकता की रीढ़ टूट गयी।

(३) कश्मीर, ईदरावाद तथा अन्य राज्य

साम्प्रदायिकता के प्रभ से ही सम्बन्धित एक प्रस और था। कश्मीर को अबरदस्ती हथप लेने के किये पाकिस्तान ने कबायदियों को उभाड़कर उसपर

अक्टूबर सन् १९४७ ई० में आक्रमण कर दिया। कश्मीर ने भारत के साथ अपना सीमित विलय कर दिया और भारतीय सेनाओं को वहाँ आक्रमण-कारियों को भगाने के लिये भाना पड़ा। भारतीय सेनायें, वहाँ एकदम हुईं परन्तु लार्ड माउण्टबैटन ने, जो उन दिनों भारतवर्ष के गवर्नर जनरल थे, कश्मीर का प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघ में भेजने का सुझाव दिया और वहाँ उसे भेज भी दिया गया। आत्म भी वह प्रश्न उलझा हुआ ही है और कुछ अंशों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की शतरंज की मुहर पना हुआ है। इसी प्रश्न की तरह एक दूसरा प्रश्न हैदराबाद का था। वहाँ के निजाम ने, चारों तरफ भारतीय क्षेत्र से हैदराबाद के धिरे होते हुए तथा वहाँ जनता में हिन्दुओं का बहुमत होते हुए भी, भारतीय संघ में सम्मिलित होने में आनाकानी की। अंत में भारतीय सरकार को विवश होकर वहाँ पुकिस्त-कार्रवाई करनी पड़ी और निजाम सरकार ने हैदराबाद का भारतीय संघ में विलयन कर दिया। इन दो प्रमुख राज्यों के अलावा जूनागढ़ के नवाब ने भी पाकिस्तान के पक्ष में जाने का प्रयत्न किया परन्तु उसे विवश होकर भारतवर्ष में सम्मिलित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के लगभग ५०० छोटे-छोटे राज्यों का विलय भारतवर्ष में हुआ। इस कार्य में सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपूर्व नीतिकौशलता, साहस और दूरदर्शिता का परिचय दिया। विलय के बाद ये राज्य शासन की सुविधा के लिये पहले एक दूसरे से मिलाये गये और उनका संघ तैयार किया गया; परन्तु बाद में वे अनेक समीपवर्ती प्रांतों में मिला दिये गये। अन्त में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन में वे अनेक राज्यों का भाग बन गये। पुराने रिषासती क्षेत्रों वाले आधुनिक राज्यों में कश्मीर और राजस्थान प्रमुख हैं। अन्य राज्यों की ही तरह वहाँ के भी शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाये जाते हैं।

(४) स्वतंत्र संविधान

इन उपर्युक्त कार्यों के अलावे भारत ने संविधानिक क्षेत्र में भी काफी प्रगति की और अपनी स्थिति को दृढ़ बना लिया। १९४९ ई० से ही जो संविधान-सभा संविधान बना रही थी, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया तथा २६ जनवरी सन् १९५० को यह भारतवर्ष पर लागू भी हो गया। अब उसके अनुसार जो बार साधारण चुनाव भी हो चुके हैं और वह इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से लागू हैं। भारत ने अपनी स्वेच्छा से, अपनी पूरी स्वतंत्रता बनाये रखते हुए तथा अंग्रेजी राजमुकुट की प्रभावता को न मानते हुए भी राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना स्वीकार कर लिया है।

३. पर-राष्ट्रनीति

(१) अंग्रेजों की पश्चिमोत्तर सीमान्त नीति

प्रथम अफगानिस्तान युद्ध के बाद भारतवर्ष की अंग्रेजी सरकार ने दोस्त-मुहम्मद के प्रति मित्रता की नीति का अवलम्बन किया। फारस ने जब अफगानिस्तान के प्रांत हिरात पर १८५९ ई० में आक्रमण कर दिया, तब अंग्रेजों ने उसे रोकने में दोस्तमुहम्मद की सहायता भी की। परन्तु १८६२ ई० के अगमग दोनों पक्षों के आपसी सम्बन्ध कुछ बिगड़ गये। १८६२ ई० में दोस्तमुहम्मद की ८० वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गयी। तदुपरान्त उसके १६ बेटों में उत्तराधिकार का आपसी युद्ध होने लगा। दोस्तमुहम्मद ने अपने तीसरे पुत्र शेरबख्शी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और यह भी चाहा था कि अंग्रेज उसे स्वीकार कर लें। परन्तु तत्कालीन गवर्नर जनरल सर जान कार्रिस ने तटस्थता की नीति का अवलम्बन किया और उत्तराधिकार के लिये युद्ध करनेवाले किसी भी पक्ष को सहायता देने से इनकार कर दिया। उन्हें यह डर था कि अफगानिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर रूस भी अवश्य हस्तक्षेप करेगा। रूस की बढ़ती हुई शक्ति अफगानिस्तान में प्रभावशाली न हो, ये यही चाहते थे और उन्होंने इंग्लैण्ड की सरकार को यह भी दिखा कि वे रूस से अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने के सम्बन्ध में कोई समझौता कर लें। परन्तु उनकी इस तटस्थता की नीति का इंग्लैण्ड में बड़ा विरोध हुआ और उनकी महान् अकर्मण्यता (मास्टरली इन्वेस्टिविटी) के लिये उनकी निन्दा की गयी। अन्त में १८६८ ई० में जब शेरबख्शी अपने सभी प्रतिद्वन्द्वियों को परास्त करके अमीर बन आये में सफल हुआ, तो सर जान कार्रिस ने उसे स्वीकार कर लिया; परन्तु शेरबख्शी को इससे संतोष नहीं हुआ। वह अंग्रेजों की स्वार्थपरता के सम्बन्ध में शिकायत कर चुका था।

सर जान कार्रिस के बाद लार्ड मेयो १८६९ ई० में भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय होकर आये। उस समय तक रूस का मध्य-एशिया में बढ़ता हुआ प्रभाव तथा शेरबख्शी की उदासीनता स्पष्ट हो चुकी थी। अतः लार्ड मेयो ने अफगानिस्तान को प्रसन्न करके वहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। १८६९ ई० में उन्होंने शेरबख्शी से अम्बाला में जैद की और अपनी आबमगत से उसे अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। अमीर भी रूस के अफगानिस्तान की ओर बढ़ाव से चिन्तित था और उसने अंग्रेजों से सहायता लेनी चाही। परन्तु लार्ड मेयो बहुत दूर जागे बढ़कर उसकी दर

प्रकार से सहायता करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने शेरभली को कुछ योग्य आरक्षण से ही संतुष्ट करना चाहा जो समय की आवश्यकता से बहुत कम था। इसी बीच रूस ने श्रीवा पर आधिपत्य जमा लिया। १८०३ ई० में शेरभली ने सरकार लार्ड नार्थमूक के पास इस निमित्त संधि के किये प्रस्ताव भेजा कि अफगानिस्तान पर रूस अपना और किन्ही क्षत्र के द्वारा आक्रमण किये जाने की अवस्था में अंग्रेज शासक और सैनिक सहायता से उसकी रक्षा करेंगे; परन्तु अंग्रेजोंने अब भी कोई निमित्त आस्थापन नहीं दिया। शेरभली ने लार्ड नार्थमूक के सामने यह भी प्रस्ताव रखा कि उसके बाद उसके जेठे पुत्र याफ़्गूखा के बच्चे उसका छोटा लड़का अम्युल्लाखा उसका उत्तराधिकारी मान लिया जाय, परन्तु इस प्रश्न पर भी भारत सरकार ने उसकी बात स्वीकार नहीं की और उसका असम्तोप बढ़ता ही गया। फलतः अमीर रूस की ओर झुकने लगा और उसने यह शिकायत की कि अंग्रेज जिसे ही शक्ति-साक्षी समझते हैं, उसी को अपने स्वार्थ से सहायता देते हैं। इसी बीच इंग्लैण्ड में सरकार का परिवर्तन हुआ। भारत-भंगी लार्ड कैलिस्वरी से लार्ड नार्थमूक कई प्रश्नों पर असहमत होने लगे और अन्त में १८०५ ई० में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद लार्ड लिटन भारतवर्ष के वाइसराय होकर आये और उन्होंने अफगानिस्तान के सम्बन्ध में जाने बढने की नीति का अवलम्बन किया। अंग्रेजों ने प्येता पर अधिकार कर लिया, परन्तु अब अमीर से यह प्रस्ताव किया गया कि यह कानुन में एक अंग्रेजी मिसन को रहने की आज्ञा दे दे तो उसने इनकार कर दिया। रूस का प्रभाव काबुल में बढ़ा जा रहा था और भारतवर्ष की अंग्रेजी सरकार उसे स्थायित्वपूर्वक नहीं देख सकती थी। लार्ड लिटन ने १८०८ ई० में फरवरी काबुल में मिसन रखवाने का प्रयत्न किया और जैपर के घरे से उसे भेज भी दिया गया परन्तु अफगानों ने उसे रोक दिया। इस पर लार्ड लिटन ने अमीर को अंग्रेजी मिसन को या तो स्वीकार करने अथवा युद्ध में सामंभ करने की चुनौती दी। अमीर को यह विश्वास था कि इसी उसकी मदद करेंगे। परन्तु युरोप में रूसियों और अंग्रेजों की जो सजुता चल रही थी उसका १८०८ ई० में यलिन की संधि के द्वारा अन्त हो गया था और रूसियों ने अमीर की सहायता करने से इनकार कर दिया।

द्वितीय अफगान युद्ध—१० नवम्बर सन् १८०८ ई० को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। रायट्स ने सुर्रम के शेर को घेर लिया और जनरल स्टीवर्ट ने कम्बुहार बौत लिया। शेरभली भागकर एकिस्तान चला गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी। उसके उत्तराधिकारी

पाक्यूबर्गों को संधि की बात खजानी पड़ी। २६ मई सन् १८७९ ई० में गंडमूक की संधि हो गयी। सन्धि के द्वारा पाक्यूबर्गों को अमीर मान लिया गया। उसने काबुल में एक स्थायी अंग्रेजी प्रतिनिधि रखना स्वीकार कर लिया और अफगानिस्तान की पर-राष्ट्रनीति को भारतवर्ष के अंग्रेज वाइसरॉय के अधीन कर दिया। कुर्रम आदि के शिके भी अंग्रेजी शासन में मिटा दिये गये। इस प्रकार गंडमूक की संधि अंग्रेजों के लिये बड़ी लाभप्रद हुई और उसकी प्रायः सभी शर्तें स्वीकार कर ली गयीं। बड़खे में अंग्रेजों ने अमीर को १ लाख रुपयों की वार्षिक वृद्धि देना स्वीकार किया तथा अफगानिस्तान से सभी अंग्रेजी सेनाएँ हटा ली गयीं।

तृतीय अफगान युद्ध—गंडमूक की संधि से ऊबार्ई तो बन्द हो गयी, परन्तु अफगानिस्तान में पूरी शान्ति नहीं स्थापित हुई। वहाँ की साधारण जनता किसी भी व्यक्ति को, जो ब्रिटेनी शक्ति पर निर्भर हो, अपना शासक मानने को तैयार नहीं थी और भीतर ही भीतर असन्तोष बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज रेजीडेण्ट सर लुई कैयेगमरी जब काबुल पहुँचा, तो वह असन्तोष और भी बढ़ गया। २ सितम्बर सन् १८७९ ई० को कुछ कुन्द् अफगानों ने उसके दूख समेत उसे मार डाला। फलतः अंग्रेजों ने पुनः युद्ध किया। जनरल राबर्ट्स ने काबुल पर अधिकार जमा लिया और उपद्रवकारियों से बखला किया। पाक्यूबर्गों, जो अमीर था, अंग्रेजों से मिला गया, परन्तु तब भी वह गद्दी से हटा दिया गया और उसे पेंशन देकर भारत भेज दिया गया और वह वहाँ १९२३ ई० तक जीवित रहा। शेरशही के भतीजे अब्दुलरहमान को अफगानिस्तान का अमीर बनने के लिये अंग्रेजों ने तैयार किया। परन्तु इसी बीच अंग्रेजी सरकार का इङ्ग्लैण्ड में परिवर्तन हो गया और छाईं डिउन को अपनी अफगानिस्तान सम्बन्धी नीति में समर्थन न मिलने के कारण १८८० ई० में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा।

छाईं डिउन के बाद लार्ड रिपन भारतवर्ष के वाइसरॉय होकर आये। उन्होंने अफगानिस्तान के प्रति सर जान कार्लस वाली शान्ति की नीति को अपनाया। अब्दुलरहमान से संधि करके उसको साक्षात् सहायता देने का भारतवर्ष की अंग्रेजी सरकार ने बचन दिया और बड़खे में उसने पर-राष्ट्रनीति का संचालन अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया। किन्तु अब्दुलरहमान को मारे अफगानिस्तान पर अपना प्रमुख स्थापित करने के लिये अंग्रेजों की सहायता सेमी पड़ी। उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वन्दी शेरशही का लड़का अयूबर्ग था। मेयन्द् नामक स्थान पर अब्दुलरहमान की सेनाओं पर उसकी मारी दिव्य

हुई। अतः अंग्रेजों की ओर से जनरल रायट्स पुनः अफगानिस्तान भेजा गया। उसने अयूबखानों को कम्बुहार के युद्ध में हराया और उसके बाद अफगानिस्तान पर अरबुल्लरहमान का अधिकार स्थापित हो गया। अंग्रेजी सेनायें यहाँ से लौटा ली गयीं और इस तरह तृतीय अफगान युद्ध का अन्त हुआ।

लार्ड डफरिन के समय (१८८४-८८ ई०) में तथा उसके बाद भी वर्षों तक अंग्रेजों के सामने अफगानिस्तान और रूस की सीमाओं का निर्धारण मुख्य प्रश्न था। रूस धीरे-धीरे के किये प्रत्येक मौके का छाम उठाता रहा; परन्तु धीरे-धीरे रूस और इङ्ग्लैण्ड के सम्बन्ध अच्छे होते गये। अंग्रेजों का प्रयत्न यह होने लगा कि अफगानिस्तान को भारतवर्ष की सीमा पर रूस के मुकाबले एक अन्तर-नाम्य (बफर स्टेट) बना दिया जाय और उन्होंने अफगानिस्तान के अमीर से मित्रता सम्बन्ध और भी बढ़ाये। १८९० ई० में रूस और अफगानिस्तान की सीमाओं का भी निर्धारण हो गया। अरबुल्लरहमान १९०१ ई० में मर गया और उसके बाद उसका पुत्र हबीबुल्ला अमीर बना। उसने अंग्रेजी सरकार के साथ होनेवाली अपने पिता के समय की संधियों के पालन पर जोर दिया और अन्त में अंग्रेजों ने उसके साथ भी एक संधि कर ली और उसकी अनेक माँगों स्वीकार कर ली गयीं। लार्ड कर्मन अब तक भारतवर्ष के वाइसराय रहे, उन्होंने अफगानिस्तान के प्रति नर्मि का व्यवहार किया और अंग्रेजी सेनाओं को अफगानिस्तान की सीमाओं से हटा दिया।

२० फरवरी सन् १९१९ ई० को अमीर हबीबुल्ला का उसके शत्रुओं ने वध कर बाधा। उसके बाद अमीर के पद के किये हबीबुल्ला के भाई और भतीजे में युद्ध दिग्ग गया। अन्त में उसका लड़का अमानुल्ला अमीर बनने में सफल हुआ। वह महम्बाकाँची व्यक्ति था और पंजाब में रीब्ट बिल के कारण फैली अघाम्ति से छाम उठाकर उसने खैबर के दर्रे पर आक्रमण कर दिया; परन्तु अंग्रेजी सेनाओं ने उसे परास्त कर दिया और उसे शिरास होकर संधि करनी पड़ी। अफगानिस्तान की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गयी; परन्तु उसके और अंग्रेजी भारत के बीच की भौगोलिक सीमायें मिश्रित कर ली गयीं। अंग्रेजी सरकार ने यह लक्ष्य दिया की अफगानिस्तान की पर-राजनीति पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जायगा। काबुल में एक अंग्रेजी रामदूत के रहने की व्यवस्था की गयी और अमीर का एक प्रतिनिधि लन्दन में भी रहने लगा। इस संधि के बाद प्रायः सर्वदा ही अफगानिस्तान की अंग्रेजों से मित्रता बनी रही और अंग्रेजों ने उसके घरेलू मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

(२) पूर्वी सीमा : बरमा

कम्पनी-काल में अंग्रेजों के बरमा से जो युद्ध हुए, जिनके फलस्वरूप भ्रा-
काम, सेनासरीम और पीगू को अंग्रेजों ने हथप लिया और मिच्छे बरमा पर
उनका प्रभाव स्थापित हो गया था। परन्तु उत्तरी बरमा में प्राचीन राजवंश
का अधिकार बना रहा और माण्डले उसकी राजधानी हो गयी। अंग्रेजी सर-
कार की ओर से वहाँ एक रेजीडेण्ट रदता था जो व्यापार की देख-रेख करता था।

परन्तु दोनों सरकारों के आपसी सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। मिच्छे बरमा
का हाथ से निकलना बरमा-निवासियों को सदा सख्यता रहा। १८०९ ई०
में चीबो उत्तरी बरमा का राजा हुआ। उसने अपने स्वतंत्र कार्यों से अंग्रेजों
को अपसन्न कर दिया। बरमा की पूर्वी सीमाओं पर फ्रांसीसियों ने अपने
उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने भी भारत में अंग्रेजों की
तरह साम्राज्यवाद फैलाना चाहा। बरमा की सरकार उनसे मित्रता स्थापित
करना चाहती थी। १८४५ ई० में उक्त दोनों सरकारों की एक व्यापारिक संधि
हो गयी और माण्डले में एक फ्रांसीसी दूत रहने लगा। इससे अंग्रेज डर गये
और वे मौका ढूँढ़ने लगे। चीबो ने यह गलती की कि उत्तरी बरमा में व्यापार
करनेवाली एक अंग्रेजी कंपनी पर एक भारी जुर्माना कर दिया। इससे भारत
की अंग्रेजी सरकार बड़ी क्रुद्ध हुई और उसने यह मांग की कि सारा मामला
भारत के वाइसरॉय की पंचायत में भेजा जाय। चीबो ने इसे मानने से इन-
कार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने चीबो को एक चुनौती दी, जो बरमा के
शासक के लिये मानना असंभव था। जब उसने अंग्रेजों की शर्तों को स्वीकार
नहीं किया तो भारत सरकार ने बरमा पर चढ़ाई कर दी। फ्रांसीसियों ने बरमा
की कोई मदद नहीं की और २० दिनों के भीतर ही माण्डले पर अंग्रेजी सेनाओं
का अधिकार हो गया तथा चीबो कैद कर लिया गया। उत्तरी बरमा को अंग्रेजों
ने १८९० ई० में वृष्टिण बरमा से मिलाकर वहाँ अपना शासन स्थापित कर
दिया। रंगून उसकी राजधानी बना तथा उसका शासन एक लेफ्टि-
नेंट गवर्नर के अधीन किया गया। १९२२ में पूरा बरमा एक अलग प्रांत
माना गया और वहाँ एक गवर्नर नियुक्त किया गया। १९३० ई० में
बरमा भारत से अलग हो गया तथा १९४७ ई० में जब अंग्रेजों ने भारतवर्ष को
स्वतंत्र कर दिया तो उसी समय उन्होंने बरमा की भी स्वतंत्रता मान ली और
आजकल बरमा में एक स्वतंत्र गणतंत्र के द्वारा शासन-कार्य होता है।

चीबो के प्रति भारत की अंग्रेजी सरकार ने जो क्रुद्ध किया वह स्वार्थपूर्ण
और अन्यायपूर्ण था। बरमा को किसी भी देश से दूत सम्बन्ध स्थापित

करने का पूरा अधिकार था, क्योंकि वह एक स्वतंत्र देश था। चीनो की निर्दयता के लिये उसे बण्ड देने का अंग्रेजों को कोई भी अधिकार नहीं था। हाँ वह अचरम कहा जा सकता है कि चीनोने अंग्रेजी व्यापारी कम्पनियों के प्रति जो क्रूरता विलापी वह अन्यायपूर्ण थी, परन्तु उतने ही के कारण कुछ अनिवार्य नहीं था। परन्तु अंग्रेजों ने उस मौके का पूरा लाभ उठाया और बरमा पर अधिकार करके अपनी प्रभुता को बढ़ाया।

(३) अन्य सीमान्त देशों से सम्यन्ध

नेपाल से अंग्रेजों के युद्धों के बाद भारत सरकार की मित्रता हो गयी और नेपाल ने उस मित्रता को अन्त तक बिनाया। बाव में नेपाल को भारत सरकार ने स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया। १८१५ ई० में भूटान ने अंग्रेजों से युद्ध छेड़ दिया; परन्तु अन्त में उससे संधि हो गयी तथा यहाँ के शासक ने यह स्वीकार किया कि भूटान से होकर किसी भी दूसरे राष्ट्र की सेना नहीं जा सकेगी। तिब्बत पर कर्ज कर्ज के दासम-काल १९०३ ई० में अंग्रेजी सेना ने आक्रमण किया परन्तु अंत में तिब्बत से संधि हो गयी और अंग्रेजों ने तिब्बत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का बचन दिया।

(४) भारत की वर्तमान पर-राष्ट्रनीति

१५ अगस्त सन् १९४७ ई० को जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ तो उसकी कोई अपनी स्वतंत्र पर-राष्ट्रनीति नहीं थी। उसके पहले जो कुछ भी इस देश की विदेशी नीति थी वह अंग्रेजों के द्वारा इंग्लैंड के हित में संचालित होती थी। यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता के समय तक विदेशी नीति संबंधी कोई शिक्षा नहीं दी गयी थी और भारत को उस क्षेत्र में क्या भीगनेस करना पड़ा। परन्तु इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि भारत का कोई प्रभु राष्ट्र नहीं था और सब देशों को उसके प्रति महाजुम्हटि थी। अपने प्रधान-मंत्री तथा परराष्ट्र-मंत्री पण्डित जवाहरलालनेहरू के नेतृत्व में भारत किसी भी देश के प्रति सन्तुष्टा की भावना न रखकर सबकी मित्रता प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के प्रायः सभी देशों से भारत ने राजदूत सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्रायः सारा संसार दो गुटों में बँट गया है, जो अमेरिका तथा रूस के अलग-अलग नेतृत्व में एक दूसरे से संपर्क के लिये तैयार हो गये और फ्रान्सः विश्वशांति स्तरों में पड़ गई। परन्तु भारत ने दोनों गुटों में किसी भी गुट से मिलने से इनकार कर दिया और तटस्थता की नीति बरतने का प्रयास

किया। पहले तो इसे भारत की कमखोरी माना गया और तटस्थता को अकर्मण्यता कहा गया; परन्तु बाद में धीरे-धीरे विदेशों में भारत की तटस्थता का समर्थन किया जाने लगा और उसे छोड़ अधिक समझने लगे। इस तटस्थता के छिपे भारत को कई अवसरों पर दोनों ही गुटों का श्रेय-मादन होना पड़ा है परन्तु भारत ने उसकी परबाह नहीं की और एक ऐसी परिस्थिति आई कि विश्व के अधिकांश देश भारत की ओर विश्वशांति की आशा से जाँक लगाने लगे। भारत की पर-राष्ट्र नीति का मुख्य रूप विश्वशांति स्थापित करना हो गया है। वह प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न को निष्पक्ष दृष्टि से देखता है और उसे सुलझाने का प्रयत्न करता है। कोरिया में विराम-संधि स्थापित करने में संयुक्त-राष्ट्र-संघ के द्वारा भारत ने अथक परिश्रम किया और उसीके प्रस्ताव के आधार पर वहाँ विराम-संधि हुई तथा वह युद्ध के कैदियों को उनके देशों को भेजने तथा अपने देशों को आने में अनिच्छुक कैदियों की व्यवस्था करने का निष्पक्ष पंच माना गया। कोरिया ही नहीं विश्व के और भी अशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करने में भारत की बहुमुख्य दैनंदिनी हैं। १९५४ ई० में प्रग्स और हिन्दूचीम के युद्ध को समाप्त करने तथा विराम संधि की देखरेख करने आदि समस्याओं के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई और भारतवर्ष उसका अध्यक्ष माना गया। १९५६ में स्वेड के प्रश्न को लेकर जब इटली, फ्रांस और इसराइल ने मिथ पर आक्रमण कर दिया तो भारत ने अपनी तटस्थताकी नीति छोड़े बिना भी उसका दृढ़ विरोध किया। संयुक्त-राष्ट्र-संघ के प्रयत्नों से जब वहाँ युद्ध बन्द हुआ तो युद्धबन्दी के पालन के किये वहाँ एक तटस्थ राष्ट्रों का सैनिक आयोग भेजा गया, जिसमें भारतीय जवानों और अफसरों की प्रमुखता है।

(अ) राष्ट्रवाद का समर्थन—भारत की तटस्थता की नीति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, वह ऊपर कहा जा चुका है। भारत ने एशिया और अफ्रिका के दृष्टि देशों का प्रबल समर्थन किया है। इस दिशा में उसका सर्वप्रमुख कार्य रहा है यूरोपीय साम्राज्यवाद का विरोध करना तथा तरतम्र देशों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना। बर्मा की स्वतन्त्रता के किये भारत अपनी स्वतन्त्रता की लड़ाई के समय से आवाज उठाता रहा और बर्मा उसके साथ ही स्वतन्त्र हुआ। वही नहीं भारत ने यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों के श्रेय की परबाह किये बिना हिन्दू-एशिया की स्वतंत्रता के किये प्रबल सहयोग प्रदान किया। हालैंड हिन्दू-एशिया पर अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता था और संयुक्त-राष्ट्र-संघ के तरवाचन में दोनों देशों के बीच जो सन्धि हुई थी, उसका तिरस्कार करके हालैंड ने हिन्दू-एशिया पर सैन्य दल

का प्रयोग किया और उसे अपने अधिकार में खाने के लिये १९४४ ई० के अन्त में उस पर आक्रमण कर दिया। भारत ने विश्व के सभी स्वतन्त्र देशों की सहायता को हिन्द-एशिया के लिये संगठित किया और एशिया के १० देशों का एक सम्मेलन २० जनवरी सन् १९४९ ई० को दिल्ली में किया गया जो 'एशिया-सम्मेलन' के नाम से विख्यात हुआ। उसमें हावैरड के हिन्द-एशिया के ऊपर साम्राज्यवादी आक्रमण की निन्दा की गयी और यह प्रस्ताव पास किया गया कि संयुक्त-राष्ट्र-संघ हिन्द-एशिया को हावैरड के वेतुल से मुक्त कराने में सहायता करे। भारत ने आगे भी अपना प्रयत्न जारी रखा और अन्त में हिन्द एशिया स्वतन्त्र हो गया। इसी प्रकार भारत ने अफ्रिका के एथीओपिया, मोरक्को और अल्जीरिया जैसे देशों की स्वतन्त्रता का सहायन किया है। उनमें से कुछ तो स्वतन्त्र हो गये हैं परन्तु अल्जीरिया अब भी परतन्त्र बना हुआ है। और फ्रांस की सैनिक शक्ति से आक्रान्त है। परन्तु भाशा है उसे भी आत्मनिर्णय का अधिकार जल्दी ही मिल जायेगा।

(आ) रंग-भेद का विरोध—भारत की पर-राष्ट्रनीति में रंग-भेद का विरोध भी मुख्य रूप से दिखायी देता है। रंग-भेद का सबसे अधिक मजबूत रूप अफ्रिकी अफ्रिका में दिखाई दिया है। महात्मा गांधी ने, जब भारतवर्ष स्वतन्त्र भी नहीं हुआ था, वहाँ रंग-भेद के विरुद्ध सत्याग्रह किया था और अन्त में वहाँ के प्रधानमंत्री लमरएल स्मट्स ने उनसे समझौता कर लिया। परन्तु इधर कई वर्षों से वहाँ के प्रधानमन्त्री मलान और उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार ने अति-भेद का सिद्धांत मानकर अफ्रिकावासियों और दक्षिण अफ्रिका के भारतीयों के प्रति अनेक कठोरताएँ बरतनी प्रारम्भ कर दिया है। भारत ने स्वतन्त्र होते ही उसकी पूरबकरण की नीति का विरोध कर दिया और प्रायः प्रत्येक वर्ष उस प्रश्न को संयुक्त-राष्ट्र संघ में उठाया है परन्तु अभी वहाँ गोरे लोगों के प्रमुख के कारण, उस प्रश्न का सतोषपूर्ण निबटारा नहीं हो सका है और भारत अपने प्रयत्नों में लगा हुआ है कि प्रश्न का कोई शान्तिपूर्ण और सम्मानपूर्ण हल निकल जाये।

(इ) पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति—भारत का सबसे निकट का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। १९४७ ई० के पूर्व तक यह भारत का अंग था; परन्तु सामंशिकता की उमठा के कारण स्वतन्त्रता के समय यह अलग हो गया और भारत के प्रति उसकी नीति शान्तिपूर्ण रही है। दोनों देशों में कार्मीर, निष्कांत सम्पत्ति, नहरों का पानी, पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के प्रति व्यवहार तथा व्यापार सम्बन्धी कई विवाद उठ उठे हुए हैं।

आक्रमणकारी है तथा भारत ने शान्ति की ही नीति को अपनाया है। यदि भारत चाहता तो इस प्रश्न का निबटारा वह शक्ति-प्रयोग से कर सकता था परन्तु उसने ऐसा नहीं किया है। इस प्रश्न को संयुक्त-राष्ट्र-संघ के सामने उपस्थित करके भारत ने अपनी शान्ति की नीति का परिचय दिया है, परन्तु वहाँ गुटबन्दी के कारण यह प्रश्न अब भी उलझा हुआ है। तथापि भारत का यह प्रयत्न है कि वह पाकिस्तान से अपने सभी झगड़ों को शान्तिपूर्वक सुझाए और इस दिशा की ओर प्रयत्न जारी है। पाकिस्तान में १९५८ ई० में सैनिक शासन स्थापित हो जाने के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों में कुछ सुधार अवश्य हुआ है और अनेक प्रश्नों पर समझौते भी हो चुके हैं।

छंका से भारत का सम्बन्ध कुछ दिनों तक बहुत उलझा हुआ था। कारण यह था कि छंका सरकार वहाँ बसे हुए १० लाख भारतीयों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखना चाहती थी परन्तु भारत ने इस प्रश्न पर भी कोई बबरवस्ती नहीं दिखाना चाहा और उसने वहाँ की क्रोडसेवाका सरकार से समझौता कर लिया। १९५९ ई० में होनेवाले छंका के आम चुनाव में जब भण्डारनायक की विजय हुई और उनकी सरकार बनी तो दोनों देशों के सम्बन्ध बहुत सुधर गये और दोनों की विदेशनीति प्रायः एक सी हो गई।

बरमा से भारत की पूर्ण मित्रता है और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के सम्बन्ध कायम रह चुके हैं। भारत ने बरमा की हर प्रकार से सहायता की है और वहाँ के गृहयुद्ध को खतम करने में वहाँ की सरकार की सहायता भी की गयी है। कोलम्बो-योजना में भाग लेकर राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों के साथ बरमा को भारत ने भी आर्थिक सहायता दी है।

नेपाल से भी भारत का मैत्री-सम्बन्ध है। वहाँ जनता की सरकार स्थापित करने में भारत के प्रधानमन्त्री ने हर प्रकार से सहायता दी है तथा वहाँ के संवैधानिक राजा तथा जन-नेताओं को उचित परममूर्त देते हुये भी भारत सरकार नेपाल के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। नेपाल की उन्नति के लिये भारत ने अपने विशेषज्ञों को नेपाल-सरकार की मांग पर भेजा है और उसे कुछ ऋण और आर्थिक सहायता भी दी है। १९५० ई० में भारत और नेपाल में पारस्परिक मित्रता की आकांक्षित सन्धि हुई और यह भी निश्चय हुआ कि एक दूसरे पर आक्रमण होने की अवस्था में दोनों देश एक दूसरे से परामर्श करेंगे और पारस्परिक सहायता करेंगे।

भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा के भीतर फ्रांस और पुर्तगाल के कुछ छोटे-छोटे उपनिवेश अभी शेष थे। फ्रांस ने भारत सरकार की यात मात कर

का प्रयोग किया और उसे अपने अधिकार में काने के छिये १९४८ ई० के अन्त में उस पर आक्रमण कर दिया। भारत ने विश्व के सभी स्वतन्त्र देशों की सहाय्यता को हिन्द-एशिया के छिये संगठित किया और एशिया के १० देशों का एक सम्मेलन २० जनवरी सन् १९४९ ई० को दिल्ली में किया गया जो 'एशिया-सम्मेलन' के नाम से विख्यात हुआ। उसमें हावैण्ड के हिन्द-एशिया के ऊपर साम्राज्यवादी आक्रमण की निन्दा की गयी और यह प्रस्ताव पास किया गया कि संयुक्त-राष्ट्र-संघ हिन्द-एशिया को हावैण्ड के चंगुल से मुक्त कराने में सहायता करे। भारत ने आगे भी अपना प्रयत्न जारी रखा और अन्त में हिन्द एशिया स्वतंत्र हो गया। इसी प्रकार भारत ने अफ्रिका के व्यूमीशिया, मोरक्को और अल्जीरिया जैसे देशों की स्वतन्त्रता का सदा समर्थन किया है। उनमें से कुछ तो स्वतंत्र हो गये हैं परन्तु अल्जीरिया अब भी परतन्त्र बना हुआ है। और फ्रेंस की सैनिक शक्ति से आक्रान्त है। परन्तु आशा है उसे भी आत्मनिर्णय का अधिकार बख्शी ही मिल जायेगा।

(आ) रंग-भेद का विरोध—भारत की पर-राष्ट्रनीति में रंग-भेद का विरोध भी मुख्य रूप से विज्ञापनी देता है। रंग-भेद का सबसे अधिक मग्न रूप दक्षिणी अफ्रिका में दिखाई दिया है। महात्मा गांधी ने, जब भारतवर्ष स्वतन्त्र भी नहीं हुआ था, वहाँ रंग-भेद के विरुद्ध साधाग्रह किया था और अन्त में वहाँ के प्रधानमंत्री जनरल स्मट्स ने उनसे समझौता कर लिया। परन्तु इधर कई वर्षों से वहाँ के प्रधानमंत्री महान और उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार ने जाति-भेद का सिद्धांत मानकर अफ्रिकावासियों और दक्षिण अफ्रिका के भारतीयों के प्रति अनेक कठोरताएँ बरतना प्रारम्भ कर दिया है। भारत ने स्वतन्त्र होते ही उसकी पूषककरण की नीति का विरोध कर दिया और प्रायः प्रत्येक वर्ष उस प्रश्न को संयुक्त-राष्ट्र संघ में उठाया है परन्तु अभी वहाँ घोर लोगों के प्रभुत्व के कारण, उस प्रश्न का संतोषपूर्ण निबटारा नहीं हो सका है और भारत अपने प्रयत्नों में लगा हुआ है कि प्रश्न का कोई साम्प्रतिक और सम्मानपूर्ण हल निकल आये।

(इ) पड़ोसी देशों के प्रति भारत की मैत्री-नीति—भारत का सबसे निकट का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। १९४७ ई० के पूर्व तक वह भारत का भाग था; परन्तु सार्वभौमिकता की उमठा के कारण स्वतन्त्रता के समय वह अलग हो गया और भारत के प्रति उसकी नीति सन्तुष्टापूर्ण रही है। दोनों देशों में कारमीर, मिष्काल संपत्ति, बहरी का पानी, पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के प्रति भ्रष्टाचार तथा न्यायार सम्बन्धी कई विवाद उठ उठे हुए हैं। उनमें सबसे अधिक कारमीर की समस्या है। पाकिस्तान वहाँ स्पष्ट रूप से

आक्रमणकारी है तथा भारत ने शान्ति की ही नीति को अपनाया है। यदि भारत चाहता तो इस प्रश्न का निपटारा वह शक्ति-प्रयोग से कर सकता था परन्तु उसने ऐसा नहीं किया है। इस प्रश्न को संयुक्त-राष्ट्र-संघ के सामने उपस्थित करके भारत ने अपनी शान्ति की नीति का परिचय दिया है, परन्तु वहाँ गुटबन्दी के कारण यह प्रश्न अब भी उलझा हुआ है। तथापि भारत का यह प्रयत्न है कि वह पाकिस्तान से अपने सभी हक्यों को शान्तिपूर्वक सुलझा ले और इस दिशा की ओर प्रयत्न जारी है। पाकिस्तान में १९५८ ई० में सैनिक शासन स्थापित हो जाने के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों में कुछ सुधार अवश्य हुआ है और अनेक प्रश्नों पर समझौते भी हो चुके हैं।

छंका से भारत का सम्बन्ध कुछ दिनों तक बहुत उत्साहपूर्ण नहीं था। कारण यह था कि छंका सरकार यहाँ बसे हुए १० लाख भारतीयों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखना चाहती थी परन्तु भारत ने इस प्रश्न पर भी कोई बबरवस्ती नहीं दिखाया था और उसने वहाँ की कोटकेवाला सरकार से समझौता कर लिया। १९५६ ई० में होनेवाले छंका के आम चुनाव में अब मन्थारनायक की विजय हुई और उनकी सरकार बनी तो दोनों देशों के सम्बन्ध बहुत सुधर गये और दोनों की विदेशनीति प्रायः एक सी हो गई।

बरमा से भारत की पूर्ण मित्रता है और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ रहे हैं। भारत ने बरमा की हर प्रकार से मदद की है और वहाँ के गृहयुद्ध को खतम करने में वहाँ की सरकार की सहायता भी की गयी है। कोलम्बो-योद्धा में माग केरु राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों के साथ बरमा को भारत ने भी वार्षिक सहायता दी है।

नेपाल से भी भारत का मैत्री-सम्बन्ध है। वहाँ जनता की सरकार स्थापित करने में भारत के प्रधानमन्त्री ने हर प्रकार से सहायता दी है तथा वहाँ के संवैधानिक राजा तथा कम-नेताओं को उचित परामर्श देते हुये भी भारत सरकार नेपाल के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। नेपाल की उन्नति के दिये भारत ने अपने विशेषज्ञों को नेपाल-सरकार की मांग पर भेजा है और उसे कुछ ऋण और वार्षिक सहायता भी दी है। १९५० ई० में भारत और नेपाल में पारस्परिक मित्रता की आधिकारिक सन्धि हुई और यह भी निश्चय हुआ कि एक दूसरे पर आक्रमण होने की अवस्था में दोनों देश एक दूसरे से परामर्श करेंगे और पारस्परिक सहायता करेंगे।

भारत-बर्मा की भौगोलिक सीमा के भीतर फ्रांस और पुर्तगाल के कुछ छोटे-छोटे उपनिवेश अभी शेष हैं। फ्रांस ने भारत सरकार की बात मानकर

स्वच्छन्दनगर में मतगणना के फलस्वरूप उसकी भारत के साथ मिळ जाने की मांग को स्वीकार कर लिया और उसका शासन-भारत को सौंप दिया। बाद में पॉन्डिचेरी, माहे और कराईकट को भी फ्रांस ने भारतवर्ष की वास्तविक प्रभुसत्ता के भीतर दे दिया। परन्तु इस सम्बन्ध में जो सम्धि हुई उसे फ्रांस की पार्लियामेन्ट ने उस समय अपनी अख्तियार स्वीकृति नहीं दी। जागे वह कार्य भी लम्बी ही हो गया। परन्तु पुर्तगाल का दल शत्रुतापूर्ण था। गोभा तथा अन्य उपनिवेशों में भारतवर्ष के समर्थकों को दमनकारी नीति का शिकार बनाया गया और ऐसा प्रतीत होता था कि पुर्तगाल उन्हें छोड़ने की तैयार नहीं है। उस सम्बन्ध में भी भारत की नीति अभी शान्तिपूर्ण ही थी। अन्त में विचार होकर गोभा को बळ प्रयोग द्वारा स्वतंत्र करना पड़ा।

(ई) भारतवर्ष और चीन—उत्तर में हिमालय के पार भारत के पड़ोसी देश तिब्बत और चीन हैं। इन दोनों से भी भारत ने मित्रता के सम्बन्धों को बनाये रखना ही अपनी परराष्ट्रनीति का उद्देश्य माना। १९४९ ई० में चीन के गृहयुद्ध के फलस्वरूप जब साम्यवादियों की विजय हुई और वहाँ साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई तो भारत ने उसे मान्यता दे दी और सुरक्षित पैकिंग में अपना दूतावास भी खोल दिया। उसके बाद सभी उपयुक्त अवसरों पर भारत यह पृच्छा करता रहा और प्रयत्न करता रहा कि चीनी साम्यवादी शक्ति और वहाँ की सरकार को अन्य देश, विशेषतः संयुक्तराष्ट्र संघ भी स्वीकार कर लें और उसे राष्ट्रसंघ में स्थापन भी मिळ जाय। भारतीय सरकार चीन को कोई भी अप्रसन्न होने का अवसर न देना चाहती थी और इसी उद्देश्य से १९५४ ई० में भारत और चीन का तिब्बत के सम्बन्ध में एक समझौता भी हो गया, जिसमें भारत ने अपने अनेक राजनीतिक अधिकारों को छोड़ दिया और चीन की तिब्बत पर राजनीतिक धिससता स्वीकार कर ली। परन्तु दोनों देशों में एक बहुत बड़ी समस्या बनी रही। चीन के नक्सों में भारत के बहुत बड़े हिस्सों को चीन का भाग दिखाया जाता रहा। भारत ने इस सम्बन्ध में कई बार प्रतिषाद किया पर चीन से कोई सम्तोपजनक उत्तर न मिला और भीतर ही भीतर भारतीय सरकार चीनी साम्राज्यवाद से सशंकित रहने लगी। सुधारों के नाम पर चीनी सरकार ने १९५९ ई० में तिब्बत की आन्तरिक स्वतन्त्रता सैमिक बळ से सतम कर दी और भारत से १९५४ ई० में होमेवाले पञ्चशील समझौते की परवाह किये बिना भारत के व्यापारिक और सौर्यस्थानी अधिकारों को भी समाप्त कर दिया। एकाई जमा को आगकर भारत में सूरज खेनी पड़ी और भारत तथा चीन के सम्बन्ध स्पष्टता बिगड़ने लगे। यही नहीं इसके कुछ पूर्वसे ही चीन ने अनेक भारतीय

स्वार्थों पर भी कब्जा करना प्रारम्भ कर दिया था। चीन ने भारतीय सीमापर गारती सिपाहियों को मारना और पकड़ना शुरू कर दिया है। फलस्वरूप सीमाओं की रक्षा के लिये भारत ने अपनी सेनाओं में भी और दोनों देशों में एक आबरवस्त सैनिक तनाब की स्थिति बनी हुई है। समझौते के प्रयत्न जारी हैं परन्तु समझौते की कोई निश्चितता नहीं है।

(उ) भारतवर्ष और संयुक्त-राष्ट्र-संघ—भारतवर्ष संयुक्त-राष्ट्र-संघ के उद्देश्यों में विश्वास करता है। यह उसकी विश्वव्युत्पत्ति की नीति का फल है। उसका विश्वास है कि विश्वशांति के लिये यह आवश्यक है कि सभी विवादग्रस्त प्रश्न आपसी विचार-विनिमय के द्वारा निर्णय किये जा सकते हैं और उनके निर्णय के लिये युद्ध की आवश्यकता नहीं है। भारत ने अपने विवादग्रस्त प्रश्नों को उस विश्व-संस्था के सामने रक्खा है, यद्यपि उसकी स्थापनापूर्व बातें भी उन मामलों में संयुक्त-राष्ट्र-संघ में स्वीकार नहीं की हैं। तथापि भारत का यह विश्वास है कि निष्पक्षता की नीति से संयुक्त-राष्ट्र-संघ को सचमुच एक वास्तविक विश्व-संस्था बनाया जा सकता है और यह उसी विश्वास से उसका सहस्य ही नहीं बना हुआ है अपितु उसके स्वयं का बहुत बड़ा भार भी उठा रहा है। भारत ने संयुक्त-राष्ट्र-संघ की मर्यादा को बनाये रखने का हमेशा प्रयत्न किया है और शांतिपूर्ण पर-राष्ट्रनीति का अवलंबन करते हुए उसकी कमियों की ओर ध्यासमय निर्देश किया है। भारत के प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अनेक भाषणों में देश की पर-राष्ट्रनीति का विशद विवेचन किया है। उससे यह स्पष्ट है कि विदेशी नीति में भारत का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वार्थ की भावना छोड़कर समझौते के मार्ग द्वारा विश्व में शांति स्थापित की जाय। प्रत्येक भारतवासी की यही कामना है कि देश अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो।

४३ अध्याय

स्वतंत्र भारत

१. भारत की स्वतंत्रता

पूर्व पृष्ठों में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की चर्चा की जा चुकी है। उसके अंत में भारतवर्ष को १५ अगस्त सन् १९४७ ई० को स्वतंत्रता मिल गयी। इस घटना का ऐतिहासिक दृष्टि से असाधारण महत्त्व है। एक ओर तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में निरहंसे भारतवर्ष ने विश्व को सत्य और अहिंसा के महत्त्व और शक्ति को दिखाया तथा दूसरी ओर अंग्रेजी साम्राज्य ने भारत जैसे विशाल देश को सहर्ष त्याग देने का अमूर्तपूर्व उदाहरण उपस्थित किया। अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने भारतवर्ष में होने वाले स्वातंत्र्य आन्दोलन को कई वर्षों तक दबाने का प्रयत्न किया, परंतु उसका क्षेत्र और प्रभाव बढ़ता ही गया। १९४९ ई० के आन्दोलन के बाद तो उन्होंने निश्चित रूप से यह समझ लिया कि चाहे कितनी भी शक्ति का प्रयोग क्यों न किया जाय, भारतवर्ष को अधिक दिनों तक दास बनाकर नहीं रखा जा सकता। अंग्रेजी सरकार के सामने यो ही मार्ग बच गये। प्रथम तो यह कि आन्दोलन को सर्वथा दबाने के प्रयत्न में दमन-बन्द बकाकर हिंसा, वैर और प्रतिपक्ष की भावना को बढ़ाया जाय तथा दूसरा यह कि स्वतंत्रता की उचित मांग को स्वीकार करके भारत की अमूर्त मित्रता प्राप्त कर ली जाय और अपने अन्तर्राष्ट्रीय और व्यापारिक स्वार्थों की रक्षा की जाय। उन्होंने दूसरा ही मार्ग उचित समझकर भारतीय नेताओं से समझौता करना अपना कर्तव्य बना लिया और सन् १५ अगस्त १९४७ ई० को इस महान् भारतीय मूकब को स्वतंत्रता सौंपकर इसे अपनी मित्रता का इन्तज्ज कर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रही और अहिंसात्मक दार्शनिकों को महत्ता को समझा और उनके प्रति अपना मूक आदर प्रदर्शित किया।

२. स्वतंत्र संविधान

स्वतंत्र भारत के संविधान की भी पहली चर्चा हो चुकी है। परंतु यहाँ उसकी कुछ विशेषताओं का वर्णन करना उचित होगा। संविधान में भारतवर्ष को सर्वसत्कारमक लोकतंत्रीय गणतंत्र कहा गया है। परन्तु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हुए भी भारत स्वयंसेवा से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का

सदस्य बना हुआ है। भारतीय संविधान के पीछे एक विशेष उद्देश्य है। देश के स्वतंत्र्य संग्राम के नेताओं ने भारतीय जनता की सर्वतोमुखी सेवा का जो प्रथम उठाया या उसकी पूर्ति का संकल्प संविधान में किया गया है। राज्य का यह उद्देश्य माना गया है कि वह प्रत्येक नागरिक को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं, जैसे—भोजन, वस्त्र, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य की प्राप्ति और रक्षा में सहायता दे। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना, बच्चों को कामबन्धा विहाय, रोगियों की चिकित्सा का प्रबंध करना तथा वृद्धों को जीवनयापन के लिये वृत्ति देना आदि उसके कर्त्तव्य माने गये हैं। भारतीय संविधान का आदर्श रूप गिनाये गये उपायों के द्वारा जन-सेवा के अतिरिक्त मानव स्वतंत्रता का रक्षण और विकास भी है। प्रत्येक नागरिक को अनेक प्रकार के मूलाधिकार प्राप्त हैं। समानता, रक्षा, भाषण और सञ्चन, समा और छुट्टा, निवास और गति, धर्म और संस्कृति, विश्वास और पूजा तथा सम्पत्ति के अधिकार उसे प्राप्त हैं। राज्य को संविधान के द्वारा पूर्ण रूप से धर्म-निरपेक्ष राज्य का रूप दिया गया है और हर एक जाति, धर्म और सम्प्रदाय को पूरी आंतरिक स्वतंत्रता है। इन बातों के अतिरिक्त भारतीय संविधान ने देश की सामाजिक कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी किया है। अस्पृश्यता का संविधानता निवारण किया गया है और उसे अवैध तथा दंडनीय माना गया है। पिछड़ी हुई जातियों की रक्षा के लिये तथा उनके विकास के लिये उन्हें विशेष सुविधायें प्रदान की गयी हैं और उनकी सर्वतोमुखी उन्नति के लिये आयोर्ग की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से आधुनिक और लोक-तांत्रिक बनाया गया है।

भारतीय भूखंड के स्वतंत्रता के बाद दो भाग हो गये हैं। अभी तक हमने केवल भारत के संविधान की चर्चा की है। पाकिस्तान, जो उसका दूसरा भाग है, अभी तक अपना संविधान बना सकने में सफल नहीं हो सका है। वहाँ का शासन बहुत दिनों तक आचारिक रूप में १९३५ ई० के भारतीय संविधान के अनुसार ही चलता रहा है। हाँ उसमें कुछ संशोधन अवश्य किये गये। स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद वहाँ एक अल्पकालिक संविधान की घोषणा प्रभावी गयी, जिसके द्वारा १९३५ ई० के भारतीय संघ संविधान को कुछ मोढ़े से परिवर्तन के साथ काम चलाकू मान लिया गया। तदनुसार गवर्नर जनरल के विलेयाधिकार हटा दिये गये और एक उत्तरदायी मंत्रिमंडल की स्थापना की गयी। पाकिस्तान ने भी अपना नया संविधान निर्माण करने का कार्य प्रारंभ किया और कई वर्षों के बाद जब वह बनकर तैयार

और छागू भी हुआ तो अनेक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बहुत थोड़े दिनों के प्रयोग के बाद यह स्वगित कर दिया गया। सेना के निर्देश पर वहाँ के गणसत्र के अध्यक्ष जनरल इस्कन्दर मिर्जा ने ही उसे स्वगित किया और अपने प्रतिजन्म अधिकारों की घोषणा की। परन्तु अल्पकाल के बाद उन्हें भी सेना के सेनापतियों ने त्यागपत्र देने को विवश किया। १९५८ ई० से पाकिस्तान में सैनिक शासन और फौजी कानून लागू है।

३. देश का विभाजन -

भारतवर्ष को स्वतंत्रता तो मिली परन्तु देश के दो टुकड़े हो गये। अंग्रेजों ने १८५७ ई० के प्रथम स्वातन्त्र्य युद्ध के बाद हिन्दुओं और मुसलमानों को छुड़ाने की जो नीति अपनायी थी उसका प्रभाव मुसलिम-लीग के द्वारा चलाये जाने वाले भारत के विभाजनवाले आन्दोलन के रूप में आया। अंत में यह आंदोलन सफल हुआ और कांग्रेस के नेताओं को देश का बटवारा स्वीकार करना पड़ा। महात्मा गांधी के अनेक प्रयत्नों पर भी देश एक न रह सका। भारतवर्ष को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये देश के विभाजन का यह बहुत बड़ा मूख्य सुझाव पड़ा। अतः महात्मा जति हुई और उसकी पूर्ति कब तक होगी, यह कहना कठिन है। मुस्लिम-लीग की विपैकी साम्राज्यिक नीति ने देश में आपसी हिंसा, बैर और प्रतिशोध का समुद्र उधाड़ दिया। मुसलमान हिन्दुओं और सिक्खों पर तथा हिन्दुओं और सिक्खों ने मुसलमानों पर मामो अपनी झूठ की व्यास ब्रह्मापी। १९ अगस्त १९४९ को पंजाब की मुस्लिम सरकार ने अल्पकाल का विम घोषित किया और वहीं से उत्पन्न की चारां बढ़ चली। कर्नाटक, बिहार, ओडिसा और पूर्वी पंजाब में हिन्दु-मुसलमान आपस में कटने-भरने लगे। स्वतंत्रता प्राप्त होते-होते सारा पाकिस्तान और उत्तरी भारत साम्राज्यिकता की जाग में झुलसने लगा। झूठ, छद्म, बहाने और अत्याचारों की बाढ़ आ गई। पाकिस्तान के हिन्दु और उत्तरी भारत, विशेषतः पूर्वी पंजाब के मुसलमान अपने घरबार, भूमि और संपत्ति को छोड़ कर क्रमशः भारत और पाकिस्तान की ओर भागने लगे। इस सब का कुछ हवा ही बातक हुआ। दोनों देशों में विस्थापितों की भारी समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं जो जब भी पूर्णता नहीं मुकदम सकती हैं। विष्कमणार्थी संपत्ति के प्रस को लेकर दोनों देशों में इस अल्पसंख्या-परिवर्तन से उत्पन्न नव भी बहुत बड़ा झगड़ा बना हुआ है। इस महात् विपत्ति के अलावा देश का और भी कई दृष्टियों से मुकदम

हुआ है। देश के इस विभाजन की यदि राजनीतिक दृष्टि से व्याख्या की जाय, तब भी इसका अमौखिक स्पष्ट है। अंग्रेजी सरकार ने इस देश को छोड़ तो दिया, परन्तु विभाजन के रूप में उसने इसकी बहुत बड़ी हानि की। संप्रदाय और धर्म के सेतुओं को राजनीतिक रूप देकर मभिन्म के छिये एक बहुत बड़ी नयानक परिस्थिति उत्पन्न कर दी गयी। जो देश मौखिक दृष्टि से एक था और जिसे प्रकृति ने एक बनाया था तथा जिसका संपूर्ण इतिहास समष्टि का चोतक था, उसका कृत्रिम विभाजन विघ्नप ही कृत्रिम प्रभों को उत्पन्न कर चुका है। भारत और पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमायें पट हो गयी हैं और उनकी प्रति-रक्षात्मक रक्षायें बिछकुल अमाकृतिक हो गयी हैं, फलस्वरूप दोनों को करोड़ों रुपये व्यय की सैनिक मदों में व्यय करना पड़ा है। सत्य तो यह प्रतीत होता है कि दोनों देश एक दूसरे से डर रहे हैं और जो घन जीवन-स्तर को लँचा उठाने में व्यय किया जा सकता था वह अब सेना और शस्त्रों पर व्यय किया जा रहा है। विभाजन के कारण देश का आर्थिक हाँचा भी कमजोर हो गया है। १९४७ ई० के पूर्व का इतिहास यह बताता है कि भारत का आर्थिक विकास एकता के आधार पर हुआ था। परन्तु कृत्रिम विभाजन के द्वारा अनेक समस्यायें उत्पन्न हो गयीं। पूर्वी बंगाल के बूट के छिये पाकिस्तान में मिर्चों का अभाव हो गया तथा भारत की मिर्चों के छिये बूट और रुई का अभाव हो गया। पंजाब के गेहूँ और पूर्वी बंगाल के चावल के न प्राप्त होने के कारण भारतवर्ष का अन्न भंडार कम हो गया। प्रायः सभी सद्योगों के भारत में ही रह जाने के कारण पाकिस्तान की औद्योगिक शक्ति ही नष्ट हो गयी। इस प्रकार की अनेक कठिनाइयों का फल अब भी दोनों देशों को भोगना पड़ रहा है। उनमें आर्थिक और व्यापारिक मोह न होने से साधारण जनता को अनेक कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इन समस्याओं के अतिरिक्त विभाजन ने और भी अनेक समस्याओं को जन्म दिया। उनमें, कश्मीर की समस्या, शरणार्थियों की संपत्ति-समस्या, पंजाब की नदियों के पानी की समस्या तथा पूर्वी बंगाल के जलसंपत्तियों की समस्यायें अब भी बनी हुई हैं। भारत उनको सुलझाने के छिये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में त्याग भी करने को तैयार रहा है, परन्तु पाकिस्तान उन्हें न सुलझाने देने में ही अपना काम बैल रहा था। पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय नीति में भारत के प्रति अपनी नीति के कारण कुछ उच्छस्न भी पैदा करता रहा है। इस प्रकार सभी दृष्टियों से विभाजन के कारण देश की हानि ही हानि हुई। यह बात अवरय कही जा सकती है कि पाकिस्तान के निर्माण से भारतवर्ष के भीतर सांप्रदायिक समस्या का प्रायः

और छागू भी हुआ तो अनेक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बहुत थोड़े दिनों के प्रयोग के बाद यह स्थगित कर दिया गया। सेना के निवेश पर यहाँ के गणतंत्र के अध्यक्ष जनरल इस्कन्दर मिर्जा ने ही उसे स्थगित किया और अपने क्रांतिजन्य अधिकारों की घोषणा की। परन्तु अल्पमत् अल्पकाल के बाद उन्हें भी सेना के सेनापतियों ने त्यागपत्र देने को विवश किया। १९५८ ई० से पाकिस्तान में सैनिक शासन और-फौजी कानून लागू है।

३. देश का विभाजन

भारतवर्ष को स्वतंत्रता तो मिळी परन्तु देश के दो टुकड़े हो गये। अंग्रेजों ने १८५७ ई० के प्रथम स्वातंत्र्य युद्ध के बाद हिन्दुओं और मुसलमानों को छद्माने की जो नीति अपनायी थी उसका प्रभाव मुसलिम-लीग के द्वारा बढाये गये जाते जाते भारत के विभाजनवाले आन्दोलन के रूप में आया। अंत में वह आंदोलन सफल हुआ और कांग्रेस के नेताओं को देश का बदबारा स्वीकार करना पड़ा। महात्मा गांधी के अनेक प्रयत्नों पर भी देश एक न रह सका। भारतवर्ष को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये देश के विभाजन का यह बहुत बड़ा मुख्य सुझाव पड़ा। उससे महात्मा जति हुई और उसकी पूर्ति कब तक होगी, यह कड़ना कठिन है। मुसलिम-लीग की विपरीत साम्राज्यिक नीति ने देश में आपसी हिंसा, बैर और प्रतिद्वेष का सन्तुलन जगा दिया। मुसलमान हिन्दुओं और सिक्खों पर तथा हिन्दुओं और सिक्खों ने मुसलमानों पर मानो अपनी खून की प्यास बुझायी। १९ अगस्त १९४९ को बंगाल की मुसलिम सरकार ने प्रत्यक्ष कारवाई का दिव घोषित किया और वहीं से रक्तपात की धारा बह बली। बङ्गाल, बिहार, मोजालखी और पूर्वी बंगाल में हिन्दू-मुसलमान आपस में करने-मरने लगे। स्वतंत्रता प्राप्त होते-होते धारा पाकिस्तान और उत्तरी भारत साम्राज्यिकता की जाम में डुबसने लगी। खून, लड़, बकासकार और आवाचारों की बाढ़ आ गई। पाकिस्तान के हिन्दू और उत्तरी भारत, विशेषतः पूर्वी पंजाब के मुसलमान अपने घरबार, भूमि और संपत्ति को छोड़ कर क्रमशः भारत और पाकिस्तान की ओर भागने लगे। इस सब का फल बड़ा ही घातक हुआ। दोनों देशों में विस्थापितों की भारी समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं जो अब भी पूर्णतः नहीं सुलझ सकी हैं। मिष्कमणार्थी संपत्ति के प्रश्न को लेकर दोनों देशों में इस जनसंख्या-परिवर्तन से उत्पन्न भय भी बहुत बड़ा शगड़ा बना हुआ है। इस महात्मा विपत्ति के, बकासा देश का और भी कई दृष्टियों से सुकसान

हुआ है। देश के इस विभाजन की यदि राजनीतिक दृष्टि से व्याख्या की जाय, तब भी इसका अनौचित्य स्पष्ट है। अंग्रेजी सरकार ने इस देश को खेद से दिया, परन्तु विभाजन के रूप में उसने इसकी बहुत बड़ी हानि की। संप्रदाय और धर्म के भेदों को राजनीतिक रूप देकर भविष्य के लिये एक बहुत बड़ी भयानक परिस्थिति उत्पन्न कर दी गयी। जो देश भौगोलिक दृष्टि से एक था और जिसे प्रकृति ने एक बनाया था तथा जिसका संपूर्ण इतिहास समष्टि का द्योतक था, उसका कृत्रिम विभाजन मिथ्या ही कृत्रिम प्रयोगों को उत्पन्न कर चुका है। भारत और पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमाएँ नष्ट हो गयी हैं और उनकी प्रति-रक्षात्मक रेखाएँ बिछकूट अप्राकृतिक हो गयी हैं, फरक्करूप दोमों को करोड़ों रुपये व्यय की सैनिक मदों में व्यय करना पड़ा है। सत्य तो यह प्रतीत होता है कि दोमों देश एक दूसरे से दर-रहे हैं और जो घन जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में व्यय किया जा सकता था वह अब सेना और शाखों पर व्यय किया जा रहा है। विभाजन के कारण देश का आर्थिक हाँचा भी कमजोर हो गया है। १९४७ ई० के पूर्व का इतिहास यह बताता है कि भारत का आर्थिक विकास एकता के आधार पर हुआ था। परन्तु कृत्रिम-विभाजन के द्वारा अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं। पूर्वी बंगाल के पूर के लिये पाकिस्तान में मिलों का अभाव हो गया तथा भारत की मिलों के लिये जूट और ऊई का अभाव हो गया। पंजाब के गोहूँ और पूर्वी बंगाल के चावल के न प्राप्त होने के कारण भारतवर्ष का अन्न अंदार कम हो गया। प्रायः सभी उद्योगों के भारत में ही रह जाने के कारण पाकिस्तान की औद्योगिक पाकि ही नष्ट हो गयी। इस प्रकार की अनेक कठिनाइयों का फल अब भी दोमों देशों को भोगना पड़ रहा है। उनमें आर्थिक और व्यापारिक मेल न होने से साधारण जनता को अनेक कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इन समस्याओं के अतिरिक्त विभाजन ने और भी अनेक समस्याओं को जन्म दिया। उनमें, कश्मीर की समस्या, सरणार्थियों की संपत्ति-समस्या, पंजाब की नदियों के पानी की समस्या तथा पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों की समस्याएँ अब भी बनी हुई हैं। भारत उनको सुलझाने के लिये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में त्याग की करने को तैयार रहा है, परन्तु पाकिस्तान उन्हें न सुलझाने देने में ही अपनी काम देण रहा था। पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय नीति में भारत के प्रति अपनी नीति के कारण कुछ उकझने भी पैदा करता रहा है। इस प्रकार सभी दृष्टियों से विभाजन के कारण देश की हानि ही हानि हुई। यह बात अमरय कही जा सकती है कि पाकिस्तान के निर्माण से भारतवर्ष के भीतर सांप्रदायिक समस्या का प्रायः

अतः सा हो गया है। देख उस दृष्टि से निश्चित हो गया है। जो कुछ उस क्षेत्र में विन्ता की जाती है वह पाकिस्तान के भीतर हिन्दुओं की कठिनाइयों के कारण ही है। इधर अथ से पाकिस्तान में सैनिक शासन की स्थापना हुई है, भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों में अवश्य कुछ सुधार हुये हैं। नदरी पानी के विवाद के सम्बन्ध में विश्व बैंक दोनों देशों में समझौता कराने का कई वर्षों से प्रयत्न करता रहा है और जाभा है अद्वैती ही कोई समझौता हो जायगा। विनायन के कारण उत्पन्न हुये आपसी पाबनों और देशों के प्रश्न पर भी समझौते के प्रयत्न जारी हैं। व्यापार और सीमा निर्धारण सम्बन्धी कुछ समझौते हो भी गये हैं।

४. देश की सार्वभौम प्रभुसत्ता

अंग्रेजी साम्राज्य संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन की दृष्टि से अपना प्रत्यक्ष अधिकार तो नहीं स्थापित कर सका, परंतु उसकी प्रभुसत्तामय शक्ति भारत के प्रत्येक भाग पर स्थापित हो गई थी। कंपनी के काल में अंग्रेजी सेनाओं ने तथा अंग्रेजी गवर्नर जनरलों ने भारत के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया और बेकनवली, हेस्टिंग और बलहौजी की नीति ने अनेक देशी रियासतों को हकथ किया। परंतु १८५० ई० के स्वातंत्र्य-युद्ध के बाद उन्हें अपनी नीति बदल लेनी पड़ी और देशी राज्यों पर अवरदस्ती अधिकार करना बन्द हो गया। फलतः भारतवर्ष दो प्रकार के शासनों में बँट गया। एक था अंग्रेजी भारत और दूसरा था देशी भारत, जहाँ भारतीय राजे और राज्य बच रहे। इन भारतीय राज्यों की संख्या लगभग ५०० थी परंतु अधिकांशतः नाम के ही थे। जो कुछ बचे भी थे उन सब ने १८५० ई० के पहले ही अंग्रेजी सरकार को अपना प्रभु मान लिया था। सभी बड़ी-बड़ी रियासतों में अंग्रेजी 'रेजिडेण्ट' रहते थे जो अंग्रेजी 'स्वार्थ' की वहाँ रक्षा करते थे और मौका लगने पर वहाँ शासन और नीति के निर्णयों में हस्तक्षेप भी करते थे। यह परिस्थिति भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय तक बनी रही। परंतु भारतवर्ष से आते समय अंग्रेजी सरकार ने यहाँ भी मेदनीति का एक निशाना छोड़ दिया। कानूनी दृष्टि से अंग्रेजी भारत की सारी रियासतें अब स्वतंत्र होने वाले भारत और पाकिस्तान को मिलीं तो उसी के साथ उन्हें उसी विरासत के भागस्वरूप संपूर्ण भारत की अधिसत्ता (पैरामाउण्टरी) भी मिली। परंतु उनकी नीति दोनों जबोदित देशों को कमजोर करने की थी, अतः अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा की कि भारतवर्ष छोड़ने के साथ देशी रियासतों पर उसकी अधिसत्ता का अन्तान हो गया।

परंतु भारतीय नेताओं के विरोध करने पर छाई मान्ड्रैरन में इस दृष्टि का खंडन न करते हुए भी यह घोषणा की कि वेही रियासतों को पुनः स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने पर भी यह उचित है कि दोनों राज्यों भारत और पाकिस्तान में किसी से मिल जायें और उनसे अपना सम्बन्ध स्थापित करें। उनकी भेदनीति को कुछ बेटी रियासतों ने अपने लिये अच्छा अवसर माना और उन्होंने अपने को स्वतंत्र करने की चेष्टा की। इस कोटि में मुख्य कारमीर, मोपाल और हैदराबाद थे। परंतु कारमीर पर जब पाकिस्तान की सहायता पाकर क्वापकियों ने आक्रमण कर दिया तो वहाँ के महाराजा हरिसिंह ने विवश होकर राज्य की रक्षा के लिये भारत से मार्शाल की और कारमीर का संबंध भारत से स्थापित हो गया। इस संबंध की और चर्चा पहले की जा चुकी है। मोपाल के नबाब ने कुछ दिनों तक आमाकानी की परंतु चारों तरफ से भारतवर्ष से धिरे होने के कारण उन्हें भी विवश हो भारत से संबंध स्थापित करना पड़ा। इसी प्रकार आदिलशेर के महाराजा महोदय तथा उनके दीवान श्री रामस्वामी अय्यर को विवश होकर भारत से संबंध-स्थापन करना पड़ा। परंतु हैदराबाद के निजाम और उनके परामर्शदाता स्वतंत्रता का स्वप्न बहुत दिनों तक देखते रहे। वहाँ रजाफारों की मुस्लिम संप्रदायवादी संस्था ने अनेक उपद्रवों को प्रारंभ कर दिया और निजाम भी उनके चंगुल में फँस गये। निजाम को भीतर ही भीतर पाकिस्तान से तथा अंग्रेजों से सहायता प्राप्त होती रही और वे भारत से अंग्रेजों के लिये सैनिक तैयारी भी करने लगे। भारत सरकार ने समझौते के मार्ग का अनुसरण किया परन्तु उससे अब काम न चला तो वहाँ 'पुलिस्त कारखाने' करनी पड़ी और वहाँ सेनाएँ भेज दी गयीं। दो दिनों के भीतर ही निजाम की सेनाओं ने इधियार रक्षा दिया और हैदराबाद भारतवर्ष का अंग बन गया। वहाँ एक सैनिक गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई और भारत सरकार ने शासन की वागडोर अपने हाथ में ले ली। परन्तु उपर्युक्त तीन राज्यों के बलात्कृत ऐसे भी राज्य थे जो चारों तरफ से भारत से धिरे थे तथा वहाँ की जनता का बहुमत हिन्दू था परन्तु उन्होंने अपना संबंध पाकिस्तान से स्थापित कर लिया। अनागढ़ इनमें मुख्य था। वहाँ के मुसलमान नबाब ने पाकिस्तान से अपना संबंध स्थापित कर लिया। उसका अनुसरण मंगरोल और मानसदर के नबाबों ने भी किया। परंतु उन राज्यों की जनता विद्रोह करने लगी, शासन का भंग हो गया तथा मुख्यतया स्थापित करने के लिये पाकिस्तान सरकार ने भारतवर्ष से मार्शाल की। भारतीय सेनाओं ने वहाँ दाम्नि स्थापना का कार्य किया

धीरे धीरे राज्य भी भारत के साथ हो गये। पाकिस्तान में बहावलपुर, खैरपुर, फख्खर तथा घल्लोधिस्ताम की छोटी रियासतें सामिल हो गयीं और इस प्रकार सभी रियासतों ने भारतवर्ष अपना पाकिस्तान से अपना संबंध जोड़ लिया।

भारतवर्ष में रियासतों के संबंध-स्थापन से ही सारी समस्याएँ सुलझ गयीं हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देश की एकता स्थापन का कार्य



अभी अधूरा था। इस संबंध में देश सर्वदा ही स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आदर और कृतज्ञता के साथ स्मरण करेगा। जिन रियासतों ने भारत के बीच रहकर उससे संबंध स्थापन नहीं करना चाहा उनके उन्हीं ने समझाया, सुझाया और कभी-कभी साम दान का प्रयोग करके सही रास्ते पर लाया। उनके मंत्रित्व में भारत सरकार के रियासती-विभाग तथा उसके सचिव सरदार बल्लभभाई पटेल

श्री सी० पी० मेनन ने इस क्षेत्र में अनवरत कार्य किया। सरदार पटेल की नीति-कुशलता

और शक्ति-प्रदर्शन से ही त्रावणकोर, भोपाळ, हैदराबाद तथा बूमागड़ जैसे मामले सुलझ सके। परन्तु इससे ही समस्या का अंत नहीं हो गया। बड़ी-बड़ी रियासतों ने प्रायः केवल तीन विषयों—प्रतिरक्षा, यातायात और विदेशी नीति में ही अधीनता स्वीकार की थी। परंतु बाद में बहा की अनुरोध का समर्थन प्राप्त कर तथा पूर्ण विकल्प के लक्ष्यों को बताकर सरदार पटेल ने कारमीर को छोड़ कर सबको भारत में पूर्ण विद्यमान हो जाने के लिये राजी कर लिया। विच्छिन्नीकरण के बाद अनेक रियासतों को मिलाकर एकीकरण हुआ और अनेक रियासतों के संघों का निर्माण हुआ। इनमें दक्षिण का त्रावणकोर-कोचीनसंघ, राजस्थान-संघ, मास्य-संघ तथा पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ मुख्य थे। इसी के साथ मध्य भारत तथा राजपूताना आदि की अनेक छोटी-छोटी रियासतों को बहा के मिश्रण प्रान्तों से मिला दिया गया, जो अब उन प्रान्तों के द्वारा सासित प्रदेस बन गयी हैं। कुछ बड़ी रियासतों का उनके समूह को सामंतीय इकाई मान लिया गया। भारतीय संविधान ने पहले तो इन्हें 'आ' और 'ब' श्रेणी का राज्य मानकर राज्यमण्डलों, केम्पिनेन्टगणमण्डलों तथा कमिश्नरी के अधीन शासन का प्रांत मान लिया। उसी संविधान के अनुसार प्रायः सभी राजाओं, महाराजाओं तथा नबाबों को

व्यक्तिगत भोग के लिये स्वीकृत 'कर' दिया गया है तथा कुण्ड को राजमनुष्य और राज्यपालों का पद भी दे दिया गया। समी ने संतुष्ट होकर नये संबिधान को स्वीकार कर लिया। १९५६-७ ई० में भारतीय राज्यों का पुनः संगठन हुआ तथा 'आ' और 'इ' राज्य समाप्त कर दिये गये। प्राचीन रिवाजों का रहा सहा-स्वरूप भी समाप्त हो गया और उनके क्षेत्रों पर भी राज्य राज्याय सरदारों की तरह लोकसाम्रिक सरकारें स्थापित हो गईं।

५. भाषाधार राज्यों की मांग

भारत की स्वतन्त्रता मिल जाने के बाद अनेक क्षेत्रों से भारत को भाषा की दृष्टि से पुनः राज्यों में विभाजित करने की मांगें उपस्थित की गईं। सचमुच भारत में क्षेत्रों ने मिलने भी प्रांतों को बनाया समी मनमाने ढंग पर आधारित थे। एक तो जैसे-जैसे उन्होंने प्रदेशों को जीता जैसे-जैसे प्रांत बनाते गये और दूसरी ओर शासन की सुविधा और सैनिक दृष्टियों से उनका निर्माण उन्होंने किया। उन्हें प्रांतों में सांस्कृतिक, विचारगत अथवा भाषनात्मक एकता हो इसकी चिन्ता नहीं थी। फलस्वरूप क्षेत्रीय शासन-काल में भी प्रांतों के पुनर्निर्माण की मांगें की गयी थीं और उनको देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था, अखिल भारतीय कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त था। फलतः पंजाब से उड़ीसा और बिहार तथा पंजाब से सिन्ध अलग कर दिये गये। परन्तु स्वतंत्रता के बाद यह मांग बहुत बढ़ने लगी कि भारत में भाषा को आधार मानकर राज्यों का निर्माण किया जाय। इस देश में अनेक प्रादेशिक भाषाएँ हैं और उनके बोलनेवाले लोग भी हैं। वे चाहते हैं कि जहाँ तक संभव हो उन्हें एक राज्य में रहने दिया जाय ताकि उनका सांस्कृतिक विकास पूर्व हो सके। ये मांगें अनुचित नहीं थीं। भारत सरकार ने इसका सिद्धान्त स्वीकार करके पहले तो आन्ध्र-राज्य का निर्माण किया। आंध्र में भाषाधार प्रांत-निर्माण का आन्दोलन लगभग ४० वर्षों से चल रहा था और अंत में वहाँ इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये श्री पोद्दू श्री रामलू ने अमरन के द्वारा अपना प्राण-त्याग भी कर दिया। परन्तु इस प्रकार की मांगों के पीछे कहीं-कहीं राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों की भी झलक दिखाई देती थी। यह प्रवृत्ति हुई और देश की एकता की दृष्टि से भयावह थी। भाषा की दृष्टि से संपूर्ण भारत का मानचित्र बदलना प्रयत्न की नीति को प्रोत्साहन देनेवाला सिद्ध हुआ है। परन्तु सरकार भी विवश थी। आंध्र के निर्माण के बाद हैदराबाद के विघटन, केरल, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के निर्माण जैसी मांगों को अस्वीकार कर देना अर्थात् सही सा हो गया। फलस्वरूप भाषा के

भाषार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिये एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और उसकी सिफारिशों के फलस्वरूप भारतवर्ष में कुछ केन्द्र-शासित क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ १३ राज्य स्थापित किये गये। फिर भी बम्बई और महाराष्ट्र के प्रश्न को लेकर बंगे और हरयाणों की गई। १९५७ ई० में राज्य पुनर्गठन विधान संसद ने पारित कर दिया परन्तु उसके बाद भी अनेक क्षेत्रों में असन्तोष बना रहा। अब यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है कि महाराष्ट्र और महाराष्ट्रराज की मांग को स्वीकार कर लिया जाय और बम्बई प्रांत को उन दोनों के रूप में बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परन्तु अभी कुछ क्षेत्रों में बिदभं और पंजाबी सूबे की मांग बनी हुई है। स्पष्ट है कि भाषाभाषा प्रांतों की मांग और स्वीकृति ने विचलनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया है।

६. परराष्ट्र-नीति

स्वतंत्र भारत की परराष्ट्र-नीति की विशेष प्रवृत्तियों और उद्देश्यों पर कुछ विचार पहले किया जा चुका है। एशिया के उठते हुए राष्ट्रीय आन्दोलनों तथा स्वातन्त्र्य युद्धों का समर्थन और उनका पक्षग्रहण, साम्राज्यवाद और वर्णभेद का विरोध, पड़ोसी तथा पृथिव्याई देशों से मैत्री और विश्व में शांति-स्थापन का प्रयत्न करते रहना स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्देश्य रहा है। परन्तु इन क्षेत्रों में उसे विशेष सफलता प्राप्त हो सकी हो, यह नहीं कहा जा सकता। इसके कई कारण हैं। स्वतंत्र भारत को विदेशी नीति के गूढ़ तंत्रों का अध्ययन करने का विरोध अबसर नहीं प्राप्त हो सका और जब भारतीय प्रतिनिधियों ने सरकार में प्रवेश किया तो उनके सामने प्रयासतः कठिनाइयाँ ही रहीं। विश्व में जो विरोधी गुटों के होने के कारण सर्वत्र अविश्वास का बातापरण था। भारत सरकार के यह तथ्य करने पर कि भारत किसी भी गुट में सामिल न होकर प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से विचार करेगा, उसकी कठिनाइयाँ और भी बढ़ गयीं। दोनों गुटों में किसी से हम पर विश्वास नहीं किया और हमारी भौतिक शक्ति भी इतनी अधिक नहीं थी कि हम किसी-गुट को भयभीत कर सकते। हुंगरिया के लोग भारत छोड़कर चले तो गये थे, परन्तु कुछ वर्षों तक वे भी भीतर से भारत का विरोध ही करते रहे। कारमीर के प्रश्न पर हुंगरिया और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान का पक्ष ग्रहण किया। साम्राज्यवाद का विरोध करने के कारण प्रायः सभी साम्राज्यवादी शक्तियाँ भी भारत के विरुद्ध हो गयीं और प्रायः सारा पश्चिमी यूरोप और अमेरिका का भूकण्ड हमें समर्थन-

भरी दृष्टियों से देखने लगा। परन्तु यह परिस्थिति लगभग सन् १९५० ई० तक विशेष रूप से रही। उसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पन्ना कुछ भारत की ओर भी झुकने लगा।

१९५० ई० के लगभग विश्व की राजनीति में तहलका मचा देनेवाली कुछ घटनाएँ हुईं। उनका क्षेत्र विशेषतः सुदूरपूर्व था। चीन के महान् देश पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। उत्तरी कोरिया के साम्यवादियों ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। दक्षिण कोरिया की मदद के लिए संयुक्त-राष्ट्र-संघ की ओर से अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी गुट की सेनाएँ आयीं और कोरिया अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध का व्यापार बन गया। पहले तो उत्तरी-कोरियाईयों ने दक्षिणी कोरियाईयों को समुद्र तक धकेल दिया, परन्तु उसके बाद अमेरिकी मदद से वे भगा दिये गये और संयुक्त-राष्ट्र-संघ की सेनाओं ने कोरिया की विभाजन-रेखा ३८ वें अक्षांश को पार करने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। भारतीय सरकार ने बुद्धिमानी से युद्ध को रोकने का प्रयत्न किया। उसने चीन की साम्यवादी सरकार को साम्यता वे दी थी और यह चेतावनी दी कि यदि संयुक्त-राष्ट्र-संघ की सेनाएँ उत्तरी कोरिया पर चढ़ीं तो चीन भी युद्ध में उतर आवेगा। यह चेतावनी सही निकली और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत का आदर बढ़ने लगा। २६ जनवरी १९५० ई० को पूर्ण स्वतंत्र हो जाने के बाद भी जब भारत ने राष्ट्रमण्डल में रहना स्वीकार कर लिया, तो इंग्लैण्ड ने भी उसके प्रति अपनी नीति में परिवर्तन किया। उसकी बातें प्यान से सुनी जाने लगीं और कई अवसरों पर जैसे—चीन को साम्यता देने में—इंग्लैण्ड ने भारत का अनुसरण भी किया। अमेरिका की प्रतिक्रियाएँ भी अनुकूल होने लगीं। चीन को साम्यता देने तथा उसे संयुक्त-राष्ट्र-संघ में स्थान दिलाने की हिमायत करने के कारण रूसी गुट भी कुछ प्रसन्न हुआ। दोनों गुटों ने भारत का आदर करना प्रारम्भ कर दिया। जन्त में जब कोरिया में विराम-संधि की चर्चा चलने लगी तो वह भारत के ही प्रस्तावों के आधार पर सम्मत् हो सकी और उसकी शर्तों में भारत को सर्वप्रथम तटस्थ राष्ट्र मान लिया गया। यहाँ शांति के किये को भी प्रयत्न किये गये उनमें भारत ने भरपूर और महत्वपूर्ण कार्य किया। कोरिया में प्रत्यपर्ण-आयोग के अध्यक्ष के रूप में तथा युद्ध-पशियों की अभिरक्षक सेना के रूप में भारतीय विप्रादियों के कार्यों की मुक्तकण्ठ से सारे विश्व ने प्रशंसा की। इस प्रकार विश्व में दांतिस्थापन का महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार की वैदेशिक नीति का एक विशेष अंग हो गया।

शांति-स्थापन-कार्य के अलावा भारत बौद्धिक नीति में एक तीसरे क्षेत्र के निर्माण में भी कुछ सफल हुआ है। पश्चिमाई राष्ट्रों की स्वतंत्रता तथा उनकी बातों को मुनामे के लिए यह प्रयत्नशील है और उसके प्रयत्नों से सयुक्त-राष्ट्र-सभ में एक ऐसा अरब पश्चिमाई गुट तैयार हो गया है, जो शांति का समर्थक है तथा साम्राज्यवादिता और वर्णभेद का विरोधी है।

दक्षिण अफ्रिका में भारतीयों और अफ्रिकावासियों के प्रति चरमवादी वर्णभेद की नीति का विरोध भारत स्वतंत्रता-प्राप्ति के पहले से ही कर रहा है। परन्तु उसने इस विषय पर सयुक्त-राष्ट्र-सभ में केवल सैद्धांतिक विचार-पाषाणों ही और उक्त लोगों को कोई सक्रिय भयवा साकार काम नहीं हुआ है। इसका प्रधान कारण यह है कि दक्षिणाधीन राष्ट्रों, विशेषतः पश्चिमी युरोप और अमेरिका, इस विषय पर या तो उदासीन हैं या दक्षिण अफ्रिका के लोगों से सहानुभूति रखती हैं और भारत की तथा वर्णभेद के शिकार लोगों की कोई मदद नहीं करती।

साम्राज्यवाद के विरोध के क्षेत्र में भारत सरकार अपने देश के भीतर ही साम्राज्यवादियों के अंत के लिये शक्यप्रमाण को तैयार नहीं है, बाहर की तो बात ही नहीं उठती। समझौतों की बातों और कूटनीति में उसका विश्वास है और उसके अनुसार शक्यप्रमाण का प्रयत्न नीति और शांति के विरुद्ध है। इधर हाल में प्रायः सर्वत्र अनुदारवादी सरकारों के कारण साम्राज्यवादी शक्तियाँ फट्टेर हो गई हैं तथा 'इण्डोनेशिया कांफरेन्स' के बाद इस क्षेत्र में भारत सरकार कुछ छोटे कार्य नहीं कर सकी है।

सदस्यता, स्वतंत्रता, साम्राज्यवाद का विरोध और शांति की नीति के कारण अधिकांश पश्चिमाई राष्ट्र भारत के मित्र हो गये हैं। इनमें अफगाणिस्तान, बर्मा और हिन्दोनेशिया प्रमुख हैं। उक्त ही भारत का मित्रराष्ट्र है परन्तु वहाँ बसे भारतीयों के प्रश्न पर दोनों देशों में कुछ मतभेद अचरम है। तथापि ऐसा निश्चित है कि यह प्रश्न समझौते के मार्ग से तप हो जायगा।

पाकिस्तान के सम्बन्ध में भारत की पर राष्ट्र नीति का विशेष महत्व है। वह अपने ही देश का भाग है परन्तु अलग हो गया है। धार्मिक कट्टरपंथिता और मानप्रदायिकता को पाकिस्तान के द्वारा विदेशी नीति में, विशेषतः भारत के सम्बन्ध में महत्व दिये जाने के कारण, हमारे अनेक सम्बन्ध उससे अलग हुए हैं। परन्तु यदि विचार कर देखा जाय तो भारत और पाकिस्तान की

विदेशी नीति एक ही होनी चाहिये। रुपये पुद्द में लिप्त होने की पाकिस्तान की इच्छा होने के कारण उसके सम्बन्ध भारत से अच्छे नहीं रहे हैं। भारतीय पर-राष्ट्र-नीति के पाकिस्तान से सम्बन्धित और पहलुओं पर पहले विचार किया जा चुका है और यहाँ उनके विस्तार में माने की आवश्यकता नहीं है।

७. राष्ट्र का निर्माण

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारतवर्ष की जनता ने अपनी मौलिक उन्नति को हर प्रकार से सम्पन्न करना चाहा है और उस चाह की अभिव्यक्ति देश की केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों में भी परिकल्पित है। प्रत्येक प्रकार की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अपने देश की आर्थिक व्यवस्था का व्यापार खेती है और इन्पर कई बस्तुओं से या तो खेती के लिये नई भूमि को प्रयोग में लाने से अथवा उपयोग में लाई हुई भूमि की उपज बढ़ाने के प्रयत्नों को न करने से देश को भरपूर अन्न की भी कमी हो गई है। विदेशों से अन्न मँगाने पर देश का बहुत अधिक धन खर्च जाता है। इस अवरण से मुक्त होने का प्रयत्न किया गया है। नई जमीनें खोजी गई हैं और सिद्धी जैसे स्थानों में विद्यालय कारखाने खोद बनाने के लिये तैयार किये गए हैं। भूमि-वितरण की व्यवस्था में समानता लाने के लिये अनेक प्रांतों में अपने अपने क्षेत्रों में जमींदारियों और तासुकदारियों का अन्त कर दिया है। देश के उद्योगों को भी बिरत करने का प्रयत्न जारी है। इस क्षेत्र में व्यक्तिगत पूँजी लगाने को पूँजीपतियों को उत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा केन्द्रीय और अनेक प्रांतीय सरकारों ने स्वतः ही अपनी पूँजी लगाकर अनेक उद्योगों का प्रारम्भ और विस्तार किया है। खेती की उन्नति, शक्ति-विकास, उद्योगों का प्रसार तथा अन्य जनकल्याण-कार्यों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की जो कार्यक्रम में १९५१ ई० तक परिणत हो गई। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के भी बसते लगभग साढ़े तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं।

भारतवर्ष की प्रगति और सर्वांगीण उन्नति के लिये एक योजना बनाई जाय और तदनुसार आगे बढ़ा जाय, इसकी प्रेरणा अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू से मिली। फलस्वरूप भारत सरकार ने एक योजना-आयोग की स्थापना कर दी। उसने नियोजन कार्य को अपने हाथ में लेकर दो पञ्चवर्षीय योजनाओं को उपनियत किया। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना का कार्यकाल १९५१-५२ से १९५५-५६ तक था। इस योजना का

५ वर्षों में २,०६८.७८ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई। खप की मात्रा निर्धारित करने में योजना में निम्नलिखित बातों का विचार किया गया। १-विकास का ऐसा क्रम अपनाया जाय कि भविष्य में नई बढ़ी-बढ़ी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सके। २-विकास कार्यों के लिये देश के कुल उपलब्ध साधनों को ध्यान दिया जाय। ३-निजी तथा सरकारी साधनों के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित किया जाय। ४-योजना आरंभ करने के पूर्व केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के द्वारा आरंभिक योजनाओं को भी पूरा किया जाय। ५-देश-विभाजन से बिगड़ी आर्थिक व्यवस्था को पुनः ठीक किया जाय। उपर्युक्त निर्देशनों को ध्यान में रखते हुए योजना का यह लक्ष्य था कि १९७७ ई० तक भारत की प्रत्येक व्यक्ति की आय कम से कम दुगुनी कर दी जाय। तात्पर्य यह था कि इस कार्य में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त कई और योजनाओं के निर्माण और प्रयोग की आवश्यकता समझी गई।

(१) प्राथमिकता

प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यों में प्राथमिकता का क्रम भी निश्चित किया गया। देश की आर्थिक व्यवस्था कृषि और गाँवों पर आधारित है और इस दृष्टि से देश को उन्नत और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न किया गया। योजना में अनुमानित कुल खर्च का लगभग ४४.५ प्रतिशत अर्थात् ९२१.८४ करोड़ रुपये की कृषि, सामुदायिक विकास, सिंचाई और बिजली के उत्पादन पर व्यय करमा निश्चित किया गया। घातायात और संचार-साधनों की उन्नति पर कुल खर्च का २४ प्रतिशत अर्थात् ४९७.१० करोड़ रुपये लगाने की व्यवस्था की गई। उद्योग की उन्नति के लिये ८.७ प्रतिशत अर्थात् १७३.०४ करोड़ रुपये लगाना निश्चित हुआ। शेष समाजसेवा, पुनर्वास और पिछड़े पर व्यय करना तय हुआ। जायोग ने कृषि को अधिक महत्त्व देने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए यह बताया कि जापाद और कच्चे माल की वृद्धि में पर्याप्तता न होने पर उद्योगों का भी मात्र विकास असेंभव है। गाँवों की जनता की खप तक उपलब्ध नहीं बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ जाने पर भी गरीबी यमी रहेगी। औद्योगिक में वृद्धि, प्लाईवुड, लोहा, इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेण्ट, रामायण, धारी उद्योगों के लिये आवश्यक औजारों का निर्माण का विशेष ध्यान रखा गया। प्रायः सभी उद्योगों में प्रत्येक उद्योग के

(२) विस्त

पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वय में जो धन लगाने बाछा था, उसे देश के भीतर से प्राप्त करने का प्रयत्न किया ही गया, विदेशों से भी सहायता प्राप्त करने की ओर ध्यान दिया गया। केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों की धन की बचत, देश के भी धन की बचत, जनता से श्रम तथा विदेशी सहायता की रकम इनमें मुख्य रूप से लगी। भारत के पीछे पाछे तथा विदेशी सहायता और श्रम पर पूरा ध्यान दिया गया। यदि कहीं कमी रही तो अतिरिक्त कर और जनता से श्रम लेकर उसे पूरा किया गया।

१९५१ ई० में प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूरा हो जाने के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई। उसके भी समाप्त होने पर तीसरी योजना चल रही है।

८. योजनाओंके अन्तर्गत प्रगति

भारतवर्ष की प्रथम पंचवर्षीय योजना को १ अप्रैल सन् १९५१ ई० को लागू किया गया और तब से योजनाओं का पुनः चल रहा है। दूसरी योजना का यह पाँचवाँ वर्ष है और अब तक काफी प्रगति की जा चुकी है। देश में पढ़े की अपेक्षा अक्षरपाठन बढ़ गया है और अब विदेशों से मंगाये जाने वाले लकड़ी की मात्रा में अपेक्षाकृत कमी हो गयी है। अनेक छोटी-बड़ी सिंचाई की योजनाएँ तैयार हो चुकी हैं। सिन्धी में स्थापित जल का कारखाना अपना कार्य प्रारंभ कर चुका है और वह भारत को ही नहीं, अन्य एशियाई देशों को भी लाभ देने में समर्थ है। बिजली की सहायता से पानी देने के दो उपाय प्रारंभ किये गये हैं उनसे लगभग १५ लाख एकड़ अधिक भूमि की सिंचाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा पानी से बड़ी बिजली उत्पन्न करने की योजनाएँ हैं, वहाँ वह योजना-काल के भाग चल रहा है। देश में चारों ओर सामुदायिक योजनाओं का जाल बिछा दिया गया है; परन्तु इस क्षेत्र में अमेरिकी सहायता पर विश्वास किया गया है और उसकी गति धीमी होने से विशेष प्रगति नहीं हो सकी है। भास्करानाथक बाँध, रामोवरपाटी योजना, हीराकुंड बाँध और तुलसीदा सिंचाई योजना में भी काफी प्रगति हो चुकी है। पठानकोट क्षेत्र में आसतसोक का चित्तोजन कारखाना अब रेलगाड़ियों के इंजन तैयार कर रहा है। बंगलौर का टेलीफोन कारखाना भी टेलीफोन के अनेक सामानों को बनाने लगा है। पश्चिमपेश में सुदूरबीन तथा पानी के मीटर बनाने लगे

हैं। विशाखापट्टन में अहाज का करघामा तीस जहाजों को बना चुका है, और वो तीस ही तैयार होने वाले हैं। देश के भीतर सूती कपड़े और सीमेण्ट का उत्पादन बढ़ गया है। परन्तु यहाँ यह स्पष्ट रखा गया है कि मिर्चों के उद्योग के बढ़ जाने से प्रामोद्योग के विकास को कोई प्रति न हो। प्रामोद्योग, विशेषतः करचों के उद्योग को सरकार की ओर से संरक्षण दिया जा रहा है। सूती मिर्चों में उत्पादित शक्तियों के उत्पादन-प्रतिफल को अन्धाधुनिक ढंग से बढ़ाकर देखा गया है और बारीक कपड़ों पर शुद्धी बढ़ाकर करपा-व्यवसाय को सहायताएँ दी जा रही हैं। कादी की उन्नति तथा प्रचार के लिये सरकार की ओर से आर्थिक और अन्य प्रकार की सहायताएँ दी जा रही हैं। ग्राम्य क्षेत्रों के अल्प कुटीर-शिल्पों के विकास के लिये सहकारी-समितियों का निर्माण और उन्हें प्रोत्साहन देने की व्यवस्थाएँ की गई हैं।

९. विचारधाराओं का संघर्ष

बीसवीं शती को ऐतिहासिक दृष्टि से विचारधाराओं के आपसी संघर्ष का युग कहा जा सकता है। विश्व, विशेषतः युरोपीय देशों में विचारों के संघर्ष को आधुनिक सम्पत्ता की नयी परिस्थितियों ने प्रभावित किया है। फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति के बाद यदि समता, स्वतंत्रता और अन्धधुनिकता के नारे उठाये गये तो व्यावसायिक क्रांति ने विश्व में कई आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण किया। धनीवर्गों तथा मजदूरों की जीवन वृत्ताओं में जो विशेष अन्तर दिखाई दिया उसके कारण नये विचारों को प्रोत्साहन मिला। जीवन का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से मौलिकवादी हो गया और जीवनयापन की सुविधाओं के समान उपयोग की भावना उठने लगी, जो समता के सिद्धान्त पर आधारित थी। इन विचारों के अतिरिक्त साम्राज्यवाद का १९वीं शती में अधिक जोर बढ़-जाये के कारण एक ऐसी प्रतिक्रिया हुई जो राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने लगी। इन विचारों का भारतवर्ष पर भी प्रभाव हुआ। अंग्रेजी भाषा के प्रचलन तथा अंग्रेजी राज्य होने से युरोप के विचार यहाँ भी ठेसी से आये और फलस्वरूप यहाँ का भी इतिहास प्रभावित हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारतवर्ष की मुख्य विचारधारात्मक प्रवृत्ति राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख थी। इस राष्ट्रवाद का तात्कालिक कारण तो विदेशीय राजनीतिक सत्ता, शोषण तथा उत्पीड़न था; परन्तु इसका व्यापार मानविक प्रवृत्तियों का था। १९वीं शती के प्रारंभ से ही इस देश पर पश्चिमी सभ्यता

भीर विचारों का प्रभाव पड़ने लगा । एक ओर, जहाँ उसे ग्रहण की प्रवृत्ति पड़े-छिपे लोगों में आयी, वहाँ दूसरी ओर आरम्भेक्षण का भी भाव जागने लगा । धीरे-धीरे यह अनुभव किया जाने लगा कि देश की पुरवस्था दूर करने के लिये अपने प्राचीन साहित्य, कला, संस्कृति और सम्पत्ता से प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है और इस प्रकार देश का मानसिक पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ । राजा राममोहन राय, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशवचन्द्र सेन, महादेव गोविन्द रानाडे, काशीनाथ त्र्यम्बक सेलंग, रामगोपाल मन्डारकर, महर्षि दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द और श्रीमती पनीबेसेण्ट आदि इस मानसिक पुनर्जागरण के अग्रदूत थे । इन सभी व्यक्तियों ने अपने अतीत के गौरव को उपस्थित करने के साथ वर्तमान की धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कमियों को दूर करने का भी प्रयत्न किया । जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा (इंडियन नेशनल कांग्रेस) का जन्म हुआ और उसका कार्य आगे बढ़ने लगा तो उसके नेताओं में भी इस मानसिक पुनर्जागरण की प्रवृत्ति आयी । महात्मा गांधी में देश का मानसिक पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद समष्टि तथा सामंजस्य को प्राप्त हुआ और यह सामंजस्य की प्रवृत्ति स्वतंत्रता प्राप्ति तक चकती रही । परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के वास्तविक निर्माण का प्रश्न उपस्थित हुआ है और जब विचारधाराओं का संघर्ष स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होने लगा है । यदि इन सभी संघर्षों का समन्वय किया जाय तो उसके दो मुख्य प्रकार दिखाई देंगे । विचारगत संघर्ष का एक क्षेत्र है पूर्व और पश्चिम की सम्पत्ता और संस्कृति में अतीतता का प्रश्न और दूसरा है प्राचीन और नवीन के चुनाव की समस्या ।

यहाँ पहले पूर्व और पश्चिम की सम्पत्ताओं तथा संस्कृतियों के चुनाव का प्रश्न विचार के लिये किया जा सकता है । भारत और चीन पूर्व के ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने विश्व में अत्यन्त प्राचीन सम्पत्ताओं और संस्कृतियों का निर्माण किया है और उसके द्वारा विचारों का क्षेत्र सम्पन्न किया है, आध्यात्मिक चिन्तन की उन्नता प्राप्त की है, धार्मिक सहिष्णुता थी है तथा जीवन का त्यागात्मक दृष्टिकोण उपरिष्ठ किया है । परन्तु इनके साथ ही इनकी सम्पत्ता तथा संस्कृति ने धार्मिक अन्धविश्वास भी पैदा किया है तथा सामाजिक कुरीतियों और वैषम्य उपस्थित करके ऊँच-नीच का भाव भी बढ़ाया है । इसके विपरीत पश्चिम के वे देश हैं जो भीतिकता को प्रथम स्थान देते हैं, आधुनिक लोकतंत्र का पाठन करते हैं तथा सामाजिक समता का जोग करते हैं । इनमें से किये चुना जाय यह प्रश्न सैद्धांतिक और विचारगत युद्ध का कारण बना हुआ है ।

तुर्की और जापान जैसे एशिया के ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने को पश्चिमीय रंग में रंग कर पर्याप्त उन्नति की है। क्या भारत भी उस दिशा पर चल सकता है? इस प्रश्न का उत्तर केवल यही हो सकता है कि उपर्युक्त दोनों पक्षों में किसी भी एक को एकमतः स्वीकृति नहीं दी जा सकती। प्रत्येक देश की अपनी विचार-प्रवृत्ति, धार्मिक और राष्ट्रीय गुण, भौगोलिक विशेषता और ऐतिहासिक प्रवृत्ति होती है और यह सबकुछ उसी की सरणि में आगे बढ़ सकता है। धार्मिक सम्प्रदायों के अन्त तथा सामाजिक कुरीतियों और वैषम्य को दूर करने में भारत पश्चिम की नकल तो अवश्य कर सकता है तथा लोकतन्त्रात्मक प्रजातंत्रों के अनुसरण से उसे काम प्राप्त करने की भी सम्भावना है। परन्तु पश्चिम की अंधाधुंध नकल से उसका हर प्रकार से फायदा होगा, यह नहीं कहा जा सकता। आज अनेक ऐसे पश्चिमी विचारक भी हैं जो यह मानते हैं कि पश्चिम स्वयं अपनी सभ्यता और अपनी उन्नति का विकास बना हुआ है पश्चिम में भौतिकता को इतना अधिक महत्त्व प्रदान कर दिया गया है कि उसे बहुत अधिक साधनों की प्राप्ति होते हुये भी नहीं समझे, शान्ति और सुख नहीं है। ऐसी दशा में भारत को अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति और सर्वकल्याण की भावना का त्याग नहीं करना चाहिये तथा त्यागात्मक भोग पर जोर देना चाहिये। इस प्रकार के सामञ्जस्य से ही देश की उन्नति संभव है।

दूसरा प्रश्न है प्राचीन और नवीन के पुनरावृत्ति का। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल प्राचीन की सरयता में ही विश्वास करते हैं और किसी भी नयी चीज को या तो स्वीकार नहीं करते अथवा उसे प्राचीनता में खोजने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे ऐसे हैं जो प्राचीनता को दक्षिणानुसी और प्रतिक्रियापादितता की संज्ञा देते हैं और नवीनता की पुरोहिता करते हैं। परन्तु ये दोनों ही अतिर्यो हैं जिसका मुख्य आधार एक-दूसरे के प्रति अज्ञान और भ्रम है। ऐसी अनेक प्राचीन वस्तुएं, विचार, प्रथाएँ, परम्पराएँ तथा विश्वास हैं जो आज भी समाज के लिये उपयोग हैं और विचार करने पर वे मही ज्ञान देते हैं। उनके साथ कुछ ऐसे भी विचार और तज्ज्वय कार्य हैं जिन्हें आज भी नहीं कहा जा सकता और जिन्हें या तो आज परिहर्तित करने की या छोड़ने की आवश्यकता है। अनेक में संशोधन भी होना चाहिये। ऐसी दशा में दोनों के समन्वय और सामञ्जस्य की आवश्यकता है। यह कहना कि जब हमारा प्राचीन या तब या और अब उसके होल पीरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भ्रम को या तो नहीं है कि प्राचीन और नवीन के दो धोर । जिसका अपना

प्राचीन नहीं है, उसका वर्तमान और भविष्य भी नहीं होगा, यह कहना कुछ गलत नहीं मान पड़ता ।

विचारधाराओं के संघर्ष के उपर्युक्त दोनों ही रूप एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं और उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रों में अपना घर कर लिया है । उनका प्रभाव इन सभी विषयों से सम्बद्ध साहित्यों, भाषणों और विचार गोष्ठियों में देखा जा सकता है । परन्तु समन्वय और सामञ्जस्य के बिना प्रगति संभव नहीं है तथा बिना विवेक के देश का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता । यदि इस बात का ध्यान रखा जाय कि संघर्ष के बिना समन्वय नहीं होता तो देश निर्माण में कोई मय का कारण नहीं दीया पड़ेगा । संघर्ष में विवेकबुद्धि स्वतः विकसित होगी और देश उन्नति के पथ पर चलेगा ।

